71वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

एचएमटी लिमिटेड

सहायक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट

श्री एच.डी. कुमारस्वामी, केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री, के साथ और श्री राजेश कोहली, एचएमटी लिमिटेड एवं सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), हैदराबाद (एमटीएच) में एचएमटी मशीन टूल्स फैक्ट्री की यात्रा के दौरान दौरा किए।

एचएमटी लिमिटेड की 71वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 नवंबर, 2024 को हुआ। श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय, सरकारी नामित निदेशक और भारत के राष्ट्रपति के नामांकित, श्रीमती अपर्णा आर., मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), श्री किशोर कुमार एस, कंपनी सचिव मंच पर थे जबकि शेयरधारकों ने बैठक में प्रतिभागिता की।

कॉर्पोरेट ध्येय

- इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्वयं को सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता से समृद्ध विश्व की प्रीमियर कम्पनी के रूप में स्थापित करना।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के सुनिश्चय के माध्यम से बाजार नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करना।
- शेयरधारकों की ओर समूह की समृद्धि के लिए संवहनीय विकास की प्राप्ति करना।

कॉर्पोरेट उद्देश्य एवं लक्ष्य

- विश्व श्रेणी की उत्कृष्टता से युक्त इंजीनियरिंग सामान एवं सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से भारतीय उद्योग में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- उत्पाद प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण विधियों को अद्यतन करने के अनवरत प्रयासों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों एवं व्यवसायों के मिश्रण के विकास के माध्यम से अपने परिचालनों का वैश्वीकरण करना।
- अपने स्टेकधारकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए नियोजित पूंजी पर संतोषजनक लाभ प्राप्ति का सुनिश्चय करना।
- सक्रिय, सुखद एवं फलप्रद कार्य परिवेश प्रदान करना।

एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट		
अनुभाग	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	एचएमटी लिमिटेड	I - 246
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	I - 130
3	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	1 - 84
4	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	1 - 54

अध्यक्ष महोदय का संबोधन
एचएमटी लिमिटेड की 71वीं वार्षिक बैठक

मेरे प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2023-24 के लिए एचएमटी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित हूँ। मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वर्ष बाजार के रुझान के संबंध में कई बदलाव हुए हैं। हालाँकि, वैश्विक दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न पहलुओं के प्रभाव को देखते हुए, यह जरूरी है कि हम चुनौतियों पर काबू पाने की दिशा में लगातार काम करें।

वैश्विक आउटलुक

वैश्विक स्तर पर, वर्ष की शुरुआत भू-राजनीतिक मुद्दों के साथ हुई, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर समकालिक मौद्रिक नीति में सख्ती आई है। निराशाजनक घटनाओं के बावजूद, वैश्विक परिदृश्य में वर्ष दर वर्ष 3.2% की सामान्य वृद्धि देखी गई है तथा आगामी वर्षों के लिए अनुमानित रुझान भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिर वृद्धि का आशंका हैं।

प्रौद्योगिकी में प्रगति और एआई आधारित प्रौद्योगिकियों के निरंतर एकीकरण के साथ नवाचार और उत्पाद विकास समय की मांग है। वैश्विक रुझानों को बाजार के अवसरों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वे चुनौतियों के रूप में भी सामने आते हैं, जिनका सामना एचएमटी लिमिटेड को एक समूह के रूप में भविष्य में करना पड़ सकता है।

चुनौतियों के बावजूद एक समूह के रूप में हमें अपनी मूल शक्तियों पर खरा उतरने और गुणवत्ता तथा ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ बनाए रखने की जरूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत ने वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की समग्र वृद्धि दर्ज की है और विश्व अर्थव्यवस्था आउटलुक, अप्रैल 2024 के अनुसार आने वाले वर्षों में 6.5% की स्थिर वृद्धि बनाए रखने का अनुमान है। औद्योगिक विकास, मेक-इन-इंडिया पहल, एफडीआई और घरेलू निवेश, सरकारी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करते हुए भी लचीलापन और निरंतर विकास प्रदर्शित किया है। एचएमटी गर्व करता है और देश की आर्थिक वृद्धि में अपना समर्थन देने का आश्वासन देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर विनिर्माण प्रभाव:

ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद के युग में विनिर्माण क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि कहा गया है, हाल के दिनों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र के योगदान से कम हो गया है।

हालाँकि, भारत सरकार का मानना है कि आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए में 14% योगदान होने के साथ, यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक बिजलीघर में परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मेक इन इंडिया पहल, उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, नीति समर्थन और बुनियादी ढांचे एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकास जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में शामिल करना है। पिछले कुछ वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में निरंतर वृद्धि इस संबंध में सरकार के प्रयासों का प्रमाण है।

विनिर्माण क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, एचएमटी के पास विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की देश की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए मौजूदा नीतियों और सरकार द्वारा समर्थन को अधिकतम करने के लिए उपाय कर रही है।

निष्पादन एवं व्यावसायिक उपलब्धियां

एचएमटी लिमिटेड ने स्टैंडअलोन आधार पर, वर्ष 2023-2024 में परिचालन से 47.91 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया, जबकि वर्ष 2022-2023 में 51.59 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया था। परिचालन से राजस्व में गिरावट के बावजूद कंपनी ने वर्ष 2023-2024 के दौरान कर-पूर्व लाभ में 17% की वृद्धि हुई है। एचएमटी लिमिटेड ने वर्ष 2023-2024 में 17.47 करोड़ रुपये का पीबीटी दर्ज

किया, जबकि वर्ष 2022-2023 में यह 14.9 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2023-2024 में एचएमटी कंपनियों के समूह ने वर्ष 2022-2023 में 203.8 करोड़ रुपये की तुलना में 163.39 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया है।

डेयरी उद्योग में डेयरी उत्पादों और मशीनरी की मांग में वृद्धि से कंपनी को अपने डेयरी मशीनरी व्यवसाय का विस्तार करने की प्रस्ताव हुई है। इसके अलावा घड़ियों की बिक्री से कारोबार में योगदान वर्ष 2022-2023 में 14% से बढ़कर वर्ष 2023-2024 में 25% हो गया है। यह कठिन समय से गुजरने और मजबूती से उभरने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, उत्पाद उन्नयन, सहयोग और टर्नकी परियोजनाएं कंपनी के लिए लगातार बढ़ते बाजार में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए प्राथमिक हैं।

सहायक कंपनियों की ओर से पहले

कंपनी की सहायक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के दौरान कई पहलें की है।

मशीन टूल्स व्यवसाय

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटीएल) ने वर्ष 2023-2024 में 99.70 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की, जबकि वर्ष 2022-2023 में 142.24 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की गई। वर्ष 2022-2023 में दर्ज (रुपया 132) करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे के मुकाबले वर्ष 2023-2024 में शुद्ध लाभ के आंकड़े नकारात्मक (रुपया 155) करोड़ रुपये रहे। इसके बावजूद, कंपनी सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय को मजबूत करने और विकास को गति देने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की दिशा में काम कर रही है।

जटिल मशीन टूल्स के निर्माण की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी से इनकार भी हमारे विकास को बाधित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, एचएमटी एमटीएल ने विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों को लचीला, सटीक और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई आयात प्रतिस्थापन मशीनों को डिजाइन और विकसित किया है। ये मशीनें स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं और इनकी कीमत आयातित मशीनों की तुलना में लगभग आधी है तथा ये हमारे माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

कंपनी की विकास रणनीतियाँ बहुआयामी हैं और हमारी बाजार उपस्थिति बढ़ाने तथा हमारे उत्पाद पेशकश का विस्तार करने के लिए तैयार की गई हैं। प्रमुख क्षेत्रों में से एक है सामान्य प्रयोजन मशीनों का भंडारण, ताकि बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, कंपनी चैनल भागीदारों की नियुक्ति के माध्यम से बिक्री, बिक्री के बाद की सेवाओं और विपणन को मजबूत करने के प्रयासों को तेज कर रही है। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना और बाजार में अपनी पहुंच का विस्तार करना है। एचएमटी एमटीएल की विनिर्माण क्षमता का लाभ उठाकर और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके, कंपनी हाई-टेक मशीनों के क्षेत्र में अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही है। आईआईटी बीएचयू वाराणसी और आईआईएससी, बेंगलूरु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कंपनी का सहयोग उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रति हमारे समर्पण और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी एक वसीयतनामा के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी ने रेलवे, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे उद्योगों और क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण ग्राहक घटको के निर्माण के लिए भी पहल कर रही है।

निर्यात

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की बिक्री में पिछले दो वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2023-24 में एचएमटी(आई) ने 17.59 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 14.15 करोड़ रुपये थी। यह विकास प्रक्षेपवक्र उस ब्रांड मूल्य का प्रमाण है जो एचएमटी विश्व स्तर पर रखती है और कंपनी की वैश्विक बाजार गतिशीलता के अनुकूल होने की क्षमता है। इसी तरह, पीबीटी आंकड़ों में भी सुधार दिखा है, 2023-24 में 4.81 करोड़ रुपये दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2022-23 में 0.31 करोड़ रुपये दर्ज किए गए।

कंपनी ने प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केंद्र, एमएसएमई उत्पादन केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और भारत सरकार की अनुदान सहायता परियोजनाओं के भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास केन्द्रों जैसी विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित टर्नकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए एक नोडल एजेंसी बनने की पहल की है। ये पहल एचएमटी समूह की कंपनियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और कंपनी को उद्योग में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भविष्य का दृष्टिकोण

डेयरी मशीनरी

वैश्विक डेयरी मशीनरी बाजार के आने वाले वर्षों में लगभग 5-7% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि कई तरीकों से प्रेरित हो रही है, जिनमें शामिल है:-

- विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और आय में वृद्धि के साथ, डेयरी उत्पादों की अधिक खपत है, जो बदले में उत्पादन को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए उन्नत मशीनरी की आवश्यकता को बढ़ाती है।
- डेयरी मशीनरी में स्वचालन और स्मार्ट प्रौद्योगिकी जैसे नवाचारों से दक्षता में सुधार, श्रम लागत में कमी, तथा उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो बदले में भविष्य के बाजार को आकार देती है। डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण बड़ी पार्टियों से नए निवेश को भी आकर्षित करता है जिससे मांग में वृद्धि होती है।
- आर्थिक स्थिति और सरकारी सहायता डेयरी मशीनरी में निवेश को प्रभावित करती है। वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ स्थिर दर से बढ़ने की ओर अग्रसर हैं, और विभिन्न सरकारी संस्थानों से सब्सिडी और कर छूट के रूप में समर्थन मिलने के कारण डेयरी मशीनरी उद्योग का स्थायी विकास संभव है।
- बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएँ: 'ए2' दूध डेयरी बाजार में सबसे तेजी से बढ़ते खंड का प्रतिनिधित्व करता है।इसका विकास, मानक दूध की तुलना में इसकी बेहतर पाचनशक्ति और संभावित स्वास्थ्य लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास से प्रेरित है।

डेयरी मशीनरी उद्योग के लिए समग्र भविष्य-दृष्टिकोण सकारात्मक है। कंपनी अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए रणनीतिक पहलों को लागू करने के लिए तत्पर है। स्वस्थ जीवन विकल्पों के लिए बढ़ते वैश्विक रुझान को देखते हुए, कंपनी अपने उत्पाद रेंज में विविधता लाने की प्रक्रिया में है, ताकि इसमें स्वास्थ्य-केंद्रित और सुविधा-उन्मुख विकल्प शामिल किए जा सकें, जैसे प्रोबायोटिक पेय, उच्च प्रोटीन वाले दही और लैक्टोज-मुक्त उत्पाद।

भारत में भी डेयरी मशीनरी उद्योग आने वाले वर्षों में प्रगतिशील वृद्धि के लिए तैयार है। कंपनी बदलती उपभोक्ता जरूरतों के साथ अपनी पेशकशों को संरेखित करने और बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए उत्पादन दक्षता को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का प्रयास कर रही है।

माशीन टूल्स

2031 तक 145.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंचने वैश्विक बाजार के 2024 से 2031 तक 5.41% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि कई कारकों से प्रेरित होगी, जिनमें शामिल हैं:

- औद्योगिक स्वचालन और तकनीकी उन्नति: विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वचालन और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उन्नत मशीन टूल्स की मांग बढ़ रही है। सीएनसी (कम्प्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल) मशीनें, 3डी प्रिंटिंग और उन्नत रोबोटिक्स जैसे नवाचार उत्पादन दक्षता और क्षमताओं में सुधार करके बाजार के विकास में योगदान करते हैं।
- विनिर्माण वृद्धिः ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तार, उच्च परिशुद्धता और उच्च प्रदर्शन वाले मशीन टूल्स की आवश्यकता को पूरा करता है।
- उभरते बाजार: उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि, जहां औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है, मशीन टूल्स बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है।
- आधुनिकीकरण में निवेश: मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निवेश, उन्नत मशीन टूल्स की मांग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।

जैसा कि किसी भी उद्योग में होता है, मशीन टूल्स उद्योग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के अधीन है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग अधिक स्मार्ट और अधिक कनेक्टेड मशीन टूल्स विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जो अधिक कुशलतापूर्वक और स्वायत्तता से काम कर सकें।

भारत में, मशीन टूल्स उद्योग भी स्थिर वृद्धि के लिए तैयार है, जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल, आत्मनिर्भर भारत और विभिन्न पीएलआई योजनाओं से स्पष्ट है। ये पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा

देने और घरेलू निर्माताओं को आवश्यक सहायता देने की दिशा में निर्देशित हैं। नई प्रौद्योगिकियों के आगमन और उच्च तकनीक वाली मशीनरी की मांग के साथ, इस क्षेत्र में भारतीय मशीन टूल्स कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश का गंभीर प्रवाह देखा जा रहा है।

मशीन टूल्स उद्योग का भविष्य आशाजनक है और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड मशीन टूल्स की मांग का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। कंपनी आयातित मशीनों के लिए स्वदेशी विकल्प विकसित करने पर काम करना जारी रखती है और भारतीय विनिर्माण परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक अर्थव्यवस्था का 25% उत्पादन विनिर्माण से होगा और एचएमटी उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम बन सकता है।

व्यवसाय

आने वाले वर्षों में कम्पनी एचएमटी के उत्पादों एवं अन्य इंजीनियरिंग सामान्य को नए गंतव्यों तक ले जाकर अपने राजस्व में वृद्धि के लिए कमर कस रही है तथा इसके लिए अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में और अधिक टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रही है। एचएमटी (इंटरनेशनल) के लंबित आर्डर 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार 24 करोड़ रुपए मूल्य के हैं।

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी निरंतर मूल्यों के उच्चतर मानकों एवं सिद्धांतों को अंगीकार करने एवं उनका अनुरक्षण करने की प्रक्रियाएं करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा न जारी कॉर्पोरेट शासन के सरकारी निदेशों का कम्पनी अनुपालन कर रही है।

कंपनी हितधारकों की अपेक्षाओं से मेल खाने के लिए लगातार विकास दर के लिए प्रयास करना जारी रखेगी। जबकि कंपनी विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से काम करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता पर जोर देने के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के सर्वोत्तम मानकों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहेगा।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग मंत्री, माननीय भारी उद्योग राज्य मंत्री, सचिव (भारी उद्योग), अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त अत्यधिक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के सुचारू संचालन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि के सभी अधिकारियों के समर्थन के लिए उनका भी आभारी हूं। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्य भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी मूल्यवान सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यहां अपनी सम्मानित सहकर्मियों एवं एचएमटियन्स का भी उनकी अनथक प्रतिबद्धता, विश्वास एवं इस अत्यधिक चुनौतिपूर्ण वर्ष के दौरान प्राप्त सौहर्दपूर्ण संबंधों के लिए हृदय से आभार एवं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं भारत और विदेशों के अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और कम्पनी के प्रति अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं।

मैं अन्य सभी स्टेकधारकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग, सहायता एवं कम्पनी के निष्पादन में उनकी निरंतर रूचि के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध संसाधनों एवं हमारे मान्य शेयरधारकों के मूल्यवान सहयोग से आपकी कम्पनी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी तथा अपने स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन करेगी।

मैं एचएमटी में निरंतर विश्वास एवं प्रबंधन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, इस अवसर के लिए आप सभी को एवं आपके परिवार के सदस्यों के लिए मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) बेंगलूरु

यह कंपनी की 71वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।

एचएमटी लिमिटेड

विषय-सूची

निदेशक मंडल 1

निष्पादन हाइलाइट्स 2

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 3

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 20

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट 24

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 52

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र 71

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 74

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 95

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 96

तुलन पत्र 106

लाभ एवं हानि लेखा 108

नकदी प्रवाह विवरण 110

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट 114

समेकित वित्तीय विवरण 151

निदेशक मंडल (25.10.2024 की स्थिति के अनुसार)

श्री. राजेश कोहली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05.04.2024 से)
सुश्री. आरती भटनागर	सरकारी नामित निदेशक
डॉ. रेणुका मिश्रा	सरकारी नामित निदेशक (23.07.2024 से)
सुश्री. समीना कोहली	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) (10.06.2024 से)

मुख्य सतर्कता अधकरी (25.10.2024 की स्थिति के अनुसार)
श्री. विकास अग्रवाल, आईटीएस (1997) (01.08.2024 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी (25.10.2024 की स्थिति के अनुसार)
श्रीमती. अपर्णा आर (10.11.2023 से)

कंपनी सचिव
श्री. किशोर कुमार एस

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स एन एस वी एम एंड एसोसिएटस
चार्टर्ड्स एकाउंटेट
नं. 63/1, पहला मंजिल , केनरा बैंक के ऊपर,
रेलवे पैरेलल रोड, कुमारा पार्क पश्चिम,
बेंगलूरु – 560 004

सचिवीय लेखा परीक्षक
डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
नं . 170, दूसरी मंजिल , दूसरा क्रास,
पहला ब्लॉक ,कोरमंगला,
बेंगलूरु 560 034

बैंकर्स
यूको बैंक

पंजीकृत कार्यालय
“एचएमटी भवन”
59, बेल्लारी रोड
बेंगलूरु - 560 032

कॉर्पोरेट पहचान संख्या
L29230KA1953GOI000748

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पहले केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी
प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500 032

निष्पादन हाइलाइट्स

(रुपए लाख में)

	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिचालन सांख्यिकी										
बिक्री	4791	5159	1258	2346	2613	1960	1480	1043	726	6155
अन्य आय *	5127	4838	6916	6510	4331	3731	1730	1634	10448	3239
सामग्री	3455	4286	473	1439	1738	1137	818	267	246	3805
कर्मचारी लागत	755	734	1012	1101	1375	1003	1194	1026	1106	10334
अन्य लागत	3893	3441	1730	1422	1010	1065	894	5042	470	2293
मूल्यह्रास	211	211	195	202	27	25	25	32	27	367
ब्याज पूर्व आय	1747	1504	4685	4888	2806	2595	578	(3728)	9348	(8174)
ब्याज	-	13	850	1730	2	29	212	288	297	1836
कर पूर्व आय/(हानि)	1747	1491	3835	3158	2804	2566	366	(4016)	9051	(10010)
कराधान (आहरण/धनवापसी का निवल)	(695)	785	(1)	409	-	-	-	(1861)	-	-
बंद परिचालन (ट्रैक्टर)	-	-	-	-	22014	(841)	(1083)	(21794)	(10765)	-
निवल आय	2442	706	3836	2749	24818	1725	(717)	(23949)	(1714)	(10010)
वित्तीय स्थिति										
निवल स्थिर परिसम्पतियां	1206	1352	1117	1251	1393	1616	1723	1956	2229	2481
चालू परिसम्पतियां	59742	58962	48648	44239	41552	32000	18983	18832	9345	64225
चालू देयताएं एवं प्रावधान	19238	21045	11244	10896	10966	23981	11878	20950	35387	27723
कार्यशील पूंजी	40504	37917	37404	33343	30586	8019	7105	(2117)	(26041)	36502
नियोजित पूंजी	41710	39269	38521	34594	31979	9635	8828	(161)	(23812)	38983
निवेश	71978	71978	71978	71978	71978	71978	72042	72029	76425	76425
उधार	64172	64172	64172	64172	64172	66206	67155	57948	15094	13846
वरीयता शेयर पूंजी (पीएससी)	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	66000
निवल मूल्य	45878	43393	42666	38714	36099	11721	10029	10234	33833	35562
अन्य सांख्यिकी										
पूंजीगत व्यय	64	151	61	61	2	124	10	13	65	8
आंतरिक संसाधनों से उत्पति	1958	1702	4030	3360	24845	1750	(692)	(25778)	(1687)	(9643)
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	0.12	0.14	0.03	0.07	0.09	0.24	-	-	-	0.17
चालू अनुपात	3.11	2.8	4.33	4.06	3.79	1.33	1.60	0.90	0.26	2.32
पूंजी प्रतिफल (%)	4.31	3.87	12.82	14.68	13.49	28.11	13.34	-	-	(18.65)
कर्मचारी (संख्या)	55	63	66	81	91	101	103	118	128	1421
प्रति व्यक्ति बिक्री	87.11	81.89	19.06	28.96	28.71	19.41	14.37	8.84	5.67	4.33

* इसमें अति साधारण एवं अपरिहार्य मदें शामिल हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,
एचएमटी लिमिटेड बेंगलूरू के सदस्य गण

प्रिय सदस्यो,

आपके निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों की 71वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2023-24 के कम्पनी के वार्षिक लेखों को सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

वित्तीय हाइलाइट्स/कम्पनी का निष्पादन (स्टेंडएलोन)

रुपए करोड़ में

विवरण	2023-24	2022-23
निरंतर परिचालनों से सकल राजस्व	**47.91**	51.59
अन्य आय	**51.27**	48.38
कुल आय	**99.18**	99.97
मूल्यह्रास एवं वित लागतों पूर्व लाभ	**19.58**	17.15
मूल्यह्रास	**2.11**	2.11
सकल लाभ /(हानि)	**17.47**	15.04
वित्त लागत	**-**	0.13
अपरिहार्य मदों से पूर्व लाभ	**17.47**	14.91
जोड़ें : अपरिहार्य मदें	**-**	-
कर पूर्व निवल लाभ	**17.47**	14.91
कर के लिए प्रावधान	**(6.95)**	7.85
कर पश्चात निवल लाभ	**24.42**	7.06
बंद परिचालनों से लाभ / हानि	**-**	-
वर्ष के दौरान निवल लाभ / (हानि)	**24.42**	7.06
अन्य व्यापक आय	**0.43**	0.21
योग व्यापक आय	**24.85**	7.27

परिचालन परिणाम

कंपनी के मुख्य व्यवसाय पोर्टफोलियो में खाद्य प्रसंस्करण मशीनों की उत्पाद रेंज शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई ने पिछले वर्ष के 7.00 करोड़ रुपये की तुलना में 8.31 करोड़ रुपये का उत्पादन किया है और 36.05 करोड़ रुपये की बिक्री (पाउडर परियोजना से 26.80 करोड़ रुपये की आय सहित) दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 43.55 करोड़ रुपये (पाउडर परियोजना से 36.80 करोड़ रुपये की आय सहित) थी। सहायक व्यवसाय प्रभाग, बेंगलूरु ने वर्ष 2023-24 के दौरान 7.95 करोड़ रुपये का उत्पादन (घड़ियों की असेंबली) और 11.86 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः 7.25 करोड़ रुपये और 8.04 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी और बिक्री में घड़ियों और ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की बिक्री शामिल है।

वर्ष 2023-24 के दौरान कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के 14.91 करोड़ रुपये की तुलना में 17.47 करोड़ रुपये है।

एचएमटी समूह ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के दौरान 108.46 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन किया। वर्ष 2023-24 के लिए परिचालन से राजस्व 163.39 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 203.81 करोड़ रुपये था। एचएमटी समूह ने पिछले वर्ष के 122.90 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में चालू वर्ष में 2550.76 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है। वर्ष के दौरान लाभ में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार की 2693.78 करोड़ रुपये की देनदारियों की माफी तथा एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के बंद होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार की देनदारियों की माफी पर आयकर के भुगतान के लिए भारत सरकार से प्राप्त 837.47 करोड़ रुपये के अनुदान के कारण हुई है।

भविष्य के प्रति अभिमुखता

डेयरी प्रसंस्करण उपकरण बाजार

भारत में डेयरी उद्योग का आकार बढ़ गया है और 2023 में यह 16,792.1 बिलियन रुपये तक पहुंच गया है। आईएमएआरसी समूह को उम्मीद है कि 2032 तक बाजार 49,953.5 बिलियन रुपये तक पहुंच जाएगा, जो 2024-2032 के दौरान 13% की वृद्धि दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करेगा। तकनीकी नवाचार, उन्नत खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, तथा बेहतर कोल्ड चेन अवसंरचना के कारण उद्योग में मजबूत वृद्धि हो रही है, तथा विविधीकृत और गुणवत्ता-केंद्रित उत्पाद श्रृंखला के साथ बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा किया जा रहा है।

हालांकि, एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डेयरी बाजार का आकार 2023 में लगभग 203.3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारतीय डेयरी बाजार के 2024-2032 की पूर्वानुमान अवधि में लगभग 15.4% की सीएजीआर से आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो 2032 तक 472.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आय और बदलती आहार आदतों के कारण भविष्य में डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने डेयरी उद्योग को समर्थन देने के लिए कई पहल भी की हैं, जैसे कि आधुनिक मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देना, डेयरी उपकरण खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना और दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना।

भारत में डेयरी मशीनरी उद्योग भी दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए नई तकनीकों को अपना रहा है। उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूलित करने और लागत को कम करने के लिए स्वचालित दुग्ध प्रणाली, उन्नत दुग्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां और आईओटी-आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही हैं।

इसके अलावा, बड़ी डेयरी कंपनियों और सहकारी समितियों के उद्भव के साथ भारतीय डेयरी उद्योग भी अधिक संगठित होता जा रहा है। ये कंपनियां अपनी प्रसंस्करण क्षमता में सुधार करने और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरणों में निवेश कर रही हैं।

निष्कर्षतः, भारत में डेयरी मशीनरी उद्योग का भविष्य का दृष्टिकोण आशाजनक दिखता है, जो डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग, सरकारी समर्थन, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उद्योग में संगठित खिलाड़ियों को उभरने से प्रेरित है।

मशीन टूल्स बाजार

आईएमएआरसी समूह के अनुसार, भारतीय मशीन टूल बाजार का आकार 2023 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 2024-32 के दौरान 8.2% की वृद्धि दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करते हुए 2032 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

समग्र उत्पादकता बढ़ाने और एर्गोनॉमिक्स में सुधार के लिए बढ़ता औद्योगिक स्वचालन भारत में बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, उत्पाद की गुणवत्ता पर कड़े मूल्यांकन मानदंडों के साथ-साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की संख्या में वृद्धि से बाजार की वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा, कम श्रम और कच्चे माल की लागत तथा कम कर दरों के कारण, कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। इससे इन विनिर्माताओं को देश में अपना उपभोक्ता आधार बढ़ाने के लिए विकास के अवसर मिल रहे हैं।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 1230 करोड़ रुपये है और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 355.60 करोड़ रुपये (10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 355601640 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर) है।

जमा

कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V और उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

लाभांश

कंपनी की परिचालन स्थितियों को देखते हुए, निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है। लाभांश वितरण नीति लिंक https://www.hmtindia.com/policies/ पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं हुई है और कोई भी मामला लंबित है।

जालसाजी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जालसाजी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निदेशक मंडल स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन 12 अगस्त, 2019 को किया गया था। सीएसआर समिति की संरचना कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। सीएसआर नीति को कंपनी वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/ पर रखा गया है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 2827.72 लाख रुपये है, इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर 2827.72 लाख रुपये का कम से कम दो प्रतिशत यानी 56.55 लाख रुपये खर्च करना

आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और संशोधनों में निर्धारित प्रारूप में **अनुबंध-1** के रूप में प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण **अनुबंध-1क** के रूप में संलग्न है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, के संदर्भ में, कंपनी ने एक 'जोखिम प्रबंधन नीति' का निर्माण किया है, जो कम्पनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/ पर देखी जा सकती है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 12.07.2021 को निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

कर्मचारियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023 -24 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 197 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक कंपनियां

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

सहायक कंपनी ने 2023 -24 के दौरान 99.70 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले वर्ष 142.24 करोड़ रुपये बिक्री की हासिल की और 92.20 करोड़ रुपये पिछले वर्ष की तुलना में 116.58 करोड़ का पंजीकृत उत्पादन हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान 155.24 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई जबकि पिछले वर्ष 131.65 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई थी।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

सहायक कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 17.59 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में 14.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। सहायक कंपनी ने पिछले वर्ष के 0.31 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.81 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया।

सहायक कंपनियों का विघटन

वर्ष 2016 के दौरान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी वॉचेस लिमिटेड का संचालन बंद कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समापन गतिविधियों के रूप में कोई परिचालन बिक्री या आय प्रक्रियाधीन नहीं है। कंपनी को भारत सरकार से 2693.78 करोड़ रुपये की भारत सरकार की देनदारी की माफी पर आयकर के भुगतान के लिए 837.47 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार, 3531.25 करोड़ रुपये की असाधारण आय और 2680.78 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया गया।

सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम कम्पनी

सुडमो-एचएमटी प्रोस्सेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड

विचाराधीन वर्ष के दौरान इस संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा कोई व्यवसाय संव्यवहार नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में इस कम्पनी को 1.14 लाख रुपए का निवल घाटा हुआ है।

गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसएमटीसी)

एचएमटी लिमिटेड तथा जीआईआईसी लिमिटेड की इस सम्बद्ध कम्पनी ने काफी लम्बे समय से अपने परिचालन बंद कर दिए हैं। अब, जीआईआईसी के निदेशक मंडल ने जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए अनुमोदन दे दी है जो गुजरात सरकार से अनुमोदन प्राप्ति की शर्त पर है। कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की शर्त के साथ जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। मामला प्रक्रियाधीन है।

सहायक/सम्बद्ध कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण के मुख्य आकर्षण **अनुबंध-2** में दिए गए फार्म एओसी-1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

भारतीय लेखा मानक

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा तत्पश्चात जारी सम्बद्ध संशोधन नियमावली, कम्पनी के संबंध में यथा लागू, तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है।

शेयर पूंजी में कमी

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित (मंत्रिमंडल के अनुमोदन से) 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के कम्पनी के 848490000 शेयरों की कटौति करके कंपनी की शेयर पूंजी को 1204.09 करोड़ रुपये से घटाकर 355.60 करोड़ रुपये करने की पुष्टि कर दी है / अनुमोदन दे दिया है। कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक (आरओसी) ने 17.11.2018 को एनसीएलटी आदेश का पंजीकरण ही किया है और एचएमटी लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि करने वाले पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया है। तथापि, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी को कम करने की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए लंबित है जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के परामर्श से प्रक्रियाधीन है। भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता आरटीए रिकॉर्ड के अनुसार दिखाए गए 10/- रु. के 1128056626 इक्विटी शेयरों की तुलना में 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 279566626 शेयर है जो कंपनी में 78.62% कि शेयरधारिता के समान है। इन कारणों से आरटीए द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के मध्य अंतर है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार लागू नाप्ति लेखांकन मानकों के अनुरूप सहायक कम्पनियों सहित कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी के समेकित तुलन पत्र में प्रत्येक सहायक कंपनी की वित्तीय जानकारी प्रस्तुत की गई है।

सहायक कंपनियों के अलग लेखापरीक्षित विवरण की अपेक्षा करने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य को अनुरोध पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्रत्येक सहायक कंपनी के वार्षिक लेखे और अन्य जानकारी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कंपनी की वेबसाइट, www.hmtindia.com पर किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

मानव पूंजी

31 मार्च, 2024 को कंपनी (एचएमटी लिमिटेड) की कर्मचारी संख्या 55 थी, जिसमें विनिर्माण संयंत्रों और अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला कर्मचारी श्रेणियों आदि में 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की वेतन सूची के अनुसार कर्मचारियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जातियां	12
अनुसूचित जनजातियां	04
अन्य पिछड़े वर्ग	10
भूतपूर्व सैनिक	0
दिव्यांगजन	0
महिला कर्मचारी	15
अल्पसंख्यक	03

औद्योगिक सम्बद्ध

वर्ष के दौरान कंपनी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहार्दपूर्ण रही है।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी में राजभाषा के उपयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम, नियम और नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों में राजभाषा अधिनियम, नियम और नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बेंगलुरु में कॉर्पोरेट कार्यालय सहित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रसार के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में सितंबर 2023 के दौरान हिंदी दिवस / हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया था। एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कॉर्पोरेट मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी सप्ताह के दौरान चित्रकथा, आशु भाषण, राजभाषा लिखित प्रश्नोत्तरी और विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था तथा प्रतिभागियों को हिंदी दिवस के भव्य समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान हिंदी टंकण के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। प्रत्येक दिन हिंदी

का एक शब्द अर्थ सहित कंपनी में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है और कर्मचारियों के बीच राजभाषा के उपयोग का प्रचार करने के लिए दैनिक आधार पर हिंदी समाचार पत्रों का क्रय किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) की बैठकों/ कार्यक्रमों, ऑनलाइन वेबिनार और हिंदी माह समारोह में भाग लेते हैं और मसूरी में आयोजित "हिंदी सलाहकार समिति" की बैठक में भी शामिल हुए।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश सं. 5(47)/2010-पीईएक्स दिनांक 25.04.2022 ने मुख्य सतर्कता अधिकारी, एचएमटी लिमिटेड के पद के अतिरिक्त प्रभार को सुश्री. कल्याणी सेथुरमन, आईआरएएस (94), सीवीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), बेंगलूरु को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि बढ़ा दी है, 04.04.2023 से 03.04.2024 तक या नियमित सीवीओ की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

कॉपर्पोरेट सतर्कता विभाग धारक कंपनी के साथ-साथ सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्यों की देखरेख भी करता है। विनिर्माण इकाइयों और विपणन कार्यालयों में सतर्कता कार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं।

प्रत्येक यूनिट के सतर्कता अधिकारी अपनी मासिक सतर्कता / निरीक्षण रिपोर्ट और औचक निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजते हैं। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट की आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय में जांच की जाती है। यूनिट सतर्कता अधिकारी यूनिट के कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए वार्षिक संपत्ति रिटर्न को भी सत्यापित करते हैं।

यूनिट सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के अलावा, मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न सहायक कंपनियों और इकाइयों का दौरा करके सीटीई (सीवीसी में मुख्य तकनीकी परीक्षक) प्रकार का औचक निरीक्षण किया जाता है और उच्च मूल्य की खरीद / अनुबंधों और प्रणालियों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी/डीसीवीओ/ यूनिट वीओ द्वारा फाइलों के निरीक्षण के दौरान देखे गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाता है और व्युतक्रमण की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यूनिट सतर्कता अधिकारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा देखे गए व्युतक्रमणों पर चर्चा करें; त्रैमासिक सतर्कता कार्यशाला में और संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन करें कि सतर्कता विभाग द्वारा बताए गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

एचएमटी सतर्कता मैनुअल 30.03.2023 को सुश्री कल्याणी सेथुरमन आईआरएएस (94) सीवीओ-एचएमटीएल द्वारा जारी किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग गतिविधियों को 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 3 महीने के लिए वीएडब्ल्यू के अग्रदूत के रूप में "भ्रष्टाचार को ना कहें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध" विषय के साथ अभियान चलाया गया था। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सभी इकाइयों और कार्यालयों में "भ्रष्टाचारियों का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पण करें" मनाया गया।

निविदा प्रक्रिया में सभी नियमों और प्रक्रियाओं तथा पारदर्शिता के सभी मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया। बताए गई कुछ प्रणालियों में सुधार इस प्रकार हैं:

1. अधिकारियों की एपीएआर ऑनलाइन भरने का सुझाव दिया गया।
2. अधिकारियों को संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन भरने का सुझाव दिया गया।
3. एचएमटी क्रय मैनुअल को अद्यतन करने का प्रस्ताव।
4. पुराने रेखाचित्रों, भूमि अभिलेखों, मानव संसाधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
5. भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लेनदेन।
6. जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को अधिकतम करना।
7. लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त) पर आवधिक निरीक्षण का सुझाव दिया गया।
8. प्रबंधन को सत्यनिष्ठा संधि अपनाने के लिए राजी किया जा रहा है। यह मामला 8.6.2017 को आयोजित एचएमटीएल

के निदेशक मंडल की 326वीं बैठक में उठाया गया और बोर्ड का निर्णय था **"एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाना और कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने का आधार तय करने और सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्य और चीजें करने और बोर्ड को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया"**

9. टाउनशिप क्वार्टरों का आवंटन ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई।
10. संगठन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सतर्कता पर अधिक जागरूकता पहल (प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि) का सुझाव दिया।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट अलग से इस रिपोर्ट **अनुबंध-3** के रूप में अलग से इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कॉर्पोरेट शासन

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34 के अनुसरण में कॉपरिट शासन की रिपोर्ट अलग से इस रिपोर्ट के **अनुबंध-4** में लेखापरीक्षा से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र, **अनुबंध-5,** के साथ प्रस्तुत की गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी संसूचन एवं विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय से संबंधित सूचना

कम्पनी (विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी संसूचन एवं विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय से संबंधित सूचना **अनुबंध-6** में प्रस्तुत की गई है।

निदेशक उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसरण में आपका निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं क्षमता तथा उनके द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह पुष्टि करता है कि:

- 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण उचित स्पष्टीकरणों तथा सामग्रीगत व्युतक्रम के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग संगत स्वरूप में न्यायपरक निर्णय लेकर एवं ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों एवं इस अवधि के कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरणों की सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है;
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण एवं जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उनका पता लगाने की यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई है;
- निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखों का निर्माण आनगोइंग आधार पर किया गया है; यह कि कम्पनी द्वारा अनुसरण के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं;
- ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों के अनुसरण का सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

वार्षिक विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा धारा 134(3) (क) के अनुसरण में कम्पनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक विवरण की एक प्रति अपनी वेबसाइट https://www. hmtindia.com/investor-relation/ar/ पर प्रस्तुत कर दी है।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बेंगलूरु को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स आर के मुले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के फूड प्रोसेसिंग मशीनरी डिवीजन, औरंगाबाद के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के उत्तर **अनुबंध-7** में प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर **अनुबंध-7क** में प्रस्तुत किए गए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसरण में कंपनी ने श्री. डी. वेंकटेश्वरलु, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-8** में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में **अनुबंध-9** में प्रस्तुत है।

असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के प्रावधानों के अनुसार, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, कंपनी की एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी, के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट, टिप्पणियों के जवाब के साथ **अनुबंध-10, 11, 12 और 13** में संलग्न है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

बीएसई परिपत्र संख्या 20240510-48 और एनएसई परिपत्र संख्या एनएसई/सीएमएल/2024/11 दिनांक:10 मई, 2024 के अनुसार, बीआरएसआर को संपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करने के बजाय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक लिंक के रूप में प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार बीआरएसआर 2023-24 को www.hmtindia.com/business-responsibility-and-sustainability-report/ लिंक से देखा जा सकता है।

बोर्ड कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी को एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 के अनुसार कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से छूट प्राप्त है, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जाता है।

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और इनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति और नियम एवं शर्तों का निर्धारण (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल और पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के संबंध में नियुक्ति/पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एचएमटी के कार्मिक मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

निदेशक मंडल/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 24 अगस्त 2023 के तहत मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) सुश्री. रीता सक्सेना को एचएमटी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, 24.05.2024 तक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन है। सुश्री. रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769) निदेशक (वित्त) को उनके कार्यभार ग्रहण करने पर 25 अगस्त 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री, मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859) को 4 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा के स्थान पर कार्य करेंगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठनात्मक परिवर्तनों के मद्देनजर श्रीमती. कामना मेहता, उप प्रबंधक (सीएफ) के स्थान पर 10 नवंबर 2023 से अगले आदेश तक श्रीमती. अपर्णा आर., प्रबंधक (एफ एंड ए) को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नामित किया है।

श्री. पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028), कार्यकारी निदेशक, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 24 नवंबर 2023 को कार्यकाल पूरा होने पर एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहेंगे।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2023 के तहत एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, श्री. राजीव सिंह को सौंपा है, 24.11.2024 तक या किसी नियमित के कार्यभार ग्रहण या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन। श्री. राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को उनके पदभार ग्रहण करने पर 30 दिसंबर, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 4 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, श्री. राजीव सिंह के स्थान पर श्री. के रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 24.08.2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन होगा। श्री. के रविशंकर (डीआईएन: 10540509) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को उनके कार्यभार ग्रहण करने पर 08 मार्च, 2024 (ए/एन) से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत श्री. के रविशंकर कार्यकारी निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर श्री. राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन होगा। तदनुसार, श्री. राजेश कोहली (डीआईएन:10333951) को श्री. के रविशंकर के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 5 अप्रैल, 2024 (ए/एन) से कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल किया गया है।

सुश्री. रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769), महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा), मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 25 मई, 2024 से कार्यकाल पूरा होने पर एचएमटी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहेंगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7 जून, 2024 के अपने आदेश के तहत एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु में निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती. समीना कोहली, महाप्रबंधक (वित्त-एसबीडी और आईएसजी), बीएचईएल बेंगलुरु को एक वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी के शामिल होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन सौंपा है। तदनुसार, श्रीमती. समीना कोहली (डीआईएन: 10663362) को उनके कार्यभार ग्रहण करने पर 10 जून 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त), (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 जुलाई, 2024 के अपने आदेश के तहत डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वे भारी उद्योग मंत्रालय की पूर्व संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर के स्थान पर कार्य करेंगी। तदनुसार डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) को 23 जुलाई 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951), डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) और श्रीमती. समीना कोहली (डीआईएन: 10663362) को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 67(4) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाता है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की है।

सुश्री. आरती भटनागर, निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण

उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है। बोर्ड उनकी पुन: र्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

श्री. के रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), श्रीमती. अपर्णा आर, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री. किशोर कुमार एस, कंपनी सचिव 31.03.2024 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

स्वतंत्र निदेशक की घोषणा तथा आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और आईआईसीए द्वारा बनाए गए डेटा बैंक में पंजीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता है।

आचार संहिता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्य (सदस्यों) और वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त किए जाने से संबंधित एक घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुबंध-14** के रूप में प्रस्तुत है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक विस्तृत नोट दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात घटित घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च 2024 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुई हैं।

संबंधित पार्टी संव्यवहार

संबंधित पार्टी संव्यवहार विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक संबंधित पार्टी संव्यवहार व्यापार के सामान्य क्रम और आर्म्स लेंथ के आधार पर किए गए थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई सामग्रीगत संव्यवहार, अर्थात पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% से अधिक, संबंधित पार्टी के साथ नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एच) के अंतर्गत आवश्यक संबंधित पार्टी संव्यवहार का प्रकटीकरण प्रपत्र एओसी-2 की प्रस्तुति लागू नहीं है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत गारंटी प्रदान करने और निवेश करने के कोई उदाहरण नहीं थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋणों का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का संबंधित कारणों सहित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के प्रति कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

अन्य प्रकटीकरण

भौतिक एवं डिमेट स्वरूप में धारित कम्पनी के शेयरों के संबंध में सदस्यों और शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड के रजिस्टर का अनुरक्षण कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

किसी भी विनियामक (विनियामकों) अथवा न्यायालय (न्यायालयों) अथवा ट्रिब्यूनल (ट्रिब्यूनलों) द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथा सामग्रीगत आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे भविष्य में कम्पनी के परिचालनों की गोइंग कंसर्न प्रभावित होती हो।

31 मार्च 2024 की स्थित के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कोई राशि अंतरित किए जाने की नहीं थी।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी पर लागू है। तदनुसार, ऐसे रिकॉर्ड कंपनी द्वारा बनाये और बनाए रखे गए हैं।

आभारोक्ति

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, कॉपर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षक, विभिन्न राज्य सरकारों, विदेशी सहयोगियों, सहायक कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं, भारतीय रिजर्व बैंक, यूको बैंक और कंपनी के भारत एवं विदेश में स्थित मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक इस अवसर पर एचएमटी के सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और सत्यनिष्ठा के साथ योगदान एवं प्रतिबद्धता की प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं और उनकी सेवाओं के बल पर एक विश्व स्तरीय एचएमटी के निर्माण की दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान-बेंगलूरु
दिनांक : 25.10.2024

अनुबंध-1

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की कॉर्पोरट सामाजिक दायित्व नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की संक्षिप्त रुपरेखाः

व्यक्तियों, ग्रह एवं संगठनात्मक लक्ष्यों / विकास की देखरेख के साथ संवहनीय विकास एवं समावेशीप्रतिफल में योगदान देना।

सीएसआर ध्येय

क) समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध एवं सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट इकाई बनना।

ख) अपने सम्बद्ध समुदायों के लिए सुविधाओं का निर्माण एवं विकास।

ग) सभी स्टेकधारकों के सामूहिक एवं एकीकृत प्रयास के माध्यम आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कल्याण विकास के लक्ष्यों को संतुलित करना।

उद्देश्यः इस नीति का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्य (उद्देश्यों) के लिए किया गया है:

क) समय समय पर संशोधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 और उसके नियमों के दायरे में आने वाले कंपनी द्वारा किए गए कार्यान्वयन के तौर तरीकों और पारदर्शी निगरानी तंत्र सहित सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों को पूरा करने के लिए अवसंरचना प्रदान करना;

ख) कंपनी में सभी स्तरों पर सीएसआर प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने सभी स्टेकधारकों के हितों को पहचानते हुए, अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से किया जाता है। जहां तक संभव हो एचएमटी की जनशक्ति केवल वहनीय रूप से संचालित करना।

ग) अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से, सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना जिससे एचएमटी के लिए सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ करने में सहायक हो।

नीति के प्रमुख आकर्षण

क) इस नीति में विस्तीर्ण तौर पर कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी संशोधन नियमावली, 2014 और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के सभी प्रासंगिक खंड / अनुभाग सम्मिलित हैं।

ख) यह नीति कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संपन्न गतिविधियों और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की गई गतिविधियों को छोड़कर उस पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

ग) सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभान्वित करती हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

घ) सीएसआर और संवहनीयता बजट व्यय अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा।

ङ) कंपनी अपनी सीएसआर टीम के कौशल का निर्माण और विकास कार्यक्रम करने और संगठन के भीतर सीएसआर जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास करेगी।

च) सीएसआर परियोजनाओं का निष्पादन सामान्य तौर पर आंतरिक टीमों द्वारा अथवा राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। जहां तक संभव हो एचएमटी की जनशक्ति केवल निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए।

छ) सीएसआर गतिविधियों को आगे बढ़ाने और सहायता करने के लिए, कॉर्पोरेट सीएसआर समिति और यूनिट सीएसआर समिति (आवश्यकता के आधार पर) का गठन किया गया है।

क्रं. सं	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएस आर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी एस आर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया
1	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	-	-
2	श्री राजीव सिंह[2]	अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1	1
3	सुश्री. आरती भटनागर[3]	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
4	श्री पंकज गुप्ता[4]	अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	2	2
5	सुश्री. मुक्ता शेखर[5]	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
6	डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	सदस्य / सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
7	सुश्री. रीता सक्सेना[7]	सदस्य/निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार)	2	2

1. दिनांक 08.03.2024 से अध्यक्ष नियुक्त
2. दिनांक 30.12.2023 से अध्यक्ष नियुक्त और दिनांक 08.03.2024 से अध्यक्ष नहीं हैं
3. दिनांक 25.08.2023 से सदस्य नहीं हैं, दिनांक 25.11.2023 से अध्यक्ष नियुक्त और दिनांक 30.12.2023 से सदस्य नहीं हैं
4. दिनांक 24.11.2023 से अध्यक्ष नहीं हैं
5. दिनांक 04.09.2023 से सदस्य नियुक्त
6. दिनांक 04.09.2023 से सदस्य नहीं हैं
7. दिनांक 25.08.2023 से सदस्य नियुक्त

3. कृपया वह वेबलिंक सूचित करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कम्पनी की वेबसाइट पर किया गया है।

समिति की संरचना: https://www.hmtindia.com/investor-relation/share-holder-information/
समिति सामाजिक दायित्व नीति: https://www.hmtindia.com/policies/
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं: https://www.hmtindia.com/investor-relation/share-holder-information/

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो।

लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः रु. 28,27,72,328/-

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः रु. 56,55,447/-

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेषः शून्य#

#पिछले वित्तीय वर्षों की चल रही सीएसआर परियोजनाओं के हिस्से के रूप में खर्च की जाने वाली धनराशि तालिका संख्या 7 में नीचे विस्तृतरूप से दी गई है।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समंजित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः शून्य

(ड़) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)-(घ): रु. 56,55,447/-

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (दोनों चल रही परियोजना और चल रही परियोजना के अलावा): रु. 56,25,447/-

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: रु. 30,000/-

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: रु. 56,55,447/-[@]

[@] वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्टिंग के दौरान निर्धारित कुल सीएसआर राशि।

(ड़) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपए में)	व्यय न की गई राशि (रुपए में)				
	धारा 135 (6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित अव्यतित राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
28,75,447/-*	27,80,000/-	29.04.2024	-	-	-

*31.03.2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित खर्च की गई राशि।

च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार आईआरएसडीसी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	56,55,447/-
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	28,75,447/-
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों में से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हों	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में अंतर के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्यक्ति कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रंसं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत सीए- सआर खाते में अंतरित अव्यतित राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में) *	वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में) **	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में) ***	कमी, यदि कोई हो
					राशि	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	970000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2021-22	4103000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	2022-23	4271260	4271260	4189241	शून्य	शून्य	82019	शून्य

*01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, **रिपोर्टिंग में खर्च किया गया ***वित्त वर्ष 2023-24 के बाद

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अधिग्रहित की गई है: नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रसं	**संपत्ति या संपत्ति (संपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]**	**संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड**	**निर्माण की तारीख**	**खर्च की गई सीएसआर राशि**	**पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	**नाम**	**पंजीकृत पता**
लागू नहीं							

9. कारणों को निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: लागू नहीं

(राजेश कोहली)
{अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)} और
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

दिनांक -25.10.2024

अनुबंध-1क

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए सीएसआर कार्यकलापों का विवरण

(चालू और चल रहे सीएसआर परियोजनाओं के अलावा अन्य की स्थिति)

क्रं सं	आवंटित सीएसआर राशि (रुपये में)	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	परियोजना का स्थान	कार्यान्वयन का तरीका	परियोजना की अवधि/ पूर्ण होने की तिथि
1	* 2,50,000/-	कर्नाटक पब्लिक स्कूल (जीओके), जालाहल्ली, बेंगलूरु में पीयूसी में अध्ययनरत 115 छात्राओं को ब्लेज़र/जैकेट की आपूर्ति	मद संख्या II (शिक्षा)	बेंगलूरु, कर्नाटक	प्रत्यक्ष	31.08.2024 --- चालू परियोजना पूर्ण
2	*25,00,000/-	सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, महाराष्ट्र सरकार, औरंगाबाद को कार्डियक एम्बुलेंस की आपूर्ति	मद संख्या I (स्वास्थ्य देखभाल)	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	प्रत्यक्ष	31.10.2024 --- चालू परियोजनाt
3	28,75,447/-	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	मद संख्या VIII (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान)	-	प्रत्यक्ष	30.03.2024
4	* 30,000/-	प्रशासनिक व्यय				
	56,55,447/-					

* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चल रही सीएसआर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शेष राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के बिंदु संख्या VIII में निर्धारित अनुसार केंद्र सरकार के किसी भी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परियोजना को पूरा करना और सीएसआर राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्तप्रभार)
डीआईएन : 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25.10.2024

अनुबंध – 2

फार्म एओसी–1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठनीय धारा 129 की उप-धारा (3) के परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कम्पनियों / सम्बद्ध कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग "क": सहायक कम्पनिया

(प्रत्येक सहायक कम्पनी से संबंधित सूचना की प्रस्तुति की राशि लाख रुपए में की जानी चाहिए)

क्र सं.	विवरण	विवरण		
1.	क्रं सं	01	02	03
2.	सहायक कम्पनी का नाम	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
3.	वह तिथि जब से सहायक कम्पनी का अधिग्रहण किया गया था	09-08-1999	13-12-1974	09-08-1999
4.	संबंधित सहायक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	सहायक कम्पनी विदेशी होने के मामले में रिपोर्टिंग की मुद्रा तथा सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	शेयर पूंजी	27659.91	72.00	649.01
7.	रिजर्व एवं अतिरेक (संचित हानियां)	(224862.58)#	3709.49	(649.01)
8.	कुल परिसम्पतियां	31338.53	5862.44	-
9.	कुल देयताएं	228541.20	2080.95	-
10.	निवेश	-	-	-
11.	टर्नओवर	9969.99	1758.62	-
12.	कराधान से पूर्व लाभ	(15524.17)	481.21	353064.78
13.	कराधान के लिए प्रावधान	-	401.29	84986.12
14.	कराधान के पश्चात लाभ	(15524.17)	79.92	268078.66
15.	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
16.	शेयरधारिता विस्तार (प्रतिशत में)	100%	100%	100%

2270.82 लाख रुपये का पूंजी आरक्षित शामिल है

1. सहायक कम्पनियों के नाम जिनके परिचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं- शून्य
2. वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेची गई सहायक कंपनियों के नाम- शून्य

भाग खः सम्बद्ध कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सम्बद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

(रुपया लाख में)

क्रसं	विवरण	विवरण	
		गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सम्बद्ध कम्पनी का नाम)	सुडमो-एचएमटी प्रोस्सेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड (संयुक्त उद्यम का नाम)
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2023	31.03.2024
2	किस तिथि को सम्बद्ध कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम का सम्बद्ध अथवा अधिग्रहित किया गया था	15-02-1975	05-09-1994
3	कम्पनी द्वारा वर्ष के अंत में सम्बद्ध कम्पनी में धारित शेयर		
	संख्या	1/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 2084050	10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 150000
	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में निवेश राशि	20.84	15.00
	धारिता का%	39.86%	50%
4	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	महत्वपूर्ण प्रभाव का विस्तार चुकता पूंजी में 39.86% निवेश करने से है।	महत्वपूर्ण प्रभाव का विस्तार चुकता पूंजी में 50% निवेश करने से है।
5	कारण बताएं कि सम्बद्ध / संयुक्त उद्यम कम्पनी को समेकित क्यों नहीं लिया गया है	जीएसएमटीसी के लेखों का अंतिमकरण अभी नहीं हुआ है।	लागू नहीं
6	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	जीएसएमटीसी के लेखों का अंतिमकरण अभी नहीं हुआ है।	18.20
7	वर्ष के दौरान लाभ / हानि		
	i. समेकन के लिए विचारित	शून्य	(0.57)
	ii. समेकन के लिए विचारित नहीं	जीएसएमटीसी के लेखों का अंतिमकरण अभी नहीं हुआ है।	लागू नहीं

1. सम्बद्ध कम्पनियों के नाम जिनके परिचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं- शून्य
2. सम्बद्ध कम्पनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान ऋणशोधन हुआ है- शून्य

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक-25.10.2024

अनुबंध- 3

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक परिवेश

जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आय और आहार संबंधी आदतों के कारण ताजा डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण वैश्विक डेयरी प्रसंस्करण उपकरण बाजार का भविष्य काफी उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। मार्केट्स एंड मार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक डेयरी प्रसंस्करण उपकरण उद्योग 2023-2028 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 6.2% की सीएजीआर पर 2023 में 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2028 तक 14.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बनाए रखने की संभावना है।

उद्योग संरचना और विकास

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत महत्व है क्योंकि यह कृषि और उद्योग के बीच संबंध प्रदान करता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में तेजी लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण वैश्विक अर्थव्यवस्था में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, और भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में वृद्धि देखने में आई है।

भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2023 में 28,027.5 बिलियन रुपये तक पहुंच जाएगा। आईएमएआरसी समूह को उम्मीद है कि 2032 तक बाजार 61,327.5 बिलियन रुपये तक पहुंच जाएगा, जो 2024-2032 के दौरान 8.8% की वृद्धि दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करेगा।

भारत में डेरी मशीनरी उद्योग का आउटलुक

भारत में डेयरी मशीनरी उद्योग के 2024-2032 तक 15.4% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि को कई कारकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:

- भारत में दूध उत्पादन में वृद्धिः भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, और आने वाले वर्षों में दूध उत्पादन जारी रहने की उम्मीद है। इससे डेयरी मशीनरी के लिए बढ़ी हुई दूध उत्पादन को संसाधित करने और पैकेज करने की मांग पैदा होगी।
- डिस्पोजेबल आय में वृद्धिः भारत में आय में वृद्धि के रूप में, लोग संसाधित डेयरी उत्पादों को खरीदने में तेजी से सक्षम हैं। यह नई और नवीन डेयरी मशीनरी की मांग पैदा कर रहा है जो उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और सस्ती डेयरी उत्पादों का उत्पादन कर सकती है।
- बढ़ते निर्यात बाजारः भारत डेयरी उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, और आने वाले वर्षों में निर्यात बाजार बढ़ने की उम्मीद है। इससे डेयरी मशीनरी की मांग पैदा होगी जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के मानकों को पूरा कर सकती है।
- सरकार का समर्थनः भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) जैसी योजनाओं के माध्यम से डेयरी उद्योग को सहायक प्रदान कर रही है।

निष्कर्षतः, भारत में डेयरी मशीनरी उद्योग का भविष्य का दृष्टिकोण आशाजनक दिखता है, जो डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग, नई तकनीकों को अपनाने में सरकारी समर्थन और उद्योग में संगठित खिलाड़ियों के उद्भव के कारण है।

अवसर

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई, औरंगाबाद (एफपीए) प्रति दिन 50,000 लीटर की क्षमता तक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए टर्नकी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम है। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए तीन ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। असम के जोरहाट में एक डेयरी संयंत्र के लिए टर्नकी परियोजना पूरी हो चुकी है तथा असम के डिब्रूगढ़ में दूसरा डेयरी संयंत्र चालू होने के अंतिम चरण में है। उत्तराखंड के शिकारपुर में डेयरी संयंत्र की स्थापना के लिए अगली टर्नकी परियोजना स्थापना की प्रक्रिया में है और इसके 15.12.2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ

हमारी डेयरी मशीनरी वर्ष 1980 में मेसर्स फोर्टश्रिट लैंडमशीनन, जीडीआर (पूर्वी जर्मनी) के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्राप्त प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। हमारे प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए एक प्रतिष्ठित एजेंसी के साथ एक अन्य तकनीकी सहयोग या संयुक्त कार्य व्यवस्था (जेडब्ल्यूए) की आवश्यकता है। हम नवीनतम प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए संयुक्त कार्य व्यवस्था पर काम कर रहे हैं।

कम वेतनमान के कारण उच्च योग्यता वाले और तकनीकी इंजीनियर कंपनी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन के लिए विपणन नेटवर्क का अभाव भी कम बाजार हिस्सेदारी का एक बड़ा कारण है। नये उत्पादों के विकास के लिए अनुभवी डिजाइनर और डेयरी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे उत्पाद बहुत कम मुनाफ़े पर बिकते हैं।

समस्याएँ

अस्थिर इनपुट लागत: चूंकि स्टेनलेस स्टील एक अत्यधिक शीघ्र खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए डेयरी मशीनरी के लिए स्टेनलेस स्टील प्रमुख कच्चे माल में से एक है। विभिन्न कारणों से बाजार में स्टेनलेस स्टील की कीमत बहुत अस्थिर रही है। कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं/अनुबंध निश्चित लागत के आधार पर हैं, तथापि स्टेनलेस स्टील सहित कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के कारण कंपनी को अतिरिक्त व्यय का जोखिम उठाना पड़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए कंपनी बोली लगाते समय अपने मार्जिन की सुरक्षा के लिए कच्चे माल की कीमतों में अपेक्षित अस्थिरता पर विचार करती है। डेयरी मशीनरी उद्योग की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह चक्रीय रूप से पूंजी माल सेक्टर से सम्बद्ध है परन्तु इसकी सफलता डेयरी उद्योग से से जुड़ी हुई है। ऐसा होने से, देनदार से प्राप्ति की अवधि इस क्षेत्र में 100 दिनों से भी अधिक है तथा पीबीआईटीडी 4 से 5% की रेंज से भी कम है। इस प्रकार, कच्चे माल अथवा किसी अन्य इनपुट लागत में थोड़ा सा भी उतार-चढ़ाव कंपनी के मार्जिन को तुरंत प्रभावित करता है।

जोखिम और समस्याएँ

इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल होना है। प्रसंस्करण से पूर्व होने वाली हानियां जागरूकता न होने के कारण और उत्पादन क्षेत्र के निकट भंडारण और पैक-हाउस सुविधाओं की कमी के कारण होता से होती हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार और स्टेनलेस स्टील की कीमतों में अस्थिरता के कारण उत्पादों के लिए इन्वेंट्री तैयार करना बड़ी चुनौती है।

घटक वार / उत्पादवार निष्पादन

खाद्य प्रसंस्करण उपकरण

- स्वचालित दिन तिथि मॉडल: डिजाइन सौंदर्य के कारण बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है, लेकिन लागत कारक ब्रिकी के कारण कम हैं।

घड़ियाँ

- क्वार्ट्ज: क्वार्ट्ज घड़ियों के लिए बहुत अच्छा बाजार है क्योंकि इनकी कीमत 650/- रुपये से शुरू होकर 3500/- रुपये तक है।
- हैंड-वुंड मैकेनिकल: बाजार में अच्छी तरह से स्वीकृत है लेकिन घटकों की अनुपलब्धता के कारण हैंड-वुंड मैकेनिकल घड़ियों का उत्पादन सीमित है।

अनुसंधान एवं विकास

- क्वार्ट्ज़ सेगमेंट में लेडीज घड़ियों को विभिन्न मूल्य श्रेणियों में नवीनतम डिजाइन के साथ शुरू करने की योजना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2023-24 में कंपनी की टर्नओवर, 24.42 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ 47.91 करोड़ रुपये थी।

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग, औरंगाबाद के संबंध में टर्नओवर पिछले वर्ष के 43.55 करोड़ रुपये से घट कर चालू वर्ष के दौरान 36.05 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से पाउडर परियोजना से राजस्व के कारण है।

31.3.2024 को कंपनी द्वारा कुल उधार भारत सरकार के ऋण 641.72 करोड़ रुपये था।

अनुपात विश्लेषण्

	2023-24	2022-23
व्यापार प्राप्य टर्नओवर	113 दिन	125 दिन
मालसूची टर्नओवर	90 दिन	69 दिन
ब्याज कवरेज अनुपात	शून्य	956.52
निवल लाभ मार्जिन (%)	24.63%	7.06%
निवल सम्पति पर लाभ	5.32%	1.63%

संग्रह के कारण व्यापार प्राप्य में कमी के कारण व्यापार प्राप्य टर्नओवर (दिनों में) में कमी आई है।

इन्वेंट्री होल्डिंग में वृद्धि और पाउडर परियोजना से राजस्व के कारण टर्नओवर में कमी के कारण इन्वेंट्री टर्नओवर (दिनों में) में वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान उधार पर कोई ब्याज नहीं दिया गया, इसलिए ब्याज कवरेज अनुपात शून्य है।

शुद्ध लाभ मार्जिन में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आयकर प्रावधान को वापस लेने के कारण वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में वृद्धि के कारण हुई है।

निवल संपत्ति पर रिटर्न में वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आयकर प्रावधान को वापस लेने के कारण पीएटी में वृद्धि के कारण हुई है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के आकार और परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के लिए प्राधिकार सीमाओं के साथ शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट नीतियां।
- अनधिकृत उपयोग अथवा हानियों अथवा स्थिति परिवर्तन के प्रति परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि संव्यवहार प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।
- वार्षिक और दीर्घकालिक व्यापार योजना के निर्माण और समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मासिक लक्ष्यों का अधिक विवरण देने वाला विस्तृत वार्षिक बजट
- निरंतर आधार पर बजट के संदर्भ में प्रमुख समिति द्वारा निष्पादन की निरंतर समीक्षा।
- विधियों एवं विनियमों का अनुपालन।

कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बाहरी फर्मों के साथ-साथ यूनिटों / डिवीजनों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रणालियों, प्रक्रियाओं/ नीतियों की समीक्षा, आकलन एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं करता है और सार्थक और उपयोगी सुधार सुझाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कंपनी के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता के लिए संचालन के सभी क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी की इकाइयों/प्रभागों के साथ समन्वय करता है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करती है। सुधार के सुझावों पर विचार किया जाता है और लेखा परीक्षा समिति सुधारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों से भी मिलती है, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर उनके विचार और समय-समय पर निदेशक मंडल को इसकी प्रमुख टिप्पणियों से अवगत कराती है।

मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का कुल कार्यबल 714 कर्मचारियों का था, जिनमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्माण संयंत्रों और अन्य कार्यालयों में तकनीकी और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी एवं सहायक कम्पनी वार अर्हता विवरण

क्रं सं.	कम्पनी एवं सहायक कम्पनी	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार आईपी	इंजीनियरिंग स्नातक	डिप्लोमा धारक	व्यावसायिक		आईटीआई / एनएसी	सामान्य स्नातक/ पोस्ट ग्रेजुएट	अन्य
					मानव संसाधन	वित्त			
1	एचएमटी लिमिटेड	55	16	1	7	3	11	15	2
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	643	123	105	5	8	265	36	101
3	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0
4	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	16	13	0	1	1	0	1	0
	योग	**714**	**152**	**106**	**13**	**12**	**276**	**52**	**103**

पिछले चार बर्षो के दौरान एचएमटी और इसकी सहायक कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का लाभ उठाकर अलग हुए कर्मचारियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

क्रंसं	संगठन	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या				
		2020-21	2021-22	2022-23	2022-24	Total
1	एचएमटी लिमिटेड	-	-	-	-	-
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-	-	-	-	-
3	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	-	-	-	-	-
4	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-

संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान करके और उन्हें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात करके पुनर्नियुक्ति योजना के अंतर्गत अधिशेष जनशक्ति को प्रतिनियुक्त किया गया है। कंपनी संघर्षण की रोकथाम के लिए कुशल और व्यावसायिक रूप से योग्य कर्मियों को बनाए रखने के पूर्ण प्रयास कर रही है।

कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान, कम्पनी में कार्मिक एवं औद्योगिक स्थिति सौहार्दपूर्ण रही है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

राजेश कोहली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान-बेंगलूरु
दिनांक- 25.10.24

अनुबंध - 4

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

I कम्पनी का विचार तत्व

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करके आपके निदेशक उक्त विनियम में उल्लिखित मामलों एवं अनुसरण किए जा रहे व्यवहारों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

कंपनी में "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता" अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सभी निदेशक, कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक हैं।

कंपनी निदेशक मंडल की संरचना में उचित संतुलन बनाने, लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की स्थापना करने, सूचना का पर्याप्त प्रकटीकरण करने और निदेशक मंडल द्वारा विचार-विमर्श किया जाने वाला व्यवसाय इत्यादि के संबंध में उत्तम कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों का पालन कर रही है।

II निदेशक मंडल

लिस्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम छह निदेशक शामिल होने चाहिए, जिनमें से आधे में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 31 मार्च, 2024 तक, निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो सरकारी नामित निदेशक और निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) शामिल थे। चूंकि राष्ट्रपति निदेशकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध किया गया है कि सूचीकरण आवश्यकताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करें।

कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन, निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, छह (6) बोर्ड बैठकें कैलेंडर वर्ष 2023 में 17 मई, 20 जुलाई, 14 अगस्त, 1 सितंबर, 10 नवंबर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 फरवरी को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों और सामान्य बैठकों में निदेशकों की संरचना और उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	पद	निदेशकों के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति विवरण		31.03.2024 को आयोजित अन्य निदेशकों और समिति के सदस्य / अध्यक्षता की संख्या		
			निदेशक मंडल बैठक	वार्षिक आम सभा/ ईजीएम	निदेशक पद धारिता	# समिति	
						सदस्यता	अध्यक्षता
कृष्णस्वामी रविशंकर (डीआईएनः 10540509) (08.03.2024 से प्रभावी)	सी एंड एमडी	-	-	लागू नहीं	3	1	-
राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679) (30.12.2023 से 08.03.2024 तक)	सी एंड एमडी	1	1	लागू नहीं	3	1	-
पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028) (24.11.2023 तक)	सी एंड एमडी	5	5	हाँ	3	1	-
आरती भटनागर (डीआईएन: 10065528)	एनईएनआई	6	6	-	6	3	3

मुक्ता शेखर (डीआईएनः 10118859) (04.09.2023 से प्रभावी)	एनईएनआई	2	2	हाँ	8	-	-
रेणुका मिश्रा (डीआईएनः 08635835) (04.09.2023 तक)	एनईएनआई	4	4	लागू नहीं	2	1	-
रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769) (25.08.2023 से प्रभावी)	ईएनआई	3	3	हाँ	-	-	-

सी एंड एमडी: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईएनआई: कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर-कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र, एनईआई: गैर-कार्यकारी एवं स्वतंत्र

#लिस्टिंग विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया जाता है।

31.03.2024 तक किसी भी निदेशक के पास कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं था।

31.03.2024 तक अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद धारण करने वाले निदेशकों का विवरण और उनकी निदेशक पद की श्रेणी:

निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध कम्पनी का नाम जहां निदेशक पद धारिता है	निदेशक पद धारिता का वर्ग
आरती भटनागर	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एनईएनआई
	एमएमटीसी लिमिटेड	एनईएनआई
	द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एनईएनआई

एनईएनआई: गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक

निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

निदेशकों को समय-समय पर कंपनी के परिचालन की व्यावसायिक प्रकृति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल के प्रशिक्षण के लिए एक नीति तैयार की गई है। निदेशकों की सुविधानुसार उन्हें विभिन्न प्रशिक्षणों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अधिवेशनों आदि के लिए नामित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

निदेशक मंडल के कौशल, विशेषज्ञता और क्षमताएं

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एचएमटी लिमिटेड, निदेशकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार निदेशक मंडल के सभी निदेशकों का चयन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के समय, उम्मीदवारों की रिक्ति की घोषणा और भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम चयन निदेशक मंडल को सेवा विवरण, उम्मीदवारों की वांछनीय योग्यता और अनुभव भेजा जाता है। निदेशक मंडल की कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता नीचे दी गई है।

क्रं सं.	निदेशक का नाम	कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता
1	कृष्णस्वामी रविशंकर (डीआईएनः 10540509)	श्री के रविशंकर मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) / कॉर्पोरेट आर एंड डी / हैदराबाद में कार्यकारी निदेशक थे। श्री के रविशंकर ने वर्ष 1985 में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई, 1989 में आरईसी त्रिची से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एमई, 1995 में इग्नू, नई दिल्ली से एमबीए और वर्ष 2016 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु से एमए (अंग्रेजी) पूरा किया। श्री के रविशंकर अक्टूबर 1985 में तिरुचिरापल्ली यूनिट में एक इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में बीएचईएल में शामिल उन्होंने उत्पाद इंजीनियरिंग विभाग में प्रेशर पार्ट्स एवं बॉयलर लेआउट समूह में विभिन्न पदों पर तथा सामग्री प्रबंधन समूह में खरीद/कच्चे माल के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2018 तक महाप्रबंधक/इंजीनियरिंग/बॉयलर्स के रूप में कार्य किया। मई 2018 में उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के तहत गठित उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी विकास के मिशन निदेशालय में बीएचईएल- कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे बॉयलर आइलैंड प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के लिए परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार थे। वह कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन के नए विकास क्षेत्रों के अंतर्गत हाइड्रोजन बिजनेस ग्रुप के प्रमुख भी थे, जहां उन्होंने बीएचईएल में व्यावसायिक संभावनाओं, प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और व्यवसाय विकास के लिए रोडमैप पर चर्चा की। कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख के रूप में, वे आंतरिक विकास के माध्यम से संगठन की तकनीकी विकास आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और कोयला से लेकर रसायन और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के नए और आगामी व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक रहे हैं। नवंबर 2023 में, उन्हें कॉर्पोरेट आरएंडडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।
2	राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679)	श्री राजीव सिंह मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कार्यकारी निदेशक हैं। श्री राजीव सिंह आरईसी, भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं और वित्तीय प्रबंधन में एमबीए हैं। श्री राजीव सिंह ने जनवरी 1988 में बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में कार्यभार संभाला। उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकल/विनिर्माण इकाइयों जैसे हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट-विजाग, ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप-नोएडा, बॉयलर ऑक्सिलरी प्लांट-रानीपेट के यूनिट हेड के रूप में कार्य किया है। उनके गतिशील नेतृत्व में इन इकाइयों की टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम रहीं, जिसके परिणामस्वरूप इकाइयों का वित्तीय प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। हाइड्रो टर्बाइन और ट्रैक्शन मशीनों के क्षेत्र में उनके पास व्यापक अनुभव है।
3	पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028) (24.11.2023 तक)	श्री पंकज गुप्ता के पास बीएचईएल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। श्री पंकज गुप्ता बीएचईएल के कार्यकारी निदेशक थे और बेंगलुरु के सोलर बिजनेस डिवीजन (एसबीडी) के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में 270 मेगावाट से अधिक सौर संयंत्र चालू किये गये। 147 मेगावाट के तीन फ्लोटिंग सौर संयंत्रों को चालू किया गया, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय और अत्याधुनिक एंकरिंग और मूरिंग व्यवस्थाएं हैं, जिनमें एनटीपीसी रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता वाले सबसे बड़े फ्लोटिंग सौर संयंत्र को चालू करने का गौरव प्राप्त हुआ।

		इससे पहले, बीएचईएल के रक्षा एवं एयरोस्पेस व्यवसाय क्षेत्र के प्रमुख के रूप में, उन्होंने विभिन्न नए उत्पादों की शुरूआत, ली-आयन अंतरिक्ष ग्रेड कोशिकाओं के विनिर्माण के लिए इसरो के साथ सहयोग और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए रूस और यूक्रेन के साथ समझौता ज्ञापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, उत्पादन और सामग्री नियोजन के कार्यों में कार्य किया था तथा बीएचईएल हरिद्वार में अग्रणी नौसेना उपकरण विनिर्माण की सफल स्थापना और स्वदेशीकरण का नेतृत्व किया था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया है।
4	आरती भटनागर (डीआईएन: 10065528)	सुश्री. आरती भटनागर, 1990 बैच की भारतीय रक्षा लेखा सेवा की सिविल सेवक हैं। वह वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। सुश्री. आरती भटनागर ने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और रक्षा सामरिक अध्ययन में एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है। वह राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं। रक्षा बलों के वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा से निपटने में लगभग 25 वर्षों के अनुभव के साथ, उनकी विशेषज्ञता रक्षा अधिग्रहण और खरीद अनुबंधों को संभालने में है। सुश्री. आरती भटनागर ने पांच वर्षों तक कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के रूप में कार्य किया है तथा एसपीजी का कार्यभार संभाला है। सुश्री. आरती भटनागर ने एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
5	मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859)	सुश्री. मुक्ता शेखर भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थीं। सुश्री. मुक्ता शेखर 1994 बैच की आईआरएएस अधिकारी हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एम.फिल. तथा सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन और प्रोजेक्ट फाइनेंस है। उन्होंने भारतीय रेलवे, भारत सरकार में वित्तीय मूल्यांकन और परियोजना वित्त में विशेषज्ञता के साथ वित्तीय सलाहकार के रूप में विभिन्न स्तरों पर काम किया है। उन्होंने डीएमआरसी में संयुक्त महाप्रबंधक स्तर पर भी काम किया, जहां वे डीएमआरसी के चरण II की परियोजनाओं के लिए एसोसिएट वित्त अधिकारी थीं। उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय, पश्चिम रेलवे की अग्रणी पीपीपी परियोजनाओं के लिए फंड प्रबंधन और अन्य अनुबंध संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। सुश्री. मुक्ता शेखर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में भी विविध अनुभव है और उन्होंने विदेश मंत्रालय में 5 वर्षों तक काम किया है, जहां उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत के विकास सहायता कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निवेश और व्यापार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवाद, निवेश और व्यापार समझौते और नागरिक उड्डयन मामलों का काम देखा। उन्होंने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण पैकेज जैसी नवीन योजनाओं के लिए रूपरेखा भी तैयार की। सुश्री मुक्ता शेखर ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का काम देखा, जिसमें बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ इंटरफेस, खाद्य तेल क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय पूल स्टॉक के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों का गुणवत्ता नियंत्रण शामिल था।

6	रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835)	डॉ. रेणुका मिश्रा वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा, पीएचडी, एमए (अर्थशास्त्र) भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं। इससे पहले वह भारत सरकार के विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में कार्य कर चुकी हैं। डॉ. रेणुका मिश्रा कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कई लेखों/पत्रों की नियमित लेखिका रही हैं।
7	रीता सक्सेना (डीआईएन: 10294769)	सुश्री. रीता सक्सेना के पास बीएचईएल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए वित्त परिचालन की विस्तृत श्रृंखला में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वह एक योग्य कॉस्ट अकाउंटेंट और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। सुश्री. रीता सक्सेना बीएचईएल में महाप्रबंधक थीं और दक्षिण स्थित इकाइयों/क्षेत्र/डिवीजनों के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का नेतृत्व करती थीं। इससे पहले, बीएचईएल के औद्योगिक प्रणाली समूह के वित्त प्रमुख के रूप में, उन्होंने परियोजना की बारीकी से निगरानी और इसमें शामिल मुद्दों के त्वरित समाधान के माध्यम से शीघ्र परियोजना निष्पादन और लागत नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए परियोजना इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन प्रभाग (पीईएम) और बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय के वित्त कार्यों में कार्य किया था तथा परियोजना लेखांकन, अप्रत्यक्ष कराधान, लेखा परीक्षा, प्राप्य प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों को संभाला था। उन्होंने प्रतिष्ठित एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) आरएंडडी परियोजना के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (वित्त) के रूप में भी काम किया था, जो एमएचआई द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी, जहां आईजीसीएआर और एनटीपीसी के साथ बीएचईएल प्रमुख निष्पादन एजेंसी थी और उन्हें संपूर्ण परियोजना प्रबंधन का अनुभव था।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री राजेश कोहली, डॉ. रेणुका मिश्रा और श्रीमती समीना कोहली को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के अनुच्छेद 67 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सुश्री आरती भटनागर, सरकार द्वारा नामित निदेशक रोटेशन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पात्र होने के कारण, आगामी एजीएम में पुनः नियुक्ति के लिए खुद को पेश करेंगे। नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं बोर्ड उक्त निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है।

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36 (3) के अनुसार, नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा एजीएम की सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।

III निदेशक मंडल की समितियां

क. लेखापरीक्षा समिति

31.03.2024 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात सुश्री मुक्ता शेखर, सरकार द्वारा नामित निदेशक अध्यक्ष, श्री कृष्णस्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और सुश्री रीता सक्सेना, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति की बैठकों के संयोजक होंगे।

जब भी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निदेशक मंडल में नियुक्ति कर रहे हैं, तब कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का तदनुसार पुनर्गठन किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (8) के अनुसार, बोर्ड ने वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत बताई गई हैं जिसमें कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी शामिल है, और यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय, सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश, नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन, प्रबंधन के साथ समीक्षा, वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ, तिमाही वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, अंतर कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच, सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन आदि।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कैलेंडर वर्ष 2023 में 17 मई, 20 जुलाई, 14 अगस्त, 1 सितंबर, 10 नवंबर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 फरवरी को छह (6) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थित का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	सी एंड एमडी	-	-
श्री राजीव सिंह[2]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री आरती भटनागर[3]	एनई एन आई	3	3
श्री पंकज गुप्ता[4]	सी एंड एमडी	5	5
सुश्री मुक्ता शेखर[5]	एनई एन आई	2	2
डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	एनई एन आई	4	4
सुश्री रीता सक्सेना[7]	ई एन आई	3	3

1. 08.03.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त
2. 30.12.2023 से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और 08.03.2024 से सदस्य नहीं रहेंगे
3. 25.08.2023 से सदस्य नहीं रहेंगे, 25.11.2023 से सदस्य नियुक्त तथा 30.12.2023 से सदस्य नहीं रहेंगे
4. 25.11.2023 से सदस्य नहीं हैं
5. 04.09.2023 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
6. 04.09.2023 से अध्यक्ष पद पर नहीं हैं
7. 25.08. 2023 से सदस्य के रूप में नियुक्त

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

31.03.2024 तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात सुश्री मुक्ता शेखर, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अध्यक्ष, सुश्री आरती भटनागर, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री कृष्णस्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य के रूप में। कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक होंगे।

जब भी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्ति कर रहे हैं, तब कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उल्लिखित संदर्भ की शर्तों का पालन करेगी, जिसमें निदेशक मंडल को सिफारिश शामिल है, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ

प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, लोक उद्यम विभाग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदर्शन संबंधी वेतन पर सिफारिश, कार्यपालकों और गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति की सिफारिश करें और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गणना किए गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करें, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी के निदेशक मंडल के निर्देश।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कैलेंडर दो (2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें वर्ष 2023 में 1 सितंबर और 10 नवंबर को आयोजित की गई।

2023-24 के दौरान आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में सदस्य की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	सी एंड एमडी	-	-
श्री राजीव सिंह[2]	सी एंड एमडी	-	-
सुश्री रीता सक्सेना[3]	ई एन आई	-	-
श्री पंकज गुप्ता[4]	सी एंड एमडी	2	2
सुश्री मुक्ता शेखर[5]	एनई एन आई	1	1
डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	एनई एन आई	1	1
सुश्री आरती भटनागर	एनई एन आई	2	2

1. 08.03.2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया
2. 30.12.2023 से सदस्य नियुक्त किया गया तथा 08.03.2024 से सदस्य नहीं है
3. 25.11.2023 से सदस्य नियुक्त किया गया तथा 30.12.2023 से सदस्य नहीं है
4. 25.11.2023 से सदस्य नहीं है
5.. 04.09.2023 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया
6. 04.09.2023 से अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल और पारिश्रमिक सहित) की नियुक्ति और शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के संबंध में नियुक्ति/पारिश्रमिक एचएमटी के व्यक्तिगत मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा शासित होते हैं।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से बशर्ते कि निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री पंकज गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24.11.2023 तक एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। बाद में, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, श्री राजीव सिंह को 30.12.2023 से 08.03.2024 तक एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और श्री कृष्णास्वामी रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 08.03.2024 से 24.08.2024 तक एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या नियमित पदधारी के शामिल होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी मंजूरी के अधीन।

तदनुसार, श्री पंकज गुप्ता, श्री राजीव सिंह और श्री कृष्णस्वामी रविशंकर और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी से कोई पारिश्रमिक और अनुलाभ नहीं ले रहा था।

अतः पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार शून्य है।

राशि रुपया में

परिश्रमिक का विवरण	श्री पंकज गुप्ता	श्री राजीव सिंह	श्री कृष्णस्वामी रविशंकर
सकाल वेतन	शून्य	शून्य	शून्य
अनुलाभों /कमीशन/स्टॉक विकल्प का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य	शून्य

अंशकालिक अधिकारी (सरकारी नामिती) निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक या बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशक को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है। कंपनी की नीति के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक को बैठक शुल्क के रूप में बोर्ड की प्रति बैठक 5000/- रुपये और प्रत्येक समिति की बैठकों के लिए 3000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

बैठक शुल्क प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों में से किसी का भी वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। इसलिए, वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की जाने वाली बैठक फीस शून्य है।

ग. शेयरधारक समिति:

i) **शेयर अंतरण उप-समिति**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, शेयर हस्तांतरण उप-समिति में श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 24.11.2023 तक, श्री राजीव सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 30.12.2023 से 08.03.2024 तक और श्री कृष्णास्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 08.03.2024 से कंपनी द्वारा जारी शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण आदि की देखभाल करने के लिए एकल सदस्य के रूप में शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एक (1) बैठक आयोजित की गई।

ii) **अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनामः**

श्री. किशोर कुमार एस, कंपनी सचिव

iii) **निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति / निवेशक शिकायत समिति**

31.03.2024 तक, हितधारक संबंध समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात सुश्री. मुक्ता शेखर, सरकार द्वारा नामित निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और सुश्री. रीता सक्सेना, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक हैं।

जब भी भारत सरकार द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, तो सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड की हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दो बैठकें, कैलेंडर वर्ष 2023 में 01 सितम्बर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 फ़रवरी को आयोजित की गई।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	सी एंड एमडी	-	-
श्री. राजीव सिंह[2]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री आरती भटनागर[3]	एनईएनआई	-	-
श्री. पंकज गुप्ता[4]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	1	1
डॉ.रेणुका मिश्रा[6]	एनईएनआई	1	1
सुश्री रीता सक्सैना[7]	ईएनआई	2	2

1. 08.03.2024 से सदस्य नियुक्त
2. 30.12.2023 से सदस्य नियुक्त और 08.03.2024 से सदस्य नहीं रहे
3. 25.08.2023 से सदस्य नहीं रहे, 25.11.2023 से सदस्य नियुक्त और 30.12.2023 से सदस्य नहीं रहे
4. 25.11.2023 से सदस्य नहीं रहे
5. 04.09.2023 से अध्यक्ष नियुक्त
6. 04.09.2023 से अध्यक्ष नहीं रहे
7. 25.08.2023 से सदस्य नियुक्त

संदर्भ शर्तों में कंपनी के प्रतिभूति धारकों की सभी शिकायतों की समीक्षा और समय पर निवारण तथा सूचीबद्धता अनुबंध में उल्लिखित कोई अन्य प्रक्रियाओं का निर्वाह सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, शेयरधारकों से 31 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका समाधान वर्ष के दौरान ही संतोषजनक ढंग से किया गया है। कोई शिकायत लंबित नहीं है।

लंबित शेयर अंतरणों की संख्या - शून्य

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का पालन करने के लिए, निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर समिति) का गठन किया है।

31.03.2024 तक, सीएसआर समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात श्री. कृष्णस्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) अध्यक्ष के रूप में, सुश्री. मुक्ता शेखर, सरकार द्वारा नामित निदेशक और सुश्री. रीता सक्सेना, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति की बैठक के संयोजक हैं।

जब भी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्ति कर रहे हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बोर्ड की सीएसआर समिति का तदनुसार पुनर्गठन किया जाएगा।

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत दिए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, तीन (3) सीएसआर समिति की बैठकें कैलेंडर वर्ष 2023 में 20 जुलाई को, 1 सितंबर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 7 फरवरी को आयोजित की गई।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	सी एंड एमडी	-	-
श्री. राजीव सिंह[2]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री. आरती भटनागर[3]	एनईएनआई	1	1
श्री. पंकज गुप्ता[4]	सी एंड एमडी	2	2
सुश्री. मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	1	1
डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	एनईएनआई	2	2
सुश्री. रीता सक्सैना[7]	ईएनआई	2	2

1. *08.03.2024 से अध्यक्ष नियुक्त*
2. 30.12.2023 से अध्यक्ष नियुक्त और 08.03.2024 से अध्यक्ष नहीं रहे
3. 25.08.2023 से सदस्य नहीं रहे, 25.11.2023 से अध्यक्ष नियुक्त और 30.12.2023 से अध्यक्ष नहीं रहे
4. 24.11.2023 से अध्यक्ष नहीं रहे
5. 04.09.2023 से सदस्य नियुक्त
6. 04.09.2023 से सदस्य नहीं रहे
7. 25.08.2023 से सदस्य नियुक्त

च. जोखिम प्रबंधन समिति

31.03.2024 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में तीन निदेशक शामिल हैं, अर्थात सुश्री. मुक्ता शेखर, सरकार द्वारा नामित निदेशक अध्यक्ष

के रूप में, श्री. कृष्णस्वामी रविशंकर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), श्री. एस के कड़बे, महाप्रबंधक (संचालन और विपणन), एचएमटी लिमिटेड समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के संयोजक हैं।

जब भी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्ति कर रहे हैं, तो सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत बताई गई हैं जिसमें विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना शामिल है, ताकि उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां सुनिश्चित की जा सकें, जोखिम प्रबंधन प्रणाली आदि की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करना आदि शामिल है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, दो (2) जोखिम प्रबंधन समिति बैठकें कैलेंडर वर्ष 2023 में 20 जुलाई को और कैलेंडर वर्ष 2024 में 4 जनवरी को आयोजित की गई।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

सदस्य का नाम	वर्ग	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर[1]	सी एंड एमडी	-	-
श्री. राजीव सिंह[2]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री. रीता सक्सैना[3]	ईएनआई	-	-
श्री. पंकज गुप्ता[4]	सी एंड एमडी	1	1
सुश्री. मुक्ता शेखर[5]	एनईएनआई	1	1
डॉ. रेणुका मिश्रा[6]	एनईएनआई	1	1
श्री. एस.के. कडबे[7]	जीएम (ओ एंड एम)	1	1
श्री. एम.आर.वी राजा[8]	जीएम (ओ एंड एम)	1	1

1. 08.03.2024 से सदस्य नियुक्त
2. 30.12.2023 से सदस्य नियुक्त और 08.03.2024 से सदस्य नहीं रहे
3. 25.11.2023 से सदस्य नियुक्त और 30.12.2023 से सदस्य नहीं रहे
4. 24.11.2023 से सदस्य नहीं रहे
5. 04.09.2023 से अध्यक्ष नियुक्त
6. 04.09.2023 से अध्यक्ष नहीं रहे
7. 25.08.2023 से सदस्य नियुक्त
8. 25.08.2023 से सदस्य नहीं रहे

छ. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के विवरण

नाम	वर्तमान पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	वरिष्ठ प्रबंधन को पदोन्नति/पदनामित करने की तिथि	समाप्ति की तिथि (पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद से परिवर्तन यदि कोई हो)
श्री. एस.वी. सुब्रमण्यम	महाप्रबंधक (एमटीपी) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	25.08.1989*	06.10.2023	23.02.2024
श्री. एम.आर.वी राजा	महाप्रबंधक (विधि)	17.10.1988	01.01.2020	-
श्री. एस.के. कड़बे	महाप्रबंधक (संचालन एवं विपणन)	01.02.1993	01.07.2022	-
श्रीमती. अपर्णा आर	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / सीएफओ	28.01.2016	10.11.2023	-
श्री. किशोर कुमार एस	प्रबंधक (कंपनी सचिव)	20.03.2017	08.06.2017	-
श्रीमती कामना मेहता	उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट वित्त) / सीएफओ	17.12.2018	12.02.2019	09.11.2023

*एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के रिकार्ड के अनुसार, यह एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।

IV सामान्य निकाय बैठकें

क) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थल
2020-2021*	29.10.2021	पूर्वाह्न 10.30	पंजीकृत कार्यालय नंबर 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560 032.
2021-2022*	30.09.2022	पूर्वाह्न 10.30	
2022-2023*	29.09.2023	पूर्वाह्न 10.30	

* वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था.

ख) वार्षिक आम सभा की पछली तीन बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

ग) डाक मतपत्र

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया।

v) प्रकटीकरण

i) इसके प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं था, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ii) हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से इनकार नहीं किया जाता है। किसी भी शिकायत के मामले में कर्मियों को वरिष्ठ प्रबंधन तक अप्रतिबंधित पहुंच भी प्रदान की जाती है।

iii) 'सामग्री' सहायक कंपनियों के निर्धारण और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/पर रखी गई है।

iv) वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 31 में और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में दिए गए हैं। सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के ऑडिटर उनके द्वारा अलग- अलग नियुक्त किए गए थे और वे वही ऑडिटर नहीं थे जिन्होंने एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया था।

v) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभावः शून्य

vi) वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियांः शून्य

vii) डीमैट उचंत खाते/दावा न किए गए उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरणः शून्य

viii) कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूचीः शून्य

ix) इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-15** में प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न है, जो पुष्टि करता है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

x) वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल ने अपनी समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता थी।

xi) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली और इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई लंबित मामला नहीं था।

xii) विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोगः शून्य

xiii) कॉरपोरेट गवर्नेस सर्टिफिकेट में टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब:

शासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि सूचीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कंपनी के निदेशक

मंडल में चार स्वतंत्र निदेशकों सहित एक महिला स्वतंत्र निदेशक और कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक को सामग्री सहायक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। जब भी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा बोर्ड में नियुक्ति कर रहे हैं, तो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करने के लिए बोर्ड की समिति का पुनर्गठन किया जाएगा और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुरूप बोर्ड/समिति की बैठको का कोरम सुनिश्चित करेंगे।

xiv) राष्ट्रपति के निर्देश और दिशानिर्देश

आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करती रही है।

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में उनके अनुपालन का विवरण – शून्य

xv) लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसा व्यय डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो और कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

xvi) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय का विवरण और वृद्धि के कारण प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 2.37% है और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय शून्य है।

VI शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान

एक योग्य प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और कुल जारी और सूचीबद्ध इक्विटी शेयर पूंजी के साथ कुल स्वीकृत इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए शेयर पूंजी ऑडिट किया। ऑडिट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल जारी/भुगतान की गई पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और 10/- रुपये के 733420900 इक्विटी शेयरों को छोड़कर एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ रखे गए डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। जिन्हें वर्ष 2005 से 2014 तक भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किया गया था और स्टॉक एक्सचेंजों से लिस्टिंग अनुमोदन प्राप्त किया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों से कॉर्पोरेट कार्रवाई और ट्रेडिंग अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अपने आदेश दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार) द्वारा धारित 10/- रुपये के 848490000 इक्विटी शेयरों में कमी करके कंपनी की शेयर पूंजी में 1204.09 करोड़ रुपये से 355.60 करोड़ रुपये की कमी की पुष्टि/अनुमोदित की है। कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक (आरओसी) ने 17.11.2018 को एनसीएलटी आदेश पंजीकृत किया है और "एचएमटी लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि करने वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र" जारी किया है। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी में कमी की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए लंबित है, जिसे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों की सूची के बाद लिया जाएगा। इसलिए आरटीए द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार कंपनी की पेड अप शेयर पूंजी के बीच अंतर है।

VII. सहायक कम्पनियां

निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के महत्वपूर्ण विकास की एक रिपोर्ट के साथ समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

भौतिक सहायक कंपनियों और उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	निगमन की तारीख और स्थान	सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति का नाम और तारीख
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	09 अगस्त 1999, बेंगलूरु	आर वेंकट कृष्णा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्ति की तिथि: 21.09.2023
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	13 दिसंबर 1974, बेंगलूरु	पी बी एम एन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नियुक्ति की तिथि: 21.09.2023

VIII. संचार का माध्यम

सूचीबद्धता अपेक्षाओं का पालन करते हुए कंपनी अपने त्रैमासिक परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों यथा द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, होसा

दिगंता और राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करती है। उपरोक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/investor-relation/pr/ पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, कंपनी शेयरहोल्डिंग पैटर्न, वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट - आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करती रही है। कंपनी संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के सम्मुख कोई प्रस्तुति नहीं करती है।

IX मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और सीएफओ द्वारा प्रमाणन प्राप्त किया गया है और इसे निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। **(अनुबंध - 16 का संदर्भ लें)**

X. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने वास्तविक समस्याओं की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्क तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है। यह नीति निदेशकों अथवा कर्मचारियों को उत्पीड़न के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और उचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.hmtindia.com/policies/ पर प्रस्तुत की गई है।

XI शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

i) वार्षिक आम सभा

दिनांक 22 नवंबर, 2024

समय 11.00 पूर्वाह्न

स्थल कंपनी 19 सितंबर, 2024 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है, जिसे 5 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र के साथ पढ़ा गया है। एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया इस एजीएम की सूचना देखें

कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है

ii) वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक

iii) बहियाँ बंद करना

कृपया वार्षिक आम सभा का नोटिस देखें।

iv) कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

बीएसई लिमिटेड
फिरोज जीजीभॉय टावर्स
25वां तल, दलाल स्ट्रीट,
मुंबई - 400 001 — स्क्रिप कोड: 500191

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051 — स्क्रिप चिह्नः: एचएमटी

(उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है)

v) कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L29230KA1953GOI000748

vi) शेयर अंतरण प्रणाली

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, यथा संशोधित, कंपनी ने भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए किसी भी नए अंतरण अनुरोध को स्वीकार करना बंद कर दिया है। तदनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल अभौतिक रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।

इसके अलावा, सेबी ने 25 जनवरी 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से, कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में जारी करने के लिए अनिवार्य किया है, जबकि विभिन्न सेवा अनुरोधों जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र, उपप्रभाग, समेकन, ट्रांसमिशन आदि जारी करना, निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेन-देन में आसानी को बढ़ाने के लिए। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे डीमैटरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए अपनी होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक मोड में परिवर्तित करें।

vii) अनिवार्य और गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र और सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में देखे गए गैर-अनुपालन को छोड़कर, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर-अनुपालन के कारणों को सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

लिस्टिंग विनियमों में विवेकाधीन गैर-अनिवार्य सिफारिश के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यकारी) का पद है और कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। चूँकि कंपनी के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं, कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए उन्हें सभी शेयरधारकों को अलग से प्रसारित नहीं किया जाता है। कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

viii) व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन

बीएसई लिमिटेड, (बीएसई) मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएसई) मुंबई और बाजार सूचकांक में शेयरों के उच्च/निम्न बाजार मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

बीएसई - कंपनी: एचएमटी लिमिटेड (स्क्रिप कोड- 500191)
अवधि: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक

बीएसई			मार्केट इंडेक्स (बंद)
महीना	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल-23	28.49	23.70	61112.44
मई-23	29.85	24.50	62622.24
जून-23	34.20	28.00	64718.56
जुलाई-23	29.00	27.00	66527.67
अगस्त-23	31.40	26.25	64831.41
सितंबर-23	46.02	30.51	65828.41
अक्टूबर-23	70.40	46.90	63874.93
नवंबर-23	55.43	45.91	66988.44
दिसंबर-23	58.35	46.85	72240.26
जनवरी-24	71.88	49.40	71752.11
फरवरी-24	74.80	52.00	72500.30
मार्च-24	58.00	42.64	73651.35

एनएसई - कंपनी: एचएमटी लिमिटेड (स्क्रिप चिह्न- एचएमटी)
अवधि: अप्रैल 2023 से मार्च 2024

एनएसई			मार्केट इंडेक्स (बंद)
महीना	उच्च मूल्य	न्यून मूल्य	एनएसई निफ्टी
अप्रैल-23	28.00	23.50	18065.00
मई-23	28.95	24.25	18534.40
जून-23	34.80	27.80	19189.05
जुलाई-23	29.50	27.00	19753.80
अगस्त-23	31.75	26.75	19253.80
सितंबर-23	46.35	30.55	19638.30
अक्टूबर-23	70.40	47.30	19079.60
नवंबर-23	55.85	45.90	20133.15
दिसंबर-23	58.50	46.75	21731.40
जनवरी-24	72.10	49.50	21725.70
फरवरी-24	73.40	53.00	21982.80
मार्च-24	57.75	41.05	22326.90

ix) * शेयरधारिता का वितरण:

30.03.2024 तक इक्विटी शेयरों का शेयरधारिता वितरण नीचे दिया गया है:

एचएमटी लिमिटेड					
30/03/2024 तक शेयरधारिता का वितरण (राशिवार कुल)					
क्रम सं.	**श्रेणी (राशि)**	**धारकों की संख्या**	**% धारिता के प्रति**	**राशि (रु.)**	**% इक्विटी प्रति**
1	1 - 5000	18381	89.10	20085200.00	0.17
2	5001 - 10000	1133	5.49	9423020.00	0.08
3	10001 - 20000	544	2.64	8410270.00	0.07
4	20001 - 30000	175	0.85	4482970.00	0.04
5	30001 - 40000	83	0.40	2987560.00	0.02
6	40001 - 50000	99	0.48	4703830.00	0.04
7	50001 - 100000	123	0.60	9103670.00	0.07
8	100001 और ऊपर	91	0.44	11981719880.00	99.51
	कुल:	**20629**	**100.00**	**12040916400.00**	**100.00**

एचएमटी लिमिटेड					
30/03/2024 तक शेयरधारिता का वितरण (शेयरवार कुल)					
क्रम सं.	वर्ग (शेयर)	धारकों की संख्या	% धारिता के प्रति	शेयरों की संख्या	% इक्विटी प्रति
1	1 - 5000	20415	98.96	5009285	0.42
2	5001 - 10000	123	0.60	910367	0.07
3	10001 - 20000	44	0.21	642102	0.05
4	20001 - 30000	21	0.10	506842	0.04
5	30001 - 40000	9	0.04	317706	0.03
6	40001 - 50000	3	0.02	129177	0.01
7	50001 - 100000	9	0.04	548078	0.05
8	100001 और ऊपर	5	0.03	1196028083	99.33
	कुल:	**20629**	**100.00**	**1204091640**	**100.00**

एचएमटी लिमिटेड				
30/03/2024 तक शेयरधारिता पैटर्न (कुल)				
क्रम सं.	विवरण	मामलों की संख्या	कुल शेयर	% इक्विटी प्रति
1	क्लियरिंग सदस्य	1	500	0.00
2	एच यू एफ	387	522965	0.04
3	भारतीय म्युचुअल फंड	10	18900	0.00
4	बीमा कम्पनियाँ	1	100	0.00
5	निकाय कॉर्पोरेट	154	68000261	5.65
6	म्यूचुअल फंड्स	1	100	0.00
7	एनबीएफसी	1	2750	0.00
8	अनिवासी भारतीय	91	59170	0.00
9	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	84	53629	0.00
10	प्रमोटरों	2	1128056626	93.69
11	निवासी व्यक्ति	19897	7376639	0.61
	कुल:	**20629**	**1204091640**	**100.00**

* माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित (मंत्रिमंडल के अनुमोदन से) 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के कम्पनी के 848490000 शेयरों की कटौति करके कंपनी की शेयर पूंजी को 1204.09 करोड़ रुपये से घटाकर 355.60 करोड़ रुपये करने की पुष्टि कर दी है / अनुमोदन दे दिया है। कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक (आरओसी) ने 17.11.2018 को एनसीएलटी आदेश का पंजीकरण किया है और “एचएमटी लिमिटेड की शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि करने वाले पंजीकरण का प्रमाण पत्र” जारी किया है। तथापि, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयर पूंजी को कम करने की प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए लंबित है जो रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (“आरटीए”) के परामर्श से प्रक्रियाधीन है। भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता आरटीए रिकॉर्ड के अनुसार दिखाए गए 10/- रु. के 1128056626 इक्विटी शेयरों की तुलना में 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 279566626 शेयर है जो कंपनी में 78.62% शेयरधारिता के समान है। इन कारणों से आरटीए द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के मध्य अंतर है। शेयर पूंजी में कमी पर विचार करने के बाद शेयरधारिता पैटर्न नीचे है

एचएमटी लिमिटेड				
30/03/2024 तक शेयरधारिता पैटर्न (कुल) (शेयर पूंजी में कटौती पर विचार करने के बाद)				
क्रम सं.	विवरण	मामलों की संख्या	कुल शेयर	% इक्विटी प्रति
1	क्लियरिंग सदस्य	1	500	0.00
2	एच यू एफ	387	522965	0.15
3	भारतीय म्युचुअल फंड	10	18900	0.01
4	बीमा कम्पनियाँ	1	100	0.00
5	निकाय कॉर्पोरेट	154	68000261	19.12
6	म्यूचुअल फंड्स	1	100	0.00
7	एनबीएफसी	1	2750	0.00
8	अनिवासी भारतीय	91	59170	0.02
9	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	84	53629	0.01
10	प्रमोटरों	2	279566626	78.62
11	निवासी व्यक्ति	19897	7376639	2.07
	कुल:	**20629**	**355601640**	**100.00**

x) अनुपालन

कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आइ) का विधिवत अनुपालन किया है:

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम छह निदेशक होने चाहिए जिनमें से आधे निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निदेशक मंडल की संख्या तीन थी जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो सरकारी नामित निदेशक और 25.08.2023 को निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति के कारण वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे बढ़ाकर चार कर दिया गया। बोर्ड की संरचना और बाद की बैठकों के लिए कोरम सेबी (एलओडीआर) विनियमन के अनुरूप नहीं है।

2. कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या रिक्त होने के कारण, कोई भी लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का वैध रूप से गठन नहीं किया गया था और हितधारक संबंध समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति को छोड़कर कोरम की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था।

3. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 24 के अनुसार कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक (सूचीबद्ध इकाई) को असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

4. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक परिणाम प्रस्तुत करने में देरी।

कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कुछ उपरोक्त मामलों के कारण, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाए गए थे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माने से छूट की मांग की है।

xi) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशकों को नाम और राशि से रुचि है

ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और / या अग्रिम उन फर्मों / कंपनियों को नहीं दिया जाता है जिनमें निदेशक सहायक कंपनियों के अलावा अन्य रुचि रखते हैं।

xii) पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट

नामः केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पहले केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)
पता: सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी,
प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
सेरीलिंगमपल्ली,

हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032
ईमेल आईडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री/फोन नंबर: 1800 309 4001
व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099
केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लीकेशन): https://kprism.kfintech.com/
केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

xii) शेयरों को डिमेट करना

दिनांक 26 जून, 2000 से कम्पनी के शेयर अनिवार्य स्वरूप में इलेक्ट्रानिक स्वरूप में ट्रेड किए जाते हैं। कम्पनी के शेयर दोनों डिपोजिटरियों यथा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') एवं सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') में स्वीकार्य हैं। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के 760227891 इक्विटी शेयर डिमेट स्वरूप में थे तथा शेष 443863749 शेयरों का धारण भौतिक स्वरूप में थे। डिपोजिटरी प्रणाली के अंतर्गत कम्पनी के शेयरों के लिए आबंटित इंटरनेशनल सिक्योरिटिज आइडेंटिफिकेशन नम्बर (आईएसआईएन) INE262A01018 है।

xiii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)

31 मार्च, 2024 को इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी राशि और शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

xiv) संयंत्र स्थल

(1) खाद्य प्रस्संकरण मशीनरी डिवीजन
एच-2, एमआईडीसी, चिकलथाना आई.ए.
पोस्ट बॉक्स नम्बर 720, औरंगाबाद - 431 210

(2) अनुषंगी व्यवसाय डिवीजन
जालाहल्ली, बेंगलुरू - 560 013

xv) पत्रव्यवहार का पता:
पंजीकृत कार्यालय:
एचएमटी भवन, नम्बर 59, बेल्लारी रोड,
बेंगलूरू-560 032, कर्नाटक, भारत

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन -10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

अनुबंध -5

कॉर्पोरेट शासन के संबंध में स्वतंत्र लेखपरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

एचएमटी लिमिटेड के सदस्य

1. हम एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एचएमटी लिमिटेड ('कंपनी') के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षिताएँ) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग रेगुलेशंस') के विनियम 17 से 27 तथा अनुसूची V के अनुच्छेद सी और डी और 46(2) के खंड (बी) से (आई) तक के अनुसार विनिर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन का दायित्व

2. निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन पर है। इस दायित्व के अंतर्गत सूचीकरण विनियम में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित आंतरिक नियंत्रण व प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा है और न उस पर हमारे विचार की अभिव्यक्ति है।

4. हमने निगमित अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक अभिलेख एवं दस्तावेजों की जांच की है।

5. हमने कंपनी से संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के द्वारा निगमित अभिशासन प्रमाण-पत्र के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश नोट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्धारित लेखा परीक्षा मानकों तथा आईसीएआई के द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट्स या प्रमाणपत्र पर जारी की गई टिप्पणियों के अनुसार कंपनी के अभिलेखों की जांच की है, जिसके अधीन आईसीएआई के द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना है।

6. हमने स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल (एसक्यूसी) 1, की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के जुड़ाव की लेखापरीक्षा और समीक्षा करते हैं।

मत

7. हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए संगत अभिलेख, सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचीकरण विनियम) की अनुसूची के अनुच्छेद सी और डी तथा विनियम 17 से 27 और 46 (2) के खंड (बी) से (1) तक के अनुसार विनिर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन किया है, बशर्तेः

   (क) सेबी विनियमन 17(1)(बी) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन, जिसमें सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बने होंगे, जबकि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन 31-03-2024 तक 50% स्वतंत्र निदेशकों के साथ नहीं किया गया है।

   (ख) सेबी विनियमन 18(1)(बी) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन, जिसमें ऑडिट समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जबकि कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

   (ग) सेबी विनियमन 18(1)(डी) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन जिसमें लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयरधारक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होगा, जबकि लेखा परीक्षा समिति के पास स्वतंत्र निदेशक नहीं है पूरे वर्ष लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में।

(घ) सेबी विनियमन 18(2)(बी) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन, जिसके तहत लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम या तो दो सदस्य या लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, होगा, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(ङ) सेबी विनियमन 19(1)(सी) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन जिसमें कम से कम दो-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

(च) सेबी विनियमन 19(2) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन, जिसमें नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

(छ) सेबी विनियमन 20(2ए) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हितधारक संबंध समिति का सदस्य होगा, जबकि समिति में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

8. हमारा यह मत है कि इस अनुपालन से न तो कंपनी की भविष्य के प्रचालनों की व्यवहार्यता और न ही दक्षता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072एस

जी सी एस मणि
भागीदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVH6204

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 30-08-2024

अनुबंध-6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के किए गए उपाय

- पुरानी खराब एलईडी लाइटों के स्थान पर नई एलईडी स्ट्रीट लाइट फिटिंग (58), ऊर्जा बचत एलईडी बल्ब (37) और एलईडी ट्यूब लाइट (50) लगाई गई हैं। वर्तमान में, टाउनशिप में कोई सोडियम वाष्प लैंप या पारा वाष्प लैंप नहीं हैं।
- मौजूदा पुराने रिओस्टेट प्रकार के पंखा रेगुलेटरों (15) को इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटरों से प्रतिस्थापित किया गया है।
- सहायक व्यवसाय प्रभाग, घड़ी असेंबली और घड़ी शोरूम में 7 एयर कंडीशनरों को 5 स्टार बीआईएस रेटिंग वाले एयर कंडीशनर में अपग्रेड किया गया।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कम्पनी द्वारा किए गए उपाय

- हमने रूफटॉप सौर संयंत्र एवं खुले स्थान पर सौर संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण के लिए किया गया पूंजी निवेश

- प्रारंभिक चरण में है तथा इसकी सूचना बाद में दी जाएगी

ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए उपाय :

- खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग के लिए सहयोग समझौते प्रौद्योगिकी के आधार पर विभिन्न उत्पादों का निर्माण वर्षों में किया गया है। एफपीए उत्पादों के डिजाइन को अपग्रेड करने की जरूरत है क्योंकि बाजार में पहले से ही नई तकनीक विकसित हो चुकी है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ:

- खाद्य प्रसंस्करण इकाई, औरंगाबाद ने 1000 कि.ग्रा./घंटा क्षमता की सतत मक्खन बनाने की मशीन, 60 किलोलीटर क्षमता का दूध साइलो, 250 लीटर/घंटा क्षमता का दूध होमोजीनाइजर और 9 किलोलीटर एवं 15 किलोलीटर क्षमता के रोड मिल्क टैंकर विकसित किए हैं।
- हमने उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद लागत कम करने के लिए विनिर्माण विधियों और प्रौद्योगिकी को अद्यतन किया है।

(iii) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गत तीन वर्षों के दौरान आयात प्रौद्योगिकी

- वित्तीय बाधाओं के कारण कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में कोई भी प्रौद्योगिकी आयात नहीं की है।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: शून्य

ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

कुल विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

- आय 51.30 लाख रुपए
- व्यय : शून्य

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

अनुबंध - 7

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
1. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई औरंगाबाद	
क. नोट संख्या 2(ii)(जे) में किए गए मालसूची मूल्यांकन के संबंध में हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कच्चे माल के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत लागत को अंगीकार करके किया गया है। तथापि, सत्यापन उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए मालसूची विवरण में, भंडार मदों की दरों का सत्यापन पर्याप्त एवं यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाणों के अभाव में नहीं किया जा सका है। कंपनी के रिकॉर्ड की प्रकृति और पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण न होने के कारण, हम यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या कम्पनी द्वारा अंगीकार की गई मूल्यांकन की भारित औसत लागत विधि का कोई व्युतक्रमण किया गया है अथवा नहीं। हम इससे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हों, वह भी ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं।	कम मूल्य वाली वस्तुओं से युक्त उपभोग्य सामग्रियों के मामले को छोड़कर, भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करके इन्वेंट्री का मूल्यांकन किया जाता है, जिसका मूल्यांकन अनुमानित आधार पर किया जाता है। स्टोर विभाग में लेखांकन सॉफ्टवेयर स्थापित किया जा रहा है। हालाँकि, इन्वेंट्री के मूल्यांकन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
ख. मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण के अनुसार राजस्व 3604.75 लाख रुपये है। इसमें एचएमटी लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई औरंगाबाद द्वारा अपने ग्राहकों पर मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) महीने में दर्ज बिक्री चालान का मूल्य 105.88 लाख रुपये शामिल है। हालाँकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त चालान इस अवधि के दौरान जारी किए गए थे, लेकिन प्रेषण 31-3-2024 के बाद किए गए थे। अतः ग्राहक को 31-3-24 से पहले परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं मिला है। यह भारतीय मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व को 105.88 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को अधिक तथा तैयार माल को कम दर्शाया गया।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
2. पूरक व्यापार विभाग, बेंगलूरु	
क. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	सभी पक्षों को ईमेल और डाक के माध्यम से पत्र भेजकर 31.03.2024 तक शेष राशि की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मिलान का कार्य निरंतर आधार पर किया जाता है। प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, परिणामी समायोजन और प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन पार्टियों से पुष्टि नहीं मिली।
ख. कंपनी भूमि पर स्थित भवनों से उत्पन्न किराये की आय दर्ज करती है, जिसे कंपनी की लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया जाता है। सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों की जांच से पता चला कि भूमि की स्थिति और उसका स्वामित्व एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है।	इकाई का गठन बैंगलोर स्थित इकाइयों के संपदा रखरखाव की देखभाल के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप, संपत्ति के रखरखाव की लागत में वृद्धि के कारण, इकाई आय उत्पन्न करना शुरू कर देती है। वर्ष 2000 में कंपनी के अनुषंगीकरण/सब्सिडीकरण दिए जाने के पश्चात भूमि और भवन व्यवस्था की योजना के अनुरूप मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इसलिए भूमि और भवन इकाई के खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं। हालाँकि, इस आशय के राजस्व अभिलेखों में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर टाइटल डीड का म्यूटेशन अभी भी किया जाना है। भूमि के संबंध में नए पट्टा विलेख निष्पादन हेतु लंबित हैं। चूंकि एबीडी एचएमटी मशीन टूल्स डिवीजन, बैंगलोर सहित बैंगलोर स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों और एस्टेट की देखभाल करता है, इसलिए एस्टेट आदि के रखरखाव के लिए यूनिट पुस्तकों में दर्ज किराये की आय भी शामिल है।
ग. भारतीय लेखा मानक 40 के तहत कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।	कंपनी ने किसी स्वतंत्र मूल्यांकक से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय विवरण को पुनः आरंभ नहीं किया है, इसलिए 31.03.2024 तक निवेश संपत्ति के मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर उचित मूल्य का खुलासा किया गया है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक-40 के खंड 32 के अनुसार, स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निवेश संपत्ति का मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है।

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
3. कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय एवं समग्र कम्पनी:	
(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	सभी पक्षों को ईमेल और डाक के माध्यम से पत्र भेजकर 31.03.2024 तक शेष राशि की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मिलान का कार्य निरंतर आधार पर किया जाता है। प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, परिणामी समायोजन और प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन पार्टियों से पुष्टि नहीं मिली।
(ख) इंड एसएएस 40 के अनुसार निवेश संपत्ति वह संपत्ति है जो किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है। यह देखा गया है कि कॉर्पोरेट मुख्यालय को किराये की आय आंशिक रूप से भवन (इकाई के स्वामित्व में) से प्राप्त होती है, जिसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।	विषयगत संपत्ति स्वामी-अधिकृत संपत्ति है, अर्थात कंपनी के स्वामित्व में है और कब्जे में है। अल्पावधि किराये पर देने का उद्देश्य इसके रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए किराया अर्जित करना है। यहां तक कि पूंजी वृद्धि के लिए भी यह नियम लागू नहीं है। इसलिए, मालिक द्वारा अधिगृहित संपत्ति होने के कारण, इसे भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार पीपीई माना गया है।
(ग) भारतीय लेखा मानक 40 के तहत कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।	कंपनी ने किसी स्वतंत्र मूल्यांकक से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय विवरण को पुनः प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए उचित मूल्य का खुलासा 31.03.2024 तक निवेश संपत्ति के मार्गदर्शक मूल्य के आधार पर किया गया है और वित्तीय विवरण संख्या 38(बी) में इसका खुलासा किया गया है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक-40 के खंड 32 के अनुसार, स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निवेश संपत्ति का मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है।
(घ) इंड-एएस 109 के अनुसार, किसी इकाई को क्षतिग्रस्तता हानि के मापन और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करना आवश्यक है। तथापि, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हानि भत्ते के प्रावधान हेतु लेखापरीक्षा अवधि के लिए कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। इसलिए, हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	राजस्व की पहचान करते समय धन के समय मूल्य का कोई घटक शामिल नहीं होता है। तथापि, व्यापार प्राप्य के विरुद्ध प्रावधानों को वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मान्यता दी जाती है। बहियों में किए गए प्रावधानों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
(ड़) भारतीय लेखा मानक-109 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए हानि भत्ता को मान्यता देनी होगी। वर्तमान मामले में, हमने पाया कि कंपनी के पास एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से लंबे समय से बकाया राशि है, जिसके संबंध में कंपनी ने कोई अपेक्षित ऋण हानि दर्ज नहीं की है। हमारी राय में, चूंकि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड लगातार घाटे में है और इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, इसलिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से प्राप्त होने वाली राशि को वसूलने की कंपनी की क्षमता संदिग्ध बनी हुई है।	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के पास विशाल भूमि बैंक है और इन भूमियों का बाजार मूल्य, मार्गदर्शन मूल्य पर विचार करते हुए, उनसे प्राप्त होने वाली दीर्घकालिक बकाया राशि से कहीं अधिक है। इसकी वसूली भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि से की जाएगी। इस प्रकार, कोई ईसीएल नहीं है।
(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, व्यापार देयताओं में सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के कारण देय सभी राशियाँ शामिल हैं। वर्तमान मामले में, हम देखते हैं कि 1510.99 लाख रुपये की राशि, जो वर्तमान में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत उपार्जित व्यय के रूप में प्रकट की गई है, उसे व्यापार देयताओं के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को उपार्जित व्यय शीर्षक के अंतर्गत प्रकट की गई राशि के लिए आयु विश्लेषण भी उपलब्ध कराना होगा।	खरीद से संबंधित देनदारियों को व्यापार देय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और खरीद के अलावा अन्य को अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत समूहीकृत करके "उपार्जित व्यय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रथा का निरन्तर पालन किया जा रहा है। हालाँकि, इसकी समीक्षा की जाएगी और तदनुसार 2024-25 के दौरान इसे वर्गीकृत किया जाएगा।
(छ) हम आपका ध्यान नोट संख्या 53 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के साथ इसका कोई लेनदेन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह स्थापित करने के लिए उचित ऑडिट साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि उनके पास इस तरह के लेनदेन नहीं हैं।	उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन:10333951

अनुबंध-7क

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब

संदर्भ.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ - जो एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।	प्रबंधन के उत्तर
क)	**क) लाभप्रदता पर टिप्पणी** **क.1. वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले नोट्स** **आकस्मिक देयताएं (नोट 35)**	
	लेखापरीक्षा ने बोर्ड के एजेंडा नोट्स से देखा कि 1 सितंबर 2023 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एक, उच्च न्यायालय में 24 मामले और वाणिज्यिक और अन्य मामलों से संबंधित 9 मामले शामिल थे। तथापि, एमटीके यूनिट ने लंबित अदालती मामलों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा एमटीके यूनिट पर वित्तीय प्रभाव को सत्यापित नहीं कर सकी।	न्यायालयीन मामलों की सूची बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई। मामलों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक-37 के अनुरूप की जाएगी और आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा अथवा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रावधान को मान्यता दी जाएगी।
ख	**ख. नकदी प्रवाह पर टिप्पणियाँ** **ख.1 नकदी प्रवाह विवरण: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नकदी और नकदी समतुल्य।**	
	1499.88 लाख रुपये के नकद और नकद समकक्षों में एस्क्रो खातों से संबंधित 72.59 लाख रुपये की राशि शामिल थी, जिसे गलत तरीके से 49.92 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया था। 72.59 लाख रुपये की राशि टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम (सर्ज) के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की अव्ययित शेष राशि से संबंधित है। चूंकि ये शेष राशियां कंपनी को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नकदी प्रवाह विवरण में इस संबंध में प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप आईएनडी एएस-7 के पैरा 48 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।	कंपनी ने नोट नंबर 7-ए में सर्ज से संबंधित खातों में एस्क्रो खाते में 49.92 लाख रुपये और नकद और नकद समकक्ष के तहत कुल 1197.93 लाख रुपये के चालू खाते में शामिल 22.67 लाख रुपये दिखाए हैं। वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 23-24 में नकदी एवं नकदी समकक्ष तथा नकदी प्रवाह विवरण दोनों के अंतर्गत फुटनोट पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है।

ग	**ग. लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियाँ।** ग.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मशीनों की स्थापना, परीक्षण तथा उनके संतोषजनक ढंग से कार्य करने की स्थिति में पाए जाने के बाद कंपनी की एमटीके इकाई को भुगतान का 10 प्रतिशत जारी किया जाना है। इसके अलावा, इकाई को मशीनरी नींव के लिए आवश्यक सिविल कार्य ड्राइंग को अंतिम रूप देने में सहायता करनी होगी। हालाँकि, इकाई ने अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किए बिना ही ऑर्डर की पूरी राशि के लिए राजस्व को मान्यता दे दी है। इसके परिणामस्वरूप इकाई और कंपनी दोनों द्वारा गलत राजस्व मान्यता दी गई है। इसके अलावा, कंपनी को इस संबंध में अपनी नीति में सुधार करने की आवश्यकता है।	कंपनी इकाइयों द्वारा राजस्व मान्यता पर समीक्षा करेगी तथा आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी।
घ	**घ. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **घ.1 लेखा नोट्स** क) केरल सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 251.40 एकड़ अतिरिक्त भूमि लौटाने के आदेश जारी किये (04 नवम्बर 2015)। हालांकि, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी यूनिट (एमटीके) ने एमटीके से 251.40 एकड़ भूमि की बहाली के लिए केरल सरकार के राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (15.01.2016) अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। मार्च 2024 तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया। न्यायालय में लंबित मामले का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में इस सीमा तक कमी आ गई है। ख) केरल सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने (30 नवंबर 2019) केरल सरकार के पुनर्ग्रहण आदेशों के आधार पर हवाई अड्डा - बंदरगाह राजमार्ग चरण-II के निर्माण के लिए उपरोक्त भूमि के एक हिस्से के हस्तांतरण के लिए एमटीके इकाई से अनुरोध किया।	क. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा। फिलहाल यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ख. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधित अंतरिम आदेश के तहत सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है, बशर्ते केरल सरकार केरल उच्च न्यायालय में मुआवजा जमा कराए।

		इसके बाद, केरल सरकार ने (16.06.2019) भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग से निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने और तत्काल आधार पर 1.6352 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया। एमटीके यूनिट ने उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने के लिए ₹16.34 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा तय किया। हालांकि, इस संबंध में इकाई द्वारा स्थिति का खुलासा नहीं किया गया।		
	ग)	भारतीय लेखा मानक-19 के पैरा संख्या 139 (ख) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार, किसी इकाई को उन जोखिमों का विवरण प्रकट करना होगा, जिनके लिए परिभाषित लाभ योजना इकाई को उजागर करती है, जो किसी असामान्य इकाई-विशिष्ट या योजना-विशिष्ट जोखिमों और जोखिम के किसी महत्वपूर्ण संकेन्द्रण पर केंद्रित है। हालाँकि, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है।	ग.	कंपनी परिभाषित लाभों का एक्चुरियल मूल्यांकन कर रही है, लेकिन फंड की उपलब्धता के अनुसार सभी परिभाषित देनदारियों का निपटान कर रही है। इसका खुलासा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

निदेशक मंडल की ओर से

(सी. सैलजा)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

दिनांक: 21.10.2024
स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 25.10.2024
स्थान: बेंगलुरु

अनुबंध-8

फार्म संख्या: एमआर 03

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
एच.एम.टी. लिमिटेड
सीआईएनः L29230KA1953GOI000748
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032

मैंने एच.एम.टी. लिमिटेड (सीआईएनः L29230KA1953GOI000748) (एतदद्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि मुझे कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया था।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मेरे सत्यापन के आधार पर, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड है प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीनः

मैंने एच.एम.टी. लिमिटेड द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और निम्नालिखित प्रावधानों के अनुसार मुझे उपलब्ध कराया गयाः

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत कंपनी पर लागू सीमा तक निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः -

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम, 2013 और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची से हटाना) विनियम, 2021;- **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);**

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम, 2018;- **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)** और

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (एलओडीआर)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच पर, परीक्षण के आधार पर, विभागों के प्रमुखों द्वारा किए गए अनुपालन प्रमाण पत्र और कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित लागू कानूनों / दिशानिर्देशों/ नियमों का काफी अनुपालन किया हैः

i. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देश

ii. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश

iii. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/विनियम

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन और वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव और खातों की पुस्तकों की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा

परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

क) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में टिप्पणियां / गैर-अनुपालन/प्रतिकूल टिप्पणियां / अर्हताएं इस प्रकार हैं:

i. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण, महिला निदेशक की नियुक्ति और कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में अधिनियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ii. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iii. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iv. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ख) सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन के संबंध में टिप्पणियां/गैर-अनुपालन/प्रतिकूल टिप्पणियां / अर्हताएं निम्नानुसार हैं:

i. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना {बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति सहित पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए} के संबंध में सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ii. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी आयोजित बोर्ड की बैठकों के कोरम के संबंध में सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iii. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी लेखापरीक्षा समिति की संरचना, समिति के अध्यक्ष और कोरम के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18 (1) और 18 (2) (बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iv. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और अध्यक्ष के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 19 (1)/19(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

v. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी हितधारक संबंध समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20(2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

vi. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बाद जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 21 (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

vii. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को 51 दिनों की देरी के साथ जमा करके, 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 33 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

viii. कंपनी ने अपनी असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के बोर्ड में सूचीबद्ध इकाई के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 24(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

मैं आगे रिपोर्ट प्रेषित करता हूँ कि

क. कंपनी के निदेशक मंडल का गठन ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन विधिवत किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ख. सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और के लिए बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ग. बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए जाते हैं जैसा कि मामला होने पर निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

घ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि जैसा कि कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है और मेरे द्वारा भरोसा किया गया है, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

ङ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि ऑडिट अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर डालने वाली ऐसी कोई घटनाएं / कार्रवाइयां नहीं हैं। हालांकि, वर्ष के दौरान हुई कुछ घटनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. कंपनी की जारी पूंजी को एनसीएलटी आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के माध्यम से 1,204.09 करोड़ रुपये से घटाकर 355.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, शेयर पूंजी में कमी को स्टॉक एक्सचेंजों / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है। वे प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए लंबित हैं जो प्रक्रिया में हैं।

2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, सहायक कंपनियों, एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड और एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड को बंद करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान भंग कर दिया गया है और एचएमटी वॉचेस लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बीएसई और एनएसई ने बोर्ड की संरचना, बोर्ड की समितियों और स्टॉक एक्सचेंजों को लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने में देरी से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन (एस) 17 (1), 17 (2ए), 18 (1) और 18 (2) (बी), 19 (1) / 19 (2), 20 (2) / 20 (2ए), 21 (2) और 33 के तहत गैर-अनुपालन के लिए प्रत्येक पर 58,68,140/- रुपये का कुल जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने जुर्माना माफ करने के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है क्योंकि सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है और स्टॉक एक्सचेंजों को लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में देरी के लिए भी। दोनों एक्सचेंजों के समक्ष छूट के आवेदन लंबित थे।

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 24 अगस्त 2024

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 8554 :: सीपी नंबर 7773
यूडीआईएन: F008554F001036218
पीआर संख्या: 1617/2021

इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के पत्र के साथ किया जाना है जो अनुबंध क में प्रस्तुत है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

"अनुबंध-क"

सेवा में,
सदस्य,
एच.एम.टी. लिमिटेड,
(सीआईएनः L29230KA1953GOI000748)
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु 560032

सम तारीख की मेरी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है।

2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। मेरा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. यह साचिविक रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 24 अगस्त 2024

डी वेंकटेश्वरलू
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 8554 :: सीपी नंबर 7773
यूडीआईएनः F008554F001036218
पीआर संख्या: 1617/2021

अनुबंध- 9

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

संदर्भ.	सचिवीय लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
क) i)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के कारण, महिला निदेशक की नियुक्ति और कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में अधिनियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री. विश्वेश्वर भट और श्री. रामजी लाल का कार्यकाल 26.01.2023 को पूरा हो गया। प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
ii)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	जब कभी निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और सीएसआर समिति, बोर्ड की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए।
iii)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	
iv)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	
ख) i)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना {बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति सहित पर्याप्त स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए} के संबंध में सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	श्रीमती. नीरा तोमर ने 17 फरवरी 2022 को स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में कार्यकाल का कार्य पूरा किया। इसके अलावा, श्री. विश्वेश्वर भट्ट एवं श्री. रामजी लाल ने 26.01.2023 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल का कार्य पूरा किया। प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है। नियुक्ति पर, सूचीबद्ध विनियमों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बोर्ड की बैठकों में कोरम सुनिश्चित किया जाएगा।
ii)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी आयोजित बोर्ड की बैठकों के कोरम के संबंध में सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 (2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	

iii)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी लेखापरीक्षा समिति की संरचना, समिति के अध्यक्ष और कोरम के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18 (1) और 18 (2) (बी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	जब भी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल में की जाएगी, बोर्ड की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा और सूचीबद्ध विनियमों का पालन करने के लिए समिति की बैठकों में स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के साथ कोरम सुनिश्चित किया जाएगा।
iv)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और अध्यक्ष के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 19 (1)/19(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	
v)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी हितधारक संबंध समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20(2ए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	
vi)	**कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बाद जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 21 (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	
vii)	**कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को 51 दिनों की देरी के साथ जमा करके, 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के संबंध में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 33 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की इकाइयाँ भारत भर में बेंगलूरु, पिंजौर, औरंगाबाद, हैदराबाद, कलामासेरी, अजमेर और रानीबाग में हैं। विभिन्न इकाइयों में लेखापरीक्षा प्रगति पर थी और कंपनी ने इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया और 20 जुलाई, 2023 को वित्तीय परिणाम एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए। इसलिए, 31.03.2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में 51 दिनों की देरी हुई।
viii)	**कंपनी ने अपनी असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के बोर्ड में सूचीबद्ध इकाई के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 24(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।**	प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि लिस्टिंग विनियमों का पालन करने के लिए कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक को गैर- सूचीबद्ध सामग्री सहायक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

अनुबंध-10

फार्म संख्या: एमआर 03

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
59 बेल्लारी रोड बेंगलूरु - 560 032

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एतद द्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) (सीआईएन: U02922KA1999GOI025572) जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर – 560032 पर है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी के रजिस्टरों, रिकार्डों, बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित हैः

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की हैः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम – कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयरों को समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भौतिक रूप में रखा जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, यदि कोई हो, उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सचिवीय मानक जारी किये गये।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर डालने वाली कोई घटना/कार्रवाई नहीं की।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया कि कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन, सभी आवश्यक रिकॉर्डों को उचित रूप से बनाए रख रही है और विभिन्न लागू कानूनों का पालन करने के लिए स्थापित प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर पूर्वगामी पैराग्राफों में उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. एक सूचीबद्ध इकाई की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24(1) के तहत इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी को अभी इस विनियमन का अनुपालन करना है।

2. लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने कई मामलों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक बकाया का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के तहत प्रावधानों का पालन नहीं किया और वैधानिक प्राधिकरणों से नोटिस प्राप्त किए। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए

स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031F001105176

दिनांक: 02 सितंबर, 2024
स्थान: बेंगलुरु

इस रिपोर्ट को सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा यह रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक
कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया

सेवा में,
सदस्य,
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
नंबर 59 बेल्लारी रोड बेंगलूरु - 560 032

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पठनीय है।

1. साचिविक रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन साचिविक रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो साचिविक रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। साचिविक रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई लागू कानूनों की सूची के आधार पर उद्योग-विशिष्ट कानूनों के तहत अनुपालन की जांच की गई।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. यह साचिविक रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स के लिए

स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: S2010KR128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031F001105176

दिनांक: 02 सितंबर, 2024
स्थान: बेंगलुरु

अनुबंध- 11

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

संदर्भ	सचिवीय लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
01	**एक सूचीबद्ध इकाई की एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी होने के नाते, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24(1) के तहत इसके बोर्ड में इसकी होल्डिंग कंपनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। कंपनी को अभी इस विनियमन का अनुपालन करना है।**	निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है।
02	**लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी ने कई मामलों में कर्मचारियों से संबंधित वैधानिक बकाया का समय पर भुगतान नहीं किया है और परिणामस्वरूप, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के तहत प्रावधानों का पालन नहीं किया और वैधानिक प्राधिकरणों से नोटिस प्राप्त किए। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।**	कंपनी को कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, इसलिए लेखापरीक्षकों के प्रेक्षण के अनुसार सांविधिक देय राशि का समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं है। कंपनी आंतरिक परिचालनों से धन उत्पति करने और सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

अनुबंध-12

फार्म संख्या : एमआर 03

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्य,
एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड
नं.59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर- 560032, कर्नाटक, भारत

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एतदद्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) (सीआईएनः U33309KA1974GOI002707) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड, सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर किया है (इसके बाद "ऑडिट अवधि" के रूप में संदर्भित) ने यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित हैः

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की हैः-

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

ii. डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम; **(कम्पनी के संबंध में लागू नहीं क्योंकि कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अनुरक्षण लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भौतिक स्वरूप में किया गया था)**

iii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **(रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए लागू नहीं)**

iv. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; **(कम्पनी के संबंध में लागू नहीं क्योंकि कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अनुरक्षण लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान भौतिक स्वरूप में किया गया था);**

v. कम्पनी के संबंध में अन्य लागू विशिष्ट कानून, नामत; हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार कम्पनी एक ट्रेडिंग कम्पनी है तथा इसके द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन विचाराधीन अवधि के दौरान किया गया है।

हमने आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक निदेशक मंडल (एसएस-1) तथा सामान्य बैठकों (एसएस-2) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसरण में निम्न के संबंध में भी अनुपालन की जांच की है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने सामान्यतः उक्त मानकों का अनुपालन किया है।

तदनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में विचाराधीन अवधि के दौरान, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित थी।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी होने के कारण निम्नलिखित अधिनियम, नियम, दिशानिर्देश तथा विनियम लागू नहीं होते हैं:-

i. प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है विनियम एवं दिशानिर्देशः

   क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची से हटाना) विनियम, 2021इसमें संशोधन भी शामिल है;

   छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम, 2018 तथा इसमें संशोधन भी शामिल है;

   ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, इसमें संशोधन भी शामिल है;

   झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009 इसमें संशोधन भी शामिल है;

   ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2013 और इसके संशोधन सहित।

हमने कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किए गए अनुपालन की जांच नहीं की है:

क. वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानून, वित्तीय रिकार्डो का अनुरक्षण इत्यादि, क्योंकि इनकी समीक्षा सांविधिक (वित्तीय) लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों एवं अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

ख. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता अनुबंध, यह कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी, और सूचीबद्ध सरकारी कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, एचएमटी लिमिटेड की एक मैटिरियल सहायक कम्पनी है।

ग. कम्पनी द्वारा सूचित किए गए अनुसार कम्पनी के संबंध में लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों / सामान्य कानूनों का अनुपालन किया गया है। प्रबंधन ने यह प्रस्तुति तथा पुष्टि की है कि उद्योग / श्रम इत्यादि से सम्बद्ध सभी कानूनों, नियमों एवं विनियमों, आदेशों, मानकों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन कम्पनी ने किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं किः

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे:

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होने का अनुपालन नहीं किया गया था।

हालांकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से प्रभावी रूप से कंपनी द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, श्री वेलपांडियन अपने कार्यकाल की सेवानिवृत्ति के कारण 26.01.2023 से कंपनी के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से थे और कोई असहमत विचार दर्ज नहीं किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के मेमोरंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों में कोई संशोधन/संशोधन नहीं किया गया था।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई, जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

जी हरिता एंड एसोसिएट्स के लिए

जी. हरिता

प्रैक्टिस में सचिव कंपनी

एफसीएस 5521 - सीपी नं.10749

पी आर: 1434/2021

यूडीआईएन: F005521F000623556

स्थान: बेंगलुरु

दिनांक: 26 जून, 2024

नोट: इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के पत्र के साथ किया जाना है जो **'अनुबंध क'** में प्रस्तुत है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

'अनुबंध-क'

सेवा में,
सदस्य,
एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड
नं.59, बेल्लारी रोड, बैंगलोर- 560032, कर्नाटक, भारत

यह पत्र समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. साचिविक रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन साचिविक रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो साचिविक रिकार्डो के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। साचिविक रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

3. कम्पनी के वित्तीय रिकार्डो एवं लेखा बहियों तथा वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, सीमाशुल्क एवं कम्पनी के संबंध में अन्य लागू विधिक व्यवस्थाओं का सत्यापन हमने नहीं किया है।

4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) (च) के अंतर्गत कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. यह साचिविक रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

7. यह लेखापरीक्षा हमें प्रस्तुत की गई अथवा कम्पनी इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त की गई तथा कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा ऑडियो तथा/अथवा विजुअल माध्यमों से प्रदान की गई कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, बैठकों के कार्यवृत, फार्मो, तथा फाइल की गई विवरणियों, दस्तावेजों एवं रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर की गई है।

जी हरिता एंड एसोसिएट्स के लिए
जी. हरिता
प्रैक्टिस में सचिव कंपनी
एफसीएस 5521 सीपी नं.10749
पी आर: 1434/2021
यूडीआईएन: F005521F000623556

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 26 जून, 2024

अनुबंध-13

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा पर सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

संदर्भ	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
01	**रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होने का अनुपालन नहीं किया गया था।** **हालांकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से प्रभावी रूप से कंपनी द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, श्री वेलपांडियन अपने कार्यकाल की सेवानिवृत्ति के कारण 26.01.2023 से कंपनी के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।**	प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि सूचीकरण आवश्यकताओं का पालन करने के लिए एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, असूचीबद्ध सामग्री सहायक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 25.10.2024

अनुबंध- 14

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

कम्पनी की आचार संहिता के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है किः

कम्पनी द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन सहित अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता अंगीकार की गई है। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं अंशकालिक निदेशकों की आचार संहिता का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है।

उक्त आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है तथा इसका वितरण निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को किया गया है; तथा,

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 25.10.2024
स्थल: बेंगलूरु

अनुबंध-15

निदेशकों के गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र
(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,

एच.एम.टी. लिमिटेड
(सीआईएनः L29230KA1953GOI000748)
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड
बेंगलूरु - 560 032

मैंने एचएमटी लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसका सीआईएनः L29230KA1953GOI000748 और पंजीकृत कार्यालय, एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु 560032 है, (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित), इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और निम्नलिखित सत्यापन के अनुसारः

i. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज;

ii. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन;

iii. निदेशकों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए प्रकटीकरण; तथा

iv. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डिबारमेंट सूची,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2024 को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री पंकज गुप्ता[1]	09716028	25/08/2022
2.	डॉ.रेणुका मिश्रा[2]	08635835	12/09/2022
3.	सुश्री आरती भटनागर	10065528	14/02/2023
4.	सुश्री रीता सक्सैना[3]	10294769	25/08/2023
5.	सुश्री मुक्ता शेखर[4]	10118859	04/09/2023
6.	श्री राजीव सिंह[5]	10447679	30/12/2023
7.	श्री कृष्णास्वामी रविशंकर[6]	10540509	08/03/2024

1. 25.11.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद से मुक्त हो गए
2. 04.09.2023 से सरकारी नामित निदेशक के पद से मुक्त हो गए
3. 25.08.2023 से निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया
4. 04.09.2023 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
5. 30.12.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया तथा 08.03.2024 से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा
6. 08.03.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है।

यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में एक आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 24-08-2024

डी वेंकटेश्वरलू
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस 8554 :: सीपी 7773
यूडीआईएनः F008554F001036119
पीआर संख्या: 1617/2021

अनुबंध-16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाण पत्र

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए यह प्रमाणित किया जाता है किः

(क) हमने वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार का सामग्रीगत असत्य कथन अथवा सामग्रीगत तथ्यों का विलोपन अथवा भ्रामक कर सकने वाले तथ्यों का समावेश नहीं है;

(ii) ये विवरण कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जो जालसाजी पूर्ण, गैर- कानूनी हों अथवा जिनसे कम्पनी की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी की आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने, हमें ज्ञात ऐसे वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प अथवा परिचालनों की न्यूनताओं तथा ऐसी न्यूनताओं को दूर करने के उद्देश्य से किए गए उपायों अथवा किए जाने उपायों का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को कर दिया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में भी सूचित किया है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में हुए किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में तथा इनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में भी किया गया है; तथा

(iii) प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय नियंत्रणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी की जानकारी में आई ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण जालसाजी एवं उसमें प्रतिभागिता, यदि कोई हो, के बारे में।

कृते एचएमटी लिमिटेड

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अपर्णा आर
मुख्य वित्त अधिकारी

दिनांक: 09 अगस्त, 2024

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

(हैदराबाद के डीजीसीए/ए/सी/डेस्क/2023-24/एचएमटी/1.19/516 दिनांक 18-09-2024 के अनुसार वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक कार्यालय के निदेशक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा अनंतिम टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी किया गया और यह हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09-08-2024 को अधिक्रमित करता है)

सेवा मे,

एचएमटी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अर्हक मतः

हमने एचएमटी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन तुलना पत्र इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के विवरण, स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा स्टेंडएलोन नकदी विवरण इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लेखांकन नोट तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हक मत के आधार भाग में वर्णित मामलों के प्रभाव के अलावा, ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित अधिनियम की अपेक्षाओं के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षित सूचना की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं

(1) 31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन के मामलों की स्थिति की स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और

(2) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित)।

(3) इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए परिवर्तन।

(4) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी में नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण।

अर्हक मत का आधार:

1. फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद

(क) नोट संख्या 2(ii) (जे) में किए गए मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि के उपयोग से किया गया है। तथापि, सत्यापन के उद्देश्य से प्रदान मालसूची विवरण में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य न होने के कारण भंडार मदों की दरों के पर्याप्त एवं सही होने का सत्यापन नहीं किया जा सका है। कंपनी के रिकॉर्ड की प्रकृति के कारण एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कंपनी द्वारा अपनाई गई भारित औसत लागत विधि से वास्तविक विचलन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को भी ज्ञात करने में हम असमर्थ हैं।

(ख) मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण के अनुसार राजस्व 3604.75 लाख रुपये है। मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में एचएमटी लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई औरंगाबाद द्वारा अपने ग्राहकों पर उठाए गए बिक्री चालान का मूल्य 105.88 लाख रुपये शामिल है। हालाँकि, अभिलेखों के अनुसार, उक्त चालान अवधि के दौरान जारी किए गए थे, लेकिन प्रेषण 31-3-2024 के बाद किए गए थे। इसलिए ग्राहक को 31-3-24 से पहले संपत्ति का नियंत्रण नहीं मिला है। यह भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 105.88 लाख रुपये की अधिकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में अधिकता और तैयार माल का कम विवरण है।

2. ऑक्सिल्लरी बिज़नस डिविजन, बेंगलूरु

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) कंपनी भूमि पर स्थित भवनों से उत्पन्न किराये की आय दर्ज करती है, जिसे कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों की जांच से पता चला कि भूमि की स्थिति और उसका स्वामित्व एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है।

(ग) भारतीय लेखा मानक 40 के तहत कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

3. कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय एवं समग्र कम्पनी:

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां और अन्य वर्तमान देनदारियों के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ख) भारतीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति को किराये अर्जित करने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह देखा गया है कि कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय किराये की आय आंशिक रूप से भवन (इकाई के स्वामित्व वाली) से प्राप्त करता है जिसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग) भारतीय लेखा मानक 40 के अनुसार कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकन से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

घ) भारतीय लेखा मानक 109 के लिए एक इकाई को हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हानि भत्ते के प्रावधान बनाने के लिए ऑडिट के तहत अवधि के लिए कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। इसलिए, हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

ङ) भारतीय लेखा मानक-109 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण घाटे के लिए हानि भत्ता पहचानना होगा। मौजूदा मामले में, हम देखते हैं कि कंपनी के पास एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से लंबे समय से बकाया है, जिसके संबंध में कंपनी ने कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि दर्ज नहीं की है। हमारी राय में, चूंकि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड लगातार घाटे में चल रही है और इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, इसलिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से प्राप्त होने वाली राशि को वसूलने की कंपनी की क्षमता संदिग्ध बनी हुई है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, व्यापार देय राशि में सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के कारण देय सभी राशियाँ शामिल हैं। वर्तमान मामले में, हमने पाया कि 1510.99 लाख रुपए की राशि जो वर्तमान में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत उपार्जित व्यय के रूप में प्रकट की गई है, उसे व्यापार देयताओं के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को उपार्जित व्यय के अंतर्गत प्रकट की गई राशि के लिए आयु विश्लेषण प्रदान करना चाहिए।

छ) हम आपका ध्यान नोट नंबर 53 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद कंपनियों के साथ इसका कोई लेनदेन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह स्थापित करने के लिए उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि उनके पास ऐसे लेनदेन नहीं हैं।

हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा के तहत 143 (10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो मुख्यतः 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से व्यावसायिक स्व-विवेक के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर पूर्ण रूप से अपने मत का निर्धारण करने के लिए हमने अपनी लेखापरीक्षा के लिए इन मामलों पर विचार किया है तथा इन मामलों के लिए हम अलग से किसी मत की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। नीचे प्रस्तुत प्रत्येक मामले के लिए, हमारी प्रस्तुति में, इस संदर्भ में, इन मामलों का समाधान कैसे किया गया है, का वर्णन किया गया है।

हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषण के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है। हमने अपनी रिपोर्ट के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित उत्तरदायित्वों की पूर्ति की है, जिसमें इन मामलों की सम्बद्धता शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों के हमारे आकलन की प्रतिक्रिया के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति का आधार प्रदान करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	**हमारी लेख परीक्षा में इन प्रमुख लेख परीक्षा मामलों का समाधान कैसे किया गया**
भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार परिचालन पट्टों से राजस्व स्वीकृत- पट्टे	
कंपनी वाणिज्यिक और आवासीय आधार पर संपत्तियों को पट्टे पर देने से किराये की आय अर्जित करती है। चूंकि अर्जित किराये की आय कुल अर्जित आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, इसलिए इस मामले को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने आवासीय क्वार्टरों और दुकानों की संख्या, अधिभोग, किरायेदार का नाम, अधिभोग की तिथि और रिक्ति जैसी जानकारी प्राप्त कर ली है। • हमने नमूना आधार पर पट्टा समझौतों का सत्यापन किया है। • हमने लीज़ समझौतों के अनुसार मान्यता प्राप्त किराये की आय के साथ पारित जर्नल प्रविष्टियों को सत्यापित कर लिया है। • हमने इकाई द्वारा प्राप्त किराये पर भारतीय लेखा मानक 116 के प्रभाव का सत्यापन किया है।

घड़ियों की बिक्री से मान्यता प्राप्त राजस्व	
इकाई घड़ियों की बिक्री में लगी हुई है और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करती है। और इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने यह समझ लिया है कि शोरूम में की गई बिक्री और ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से की गई बिक्री के लिए चालान कैसे तैयार किया जाता है। • हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लेनदेन लॉग उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर चालान तैयार किए गए। • हमने लेखा पुस्तकों में घड़ियों की बिक्री से प्राप्त आय को दर्ज करने के आधार पर एक समझौता प्राप्त किया है। • पुस्तकों में दर्ज घड़ियों की बिक्री का चयन नमूना आधार पर किया गया तथा तैयार किए गए चालानों से उसका सत्यापन किया गया। • हमने की गई बिक्री के विरुद्ध उत्पन्न चालानों के अनुक्रमिक क्रम की जाँच की है। • हमें रद्द किए गए चालान के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है।
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिया गया ऋण	
इकाई ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को 30,582.41 लाख रुपये की शेष राशि का ऋण दिया था। इस इकाई को ऋण के रूप में दी गई राशि चालू परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बनती है और इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋण के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड समिति की बैठक के कार्यवृत्त और बोर्ड के प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। • हमने उस ब्याज दर का सत्यापन कर लिया है जिस पर ऋण दिया गया था। • हमने दिए गए ऋण के लिए धन के स्रोतों का सत्यापन कर लिया है। • हमने उन कारणों का सत्यापन कर लिया है जिनके लिए ऋण दिए गए थे। • हमने दिए गए ऐसे ऋण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रभाव का सत्यापन किया है। • हमें ऐसे ऋण पर दर्ज ब्याज आय के संबंध में ब्याज कार्यप्रणाली उपलब्ध कराई गई।

इन्वेंटरी मूल्यांकन	
इन्वेंटरी को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, क्योंकि इसके मूल्य निर्धारण और हानि के निर्धारण के लिए कई प्रमुख मान्यताओं और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं - • हमने प्रबंधन से इन्वेंटरी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। • हमने इकाई द्वारा रखे गए इन्वेंट्री के प्रकार के संबंध में मात्रात्मक विवरण प्राप्त कर लिया है। • हमने समापन तिथि पर इन्वेंट्री को मापने के लिए इकाई द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति पर समझ प्राप्त कर ली है। • हमने भारतीय लेखा मानक-2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं का विश्लेषण और सत्यापन किया है।

मामले के प्रभाव का पैराग्राफ

क) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट से 49 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने 15 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 50%) का निवेश किया है, जिसमें सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु (मेसर्स सुडमो - एचएमटी) में 10 रुपये के 1,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। मेसर्स सुडमो-एचएमटी के पास कोई परिचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी (मेसर्स सुडमो-एचएमटी) को बंद करने के लिए अनुमोदित (फरवरी 2020 / जुलाई 2021) किया है और बंद करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (जुलाई 2021) को प्रस्तुत किया है।

ख) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का आपका ध्यान नोट सं 50 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने 20.84 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 39%) का निवेश किया है, जिसमें गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावनगर (मेसर्स जीएसएमटीसी) में पूरी तरह से भुगतान किए गए 1 रुपये के 20,84,050 इक्विटी शेयर शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित (मार्च 2021) दिया और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीआईआईसी), जीआईआईसी को सहमति पत्र जारी किया (सितंबर 2021) मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दी और उद्योग और खान विभाग को प्रस्ताव (अक्टूबर 2021) प्रस्तुत किया। एचएमटी लिमिटेड ने परिसमापन प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय (अप्रैल 2022) को प्रस्तुत किया।

ग) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का आपका ध्यान नोट सं. 51 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मेसर्स एनएमटीएल) में पूरी तरह से भुगतान किए गए 1 नैरा के 30,00,000 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए अनुमोदन दिया (फरवरी 2020) और प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन मांगा।

घ) हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 3सी- अतिरिक्त जानकारी (डी) और (ई), नोट नंबर 22 अतिरिक्त जानकारी और नोट नंबर 34 (ii) की ओर आकर्षित करते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान और उत्तराखंड सरकार (हस्तांतरणकर्ता) को भूमि के हस्तांतरण से संबंधित, जिसमें कंपनी (हस्तांतरणकर्ता) ने संपूर्ण बिक्री विचार प्राप्त कर लिया है और पहले के वर्षों में भूमि का कब्जा दे दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध का पालन किया गया है। कंपनी ने 980 लाख रुपये के कराधान का प्रावधान किया था जो चालू वर्ष में उलट दिए गए हैं। हालाँकि, भूमि के हस्तांतरण पर लाभ / हानि की पहचान बिक्री विलेख के पंजीकरण के वर्ष में मानी जाएगी।

उपरोक्त मामलों के लिए हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य मामले

1. कंपनी के वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के आंकड़ों का एसएसबी एंड एसोसिएट्स द्वारा ऑडिट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, जिसमें ऑडिटर ने 31-03-2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय प्रदान की है। पिछले ऑडिटर द्वारा दी गई योग्य राय « अनुबंध क» के रूप में दी गई है।

2. हमने कंपनी के इन स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 2440.32 लाख रुपये की कुल परिसम्पतियां तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के अंत में 3,682.11 लाख रुपए का कुल राजस्व दर्शाया गया है। इस शाखा के वित्तीय विवरणों/ सूचना की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षक आर.के. मुले एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, औरंगाबाद द्वारा की गई है, तथा इनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन राशियों का संबंध है, हमारा मत एवं इस यूनिट के संबंध में किए गए प्रकटीकरण केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

3. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के 26,08,99,037 इक्विटी शेयरों और 4,43,00,000 वरीयता शेयरों के लिए भौतिक शेयर प्रमाण पत्र जिनकी लागत क्रमशः 26,089.90 लाख रुपये और 44,300.00 लाख रुपये है, कंपनी के कब्जे में नहीं हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा भिन्न जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सूचना शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उसके संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन रूपी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है अथवा नहीं है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से कोई मिथ्यकथन किया गया प्रतीत होता है अथवा नहीं होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा इक्विटी परिवर्तन कम्पनी की नकदी स्थिति की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टेडएलान वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति रूप अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत /मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व एस में, कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए

गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमने लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020 («आदेश») की अपेक्षाओं के अनुसार, हम अनुबंध-ख में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

   क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

   ख) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले को छोड़कर, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, अर्हताप्राप्त राय के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

   ड) यह इकाई एक सरकारी इकाई है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सरकारी कंपनियों के लिए जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) लागू नहीं होती है। इसलिए, इस पर टिप्पणी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता «अनुबंध-ग» में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

   छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

      i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 32 देखें।

      ii) कंपनी के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो। तद- नुसार, संभावित भावी हानियों के संबंध में किसी प्रकार के प्रावधान किए जाने अपेक्षित नहीं हैं।

      iii) ऐसी कोई राशियां नहीं हैं जिनके लिए कंपनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान अंतरण किए जाने की अपेक्षा हो।

      iv) क) कंपनी के प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के अनुसार यह प्रस्तुति दी है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई भी निधि विदेशी इकाई («मध्यस्थों») सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को कम्पनी द्वारा अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य

किन्हीं स्रोतो अथवा अन्य प्रकार की निधियों में से किसी में से) के लिए इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, अन्य व्यक्तियों अथवा कम्पनी («अंतिम लाभग्राहियों») की ओर से किसी भी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश के लिए अथवा किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए प्रदान की जाएंगी।

ख) कंपनी के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अलावा, जैसा कि खातों के नोट्स में खुलासा किया गया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी फंडिंग पार्टी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ग) हमारे द्वारा परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानकर निष्पादित की गई लेखा- परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण से इस मत की स्थापना होती हो कि उपर्युक्त उल्लेख मे नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत किसी प्रकार का सामग्रीगत मिथ्याकथन किया गया है।

v) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं होता है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित नहीं किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमारी प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं:

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट "अनुबंध घ" में प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVL5456

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध क

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध क, 31 मार्च 2024 को वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर दी गई योग्य राय इस प्रकार है:

1. फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद:

नोट संख्या 2 (ii) (जे) में बताए अनुसार इन्वेंट्री मूल्यांकन के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कच्चे माल का स्टॉक, इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि को अपनाकर किया जाता है। हालाँकि, सत्यापन उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए सूची विवरण में, पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव के कारण स्टॉक मद दरों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। कंपनी के रिकॉर्ड की प्रकृति और पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि कंपनी द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की भारित औसत लागत पद्धति से कोई महत्वपूर्ण विचलन है या नहीं। हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभावों, यदि कोई हो, का पता लगाने में भी असमर्थ हैं।

2. ऑक्सिल्लरी बिज़नस डिविजन, बेंगलूरु

देनदारों और लेनदारों की शेष राशि की पुष्टि न होने के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

3. कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय एवं समग्र कम्पनी:

क) व्यापार प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार देय और अन्य चालू देनदारियों तथा इनके परिणामी शेष की पुष्टि नहीं की गई है, इनसे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव, यदि कोई है, की प्रमात्रा का ज्ञान नहीं किया जा सकता है।

ख) कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मशीन की यथास्थिति प्रदान नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप, हम इससे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) हम आपका ध्यान नोट संख्या 53 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के साथ इसका कोई लेनदेन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह स्थापित करने के लिए उचित ऑडिट साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि उनके पास इस तरह के लेनदेन नहीं है।

घ) कंपनी से इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के लिए अक्षमता हानि के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। तथापि, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हानि भत्तों के प्रावधान के लिए ईसीएल मेट्रिक्स निर्मित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, हम इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVL5456

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ख, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पूर्ण मात्रात्मक विवरण और स्थिति दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है और इसलिए, पैराग्राफ 3(i)(ए)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तीन साल में एक बार भौतिक रूप से सत्यापित किए जाते हैं जिसे कंपनी केक्षमता को देखते हुए उचित माना जाता है।

ऑक्सिल्लरी बिजनेस डिवीजन में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया था और ट्रैक्टर डिवीजन, जिसे बंद कर दिया गया है और सहायक बिजनेस डिवीजन में विलय कर दिया गया है, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया था। सहायक व्यवसाय प्रभाग की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मामले में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

चूंकि हमें ट्रैक्टर डिवीजन (सहायक व्यवसाय प्रभाग, बेंगलुरु के साथ मिश्रित) की नवीनतम भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है, हम ट्रैक्टर डिवीजन की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर विसंगति, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

फूड प्रोसेसिंग इकाई, औरंगाबाद के मामले में सत्यापन के लिए अचल संपत्ति सत्यापन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी और हम फूड प्रोसेसिंग इकाई, औरंगाबाद की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर विसंगति, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), जैसा कि वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत खुलासा किया गया है, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम पर आयोजित किया जाता है

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर आयोजित	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी द्वारा धारित हो	अवधि	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
सिडको से पट्टे पर ली गई भूमि	रु. 5,00,000	सिडको	नहीं		उक्त भूमि पर अतिक्रमण है तथा मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड़) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

ii) क) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर वर्ष के दौरान कंपनी की सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई।

ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा

लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(ii)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वर्ष के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी ने किसी भी इकाई में कोई निवेश नहीं किया है, न ही ऋण या अग्रिम के रूप में कोई ऋण दिया है, न ही किसी इकाई को कोई गारंटी दी है या सुरक्षा प्रदान की है। इस प्रकार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वर्ष के दौरान हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी ने नीचे बताए गए के अलावा अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है या गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है:

विवरण	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि	गारंटी	सुरक्षा
वर्ष के दौरान कुल राशि				
- सहायक	रु.3111.98 लाख	रु.154.31 लाख	-	-
- सहयोगी	-	-	-	-
- संयुक्त उद्यम	-	रु.3.40 लाख	-	-
वर्ष के अंत तक बकाया शेष:				
- सहायक	रु.30582.41 लाख	रु.1599.53 लाख	-	-
- सहयोगी	-	-	-	-
- संयुक्त उद्यम	-	रु.3.40 लाख	-	-

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वर्ष के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी ने सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अलावा किसी भी पक्ष को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है या गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी और कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों का मूलधन और ब्याज 31 मार्च 2024 तक चुकाया जाना है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है

संस्था का नाम	राशि (रु.)	देय तिथि	विलंब की सीमा	यदि कोई हो
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	रु.506.99 लाख	31-03-2019	1827 दिन	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	रु.1,345.47 लाख	31-03-2020	1461 दिन	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	रु.1,640.73 लाख	31-03-2021	1096 दिन	-
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	रु.1,828.65 लाख	31-03-2022	731 दिन	-

ऋण की प्रकृति में अग्रिमों के संबंध में, ऐसे अग्रिमों से संबंधित मूलधन और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान के बारे में कोई शर्त नहीं है और इसलिए, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

घ) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों के संबंध में एक राशि बैलेंस शीट की तिथि पर नब्बे दिनों से अधिक समय से अतिदेय है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है-

मुकदमों की संख्या	मूल राशि अतिदेय	ब्याज अतिदेय	कुल अतिदेय	यदि कोई टिप्पणी हो)
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	रु.30,582.41 लाख	रु.5,321 लाख	रु.35,903.41 लाख	-

ड) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान बकाया होने वाला कोई ऋण नहीं है, जिसे उसी पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि का निपटान करने के लिए नवीनीकृत या बढ़ाया या नया ऋण दिया गया हो।

च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर कंपनी ने किसी भी पक्ष को एक समझौते के तहत ऋण या अग्रिम राशि ऋण के रूप में दी है, जिसमें पुनर्भुगतान की शर्तें और अवधि निर्धारित नहीं है, जो निम्नानुसार हैं:

	सभी पार्टियाँ	प्रमोटरों	संबंधित पार्टी
ऋण/अग्रिमों का कुल योग ऋण की प्रकृति			
- मांग पर प्रतिदेय	रु.3,266.29 लाख	-	रु.3,266.29 लाख
- समझौते में पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है	-	-	-
कुल ऋणों में ऋण की प्रकृति के अनुसार ऋणों/अग्रिमों का प्रतिशत	9.86%		9.86%

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, जमा और किए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या उसके पास कोई राशि है जिसे जमा माना जाता है, जिसमें धारा 73 से 76 के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए कंपनी अधिनियम नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और आरबीआई द्वारा जारी निर्देश लागू होते हैं। इसलिए सीएआरओ का पैराग्राफ 3 (v) कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पाद/सेवाओं के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। इस प्रकार सीएआरओ का पैराग्राफ 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खाते की किताबों में कटौती / अर्जित राशि -टैक्स, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया आम तौर पर कंपनी द्वारा उचित अधिकारियों के साथ वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं, हालांकि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान के मामले में गंभीर देरी हुई है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उपकर और किसी भी अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2024 तक बकाया नहीं थी, सिवाय निम्नलिखित के, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए-

अविवादित बकाया राशि का विवरण			
क्रं.सं	**क़ानून की प्रकृति**	**बकाया राशि की प्रकृति**	**राशि (लाखों रुपए में)**
1	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम	संपत्ति कर	723.65
2	कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा	2.34
3	वैट/सीएसटी	वैट/सीएसटी पर ब्याज	1.24
4	जीएसटी	जीएसटी पर ब्याज	0.16
5	बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका	संपत्ति कर	19.98
6	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	59.14

फूड प्रोसेसिंग मशीनरी इकाई औरंगाबाद के मामले में टीडीएस की कटौती न करने और टीडीएस की कम कटौती के टीसीएस के संग्रह में खामियां थीं। ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाली निर्विवाद वैधानिक देय राशि मात्रात्मक नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, आयकर, माल और सेवा कर, कस्टम ड्यूटी और उपकर का कोई बकाया नहीं है जो किसी अन्य के खाते में जमा नहीं किया गया है नीचे बताया गया है:

विवादित बकाया राशि का विवरण					
क़ानून का नाम	**बकाया राशि की प्रकृति**	**राशि (₹)**	**अवधि जिससे राशि संबंधित है**	**फोरम जहां विवाद लंबित है**	**यदि कोई टिप्पणी हो**
हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अध्यादेश, 2000	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर	486.17	2005 से 2017 तक	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	-
जीएसटी	ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के तहत जी.एस.टी	62.72	वर्ष 2019-2020 के लिए	अपीलीय न्यायाधिकरण	-
जीएसटी	मूल्यांकन के अंतर्गत जी.एस.टी.	25.35	वर्ष 2020-2021 के लिए	जीएसटी विभाग	-
प्रोफेशनल टैक्स	प्रोफेशनल टैक्स	0.04	वर्ष 2023-2024 के लिए	प्रोफेशनल टैक्स विभाग	-
कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि	1210.48	विभिन्न वर्ष	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण	-

(viii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान किसी भी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने अपने ऋणदाता को नीचे बताए गए ऋणों या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है:

ऋण प्रतिभूतियों सहित उधार की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर राशि का भुगतान नहीं किया गया	देरी या भुगतान न किए गए दिनों की संख्या
भारत सरकार ऋण (ब्याज मुक्त) दिनांक 21.01.2017	भारत सरकार	21.01.2018 से रु. 6,073.60 लाख का मुकदमा	2261 दिन
		21.01.2019 से रु 6,073.60 लाख का मुकदमा	1896 दिन
		21.01.2020 से रु 6,073.60 लाख का मुकदमा	1531 दिन
		21.01.2021 से रु 6,073.60 लाख का मुकदमा	1165 दिन
		21.01.2022 से रु. 6,073.60 लाख का मुकदमा	800 दिन
भारत सरकार ऋण (ब्याज मुक्त) दिनांक 16.02.2017	भारत सरकार	16.02.2018 से रु. 4,800.00 लाख का मुकदमा	2235 दिन
		16.02.2019 से रु. 4,800.00 लाख का मुकदमा	1870 दिन
		16.02.2020 से रु. 4,800.00 लाख का मुकदमा	1505 दिन
		16.02.2021 से रु. 4,800.00 लाख का मुकदमा	1139 दिन
		16.02.2022 से रु. 4,800.00 लाख का मुकदमा	774 दिन
भारत सरकार ऋण (ब्याज मुक्त) दिनांक 29.04.2017	भारत सरकार	29.04.2018 से रु. 1,958.00 लाख का मुकदमा	2163 दिन
		29.04.2019 से रु. 1,958.00 लाख का मुकदमा	1798 दिन
		29.04.2020 से रु. 1,958.00 लाख का मुकदमा	1432 दिन
		29.04.2021 से रु. 1,958.00 लाख का मुकदमा	1067 दिन
		29.04.2022 से रु. 1,958.00 लाख का मुकदमा	702 दिन

(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है और इसलिए इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी फंड का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है

ड़) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच/कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण की जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।

(x) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और की गई ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर, सार्वजनिक जारीअनुवर्ती प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठाया गया था।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।

(xi) क) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

ख) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारे द्वारा या कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें दर्शाया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन 2013 के कंपनी अधिनियम की धारा 177 और धारा 188 के अनुपालन में हैं और उसके विवरण को वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है जैसा कि लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक है।

(xiv)(क) हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हम दो शाखाओं अर्थात ऑक्सिल्लरी बिजनेस डिवीजन, बेंगलूरु और फूड प्रोसेसिंग मशीनरी इकाई, औरंगाबाद की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ थे, इसलिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय के मामले में, हमने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है और उस पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

(ख) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

(ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आधारित, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है।

(घ) निष्पादित ऑडिट प्रक्रिया में आधारित, कंपनी या समूह की कोई भी कंपनी कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदनुसार खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।

(xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं के आधार पर हमारा यह मत है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी अपने दायित्वों को, जो बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान हैं, बै जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं।

xx) क) धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी के पास वित्तीय वर्ष में चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में अव्ययित राशि नहीं है।

(ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

वित्तीय वर्ष	"चालू परियोजनाओं" के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च न की गई राशि	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर विशेष खाते में स्थानांतरित की गई राशि	नियत तिथि के बाद हस्तांतरित राशि (जमा की तिथि निर्दिष्ट करें)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
2023-2024	27,80,000	27,80,000	-

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072 एस

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन : 24036508BKDEVL5456

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

अनुबंध – ग 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए "एचएमटी लिमिटेड" के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे यहां «अधिनियम» कहा गया है) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने एचएमटी लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के (अधिनियम) अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा (मार्गदर्शन नोट) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक, वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक हैं।

उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के विकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है,

1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं;

3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हक मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर अपना आंतरिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, हम अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और क्या ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निष्पादित सीमित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमज़ोरियों की पहचान की गई है:

1. फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद

(क) शाखा में इन्वेंट्री के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है क्योंकि वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल और इन्वेंट्री मॉड्यूल के बीच कोई एकीकरण नहीं है।

(ख) शाखा के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पार्टियों से शेष राशि का समाधान करने और पुष्टि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है। इससे देनदारों लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भौतिक कमज़ोरी आ सकती है।

(ग) शाखा ने जीएसटी देयता पर जीएसटी, टीडीएस के उचित रिकॉर्ड और समाधान को बनाए नहीं रखा है, जिसका वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, शाखा के पास वैधानिक बकाया राशि जैसे जीएसटी, टीडीएस, पीएफ, पीटी ईएसआईसी आदि के भुगतान पर नियत तिथि के भीतर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

2. ऑक्सिल्लरी बिज़नस डिविजन, बेंगलूरु

(क) शाखा के पास माल एवं सेवा कर आदि से संबंधित वित्तीय लेखों को संबंधित कर अभिलेखों और रिटर्न के साथ मिलान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों का कम/अधिक विवरण संभव है। इस

तरह के गैर-समाधान से खरीद/अधिप्राप्ति का उचित तरीके से लेखा-जोखा न रखने की संभावना भी उत्पन्न होती है।

(ख) शाखा के पास इन्वेंट्री और इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

(ग) शाखा के पास विभिन्न दुकानों से चालान, बिक्री और इन्वेंट्री पर नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं है।

3. कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय और समग्र कम्पनी

(क) कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकता है।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है, और हमने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072 एस

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन : 24036508BKDEVL5456

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

अनुबंध - घ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एचएमटी लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने बाले क्षेत्रों को इंगित करने वाली हमारी रिपोर्ट के दिशा-निर्देशों के अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3 में संदर्भित

क्र.सं	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
1	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, इसमें एक प्रणाली है जहाँ लेखांकन वाउचर को मैन्युअल रूप से संसाधित और तैयार किया जाता है, उचित प्राधिकरण प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें बाद में आईटी सिस्टम यानी कंपनी द्वारा बनाए गए लेखांकन सॉफ़्टवेयर में दर्ज किया जाता है। कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण है।
2	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसमे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का यथोचित लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है?	हमें प्रदान की गई सूचना एवं कम्पनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं कम्पनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी को भारी उद्योग विभाग से 13.74 लाख रुपए की राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ है जो कम्पनी द्वारा आईआईएम, बंगलौर को कम्पनी की समेकन एवं पुनर्संरचना योजना की वित्तीय एवं रणनीतिक समीक्षा के लिए चुकता किया गया था। जबकि भारी उद्योग की सूचना के अनुसार यह एकमुश्त व्याज मुक्त ऋण है अतः चालू देयताओं में तदनुसार उपचार किया गया है। प्रबंधन ने यह सूचित किया है कि यह इसके संबंध में सुधार कार्रवाई की प्रक्रिया कर रही है। तदनुसार, हम इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि यह केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान है अथवा ऋण है। इसके अलावा कम्पनी के पास 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार प्राप्त रुपये 641.58 करोड़ रुपए के ऋण में से रुपये 28.24 करोड़ का अव्ययित शेष है।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072 एस

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन : 24036508BKDEVL5456

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 सितम्बर, 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है जो दिनांक 09 अगस्त, 2024 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस लेखापरीक्षा का निर्वाह कार्यशील प्रपत्रों की पहुंच के बिना मुख्यत सांविधिक लेखापरीक्षकों से पूछताछ एवं लेखांकन रिकार्ड की चयनित जांच तक सीमित था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों से मेरे द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान कुछ प्रेक्षण किए गए थे, मैं अब सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के प्रति अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा कुछ और उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

M. S. Subrahmanyam
26/09/24

(एम.एस. सुब्रमणयम)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 26 सितम्बर, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

एचएमटी लिमिटेड (''कम्पनी'') भारतीय मूल की एक सरकारी कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन वर्ष 1953 में हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलुरू-560 032 में स्थित है। कम्पनी के शेयर भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी खाद्य प्रस्संकरण मशीनों का निर्माण करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम») की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों («इंड एएस») के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति बीमांकक आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार भारतीय रुपए में, केवल कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा जिनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है, नीचे प्रस्तुत लेखांकन नीतियों के अनुसार की गई है। ऐतिहासिक लागत का सामान्य आधार माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग :

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण («पीपीई») की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण् अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जब:

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

(ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीई की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

(क) निपटान किए पर; अथवा

(ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षों के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यत: प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती हैं, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार [आरओयू] और अपनी पट्टे की व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ-साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं

किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश सम्पत्तिः

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण/निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन:

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में करती है। बिक्री/वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री/वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने/वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

झ) सरकारी अनुदान:

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

ञ) मालसूची:

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृति:

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तों के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री:

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) किराया आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iii) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यत: तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

iv) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

v)वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vi) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी-मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

ढ) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ:

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट के लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से कवर की जाती है।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता («एसए») प्रदान किया जाता है ।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुन: मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना («वीआरएस») के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है।

वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) आय कर:

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रावधान:

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती

है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानि:

i) वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्र:

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो

मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पति:

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पति: वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंडस्ट्रीज़ एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देयता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

viii)सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश:

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ख) बंद परिचालन:

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती

हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती हैं।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापन:

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी/एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

(रुपया लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3क	**768.27**	896.29
निवेश संपत्ति	3ख	**141.20**	160.13
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	4	**71,977.91**	71,977.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	**127.70**	1,415.99
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	5	**47.93**	4.28
अन्य गैर-चालू संपत्तियां	13	**71.74**	67.98
		73,134.75	**74,522.58**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
मालसूचियाँ	6	**1,174.90**	974.81
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य	7	**1,482.98**	1,767.31
नकद और नकदी के समतुल्य	8	**651.69**	7,638.04
नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य शेष	9	**16,807.94**	10,230.86
ऋण	10	**30,582.41**	27,470.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	**5,703.43**	5,661.12
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	**583.70**	965.48
अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	**2,555.61**	2,769.51
		59,542.66	**57,477.56**
बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियाँ	3ग	**296.15**	296.15
		296.15	**296.15**
कुल परिसंपातियाँ		**1,32,973.56**	**1,32,296.29**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
शेयर पूंजी	14	**35,560.16**	35,560.16
अन्य इक्विटी	15	**10,317.79**	7,832.74
कुल इक्विटी		**45,877.95**	**43,392.90**
गैर-चालू परिसंपातियाँ			
वित्तीय देनदारियां			
गैर-वर्तमान वित्तीय देयता	17	**-**	-
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	18	90.87	241.01
		90.87	**241.01**

31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

(रुपया लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	16	**64,171.74**	64,171.74
व्यापार देयताएं	19		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल बकाया राशि		**150.90**	10.52
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		**1,693.70**	417.56
अन्य वित्तीय देयताएं	20	**3,686.00**	3,686.00
अन्य चालू देयताएँ	21	**16,687.31**	19,065.62
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	18	**256.82**	130.93
अन्य	23	**288.19**	285.35
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	22	**70.08**	894.66
		87,004.74	**88,662.38**
योग देयताएँ		**87,095.61**	**88,903.39**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**1,32,973.56**	**1,32,296.29**

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग लेखांकन नोट

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन : 010072एस

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVC1090
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(रुपया लाख में)

विवरण	नोट्स	समाप्त वर्ष 31-03-2024 को	समाप्त वर्ष 31-03-2023 को
जारी परिचालन			
परिचालनों से राजस्व	24	**4,791.24**	5,159.25
अन्य आय	25	**5,126.72**	4,837.33
योग आय		**9,917.96**	**9,996.58**
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	26	**3,455.23**	4,285.60
तैयार माल, व्यापार भंडार की मालसूचियों में परिवर्तन तथा कार्य प्रगति पर	27	**(143.36)**	(178.80)
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**754.87**	734.27
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	29	**210.54**	210.84
वित्त लागतें	30	**0.32**	12.69
अन्य व्यय	31	**3,893.02**	3,441.37
योग व्यय		**8,170.62**	**8,505.97**
अपरिहार्य मदों से पूर्व लाभ / (हानि) तथा जारी परिचालनों से कर		**1,747.34**	**1,490.61**
उत्तर मादें	32	**-**	-
जारी परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)		**1,747.34**	**1,490.61**
(1) चालू कर		**320.00**	1,180.00
(2)आस्थगित कर		**(35.07)**	13.39
(3) पिछली अवधियों से संबंधित कर का समायोजन		**(980.00)**	(408.60)
		(695.07)	**784.79**
चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**2,442.41**	**705.82**
बंद परिचालन		**-**	**-**
वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)		**2,442.41**	**705.82**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(रुपया लाख में)

विवरण	नोट्स	समाप्त वर्ष 31-03-2024 को	समाप्त वर्ष 31-03-2023 को
अन्य व्यापक आय			
अनुवर्ती अवधियों में लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत न की जाने वाली अन्य व्यापक आय			
परिभाषित लाभ योजना के पुनर्मापन लाभ (हानियां)		**34.06**	27.70
कर व्यय / (आय)		**(8.58)**	6.97
अनुवर्ती अवधियों में लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत न की जाने वाली निवल आँय व्यापक आय।		**42.64**	**20.73**
वर्ष में व्यापक आय का योग, कर का निवल		**2,485.05**	**726.55**
जारी परिचालनों से प्रति शेयर आय	39		
i) मूल, इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**0.69**	0.20
ii) डाय्ल्युटिड, इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**0.69**	0.20
बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
i) मूल, इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
ii) डाय्ल्युटिड, इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
जारी एवं बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
i) मूल, वर्ष में इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		**0.69**	0.20
ii) वर्ष में डाय्ल्युटिड, इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		**0.69**	0.20

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग लेखांकन नोट

हमारी समतिथि की संलग्न्न रिपोर्ट के अनुसार कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन : 010072एस

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVC1090
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(रुपया लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-03-2024 को	समाप्त वर्ष 31-03-2023 को
परिचालन गतिविधियां		
जारी परिचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	**1,747.34**	1,490.61
कर पूर्व लाभ	**1,747.34**	**1,490.61**
निवल नकदी प्रवाह के कर पूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास और हानि	**191.61**	191.12
निवेश सम्पतियों का मूल्यह्रास	**18.93**	19.72
सरकारी अनुदान का परिशोधन	**-**	(11.13)
संपति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लाभ	**-**	(76.48)
ब्याज आय	**(2,781.26)**	(2,106.67)
वित्त लागतें	**0.32**	12.69
कार्यशील पूंजी समायोजन :		
प्रावधानों, उपदान एवं सरकारी अनुदानों में मूवमेंट	**(37.64)**	3,891.28
व्यापार एवं अन्य प्राप्यों तथा पुनर्भुगतानों में वृद्धि	**240.45**	(727.37)
मालसूचियों (बढ़त)/घटती	**(195.57)**	(104.35)
व्यापार एवं अन्य देयों में वृद्धि	**(961.79)**	8,978.03
	(1,777.61)	11,557.45
आय कर (चुकता) / रिवर्सड	**217.20**	(377.42)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(1,560.41)**	**11,180.03**
निवेश गतिविधियां		
संपति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से लाभ	**-**	76.52
संपति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय	**(63.59)**	(446.55)
बैंकों में जमा	**(6,577.08)**	(4,352.78)
प्राप्त ब्याज	**1,215.05**	860.45
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	**(5,425.62)**	**(3,862.36)**
वित्तीय गतिविधियां		
चुकता ब्याज	**(0.32)**	(1.56)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(रुपया लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-03-2024 को	समाप्त वर्ष 31-03-2023 को
ऋणों का पुनर्भुगतान	-	-
वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	**(0.32)**	**(1.56)**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि	**(6,986.35)**	7,316.11
निवल विदेशी मुद्रा विनिमय दर	-	-
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यी	**7,638.04**	321.93
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**651.69**	**7,638.04**
वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग लेखांकन नोट		

1) उक्त विवरण का निर्माण इंड एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से किया गया है

2) नकदी एवं नकदी समतुल्यों को नोट संख्या 7 के अनुसार विचार में लिया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर एन .:010072S

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVC1090
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 की स्थिति

(रुपया लाख में)

1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
35,560.16	-	**35,560.16**

31 मार्च 2023 की स्थिति

(रुपया लाख में)

1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 20243 को शेष
35,560.16	-	35,560.16

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 की स्थिति

(रुपया लाख में)

	रिजर्व और अधिशेष		अन्य व्यापक आय		कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र	अन्य मदें	
1 अप्रैल 2023 को शेष	13,453.11	(3,879.55)	-	(1,740.82)	**7,832.74**
बंद परिचालन	-	-	-	-	-
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापन	-	-	-	**42.64**	**42.64**
(डीडीटी) सहित लाभांश	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	**2,442.41**	-	-	**2,442.41**
31 मार्च 2024 को शेष	**13,453.11**	**(1,437.14)**	-	**(1,698.18)**	**10,317.79**

31 मार्च 2023 की स्थिति

(रुपया लाख में)

	रिजर्व और अधिशेष		अन्य व्यापक आय		कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र	अन्य मदें	
1 अप्रैल 2022 को शेष	13,453.11	(4,585.37)	-	(1,761.55)	**7,106.19**
बंद परिचालन	-	-	-	-	**-**
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापन	-	-	-	20.73	**20.73**
(डीडीटी) सहित लाभांश	-	-	-	-	**-**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	705.82	-	-	**705.82**
31 मार्च 2023 को शेष	**13,453.11**	**(3,879.55)**	**-**	**(1,740.82)**	**7,832.74**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार अनुसार कृते एवं एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की ओर से

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर एन .:010072S

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVC1090
स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

3ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपया लाख में)

	भूमि एवं भूमि विकास	भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिटिंग और कार्यालय उपकरण	विशेष	परिवहन वाहन	भूमि-पट्टाधारिता	कुल
सकल वहन मूल्य								
1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	**158.19**	**759.84**	**10,834.20**	**465.27**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**12,922.13**
परिवर्धन	-	131.57	16.51	2.41	-	-	-	**150.49**
निपटान	-		(40.01)	(0.09)	-	-	-	**(40.10)**
31 मार्च 2023 तक की स्थिति	**158.19**	**891.41**	**10,810.70**	**467.59**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**13,032.52**
परिवर्धन/समायोजन	-	48.26	13.98	1.35	-		-	**63.59**
निपटान	-	-	(0.34)	0.34	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक की स्थिति	**158.19**	**939.67**	**10,824.34**	**469.28**	**623.99**	**63.55**	**17.09**	**13,096.11**
संचित मूल्यह्रास								
31 मार्च 2022 तक की स्थिति	**-**	**370.19**	**10,462.21**	**457.96**	**620.91**	**63.55**	**10.35**	**11,985.17**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	60.96	128.63	1.40	-	-	0.13	**191.12**
निपटान/समायोजन	-		(39.97)	(0.09)	- -	-	-	**(40.06)**
31 मार्च 2024 तक की स्थिति	**-**	**431.15**	**10,550.87**	**459.27**	**620.91**	**63.55**	**10.48**	**12,136.23**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	89.44	99.75	2.30	-	-	0.12	**191.61**
निपटान/समायोजन	-		(1.06)	1.06	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक की स्थिति	**-**	**520.59**	**10,649.56**	**462.63**	**620.91**	**63.55**	**10.60**	**12,327.84**
निवल वहन मूल्य								
31 मार्च 2024 तक की स्थिति	**158.19**	**419.08**	**174.78**	**6.65**	**3.08**	**-**	**6.49**	**768.27**
31 मार्च 2023 तक की स्थिति	158.19	460.26	259.83	8.32	3.08	-	6.61	896.29

निवल वहन मूल्य	**31-03-2024**	**31-03-2023**
संयंत्र संपत्ति और उपकरण	**768.27**	896.29

अतिरिक्त सूचना :

क) इंड एस-36 के अनुसार परिसम्पत्तियों की अक्षमता हानि के कारण हानि के लेखांकन की मात्रा - शून्य

भूमि

ख) कम्पनी के पास औरंगाबाद में 30 एकड़ माप की भूमि है जिसमें से 5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण की गई भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ग) अस्थायी रूप से बेकार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बहन राशि:-शून्य

घ) किसी भी पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सकल बहन राशि जो अभी भी 10873.48 लाख रुपये का उपयोग कर रही है।

ड) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की चहन राशि सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गई है और इसे सहायक व्यवसाय प्रभाग में भारतीय एएस 105 के अनुसार बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसकी राशि 53.49 लाख रुपये है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	भूमि एवं भूमि विकास	भवन	कुल
3ख. निवेश संपत्ति			
सकल वहन मूल्य			
1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	**10.75**	**1,444.97**	**1,455.72**
परिवर्धन	-	-	-
कटौती/समायोजन	-	-	-
1 अप्रैल 2023तक की स्थिति	**10.75**	**1,444.97**	**1,455.72**
परिवर्धन	-	-	-
कटौती/समायोजन	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति	**10.75**	**1,444.97**	**1,455.72**
मूल्यह्रास और हानि			
1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति	**-**	**1,275.87**	**1,275.87**
मूल्यह्रास	-	19.72	19.72
कटौती/समायोजन		-	-
1 अप्रैल 2024तक की स्थिति	**-**	**1,295.59**	**1,295.59**
मूल्यह्रास		18.93	18.93
कटौती/समायोजन		-	-
1 अप्रैल 2024तक की स्थिति	**-**	**1,314.52**	**1,314.52**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च 2024 तक की स्थिति	**10.75**	**130.45**	**141.20**
31 मार्च 2023 तक की स्थिति	10.75	149.38	160.13

अतिरिक्त सूचना:

i) कंपनी ने कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है जो मालिक के कब्जे वाली संपत्ति नहीं है।

ii) कंपनी ने पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया है। हालाँकि, मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 4,32,935.93 लाख रुपये (31 मार्च, 2022 तक 2,27,020.15 लाख रुपये) है।

iii) **भूमि:**

(क) कंपनी के पास पिंजौर, कलमस्सेरी और हैदराबाद में स्थित भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई है, क्रमशः 382.54 एकड़, 27 एकड़ और 660.75 एकड़ है, जिसका मूल्य Rs1/- नाममात्र है।

(ख) हैदराबाद के भूमि में से हैदराबाद में विभिन्न सरकारी विभागों को 28.40 एकड़ के क्षेत्रफल पट्टे पर दिया गया था। हस्तांतरण के लिए पंजीकरण लंबित होने के कारण, कंपनी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ एक विनिमय समझौते के अंतर्गत 14.20 एकड़ भूमि के प्रति 14.20 एकड़ भूमि जारी करने पर सहमत हुई है। कंपनी ने 1,000 वर्ग गज भूमि भी पट्टे पर ली है, जिसके लिए हक विलेख किया गया था तथा हैदराबाद में तेलंगाना (पहले आंध्र प्रदेश के नाम से ज्ञात) डाक विभाग को दो एकड़ और भूमि और दिए जाने के लिए सहमति हुई थी, भूमि के लिए बिक्री विलेख अभी नहीं किया गया है। कंपनी ने तेलंगाना सरकार (पहले आंध्र प्रदेश के नाम से ज्ञात) द्वारा 106 एकड़ और 35 गुंटा भूमि का कब्जा पुनः किए जाने के प्रति माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। । हैदराबाद में कंपनी के स्वामित्व वाली 300 एकड़ भूमि को तेलंगाना सरकार (पहले आंध्र प्रदेश के नाम से ज्ञात) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के भुगतान के बदले में और विपणन योग्य शेष भूमि जारी करने के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

अतिरिक्त सूचना:

निवेश संपत्ति की आय और व्यय से संबंधित सूचना (रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	**382.25**	380.26
किराया उत्पति आय के लिए प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित)	**(312.89)**	(355.66)
किराया आय उत्पति न करने वाली संपति की प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत एवं अनुरक्षण सहित)	**(2.54)**	(2.47)
मूल्यह्रास एवं साउदी निवेश पूर्व निवेश सम्पति से उत्पन्न लाभ /(हानी)	**66.82**	22.13
घटाएं - मूल्यह्रास	**18.93**	19.72
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**47.89**	**2.41**

3ग. बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसम्पतियां (रुपया लाख में)

	की स्थिति 31-मार्च-24	**की स्थिति 31-मार्च-23**
परिसंपत्ति की प्रकृति		
भूमि	**24.13**	24.13
भवन	**272.02**	272.02
कुल	**296.15**	**296.15**

अतिरिक्त सूचना:

क) कंपनी के पास बेंगलूरु में 5.80 एकड़ भूमि है, जिसे बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा एक इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन (आईए) दाखिल करने के कारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। इसे मामले के अंतिम परिणाम पर निपटाया जाएगा।

ख) भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड (बंद होने के तहत) की अचल संपत्तियों को वर्ष 2022-23 के दौरान 296.06 लाख रुपये के बही मूल्य पर एचएमटी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकार सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं और एचएमटी लिमिटेड इन संपत्तियों का निपटान होने तक संरक्षक है और लागू खर्चों और करों की कटौती के बाद बिक्री आय का हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।

ग) कंपनी के पास बेंगलुरु में 89.74 एकड़ की उपहार भूमि का कब्जा है, जिसमें से 7 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और अनधिकृत कब्जेदारों को स्थानांतरित करने के लिए मामला कर्नाटक सरकार के समक्ष उठाया गया है।

घ) कंपनी ने 45.622 एकड़ भूमि के कब्जे की अनुमति दी है और 7202.10 लाख रुपये की पूरी बिक्री पर विचार किया है और पंजीकरण के लिए लंबित है।

ङ) उपर्युक्त भूमि से प्राप्त बिक्री आय को लागू कर लगाने के बाद भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
4. वित्तीय परिसम्पतियां		
इक्विटी प्रपत्रों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश (एफवीटीओसीआई)		
अनुदृधृत इक्विटी शेयर (पूर्ण चुकता)		
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड में। नायरा प्रत्येक के पूर्ण चुकता 30,00,000 (पिछले वर्ष : 30,00,000) इक्विटी शेयर	**-**	-
योग एफवीटीओसीआई निवेश	**-**	**-**
सहायक कम्पनियों, सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में लागत पर निवेशः		
संयुक्त उद्यम में निवेश		
1,50,000 (पिछले वर्षः 1,50,000) सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु में 10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	**15.00**	15.00
सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश		
गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावनगर में 20,84,050 (पिछले वर्ष: 20,84,050) 1/- रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	**-**	-
सहायक कंपनियों में निवेश		
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरु में 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता 7,20,000 (पिछले वर्ष: 7,20,000) इक्विटी शेयर 6,90,000 (पिछले वर्ष: 6,90,000) बोनस शेयर सहित	**3.00**	3.00
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु में 10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण चुकता 27,65,99,137 (पिछले वर्ष: 27,65,99,137) इक्विटी शेयर	**27,659.91**	27,659.91
एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, बेंगलूरु में 10 रुपए मूल्य के पूर्ण चुकता 64,90,100 (पिछले वर्षः 64,90,100) इक्विटी शेयर	**649.01**	649.01
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी प्रपत्रों में कुल निवेश	**28,326.92**	**28,326.92**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	31-मार्च -24 की स्थिति	31-मार्च -23 की स्थिति
वरीयता शेयरों में निवेश		
सहायक कंपनियों में निवेश		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बैंगलोर (सहायक कंपनी) में 100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 4,43,00,000 (पिछले वर्ष: 4,43,00,000) 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयर	**44,300.00**	44,300.00
वरीयता शेयरों में कुल निवेश	**44,300.00**	**44,300.00**
योग	**72,626.92**	**72,626.92**
घटाएं : सहायक कम्पनियों में निवेश के लिए भत्ता		
एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बेंगलूरू	**649.01**	649.01
	649.01	**649.01**
योग निवेश	**71,977.91**	**71,977.91**
चालू		
गैर चालू	**71,977.91**	71,977.91
उद्धृत निवेश की कुल राशि	**-**	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि	**72,626.92**	72,626.92
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल राशि	**649.01**	649.01

अतिरिक्त सूचनाः

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु बीआईएफआर के लिए संदर्भित कंपनी है तथा इसके द्वारा 26,08,99,037 इक्विटी शेयरों और 4,43,00,000, 3.5% वरीयता शेयरों के संबंध में शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार से स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रति छूट मांगी गई है। आदेश की प्राप्ति लंबित होने के कारण, कंपनी द्वारा अभी शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	31-मार्च -24 की स्थिति	31-मार्च -23 की स्थिति
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)		
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**73.69**	79.80
घटाएं: आस्थगित कर देयता	**25.76**	75.52
	47.93	**4.28**
6. मालसूचियां		
कच्ची सामग्रियां एवं कंपोनेन्टस	**210.12**	162.90
कार्य प्रगति पर	**326.65**	279.44
तैयार माल	**57.64**	167.75
व्यापार भंडार	**799.52**	593.26
भंडार एवं पुर्जे	**24.64**	21.41
टूल्स और उपकरण	**30.21**	28.45
रद्दी सामान	**0.69**	0.69
	1,449.47	1,253.90
घटाएं: अचल माल सूची के लिए प्रावधान	**274.57**	279.09
	1,174.90	**974.81**
7. व्यापार प्राप्य		
प्रतिभूत, अच्छा समझा गया	-	-
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	**1,482.98**	1,767.31
संदिग्ध	**7,610.77**	9,933.52
	9,093.75	11,700.83
संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ता		
अप्रतिभूत, समझा गया	**7,610.77**	9,933.52
	1,482.98	**1,767.31**

कम्पनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से पृथक पृथक अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य नहीं है तथा न किन्हीं ऐसी फर्मों अथवा निजी कम्पनियों से क्रमशः कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य हैं जिनमें निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा नथवा सदस्य हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

7 क उपयोज्यता कल वार विवरण

चालू वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति (रुपया लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह से - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	704.52	670.66	74.86	17.68	15.26	**1,482.98**
अप्रतिभूत, संदेहास्पद समझा गया					93.69	**93.69**
विवादित-अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	**-**
विवादित-संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	7,517.08	**7,517.08**
	704.52	**670.66**	**74.86**	**17.68**	**7,626.03**	**9,093.75**

पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत के अनुसार स्थिति

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह से - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	1,705.71	23.47	7.68	4.80	25.65	**1,767.31**
अप्रतिभूत, संदेहास्पद समझा गया					93.69	**93.69**
विवादित-अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	**-**
विवादित-संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	9,839.83	**9,839.83**
	1,705.71	**23.47**	**7.68**	**4.80**	**9,959.17**	**11,700.83**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	31-मार्च -24 की स्थिति	31-मार्च -23 की स्थिति
8. नकदी और नकदी समतुल्य:		
चालू खाता	**615.56**	307.76
तीन महीने अथवा कम की परिपक्वता वाली जमा	**-**	7,330.08
नकदी और उपलब्ध चैक	**36.13**	0.20
	651.69	**7,638.04**

*रुपए शामिल हैं। एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयर धारकों को 9.79 लाख रुपये देय (एस्क्रो खाते में)

9. नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष		
तीन माह से अधिक किंतु बारह माह से कम परिपक्वता वाली जमाराशि	**15,693.95**	9,839.52
शेष परिपक्वता अवधि बारह महीने से कम वाली जमाराशि	**1,113.99**	391.34
	16,807.94	**10,230.86**
10. ऋण		
अप्रतिभूत		
सहायक कंपनियों को ऋण		
अच्छा समझा गया		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	**30,582.41**	27,470.43
योग	**30,582.41**	**27,470.43**
11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर चालू		
बारह से अधिक माह की परिपक्वता वाले बैंकों में जमा	**120.75**	1,388.83
ब्याज उपचय एवं देय	**6.95**	27.16
	127.70	**1,415.99**
चालू		
बैंक जमा पर अर्जित और देय ब्याज	**381.58**	289.27
सहायक कम्पनियों को दिए गए ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	**5,321.85**	5,371.85
	5,703.43	**5,661.12**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	31-मार्च -24 की स्थिति	31-मार्च -23 की स्थिति
12.चालू कर संपत्ति / (देयता) (शुद्ध)		
अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य	**652.78**	1,034.56
घटाएं: चालू कर प्रावधान	**69.08**	69.08
	583.70	**965.48**
13. अन्य चालू संपत्तियां		
गैर चालू		
जमा	**71.74**	67.98
	71.74	**67.98**
चालू		
सहायक कंपनियों को अग्रिम		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	**1,288.02**	1,198.30
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	**311.51**	246.92
	1,599.53	1,445.22
अग्रिम और अन्य प्राप्त		
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
प्रतिभूत		
अच्छा समझा गया	**-**	-
अप्रतिभूत		
अच्छा समझा गया #	**778.55**	1,162.72
संदिग्ध समझा गया	**362.27**	378.18
	1,140.82	1,540.90
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**362.27**	378.18
	778.55	1,162.72
व्यापार प्राप्य पर ब्याज	**8,217.64**	5,924.75
घटाएं: व्यापार प्राप्य पर ब्याज के लिए भत्ता	**8,217.64**	5,924.75
	-	-
सीमा शुल्क क्लेक्टर	**-**	-
जमा	**177.53**	161.57
	2,555.61	**2,769.51**

अतिरिक्त सूचनाः

 # शामलि

क) पिंजौर, हरियाणा में स्थित 446.02 एकड़ भूमि का अंतरण एचएसआईआईडीसी (412.69 एकड़) तथा भारतीय रेल (33.33 एक को वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया है तथा 31.3. 2024 की स्थिति के अनुसार एचएसआईआईडीसी से 4.99/- लाख (पि वर्ष 4.99/-लाख) प्राप्ति के लिए शेष हैं।

ख) संयुक्त उद्यम को 3.40 लाख रुपए तथा 8.70 लाख रुपए का अग्रिम (पिछले वर्ष)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

		31-मार्च -2024 की स्थिति		31-मार्च -2023 की स्थिति	
		नहीं	**राशि**	**नहीं**	**राशि**
14	**इक्विटी शेयर पूंजी**				
	प्राधिकृत शेयर पूंजी				
	10 रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर	***1,23,00,00,000***	***1,23,000.00***	*1,23,00,00,000*	*1,23,000.00*
		1,23,00,00,000	***1,23,000.00***	*1,23,00,00,000*	*1,23,000.00*
	जारी, अंशद एवं चुकताः				
	10 रुपए मूल्य प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
	वर्ष के प्रारंभ में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16
	वर्ष के दौरान जारी	**-**	**-**	**-**	**-**
	वर्ष के दौरान कमी	**-**	**-**	-	-
	वर्ष के अंत में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16

अतिरिक्त सूचनाः

1 इक्विटी शेयर :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है।प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रूपए में किया जाता है।

कम्पनी का ऋणशोधन होने की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, सभी वरीयता राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की शेष परिसम्पतियों की प्राप्ति के पात्र होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

2 कम्पनी के शेयरों का 5% से भी अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
इक्विटी शेयर :				
भारत के माननीय राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	**78.62%**	27,95,66,626	78.62%
विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि	**6,75,38,614**	**18.99%**	6,75,38,614	18.99%

3 **वर्ष के अंत प्रोमोटरों द्वारा धारित शेयर**

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के माननीय राष्ट्रपति	**27,95,66,626**	27,95,66,626	**78.62%**	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

		31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
15	अन्य इक्विटी:		
i)	**सामान्य रिजर्व:**		
	पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**13,453.11**	**13,453.11**
ii)	**धारित आय:**		
	पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**(3,879.55)**	(4,585.37)
	समायोजन:		
	लाभ एवं हानि विवरण में से आतरित राशि	**2,442.41**	705.82
		(1,437.14)	**(3,879.55)**
iii)	**एफवीटीओसीआई रिजर्व:**		
	पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**(1,740.82)**	(1,761.55)
	समायोजन:		
	भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर		
	- परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	**42.64**	20.73
		(1,698.18)	**(1,740.82)**
	योग	**10,317.79**	**7,832.74**

16.	**ऋण**		
	चालू		
	अप्रतिभूत ऋण		
	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	-	-
	भारत सरकार से ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फ़ुट नोट 1 देखें)	**64,158.00**	64,158.00
	भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फ़ुट नोट 2 देखें)	**13.74**	13.74
	कुल वर्तमान ऋण	**64,171.74**	**64,171.74**
	कुल प्रतिभूत ऋण	-	-
	कुल अप्रतिभूत ऋण	**64,171.74**	64,171.74

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

1. डिफ़ॉल्ट की अवधि और राशि निम्न प्रकार से है:

ऋण प्राप्ति की प्रकृति [ब्याज मुक्त]	ऋणदाता का नाम	किस्त की राशि और चूक की अवधि (रु. लाख में)	दिनों की संख्या विलंब या अवैतनिक
i) भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 21.01.2017	भारत सरकार	क) 21.01.2018 से 6,073.60 लाख रुपये देय।	2,260
		ख) 21.01.2019 से 6,073.60 लाख रुपये देय।	1,895
		ग) 21.01.2020 से 6,073.60 लाख रुपये देय	1530
		घ) 21.01.2021 से 6,073.60 लाख रुपये देय।	1164
		ई) 21.01.2022 से 6,073.60 लाख रुपये देय।	799
ii) भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 16.02.2017	भारत सरकार	क) 16.02.2018 से 4,800 लाख रुपये देय।	2,234
		ख) 16.02.2019 से 4,800 लाख रुपये देय।	1869
		ग) 16.02.2020 से 4,800 लाख रुपये देय।	1504
		घ) 16.02.20121 से 4,800 लाख रुपये देय।	1,138
		ड) 16.02.2020 २से 4,800 लाख रुपये देय।	773
iii) भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 29.04.2017	भारत सरकार	क) 29.04.2018 से 1,958 लाख रुपये देय।	2,162
		ख) 29.04.2019 से 1,958 लाख रुपये देय।	1797
		ग) 29.04.2020 से 1,958 लाख रुपये देय।	1431
		घ) 29.04.2021से 1,958 लाख रुपये देय।	1,066
		ड) 29.04.2022 से 1,958 लाख रुपये देय।	701

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी को आईआईएम, बेंगलूरु को कम्पनी के समेकन एवं पुनर्संरचना के संबंध में वित्तीय एवं रणनीतिक समीक्षा हेतु परामर्शी प्रभार के रूप में चुकता किए गए 13.74 लाख रुपए की प्राप्ति धनवापसी के रूप में हुई है। कम्पनी द्वारा भारी उद्योग विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है कि क्या यह राशि अनुदान है अथवा ऋण है। प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर इसे वर्ष में आय अथवा ऋण के रूप में इसका उपचार भारी उद्योग विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के वर्ष में किया जाएगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
17. गैर चालू वित्तीय दायित्व		
आस्थगित सरकारी अनुदान	-	-
18. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर चालू		
उपदान	**(118.93)**	(10.99)
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**134.10**	135.51
सैटलमेंट भत्ता	**33.81**	41.36
भविष्य निधि	**41.89**	75.13
	90.87	**241.01**
चालू		
उपदान	**140.48**	46.02
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**52.68**	27.97
सैटलमेंट भत्ता	**8.78**	2.06
वेतन एवं वेतन संशोधन बकाया (1992-1995)	**54.88**	54.88
	256.82	**130.93**
19. व्यापार देय		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	**150.90**	10.52
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	**1,693.70**	417.56
कुल	**1,844.60**	**428.08**

19क आयुवार विवरण
चालू वित्त वर्ष के अंत तक:

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				योग
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	150.00	0.59	-	0.31	**150.90**
अन्य	1,265.03	279.95	2.25	146.47	**1,693.70**
विवादित बकाया - एमएसएमई					-
विवादित बकाया - अन्य					-
	1,415.03	**280.54**	**2.25**	**146.78**	**1,844.60**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में: (रुपया लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				योग
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	10.52	-	-	-	**10.52**
अन्य	266.82	3.10	4.20	143.44	**417.56**
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	277.34	**3.10**	**4.20**	**143.44**	**428.08**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ("एमएसएमईडी") को बकाया राशि का ब्यौरा कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के निम्नानुसार है:

विवरण	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
उपरोक्त पर देय ब्याज और अवैतनिक ब्याज	**150.90**	10.52
बकाया राशि का वास्तविक भुगतान	**2.00**	2.00
होने तक आगामी वर्ष में देय शेष ब्याज	**-**	-
ब्याज भुगतान *	**-**	-
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित तथा अप्रदत्त ब्याज।	**2.00**	2.00

* इसमें एमएसएमईडी विक्रेताओं के साथ किए गए अंतिम निपटान के कारण वापस की गई राशि शामिल है।

20.अन्य वित्तीय देयताएं

	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
3.5% वरीयता शेयर पूंजी (डिफ़ॉल्ट)	**3,686.00**	3,686.00
योग	**3,686.00**	**3,686.00**

अतिरिक्त सूचना :

1. 3.5% वरीयता शेयर पूंजी

प्रत्येक प्रतिदेय वरीयता शेयर का सममूल्य रु. 100/- प्रति शेयर है और यह 3 वर्षों के बाद प्रतिदेय है। वरीयता शेयरों पर प्रति वर्ष 3.5% का लाभांश मिलता है और संचित लाभांश का संचयी लाभांश इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाता है। लाभांश अधिकार संचयी हैं। परिसमापन की स्थिति में वरीयता शेयर इक्विटी शेयरों से आगे होते हैं।

जनवरी 2016 के दौरान सीसीईए अनुमोदन और डीएचआई के निर्देशों के अनुसार, 100/- रुपये प्रति (रुपये 44,300.00 लाख) के 4,43,00,000 में से 4,06,14,000 (रुपये 40,614.00 लाख) के 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों को कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड को दिए गए ऋण और अग्रिम को समाप्त कर दिया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति

शेष 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों के लिए 29 मार्च 2007 की मंजूरी संख्या एफ.नं.5.1(1)/2005.पी.ई.एक्स द्वारा कंपनी को स्वीकृत पुनरुद्धार योजना को बिक्री आय से वरीयता शेयर पूंजी के मोचन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की अधिशेष संपत्तियों की पहचान की गई। चूंकि पहचानी गई परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं हुई है जो कि मोचन के लिए पूर्व शर्त है, शेष 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयर पूंजी का मोचन नहीं गया है।

21. अन्य देयताएं

चालू		
सहायक कंपनियों को देय	**-**	-
अग्रिम रूप में प्राप्त राजस्व	**90.79**	1,007.12
भूमि की बिक्री से प्राप्त अग्रिम (संदर्भ: टिप्पणी संख्या उसी-अतिरिक्त जानकारी (डी) और (ई)	**8,128.74**	8,128.74
उपार्जित व्यय	**1,510.99**	1,558.38
न्य देयताएँ (जमा बयाना राशि, वैधानिक बकाया, आदि)	**6,956.79**	8,371.38
योग	**16,687.31**	**19,065.62**

22.चालू कर देयताएँ

चालू कर प्रावधान	**320.00**	1,180.00
घटाएँ: अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य	**249.92**	285.34
योग	**70.08**	**894.66**

23. प्रावधान अन्य

	वारण्टी दावे	अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान	अन्य	कुल
1 अप्रैल 20223 की स्थिति	**7.04**	**1.25**	**277.06**	**285.35**
वर्ष के दौरान उत्पन्न	**2.84**	**-**	**-**	**2.84**
प्रयुक्त	**-**	**-**	**-**	**-**
रिवर्स की गई अप्रयुक्त राशियां	**-**	**-.**	**-**	**-**
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**9.88**	**1.25**	**277.06**	**288.19**
चालू	9.88	1.25	277.06	288.19
	-			
1 अप्रैल 2022की स्थिति	6.39	1.25	277.31	**284.95**
वर्ष के दौरान उत्पन्न	4.50	-	-	**4.50**
प्रयुक्त	(3.85)	-	(0.25)	**(4.10)**
रिवर्स की गई अप्रयुक्त राशियां	-	.	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**7.04**	**1.25**	**277.06**	**285.35**
चालू	7.04	1.25	277.06	285.35

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
24. संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	**764.34**	575.12
घड़ियाँ	**1,158.66**	726.22
पुर्जे और सहायक उपकरण	**108.69**	151.37
पाउडर परियोजना से राजस्व	**2,679.58**	3,679.63
	4,711.27	5,132.34
सेवाओं की बिक्री		
विविध नौकरियाँ और विविध बिक्री	**79.97**	12.21
पैकिंग/अग्रेषण शुल्क	**-**	14.70
	79.97	26.91
संचालन से राजस्व	**4,791.24**	**5,159.25**
25. अन्य आय		
ब्याज आय		
बैंक जमा पर ब्याज आय	**1,206.97**	693.89
सहायक कंपनियों से एचसी ऋण पर प्राप्त ब्याज	**1,544.11**	1,412.40
डीलरों/अन्य से ब्याज	**30.18**	0.38
	2,781.26	2,106.67
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	**-**	-
अन्य आय		
स्टाफ/अन्य से वसूली	**357.14**	345.70
सहायक कंपनियों से रॉयल्टी	**8.82**	3.86
किराए से आय	**1,776.56**	1,973.18
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	**-**	76.48
वापस लिखे गए प्रावधान	**84.47**	125.77
सरकारी अनुदान का परिशोधन	**-**	11.13
अन्य गैर संचालन आय	**118.47**	194.54
	2,345.46	2,730.66
कुल अन्य आय	**5,126.72**	**4,837.33**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
26. उपभोग की गई सामग्री की लागत		
कच्चा माल और घटक		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**162.90**	194.49
जोड़ें: क्रय	**3,480.16**	4,190.09
	3,643.06	4,384.58
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**210.12**	162.90
कच्चे माल और उपभोग किए गए घटकों की लागत	**3,432.94**	4,221.68
स्टोर, स्पेयर, उपकरण और पैकिंग सामग्री की खपत	**22.29**	63.92
कुल उपभोग किया गया कच्चा माल और घटक	**3,455.23**	**4,285.60**
उपभोग की गई सामग्री का विवरण		
स्टील	**107.44**	82.47
अलौह कास्टिंग	**14.46**	10.66
मानक भाग और घटक	**2,571.65**	4,115.65
अन्य	**739.39**	12.90
योग	**3,432.94**	**4,221.68**
27. सूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**167.75**	131.26
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**57.64**	167.75
सूची में परिवर्तन	**110.11**	(36.49)
प्रगतिरत कार्य		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**279.44**	268.71
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**326.65**	279.44
सूची में परिवर्तन	**(47.21)**	(10.73)
व्यापार का कुल माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**593.26**	461.68
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**799.52**	593.26
सूची में परिवर्तन	**(206.26)**	(131.58)
स्क्रैप		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**0.69**	0.69
घटाएँ:वर्ष के अंत में सूची	**0.69**	0.69
सूची में परिवर्तन	-	-
योग	**(143.36)**	**(178.80)**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
28. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	**609.86**	585.15
मकान किराया भत्ता	**25.62**	28.74
ग्रेच्युटी	**18.53**	19.47
पीएफ और एफपीएस में योगदान	**61.25**	60.38
डिपॉजिट लिंक्ड बीमा	**0.17**	1.01
कल्याण व्यय	**39.44**	39.52
	754.87	**734.27**
29. मूल्यह्रास और परिशोधन		
मूर्त संपत्ति का मूल्यह्रास	**191.61**	191.12
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	**18.93**	19.72
	210.54	**210.84**
30. वित्त लागत		
ब्याज व्यय		
ब्याज व्यय (भारत सरकार ऋण)	**-**	11.13
अन्य	**0.01**	0.01
अन्य उधार लागत		
छूट शुल्क	**0.31**	1.55
कुल वित्त लागत	**0.32**	**12.69**
31. अन्य व्यय		
विनिर्माण व्यय		
बिजली और ईंधन	**29.94**	30.65
गैर चलित सूची के लिए प्रावधान		
बिक्री एवं वितरण व्यय	**8.15**	7.04
कैरिज आउटवार्ड्स	**9.17**	2.94
स्थापना व्यय		
किराया	**27.28**	-
दरें और कर	**452.56**	276.87
बीमा	**11.16**	11.98
पानी और बिजली	**366.40**	364.07
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**13.06**	10.21
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक#	**2.52**	2.69
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	191.84
वारंटी दावे	**2.84**	4.50

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
पीएफ ट्रस्ट को हुआ नुकसान	**10.11**	39.17
अशाध्यऋण	**1,549.57**	1,398.11
यात्रा खर्च	**26.96**	28.01
मरम्मत और रखरखाव मशीनरी के अलावा	**461.22**	345.24
सुरक्षा शुल्क	**227.58**	198.54
आकस्मिक श्रम शुल्क	**363.88**	348.80
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी	**56.55**	60.91
अन्य व्यय	**332.36**	187.92
घटाएँ: सहायक कंपनियों से सामान्य व्यय की वसूली	**(58.29)**	(68.12)
	3,893.02	**3,441.37**
# लेखा परीक्षक के रूप में	**2.07**	2.07
कराधान संबंधी मामलों के लिए	**0.20**	0.20
अन्य सेवाओं के लिए	**0.25**	0.42
	2.52	**2.99**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ, कंपनी को इसकी सीएसआर नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है

i) वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	**56.55**	60.91
ii) पिछले वर्ष की कमी की राशि	**42.71**	41.83
	99.26	102.74
iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		
> -स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में परियोजना पर - की गई आपूर्ति		
> यादगीर जिले में नए सरकारी जिला अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर		
> यादगीर जिले में सरकारी स्कूल को जल शोधक एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद	-	0.80
> एचबी परीक्षण मशीनें और एचबीडी परीक्षण स्ट्रिप्स, यादगीर जिला	-	14.67
> केसी जनरल हॉस्पिटल, बेंगलुरु के लिए एम्बुलेंस	-	21.19
> मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मांड्या को ऑक्सीजन सिलेंडर	-	4.58
> मध्याह्न भोजन योजना, अक्षय पात्र फाउंडेशन, अजमेर	-	5.00
> महिलाओं के लिए पुनः प्रयोज्य सेनेटरी नैपकिन, यादगीर जिला	**0.75**	10.90

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
> एलिम्को, बेंगलूरू के माध्यम से दिव्यांगजनों / वरिष्ठ नागरिकों / विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम सहायता और सहायक उपकरण	**20.70**	2.30
दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम सहायता एवं सहायक उपकरण/एलिम्को, चिक्कमगलुरु के माध्यम से विकलांग व्यक्ति	**15.00**	-
संगीत वाद्ययंत्र, अंधे लोगों के लिए छड़ी आदि मेसर्स ब्लेस को ग्रामीण एवं शहरी विकास सोसायटी एवं मेसर्स स्वावलंबन अंगविकला सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, बेंगलूरू	**5.00**	-
प्रशासनिक व्यय	**0.44**	-
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरण	**28.75**	0.59
वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	**70.64**	**60.03**
iv) सीएसआर रिजर्व (राशि सी/एफ यानी वर्ष के अंत में कमी) {प्रशासनिक व्यय सहित}	**28.62**	**42.71**

कमी के कारण: कंपनी ने कुछ सीएसआर गतिविधियों की पहचान की है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में नीचे उल्लिखित:

क) महिलाओं को पुन: प्रयोज्य सैनिटरी नैपकिन, कृत्रिम सहायता और सहायक उपकरण

ख) कर्नाटक पब्लिक स्कूल, बेंगलूरू में छात्राओं को ब्लेज़र / जैकेट की आपूर्ति

ग) सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद को कार्डियक एम्बुलेंस की आपूर्ति

32. असाधारण वस्तुएँ	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	विवरण	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
33	आकस्मिक देयताएँ		
	कंपनी के ऋण के रूप में अस्वीकृत दावे:		
क)	अपील में लंबित कर संबंधी दावे		
	i) बिक्री कर	**-**	53.64
	ii) आय कर	**37.92**	37.92
ख)	रियायती बिक्री कर लगाने पर संबंधित प्रपत्रों की प्राप्ति न होना	**-**	-
ग)	तालाबंदी, बकाया वेतन, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आदि से संबंधित कर्मचारी संबंधी दावे, सुनिश्चित सीमा तक न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं	**52.64**	52.64
घ)	दोषपूर्ण उत्पाद, दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट लगने, सामग्री की आपूर्ति से संबंधित दावे आदि से संबंधित विभिन्न मामले	**4154.95**	4,154.95
ड)	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड से संबंधित कर्मचारियों और अन्य आकस्मिक देयताओं से संबंधित विभिन्न कानूनी मामले (संदर्भ: टिप्पणी संख्या 52)	**9,896.80**	9,896.80
च)	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के 14बी के अनुसार ब्याज, जुर्माना / क्षति के प्रति देयता	**23.89**	23.89
छ)	जारी की गई गारंटी और काउंटर गारंटी और एलसी [(एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को जारी 12272 लाख रुपये की कॉरपोरेट गारंटी के विरुद्ध 8045.00 लाख रुपये और 9454.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष) सहित)]	**8,127.61**	9,649.58
ज)	स्रोत पर कर कटौती के कम और गैर प्रेषण के लिए ट्रेस सॉफ़्टवेयर के तहत स्रोत पर आयकर कटौती की मांग मामला जांच के अधीन	**79.12**	79.40
झ)	जीवन तारा बिल्डिंग में अप्रैल 2010 तक कंपनी के कब्जे वाले परिसर के संबंध में विवादित पट्टा किराया भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली का है।	**311.77**	311.77
जे)	स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत कुछ गैर-अनुपालनों जैसे निदेशक मंडल, समितियों की संरचना, खातों को जमा करने में देरी आदि के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। स्टॉक एक्सचेंजों के परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को एक्सचेंज में छूट आवेदन दाखिल करने से पहले एक्सचेंज के परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों से दंड की छूट मिली है। कंपनी ने फिर से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है और स्टॉक एक्सचेंजों से जवाब की प्रतीक्षा कर रही है।	**508.47**	394.77

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	विवरण	31-मार्च -2024 की स्थिति	31-मार्च -2023 की स्थिति
34	**अन्य प्रकटनः**		
i)	(क) भारत सरकार ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के पूंजीगत व्यय को इक्विटी (100 लाख रुपये) और ऋण (100 लाख रुपये) के रूप में पूरा करने के लिए मार्च 2007 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की योजना सहायता जारी की थी। निर्धारित अवधि के भीतर सहायक कंपनी द्वारा धनराशि का उपयोग न करने के कारण, भारत सरकार ने दिसंबर 2009 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की कुल योजना सहायता वापस करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, कंपनी ने फरवरी 2010 के दौरान भारत सरकार को 100 लाख रुपये की ऋण राशि वापस कर दी है। हालाँकि, इक्विटी हिस्से की वापसी के संबंध में, चूंकि कंपनी ने भारत सरकार की मंजूरी की शर्तों के अनुसार, अप्रैल 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 10/- रुपये (100 लाख रुपये) के 10,00,000 इक्विटी शेयर पहले ही जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि इससे शेयर पूंजी में कमी आएगी जिसके लिए शेयर धारकों की मंजूरी और कंपनी अधिनियम और इस संबंध में लागू नियमों के अनुसार अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, और इसे भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है। इस पर भारत सरकार से अगले निर्दे शों की प्रतीक्षा है।		
ii)	ii) अन्य देनदारियों में भूमि की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम राशि शामिल है जो बंगलौर में भूमि और इमारतों की बिक्री के लिए मेसर्स रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) से 926.64 लाख रुपये और उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से 7202.10 लाख रुपये (टीडीएस सहित) है। भूमि के मूल्य को बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालाँकि कंपनी ने आरआरआई के संबंध में क्रेता को भूमि बेचने और उस पर कब्ज़ा देने तथा जीओयूके के संबंध में क्रेता को भूमि का आंशिक कब्ज़ा देने के लिए एक समझौता किया है, लेकिन बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन लंबित होने तक इस लेनदेन को बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।		
35	**वरीयता शेयर पूंजीः**		
i)	भारत सरकार ने मार्च 2007 के दौरान एक सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी-एमटीएल) की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देते हुए 3.5% वरीयता शेयर पूंजी के रूप में 44,300 लाख रुपये की नकदी डालने की मंजूरी दी थी। जिसे कंपनी के माध्यम से सहायक कंपनी में वरीयता शेयर पूंजी में निवेश के लिए भेजा गया था, जिसे 3 साल बाद यानी 31.3.2010 को एचएमटी-एमटीएल की अधिशेष अचल संपत्तियों की बिक्री से भुनाया जाना था। हालाँकि, सीसीईए अनुमोदन के अनुसार 100/- रुपये मूल्य के 44300000 शेयरों में से 40614000 शेयरों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे 100/- रुपये मूल्य वाले 36,86,000 शेष शेयर बचे हैं। जिन्हें अचल संपत्ति की बिक्री पर भुनाया जाना प्रस्तावित है।		
ii)	भारत सरकार को देय अधिमानी शेयरों पर निश्चित संचयी लाभांश (उस पर कर सहित)	**5,607.63**	5,607.63
36	**अग्रिम**		
	शामिल अग्रिम		
	कर्मचारियों को वेतन/वेतन, डीए बकाया, यदि कोई हो, के लिए तदर्थ भुगतान, लंबित समायोजन और इस सीमा तक प्रावधान खातों में कर दिया गया है	**24.29**	24.29

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

	विवरण	31-मार्च -2024 समाप्त वर्ष	31-मार्च -2023 समाप्त वर्ष
37	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेन**		
	कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का मुआवजा		
	i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	**23.24**	20.80
	ii) रोजगार लाभ	**3.26**	2.91
	iii) अन्य दीर्घकालिक लाभ	**1.79**	1.48
	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को भुगतान किया गया कुल मुआवजा	**28.29**	**25.19**

38 **क उचित मूल्य**

नीचे गए सेट में समूह के वित्तीय साधनों की वहन राशि और उचित मूल्य की श्रेणी के आधार पर तुलना की गई है, उन अन्य राशि वा जो उचित मूल्यों के उचित अनुमान हैं।

	वहन राशि		उचित मूल्य	
	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23
वित्तीय संपत्ति				
ऋण - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	**30,582.41**	27,470.43	**30,582.41**	27,470.43
योग	**30,582.41**	**27,470.43**	**30,582.41**	**27,470.43**
वित्तीय देयताएँ				
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	-	-
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**64,171.74**	64,171.74	**64,171.74**	64,171.74
योग	**64,171.74**	**64,171.74**	**64,171.74**	**64,171.74**

कंपनी ने आकलन किया है कि नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य मौजूदा देयताएँ इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशि का अनुमान लगाती हैं। कंपनी ने यह भी आकलन किया है कि ब्याज मुक्त भारत सरकार के ऋण को छोड़कर भारत सरकार (जीओआई) ऋण उनकी वहन राशि के बराबर है क्योंकि लेनदेन लागत नहीं लगाई जाती है।

भारत सरकार के ब्याज मुक्त ऋण का उचित मूल्य 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए ऋण राशि में छूट देकर निकाला जाता है। गणना के प्रयोजन के लिए 8% को प्रभावी ब्याज दर माना जाता है

कंपनी ने 3.5% वरीयता शेयरों में चूक की है जो पहले से ही मोचन के लिए परिपक्व हैं और इसलिए खातों में कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

38ख उचित मूल्य पदानुक्रम

1 मार्च 2024, 31 मार्च 2023 को मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के भीतर वर्गीकृत उचित मूल्य माप में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट नीचे दिखाए गए हैं:

31 मार्च 2024 तक संपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम (रुपया लाख में)

विवरण			उचित मूल्य मापन की प्रयुक्तता			
			योग	**सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)**	**अवलोकन योग्य प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण (स्तर 2)**	**गैर-अवलोकन महत्वपूर्ण योग्य (स्तर 3)**
	मूल्यांकन की तिथि	**मूल्यांकन विधि**				
उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तिः						
एफवीआईओ सीआईसी वित्तीय निवेशः						
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड	-		-			-
ऐसी संपत्तियां जिनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*	**31-मार्च -2024**		**4,32,935.93**			**4,32,935.93**
वित्तीय दायित्व						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**31-मार्च -2024**		**64,171.74**			**64,171.74**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2023 तक संपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम (रुपया लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन विधि	उचित मूल्य मापन की प्रयुक्तता			
			योग	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	अवलोकन योग्य प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण (स्तर 2)	गैर-अवलोकन महत्वपूर्ण योग्य (स्तर 3)
उचित मूल्य पर मापी गई संपत्ति:						
एफवीआईओ सीआईसी वित्तीय निवेश:						
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड	-		-			-
ऐसी संपत्तियां जिनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*	31-मार्च -2023		2,27,020.15			2,27,020.15
वित्तीय दायित्व						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	31-मार्च -2023	8%प्रभावी ब्याज दर का उपयोग किया गया	64,171.74			64,171.74

*** निवेश संपत्ति के बाद से वित्तीय विवरणों में बताए गए मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर नहीं**

क) नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड भारत के बाहर निगमित कंपनी है, और दिनांक 31-12-2020 के इसके नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसलिए उचित मूल्य रु. शून्य माना जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

(रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
39. प्रति शेयर आय (ईपीएस)		
इक्किटी धारकों को देय लाभः		
सतत संचालन	2,442.41	705.82
बंद संचालन	-	-
बुनियादी आय के लिए इक्विटी धारकों को दिया जाने वाला लाभ	2,442.41	705.82
इक्विटी धारकों के कारण देय लाभ का तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजन	2,442.41	705.82
बुनियादी ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	35,56,01,640	35,56,01,640
तनुकरण का प्रभावः		
परिवर्तनीय वरीयता शेयर		
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	35,56,01,640	35,56,01,640
निरंतर संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से मूल लाभ	0.69	0.20
ii) इक्विटी धारकों के कारण जारी परिचालन से तनुकरण लाभ	0.69	0.20
बंद संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण बंद संचालन से मूल लाभ	-	-
ii) इक्विटी धारकों के कारण बंद परिचालन से तनुकरण लाभ	-	-

* * रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 भारतीय लेखा मानक-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार, परिभाषित प्रकटन नीचे दिए गए हैं:

i) परिभाषित अंशदान योजनाः (रुपया लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति	31-मार्च -2023 को समाप्त वर्ष की स्थिति
पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान	4.54	5.40

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी कर्मचारियों को भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी और निपटान भत्ते में योगदान देती है जो परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं। कंपनी ने भविष्य निधि के लिए स्वतंत्र बीमांकिक से बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है

क) कंपनी की योजना के परिभाषित लाभ दायित्व को निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ नीचे दिखाई गई हैं:

	31-मार्च -2024 %	31-मार्च -2023 %
छूट की दरः		
ग्रेच्युटी योजना	7.23	7.52
निपटान भत्ता	7.23	7.52
भविष्य में वेतन वृद्धिः		
ग्रेच्युटी योजना	10.00	10.00
निपटान भत्ता	10.00	10.00

जनसांख्यिकी अनुमानों का संक्षेप	ग्रेच्युटी योजना		निपटान भत्ता	
	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) (संशोधित) मृत्यु तालिका) के % के अनुसार पिछले वर्ष आईएएलएम (2012-14) मृत्यु तालिका)	100%	100%	100%	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के % के अनुसार)	0%	0%	0%	0%
निकासी दर	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%
संघर्षन दर				
सामान्य समाप्ति आयु	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs
औसत भावी सेवा	18.48	19.81	18.48	19.81

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 **कर्मचारी लाभ (जारी):**

क कर्मचारी लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना और निपटान भत्ते की लागत और ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

1) **ग्रेच्युटी**

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपया लाख में)

विवरण	01-अप्रैल-23	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	अन्य व्यापक आय में पुनर्मापन लाभ/(हानि)					नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-24
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ या हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		
परिभाषित लाभ दायित्व	(365.32)	(15.90)	(26.72)	(42.62)	19.99	(7.11)		(5.26)	37.27	24.90		(363.05)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	330.29		24.09	24.09	(19.99)	7.11				7.11	-	341.50
लाभ दायित्व	(35.03)			(18.53)	-					32.01	0.00	(21.55)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	01-अप्रैल-22	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च					नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-23
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ या हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		
परिभाषित लाभ दायित्व	(596.38)	(15.94)	(33.45)	(49.39)	272.66	(20.69)		4.82	23.66	7.79	-	(365.32)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	543.41		29.92	29.92	(272.66)	20.69				20.69	8.93	330.29
लाभ दायित्व	(52.97)			(19.47)	-					28.48	8.93	(35.03)

2) निपटान भत्ता:

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	01-अप्रैल-23	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च					नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-24
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ या हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		
परिभाषित लाभ दायित्व	(43.42)	-	(3.19)	(3.19)	1.97			(1.56)	3.61	2.05		(42.59)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	(43.42)			(3.19)	1.97					2.05	-	(42.59)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

31 मार्च 2023 से परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन।

(रुपया लाख में)

विवरण	01-अप्रैल-22	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ का भुगतान किया गया	लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च					नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-23
		सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	उप-योग लाभ या हानि में शामिल है		योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		
परिभाषित लाभ दायित्व	(51.94)	-	(3.34)	(3.34)	11.99			1.57	(1.70)	(0.13)		(43.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	(51.94)			(3.34)	11.99					(0.13)	-	(43.42)

3) भविष्य निधि (ब्याज की न्यूनता):

कंपनी का भविष्य निधि में भुगतान/देय योगदान और देयता/दायित्व को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त यह है कि नियोक्ता को ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में वैधानिक दर के मुकाबले किसी भी तरह की कमी को पूरा करना होगा। कंपनी को फंड की संपत्तियों और निवेश पर रिटर्न के संबंध में निकट भविष्य में किसी भी अन्य दायित्व की उम्मीद नहीं है।.

कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है। ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वर्तमान मूल्य, 31.3.2024 को 41.89 लाख रुपये और 31.3.2023 को 75.13 लाख रुपये की कमी हुई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

40 कर्मचारी लाभ (जारी):

ख संवेदनशीलता का विश्लेषण:

प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएँ विशेष रूप से संवेदनशील हैं, छूट दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर हैं। निम्नलिखित तालिका रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करती है:

(i) ग्रेच्युटी (रुपया लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
छूट दर में परिवर्तन	17.13	20.27	17.56	20.45
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	9.73	8.50	9.60	8.84
निकासी दरों में परिवर्तन	1.07	1.27	0.80	0.99

(ii) निपटान भत्ता (रुपया लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
छूट दर में परिवर्तन	4.97	6.88	5.43	6.88
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	5.12	6.29	5.57	6.90
निकासी दरों में परिवर्तन	5.36	6.25	5.84	7.45

ग अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रेच्युटी हेतु अपेक्षित अंशदान 21.55 लाख रुपये तथा निपटान भत्ता शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

41 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

क्रं सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरू (एमटीएल)	सहायक
	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, बेंगलूरू (एचडब्ल्यूएल)	
	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरू (एचएमटी(आई)	
2	एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरू	संयुक्त उद्यम
3	गुजरात राज्य मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन, भावनगर	एसोसिएटस
4	श्री पंकज गुप्ता (25.08.2022 से 24.11.2023 तक)	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी)
	श्री राजीव सिंह (30.12.2023 से 08.03.2024 तक)	
	श्री कृष्णास्वामी रेविशंकर (08.03.2024 से)	
	सुश्री आरती भटनागर (14.02.2023 से)	
	डॉ. रेणुका मिश्रा (12.09.2022 से 04.09.2023 तक)	
	सुश्री मुक्ता शेखर (04.09.2023 से)	
	सुश्री रीता सक्सेना (25.08.2023 से प्रभावी)	
	श्री एस. किशोर कुमार	
	सुश्री अपर्णा आर (10.11.2023 से प्रभावी) सुश्री कामना मेहता (09.11.2023 तक)	

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन:

दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा उसका पुनर्भुगतान::

(रुपया लाख में)

संबंधित पार्टी का नाम	स्थिति	प्रारंभिक शेष	दिया गया ऋण	पुनर्भुगतान	स्थानांतरण	समापन शेष
क) ऋण						
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	चालू वर्ष	27,470.43	3,111.98		-	30,582.41
	पिछले वर्ष	24,573.58	1,515.00		1,381.85	27,470.43
एच स ऋण पर अर्जित ब्याज और देय	चालू वर्ष पिछले वर्ष	5,371.85	-	-	(50.00)	5,321.85

ख) अग्रिम (डेबिट/क्रेडिट)

संबंधित पार्टी का नाम	स्थिति	प्रारंभिक शेष	अग्रिम राशि दी गई (नेट) *	अग्रिम राशि (नेट)	स्थानांतरण	समापन शेष
एसयूडीएमओ एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड	चालू वर्ष	8.70	3.40	-	(8.70)	3.40
	पिछले वर्ष	4.83	3.87			8.70
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	चालू वर्ष	1,198.30	89.72	-	-	1,288.02
	पिछले वर्ष	7,871.16	80.84	-	(6,753.70)	1,198.30
एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	चालू वर्ष	-	76.13	-	(76.13)	-
	पिछले वर्ष	(987.83)	2,403.49	-	(1,415.66)	-
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	चालू वर्ष	246.92	64.59	-	-	311.51
	पिछले वर्ष	190.22	56.70	-	-	246.92

* अग्रिम में देय व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है

ग) संबंधित पक्षों अर्थात सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश का विवरण नोट संख्या 4 के तहत दिया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को कोई गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

घ) लेन-देन करने वाली संबंधित पार्टी का नाम (रुपया लाख में)

		एमटीएल	एचडब्ल्यूएल	सीडब्ल्यूएल	एचएमटी(आई)	बीएलएच	कुल
परिचालन से राजस्व	चालू वर्ष	-	-	-	39.83	-	39.83
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-
अन्य आय:	चालू वर्ष	1544.11	5.38	-	-	-	1,549.49
	पिछले वर्ष	1398.11	31.93	-	-	-	1,430.04
लाभांश	चालू वर्ष	-	-	-	-		-
	पिछले वर्ष	-	-	-	-		-
क्रय	चालू वर्ष	-	-	-		-	-
	पिछले वर्ष	-	-	-		-	-
सामान्य ख़र्च:							
अन्य व्यय	चालू वर्ष	1544.11	-	-		-	1,544.11
	पिछले वर्ष	1398.11	-	-		-	1,398.11
व्यय की वसूली	चालू वर्ष	(19.05)	-	-	(39.24)	-	(58.29)
	पिछले वर्ष	(12.58)	(3.90)	-	(51.64)	-	(68.12)
ब्याज		-	-	-	-	-	-

(रुपया लाख में)

ड) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ लेन-देन:	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
केएमपी को दिया गया पारिश्रमिक		
एस. किशोर कुमार	15.87	14.63
कामना मेहता	6.84	10.56
अपर्णा आर	5.58	-
	28.29	25.19
निदेशकों की बैठक फीस		
विश्वेश्वर भट्ट	-	0.66
रामजी लाल	-	0.91
	-	1.57

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

42	**अनुपात विश्लेषण**						
	अनुपात	नुमेराटर	डेनोमिनटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% भिन्नता	25% से अधिक के लिए विचलन का कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.68	0.65	4.62%	
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.48	1.56	-5.13%	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (ईबीआईटीडीए)	ऋण सेवा (ब्याज + मूलधन)	0.03	0.03	0.00%	
4	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	5.47%	1.64%	233.59%	वर्ष के दौरान सामग्री की खपत में कमी और कर प्रावधान को वापस लेने के कारण कर के बाद लाभ में वृद्धि हुई
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत इन्वेंट्री	4.46	5.69	-21.73%	बिक्री में वृद्धि
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	2.95	5.16	-42.92%	व्यापार प्राप्य में वृद्धि
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद/ सेवाएँ	औसत व्यापार देय	3.08	13.97	-77.94%	व्यापार देयताओं में वृद्धि
8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	(0.16)	(0.15)	7.28%	निवल बिक्री में वृद्धि
9	शुद्ध लाभ अनुपात	करों से पहले शुद्ध लाभ	राजस्व	50.98%	13.68%	272.62%	वर्ष के दौरान सामग्री की खपत में कमी और कर प्रावधान को वापस लेने के कारण कर के बाद लाभ में वृद्धि हुई
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी = मूर्त नेटवर्थ + कुल ऋण	1.54%	1.34%	14.61%	
11	निवेश पर रिटर्न	लागू नहीं	लागू नहीं				चूंकि निवेश पर कोई रिटर्न नहीं है इसलिए शून्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

43 खंड रिपोर्टिंग:

भारतीय लेखा मानक - 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स के अंतर्गत सेगमेंट की जानकारी प्रदान की गई है।

वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग ने एक ग्राहक को 2679.58 लाख रुपए की बिक्री की है जो राजस्व का 10% से अधिक है।

44 आस्थगित कर

आयकर के लिए प्रावधान भारतीय लेखा मानक 12 - आयकर के अनुसार किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में परिवर्तन (रुपया लाख में)

विवरण	31.3.2024	31.3.2023
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)	4.28	24.64
जोड़ें: वर्ष के लिए स्थगित कर लाभ / (शुल्क)	43.65	(20.36)
वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	47.93	4.28

31 मार्च 2024 तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति में निम्नलिखित के कारण समय के अंतर से उत्पन्न कर प्रभाव शामिल हैं:

विवरण	31.3.2024	31.3.2023
मूल्यह्रास	(25.76)	(75.52)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	73.69	79.80

कंपनी ने भविष्य के व्यावसायिक लाभ की उचित निश्चितता के अभाव में अनुपयोगी कर घाटे पर आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

45 बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, भारत सरकार के समर्थन और अन्य व्यावसायिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने मौजूदा चिंता के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और देयताओं के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

46 आईडी 80046855 द्वारा एक शुल्क अभी भी भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर शुल्क के सूचकांक में खुला है। कंपनी काफी पहले ही भारतीय स्टेट बैंक का कर्ज उतार चुकी है। चूंकि मामला लगभग पच्चीस साल पुराना है, इसलिए शुल्क की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समन्वय करके प्रयास किए जाएंगे।

47 एक एसोसिएट कंपनी होने के नाते गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉरपोरेशन में निवेश को पूरी तरह से खातों की पुस्तकों में प्रदान किया गया है क्योंकि एचएमटी लिमिटेड के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर कंपनी का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसलिए उचित मूल्य शून्य के रूप में दिखाया गया है।

48 कंपनी ने निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों पर वर्ष के लिए अवास्तविक ब्याज आय के रूप में 1544.11 लाख रुपये की राशि को अन्य खर्चों के तहत खराब ऋणों में शामिल किया है।

49 कंपनी ने सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर (मैसर्स सबमो-एचएमटी) में 15 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 50%) का निवेश किया है, जिसमें 10/- रुपये के 1,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। मेसर्स सुडमो-एचएमटी का कोई संचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने बंद पड़ी संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने की मंजूरी (फरवरी 2020 / जुलाई 2021) दे दी है और अनुमोदन के लिए जुलाई 2021 को प्रशासनिक मंत्रालय को बंद करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

50 कंपनी ने गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन, भावनगर (मैसर्स जीएसएमटीसी) में 20.84 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 39%) का निवेश किया है, जिसमें प्रति 1 रुपये के पूर्ण भुगतान वाले 20,84,050 इक्विटी शेयर शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी (मार्च 2021) और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (जीआईआईसी) को एक सहमतिपत्र जारी किया। जीआईआईसी ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दे दी (सितंबर 2021) और उद्योग और खान विभाग, गुजरात सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2021)1 एचएमटी लिमिटेड ने मंजूरी के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को परिसमापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2022)। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

51 कंपनी ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मैसर्स एनएमटीएल) में । नायरा के 30,00,000 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए मंजूरी दे दी है (फरवरी 2020 जुलाई 2021) और प्रशासनिक मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई है। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

52 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

53 कंपनी पर लागू होने वाले भारतीय लेखा मानकों में संशोधन से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

54 व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देयताओं के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि के अधीन है, हालांकि अधिकांश मामलों में पुष्टि की मांग की गई है।

55 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई धनराशि (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है।) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या ऐसा कुछ प्रदान करेगा।

56 कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियाँ) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई फंड नहीं मिला है, भले ही यह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

57 चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया

समेकित
वित्तीय
विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(निदेशक, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, वाणिज्यिक ले- खापरीक्षा महानिदेशक कार्यालय, हैदराबाद द्वारा अनंतिम टिप्पणियों के परिणामस्वरूप दिनांक 18-09-2024 को जारी संख्या डीजीसीए / हैड/ए/सी/डेस्क/ एचएमटी/2023-24/1.19/516 और सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का इसके सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-09-2024 को संशोधन। यह हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की दिनांक 09-08-2024 की रिपोर्ट का अधिक्रमण करता है।)

एचएमटी लिमिटेड के सदस्यों के लिए –

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने एचएमटी लिमिटेड (जिसे आगे «होल्डिंग कंपनी» कहा जाएगा), इसकी सहायक कंपनियों, इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ «समूह» कहा जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2024 तक समूह की स्थिति की समेकित बैलेंस शीट और

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित)।

(ग) इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए परिवर्तन

(घ) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह में नकदी के प्रवाह का समेकित नकदी प्रवाह विवरण।

योग्य राय का आधार:-

I. एचएमटी लिमिटेड

1. फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद

(क) नोट संख्या 2(ii) (जे) में किए गए मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि के उपयोग से किया गया है। तथापि, सत्यापन के उद्देश्य से प्रदान मालसूची विवरण में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य न होने के कारण भंडार मदों की दरों के पर्याप्त एवं सही होने का सत्यापन नहीं किया जा सका है। कंपनी के रिकॉर्ड की प्रकृति के कारण एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कंपनी द्वारा अपनाई गई भारित औसत लागत विधि से वास्तविक विचलन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को भी ज्ञात करने में हम असमर्थ हैं।

(ख) मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण के अनुसार राजस्व 3604.75 लाख रुपये है। मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में एचएमटी लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी इकाई औरंगाबाद द्वारा अपने ग्राहकों पर उठाए गए बिक्री चालान का मूल्य 105.88 लाख रुपये शामिल है। हालाँकि, अभिलेखों के अनुसार, उक्त चालान अवधि के दौरान जारी किए गए थे, लेकिन प्रेषण 31-3-2024 के बाद किए गए थे। इसलिए ग्राहक

को 31-3-24 से पहले संपत्ति का नियंत्रण नहीं मिला है। यह भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व मान्यता का उल्लंघन है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 105.88 लाख रुपये की अधिकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में अधिकता और तैयार माल का कम विवरण है।

2. ऑक्सिलरी बिज़नस डिविजन, बेंगलूरु

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) कंपनी भूमि पर स्थित भवनों से उत्पन्न किराये की आय दर्ज करती है, जिसे कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। सत्यापन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों की जांच से पता चला कि भूमि की स्थिति और उसका स्वामित्व एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है।

(ग) भारतीय लेखा मानक 40 के तहत कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

3. कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय एवं समग्र कम्पनी:

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां और अन्य वर्तमान देनदारियों के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ख) भारतीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति को किराये अर्जित करने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह देखा गया है कि कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय किराये की आय आंशिक रूप से भवन (इकाई के स्वामित्व वाली) से प्राप्त करता है जिसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग) भारतीय लेखा मानक 40 के अनुसार कंपनी को कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक से निवेश संपत्तियों की उचित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। हालाँकि, हमने पाया है कि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-40 द्वारा निर्धारित उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

घ) भारतीय लेखा मानक 109 के लिए एक इकाई को हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हानि भत्ते के प्रावधान बनाने के लिए ऑडिट के तहत अवधि के लिए कोई ईसीएल मैट्रिक्स तैयार नहीं किया गया था। इसलिए, हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

ड) भारतीय लेखा मानक-109 के अनुसार, कंपनी को वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण घाटे के लिए हानि भत्ता पहचानना होगा। मौजूदा मामले में, हम देखते हैं कि कंपनी के पास एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से लंबे समय से बकाया है, जिसके संबंध में कंपनी ने कोई अपेक्षित क्रेडिट हानि दर्ज नहीं की है। हमारी राय में, चूंकि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड लगातार घाटे में चल रही है और इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, इसलिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से प्राप्त होने वाली राशि को वसूलने की कंपनी की क्षमता संदिग्ध बनी हुई है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, व्यापार देय राशि में सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के कारण देय सभी राशियाँ शामिल हैं। वर्तमान मामले में, हमने पाया कि 1510.99 लाख रुपए की राशि जो वर्तमान में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत उपार्जित व्यय के रूप में प्रकट

की गई है, उसे व्यापार देयताओं के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को उपार्जित व्यय के अंतर्गत प्रकट की गई राशि के लिए आयु विश्लेषण प्रदान करना चाहिए।

छ) हम आपका ध्यान नोट नंबर 53 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद कंपनियों के साथ इसका कोई लेनदेन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह स्थापित करने के लिए उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि उनके पास ऐसे लेनदेन नहीं हैं।

II. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ("एमटीएल")

1. एमबीएक्स, बेंगलूरु

(क) भारतीय लेखा मानक 2- हमें प्रदान किए गए विवरण और जानकारी के अनुसार, कच्चे माल, प्रगतिरत कार्य और स्टॉक इन ट्रेड (तैयार माल) का मूल्य विशेष कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और स्टॉक लेना भारित औसत आधार पर होता है। हालाँकि, मूल्यांकन रिपोर्ट और सूची के विस्तृत कामकाज की अनुपलब्धता के कारण, हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन और इसके कारण वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ ही नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2024 तक उपयुक्त अधिकारियों को भविष्य निधि बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज / जुर्माना / क्षति के लिए इन खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और यह गैर-मात्रात्मक है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक ग्रेच्युटी बकाया के गैर-निपटान/ भुगतान न करने पर देय जुर्माना/क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस गैर-प्रावधान के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

(ग) व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, प्राप्त अग्रिम, भुगतान किए गए अग्रिम, जमा (सुरक्षा जमा सहित) के संबंध में पार्टियों से पुष्टि के अभाव में, पार्टी शेष के समाधान की प्रक्रिया अधूरी है। इसके अलावा यह देखा गया है कि कुछ खातों में शेष राशि को आगे बढ़ाया गया है, जिनमें पाँच साल से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि की अनुपलब्धता के कारण, हम बताए गए शेष राशि की शुद्धता और वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव पर एक राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

(घ) जैसा कि हमें बताया गया है, यूनिट के पास बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स में कुल 330.28 एकड़ जमीन है, जो पिछले कुछ वर्षों में आंशिक रूप से उपहार में दी गई और आंशिक रूप से अधिग्रहित की गई है। उक्त भूमि का उपयोग फैक्ट्री भवनों, कार्यालयों, आवासीय क्वार्टरों, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, वाणिज्यिक परिसर, आंतरिक सड़कों आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा, खुले स्थानों का विशाल क्षेत्र मौजूद है। चूंकि, भूमि का स्वामित्व विलेख, भौतिक सत्यापन, भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन प्रदान नहीं किया गया है, हम स्वामित्व, भूमि उपयोग के क्षेत्र की सटीकता और अतिक्रमण, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ड़) अन्य आय- 780.99 लाख रुपये - स्टाफ/अन्य से वसूली, प्राप्त किराया - अन्य 528.24 लाख रुपये इसमें 254.24 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे 31 मार्च 2024 को देनदारियों के तहत लेखांकन के बजाय गलती से वर्ष 2023-24 के लिए अन्य आय के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था। एचएमटी एमटी लिमिटेड को जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान एआरटीपार्क (रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम इनोवेशन फाउंडेशन के लिए आई-हब) से रोबोटिक और ऑटोनोमस सिस्टम (आरएएस) के लिए गैर-वापसी योग्य सुविधा शुल्क के रूप में 300 लाख रुपये (जीएसटी और आयकर टीडीएस को छोड़कर) प्राप्त हुए, जो एमबीएक्स यूनिट में स्थित एचएमटी लिमिटेड के परिसर (5 एकड़ भूमि) को पट्टे पर देने (ऑपरेटिंग लीज) के लिए एचएमटीएमटी लिमिटेड और एआरटीपार्क के बीच 4 जुलाई 2023 को निष्पादित सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में 4 साल और 11 महीने (समझौते की तारीख से) की अवधि के लिए है। इस प्रकार, 59 महीने (4 वर्ष और 11 महीने)

की अवधि के लिए 300 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई और जुलाई 2023 से 9 महीने तक 45.72 लाख रुपये (300 लाख/59 महीने = 5.08 लाख रुपये प्रति माह) प्राप्त हुए। मार्च 2024 = 45.72 लाख रुपये) को ही वर्ष 2023-24 के लिए अन्य आय के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए आय को 254.24 लाख रुपये से अधिक और हानि को कम बताया गया है।

(च) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण- परिचालन से राजस्व 1,668.02 लाख रु.। इसमें 334.89 लाख रुपये शामिल हैं, जो मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में एचएमटी एमटी एमबीएक्स इकाई, बेंगलुरु द्वारा अपने ग्राहकों से जुटाए गए बिक्री चालान का मूल्य है। हालाँकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त चालानों के लिए ई-वे बिल अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान जारी किए गए थे। भारतीय मानक 115 - परिचालन से राजस्व की आवश्यकताओं के अनुसार, एमबीएक्स इकाई द्वारा अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान ई-वे बिलों के खिलाफ चालान किए गए उत्पाद भेजे गए थे, बिक्री को गलती से वित्त वर्ष 2024-25 के बजाय मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में ही दर्ज कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए आय को अधिक और हानि को 334.89 लाख रुपये कम बताया गया है।

2. एमटीपी पिंजौर

(क) यूनिट ने 8.78 लाख रुपये की राशि के सीमा शुल्क रिफंड दावों और 1.55 लाख रुपये की वसूली योग्य (विदेशी) का दावा के लिए प्रावधान बनाया है, लेकिन इसकी वसूली की कोई निश्चितता नहीं है और इसे बट्टे खाते में डालना होगा।

ख) भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार, परिभाषित लाभ योजना को कोई भी योजना कहा जाता है जिसमें उद्यम का वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का दायित्व होता है और बीमांकिक जोखिम और निवेश जोखिम कम हो जाते हैं। इसलिए, इकाई ने 31 मार्च, 2024 तक भविष्य निधि बकाया के लिए बीमांकिक मूल्यांकन दायित्व निर्धारित नहीं किया है। वर्षों के वित्तीय विवरणों पर इसका परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, भविष्य निधि स्थापित नियोक्ता को ब्याज की कमी को पूरा करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकता होती है, जो कि भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार प्रभावी रूप से परिभाषित लाभ योजना होगी। इसलिए यह भारतीय लेखा मानक-19 कर्मचारी लाभ के अनुपालन में नहीं है।

ग) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों और अन्य वर्तमान देनदारियों के संबंध में शेष राशि की पुष्टि न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

घ) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर यूनिट ने 08.04.2024 और 12.04.2024 में ग्राहकों के परिसर में वितरित किए गए सामानों के संबंध में 1.54 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। ग्राहक के गंतव्य तक पहुंचे बिना 1.54 करोड़ रुपये की बिक्री दर्शाने के परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व को अधिक दर्शाया गया तथा हानि को 1.54 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया। यह लेखांकन पद्धति भारतीय मानक 115 और कंपनी की अपनी लेखांकन नीति का उल्लंघन है।

3. एमटीके, कलमस्सेरी

क) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी (एमटीके) की लेखा नीतियों के अनुसार, माल की बिक्री के संबंध में राजस्व की पहचान उस समय की जाएगी जब ग्राहक माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कि तब होता है जब ग्राहक ने उत्पादों का शीर्षक ले लिया है और उत्पाद या सेवाओं के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को ग्रहण कर लिया है। शिपिंग शर्तों के अनुसार वर्ष के अंत में कुछ एफओआर (ग्राहक परिसर) अनुबंधों के लिए निश्चित हैं। हालाँकि आठ अनुबंधों के संबंध में चालान 31 मार्च 2024 को या उससे पहले जारी किए

गए थे, स्वामित्व का जोखिम और इनाम 31 मार्च 2024 से पहले स्थानांतरित नहीं किया गया था क्योंकि मशीनें 31 मार्च 2024 के बाद ग्राहकों की साइट पर प्राप्त हुई थीं। चालान पर बिक्री राजस्व की मान्यता ग्राहक परिसर में वास्तविक डिलीवरी के बिना एफओआर (ग्राहक परिसर) अनुबंधों के आधार पर बिक्री 1,33,68,730/- रुपये से अधिक बताई गई है।

ख) नोट संख्या 10 अन्य परिसंपत्तियों में 1,59,61,090/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-पीएस और 1,31,34,286/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-डब्लूजी शामिल हैं, जिनका खुलासा एडवांस के तहत किया गया है। अग्रिम संख्या III सहित आपूर्तिकर्ताओं/कर्मचारियों के लिए - अच्छा माना जाता है। यह कार्यालय आदेश संख्या 021(एम)/19 दिनांक 30 सितंबर 2019 के अनुसार एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मासिक तदर्थ भुगतान है। यह भुगतान प्रशासनिक मंत्रालय के पत्र संख्या 1-0501/3/2019+पी.ई.एक्स(ई198595) दिनांक 19 सितंबर 2019 के अनुमोदन के अनुसरण में किया गया है, जहां एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2019 से महीने के चल रहे मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के बराबर अतिरिक्त मासिक तदर्थ राशि का भुगतान किया गया है (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान मुनाफा कमाया) तदर्थ भुगतान आयकर को आकर्षित करता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निपटान के दौरान किए गए तदर्थ भुगतान को समायोजित नहीं किया गया था। हमारा विचार है कि यह व्यय की प्रकृति का है और इसे लाभ और हानि खाते के विवरण में भारित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक कर्मचारी लाभ भुगतान है जिसके लिए आयकर लागू होता है। यदि यह अग्रिम राशि थी तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निपटाते समय इसे काटा जाना चाहिए था। इसलिए, अन्य परिसंपत्तियों को इस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। (नोट: मशीन टूल्स निदेशालय की बहियों में आवश्यक सुधार प्रविष्टि कर दी गई है।)

ग) इकाई द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार टिप्पणी संख्या 3ए में दिखाई गई भूमि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और टिप्पणी 3बी में निवेश संपत्ति में 349 एकड़ जमीन शामिल है। हमें प्रस्तुत अभिलेखों की प्रतियों के अनुसार, संक्षेप में, 781 एकड़ 26 सेंट 266 वर्ग लिंक संपत्ति केरल सरकार द्वारा 1973 में एचएमटी लिमिटेड को सौंपी गई थी। इसमें से 432 एकड़ 19 सेंट और 126 वर्ग लिंक को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अभ्यर्पित / उपहार/दिया गया था जैसा कि सारांश में दिखाया गया है। शेष भूमि 349 एकड़ 40 सेंट और 140 वर्ग लिंक है। यह सारी जमीन एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है न कि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर।

घ) 84,97,769/- रुपए की मार्जिन राशि जमा को अन्य बैंक शेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल मार्जिन राशि जमा में से 24,64,346.00/- रुपए की राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव अनिश्चित है।

ड़) इकाई ने एमएसएमई पर वार्षिक बकाया राशि पर साधारण ब्याज के आधार पर ब्याज प्रदान किया है। इसके अलावा कुछ समझौतों के मामले में भले ही शर्तों के नियम 30 दिनों के भीतर भुगतान निर्दिष्ट करते हों, इकाई ने एमएसएमई ब्याज की गणना के लिए न्यूनतम दिनों के रूप में 45 दिन लिए हैं।

4. एमटीएच, हैदराबाद

(क) प्रभाग ने 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत देयता सृजित करने के बजाय आकस्मिक देयता के अंतर्गत 23.71 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा किया है, क्योंकि यह राशि फैक्ट्री और टाउनशिप पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को देय संपत्ति कर से संबंधित है और यह एक स्पष्ट देयता है।

हालाँकि, प्रभाग ने आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत चालू वर्ष के 8.26 करोड़ रुपये के बकाये का भी खुलासा नहीं किया है। 32.63 करोड़ रुपये की कुल देनदारी (पिछले वर्षों तक सहित) को डिवीजन के लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी गई है, जिसके

परिणामस्वरूप 32.63 करोड़ रुपये के नुकसान का कम अनुमान लगाया गया है।

(ख) प्रभाग ने हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा जलापूर्ति के लिए जारी किए गए जल एवं सीवरेज शुल्क बिल से संबंधित «व्यय» शीर्ष के अंतर्गत 12.31 करोड़ रुपए की स्पष्ट देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है, इसके बजाय आकस्मिक देयता के अंतर्गत 1,24,59,308 करोड़ रुपए दर्शाए हैं।

(ग) प्रभाग ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष तक नॉन-मूविंग कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर और टूल्स के कारण 1.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पुस्तकों में जारी है। इसके कारण वित्तीय विवरणों में सूची को कम दर्शाया गया है।

5. एमटीए, अजमेर

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसएमई को भुगतान में देरी के लिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में खर्चों और देनदारियों को कम दिखाया गया है।

6. पीटीएच, प्रागा टूल्स हैदराबाद और एमटीडी, बेंगलूरु

(क) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य चालू परिसंपत्तियां और अन्य चालू देयताओं के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होना और इसलिए, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण राय का आधार-

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की एक शाखा एमटीएच, हैदराबाद के लेखा परीक्षक ने प्रभाग के वित्तीय विवरणों के संबंध में इस आधार पर अस्वीकरण राय व्यक्त की है कि लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कुल कारोबार में एमटीएच, हैदराबाद का कारोबार 23.19% है। एमटीएच हैदराबाद की संपत्ति एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की कुल संपत्ति का 25.22% है।

शाखा लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियों के आधार पर अस्वीकरण के आधार का सारांश दिया है-

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभाग के पास भारत सरकार से पट्टे पर अचल संपत्ति हस्तांतरित है, लेकिन यह इंड एएस 116 के अनुरूप नहीं है क्योंकि पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वित्तीय विवरणों के नोट 3ए के संदर्भ में, प्रभाग परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास के लिए इसकी लागत का 100% चार्ज करता है, जिसका अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये है। परिसंपत्ति रजिस्टर की जांच करने पर हमने पाया कि परिसंपत्तियों की खरीद की तारीखें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे इन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के बारे में संदेह पैदा होता है। हालाँकि, मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग इसका पालन कर रहा है।

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर: हम वित्तीय विवरणों के नोट 3बी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो 1,10,00,000 रुपये की प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का खुलासा करता है। लेखापरीक्षा के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके ब्योरे के अभाव में हम प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अस्तित्व पूर्णता और मूल्यांकन पर एक राय बनाने में असमर्थ हैं।

(ग) इन्वेंटरी मूल्यांकन: हम वित्तीय विवरणों के नोट 5 और 25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रभाग ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष (पिछले वर्ष: 39,05,51,467) के लिए नोट संख्या 5 पर 37,12,74,054 रुपये की अपनी इन्वेंटरी का खुलासा किया, जिसके लिए हम उस तिथि तक इन्वेंटरी के अस्तित्व के शीर्षक और मूल्य के बारे में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, विचाराधीन वर्ष के दौरान 1,19,86,909 रुपये का गैर-चलती इन्वेंटरी के खिलाफ प्रावधान किया गया और अन्य व्यय - नोट संख्या 25

के तहत लाभ और हानि खाते में भारित किया गया, जिसमें 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए गए कुल प्रावधान 4,82,89,601 रुपये (पिछले वर्ष 3,63,02,692) हैं, जो नोट संख्या 5 के तहत खुलासा किया गया है। सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट को छोड़कर कोई आधार प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण हम गैर-चलती इन्वेंटरी के खिलाफ किए गए प्रावधान की शुद्धता पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

(घ) व्यापार प्राप्य: हम वित्तीय विवरणों के नोट 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 35,51,88,038 रुपये (पिछले वर्ष 32,80,05,797 रुपये) की व्यापार प्राप्य राशि का खुलासा किया गया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहक-वार शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई। ग्राहकों से पुष्टि पत्रों के अभाव में, हम व्यापार प्राप्तियों के संबंध में पुष्टि करने और खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक-वार और लेन-देन-वार व्यापार प्राप्य की अवधि लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप हम नोट 6ए में बताए गए व्यापार प्राप्य की अवधि की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

(ङ) क्रेडिट हानि के लिए भत्ता: हम व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 6, 6ए और 25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नोट संख्या 25 "अन्य व्यय" के तहत 'अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता' के कारण लाभ और हानि खाते में 69,68,182 रुपये (पिछले वर्ष 1,74,34,928) का शुल्क लिया जाता है। नोट संख्या 6 में 'अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते' की कुल राशि (प्रावधान) 22,79,77,008 रुपये (पिछले वर्ष 22,10,08,826 रुपये) है। प्रभाग व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध 'अपेक्षित ऋण हानि' के लिए किए गए प्रावधान और वर्ष के अंत में वहन राशि को उचित ठहराने में विफल रहा है। इसलिए, हम इस पर एक राय बनाने में असमर्थ हैं कि क्या अवधि के दौरान 'अपेक्षित क्रेडिट हानि' के लिए किए गए प्रावधान और 'अपेक्षित क्रेडिट हानि' के लिए वहन राशि पर्याप्त है।

(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां: हम वित्तीय विवरणों के नोट 9- "अन्य चालू परिसंपत्तियों» की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, प्रभाग ने आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का खुलासा किया, जिसकी राशि 6,97,85,415 रुपये (पिछले वर्ष 7,37,82,623 रुपये) थी। विभाग उन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों का ब्यौरा रखने में विफल रहा है जिन्हें अग्रिम राशि दी गई है, जबकि लेखा अभिलेखों के रखरखाव में विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उसी के अभाव में हम उस पर एक राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने इन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के अग्रिमों के विरुद्ध 'संदिग्ध अग्रिमों की हानि' के लिए प्रावधान प्रदान किया है, जिसकी राशि 2,08,15,692 रुपये (पिछले वर्ष 2,08,15,692 रुपये) है। प्रभाग आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों के अग्रिमों के विरुद्ध किए गए प्रावधान को उचित ठहराने में विफल रहता है। परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(छ) उधार और अन्य वित्तीय देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के नोट 13.बी और नोट 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें खुलासा किया गया है कि प्रभाग ने भारत सरकार से 90,73,05,000 रुपए (पिछले वर्ष 90,73,05,000 रुपए) की राशि का सावधि ऋण लिया था, जिस पर अर्जित और देय ब्याज की राशि क्रमशः 130,98,82,874 रुपए (पिछले वर्ष 1,15,98,29,947 रुपए) नोट संख्या 15 में बताई गई है। वित्तीय विवरणों में सुरक्षा और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान या प्रकट नहीं की गई थी। अपेक्षित जानकारी का खुलासा न करने के कारण यह अनुसूची III का उल्लंघन है। इसके अलावा, हम अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत प्रकट देनदारी के वर्तमान और गैर-वर्तमान हिस्सों पर एक राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, हम इन ऋणों की स्थिति का निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं क्योंकि ऑडिट के लिए ब्याज और मूल राशि बकाया दिखाने वाले प्रधान कार्यालय के एक पत्र को छोड़कर कोई तीसरे पक्ष की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी।

(ज) व्यापार देय: हम वित्तीय विवरणों के नोट 14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो विक्रेताओं को 24,50,18,324 रुपये (पूर्व वर्ष 21,17,65,745 रुपये) के कारण देय राशि का खुलासा करता है। विक्रेताओं से पुष्टि पत्र न मिलने के कारण, हम व्यापार देय राशियों के बारे में पुष्टि करने और खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, नोट संख्या 14 के तहत व्यापार देय राशि में शामिल निम्नलिखित राशियाँ बिना किसी

औचित्य के पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर / जारी रहीं हैं:

- ओएसएल व्यय की देयता: 5,96,88,819 रुपये
- हैदराबाद मेट्रो जल: 8,18,37,775 रुपये
- एससीआर व्यय की देयता: 79,70,164 रुपये

जिसके अभाव में हम एक जैसी राय नहीं बना पाते।

वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14ए में बताई गई राशि के संदर्भ में, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रभाग के 'सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय राशि' का खुलासा करता है। हमारे ऑडिट के उद्देश्य से एमएसएमई विक्रेताओं के लिए मान्यता मानदंड प्रदान नहीं किए गए हैं, जो वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, नोट 14बी में बताए गए व्यापार देय की अवधि की पुष्टि करने के लिए विक्रेता-वार और लेन-देन-वार व्यापार देय की अवधि प्रदान नहीं की गई है।

(झ) अग्रिम में प्राप्त राजस्व: हम वित्तीय विवरणों के नोट 16 के अंतर्गत 'अन्य चालू देयताओं' की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 10,45,70,143 रुपये (पिछले वर्ष 10,33,72,324 रुपये) की राशि 'अग्रिम प्राप्त राजस्व' शामिल है। विभाग संबंधित ग्राहकों से प्राप्त राशि और उनके पुष्टिकरण पत्रों का विवरण प्रदान करने में विफल रहता है। इसके अभाव में, हम इस पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

(ञ) वैधानिक बकाया: हम 'अन्य देनदारियों' के तहत वित्तीय विवरणों के उसी नोट नंबर 16 पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें 'वैधानिक बकाया' राशि 69,96,09,510 रुपये (पूर्व वर्ष 67,36,07,948 रुपये) शामिल है; "करों और अन्य देय करों की रोकथाम» की राशि 2,37,35,260 रुपये (पूर्व वर्ष 3,69,97,253 रुपये) है। इनमें से काफी राशि पिछले वर्षों की बकाया है। विभाग को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों को देय राशि के लिए समय-सीमा और उक्त बकाया राशि के लिए कोई मूल्यांकन आदेश प्रदान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप हम इन राशियों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

(त) अन्य देनदारियां: हम वित्तीय विवरणों के उसी नोट 16 पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, 'अन्य देनदारियों' में निम्नलिखित देनदारियां शामिल हैं:

- विविध वसूली : रु. 1,20,89,855
- किराए के एवज में प्राप्त अग्रिम राशि : रु. 25,93,974
- एससीआर व्यय : रु. 52,69,152

विभाग को उन पार्टियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिन्हें ये राशि देय/देय है और संबंधित पार्टियों से पुष्टि पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप, हम इन राशियों पर कोई राय नहीं बना पा रहे हैं।

(थ) अन्य व्यय: वित्तीय विवरणों के नोट 25 के संदर्भ में - 'अन्य व्यय' जिसमें पीएफ ट्रस्ट घाटा 1,25,00,000 रुपये (पिछले वर्ष 1,25,00,000 रुपये) शामिल है। इसके लिए, प्रभाग ने स्पष्ट किया कि प्रभाग ने अपने ट्रस्ट को भविष्य निधि का भुगतान करने का विकल्प चुना था, लेकिन पीएफ ट्रस्ट में अंशदान के भुगतान में चूक हुई है। परिणामस्वरूप, इस चूक के कारण प्रभाग ने पीएफ ट्रस्ट द्वारा 1,25,00,000/- रुपए का घाटा साझा किया है। यह राशि सांविधिक बकाया के अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्ज की गई है और नोट संख्या 16 में 'अन्य चालू देनदारियों' में प्रकट की गई है। प्रभाग को उक्त राशियों के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, हम लाभ और हानि के विवरण और देनदारियों के तहत बैलेंस शीट में ली जाने वाली रकम पर एक राय बनाने में असमर्थ हैं।

(द) आकस्मिक देनदारियां: हम वित्तीय विवरणों के नोट 26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रभाग के खिलाफ लंबित मुकदमों और विभिन्न मामलों से संबंधित आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करता है। हम वित्तीय विवरणों में इन खुलासों की विश्वसनीयता का आकलन करने में असमर्थ हैं, न ही प्रस्तुत मुकदमों और मामलों की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। परिणामस्वरूप हम वित्तीय विवरणों पर इन आकस्मिक देनदारियों के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपर्याप्त जानकारी के कारण कई मामलों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका है।

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो मुख्यतः 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध - में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से व्यावसायिक स्व-विवेक के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर पूर्ण रूप से अपने मत का निर्धारण करने के लिए हमने अपनी लेखापरीक्षा के लिए इन मामलों पर विचार किया है तथा इन मामलों के लिए हम अलग से किसी मत की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। नीचे प्रस्तुत प्रत्येक मामले के लिए, हमारी प्रस्तुति में, इस संदर्भ में, इन मामलों का समाधान कैसे किया गया है, का वर्णन किया गया है। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषण के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

हमने अपनी रिपोर्ट के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित उत्तरदायित्वों की पूर्ति की है, जिसमें इन मामलों की सम्बद्धता शामिल हैं। तदनु- सार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों के हमारे आकलन की प्रतिक्रिया के लिए तैयार की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, संलग्न स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति का आधार प्रदान करते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	**हमारी लेखा परीक्षा में इन प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का समाधान कैसे किया गया**
1. एचएमटी लिमिटेड	
भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार परिचालन पट्टों से राजस्व स्वीकृत- पट्टे	
कंपनी वाणिज्यिक और आवासीय आधार पर संपत्तियों को पट्टे पर देने से किराये की आय अर्जित करती है। चूंकि अर्जित किराये की आय कुल अर्जित आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, इसलिए इस मामले को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने आवासीय क्वार्टरों और दुकानों की संख्या, अधिभोग, किरायेदार का नाम, अधिभोग की तिथि और रिक्ति जैसी जानकारी प्राप्त की है। • हमने नमूना आधार पर पट्टा अनुबंधों का सत्यापन किया है। • हमने पट्टा समझौतों के अनुसार मान्यता प्राप्त किराये की आय के साथ पारित जर्नल प्रविष्टियों को सत्यापित कर लिया है। • हमने इकाई द्वारा प्राप्त किराये पर भारतीय लेखा मानक 116 के प्रभाव का सत्यापन किया है।

घड़ियों की बिक्री से मान्यता प्राप्त राजस्व	
इकाई घड़ियों की बिक्री में लगी हुई है और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कमाती है। और इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने यह समझ लिया है कि शोरूम में की गई बिक्री और ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से की गई बिक्री के लिए चालान कैसे तैयार किया जाता है। • हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लेनदेन लॉग उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर चालान तैयार किए गए। • हमने लेखा पुस्तकों में घड़ियों की बिक्री से प्राप्त आय को दर्ज करने के आधार पर एक समझौता प्राप्त किया है।
	• पुस्तकों में दर्ज घड़ियों की बिक्री का चयन नमूना आधार पर किया गया तथा तैयार किए गए चालानों से उसका सत्यापन किया गया। • हमने की गई बिक्री के विरुद्ध बनाए गए चालानों के अनुक्रमिक क्रम की जाँच की है। • हमें रद्द किए गए चालान के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है।
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिया गया ऋण	
इकाई ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को 30,582.41 लाख रुपये का ऋण दिया था। इस इकाई को ऋण के रूप में दी गई राशि चालू परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बनती है और इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं – • हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋण के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड समिति की बैठक के कार्यवृत्त और बोर्ड के प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। • हमने उस ब्याज दर का सत्यापन कर लिया है जिस पर ऋण दिया गया था। • हमने दिए गए ऋण के लिए धन के स्रोतों का सत्यापन कर लिया है। • हमने उन कारणों का सत्यापन कर लिया है जिनके लिए ऋण दिए गए थे। • हमने दिए गए ऐसे ऋण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रभाव का सत्यापन किया है। • हमें ऐसे ऋण पर दर्ज ब्याज आय के संबंध में ब्याज कार्यप्रणाली उपलब्ध कराई गई।

इन्वेंटरी मूल्यांकन	
इन्वेंटरी को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, क्योंकि इसके मूल्य निर्धारण और हानि के निर्धारण के लिए कई प्रमुख मान्यताओं और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं – • हमने प्रबंधन से इन्वेंटरी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। • हमने इकाई द्वारा रखे गए इन्वेंट्री के प्रकार के संबंध में मात्रात्मक विवरण प्राप्त कर लिया है। • हमने समापन तिथि पर इन्वेंट्री को मापने के लिए इकाई द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति पर समझ प्राप्त कर ली है। • हमने भारतीय लेखा मानक-2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं का विश्लेषण और सत्यापन किया है।

मामले के प्रभाव का पैराग्राफ

1. एचएमटी लिमिटेड

क) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट से 49 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने 15 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 50%) का निवेश किया है, जिसमें सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु (मेसर्स सुडमो - एचएमटी) में 10 रुपये के 1,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। मेसर्स सुधो-एचएमटी के पास कोई परिचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी (मेसर्स सुडमो-एचएमटी) को बंद करने के लिए अनुमोदित (फरवरी 2020 / जुलाई 2021) किया है और बंद करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (जुलाई 2021) को प्रस्तुत किया है।

ख) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का आपका ध्यान नोट सं 50 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने 20.84 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 39%) का निवेश किया है, जिसमें गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावनगर (मेसर्स जीएसएमटीसी) में पूरी तरह से भुगतान किए गए 1 रुपये के 20,84,050 इक्विटी शेयर शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित (मार्च 2021) दिया और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीआईआईसी), जीआईआईसी को सहमति पत्र जारी किया (सितंबर 2021) मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दी और उद्योग और खान विभाग को प्रस्ताव (अक्टूबर 2021) प्रस्तुत किया। एचएमटी लिमिटेड ने परिसमापन प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय (अप्रैल 2022) को प्रस्तुत किया।

ग) समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का आपका ध्यान नोट सं. 51 जिसमें एचएमटी लिमिटेड ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मेसर्स एनएमटीएल) में पूरी तरह से भुगतान किए गए 1 नैरा के 30,00,000 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए अनुमोदन दिया (फरवरी 2020) और प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन मांगा।

घ) हम आपका ध्यान 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 3सी- अतिरिक्त जानकारी (डी) और (ई), नोट नंबर 22 अतिरिक्त जानकारी और नोट नंबर 34 (ii) की ओर आकर्षित करते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान और उत्तराखंड सरकार (हस्तांतरणकर्ता) को भूमि के हस्तांतरण से संबंधित, जिसमें कंपनी (हस्तांतरणकर्ता)

ने संपूर्ण बिक्री विचार प्राप्त कर लिया है और पहले के वर्षों में भूमि का कब्जा दे दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध का पालन किया गया है। कंपनी ने 980 लाख रुपये के कराधान का प्रावधान किया था जो चालू वर्ष में उलट दिए गए हैं। हालाँकि, भूमि के हस्तांतरण पर लाभ / हानि की पहचान बिक्री विलेख के पंजीकरण के वर्ष में मानी जाएगी।

उपरोक्त मामलों के लिए हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

2. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ("एमटीएल")

(क) एमबीएक्स, बेंगलूरु

i) जैसा कि हमें बताया गया है, सड़कों के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग 4.25 एकड़ भूमि का एक हिस्सा बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार भूमि का मुआवजा 18.93 करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें भूमि का मूल्य रुपये के मार्गदर्शन मूल्य से 1.65 गुना अधिक है। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रति एकड़ 2.70 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। 31 मार्च 2024 तक, बीबीएमपी ने संयुक्त माप और सही आयाम रिपोर्ट जारी करने के लिए 18.50 करोड़ रुपये का तदर्थ मुआवजा जमा किया है, जो नोट-18 के तहत पुस्तकों में प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि भूमि कानूनी प्रक्रियाओं के बाद बीबीएमपी को हस्तांतरित नहीं की गई है, इसलिए 4.25 एकड़ की उक्त भूमि को संपत्ति संयंत्र और उपकरण के रूप में दिखाया जाना जारी है, भले ही बीबीएमपी ने भूमि का भौतिक कब्जा ले लिया हो।

(ख) एमटीए अजमेर

i) राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप देने के लंबित होने के कारण, मशीन टूल यूनिट अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के रूपांतरण के लिए देय रूपांतरण शुल्क, यदि कोई हो, का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन है और निष्पादन पट्टा विलेख लंबित है।

3. एचएमटी वॉचेस लिमिटेड

(क) नोट संख्या 2.8 (ए)

हम वर्ष 2016-2017 में बंद विनिर्माण कार्यों के कारण एचएमटीडब्ल्यूएल के बंद होने और भारत सरकार की मंजूरी की रेखा, सभी चल-अचल के संबंध में «वित्तीय विवरणों के नोट्स» के नोट नंबर 2.8 (ए) पर ध्यान आकर्षित करते हैं। समाप्ति देनदारियों को पूरा करने के लिए संपत्तियों का निपटान किया जा रहा है। एमएचआई ने दिनांक 05-05-2022 के पत्र के माध्यम से एचएमटीडब्ल्यूएल (बंद होने के अधीन) की पुस्तकों से सभी अचल संपत्तियों को होल्डिंग कंपनी एचएमटी लिमिटेड की पुस्तकों में बुक वैल्यू पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकारों को एचएमटीडब्ल्यूएल की पुस्तकों में 2,69,378.75 लाख रुपये के भारत सरकार के ऋण को बट्टे खाते में डालने के कारण आयकर देयता को पूरा करने के लिए 837.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, ताकि कंपनी अधिनियम 2017 की धारा 248 के तहत एचएमटीडब्ल्यूएल को बंद करने के लिए आवेदन दाखिल किया जा सके।

(ख) नोट संख्या 2.22

हम भारत सरकार के 2,69,278.75/- लाख रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डालने के संबंध में «वित्तीय विवरणों के नोट्स» के नोट संख्या 2.22 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उक्त राशि भारत सरकार को देय थी और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 13-01-2017, 08-05-2023 और 06-02-2024 के अनुसार, कंपनी ने भारत सरकार के ऋणों की राशि 2,69,278.75 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिया है।

(ग) नोट संख्या 2.29

हम परिसमापन के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में «वित्तीय विवरणों के नोट्स» के नोट संख्या 2.29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी का प्रबंधन कंपनी को बंद करने का इरादा रखता है क्योंकि

कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और इसकी शुद्ध संपत्ति कम हो गई है। घाटे को देखते हुए हितधारकों ने कंपनी को बंद करने और कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर कंपनी के खाते चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं।

अन्य मामले

1. समूह समग्र रूप से

(क) कंपनी के वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के आंकड़ों का एसएसबी एंड एसोसिएट्स द्वारा ऑडिट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, जिसमें ऑडिटर ने 31-03-2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय प्रदान की है। पिछले ऑडिटर द्वारा दी गई योग्य राय «अनुलग्नक ए» के रूप में दी गई है।

ख) हमने उन तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं की जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 को कुल संपत्ति दर्शाते हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व (बंद किए गए संचालन में राजस्व सहित) निम्नानुसार हैं:-

सहायक कंपनी का नाम	कुल संपत्ति (रु.) (लाखों में)	कुल राजस्व (रु.) (लाखों में)
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	31,338.53	13,131.83
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	5,862.44	1,969.86
एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	-	61.21

जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी रिपोर्ट धारित कंपनी द्वारा हमें सौंपी गई है और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल मात्रा और प्रकटीकरण से संबंधित है और संयुक्त उद्यम कंपनी और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, इस मामले के संबंध में किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

ग) धारित कंपनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक सहयोगी कंपनी, गुजरात मशीन टूल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं और इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से उस पर विचार नहीं किया गया है।

घ) संयुक्त उद्यम सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जिसमें समूह के नुकसान का हिस्सा 0.57/- लाख रुपये था, के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए विचार किया गया है।

ड़) धारित कंपनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, सहयोगी, के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, और इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं किया गया है।

2. एचएमटी लिमिटेड

(क) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के 26,08,99,037 इक्विटी शेयरों और 4,43,00,000 वरीयता शेयरों के भौतिक शेयर प्रमाणपत्र, जिनकी लागत क्रमशः 26,089.90 लाख रुपये और 44,300.00 लाख रुपये है, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कब्जे में नहीं थे।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सूचना शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उसके संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन रूपी निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है अथवा नहीं है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से कोई मिथ्यकथन किया गया प्रतीत होता है अथवा नहीं होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

धारित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं जो मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ /हानि और अन्य व्यापक आय, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह में परिवर्तन का समेकित विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक इकाई की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो भौतिक गलत विवरण से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और स्वतंत्र हैं। जिसका उपयोग उपरोक्तानुसार धारित कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक इकाई की एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, मौजूदा चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने, लेखांकन के चालू चिंता आधार का उपयोग करने, जब तक कि संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल या तो इकाई को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखते हो, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं हो, के लिए जिम्मेदार हैं।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा के माध्यम से पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप

हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या धारित कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एक चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण इस तरह से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन शासन शुल्कों पर बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय का अनुपालन किया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार दावरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षाओं के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर तथा भारत में निगमित सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर «अनुलग्नक बी» में एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने/अन्य लेखापरीक्षकों, जिनकी रिपोर्टों पर भरोसा किया है, सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से पता चलता है;

(ग) रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण जिसमें अन्य व्यापक आय का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण शामिल है, लेखा बहियों के अनुसार हैं;

(घ) इस रिपोर्ट में में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ड़) 31 मार्च 2024 को होल्डिंग के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया और वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जो अधिनियम की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए हैं, समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च 2024 तक अयोग्य नहीं है;

(च) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ग" में हमारी अलग से रिपोर्ट देखें, और

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के साथ-साथ सहायक कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी को 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट के रूप में शामिल करने के आधार पर;

i) समेकित वित्तीय विवरणों ने अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 37 को देखा जा सकता है।

ii) समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो; और

iii) समूह तथा उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv) क) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का ऑडिट अधिनियम के तहत किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों को क्रमशः प्रतिनिधित्व किया है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं («मध्यस्थ») शामिल हैं, को कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, समूह, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों («अंतिम लाभार्थी») द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

ख) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के क्रमशः अन्य लेखा परीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं («फंडिंग पार्टियों») शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि समूह, सहयोगी और संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी («अंतिम लाभार्थी») द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेंगे; और

ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और भारत में निगमित कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखा परीक्षक के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है;

v) होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है या भुगतान नहीं किया है, और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं है।

vi) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी और जो सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को छोड़कर, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, कंपनी, सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह पूरे साल काम करता रहा है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हम और ऊपर उल्लिखित सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित ऑडिटर ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं देख पाए। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को कंपनी और ऊपर संदर्भित सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा संरक्षित किया गया है।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVM3702

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड (‘होल्डिंग कंपनी’) के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक ए, 31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरणों में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर दी गई योग्य राय इस प्रकार है:

I. एचएमटी लिमिटेड

1) कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय एवं समग्र कम्पनी:

1. व्यापार प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों, व्यापार देय और अन्य चालू देनदारियों तथा इनके परिणामी शेष की पुष्टि नहीं की गई है, इनसे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव, यदि कोई है, की प्रमात्रा का ज्ञान नहीं किया जा सकता है।

2. कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मशीन की यथास्थिति प्रदान नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप, हम इससे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. हम आपका ध्यान नोट संख्या 63 की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के साथ इसका कोई लेनदेन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह स्थापित करने के लिए उचित ऑडिट साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं कि उनके पास इस तरह के लेनदेन नहीं है।

4. कंपनी से इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता हानि के लिए अक्षमता हानि के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। तथापि, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हानि भत्तों के प्रावधान के लिए ईसीएल मेट्रिक्स निर्मित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, हम इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं।

2) फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद:

1. नोट संख्या 2 (ii) (जे) में बताए अनुसार इन्वेंट्री मूल्यांकन के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कच्चे माल का स्टॉक, इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत विधि को अपनाकर किया जाता है। हालाँकि, सत्यापन उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए सूची विवरण में, पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव के कारण स्टॉक मद दरों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। कंपनी के रिकॉर्ड की प्रकृति और पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव में, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि कंपनी द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन की भारित औसत लागत पद्धति से कोई महत्वपूर्ण विचलन है या नहीं। हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभावों, यदि कोई हो, का पता लगाने में भी असमर्थ हैं।

II. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ("एमटीएल"):

1. व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय और अन्य वर्तमान देयताओं के शेष की पुष्टि न होना और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(क) एमबीएक्स, बेंगलूरु

1. भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) की आवश्यकता के अनुसार, निम्नलिखित मानकों पर संशोधित किया गया है:भारतीय लेखा मानक 2-हमें प्रदान किए गए विवरण और जानकारी के अनुसार, कच्चे माल, प्रगतिरत कार्य और स्टॉक इन ट्रेड (तैयार माल) का मूल्य विशेष कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और स्टॉक लेना भारित औसत आधार पर होता है। हालाँकि, मूल्यांकन रिपोर्ट और सूची के

विस्तृत कामकाज की अनुपलब्धता के कारण, हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन और इसके कारण वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ ही नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।

2. व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, प्राप्त अग्रिम, भुगतान किए गए अग्रिम, जमा (सुरक्षा जमा सहित) के संबंध में पार्टियों से पुष्टि के अभाव में, इन खातों में 31 मार्च 2023 तक उपयुक्त प्राधिकारियों को भविष्य निधि बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज/जुर्माना/क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसकी गणना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक ग्रेच्युटी बकाया का निपटान न करने/भुगतान न करने पर जुर्माने/क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस गैर-प्रावधान के प्रभाव पर एक राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

(ख) एमटीए, अजमेर

1. भारतीय लेखा मानक -36: अजमेर इकाई द्वारा विभिन्न परिसंपत्तियों पर क्षति परीक्षण नहीं किया गया। इसलिए हानि परीक्षण न कराने के वित्तीय निहितार्थ का पता नहीं लगाया जा सका।

2. हम इकाई के लिए भारतीय लेखा मानक-116, पट्टों की प्रयोज्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि आवश्यक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

3. इकाई से सेवानिवृत्त/अलग हुए कर्मचारियों के मामले में यूनिट ने 2,00,62,661/- रुपये की सीमा तक ग्रेच्युटी के निपटान/भुगतान में चूक की है। इसके अलावा यूनिट ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान/निपटान न करने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं किया है। आकस्मिक प्रकृति का होने के कारण यूनिट द्वारा जुर्माने की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।

4. अजमेर इकाई ने भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय किसी भी ब्याज का भुगतान (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना नहीं किया है।

(ग) एमटीपी, पिंजौर:

1. भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार, परिभाषित लाभ योजना को कोई भी योजना कहा जाता है जिसमें उद्यम का वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का दायित्व होता है और बीमांकिक जोखिम और निवेश जोखिम कम हो जाते हैं। इसलिए, इकाई ने 31 मार्च, 2023 तक भविष्य निधि बकाया के लिए बीमांकिक मूल्यांकन दायित्व निर्धारित नहीं किया है। वर्षों के वित्तीय विवरणों पर इसका परिणामी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, भविष्य निधि स्थापित नियोक्ता को ब्याज की कमी को पूरा करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकता होती है, जो कि भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार प्रभावी रूप से परिभाषित लाभ योजना होगी। इसलिए यह भारतीय लेखा मानक-19 कर्मचारी लाभ के अनुपालन में नहीं है।

2. भारतीय लेखा मानक-36, परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार, इस मानक का उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करना है जो एक इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए लागू करती है कि उसकी परिसंपत्तियों को उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक पर नहीं ले जाया जाता है। किसी परिसंपत्ति को उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पर ले जाया जाता है यदि उसकी वहन राशि परिसंपत्ति के उपयोग या बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाने वाली राशि से अधिक हो। यदि यह मामला है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में वर्णित किया गया है और मानक के अनुसार इकाई को क्षति हानि को पहचानने की आवश्यकता है। मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी इकाई को क्षति हानि को कब उलटना चाहिए और प्रकटीकरण निर्धारित करना चाहिए। हालाँकि, कंपनी परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण करने में विफल रही है, जैसा कि अन्यथा वार्षिक एक बार आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

(घ) एमटीएच, हैदराबाद

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर उनके उपयोगी जीवन के दौरान संपत्ति की लागत का 100% शुल्क लिया जाता है। सभी परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये पर मानकीकृत किया गया है। प्रभाग ने अपने उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की लागत का 100% मूल्यह्रास वसूलने को उचित रूप से उचित नहीं ठहराया है और लेखा टिप्पणियों में इसका प्रकटन नहीं किया है। हमारी राय में यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से एक विचलन है जहां यह कहा गया है कि मूर्त संपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य 5% होना चाहिए और उनके उपयोगी जीवन पर संपत्ति की लागत का 95 प्रतिशत मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए। इस तरह के गैर-अनुपालन से नुकसान, परिसंपत्ति और देयताओं पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। हमारे अवलोकन से पता चला कि प्रभाग ने "घटक" आधारित मूल्यह्रास पद्धति का अनुपालन नहीं किया है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 16 द्वारा बताई गई नीति के बावजूद आवश्यक है और पीपीई के किसी मद के घटकों की आवश्यक पहचान की पहचान और तदनुसार मूल्यह्रास नहीं किया गया है। इस तरह के गैर-अनुपालन का नुकसान और संचित मूल्यह्रास पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

2. कर्मचारी लाभ: हमारे अवलोकन से पता चला कि प्रभाग भारतीय लेखा मानक 19 के पैरा 57 के अनुपालन में नहीं है, क्योंकि परिभाषित लाभ योजना में वर्तमान सेवा लागत और उसके ब्याज दायित्व शामिल नहीं हैं और न ही इसमें योजना परिसंपत्ति शामिल है। इस तरह के गैर-अनुपालन का नुकसान और वर्तमान देनदारियों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

3. माल की बिक्री में ग्राहक परिसर में फ्री-ऑन-रोड ("एफ ओ आर") आधार पर ग्राहकों को भेजी गई चार मशीनों से संबंधित 16.43 करोड़ रुपये शामिल हैं। हालाँकि, चार अनुबंधों के संबंध में चालान 31 मार्च 2023 को या उससे पहले उठाए गए थे, स्वामित्व का जोखिम और इनाम 31 मार्च 2023 से पहले स्थानांतरित नहीं किया गया था, स्वामित्व का जोखिम और इनाम 31 मार्च 2023 से पहले स्थानांतरित नहीं किया गया था क्योंकि अनुबंध जारी थे ग्राहक परिसर के आधार पर। ग्राहक परिसर में वास्तविक डिलीवरी के बिना फॉर ग्राहक परिसर अनुबंधों में चालान के आधार पर बिक्री राजस्व की मान्यता के परिणामस्वरूप बिक्री में 16.43 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और व्यापार में स्टॉक में 12.19 करोड़ रुपये की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान में 4.24 करोड़ रुपये की कमी आई है।

4. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद (एमटीएच) की फैक्ट्री और टाउनशिप पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को 25.21 करोड़ रुपये का संपत्ति कर देय है। चूंकि जीएचएमसी को संपत्ति कर के भुगतान पर एमटीएच द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश अक्टूबर 2022 में माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था, जीएचएमसी (नवंबर 2022 में) ने एमटीएच पर एमटीएच की फैक्ट्री और टाउनशिप के संबंध में 25.21 करोड़ के संपत्ति कर के भुगतान की मांग उठाई। हालाँकि, कंपनी ने इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं की हैं।

5. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) ने 12.31 करोड़ रुपये का पानी और सीवरेज शुल्क बिल का मामला उठाया है। हालाँकि, कंपनी ने इस संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ नहीं की हैं।

6. तेलंगाना की साउदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (टीएसएसपीडीसीएल) ने अपनी पिछली मांग 1.84 करोड़ रुपये को संशोधित कर 1.16 करोड़ रुपये कर दी है। कंपनी ने इस राशि का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया है लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है।

ड़) एमटीएम, बेंगलूरु

1. भारतीय लेखा मानक -36 परिसंपत्तियों की क्षति का अनुपालन: हम इकाई की परिसंपत्तियों की संभावित क्षति हानि के आकलन के संबंध में भारतीय लेखा मानक -36 परिसंपत्तियों की हानि की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी की प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा

परिसंपत्ति सत्यापन हर तीन साल में एक बार किया जाता है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आयोजित सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, इकाई को निपटान के लिए प्रबंधन की मंजूरी लेनी बाकी है। कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार उक्त परिसंपत्तियों की संख्या और क्षति मूल्य की मात्रा रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित भविष्य निधि प्रेषण और निधि की हानि पर ब्याज प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

3. वित्तीय विवरणों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं।

II एचएमटी वॉचेस लिमिटेड ("एचडब्ल्यूएल")

(क) **चालू चिंता की स्थिति:**

1. एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो इकाई की एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है और वित्तीय विवरण इस मामले का पर्याप्त रूप से प्रकटन नहीं करते हैं।

2. निदेशक मंडल ने 18.01.2016 को आयोजित अपनी 72वीं बोर्ड बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से अनुमोदन मिलने के बाद कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है।

3. 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर कंपनी का संचित घाटा 2,68,727.66 लाख रुपये था, जिसके मुकाबले कंपनी की चुकता पूंजी 649.01 लाख रुपये थी और घाटे ने कंपनी की निवल मालियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

4. कंपनी को पिछले कई सालों से लगातार घाटा हो रहा है।

5. 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर कंपनी की कुल देयताएँ रु. 2,69,382.96 लाख (पिछले वर्ष रु. 2,72,473.57/- लाख) है, जिसके मुकाबले अचल और चालू परिसंपत्तियों का बही मूल्य केवल रु. 1,304.31 लाख (पिछले वर्ष रु. 4,245.30 लाख) है।

(ख) दिनांक 13.01.2017 और 27.03.2017 के पत्र के माध्यम से भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पत्राचार के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2,69,378.75 लाख रुपये की राशि के भारत सरकार और धारित कंपनी के ऋणों को समायोजित नहीं / बट्टे खाते में डाला है। हालाँकि, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के निदेशक मंडल की 79वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड ने सीसीईए द्वारा दिनांक 13.01.2016 के पत्र द्वारा अनुमोदित कंपनी को बंद करने के समय ब्याज सहित ऋण को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया है। नतीजतन, कंपनी ने भारत सरकार की देयताओं (टिप्पणी 2.12) को 2,69,378.75 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है और अन्य इक्विटी (टिप्पणी 2.10) के नकारात्मक शेष को 2,68,378.75 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, उपर्युक्त लेन-देन के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी आवश्यक प्रावधान का भी लेखा-जोखा नहीं किया गया और न ही उसका पता लगाया गया है।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVM3702

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ख

एचएमटी लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक ख के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के संदर्भ में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(xxi) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	संबंध	सीएआरओ रिपोर्ट का खंड क्रमांक जो योग्य है या प्रतिकूल है
1	एचएमटी लिमिटेड	L29230KA1953GOI000748	धारित कंपनी	खंड (i) (बी)
				खंड (i) (सी)
				खंड (iii) (ए) (ए)
				खंड (iii) (सी)
				खंड (iii) (डी)
				खंड (iii) (एफ)
				खंड (vii) (ए)
				खंड (vii) (बी)
				खंड (ix) (ए)
				खंड (xiv) (बी)
2	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	U02922KA1999GOI025572	सहायक कंपनी	खंड (i) (बी)
				खंड (vii) (ए)
				खंड (vii) (बी)
				खंड (xi) (ए)
				खंड (xvii)
3	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	U33301KA1999GOI25573	सहायक कंपनी	-
4	एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड	U3309KA1974GOI002707	सहायक कंपनी	-

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVM3702

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए एचएमटी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(सम तिथि की एचएमटी लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) का संदर्भ)

31 मार्च, 2024 तक "एचएमटी लिमिटेड" की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। त्रुटियाँ, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। अपना ऑडिट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन की गई शर्तों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य ऑडिटरों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने

के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्णगलत विवरण हो सकते हैं और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय:

1. एचएमटी लिमिटेड की योग्य राय:

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर अपना आंतरिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, हम अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और क्या ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा की गई सीमित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है:

(i) फूड प्रोसेसिंग मशीनरी यूनिट, औरंगाबाद-

(क) शाखा के पास भंडार के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है क्योंकि वित्तीय लेखा मॉड्यूल और इन्वेंट्री मॉड्यूल के बीच कोई एकीकरण नहीं है।

(ख) शाखा के पास विविध देनदारों विविध लेनदारों और अन्य पक्षों से संतुलन की पुष्टि करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है। इससे देनदारों, लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सामग्री कमज़ोरी आ सकती है।

(ग) शाखा ने जीएसटी की देयता पर जीएसटी, टीडीएस के उचित रिकॉर्ड और समाधान को बनाए नहीं रखा है, जिसका वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, शाखा के पास नियत तारीखों के भीतर वैधानिक देय राशि यानी जीएसटी, टीडीएस, पीएफ, पीटी ईएसआईसी आदि के भुगतान पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

(ii) ऑक्सिल्लरी बिज़नस डिविजन, बेंगलूरु

(क) शाखा के पास वस्तुएं और सेवाएं कर आदि से संबंधित वित्तीय खातों का समाधान करने के लिए एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। प्रासंगिक कर रिकॉर्ड

और रिटर्न के साथ जिसके परिणामस्वरूप संभवतः वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों का कम/अधिक विवरण हो सकता है। इस तरह के गैर-समाधान से खरीद/खरीद का उचित हिसाब न रखने की संभावना भी बढ़ जाती है।

(ख) शाखा के पास इन्वेंट्री और इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

(ग) शाखा के पास विभिन्न आउटलेट से चालान, बिक्री और इन्वेंट्री पर नियंत्रण की एक उचित प्रणाली नहीं है।

(iii) कॉर्पोरेट मुख्यालय और समग्र रूप से कंपनी

(क) कंपनी के पास विविध देनदारों विविध लेनदारों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकता है।

2. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ("एमटीएल")-

हमारी राय, सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दो विभाजन अर्थात, 1) एचएमटी-हैदराबाद (उपरोक्त के रूप में अस्वीकरण की राय) और 2) प्रागा टूल्स - हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित सामग्री कमजोरियों की पहचान की गई है।

(i) पीटीएच, प्रागा टूल्स हैदराबाद के संबंध में

(क) कंपनी के पास इन्वेंट्री को समेटने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय पुस्तकों को अनुचित अद्यतन, इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पार्टियों से शेष पुष्टि प्राप्त करना था। कंपनी पिछले "3" सालों से नकद घाटे में चल रही है, और भारत सरकार के ऋण चुकाने में असमर्थ है। इससे देनदारों, लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में संभावित रूप से कमी आ सकती है।

(ख) कंपनी के पास माल एवं सेवा कर आदि से संबंधित वित्तीय खातों को संबंधित कर रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ मिलान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों का कम/अधिक विवरण संभव है। इस तरह के गैर-समाधान से खरीद/ खरीदों का ठीक से लेखांकन नहीं करने की संभावना भी बढ़ जाती है और नियत तारीखों के भीतर सांविधिक देय राशि के भुगतान और विभिन्न विधियों के तहत सांविधिक देय राशि को दाखिल करने के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण शुरू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न दंड, विलंब शुल्क और अन्य परिणाम होते हैं।

(ii) एमटीए अजमेर के संबंध में

(क) कंपनी के पास इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(ख) शाखा के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है। इसके परिणामस्वरूप देनदारों, लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भौतिक कमजोरी हो सकती है।

(ग) कंपनी के पास वैधानिक बकाया राशि का भुगतान नियत तिथि के भीतर करने के लिए पर्याप्त नकदी शेष रखने पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण इकाई को विभिन्न विधियों के तहत दंड और देर से शुल्क लगाना पड़ा है।

(घ) शाखा के पास वस्तु एवं सेवा कर आदि से संबंधित वित्तीय खातों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। प्रासंगिक कर रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ मिलान न होने के कारण वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों का कम/अधिक विवरण हो

सकता है। इस तरह के गैर-समाधान से खरीद/खरीदारी का उचित तरीके से लेखा-जोखा न रखने की संभावना भी बढ़ जाती है।

(iii) एमबीएक्स, बेंगलूरु के संबंध में

(क) शाखा के पास वस्तु एवं सेवा कर आदि से संबंधित वित्तीय खातों का समाधान करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। प्रासंगिक कर रिकॉर्ड और रिटर्न के साथ मिलान न होने के कारण वित्तीय विवरणों में ऐसी राशियों का कम/अधिक विवरण हो सकता है। इस तरह के गैर-समाधान से खरीद/खरीदारी का उचित तरीके से लेखा-जोखा न रखने की संभावना भी बढ़ जाती है।

(ख) शाखा के पास वैधानिक रिटर्न दाखिल करने और नियत तिथियों के भीतर वैधानिक बकाया का भुगतान करने पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण कंपनी को विभिन्न क़ानूनों के तहत विभिन्न विलंब शुल्क, दंड और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है।

(iv) एमटीपी, पिंजौर के संबंध में

(क) शाखा के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है। इसके परिणामस्वरूप देनदारों, लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भौतिक कमजोरी हो सकती है।

(v) एमटीएच, हैदराबाद के संबंध में

(क) शाखा के पास लेखा पुस्तकों के रखरखाव के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है और लेखा पुस्तकों में संशोधित/हटाए गए लेखांकन प्रविष्टियों के संबंध में उचित लेखांकन और वित्त मैट्रिक्स नहीं अपनाया गया है। इससे वित्तीय विवरणों की सटीकता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(ख) शाखा के पास नियत तिथि के भीतर वैधानिक बकाया के अनुपालन के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभाग को विभिन्न दंड, विलंब शुल्क और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है।

(vi) एमटीडी, बेंगलूरु के संबंध में

(क) शाखा के पास विविध देनदारों, विविध लेनदारों, जमा, अग्रिम और अन्य पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है। इसके परिणामस्वरूप देनदारों, लेनदारों, जमाकर्ताओं, अग्रिमों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में भौतिक कमजोरी आ सकती है।

(ख) शाखा के पास विभिन्न कानूनों के तहत वैधानिक रिटर्न दाखिल करने और वैधानिक बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण कंपनी को विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न विलंब शुल्क, दंड और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है।

(vii) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में

(क) गैर-सुलह और व्यापार प्राप्य की गैर-पुष्टि, व्यापार देय शेष, जमा, बिक्री खाते के खिलाफ प्राप्त अग्रिम, ईएमडी प्राप्त और भुगतान खाता और अन्य पुराने शेष और अग्रिम।

(ख) वैधानिक रिटर्न दाखिल करने में काफी देरी/गैर दाखिल करने और वैधानिक बकाया राशि का भुगतान न करने/देरी करने से कंपनी को विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न विलंब शुल्क, जुर्माने और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है। आईटी अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, व्यवसाय कर अधिनियम, पीएफ/ईएसआई/ग्रेच्युटी अधिनियम (अधिनियमों के तहत स्थापित निधियों का भुगतान), जिसमें संपत्ति कर भी शामिल है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है और कुछ मामलों में खाते की पुस्तकों में इसका प्रावधान किया गया है।

(ग) सांविधिक निकायों जैसे आयकर, टीडीएस, जीएसटी, पीएफ आदि से प्राप्त चूक/गैर-भुगतान नोटिस/दावों के लेखांकन का जवाब देने में रिकॉर्डिंग और सुधारात्मक

विधी/प्रशासनिक कार्रवाइयों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का अभाव।

(घ) इकाइयों और निदेशालय में लेखा विभाग के समुचित स्टाफ के साथ कम्प्यूटरीकृत लेखांकन और इन्वेंट्री प्रणाली पर प्रभावी केंद्रीकृत प्रबंधन नियंत्रण की आवश्यकता है।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है और इन भौतिक कमजोरियों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।

अन्य मामले

होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह तीन सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, हमें उपलब्ध कराई गई सीमा तक ऐसी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते एन एस वी एम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 010072S

जी सी एस मणि
साझेदार
सदस्यता संख्या: 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVM3702

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 20-09-2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड, बेंगलूरु के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी लिमिटेड, बेंगलूरु का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 सितम्बर, 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है जो दिनांक 09 अगस्त 2024 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड और एचएमटी वॉचेज लिमिटेड (सहायक कम्पनी) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन हमने उक्त तिथि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (सहायक कंपनियों) और गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) और 143 (6) (ख) संयुक्त उद्यम सूडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलुरू के संबंध में निजी कम्पनी होने के कारण से लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई है और न ही इस कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा हुई है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से संबंधित टिप्पणियाँ - एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क 1. वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले नोट्स

आकस्मिक देयताएं (नोट 35)

लेखापरीक्षा ने बोर्ड के एजेंडा नोट्स से देखा कि 1 सितंबर 2023 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एक, उच्च न्यायालय में 24 मामले और वाणिज्यिक और अन्य मामलों से संबंधित 9 मामले शामिल थे। तथापि, एमटीके यूनिट ने लंबित अदालती मामलों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा एमटीके यूनिट पर वित्तीय प्रभाव को सत्यापित नहीं कर सकी।

ख. नकदी प्रवाह पर टिप्पणियाँ

ख 1. नकदी प्रवाह विवरण: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नकदी और नकदी समतुल्य

1499.88 लाख रुपये के नकद और नकद समकक्षों में एस्क्रो खातों से संबंधित 72.59 लाख रुपये की राशि शामिल थी, जिसे गलत तरीके से 49.92 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया था। 72.59 लाख रुपये की राशि टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम (सर्ज) के लिए भारत सरकार

से प्राप्त अनुदान की अव्ययित शेष राशि से संबंधित है। चूंकि ये शेष राशियां कंपनी को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए नकदी प्रवाह विवरण में इस संबंध में प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप आईएनडी एएस-7 के पैरा 48 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

ग. लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियाँ

ग1. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मशीनों की स्थापना, परीक्षण तथा उनके संतोषजनक ढंग से कार्य करने की स्थिति में पाए जाने के बाद कंपनी की एमटीके इकाई को भुगतान का 10 प्रतिशत जारी किया जाना है। इसके अलावा, इकाई को मशीनरी नींव के लिए आवश्यक सिविल कार्य ड्राइंग को अंतिम रूप देने में सहायता करनी होगी। हालाँकि, इकाई ने अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा किए बिना ही ऑर्डर की पूरी राशि के लिए राजस्व को मान्यता दे दी है। इसके परिणामस्वरूप इकाई और कंपनी दोनों द्वारा गलत राजस्व मान्यता दी गई है। इसके अलावा, कंपनी को इस संबंध में अपनी नीति में सुधार करने की आवश्यकता है।

घ. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

घ1. लेखा नोट्स

क) केरल सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 251.40 एकड़ अतिरिक्त भूमि लौटाने के आदेश जारी किये (04 नवम्बर 2015)। हालांकि, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी यूनिट (एमटीके) ने एमटीके से 251.40 एकड़ भूमि की बहाली के लिए केरल सरकार के राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (15.01.2016) अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। मार्च 2024 तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया। न्यायालय में लंबित मामले का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में इस सीमा तक कमी आ गई है।

ख) केरल सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने (30 नवंबर 2019) केरल सरकार के पुनर्ग्रहण आदेशों के आधार पर हवाई अड्डा - बंदरगाह राजमार्ग चरण- II के निर्माण के लिए उपरोक्त भूमि के एक हिस्से के हस्तांतरण के लिए एमटीके इकाई से अनुरोध किया। इसके बाद, केरल सरकार ने (16.06.2019) भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग से निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने और तत्काल आधार पर 1.6352 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया। एमटीके यूनिट ने उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने के लिए 16.34 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा तय किया। हालांकि, इस संबंध में इकाई द्वारा स्थिति का खुलासा नहीं किया गया।

ग) भारतीय लेखा मानक-19 के पैरा संख्या 139 (ख) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार, किसी इकाई को उन जोखिमों का विवरण प्रकट करना होगा, जिनके लिए परिभाषित लाभ योजना इकाई को उजागर करती है, जो किसी असामान्य इकाई-विशिष्ट या योजना-विशिष्ट जोखिमों और जोखिम के किसी महत्वपूर्ण संकेन्द्रण पर केंद्रित है। हालाँकि, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है।

C. Sailaja

(सी. सैलजा)
महानिदेशक

दिनांक: 21 अक्टूबर 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

एचएमटी लिमिटेड ("कम्पनी") भारतीय मूल की एक सरकारी कम्पनी है तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका निगमन वर्ष 1953 में हुआ था। इसका पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरु 560 032 में स्थित है। कम्पनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी खाद्य प्रस्संकरण मशीनों का निर्माण करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति बीमांकक आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार भारतीय रुपए में, केवल कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा जिनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर किया गया है, नीचे प्रस्तुत लेखांकन नीतियों के अनुसार की गई है। ऐतिहासिक लागत का सामान्य आधार माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है।

ii) समेकन का आधारः

एचएमटी लिमिटेड (मूल कंपनी), सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यम (सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरण इस समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण में उपयोग के लिए गए उसी रिपोर्टिंग तिथि समान रिपोर्टिंग तिथि के लिए निर्मित किए गए हैं जो मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष है। मूल कम्पनी को सम्बद्ध कंपनी से प्राप्त वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए है तथा उक्त सम्बद्ध कम्पनी की निवल सम्पति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तदनुसार निवेशों के मूल्य की सीमा तक हानियों का समेकन किया गया है।

iii) समेकन और इक्विटी लेखांकन के सिद्धांतः

क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को एक साथ क्रमबद्ध आधार पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह जैसी मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा-ग्रुप शेष एवं इंट्रा-ग्रुप संव्यवहारों को पूर्णतः समाप्त करके, सम्मिलित किया जाता है।

ख) इंट्रा-ग्रुप संव्यवहारों से उत्पन लाभ अथवा हानि वह है जो परिसम्पतियों, जैसे कि मालसूची एवं सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण, में स्वीकृति प्राप्त होते हैं, उनका पूर्ण विलोपन किया जाता है।

ग) प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कम्पनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के भाग को हटा दिया जाता है।

घ) वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी के लाभ / हानी में गैर-नियंत्रणकारी हितों के अंशभाग का निर्धारण करके कम्पनी के शेयरधारकों से सम्बद्ध निवल आय ज्ञात करने के लिए उसका समायोजन समूह की आय के प्रति किया जाता है।

ङ) समेकित सहायक कंपनियों की निवल संपत्ति में गैर नियंत्रकारी अंशभाग का निर्धारण करके उसकी समेकत तुलन पत्र में उसकी प्रस्तुति देयताओं एवं कम्पनी के शेयरधारकों की इक्विटी से अलग करके की जाती है।

च) सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखांकन इंड एएस 28- सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के अंतर्गत इक्विटी विधि के उपयोग से किया जाता है।

छ) कंपनी और इसकी सम्बद्ध कम्पनियों के बीच लेन-देन से होने वाले अप्राप्त लाभ और हानि का विलोपन करने के पश्चात, सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त उद्यम की निवल संपत्ति में अधिग्रहण के पश्चात के परिवर्तनों में अपने अंशभाग का

लेखांकन अपने समेकित लाभ एवं हानि विवरण से उस सीमा तक करती कि इसकी सम्बद्धता सम्बद्ध कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरण एवं उपलब्ध सूचना के आधार पर इसके रिजर्व के शेष से हो सके।

iv) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग:

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण («पीपीई») की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण् अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जब:

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

(ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीई की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

(क) निपटान किए पर; अथवा

(ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षो के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती

है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यत: प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती हैं, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार [आरओयू] और अपनी पट्टे की व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ-साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश सम्पत्तिः

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण/निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन:

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में करती है। बिक्री/वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री/वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने/वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं।

झ) सरकारी अनुदान:

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

ञ) मालसूची:

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृति:

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तो के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री:

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) सेवाओं का प्रतिपादन

सेवाओं की ब्रिक्री से प्राप्त राजस्व को पूरा होने के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है। पूरा होने की अवस्था को निष्पादन की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रतिशत के रूप में की जाने वाली सेवाओं द्वारा पहचाना जाता है।

iii) किराया आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iv) लाभांश आय

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यत: तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

v) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

vi) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vii) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी-मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

ढ) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ:

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान

किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट के लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कवरेज प्रति पात्र कर्मचारी 50,000/- रुपये तक सीमित है। उपदान के भुगतान की अतिरिक्त देनदारी की पूर्ति के लिए शेष प्रावधान बहियों में किए जाते हैं।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता («एसए») प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुन: मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान दावों के कारण एलआईसी से प्रति व्यक्ति प्राप्त/प्राप्ति योग्य 50,000/- रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, 50,000/- रुपए से अधिक का भुगतान किया गया उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना («वीआरएस») के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है।

वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) आय कर:

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर:

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रावधान:

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने

वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानि:

i) वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है ।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्र:

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम

से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पति:

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पति: वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंड एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देयता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

v) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ख) बंद परिचालन:

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि,

बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापन:

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी/एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

vi) वित्तीय विवरण का समेकन (सीएफएस) एचएमटी लिमिटेड की निम्नलिखित सहायक कंपनियों और

सहयोगियों के साथ समेकित:

कंपनी का नाम	रिश्ते की प्रकृति	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	सहायक	भारत	100%	100%
एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	सहायक	भारत	100%	100%
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	सहायक	भारत	100%	100%
गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसोसिएट	भारत	39%	39%
सुडमो एचएमटी प्रोस्सेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	भारत	50%	50%

31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
संपत्ति			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3क	**3,863.57**	4,208.30
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3क	**331.29**	412.50
संपत्ति में निवेश	3ख	**168.80**	188.16
अमूर्त संपत्ति	3ग	**-**	-
वित्तीय पूंजी			
निवेश	4	**18.20**	18.77
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**429.21**	1,713.86
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	11	**384.18**	376.21
		5,195.25	**6,917.80**
वर्तमान संपत्ति			
मलसूचियां	5	**11,601.64**	11,780.37
वित्तीय परिसंपत्ति			
व्यापार प्राप्तियां	6	**13,389.87**	18,577.42
नकद और नकद के समान	7	**3,250.34**	9,553.46
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	8	**21,461.48**	15,949.98
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**444.99**	361.96
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	**747.97**	1,577.14
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	**3,972.75**	4,599.89
		54,869.04	**62,400.22**
बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ	3घ	**296.15**	296.15
कुल संपत्ति		**60,360.44**	**69,614.17**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
शेयर पूंजी	12	**35,560.16**	35,560.16
अन्य इक्विटी	13	**(2,10,763.35)**	(4,65,873.73)
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को दी जाने वाली इक्विटी		**(1,75,203.19)**	**(4,30,313.57)**
गैर-नियंत्रक हित		**-**	-

31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
कुल इक्विटी		**(1,75,203.19)**	**(4,30,313.57)**
गैर मौजूदा देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
उधारी	14	**-**	-
गैर चालू वित्तीय देयता	15	**-**	-
अन्य गैर चालू देयताएं	20	**70.36**	90.71
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	16	**3,437.14**	3,864.83
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	17	**0.17**	42.68
		3,507.67	**3,998.22**
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियाँ			
उधारी	14	**1,02,937.50**	3,72,694.09
व्यापार देयताएं	18		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल बकाया राशि		**670.08**	934.50
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		**8,864.01**	7,262.21
अन्य वित्तीय देयताएं	19	**56,831.05**	50,622.95
अन्य वर्तमान देयताएं	20	**59,708.94**	60,461.03
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	16	**2,597.17**	2,677.31
कुल शेयर और देनदारियां	22	**370.33**	382.77
वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	21	**76.88**	894.66
		2,32,055.96	**4,95,929.52**
कुल देनदारियों		**2,35,563.63**	**4,99,927.74**
कुल शेयर और देनदारियां		**60,360.44**	**69,614.17**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन : 0100725

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVD6248

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
सतत संचालन			
संचालन से राजस्व	23	**16,338.68**	20,380.86
अन्य आय	24	**5,397.39**	5,464.41
कुल आय		**21,736.07**	**25,845.27**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	25	**8,939.03**	9,331.58
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	**536.24**	1,136.43
तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	27	**337.07**	2,796.83
कर्मचारी लाभ व्यय	28	**7,582.17**	7,746.72
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**827.88**	932.65
वित्त लागत	30	**6,806.01**	6,901.65
अन्य व्यय	31	**10,307.57**	9,154.40
कम: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य	32	**(298.91)**	(391.49)
कुल व्यय		**35,037.06**	**37,608.77**
सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश से लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ/(हानि), असाधारण मदें और निरंतर परिचालन से कर		**(13,300.99)**	**(11,763.50)**
एक सहयोगी और एक संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का हिस्सा	34	**(0.57)**	(0.79)
असाधारण मदों और निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ/(हानि)		**(13,301.56)**	**(11,764.29)**
असाधारण वस्तुएं	33	**-**	83.83
निरंतर संचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)।		**(13,301.56)**	**(11,680.46)**
(1) वर्तमान कर		**458.75**	1,186.50
(2) आस्थगित कर		**(33.93)**	17.38
(3) पूर्व अवधि से संबंधित कर का समायोजन		**(718.60)**	(408.60)
	35	**(293.78)**	795.28
निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ		**(13,007.78)**	**(12,475.74)**
बंद किए गए ऑपरेशन			
बंद परिचालन से वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ/(हानि)	36	**3,53,070.16**	185.45
कर बंद परिचालनों की आय/(व्यय)		**(84,986.12)**	-
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)		**2,68,084.04**	**185.45**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**2,55,076.26**	**(12,290.29)**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट्स	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
अन्य व्यापक आय			
अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ/(हानि) का पुनः मापन		**25.54**	(0.49)
आयकर प्रभाव - (क्रेडिट)/डेबिट		**(8.58)**	6.97
शुद्ध अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**34.12**	**(7.46)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**2,55,110.38**	**(12,297.75)**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			
से संबंध लगाए जा सकने योग्य:			
इक्विटी धारक		**2,55,076.26**	(12,290.29)
गैर-नियंत्रक हित		**-**	**-**
अन्य व्यापक आय			
से संबंध लगाए जा सकने योग्य:			
इक्विटी धारक		**34.12**	(7.46)
गैर-नियंत्रक हित		**-**	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
से संबंध लगाए जा सकने योग्य:			
इक्विटी धारक		**2,55,110.38**	(12,297.75)
गैर-नियंत्रक हित		**-**	-
निरंतर परिचालन के लिए प्रति शेयर आय	47		
i) मूल, इक्विटी धारकों को जारी परिचालन से लाभ		**(3.66)**	(3.51)
ii) इक्विटी के कारण जारी परिचालन से पतला लाभ		**(3.66)**	(3.51)
बंद परिचालन के लिए प्रति शेयर आय			
i) मूल, इक्विटी धारकों को देय बंद परिचालन से लाभ		**75.39**	0.05
ii) इक्विटी धारकों के लिए बंद परिचालन से पतला लाभ		**75.39**	0.05
जारी और बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
i) इक्विटी धारकों को देय वर्ष के लिए मूल लाभ		**71.73**	(3.46)
ii) इक्विटी धारकों को देय वर्ष के लिए पतला लाभ		**71.73**	(3.46)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं			

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन : 0100725

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVD6248

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 9 अगस्त, 2024

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-मार्च-24	समाप्त वर्ष 31-मार्च-23
परिचालन गतिविधियाँ		
निरंतर परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(13,301.56)**	(11,680.46)
बंद किए गए परिचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	**3,53,070.16**	185.45
कर पूर्व लाभ	**3,39,768.60**	**(11,495.01)**
कर-पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समायोजन:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और क्षति	**808.52**	771.89
निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास	**19.36**	20.15
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**-**	140.61
अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति	**-**	843.68
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ	**(23.09)**	(81.75)
भारत सरकार की देनदारियां माफ कर दी गईं	**(2,69,378.75)**	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**(83,747.00)**	-
वित्तीय आय (वित्तीय साधनों में उचित मूल्य परिवर्तन सहित)	**(1,535.97)**	(951.70)
वित्तीय लागत (वित्तीय साधनों में उचित मूल्य परिवर्तन सहित)	**6,806.01**	6,901.65
सहयोगी और संयुक्त उद्यम का (लाभ)/हानि का हिस्सा	**0.57**	0.79
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों में हलचल	**1,210.54**	(1,095.10)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य एवं पूर्व भुगतानों में वृद्धि	**5,539.68**	1,896.97
इन्वेंटरी में कमी	**4.94**	2,905.46
व्यापार एवं अन्य देयताओं में वृद्धि	**564.94**	10,944.06
	38.35	**10,801.70**
आयकर (भुगतान किया गया)/वापस किया गया	**(84,714.88)**	(508.79)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(84,676.53)**	**10,292.91**
गतिविधियों की जांच		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	**23.06**	88.22
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	**(382.55)**	(575.27)
बैंकों में जमा राशि	**(5,511.50)**	(3,589.54)
प्राप्त ब्याज	**1,473.15**	1,308.86
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह	**(4,397.84)**	**(2,767.73)**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-मार्च-24	समाप्त वर्ष 31-मार्च-23
वित्तपोषण गतिविधियाँ		
ब्याज का भुगतान किया	**(597.91)**	(682.42)
उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	-	1,041.13
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**83,747.00**	-
उधार की चुकौती (शुद्ध)	**(377.84)**	-
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह	**82,771.25**	**358.71**
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि	**(6,303.12)**	7,883.89
शुद्ध विदेशी मुद्रा अंतर	-	-
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**9,553.46**	1,669.57
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**3,250.34**	**9,553.46**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

नोट: 1) उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

2) नकदी और नकदी समकक्ष को नोट संख्या 7 के अनुसार माना गया है

* इसमें 31.03.2024 तक एचएमटी लिमिटेड में एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयरधारकों को देय 9.79 लाख रुपये (एस्क्रो खाते में) और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में सर्ज के संबंध में 72.59 लाख रुपये (एस्क्रो खाते में 49.92 लाख रुपये और चालू खाते में 22.67 लाख रुपये) शामिल हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन : 0100725

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVD6248

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2024 तक

(लाख रुपए में)

1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 तक शेष राशि
35,560.16	-	**35,560.16**

31 मार्च 2023 तक

(लाख रुपए में)

1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 तक शेष राशि
35,560.16	-	35,560.16

बी. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	भंडार और अधिशेष					अन्य व्यापक आय				
	पूंजी आरक्षित	प्रतिधारित कमाई	सामान्य रिजर्व	एफवीटीओसीआई रिजर्व	वित्तीय दायित्व का इक्विटी घटक	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रक हित	कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**2,270.82**	**(4,77,696.35)**	**16,600.97**	**1.37**	-	-	**(7,050.54)**	**(4,65,873.73)**	-	**(4,65,873.73)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	**2,270.82**	**(4,77,696.35)**	**6,600.97**	**1.37**	-	-	**(7,050.54)**	**(4,65,873.73)**	-	**(4,65,873.73)**
बंद किए गए परिचालन	-	**2,68,084.04**	-	-	-	-	-	**2,68,084.04**	-	**2,68,084.04**
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय दायित्व का इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर प्रभाव को घटाकर शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	**34.12**	**34.12**	-	**34.12**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	**(13,007.78)**	-	-	-	-	-	**(13,007.78)**	-	**(13,007.78)**
31 मार्च 2024 को	**2,270.82**	**(2,22,620.09)**	**16,600.97**	**1.37**	-	-	**(7,016.42)**	**(2,10,763.35)**	-	**(2,10,763.35)**

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

विवरण	भंडार और अधिशेष					अन्य व्यापक आय				
	पूंजी आरक्षित	प्रतिधारित कमाई	सामान्य रिजर्व	एफवीटी ओसीआई रिजर्व	वित्तीय दायित्व का इक्विटी घटक	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रक हित	कुल इक्विटी
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	**2,270.82**	**(4,65,406.06)**	**16,600.97**	**1.37**	**-**	**-**	**(7,043.08)**	**(4,53,575.98)**	**-**	**(4,53,575.98)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	**2,270.82**	**(4,65,406.06)**	**16,600.97**	**1.37**	**-**	**-**	**(7,043.08)**	**(4,53,575.98)**	**-**	**(4,53,575.98)**
बंद किए गए परिचालन	-	185.45	-	-	-	-	-	185.45	-	**185.45**
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय दायित्व का इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर प्रभाव को घटाकर शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/ परिसंपत्ति का पुनर्मापन	-	-	-	-	-	-	(7.46)	(7.46)	-	**(7.46)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	(12,475.74)	-	-	-	-	-	(12,475.74)	-	**(12,475.74)**
31 मार्च 2023 को	**2,270.82**	**(4,77,696.35)**	**16,600.97**	**1.37**	**-**	**-**	**(7,050.54)**	**(4,65,873.73)**	**-**	**(4,65,873.73)**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

एनएसवीएम एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन : 0100725

(जीसीएस मणि)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 036508
यूडीआईएन: 24036508BKDEVD6248

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 9 अगस्त, 2024

एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

समीना कोहली
निदेशक, वित्त
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10663362

किशोर कुमार शंकर
कंपनी सचिव

अपर्णा आर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	भूमि एवं भूमि विकास	इमारतें	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिटिंग और कार्यालय उपकरण	विशेष उपकरण	परिवहन वाहन	भूमि-पट्टा	कुल
सकल वहन मूल्य								
1 अप्रैल 2022 तक	**259.42**	**3,645.23**	**38,647.30**	**1,138.12**	**2,077.40**	**103.53**	**17.09**	**45,888.09**
परिवर्धन	0.13	131.57	479.49	8.13	227.03	-	-	**846.35**
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	(172.40)	(2.76)	-	-	-	**(175.16)**
31 मार्च 2023 को	**259.55**	**3,776.80**	**38,954.39**	**1,143.49**	**2,304.43**	**103.53**	**17.09**	**46,559.28**
परिवर्धन	**-**	**48.26**	**113.01**	**3.58**	**298.91**	**-**	**-**	**463.76**
निवेश संपत्ति से स्थानांतरित	**-**							-
निपटान/समायोजन	**-**	**-**	**(18.02)**	**0.32**	**-**	**-**	**-**	**(17.70)**
31 मार्च 2024 को	**259.55**	**3,825.06**	**39,049.38**	**1,147.39**	**2,603.34**	**103.53**	**17.09**	**47,005.34**
संचित मूल्यहास								
1 अप्रैल 2022 तक	**-**	**2,677.09**	**35,995.74**	**1,115.52**	**1,845.55**	**103.53**	**10.35**	**41,747.78**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	80.86	556.54	5.35	129.01	-	0.13	**771.89**
निपटान/समायोजन	-	-	(165.93)	(2.76)	**-**	-	**-**	**(168.69)**
31 मार्च 2023 को	**-**	**2,757.95**	**36,386.35**	**1,118.11**	**1,974.56**	**103.53**	**10.48**	**42,350.98**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	**-**	**110.29**	**519.86**	**6.29**	**171.96**	**-**	**0.12**	**808.52**
निपटान/समायोजन	**-**	**(0.01)**	**(18.74)**	**1.02**	**-**	**-**	**-**	**(17.73)**
31 मार्च 2024 को	**-**	**2,868.23**	**36,887.47**	**1,125.42**	**2,146.52**	**103.53**	**10.60**	**43,141.77**
शुद्ध वहन मूल्य								
31 मार्च 2024 को	**259.55**	**956.83**	**2,161.91**	**21.97**	**456.82**	**-**	**6.49**	**3,863.57**
31 मार्च 2023 को	259.55	1,018.85	2,568.04	25.38	329.87	-	6.61	4,208.30

	31-03-24	**31-03-23**
शुद्ध वहन मूल्य		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**3,863.57**	4,208.30
पूंजीगत कार्य प्रगति पर - उद्घाटन	**412.50**	**683.45**
परिवर्धन	-	16.20
निपटान/समायोजन	**(81.21)**	(287.15)
पूंजीगत कार्य प्रगति पर - समापन	**331.29**	**412.50**

अतिरिक्त जानकारी:

आईएनडी एएस-36 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति के कारण हानि की मात्रा - शून्य

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

भूमि:

(i) एचएमटी एमटीएल के पास बेंगलुरू, कलमस्सेरी और हैदराबाद में स्थित भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई है, जिसका आकार क्रमशः 177.75 एकड़, 166.00 एकड़ और 227.30 एकड़ है, जिसका नाममात्र मूल्य 1 रुपये प्रति है।

(ii) कंपनी के पास औरंगाबाद में 30 एकड़ पट्टे पर भूमि है, जिसमें से 5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है। इसके अलावा, अतिक्रमित भूमि की बहाली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

iii) राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक, मशीन टूल यूनिट अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के रूपांतरण के लिए देय रूपांतरण शुल्क, यदि कोई हो, का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

खसरा संख्या 6767 (2.17 बीघा / 0.87 एकड़ भूमि) 1976 से एचएमटी एमटीएल के नाम पर हस्तांतरित नहीं की गई है। इस भूमि का खाली कब्जा राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि भूमि के लिए मुआवजा भूमि मालिक को दिया जा चुका है, लेकिन इस भूमि पर स्थित निर्मित पक्के / कच्चे मकानों का मुआवजा तब तक नहीं दिया गया है जब तक कि समझौते के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा मुआवजे की राशि को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

iv) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एचएमटी-मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी-एमटीएल) को सौंपी गई 195 एकड़ और 33 गुंटास भूमि से संबंधित मामले में एचएमटी-एमटीएल ने आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की फाइल पर रिट याचिका संख्या 20012/2003 दायर की है जिसमें एचएमटी-एमटीएल ने एचएमटी-एमटीएल को इसे सौंपने के लिए 195.33 एकड़ जमीन को चिह्नित करने के निर्देश मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर रंगा रेड्डी जिले के सर्वेक्षण और निपटान विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, यह पता चला है कि लगभग 39 एकड़ जमीन एचएमटी-एमटीएल के वास्तविक कब्जे में नहीं है, लेकिन एचएमटी-एमटीएल ने डिक्री धारकों के लिए पूरी 195.33 एकड़ जमीन का भुगतान किया है 33 केवी स्विचिंग स्टेशन और 33/11 केवी विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए एपीएसईबी को आवंटित किया गया है। एपीएसईबी द्वारा देय मुआवजे का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। जीएचएमसी ने नोटिस संख्या 41/86/आरडब्ल्यू/टीपीएस/जीएचएमसी/एससी/2007 दिनांक 01.12.2007 के जरिए एक नोटिस जारी कर उनके द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए कवडीगुडा, सिकंदराबाद में उपलब्ध 3000 वर्ग गज जमीन में से 238.86 वर्ग गज जमीन बिना किसी मुआवजे के ले ली। एचएमटी-एमटीएल ने इसका विरोध किया था और सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली प्रस्तावित जमीन के लिए प्रचलित बाजार दर पर मुआवजे की मांग उठाई थी, जो लंबित है।

अन्य:

(1) अस्थायी रूप से निष्क्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि: - शून्य

(2) होल्डिंग कंपनी की किसी भी पूर्णतः मूल्यहासित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो अभी भी उपयोग में है, की सकल वहन राशि 10873.48 लाख रुपये है।

(3) सहायक व्यवसाय प्रभाग में भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और बिक्री के लिए वर्गीकृत नहीं की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि 53.49 लाख रुपये है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(4) एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) को 202.10 करोड़ रुपये के सकल मूल्य पर अचल संपत्तियां हस्तांतरित की गई हैं। कंपनी मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के पैरा 10(जे) और अनुलग्नक 12 के अनुरूप 1.4.2000 तक 151.46 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास आरक्षित और 50.64 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य।

(5) अचल संपत्तियों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत निहित अचल संपत्तियां शामिल हैं। हालाँकि, उस प्रभाव के लिए राजस्व अभिलेखों में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर शीर्षक विलेखों का उत्परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। लीज होल्ड भूमि के संबंध में नए लीज डीड निष्पादित किए जाने के लिए लंबित हैं।.

(6) एचएमटी-एमटीएल में, प्रागा टूल्स डिवीजन प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में अधिशेष और निपटान के लिए पहचाने गए पीपीई के 7 आइटम शामिल हैं, जिनका शुद्ध ब्लॉक 16.34 लाख रुपये है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

चालू वित्त वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र	-	-	-	-	-
सीएनसी बेलनाकार पीसने की मशीन	-	-	-	-	-
नये हैंगर का निर्माण	-	-	-	11.59	11.59
डीजल जनरेटर	-	-	-	-	-
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	110.00	209.70	319.70
	-	**-**	**110.00**	**221.29**	**331.29**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र	-	-	-	-	-
सीएनसी बेलनाकार पीसने की मशीन	-	--	-	-	-
नये हैंगर का निर्माण	-	-	11.59	-	11.59
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	16.21	-	-	-	16.21
प्रगति पर परियोजनाएं	-	110.00	-	274.70	384.70
	16.21	**110.00**	**11.59**	**274.70**	**412.50**

चालू वित्त वर्ष के अंत तक सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम का विवरण:
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए, जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत बढ़ गई है

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
संयंत्र और मशीनरी	-	110.00	-	-
एचएमटी सीएनसी हॉरिज़ॉन्टल मशीनिंग सेंटर-एचएमसी 1000	170.00	-	-	-
एचएमटी सीएनसी लेथ स्टैलियन 200 यूएल	38.98	-	-	-
रेक्सरोथ बाहरी गियर पंप बनाएं	0.72	-	-	-
	209.70	**110.00**	**-**	**-**

चालू वित्त वर्ष के अंत तक सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम का विवरण:
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए, जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत बढ़ गई है

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
संयंत्र और मशीनरी		110.00	-	-
एचएमटी सीएनसी हॉरिज़ॉन्टल मशीनिंग सेंटर-एचएमसी 1000	170.00	-	-	-
एचएमटी सीएनसी लेथ स्टैलियन 200 यूएल	38.98	-	-	-
रेक्सरोथ बाहरी गियर पंप बनाएं	0.72	-	-	65.00
	209.70	**110.00**	**-**	**65.00**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	भूमि एवं भूमि विकास	इमारतें	कुल
3बी. निवेश संपत्ति			
सकल वहन मूल्य			
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष राशि	18.24	1,471.14	1,489.38
परिवर्धन	-	-	-
घटाएँ: कटौती/समायोजन/पीपीई में स्थानांतरण	0.13	-	0.13
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**18.11**	**1,471.14**	**1,489.25**
परिवर्धन			-
घटाएँ: कटौती/समायोजन/पीपीई में स्थानांतरण	-	-	-
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**18.11**	**1,471.14**	**1,489.25**
			-
मूल्यह्रास और हानि			-
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष राशि	-	1,280.94	1,280.94
मूल्यह्रास	-	20.15	20.15
घटाएँ: कटौती/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2023 को समापन शेष	-	**1,301.09**	**1,301.09**
मूल्यह्रास	-	**19.36**	**19.36**
घटाएँ: कटौती/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 को समापन शेष	-	**1,320.45**	**1,320.45**
शुद्ध वहन मूल्य			
31 मार्च 2024 को	**18.11**	**150.69**	**168.80**
31 मार्च 2023 को	18.11	170.05	188.16

अतिरिक्त जानकारी:

i) कंपनी ने कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है जो मालिकाना हक वाली संपत्ति नहीं है।

ii) कंपनी ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है। हालाँकि, मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 4,86,099.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,80,183.78 लाख रुपये) है।

iii) भूमि:

(क) कंपनी के पास पिंजौर, कलमस्सेरी और हैदराबाद में स्थित भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई है, जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 382.54 एकड़, 209.83 एकड़ और 660.75 एकड़ है, जिसका नाममात्र मूल्य 1/- रुपये प्रति है।

(ख) हैदराबाद में भूमि के संबंध में, 28.40 एकड़ क्षेत्र हैदराबाद में विभिन्न सरकारी विभागों को पट्टे पर दिया गया था। हस्तांतरण के पंजीकरण के लंबित रहने तक, कंपनी ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ विनिमय समझौते के तहत 14.20 एकड़ भूमि के बदले में 14.20 एकड़ भूमि जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। कंपनी ने 1,000 वर्ग गज भूमि भी पट्टे पर दी है, जिसके लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है और हैदराबाद में तेलंगाना (पूर्व में आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है) डाक विभाग को दो एकड़ भूमि जारी करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका निष्पादन लंबित है। कंपनी ने तेलंगाना सरकार (पूर्व में आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है) द्वारा 106 एकड़ और 35 गुंटा भूमि के पुनः कब्ज़े के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। हैदराबाद में कंपनी के स्वामित्व वाली 300 एकड़ भूमि को तेलंगाना सरकार (पूर्व में आंध्र प्रदेश सरकार) को आंशिक बिक्री मूल्य के भुगतान और शेष भूमि के लिए विपणन योग्य स्वामित्व जारी करने के बदले में सौंपने के प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

अतिरिक्त जानकारी:

(रुपए लाख में)

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

	31-मार्च-24	31-मार्च-23
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	**389.82**	388.52
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) किराये की आय उत्पन्न करते हैं	**(312.89)**	(355.66)
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जिससे किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई	**(2.54)**	(2.47)
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	**74.39**	30.39
घटाएँ – मूल्यह्रास	**(19.36)**	(20.15)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	**55.03**	**10.24**

3सी. अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	अमूर्त संपत्ति	कुल
सकल वहन मूल्य		
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष राशि	**-**	**1,494.48**
परिवर्धन/(विलोपन)	-	(1,406.12)
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**-**	**88.36**
परिवर्धन/(विलोपन)		-
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**-**	**88.36**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष राशि	**-**	**510.19**
परिशोधन	-	140.61
परिवर्धन/(विलोपन)	-	(562.44)
31 मार्च 2023 को समापन शेष	**-**	**88.36**
परिशोधन		**-**
परिवर्धन/(विलोपन)	**-**	**-**
31 मार्च 2024 को समापन शेष	**-**	**-**
शुद्ध वहन मूल्य		
31 मार्च 2024 को	-	**-**
31 मार्च 2023 को	-	-

शुद्ध वहन मूल्य	**31-03-2024**	**31-03-2023**
अमूर्त संपत्ति	**-**	-

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3डी बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
भूमि एवं भूमि विकास	**24.13**	24.13
इमारतें	**272.02**	272.02
कुल	**296.15**	**296.15**

अतिरिक्त जानकारी:

एचएमटी लिमिटेड

(क) कंपनी के पास बैंगलोर में 5.80 एकड़ जमीन है, जिसे बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दाखिल करने के कारण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है। मामले के अंतिम नतीजे पर इस पर विचार किया जाएगा।

(ख) भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड (बंद होने के अधीन) की अचल संपत्तियां वर्ष 2022-23 के दौरान 296.06 लाख रुपये के बही मूल्य पर एचएमटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई हैं, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकार सरकार द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं और एचएमटी लिमिटेड इन संपत्तियों का उनके निपटान तक संरक्षक है और लागू व्यय और करों की कटौती के बाद बिक्री आय को प्रशासनिक मंत्रालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करता है।

(ग) कंपनी के पास बंगलौर में स्थित 89.74 एकड़ भूमि है, जिसमें से 7 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा अनधिकृत कब्जाधारियों को स्थानांतरित करने के लिए मामला कर्नाटक सरकार के साथ उठाया गया है।

(घ) कंपनी को 45.622 एकड़ भूमि का कब्जा दिया गया है और 7202.10 लाख रुपये का पूरा विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है तथा पंजीकरण के लिए लंबित है।

(ड) उपर्युक्त भूमि की बिक्री से प्राप्त आय लागू करों के बाद भारत सरकार को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
वित्तीय पूंजी		
4. निवेश		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर (पूर्ण भुगतान)		
30,00,000 (पिछले वर्ष: 30,00,000) नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया में पूर्ण रूप से चुकता 1 नाइरा प्रत्येक इक्विटी शेयर	**-**	-
कुल एफवीटीओसीआई निवेश	**-**	**-**
सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
संयुक्त उद्यम में निवेश		
1,50,000 (पिछले वर्ष: 1,50,000) सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बैंगलोर में 10 रुपये प्रति पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	**18.20**	18.77
एसोसिएट्स में निवेश		
20,84,050 (पिछले वर्ष: 20,84,050) गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भावनगर में पूर्णतः चुकता 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	**-**	-
एसोसिएट और संयुक्त उद्यम में इक्विटी उपकरणों में कुल निवेश	**18.20**	**18.77**
कुल निवेश	**18.20**	**18.77**
मौजूदा	**-**	-
गैर मौजूदा	**18.20**	18.77
उद्धृत निवेश की कुल राशि	**-**	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि	**18.20**	18.77
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-
5. इन्वेंटरी		
कच्चा माल और घटक	**2,828.46**	2,535.50
परिवहन में सामग्री और घटक	**9.37**	22.91
कार्य प्रगति पर	**4,797.63**	4,427.11
तैयार माल	**3,033.59**	3,549.77
व्यापार का कुल माल	**818.10**	978.59
स्टोर और स्पेयर्स	**1,452.56**	1,432.01
उपकरण और यंत्र	**277.98**	245.82
रद्दी माल	**65.05**	95.97
	13,282.74	13,287.68
घटाएँ: गैर-चलती इन्वेंटरी के लिए प्रावधान	**1,681.10**	1,507.31

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
	11,601.64	**11,780.37**
6. व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**-**	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	**13,389.87**	18,577.42
संदिग्ध	**17,101.78**	17,854.50
	30,491.65	36,431.92
संदेहास्पद ऋणों के लिए आज्ञा		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	**17,101.78**	17,854.50
	13,389.87	**18,577.42**

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं है, न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य राशि उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया है जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

6 क व्यापार प्राप्य आयुवार विवरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद - अच्छा माना जाता है	4,307.72	1,355.94	3,152.04	1,283.78	3,290.39	13,389.87
निर्विवाद - संदिग्ध माना जाता है	-	1.26	34.15	144.96	9,404.33	9,584.70
विवादित - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	7,517.08	7,517.08
	4,307.72	**1,357.20**	**3,186.19**	**1,428.74**	**20,211.80**	**30,491.65**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद - अच्छा माना जाता है	11,145.65	1,314.10	2,109.08	1,252.95	2,755.64	18,577.42
निर्विवाद - संदिग्ध माना जाता है	0.14	18.24	31.21	121.41	7,843.67	8,014.67
विवादित - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	9,839.83	9,839.83
	11,145.79	**1,332.34**	**2,140.29**	**1,374.36**	**20,439.14**	**36,431.92**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
7. नकद और नकद समकक्ष		
चालू खाते	**1,967.29**	1,879.63
तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि	**1,244.53**	7,671.39
नकदी और चेक हाथ में	**38.52**	2.44
	3,250.34	**9,553.46**
इसमें 31.03.2024 तक एचएमटी लिमिटेड में एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के अल्पसंख्यक* शेयरधारकों को देय 9.79 लाख रुपये (एस्क्रो खाते में) और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में सर्ज के संबंध में 72.59 लाख रुपये (एस्क्रो खाते में 49.92 लाख रुपये और चालू खाते में 22.67 लाख रुपये) शामिल हैं।		
8. नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष		
तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि	**20,347.49**	15,558.64
शेष परिपक्वता अवधि बारह महीने से कम वाली जमाराशि	**1,113.99**	391.34
	21,461.48	**15,949.98**
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर वर्तमान		
बैंकों में जमाराशि जो परिपक्वता के बारह महीने से अधिक है	**121.09**	1,389.13
बैंकों के पास मार्जिन मनी	**301.17**	297.57
उपार्जित एवं देय ब्याज	**6.95**	27.16
	429.21	**1,713.86**
मौजूदा		
बैंक जमा पर अर्जित और देय ब्याज	**444.99**	361.96
	444.99	**361.96**
10. वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		
अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य*	**817.05**	1,652.72
घटाएँ: वर्तमान कर प्रावधान	**69.08**	75.58
	747.97	**1,577.14**
* इसमें मुख्य रूप से टीडीएस प्राप्तियां शामिल हैं		
11. अन्य परिसंपत्तियां		
गैर वर्तमान		
जमा	**384.18**	376.21
पूंजी अग्रिम	**1.97**	1.97
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**1.97**	1.97
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां	**384.18**	**376.21**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
मौजूदा		
अग्रिम और अन्य प्राप्य		
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
असुरक्षित		
अच्छा माना गया #	**3,780.28**	4,416.72
संदिग्ध माना गया	**1,124.99**	1,133.68
	4,905.27	5,550.40
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**1,124.99**	1,133.68
	3,780.28	4,416.72
व्यापार प्राप्य पर ब्याज	**8,217.64**	5,924.75
घटाएँ: व्यापार प्राप्य पर ब्याज के लिए भत्ता	**8,217.64**	5,924.75
	-	-
जमा	**192.47**	183.17
कुल मौजूदा संपत्तियां	**3,972.75**	**4,599.89**
कुल अन्य परिसंपत्तियां	**4,356.93**	**4,976.10**

अतिरिक्त जानकारी:

#शामिल

(ए) वर्ष 2019-20 के दौरान पिंजौर, हरियाणा में 446.02 एकड़ भूमि एचएसआईआईडीसी (412.69 एकड़) और भारतीय रेलवे (33.33 एकड़) को हस्तांतरित कर दी गई है और 31.03.2024 तक एचएसआईआईडीसी से 4.99 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.99 लाख रुपये) की राशि बकाया है।

(बी) संयुक्त उद्यमों को अग्रिम 3.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8.70 लाख रुपये)

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती		31-मार्च-23 की स्थिती	
12. इक्विटी शेयर पूंजी				
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
अधिकृत शेयर पूंजी:				
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	***1,23,00,00,000***	***1,23,000.00***	*1,23,00,00,000*	*1,23,000.00*
	1,23,00,00,000	***1,23,000.00***	*1,23,00,00,000.00*	*1,23,000.00*
जारी, अभिदत्त और भुगतान:				
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर				
साल की शुरुआत में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16
वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**35,56,01,640**	**35,560.16**	35,56,01,640	35,560.16

अतिरिक्त जानकारी:

1. इक्विटी शेयर:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित करती है और उसका भुगतान करती है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

2 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
इक्विटी शेयर:				
भारत के माननीय राष्ट्रपति जी	**27,95,66,626**	**78.62%**	27,95,66,626	78.62%
विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	**6,75,38,614**	**18.99%**	6,75,38,614	18.99%

3 वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

प्रवर्तक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के माननीय राष्ट्रपति जी	**27,95,66,626**	27,95,66,626	**78.62%**	-

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
13. **अन्य इक्विटी:**		
i) **पूंजी रिजर्व:**		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**2,270.82**	2,270.82
ii) **सामान्य रिजर्व:**		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**16,600.97**	16,600.97
जोड़ना:		
लाभ और हानि विवरण से स्थानांतरित	**-**	-
	16,600.97	16,600.97
iii) **प्रतिधारित कमाई:**		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**(4,77,696.35)**	(4,65,406.06)
समायोजन:		
लाभांश वितरण कर	**-**	**-**
लाभ एवं हानि विवरण से हस्तांतरित राशि (गैर-नियंत्रित हित में शेयर का शुद्ध योग)	**2,55,076.26**	(12,290.29)
	(2,22,620.09)	(4,77,696.35)
iv) **एफवीटीओसीआई रिजर्व:**		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	**(7,049.17)**	(7,041.71)
समायोजन:		
- परिभाषित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ/हानि का पुनर्वर्गीकरण	**34.12**	(7.46)
	(7,015.05)	(7,049.17)
कुल	**(2,10,763.35)**	**(4,65,873.73)**

अतिरिक्त जानकारी:

रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

पूंजी रिजर्व, प्रागा टूल्स लिमिटेड, जिसका एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है, में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के अंतर के लिए है तथा बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत विलय योजना के अनुसार उनमें से प्रत्येक को 1 रुपए का भुगतान किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
14. उधार		
मौजूदा		
सुरक्षित		
नकद ऋण	**3,912.95**	4,290.79
	3,912.95	**4,290.79**
असुरक्षित		
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	**-**	-
भारत सरकार से ऋण (डिफ़ॉल्ट) #	**99,010.81**	99,010.81
भारत सरकार से ऋण (*)	**-**	2,69,378.75
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण (डिफ़ॉल्ट) (नीचे फ़ुटनोट संख्या 2 देखें)	**13.74**	13.74
	99,024.55	**3,68,403.30**
कुल चालू उधार	**1,02,937.50**	**3,72,694.09**
समग्र सुरक्षित ऋण	**3,912.95**	4,290.79
कुल असुरक्षित ऋण	**99,024.55**	3,68,403.30

 # डिफ़ॉल्ट की अवधि और राशि (संदर्भ नोट संख्या 64)

1. ऊपर उल्लिखित नकद ऋण, मांग पर प्रतिदेय हैं और कंपनी की संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं, जिसमें इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्तियां शामिल हैं, प्रथम प्रभार और संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा, कंपनी की अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख को भाग लेने वाले बैंकों के बीच समान रूप से जमा करके न्यायसंगत बंधक के माध्यम से।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को कंपनी की समेकन और पुनर्गठन योजना की वित्तीय और रणनीतिक समीक्षा के लिए आईआईएम, बैंगलोर को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 13.74 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, कंपनी भारी उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है कि यह अनुदान है या ऋण। स्पष्टीकरण के आधार पर इसे भारी उद्योग विभाग से पुष्टि के वर्ष में आय या उधार के रूप में माना जाएगा।

(*) एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के खातों में दर्ज 2,69,378.75 लाख रुपये के ब्याज सहित भारत सरकार के ऋण को भारत सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है तथा वर्ष के दौरान इसे खातों में वापस लिख दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
15. गैर चालू वित्तीय देयता	-	-
16. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर वर्तमान		
उपदान	**2,088.96**	2,444.91
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**1,122.86**	1,155.81
निपटान भत्ता	**165.92**	188.98
भविष्य निधि	**59.40**	75.13
	3,437.14	**3,864.83**
मौजूदा		
उपदान	**815.81**	860.60
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**315.33**	303.84
निपटान भत्ता	**45.88**	45.42
वेतन एवं वेतन संशोधन बकाया (1992-1995)	**1,420.15**	1,467.45
	2,597.17	**2,677.31**
17. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		
विलम्बित टैक्स देयता	**121.62**	170.24
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**121.45**	127.56
	0.17	**42.68**
18. व्यापार देयताएं		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कुल बकाया राशि	**670.08**	934.50
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	**8,864.01**	7,262.21
कुल	**9,534.09**	**8,196.71**

18क व्यापार देय आयुवार विवरण

चालू वित्त वर्ष के अंत तक:

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	445.33	111.81	61.41	51.53	670.08
अन्य	5,578.30	1,314.29	375.56	1,595.86	8,864.01
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	6,023.63	**1,426.10**	**436.97**	**1,647.39**	**9,534.09**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक: (रुपए लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	737.99	111.73	23.62	61.16	934.50
अन्य	4,510.07	650.12	720.00	1,382.02	7,262.21
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	5,248.06	**761.85**	**743.62**	**1,443.18**	**8,196.71**

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
बकाया और अप्रदत्त मूल राशि	**670.08**	934.50
उपरोक्त पर देय ब्याज और अदा न किया गया ब्याज	**72.69**	66.98
बकाया राशि का वास्तविक भुगतान होने तक आगामी वर्ष में देय शेष ब्याज	**-**	-
ब्याज का भुगतान किया	**1.14**	2.16
लेखा वर्ष के अंत में अर्जित तथा अप्रदत्त ब्याज।	**142.58**	127.41

19. अन्य वित्तीय देयताएं

3.5% वरीयता शेयर पूंजी (डिफ़ॉल्ट)	**3,686.00**	3,686.00
उधार पर अर्जित और देय ब्याज		
भारत सरकार से ऋण	**53,145.05**	46,936.95
कुल	**56,831.05**	**50,622.95**

3.5% वरीयता शेयर पूंजी

प्रत्येक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है और इसे 3 साल बाद भुनाया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर पर 3.5% प्रति वर्ष का लाभांश मिलता है और संचयी लाभांश को प्रोद्भव पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाता है। लाभांश अधिकार संचयी होते हैं। परिसमापन की स्थिति में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयरों से आगे होते हैं।

जनवरी 2016 के दौरान सीसीईए अनुमोदन और उस पर डीएचआई के निर्देशों के अनुसार, 100 रुपये प्रति शेयर (44,300.00 लाख रुपये) के 4,43,00,000 शेयरों में से 4,06,14,000 शेयरों (40,614.00 लाख रुपये) के 3.5% मोचन योग्य वरीयता शेयरों को समाप्त कर दिया जाएगा और कंपनी द्वारा एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड को सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण और अग्रिम के विरुद्ध सेट किया जाएगा।

शेष 3.5% मोचनीय अधिमान शेयरों के लिए कंपनी को स्वीकृत पुनरुद्धार योजना सं. एफ. सं. 5.1(1)/2005.पीई.एक्स दिनांक 29 मार्च 2007 के तहत एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की पहचान की गई अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री आय में से अधिमान शेयर पूंजी के मोचन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। चूंकि पहचान की गई परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं हुई है, जो मोचन के लिए पूर्व शर्त है, शेष 3.5% मोचनीय अधिमान शेयर पूंजी मोचन नहीं हुई है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
20. अन्य देयताएं		
गैर वर्तमान		
भारत सरकार से अनुदान	**47.56**	67.91
सहायता अनुदान	**22.80**	22.80
	70.36	**90.71**
मौजूदा		
अग्रिम प्राप्त राजस्व	**5,521.60**	6,004.33
भूमि बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम राशि	**8,128.74**	8,128.74
उपार्जित खर्चे	**2,195.01**	2,535.37
अन्य देयताएं (कर्मचारी संबंधी देयताएं, व्यय के लिए ओएसएल, ईएमडी, वैधानिक बकाया आदि)	**43,863.59**	43,792.59
कुल	**59,708.94**	**60,461.03**
21. वर्तमान कर देयताएं		
वर्तमान कर प्रावधान	**559.15**	1,180.00
घटाएँ: अग्रिम कर/टीडीएस प्राप्य	**482.27**	285.34
कुल	**76.88**	**894.66**

22. प्रावधान - अन्य

ववरिण	वारण्टी दावे	अप्रत्यक्ष करों और वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान	अन्य	कुल
1 अप्रैल 2023 को	**104.46**	**1.25**	**277.06**	**382.77**
वर्ष के दौरान उत्पन्न	**70.47**	-	-	**70.47**
उपयोग किया गया	**(81.92)**	**-**	-	**(81.92)**
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई	**(0.99)**	**-**	-	**(0.99)**
31 मार्च 2024 को	**92.02**	**1.25**	**277.06**	**370.33**
मौजूदा	92.02	1.25	277.06	370.33
1 अप्रैल 2022 को	101.84	111.65	277.31	**490.80**
वर्ष के दौरान उत्पन्न	68.52	-	-	**68.52**
उपयोग किया गया	(21.64)	(110.40)	(0.25)	**(132.29)**
अप्रयुक्त राशि वापस कर दी गई	(44.26)	-	-	**(44.26)**
31 मार्च 2023 को	**104.46**	**1.25**	**277.06**	**382.77**
मौजूदा	104.46	1.25	277.06	382.77

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
23. संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	**724.51**	575.12
घड़ियाँ	**1,158.66**	726.22
पुर्जे और सहायक उपकरण	**108.69**	151.37
पाउडर परियोजना से राजस्व	**2,679.58**	3,679.63
	4,671.44	**5,132.34**
सेवाओं की बिक्री		
विविध नौकरियाँ और विविध बिक्री	**79.97**	12.21
पैकिंग / अग्रेषण शुल्क	**-**	14.70
	79.97	**26.91**
कुल	**4,751.41**	**5,159.25**
मशीन के उपकरण		
उत्पादों की बिक्री	**8,161.77**	11,226.09
सहायक उपकरण	**1,137.34**	1,736.58
	9,299.11	**12,962.67**
सेवाओं की बिक्री		
सेवाओं की बिक्री	**275.16**	324.83
विविध नौकरियाँ और विविध बिक्री	**223.07**	463.03
पैकिंग / अग्रेषण शुल्क	**31.31**	55.63
	529.54	**843.49**
कुल	**9,828.65**	**13,806.16**
निर्यात		
बिक्री और कमीशन	**1,108.71**	127.97
तकनीकी सेवाएँ	**12.90**	-
परियोजना बिक्री और सेवाएँ	**637.01**	1,287.10
निर्यात सहायता	**-**	0.38
	1,758.62	**1,415.45**
संचालन से राजस्व	**16,338.68**	**20,380.86**
24. अन्य आय		
ब्याज आय		
बैंक जमा पर ब्याज आय	**1,499.24**	933.35
डीलरों/अन्य से ब्याज	**36.73**	7.22
	1,535.97	**940.57**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
अन्य आय		
स्टाफ/अन्य से वसूली	**422.92**	410.48
प्राप्त किराया	**2,379.71**	2,539.39
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	**23.09**	81.75
सरकारी अनुदान	**20.35**	45.76
वापस के लिये प्रावधान	**524.83**	691.03
सरकारी अनुदान का परिशोधन	**-**	11.13
अन्य गैर परिचालन आय	**490.52**	744.30
	3,861.42	**4,523.84**
कुल अन्य आय	**5,397.39**	**5,464.41**
25 उपभोग की गई सामग्री की लागत		
कच्चा माल और घटक		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**2,535.50**	2,521.42
जोड़ें: क्रय	**7,713.49**	7,839.97
	10,248.99	10,361.39
घटाएँ : वर्ष के अंत में सूची	**2,828.46**	2,535.50
कच्चे माल और उपभोग किए गए घटकों की लागत	**7,420.53**	7,825.89
स्टोर, स्पेयर्स, टूल्स और पैकिंग सामग्री की खपत	**1,518.50**	1,505.69
घटाएँ: बट्टे खाते में डाला गया स्टॉक	**-**	-
कुल उपभोग किया गया कच्चा माल और घटक	**8,939.03**	**9,331.58**
उपभोग की गई सामग्री का विवरण		
स्टील	**319.18**	404.05
अलौह धातु	**125.38**	2.63
लौह कास्टिंग	**557.24**	810.60
अलौह कास्टिंग	**45.52**	53.30
फोर्जिंग्स	**36.75**	26.95
मानक हिस्से और घटक	**5,073.00**	6,182.55
अन्य	**1,263.46**	345.81
कुल	**7,420.53**	**7,825.89**
26. व्यापार में स्टॉक की खरीद		
व्यापार में स्टॉक की खरीद\	**536.24**	1,136.43
	536.24	**1,136.43**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
27. सूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**3,549.77**	5,952.33
घटाएँ : वर्ष के अंत में सूची	**3,033.59**	3,549.77
सूची में परिवर्तन	**516.18**	**2,402.56**
प्रगतिरत कार्य		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**4,427.11**	5,256.38
घटाएँ : वर्ष के अंत में सूची	**4,797.63**	4,427.11
सूची में परिवर्तन	**(370.52)**	**829.27**
व्यापार का कुल माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**978.59**	465.43
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**818.10**	978.59
सूची में परिवर्तन	**160.49**	**-513.16**
रद्दी माल		
वर्ष की शुरुआत में सूची	**95.97**	174.13
घटाएँ: वर्ष के अंत में सूची	**65.05**	95.97
सूची में परिवर्तन	**30.92**	**78.16**
कुल	**337.07**	**2,796.83**
28. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	**5,414.70**	5,495.49
मकान किराया भत्ता	**102.44**	127.31
ग्रेच्युटी	**399.36**	435.19
पीएफ एवं एफपीएस में योगदान	**539.44**	577.42
डिपॉजिट लिंक्ड बीमा	**47.63**	38.07
ईएसआई में योगदान	**3.77**	4.00
कल्याण व्यय	**1,074.83**	1,069.24
	7,582.17	**7,746.72**
29. मूल्यह्रास और परिशोधन		
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**808.52**	771.89
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	**19.36**	20.15
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**-**	140.61
	827.88	**932.65**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
30. वित्तीय लागत		
ब्याज व्यय		
भारत सरकार ऋण	**6,208.10**	6,208.10
ब्याज व्यय (भारत सरकार ऋण)	**-**	11.13
बैंकों से नकद क्रेडिट ऋण	**597.59**	680.86
अन्य	**0.01**	0.01
अन्य उधार लागत		
छूट शुल्क	**0.31**	1.55
कुल वित्तीय लागत	**6,806.01**	**6,901.65**
31. अन्य व्यय		
विनिर्माण व्यय		
बिजली और ईंधन	**932.51**	807.31
मशीनरी की मरम्मत	**26.00**	23.80
गैर-चलती इन्वेंटरी के लिए प्रावधान	**209.04**	58.39
विक्रय एवं वितरण व्यय		
विज्ञापन और प्रचार	**22.79**	22.18
कैरिज आउटवडस	**166.04**	190.95
स्थापना व्यय		
किराया	**56.65**	31.71
दरें और कर	**1,435.04**	1,989.03
बीमा	**43.61**	45.29
पानी और बिजली	**449.61**	441.00
भवन की मरम्मत	**35.15**	36.96
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	**41.06**	44.37
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक #	**9.68**	9.95
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**1,601.29**	816.52
वारण्टी दावे	**70.47**	68.52
पीएफ ट्रस्ट को हुई हानि	**779.47**	414.41
अशोध्य ऋण	**5.46**	-
यात्रा व्यय	**192.60**	216.23
मरम्मत और रखरखाव - सामान्य	**590.23**	535.09
सुरक्षा शुल्क	**488.15**	434.32
आकस्मिक श्रम शुल्क	**2,026.59**	1,844.31
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	**56.55**	60.91
प्रौद्योगिकी मंच "सर्ज" व्यय	**19.27**	44.70
विनिमय में अंतर	**2.39**	4.80
प्रशिक्षण व्यय - कौशल विकास	**3.32**	6.30
अन्य व्यय	**1,044.60**	1,007.35

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
	10,307.57	**9,154.40**
#लेखा परीक्षक के रूप में	**6.14**	6.00
कराधान संबंधी मामलों के लिए	**2.03**	2.29
लागत लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	**1.26**	1.24
अन्य सेवाओं के लिए	**0.25**	0.42
	9.68	**9.95**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ , कंपनी को इसकी सी एस आर नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे , पिछले तीन वित्तीय वर्षो केआर दौरान कंपनी के निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सी एस आर व्यय का वियवरण इस प्रकार है:

	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
i) वर्ष के दौरान व्यय हेतु आवश्यक राशि	**56.55**	60.91
ii) पिछले वर्ष की कमी राशि	**42.71**	41.83
	99.26	102.74
iii) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
- स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में परियोजना पर - आपूर्ति		
> यादगीर जिले के सरकारी स्कूलों को वाटर प्यूरीफायर और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद	**-**	0.80
> एचबी परीक्षण मशीनें और एचबीडी परीक्षण स्ट्रिप्स यादगीर जिला	**-**	14.67
> के.सी. जनरल अस्पताल के लिए एम्बुलेंस, बेंगलूरु	**-**	21.19
> ऑक्सीजन सिलेंडर " मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मांड्या"	**-**	4.58
> मध्याह्न भोजन योजना, अक्षय पात्र फाउंडेशन, अजमेर	**-**	5.00
> महिलाओं को पुनः प्रयोज्य सैनिटरी नैपकिन, यादगीर जिला	**0.75**	10.90
> दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम सहायता एवं सहायक उपकरण एलिमिको, के माध्यम से विकलांग व्यक्ति,बेंगलूरु	**20.70**	2.30
> दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम सहायता एवं सहायक उपकरण एलिम्को, चिक्कमगलुरु के माध्यम से विकलांग व्यक्ति	**15.00**	-
> संगीत वाद्ययंत्र, ब्लाइंड वॉकिंग स्टिक आदि मैसर्स ब्लेस को ग्रामीण एवं शहरी विकास सोसायटी एवं मेसर्स स्वावलंबन अंगविकला सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, बेंगलूरु	**5.00**	-
> प्रशासनिक व्यय	**0.44**	-
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरण	**28.75**	0.59
वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	**70.64**	**60.03**
iv) सीएसआर रिजर्व (राशि सी/एफ यानी वर्ष के अंत में कमी) {प्रशासनिक व्यय सहित)	**28.62**	**42.71**

कमी के कारण: कंपनी ने कुछ सीएसआर गतिविधियों की पहचान की है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के क्षेत्र में जैसा नीचे बताया गया है:

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिती	31 मार्च 2023 की स्थिती
क) महिलाओं को पुन: प्रयोज्य सैनिटरी नैपकिन, कृत्रिम सहायता और सहायक उपकरण		
बी) कर्नाटक पब्लिक स्कूल, बेंगलूरु में छात्राओं को ब्लेज़र / जैकेट की आपूर्ति		
ग) सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद को कार्डियक एम्बुलेंस की आपूर्ति		
32. आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य		
शॉप निर्मित विशेष उपकरण	**(298.91)**	(391.49)
	(298.91)	**(391.49)**
33. असाधारण वस्तुएँ		
एनयूएम और एसएपी के विरुद्ध लगाए गए अंतर मूल्यह्रास में बदलाव	-	83.83
	-	**83.83**

34. संयुक्त उद्यम में रुचि

कंपनी की सुडमो-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है, जो खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के विपणन में शामिल एक संयुक्त उद्यम है। सुडमो-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड में कंपनी की हिस्सेदारी को समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। संयुक्त उद्यम की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी, इसके इंड-एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर, और समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सामंजस्य नीचे दिया गया है।

	31-मार्च-24	31-मार्च-23
नकदी और नकदी समतुल्य सहित चालू परिसंपत्तियां	**39.92**	46.36
वर्तमान देयताएं, देय कर सहित	**(3.52)**	(8.82)
हिस्सेदारी	**36.40**	37.54
कंपनी के स्वामित्व का अनुपात	**0.50**	0.50
निवेश की वहन राशि	**18.20**	**18.77**

एसयूडीएमओ-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड के लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

राजस्व	**2.79**	2.49
वित्तीय लागत	**-**	-
अन्य व्यय	**(3.93)**	(4.06)
कर पूर्व लाभ	**(1.14)**	(1.57)
आयकर व्यय	**-**	-
वर्ष के लिए लाभ (निरंतर परिचालन)	**(1.14)**	(1.57)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (निरंतर परिचालन)	**(1.14)**	**(1.57)**
वर्ष के लिए कंपनी का लाभ/(हानि) में हिस्सा	**(0.57)**	**(0.79)**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31-मार्च-24	समाप्त वर्ष 31-मार्च-23
35. आयकर		
31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:		
सतत संचालन		
लाभ और हानि का विवरण		
लाभ या हानि अनुभाग		
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर प्रभार	**458.75**	1,186.50
आस्थगित कर:		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	**(33.93)**	17.38
कर समायोजन :		
पिछले वर्षों से संबंधित	**(718.60)**	(408.60)
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**(293.78)**	**795.28**
ओसीआई अनुभाग		
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर		
बंद किए गए परिचालन		
वर्तमान आयकर	**84,986.12**	-
पिछले वर्षों से संबंधित कर का समायोजन	-	-
	84,986.12	**-**
ओसीआई अनुभाग		
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध हानि/(लाभ)	**(8.58)**	6.97
ओसीआई पर लगाया जाने वाला आयकर	**(8.58)**	**6.97**

अतिरिक्त जानकारी:

कंपनी कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन केवल तभी करती है जब उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हो

सहायक कंपनियों द्वारा कर व्यय का समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, यह नोट प्रस्तुत किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

36. बंद किए गए ऑपरेशन

क) वित्त वर्ष 2015-16 में सीसीईए अनुमोदन के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड का परिचालन बंद कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, क्रमशः 10 मार्च, 2022 और 20 अप्रैल, 2022 के आदेश के तहत एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड और एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड के लिए विघटन आदेश पारित किया गया है।

ख) तदनुसार, नीचे दिए गए परिणामों में केवल एचएमटी वॉचेस लिमिटेड शामिल हैं।

वर्ष के लिए बंद परिचालन के परिणाम नीचे प्रस्तुत हैं:

(रुपए लाख में)

ववरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
राजस्व		
परिचालन से राजस्व	-	-
अन्य आय	**61.21**	132.92
व्यय		
सामग्री की खपत, स्टॉक की खरीद और इन्वेंट्री में परिवर्तन	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
मूल्यह्रास	-	-
अन्य व्यय	**116.80**	140.51
वित्त लागत	-	-
बंद किए गए परिचालन से असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि)	**(55.59)**	**(7.59)**
असाधारण वस्तुएं		193.04
भारत सरकार की देनदारियों का लेखा-जोखा	**2,69,378.75**	-
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**83,747.00**	-
बंद किए गए परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	**3,53,125.75**	**185.45**
कर (व्यय)/आय:		
वर्तमान कर-पूर्व लाभ/(हानि) से संबंधित	**84,986.12**	-
निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य के मापन से संबंधित (आस्थगित कर)		
बंद किए गए परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**2,68,139.63**	**185.45**
बंद परिचालन की गैर चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है		
संपत्ति		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	-	-
संपत्ति मे निवेश करे	-	-
बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ	-	-
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां	-	-
शुद्ध नकदी प्रवाह निम्नानुसार है::		
ऑपरेटिंग	**(1,363.99)**	(852.01)
निवेश	**59.68**	137.26
वित्तपोषण	-	(14.28)
शुद्ध नकदी (बहिर्वाह)/अंतर्वाह	**(1,304.31)**	**(729.03)**
प्रति शेयर आय:		
बंद परिचालन से वर्ष के लिए मूल, लाभ/(हानि)	**75.39**	0.05
बंद परिचालन से वर्ष के लिए पतला, लाभ/(हानि)	**75.39**	0.05

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
37. आकस्मिक देयताएँ		
1) कंपनी के ऋण के रूप में अस्वीकृत दावे;		
विवरण		
क) अपील में लंबित कर संबंधी दावे		
i) उत्पाद शुल्क	**-**	32.31
ii) बिक्री कर	**213.55**	267.19
iii) संपत्ति कर	**8,080.05**	4,945.11
iv) आयकर	**37.92**	37.92
ख) रियायती बिक्री कर लगाने पर संबंधित प्रपत्रों की प्राप्ति न होना	**54.40**	54.40
ग) तालाबंदी, बकाया वेतन, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आदि से संबंधित कर्मचारी संबंधी दावे, सुनिश्चित सीमा तक न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं	**1,772.17**	1,592.15
घ) दोषपूर्ण उत्पाद, दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट लगने, सामग्री की आपूर्ति से संबंधित दावे आदि से संबंधित विभिन्न मामले	**14,693.67**	13,829.15
ड़) एचएमटी वॉचेज लिमिटेड से संबंधित कर्मचारियों और अन्य आकस्मिक देयताओं से संबंधित विभिन्नकानूनी मामले (संदर्भ: टिप्पणी संख्या 60)	**9,896.80**	9,896.80
च) जारी की गई गारंटियां और काउंटर गारंटियां और एलसी [(एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को जारी 12272 लाख रुपये की कॉरपोरेट गारंटी के विरुद्ध 8045 लाख रुपये और 9454 लाख रुपये (पिछले वर्ष) सहित)]	**11,188.27**	12,084.58
छ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के 14बी के अनुसार ब्याज, जुर्माना / क्षति के प्रति देयता	**23.89**	23.89
ज) जीवन तारा बिल्डिंग में अप्रैल 2010 तक कंपनी के कब्जे वाले परिसर के संबंध में विवादित पट्टा किराया भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली का है।	**311.77**	311.77
झ) स्रोत पर कर कटौती के कम और गैर प्रेषण के लिए ट्रेस सॉफ़्टवेयर के तहत स्रोत पर आयकर कटौती की मांग मामला जांच के अधीन	**79.12**	79.40
ञ) पूंजीगत खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	**-**	65.00
त) स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत कुछ गैर-अनुपालनों जैसे निदेशक मंडल, समितियों की संरचना, खातों को जमा करने में देरी आदि के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। स्टॉक एक्सचेंजों के परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को एक्सचेंज में छूट आवेदन दाखिल करने से पहले एक्सचेंज के परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, कुछ मामलों में, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों से दंड की छूट मिली है। कंपनी ने फिर से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है और स्टॉक एक्सचेंजों से जवाब की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए, स्टॉक एक्सचेंजों से सटीक जुर्माना राशि का पता नहीं लगाया जा सका।	**508.47**	394.77

38. अन्य प्रकटनः

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती

क) भारत सरकार ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के पूंजीगत व्यय को इक्विटी (100 लाख रुपये) और ऋण (100 लाख रुपये) के रूप में पूरा करने के लिए मार्च 2007 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की योजना सहायता जारी की थी। निर्धारित अवधि के भीतर सहायक कंपनी द्वारा धनराशि का उपयोग न करने के कारण, भारत सरकार ने दिसंबर 2009 के दौरान कंपनी को 200 लाख रुपये की कुल योजना सहायता वापस करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, कंपनी ने फरवरी 2010 के दौरान भारत सरकार को 100 लाख रुपये की ऋण राशि वापस कर दी है। हालाँकि, इक्विटी हिस्से की वापसी के संबंध में, चूंकि कंपनी ने भारत सरकार की मंजूरी की शर्तों के अनुसार, अप्रैल 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 10/- रुपये (100 लाख रुपये) के 10,00,000 इक्विटी शेयर पहले ही जारी कर दिए हैं। ऐसा नहीं किया जा सका, क्योंकि इससे शेयर पूंजी में कमी आएगी जिसके लिए शेयर धारकों की मंजूरी और कंपनी अधिनियम और इस संबंध में लागू नियमों के अनुसार अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, और इसे भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है। इस पर भारत सरकार से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा है।

ख) अन्य देनदारियों में भूमि की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम राशि शामिल है जो बेंगलूरुमें भूमि और इमारतों की बिक्री के लिए मेसर्स रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) से 926.64 लाख रुपये और उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से 7202.10 लाख रुपये (टीडीएस सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। भूमि के मूल्य को बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालाँकि कंपनी ने आरआरआई के संबंध में क्रेता को भूमि बेचने और उस पर कब्ज़ा देने तथा जीओयूके के संबंध में क्रेता को भूमि का आंशिक कब्ज़ा देने के लिए एक समझौता किया है, लेकिन बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन लंबित होने तक इस लेनदेन को बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

39. वरीयता शेयर पूंजी

भारत सरकार ने मार्च 2007 के दौरान एक सहायक कंपनी एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी-एमटीएल) की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी देते हुए 3.5% वरीयता शेयर पूंजी के रूप में 44,300 लाख रुपये की नकदी डालने की मंजूरी दी थी। जिसे कंपनी के माध्यम से सहायक कंपनी में वरीयता शेयर पूंजी में निवेश के लिए भेजा गया था, जिसे 3 साल बाद यानी 31.3.2010 को एचएमटी-एमटीएल की अधिशेष अचल संपत्तियों की बिक्री से भुनाया जाना था।

हालाँकि, सीसीईए अनुमोदन के अनुसार 100/- रुपये मूल्य के 44300000 शेयरों में से 40614000 शेयरों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे 100/- रुपये मूल्य वाले 36,86,000 शेष शेयर बचे हैं। जिन्हें अचल संपत्ति की बिक्री पर भुनाया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार को देय अधिमानी शेयरों पर निश्चित संचयी लाभांश (उस पर कर सहित) का बकाया	**5,607.63**	5,607.63

40. सूची में शामिल

उपयोग करने योग्य धीमी / न चलने वाली और अधिशेष भंडार और सामग्री / प्रगति पर काम और तैयार माल शामिल करें	**405.47**	818.08

41. व्यापार प्राप्य में शामिल

एक वर्ष से अधिक की अवधि के निर्माण एवं कमीशनिंग के लिए बकाया	**243.41**	856.14
दावा किए गए अग्रिमों पर परिसमाप्त क्षति और ब्याज के लिए रोकी गई राशि/यदि विलंबित आपूर्ति पर दावा किया गया है।	-	-

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
उन पक्षों से बकाया जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में मामले दायर किए गए हैं जो लंबित हैं।	-	-
तीन वर्षों से अधिक के बकाया के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो एचएमटी (आई) लिमिटेड के संबंध में ग्राहकों से विशिष्ट पुष्टि द्वारा समर्थित नहीं है।	-	169.44
42. शामिल अग्रिम		
निर्णय/वार्ता के लिए लंबित कर्मचारियों के अग्रिम, बोनस आदि से वसूली योग्य राशियाँ	**2.54**	2.75
कर्मचारियों को वेतन/वेतन, डीए बकाया, यदि कोई हो, के लिए तदर्थ भुगतान, लंबित समायोजन और इस सीमा तक प्रावधान खातों में कर दिया गया है	**148.40**	177.95
43. आकस्मिक परिसम्पतियां		
पूर्व में बट्टे खाते में डाले गये ऋणों की वसूली की कार्यवाही न्यायालयों के समक्ष जारी रखी जा रही है	**138.98**	138.98

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेनदेन और प्रकटीकरण

सम्बद्ध पार्टी का नाम	संबंध
श्री पंकज गुप्ता (25.08.2022 से 24.11.2023 तक) श्री राजीव सिंह (30.12.2023 से 08.03.2024 तक) श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (08.03.2024 से) सुश्री आरती भटनागर (14.02.2023 से) डॉ. रेणुका मिश्रा (12.09.2022 से 04.09.2023 तक) सुश्री मुक्ता शेखर (04.09.2023 से) सुश्री रीता सक्सेना (25.08.2023 से प्रभावी) श्री एस. किशोर कुमार सुश्री कामना मेहता (09.11.2023 तक) सुश्री अपर्णा आर (10.11.2023 से प्रभावी)	प्रमुख प्रबंदकीय व्यक्ति (केएमपी)

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ लेनदेन

कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा	31-मार्च-24	31-मार्च-23
श्री एस.किशोर कुमार	**15.87**	14.63
सुश्री कामना मेहता	**6.84**	10.56
सुश्री अपर्णा आर	**5.58**	-
	28.29	**25.19**
निदेशकों की बैठक फीस		
श्री विश्वेश्वर भट्ट	-	0.66
श्री रामजी लाल	-	0.91
	-	**1.57**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 की स्थिती	31-मार्च-23 की स्थिती
सहायक कंपनियों के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन		
समेकन में अपनी स्वयं की सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन और शेष समाप्त हो जाते हैं।		
संयुक्त उद्यम के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन		
सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड		
अग्रिम (क्रेडिट/डेबिट)		
प्रारंभिक शेष	8.70	4.83
अग्रिम दिया गया (निवल)	3.40	3.87
अग्रिम लिया गया (निवल)	-	-
स्थानांतरण	(8.70)	-
जमा शेष	**3.40**	**8.70**

45. उचित मूल्य

नीचे दिए गए सेट में कंपनी के वित्तीय साधनों की वहन राशि और उचित मूल्य की श्रेणी के आधार पर तुलना की गई है, उन अन्य राशि के अलावा जो उचित मूल्यों के उचित अनुमान हैं।

	वहन राशियां		उचित मूल्य	
	31-मार्च-24	**31-मार्च-24**	**31-मार्च-23**	**31-मार्च-23**
वित्तीय परिसंपत्ति				
एफवीटीओसीआई वित्तीय निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ				
उधारी	**38,765.76**	**3,08,522.35**	38,765.76	3,08,522.35
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	**64,171.74**	**64,171.74**	64,171.74	64,171.74
कुल	**1,02,937.50**	**3,72,694.09**	**1,02,937.50**	**3,72,694.09**

प्रबंधन ने आकलन किया है कि नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य मौजूदा देयताएँ इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी वहन राशि का अनुमान लगाती हैं। प्रबंधन ने यह भी आकलन किया है कि ब्याज मुक्त भारत सरकार के ऋण को छोड़कर भारत सरकार (जीओआई) ऋण उनकी वहन राशि के बराबर है क्योंकि लेनदेन लागत नहीं लगाई जाती है।

भारत सरकार के ब्याज मुक्त ऋण का उचित मूल्य 5 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए ऋण राशि में छूट देकर निकाला जाता है। गणना के प्रयोजन के लिए 8% को प्रभावी ब्याज दर माना जाता है

कंपनी ने 3.5% प्रतिदेय वरीयता शेयरों में चूक की है जो मोचन के लिए परिपक्व हो चुके हैं और इसलिए खातों में कोई उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

46. उचित मूल्य पदानुक्रम

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 के भीतर वर्गीकृत उचित मूल्य माप में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट नीचे दिखाए गए हैं:

31 मार्च 2024 तक परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम (लाख रुपए में)

	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन विधि	उचित मूल्य मापन की प्रयुक्तता			
			कुल	सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतें (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (स्तर 3)
उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तिः						
एफबीटीओ सीआई वित्तीय निवेशः						
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड			-			-
ऐसी परिसंपत्तियां जिनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*	31-मार्च -24	सर्किल दर	**4,86,099.56**			**4,86,099.56**
वित्तीय देयता						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	31-मार्च -24		**64,171.74**			**64,171.74**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

31 मार्च 2023 तक परसिंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचति मूल्य माप पदानुक्रम (लाख रुपए में)

	मूल्यांकन की तिथि	मूल्यांकन विधि	उचित मूल्य मापन की प्रयुक्तता कुल	सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतें (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट (स्तर 3)
उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्ति:						
एफबीटीओ सीआई वित्तीय निवेश:						
गैर उद्धृत इक्विटी शेयर						
नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड			-			-
ऐसी परिसंपत्तियां जिनके उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया						
निवेश संपत्ति						
भूमि*		सर्किल दर	2,80,183.78			2,80,183.78
वित्तीय देयता						
ब्याज मुक्त भारत सरकार ऋण	31-मार्च -23	8% प्रभावी ब्याज दर का उपयोग किया गया	64,171.74			64,171.74

***मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर**

क) नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड भारत के बाहर निगमित कंपनी है, और दिनांक 31-12-2020 के इसके नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसलिए उचित मूल्य रु. शून्य माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

47. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(रुपए लाख में)

	31-मार्च-24	31-मार्च-23
इक्विटी ढरकों को देय लाभः		
सतत संचालन	**(13,007.78)**	(12,475.74)
बंद संचालन	**2,68,084.04**	185.45
बुनियादी आय के लिए इक्विटी धारकों को दिया जाने वाला लाभ	**2,55,076.26**	**(12,290.29)**
इक्विटी धारकों के कारण देय लाभ का तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजन	**2,55,076.26**	**(12,290.29)**
बुनियादी ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**35,56,01,640**	35,56,01,640
तनुकरण का प्रभावः		
परिवर्तनीय वरीयता शेयर	-	-
तनुकरण के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**35,56,01,640**	**35,56,01,640**
निरंतर संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से मूल लाभ	**(3.66)**	(3.51)
ii) इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से तनुकरण लाभ	**(3.66)**	(3.51)
बंद संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
i) इक्विटी धारकों के कारण बंद संचालन से मूल लाभ	**75.39**	0.05
ii)इक्विटी धारकों के कारण बंद संचालन से तनुकरण लाभ	**75.39**	0.05

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़ा कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

48. भारतीय लेखा मानक-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं

i) परिभाषित योगदान योजना:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान	**99.40**	114.46

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी और निपटान भत्ते में योगदान देती है, जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।

कंपनी ने अपने भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए स्वतंत्र बीमांकिक से बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

a) कंपनी की योजना के परिभाषित लाभ दायित्व को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं नीचे दर्शाई गई हैं।

	31-मार्च-24	31-मार्च-23
	%	%
छूट की दर:		
ग्रेच्युटी योजना	**7.23**	7.52
निपटान भत्ता	**7.23**	7.52
भविष्य में वेतन वृद्धि:		
ग्रेच्युटी योजना	**10.00**	10.00
निपटान भत्ता	**10.00**	10.00

जनसांख्यिकीय अनुमानों का सारांश	ग्रेच्युटी योजना		निपटान भत्ता	
	31-मार्च-24	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-23
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) के प्रतिशत के रूप में (संशोधित) अंतिम मृत्यु दर तालिका) {पिछले वर्ष की आईएएलएम (2012-14) अंतिम मृत्यु दर तालिका}	**100%**	100%	**100%**	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के प्रतिशत के रूप में)	**0%**	0%	**0% to5%**	0% to 5%
निकासी दर	**1% to 3%**	1% to 3%	**1% to 3%**	1% to 3%
संघर्षण दर				
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु*				
औसत भविष्य सेवा	**18.12**	18.67	**18.12**	18.67

*नोट: एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी(आई) लिमिटेड के मामले में आयु 60 वर्ष।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के मामले में आयु 58 वर्ष है। हालांकि एचएमटी वॉचेस लिमिटेड में कोई कर्मचारी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

48क. कर्मचारी लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ उपदान योजना और सैटलमेंट भत्ता की लागत तथा ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

क. उपदान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य **(रुपए लाख में)**

विवरण	01-अप्रैल 2023	लाभ अथवा हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आय में लाभ / (हानियों) का पुनर्मापन							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च -2024
		सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय	लाभ या हानि में व उप-कुल	प्रदत्त लाभ	योजना परिसंपत्तियों परटिर्न (निवल ब्याजव्यय में शामिल राशि को छोड़कर	परिसंपत्ति सीमाके कारण पुनःमाप (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई मेंशामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	**(4,750.50)**	**(205.10)**	**(315.34)**	**(520.44)**	**822.93**	**(7.11)**	**-**	**-**	**(31.43)**	**41.14**	**2.60**	**-**	**(4,445.41)**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1,444.99**	**-**	**98.93**	**98.93**	**(822.93)**	**13.25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.25**	**806.40**	**1,540.64**
लाभ दायित्व	**(3,305.51)**			**(421.51)**	**-**						**15.85**	**806.40**	**(2,904.77)**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना

विवरण	01-अप्रैल 2022	लाभ अथवा हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आय में लाभ / (हानियों) का पुनर्मापन							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च -2023
		सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय	लाभ या हानि में व उप-कुल	प्रदत्त लाभ	योजना परिसंपत्तियों परटिर्न (निवल ब्याजव्यय में शामिल राशि को छोड़कर	परिसंपत्ति सीमाके कारण पुनःमाप (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई मेंशामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(5,900.45)	(206.60)	(350.84)	(557.44)	1,761.93	(20.69)	-	-	111.65	(145.50)	(54.54)	-	(4,750.50)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,477.17	-	141.32	141.32	(1,761.93)	41.58	-	-	-	-	41.58	546.85	1,444.99
लाभ दायित्व	**(3,423.28)**			**(416.12)**	-						**(12.96)**	**546.85**	**(3,305.51)**

कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के पास अलग-अलग योजनागत परिसंपत्तियां हैं। होल्डिंग कंपनी ने अतिरिक्त रकम की फंडिंग की है. हालाँकि, सहायक कंपनी के संबंध में एक दायित्व है जिसे एक-दूसरे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है और वित्तीय विवरणों में अलग से खुलासा नहीं किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

ख. निपटान भत्ता

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए लाख में)

विवरण	01-अप्रैल 2023	लाभ अथवा हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आप में लाभ / (हानियों) का पुनर्मापन							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च -2024
		सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय	लाभ या हानि में व उप-कुल	प्रदत्त लाभ	योजना परिसंपत्तियों पररिटर्न (निवल ब्याजव्यय में शामिल राशि को छोड़कर	परिसंपत्ति सीमाके कारण पुनःमाप (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई मेंशामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	**(234.40)**	**(19.70)**	**(15.56)**	**(35.26)**	**48.19**	-	-	-	**(4.04)**	**13.71**	**9.67**	-	**(211.80)**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ दायित्व	**(234.40)**			**(35.26)**	**48.19**						**9.67**	-	**(211.80)**

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	01-अप्रैल 2023	लाभ अथवा हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आप में लाभ / (हानियों) का पुनर्मापन							नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च -2024
		सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय	लाभ या हानि में व उप-कुल	प्रदत्त लाभ	योजना परिसंपत्तियों पररिटर्न (निवल ब्याजव्यय में शामिल राशि को छोड़कर	परिसंपत्ति सीमाके कारण पुनःमाप (ब्याज आय को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई मेंशामिल उप-योग		
परिभाषित लाभ दायित्व	(276.50)	(21.97)	(16.48)	(38.45)	67.45	-	-	-	6.66	6.44	13.10	-	(234.40)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ दायित्व	**(276.50)**			**(38.45)**	**67.45**						**13.10**	-	**(234.40)**

सी. भविष्य निधि (ब्याज की कमी)

कंपनी का भविष्य निधि में भुगतान/देय योगदान और देयता/दायित्व को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त यह है कि नियोक्ता को ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में वैधानिक दर के मुकाबले किसी भी तरह की कमी को पूरा करना होगा। कंपनी को निकट भविष्य में फंड की परिसंपत्तियों और निवेश पर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के दायित्व की उम्मीद नहीं है।

कंपनी (स्टैंडअलोन) ने 31 मार्च 2024 तक किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है, कि ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जो 31.3.2024 को 59.40 लाख रुपये और 31.3.2023 को 75.13 लाख रुपये की कमी हुई।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

48ख. कर्मचारी लाभ (जारी):

बी संवेदनशीलता विश्लेषणः

प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएँ विशेष रूप से संवेदनशील हैं, छूट दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर हैं। निम्नलिखित तालिका रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करती है:

(i) उपदान (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023की स्थिति	
	कमी	बढ़ोतरी	कमी	बढ़ोतरी
छूट दर में परिवर्तन	**179.01**	**162.28**	180.99	164.40
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	**117.35**	**113.63**	122.07	117.99
निकासी दरों में परिवर्तन	**26.51**	**23.00**	25.10	21.60

(ii) सैटलमेंट भत्ता (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति		31 मार्च 2023की स्थिति	
	कमी	बढ़ोतरी	कमी	बढ़ोतरी
छूट दर में परिवर्तन	**16.03**	**15.94**	19.23	18.42
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	**15.16**	**17.27**	17.23	20.62
निकासी दरों में परिवर्तन	**15.52**	**17.09**	13.91	21.06

सी. अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के लिए अपेक्षित योगदान 16000 लाख रुपये और निपटान भत्ता शून्य होगा।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

49.घटक रिपोर्टिंग

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष

I. राजस्व (रुपए लाख में)

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन टूल्स	परियोजनाओं	अन्य	समायोजन/अंतर्खंड उन्मूलन	कुल
राजस्व	**3604.75**	**9969.99**	**1758.62**	**1186.49**	**(181.17)**	**16,338.68**
ब्याज आय	**14.63**	**129.66**	**169.16**	**2,766.63**	**(1,544.11)**	**1,535.97**
कुल	**3,619.38**	**10,099.65**	**1,927.78**	**3,953.12**	**(1,725.28)**	**17,874.65**
घटाएँ:						
ब्याज व्यय	**0.32**	**8,349.80**	**-**	**-**	**(1,544.11)**	**6,806.01**
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**13.45**	**604.26**	**13.08**	**197.09**	**-**	**827.88**
खंड परिणाम	**3,605.61**	**1,145.59**	**1,914.70**	**3,756.03**	**(181.17)**	**10,240.76**
जोड़ें: अविनिधानीय आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,860.85**
घटाएँ: अविनिधानीय व्यय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,403.17**
कर से पहले कुल लाभ /हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(13,301.56)**
घटाएँ: आयकर व्यय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(293.78)**
वर्ष के लिए लाभ/हानि						**(13,007.78)**

II. परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन टूल्स	परियोजनाओं	अन्य	कुल खंड	बंद	समायोजन/ उन्मूलन	कुल
कुल परिसंपत्ति	**2,440.32**	**31,338.54**	**5,563.34**	**22,621.34**	**61,963.54**	**-**	**(1,603.10)**	**60,360.44**
कुल देयताएँ	**1,936.54**	**56,426.40**	**1,733.74**	**17,301.33**	**77,398.01**	**-**	**1,58,165.62**	**2,35,563.63**

31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्त हो गया

I. राजस्व

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन टूल्स	परियोजनाओं	अन्य	समायोजन/अंतर्खंड उन्मूलन	कुल
संचालन से राजस्व	4354.57	14224.06	1415.45	804.68	(417.90)	20,380.86
ब्याज आय	16.81	90.04	151.92	2,089.86	(1,408.06)	940.57
कुल	4,371.38	14,314.10	1,567.37	2,894.54	(1,825.96)	21,321.43
घटाएँ:						
ब्याज व्यय	1.56	8,287.07	-	11.13	(1,398.11)	6,901.65
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	13.45	708.75	13.03	197.39	-	932.62
खंड परिणाम	**4,356.37**	**5,318.28**	**1,554.34**	**2,686.02**	**(427.85)**	**13,487.16**
जोड़ें: अविनिधानीय आय	-	-	-	-	-	4,606.88
घटाएँ: अविनिधानीय व्यय	-	-	-	-	-	29,774.50
घटाएँ: आयकर व्यय	-	-	-	-	-	(11,680.46)
घटाएँ: आयकर व्यय	-	-	-	-	-	795.28
वर्ष के लिए लाभ/हानि						**(12,475.74)**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

II. संपत्ति और देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	मशीन टूल्स	परियोजनाओं	अन्य	कुल खंड	बंद	समायोजन/ उन्मूलन	कुल
कुल परिसंपत्ति	3,154.12	36,680.67	5,840.55	24,336.47	70,011.81	1,304.31	(1,701.95)	**69,614.17**
कुल देयताए	2,889.15	55,129.80	2,090.31	18,156.50	78,265.76	4.21	4,21,657.77	**4,99,927.74**

वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशि का समाधान

(रुपया लाख में)

लाभ/हानि का समाधान	**31-मार्च-24**	**31-मार्च-23**
खंड परिणाम	**10,240.76**	13,487.16
जोड़ें: अविनिधानीय आय	**3,860.85**	4,606.88
घटाएँ: अविनिधानीय व्यय	**27,403.17**	29,774.50
कर से पहले जारी संचालन का लाभ/हानि	**(13,301.56)**	**(11,680.46)**
जोड़ें/घटाएँ: बंद संचालन से लाभ या हानि	**3,53,070.16**	185.45
कर से पहले कुल लाभ/हानि	**3,39,768.60**	(11,495.01)
घटाएँ: कर व्यय	**(84,692.34)**	(795.28)
वर्ष के लिए लाभ /हानि	**2,55,076.26**	**(12,290.29)**
परिसंपत्तियों का समाधान		
खंड संचालन परिसंपत्तियाँ	**61,963.54**	70,011.81
बंद संचालनों द्वारा रखी गई परिसंपत्तियाँ	**-**	1,304.31
अंतर-खंड (उन्मूलन)	**(1,603.10)**	(1,701.95)
कुल परिसंपत्तियाँ	**60,360.44**	**69,614.17**
देयताओं का समाधान		
खंड संचालन देयताएँ	**77,398.01**	78,265.76
बंद संचालन की देयताएँ	**-**	4.21
अंतर-खंड (उन्मूलन)	**(1,603.10)**	(1,701.95)
आस्थगित कर देयताएँ	**0.17**	42.68
उधारी	**1,59,768.55**	4,23,317.04
कुल देयताएँ	**2,35,563.63**	**4,99,927.74**

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

पूंजीगत व्यय में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वृद्धि शामिल है।
अंतर-खंड आय और व्यय, परिसंपत्ति और देयताएँ समेकन पर समाप्त हो जाती हैं और 'समायोजन और उन्मूलन' कॉलम में दिखाई देती हैं।

कंपनी ने 2016 में एक संचालन खंड को बंद किए गए संचालन के रूप में वर्गीकृत किया है। भारतीय लेखा मानक 108 इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है कि क्या खंड के प्रकटन बंद किए गए संचालन पर लागू होते हैं। यद्यपि निपटान खंड महत्वपूर्ण है, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 108 के तहत खंड प्रकटीकरण के भीतर परिणामों का प्रकटन नहीं किया है। भारतीय लेखा मानक 105 में कहा गया है कि अन्य मानकों की आवश्यकताएं बंद किए गए संचालन पर लागू नहीं होती हैं, जब तक कि वे उन पर लागू प्रकटीकरण निर्दिष्ट नहीं करते हैं। चूंकि भारतीय लेखा मानक 108 बंद किए गए संचालनों का उल्लेख नहीं करता है, इसलिए संस्थाओं को उन्हें रिपोर्ट करने योग्य खंड के रूप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। बंद किए गए संचालन की परिसंपत्ति और देयताएँ 'समायोजन और उन्मूलन' कॉलम में बताई गई हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
प्रमुख ग्राहक- एकल ग्राहक से कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व का विवरण		
भारत	**5,386.31**	3,524.01
भारत के बाहर	-	-
लाभ या हानि के समेकित विवरण के अनुसार कुल राजस्व	**5,386.31**	**3,524.01**

उपरोक्त राजस्व जानकारी ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाई
किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक से 10% से अधिक राजस्व:
वर्ष के दौरान 2679.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3679.63 लाख रुपये)

मशीन टूल्स
एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व 3118.03 लाख रुपये रहा, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व का 10% से अधिक है।
एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व 1706.68 लाख रुपये रहा, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व का 10% से अधिक है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

50 अनुपात विश्लेषण

	अनुपात	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2022-23	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	0.24	0.13	87.92%	भारत सरकार की देनदारियों को वापस लिखने के कारण चालू देनदारियों में कमी के कारण
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	कुल ऋण	-	-	-	इक्विटी ऋणात्मक होने के कारण ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित और तुलना नहीं किया जा सकता
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (ईबीआईटीडीए)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (ईबीआईटीडीए)	-0.05	-0.01	399.70%	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड की भारत सरकार की देनदारियों को वापस लेने के परिणामस्वरूप ऋण में कमी के कारण, परिचालन बंद हो गया है।
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद शुद्ध लाभ	करों के बाद शुद्ध लाभ	-	-	-	इक्विटी ऋणात्मक होने के कारण इक्विटी पर रिटर्न अनुपात निर्धारित और तुलना नहीं किया जा सकता है
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बिक्री	बिक्री	1.40	1.56	-10.56%	-
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	ऋण बिक्री	ऋण बिक्री	1.02	1.19	-14.10%	-
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद/सेवाएँ	शुद्ध ऋण खरीद/सेवाएँ	1.10	1.24	-10.93%	-
8	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	शुद्ध बिक्री	-0.05	-0.05	0.00%	-
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कर के बाद शुद्ध लाभ	1561.18%	-60.30%	-2688.89%	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड ने भारत सरकार की देनदारियों को वापस लिखने के परिणामस्वरूप लाभ एटर टैक्स में वृद्धि के कारण परिचालन बंद कर दिया।
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की आय	ब्याज और करों से पहले की आय	-	-	-	इक्विटी ऋणात्मक होने के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न निर्धारित और तुलना नहीं की जा सकती
11	निवेश पर रिटर्न	-	-	-	-	-	निवेश पर कोई रिटर्न नहीं, इसलिए अनुपात निर्धारित नहीं किया गया

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

51 समूह ने गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक सहयोगी कंपनी होने के नाते निवेश किया है, जानकारी उपलब्ध न होने के कारण समूह ने सहयोगी के रूप में इसका लेखा नहीं दिया है। तदनुसार भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन पर कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार लेखांकन किया है।

52 समूह की निवल मालियत पूरी तरह खत्म हो गई है। बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, भारत सरकार से समर्थन और अन्य व्यावसायिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने समूह के वित्तीय विवरण इस आधार पर तैयार किए हैं कि यह एक लाभकारी संस्था है और परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य के लिए कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

53 आस्थगित कर

आयकर का प्रावधान भारतीय लेखा मानक 12-आयकर के अनुसार किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) में परिवर्तन (रुपया लाख में)

विवरण	31.3.2024 तक	31.3.2023 तक
वर्ष के आरंभ में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	**42.68**	18.33
जोड़ें: (वर्ष के लिए आस्थगित कर लाभ (शुल्क)	**(42.51)**	24.35
वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	**0.17**	42.68

शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में निम्नलिखित के कारण समय के अंतर से उत्पन्न कर प्रभाव शामिल है:

विवरण	31.3.2024 तक	31.3.2023 तक
मूल्यहास	**(120.58)**	(169.32)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	**120.41**	126.64

धारित कंपनी ने भविष्य के व्यावसायिक लाभ की उचित निश्चितता के अभाव में अनुपयोगी कर घाटे पर आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

54 आईडी 80046855 द्वारा एक शुल्क अभी भी भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर शुल्क के सूचकांक में खुला है। कंपनी काफी पहले ही भारतीय स्टेट बैंक का कर्ज उतार चुकी है। चूंकि मामला लगभग पच्चीस साल पुराना है, इसलिए शुल्क की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समन्वय करके प्रयास किए जाएंगे

55 धारित कंपनी ने सुडमो एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, बेंगलूरु (मैसर्स सबमो-एचएमटी) में 15 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 50%) का निवेश किया है, जिसमें 10/- रुपये के 1,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। मेसर्स सुडमो-एचएमटी का कोई संचालन नहीं है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने बंद पड़ी संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने की मंजूरी (फरवरी 2020 / जुलाई 2021) दे दी है और अनुमोदन के लिए जुलाई 2021 को प्रशासनिक मंत्रालय को बंद करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

56 धारित कंपनी ने गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कॉपोरेशन, भावनगर (मैसर्स जीएसएमटीसी) में 20.84 लाख रुपये (इक्विटी शेयरों का 39%) का निवेश किया है, जिसमें प्रति 1 रुपये के पूर्ण भुगतान वाले 20,84,050 इक्विटी शेयर शामिल हैं। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी (मार्च 2021) और गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड (जीआईआईसी) को एक सहमति पत्र जारी किया। जीआईआईसी ने मेसर्स जीएसएमटीसी के परिसमापन को मंजूरी दे दी (सितंबर 2021) और उद्योग और खान विभाग, गुजरात सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2021)। एचएमटी लिमिटेड ने मंजूरी के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को परिसमापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2022)। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

57 धारित कंपनी ने नाइजीरिया मशीन टूल्स लिमिटेड, नाइजीरिया (मैसर्स एनएमटीएल) में 1 नायरा के 30,00,000 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड ने मेसर्स एनएमटीएल में हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए मंजूरी दे दी है (फरवरी 2020 जुलाई 2021) और प्रशासनिक मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई है। मंत्रालय से आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है।

58 समूह ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को या उनमें कोई धनराशि (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है।) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समूह की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या ऐसा कुछ प्रदान करेगा।

59 समूह को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियाँ) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई फंड नहीं मिला है, भले ही यह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि समूह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

60 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

61 कंपनी पर लागू होने वाले भारतीय लेखा मानकों में संशोधन से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

62 व्यापार प्राप्य, 'ऋण और अग्रिम', 'व्यापार देय' और अन्य वर्तमान देयताओं के तहत शेष पुष्टि के अधीन हैं, हालांकि अधिकांश मामलों में पुष्टि की मांग की गई है।

63 चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

64 डिफ़ॉल्ट की अवधि और राशि इस प्रकार है:

एचएमटी लिमिटेड

उधार लेने की प्रकृति [ब्याज मुक्त]	ऋणदाता का नाम	किस्त की राशि और डिफ़ॉल्ट की अवधि (रुपया लाख में)	विलंबित या भुगतान न किए गए दिनों की संख्या
भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 21.01.2017	भारत सरकार	1) 21.01.2018 से 6,073.60 लाख रुपये बकाया।	2260
		2) 21.01.2019 से 6,073.60 लाख रुपये बकाया।	1895
		3) 21.01.2020 से 6,073.60 लाख रुपये बकाया।	1530
		4) 21.01.2021 से 6,073.60 लाख रुपये बकाया।	1164
		5) 21.01.2022 से 6,073.60 लाख रुपये बकाया।	799
भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 16.02.2017	भारत सरकार	1) 16.02.2018 से 4,800 लाख रुपये बकाया।	2234
		2) 16.02.2019 से 4,800 लाख रुपये बकाया।	1869
		3) 16.02.2020 से 4,800 लाख रुपये बकाया।	1504
		4) 16.02.2021 से 4,800 लाख रुपये बकाया।	1,138
		5) 16.02.2022 से 4,800 लाख रुपये बकाया।	773
भारत सरकार ऋण [ब्याज मुक्त] दिनांक 29.04.2017	भारत सरकार	1) 29.04.2018 से 1,958 लाख रुपये बकाया।	2162
		2) 29.04.2019 से 1,958 लाख रुपये बकाया।	1797
		3) 29.04.2020 से 1,958 लाख रुपये बकाया।	1431
		4) 29.04.2021 से 1,958 लाख रुपये बकाया।	1,066
		5) 29.04.2022 से 1,958 लाख रुपये बकाया।	731
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड			
कैपेक्स ऋण @15.50% ब्याज दिनांक 30.03.2006	भारत सरकार	1) 02.04.2007 से 79 लाख रुपये बकाया	6207
		2) 02.04.2008 से 79 लाख रुपये बकाया	5841
		3) 02.04.2009 से 79 लाख रुपये बकाया	5476
		4) 02.04.2010 से 79 लाख रुपये बकाया	5111
		5) 02.04.2011 से 79 लाख रुपये बकाया	4746
वीआरएस ऋण @ 3.5@ ब्याज दिनांक 01.11.2007	भारत सरकार	1) 27.12.2008 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5572
		2) 27.12.2009 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5207
		3) 27.12.2010 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4842
		4) 27.12.2011 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4477
		5) 27.12.2012 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4111
दिनांक 29.03.2007 को 15.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 30.03.2008 से 156.40 लाख रुपये बकाया	5844
		2) 30.03.2009 से 156.40 लाख रुपये बकाया	5479
		3) 30.03.2010 से 156.40 लाख रुपये बकाया	5114
		4) 30.03.2011 से 156.40 लाख रुपये बकाया	4749
		5) 30.03.2012 से 156.40 लाख रुपये बकाया	4383
वीआरएस ऋण @ 3.5@ ब्याज दिनांक 31.12.2008	भारत सरकार	1) 15.01.2010 से 243.29 लाख रुपये बकाया	5188
		2) 15.01.2011 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4823
		3) 15.01.2012 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4458
		4) 15.01.2013 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4092
		5) 15.01.2014 से 243.29 लाख रुपये बकाया	3727

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

दिनांक 24.07.2012 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 01.08.2013 से 888.52 लाख रुपये बकाया 2) 01.08.2014 से 888.52 लाख रुपये बकाया 3) 01.08.2015 से 888.52 लाख रुपये बकाया 4) 01.08.2016 से 888.52 लाख रुपये बकाया 5) 01.08.2017 से 888.52 लाख रुपये बकाया	3894 3529 3164 2798 2433
दिनांक 18.03.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 21.03.2015 से 392 लाख रुपये बकाया 2) 21.03.2016 से 392 लाख रुपये बकाया 3) 21.03.2017 से 392 लाख रुपये बकाया 4) 21.03.2018 से 392 लाख रुपये बकाया 5) 21.03.2019 से 392 लाख रुपये बकाया	3297 2931 2566 2201 1836
दिनांक 23.09.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 480 लाख रुपये बकाया 2) 04.10.2016 से 480 लाख रुपये बकाया 3) 04.10.2017 से 480 लाख रुपये बकाया 4) 04.10.2018 से 480 लाख रुपये बकाया 5) 04.10.2019 से 480 लाख रुपये बकाया	3100 2734 2369 2004 1639
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांक 23.09.2014	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 500 लाख रुपये बकाया 2) 04.10.2016 से 500 लाख रुपये बकाया 3) 04.10.2017 से 500 लाख रुपये बकाया 4) 04.10.2018 से 500 लाख रुपये बकाया 5) 04.10.2019 से 500 लाख रुपये बकाया	3100 2734 2369 2004 1639
दिनांक 09.10.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 378.20 लाख रुपये बकाया 2) 11.10.2016 से 378.20 लाख रुपये बकाया 3) 11.10.2017 से 378.20 लाख रुपये बकाया 4) 11.10.2018 से 378.20 लाख रुपये बकाया 5) 11.10.2019 से 378.20 लाख रुपये बकाया	3093 2727 2362 1997 1632
वेतन एवं मजदूरी के भुगतान हेतु @ 13.50% ब्याज दिनांक 09.10.2014	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 548.60 लाख रुपये बकाया 2) 11.10.2016 से 548.60 लाख रुपये बकाया 3) 11.10.2017 से 548.60 लाख रुपये बकाया 4) 11.10.2018 से 548.60 लाख रुपये बकाया 5) 11.10.2019 से 548.60 लाख रुपये बकाया	3093 2727 2362 1997 1632
1997 वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 06.02.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 586.80 लाख रुपये बकाया 2) 10.02.2017 से 586.80 लाख रुपये बकाया 3) 10.02.2018 से 586.80 लाख रुपये बकाया 4) 10.02.2019 से 586.80 लाख रुपये बकाया 5) 10.02.2020 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2971 2605 2240 1875 1510
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांक 06.02.2015	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 1000 लाख रुपये बकाया 2) 10.02.2017 से 1000 लाख रुपये बकाया 3) 10.02.2018 से 1000 लाख रुपये बकाया 4) 10.02.2019 से 1000 लाख रुपये बकाया 5) 10.02.2020 से 1000 लाख रुपये बकाया	2971 2605 2240 1875 1510

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

दिनांक 31.03.2015 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1)	31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2921
		2)	31.03.2017 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2556
		3)	31.03.018 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2191
		4)	31.03.2019 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1826
		5)	31..03.2020 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1460
1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 30.09.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1)	03.10.2016 से 634 लाख रुपये बकाया	2735
		2)	03.10.2017 से 634 लाख रुपये बकाया	2370
		3)	03.10.018 से 634 लाख रुपये बकाया	2005
		4)	03.10.2019 से 634 लाख रुपये बकाया	1640
		5)	03..10.2020 से 634 लाख रुपये बकाया	1274

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

65 वैधानिक समूह सूचना

इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ, अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देयताएँ		लाभ और हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध लाभ/हानि के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध अन्य व्यापक आय के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध कुल व्यापक परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु. लाख में
एचएमटी लिमिटेड								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**36.30%**	-63,603.75	**0.91%**	**2,330.09**	**124.97%**	**42.64**	**0.93%**	**2,372.73**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	14.61%	-62,872.51	-4.90%	601.91	-277.88%	20.73	-5.06%	622.64
सहायक								
1 **एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड**								
31 मा्च, 2024 तक शेष राशि	**66.05%**	-1,15,714.22	**-6.13%**	**-15,646.45**	**-19.99%**	**-6.82**	**-6.14%**	**-15,653.27**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	24.07%	-1,03,588.11	110.42%	-13,570.48	440.62%	-32.87	110.62%	-13,603.35
2 **एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड**								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-2.34%**	4,096.58	**0.12%**	**309.15**	**-4.98%**	**-1.70**	**0.12%**	**307.45**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	-0.98%	4,206.93	-4.02%	493.62	-62.73%	4.68	-4.05%	498.30
3 **एचएमटी वॉचेस लिमिटेड**								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**0.00%**	-	**105.10%**	**2,68,084.04**	**0.00%**	**-**	**105.09%**	**2,68,084.04**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	62.30%	-2,68,078.65	-1.51%	185.45	0.00%	-	-1.51%	185.45
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**0.00%**	-	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
एसयूडीएमओ-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-0.01%**	18.20	**0.00%**	**-0.57**	**0.00%**		**0.00%**	**-0.57**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	0.00%	18.77	0.01%	-0.79	0.00%		0.01%	-0.79
कुल								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**100.00%**	**-1,75,203.19**	**100.00%**	**2,55,076.26**	**100.00%**	**34.12**	**100.00%**	**2,55,110.38**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	100.00%	-4,30,313.57	100.00%	-12,290.29	100.00%	-7.46	100.00%	-12,297.75

समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

65 वैधानिक समूह सूचना

इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ, अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देयताएँ		लाभ और हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध लाभ/हानि के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध अन्य व्यापक आय के % के रूप में	रु. लाख में	समेकित शुद्ध कुल व्यापक परिसंपत्तियों के % के रूप में	रु. लाख में
एचएमटी लिमिटेड								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**36.30%**	-63,603.75	**0.91%**	**2,330.09**	**124.97%**	**42.64**	**0.93%**	**2,372.73**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	14.61%	-62,872.51	-4.90%	601.91	-277.88%	20.73	-5.06%	622.64
सहायक								
1 **एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड**								
31 मा्च, 2024 तक शेष राशि	**66.05%**	-1,15,714.22	**-6.13%**	**-15,646.45**	**-19.99%**	**-6.82**	**-6.14%**	**-15,653.27**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	24.07%	-1,03,588.11	110.42%	-13,570.48	440.62%	-32.87	110.62%	-13,603.35
2 **एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड**								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-2.34%**	4,096.58	**0.12%**	**309.15**	**-4.98%**	**-1.70**	**0.12%**	**307.45**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	-0.98%	4,206.93	-4.02%	493.62	-62.73%	4.68	-4.05%	498.30
3 **एचएमटी वॉचेस लिमिटेड**								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**0.00%**	-	**105.10%**	**2,68,084.04**	**0.00%**	**-**	**105.09%**	**2,68,084.04**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	62.30%	-2,68,078.65	-1.51%	185.45	0.00%	-	-1.51%	185.45
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**0.00%**	-	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
एसयूडीएमओ-एचएमटी प्रोसेस इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-0.01%**	18.20	**0.00%**	**-0.57**	**0.00%**		**0.00%**	**-0.57**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	0.00%	18.77	0.01%	-0.79	0.00%		0.01%	-0.79
कुल								
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**100.00%**	**-1,75,203.19**	**100.00%**	**2,55,076.26**	**100.00%**	**34.12**	**100.00%**	**2,55,110.38**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	100.00%	-4,30,313.57	100.00%	-12,290.29	100.00%	-7.46	100.00%	-12,297.75

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

25वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

मेरे प्रिय शेयर धारकों,

वर्ष 2023-24 के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित हूँ । मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ।इस वर्ष बाजार के रुझान के संबंध में कई बदलाव हुए हैं।हालाँकि, वैश्विक दृष्टिकोण,भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न पहलुओं के प्रभाव को देखते हुए, यह जरूरी है कि हम चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लगातार काम करें और उन पर विजय पाने का प्रयास करें।।

वैश्विक आउटलुक

वैश्विक स्तर पर, वर्ष की शुरुआत भू-राजनीतिक मुद्दों के साथ हुई, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर समकालिक मौद्रिक नीति में सख्ती आई है। निराशाजनक घटनाओं के बावजूद,वैश्विक परिदृश्य में वर्ष दरवर्ष3.2%की सामान्य वृद्धि देखी गई है तथा आगामी वर्षों के लिए अनुमानित रुझान भी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिर वृद्धि का आशंका हैं।

प्रौद्योगिकी में प्रगति और एआई आधारित प्रौद्योगिकियों के निरंतर एकीकरण के साथ नवाचार और उत्पाद विकास समय की मांग है।वैश्विक रुझानों को बाजार के अवसरों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वे चुनौतियों के रूप में भी सामने आते हैं, जिनका सामना एचएमटी लिमिटेड को एक समूह के रूप में भविष्य में करना पड़ सकता है।

चुनौतियों के बावजूद एक समूह के रूप में हमें अपनी मूलशक्तियों पर खरा उतरने औ रगुणवत्ता तथा ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ बनाए रखने की जरूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत ने वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की समग्र वृद्धि दर्ज की है और विश्व अर्थव्यवस्था आउटलुक अप्रैल 2024 के अनुसार आने वाले वर्षोंमें 6.5%की स्थिर वृद्धि बनाए रखने काअनुमानहै।औद्योगिक विकास,मेक इन इंडिया पहल,एफडी आई और घरेलू निवेश,सरकारी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करते हुए भी लचीलापन और निरंतर विकास प्रदर्शित किया है।एचएमटी एमटीएल को गर्व है और वह देश की आर्थिक वृद्धिमें अपना समर्थन देने का आश्वासन देता है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के भविष्य पर विनिर्माण प्रभाव:

ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद के युग में विनिर्माण क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमि का निभाई है।जैसा कि कहा गया है, हाल के दिनों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र के योगदान से कम हो गया है।

हालाँकि, भारत सरकार का मानना है कि आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा।विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए में 14% योगदान होने के साथ,यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक बिजली घर में परिवर्तन में एक महत्व पूर्ण हिस्सा है।

मेक इन इंडिया पहल,उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन(पीएलआई) योजनाएं,नीति समर्थन और बुनियादी ढांचे एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकास जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में शामिल करना है।पिछले कुछ वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में निरंतर वृद्धि इस संबंध में सरकार के प्रयासों का प्रमाण है।

विनिर्माण क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ,एचएमटीएमटीएल के पास विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की देश की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है।कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए मौजूदा नीतियों और सरकार द्वारा समर्थन को अधिकतम करने के लिए उपाय कर रही है।

निष्पादन एवं व्यावसायिक उपलब्धियां

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटीएमटीएल) ने वर्ष 2023-2024 में 99.70 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की, जबकि वर्ष 2022-2023 में 142.24 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की गई।वर्ष

2022-2023 में दर्ज (रुपया 132) करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे के मुकाबले वर्ष2023-2024में शुद्ध लाभ के आंकड़े नकारात्मक(रुपया 155) करोड़ रुपये रहे।इसके बावजूद,कंपनी सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय को मजबूत करने और विकास को गति देने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की दिशा में काम कर रही है।

जटिल मशीन टूल्स के निर्माण की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी से इनकार भी हमारे विकास को बाधित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, एचएमटीएमटीएल ने विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों को लचीला, सटीक और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई आयात प्रतिस्थापन मशीनों को डिजाइन और विकसित किया है।ये मशीनें स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं और इनकी कीमत आयातित मशीनों की तुलना में लगभग आधी है तथा ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के'आत्म निर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

कंपनी की विकास रणनीतियाँ बहुआयामी हैं और हमारी बाजार उपस्थिति बढ़ाने तथा हमारे उत्पाद पेशकशका विस्तार करने के लिए तैयार की गई हैं।प्रमुख क्षेत्रों में से एक है सामान्य प्रयोजन मशीनों का भंडारण, ताकि बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राहकों को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।इसके अलावा, कंपनी चैनल भागीदारों की नियुक्ति के माध्यम से बिक्री,कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना और बाजार में अपनी पहुंचका विस्तार करना है।एचएमटीएमटीएल की विनिर्माण क्षमता का लाभ उठाकर और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोगकर के,कंपनी हाईटे कमशीनों के क्षेत्र में अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही है।आईआईटी बीएचयू वाराणसी और आईआईएससी,बेंगलूरु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कंपनी का सहयोग उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रति हमारे समर्पण और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी एक वसीयतनामा के रूप में कार्य कर रही है । कंपनी ने रेलवे, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे उद्योगों और क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण ग्राहक घटको के निर्माण के लिए भी पहलकर रही है।

भविष्य का दृष्टिकोण

2031 तक 145.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यतक पहुंचने वैश्विक बाजार के 2024 से 2031 तक 5.41% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।यह वृद्धि कई कारकों से प्रेरित होगी, जिनमें शामिलहैं :

- औद्योगिक स्वचालन और तकनीकी उन्नति:विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वचालन और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने से उन्नत मशीन टूल्स की मांग बढ़ रही है।सीएनसी (कम्प्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल) मशीनें, 3डीप्रिंटिंग और उन्नत रोबोटिक्स जैसे नवाचार उत्पादन दक्षता और क्षमताओं में सुधार करके बाजार के विकास में योगदान करतेहैं ।

- विनिर्माण वृद्धिः ऑटोमोटिव ,एयरो स्पेस औ रइलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में विस्तार, उच्च परिशुद्धता और उच्च प्रदर्शन वाले मशीन टूल्स की आवश्यकता को पूरा करता है।

- उभरते बाजार: भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि, जहां औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है, मशीन टूल्स बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है।

- आधुनिकीकरण में निवेश:मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निवेश, उन्नत मशीन टूल्स की मांग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा।

जैसा कि किसी भी उद्योग में होता है, मशीन टूल्स उद्योग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न व्यवधानों के अधीन है।इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग अधिक स्मार्ट और अधिक कनेक्टेड मशीन टूल्स विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जो अधिक कुशलता पूर्वकऔर स्वायत्तता से काम कर सकें।

भारत में ,मशीन टूल्स उद्योग भी स्थिर वृद्धि के लिए तैयार है,जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल, आत्मनिर्भर भारत और विभिन्न पीएलआई योजनाओं से स्पष्ट है ।ये पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू निर्माताओं को आवश्यक सहायता देने की दिशा में निर्देशित हैं।नई प्रौद्योगिकियों के आगमन और उच्च तकनीक वाली मशीनरी की मांग के साथ, इस क्षेत्र में भारतीय मशीन टूल्स कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश का गंभीर प्रवाह देखा जा रहा है।

मशीन टूल्स उद्योग का भविष्य आशा जनक है और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड मशीन टूल्स की मांग का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है।कंपनी आयातित मशीनों के लिए स्वदेशी विकल्प विकसित

करने पर काम करना जारी रखती है और भारतीय विनिर्माण परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है।भारत सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक अर्थव्यवस्था का 25% उत्पादन विनिर्माण से होगा और एचएमटी उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम बन सकता है।

निर्यात व्यापार - कंपनी आने वाले वर्षों में अपने उत्पादों के निर्यात और एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के माध्यम से नए गंतव्यों तक अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है।

कॉर्पोरेट प्रशासन- कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी निरंतर मूल्यों के उच्चतर मानकों एवं सिद्धांतों को अंगीकार करने एवं उनका अनुरक्षण करने की प्रक्रियाएं करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के सरकारी निदेशों का कम्पनी अनुपालन कर रही है।

आपकी कम्पनी अपने स्टेकधारकों की प्रत्याशाओं के अनुकूल विकास दर को बनाए रखने के निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और आपकी कम्पनी विकास में संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है वहीं यह कॉर्पोरेट शासन के उत्तम मानकों एवं पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं व्यावसायिकता पर बल देने के साथ आचारपूर्ण व्यवसाय व्यवहारों को अंगीकार करके अपने सभी स्टेकधारकों एवं मुख्यतः समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों के संवर्धन के लक्ष्य को बरकरार रखेगी।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग मंत्री, माननीय भारी राज्य मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इंडस्ट्रीज, सचिव (भारी उद्योग), अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त अत्यधिक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए। मैं वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि में अधिकारियों का भी आभारी हूं। कंपनी के सुचारू संचालन के लिए उनके सभी न समर्थन के लिए। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्य भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी मूल्यवान सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यहां अपनी सम्मानित सहकर्मियों एवं एचएमटियन्स का भी उनकी अनथक प्रतिबद्धता, विश्वास एवं इस अत्यधिक चुनौतिपूर्ण वर्ष के दौरान प्राप्त सौहर्दपूर्ण संबंधों के लिए हृदय से आभार एवं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं भारत और विदेशों के अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और कम्पनी के प्रति अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं।

मैं अन्य सभी स्टेकधारकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग, सहायता एवं कम्पनी के निष्पादन में उनकी निरंतर रूचि के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध संसाधनों एवं हमारे मान्य शेयरधारकों के मूल्यवान सहयोग से आपकी कम्पनी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी तथा अपने स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन करेगी।

मैं कम्पनी में निरंतर विश्वास एवं प्रबंधन के लिए आप सभी का धन्यवाद देता, इस अवसर के लिए आप सभी को एवं आपके परिवार के सदस्यों के लिए मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) बेंगलूरु

यह कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड होने का दावा नहीं माना जाता है।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

विषय सूचि

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षक, बैंकर, कॉर्पोरेट विज़न और लक्ष्य....2

निष्पादन हाइलाइट्स 3

निदेशक मंडल की रिपोर्ट....4

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट....14

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट 17

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 22

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट....26

कॉर्पोरेट शासन का प्रमाण पत्र....30

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा 30

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 31

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां 74

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां....81

तुलन पत्र....92

लाभ एवं हानि लेखा....94

नकदी प्रवाह विवरण....96

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट....97

निदेशक मंडल

श्री राजेश कोहली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05-04-2024 से)
श्री के रविशंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (08-03-2024 से 05-04-2024 तक)
श्री राजीव सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 30-12-2023 से 08.03.2024 तक)
श्री पंकज गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (24-11-2023 तक)
श्रीमती मुक्ता शेखर	निदेशक (04.09-2023 से 23-07-2024 तक)
डॉ.रेणुका मिश्रा	निदेशक (04-09-2023 तक एवं 23-07-2024 से)
श्री राजेश कुमार	निदेशक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी — चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स एस.केदारनाथ एंड एसोसिएट्स — प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

बैंकर्स

यूको बैंक,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — पंजाब नेशनल बैंक

एक्सिस बैंक — भारतीय स्टेट बैंक

पंजीकृत कार्यालय

"एचएमटी भवन 50, बेल्लारी रोड बेंगलूरु-560 032

कॉर्पोरेट पहचान संख्या

U02922KA1999G01025572

कॉर्पोरेट विज़न

ग्राहकों की सर्वश्रेष्ठ संतुष्टि के उद्देश्य से समसामयिक प्रौद्योगिकी से युक्त उत्कृष्ट उत्पाद एवं सेवाओं की प्रस्तुति करके अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विनिर्माण समाधान प्रदात्ता बनना।

कॉर्पोरेट लक्ष्य

- मैटल कटिंग/मैटल फोर्मिंग के क्षेत्र में ‘प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता’ का प्रमुख स्रोत बनना.
- समग्र उद्योग को 'वन स्टॉप शॉप' के आधार पर 'उच्चतर गुणवत्ता स्मपत्र लागत प्रतिस्पर्धी समाधान' उपलब्ध करवाना।
- सभी रणनीतिक क्षेत्रों को संवहनीय समर्थन प्रदान करना।.
- अनवरत नवोपायों के माध्यम से ग्राहक की प्रत्याशों से भी आगे बढ़ना।
- राष्ट्र के समग्र औद्योगिक विकास के लिए विनिर्माण सेक्टर को नेतृत्व एवं दिशानिर्देशन प्रदान करना।

निष्पादन हाइलाइट्स

(मूल्य लाख रुपए में)

	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिचालन सांख्यिकी										
बिक्री	9970	14224	15253	16582	17623	21741	17708	19752	21783	18859
अन्य आय *	3162	3280	890	1187	1577	2041	2825	2860	2054	2267
सामग्रियां	5484	5046	6470	7444	9067	8893	7583	7829	8968	7787
कर्मचारी लागत	6576	6772	8171	8401	10279	11051	13137	13176	14588	17059
अन्य लागत	7642	9856	6874	6136	847	2474	5895	7961	5348	5280
मूल्यहास	604	709	777	755	913	884	970	1010	965	1004
ब्याज पूर्व आय	-7,174	-4,878	-6149	-4967	-1905	480	-7051	-7364	-6032	-10004
ब्याज	8350	8287	8424	8312	7967	6863	5874	5395	4633	2694
कर पूर्व आय/(हानि)	-15524	-13165	-14573	-13279	-9872	-6383	-12925	-12759	-10665	-12698
कराधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल आय	-15524	-13165	-14573	-13279	-9872	-6383	-12925	-12759	-10665	-12698
वित्तीय स्थिति										
निवल स्थिर परिसम्पतियां	3652	3931	5046	5446	5443	5316	5472	6019	6731	7151
चालू परिसम्पतियां	27686	32749	33887	37451	38218	37668	28116	27990	27018	27374
चालू देयताएं एवं प्रावधान	225170	214727	203250	192138	184466	172865	151335	134168	114652	101644
कार्यशील पूंजी	-197484	-181978	-169363	-154688	-146248	-135197	-123219	-106178	-87634	-74270
नियोजित पूंजी	-197203	-181672	-168474	-153983	-140805	-129881	-117747	-100159	-80903	-67119
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उधार						634	5288	10335	16797	19035
निवल सम्पति	-197203	-181672	-168474	-153983	-140805	-1,30,515	-123035	-110493	-97698	-86153
अन्य सांख्यिकी										
पूंजीगत व्यय	398	691	410	164	-	-	-	-	-	-
आंतरिक संसाधनों से उत्पति	-14920	-12456	-13796	-12524	-8959	-5499	-11955	-11749	-9700	-11694
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	-0.05	-0.08	-0.09	-0.11	-0.12	-0.16	-0.14	-0.19	-0.25	-0.25
चालू अनुपात	0.12	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.19	0.21	0.24	0.27
पूंजी प्रतिफल (%)	-3.79	-2.79	-3.81	-3.37	-1.41	-0.39	8.43	7.10	6.94	3.48
कर्मचारी(संख्या)	649	731	796	889	1064	1246	1425	1651	1902	2218
प्रति व्यक्ति बिक्री	15.36	19.46	19.16	18.65	16.56	17.45	12.43	11.96	11.45	8.50

निदेशक मण्डल रिपोर्ट 2023-2024

सेवा में
सदस्य गण
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
बेंगलूरु

प्रिय सदस्यों

आपके निदेशक मण्डल आपके सम्मुख आपकी कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचलनों की पच्चीसवां वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2023-2024 के कंपनी के वार्षिक लेखों के सहर्ष प्रस्तुति कर रहें हैं।

वित्तीय सार संक्षेप / कम्पनी का निष्पादन

(रुपये लाख में)

अर्जन	2023-2024	2022-2023
परिचालनों से सकल राजस्व	99.70	142.24
अन्य आय	31.62	32.80
कुल आय	131.32	175.04
व्याज एवं मूल्यह्रास पूर्व लाभ	-65.70	-41.69
मूल्यह्रास एवं परिशोधन के लिए प्रावधान	6.04	7.09
सकल लाभ	-71.74	-48.78
वित्त प्रभार	83.50	82.87
कर पूर्व निवल लाभ	-155.24	-131.65
कर के लिए प्रावधान	-	-
कर पश्चात निवल लाभ	-155.24	-131.65

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 99.70 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष यह 142.24 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन वर्ष में उत्पादन प्रदर्शन 92.20 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान उत्पादन प्रदर्शन 116.58 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 104.73 करोड़ रुपये मूल्य के ऑॅर्डर प्राप्त गए, जबकि पिछले वर्ष में यह 97.12 करोड़ रुपये था।

कंपनी के संचालन के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष (-) 131.65 करोड़ रुपये (ओसीआई को छोड़कर) के नुकसान की तुलना में (-) 155.24 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।

बाज़ार परिदृश्य और भविष्य का दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी के आधार पर 2024-25 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। देश के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी।

आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि और लक्ष्य पर लौटने वाली मुद्रास्फीति के साथ "उल्लेखनीय रूप से लचीली" बनी हुई है और महामारी के बाद की आपूर्ति बाधाओं, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकटों के साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक कसावट के मद्देनजर "मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी की अपेक्षाओं को परिभाषित किया है"।

आईएमटीएमए ने 2024 और 2025 में वैश्विक उत्पादन वृद्धि 3.2% होने का अनुमान लगाया, जो 2022 के अंत में 2.3% के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया था। आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष से भारत की विकास दर में 7.8% से अनुमानित कमी मौद्रिक और राजकोषीय नीति में सख्ती के कारण आई, जो मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए आवश्यक थी। निजी मांग में मजबूती के कारण विकास अनुमान अपेक्षा से अधिक हो सकता है।इसके अलावा, सुधारों की संभावना से भी लाभ होगा, जिससे विदेशी निवेश उदार होगा और निर्यात को वास्तव में बढ़ावा मिलेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति इस वर्ष के अंत में 2.8% से घटकर 2025 के अंत तक 2.4% हो जाएगी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, "एक और अच्छी खबर यह है कि हमारा अनुमान है कि आर्थिक त्रासना कम होगा।" उन्होंने कहा कि कम

आय वाले और विकासशील देशों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में उत्पादन में अंतर कम था।

आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक विकास उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन उच्च उधार लागत, कमजोर उत्पादकता वृद्धि, राजकोषीय समर्थन की वापसी, महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ-साथ भू-आर्थिक विखंडन के कारण ऐतिहासिक मानकों की तुलना में विस्तार अभी भी कम है।पांच वर्ष बाद वैश्विक वृद्धि दर 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया है - जो दशकों में सबसे कम पूर्वानुमान है।

आईएमएफ ने सतर्कता का आह्वान करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हाल के आंकड़े ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं।आईएमएफ ने आगाह करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति में अधिकांश मंदी ऊर्जा की कीमतों में गिरावट और वस्तुओं की मुद्रास्फीति के ऐतिहासिक औसत से नीचे रहने के कारण थी, लेकिन सेवाओं की मुद्रास्फीति उच्च बनी रही और यह भेदभाव के इस प्रगति पथ को पटरी से उतार सकती है। साथ ही उसने सुझाव दिया कि मुद्रास्फीति को कम करना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

आईएमएफ ने यह भी सिफारिश की है कि देश अपने राजकोषीय बफर का निर्माण शुरू करें, अर्थात विश्वसनीय राजकोषीय समेकन करें, जिससे उधार लेने की लागत कम होगी और वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। आईएमएफ ने बड़ी युवा आबादी की मानव पूंजी में सुधार की सिफारिश की है - जो अप्रैल के शुरू में जारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि दक्षिण एशियाई देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

आईएमटीएमए ने अगस्त 2024 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में अपडेट किया कि कैलेंडर वर्ष 24 के दौरान वैश्विक मशीन टूल उत्पादन 85.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि कैलेंडर वर्ष 23 के दौरान 86.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी।कैलेंडर वर्ष 24 में, लगभग 1.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन मूल्य के साथ भारत ने कैलेंडर वर्ष 23 में भी 9वां स्थान बनाए रखा था। आईएमटीएमए रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पांच देश चीन (32%), जर्मनी (13%), जापान (11%), यूएसए (9%), इटली (9%) हैं, और शीर्ष 5 देशों ने कैलेंडर वर्ष 24 में वैश्विक मशीन टूल उत्पादन का 75% हिस्सा लिया।

आईएमटीएमए की रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2024 में मशीन टूल्स की वैश्विक खपत कैलेंडर वर्ष 2023 में 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, तथा कैलेंडर वर्ष 2023 में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि दर से गिरावट दर्ज की गई। चीन, जो शीर्ष स्थान पर है, कैलेंडर वर्ष 2023 में वैश्विक खपत का 33% हिस्सा है। आईएमटीएमए रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 देश चीन (33%), यूएसए (16%), इटली (7%), जर्मनी (7%) और जापान (5%) हैं और खपत में वैश्विक हिस्सेदारी के लगभग 4% के साथ भारत, कैलेंडर वर्ष 23 में 6वें स्थान पर है।

वित्त वर्ष 24 में भारत में मशीन टूल्स का आयात 15352 करोड़ रुपये है। ऑटो एवं ऑटो कम्पोनेंट्स, सामान्य इंजीनियरिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों से मांग में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 24 में घरेलू उत्पादन बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 44% हो गई। मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और चिकित्सा उपकरणों, ड्रोन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। इसके कारण वित्त वर्ष 24 में बड़े आकार के मशीन टूल्स की घरेलू मांग भी बढ़ी।

वैश्विक मशीन टूल्स बाजार का आकार 2023 में 100.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। आगे देखते हुए, IMARC समूह को उम्मीद है कि 2032 तक बाजार 146.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2024-2032 के दौरान 4.1% की विकास दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करेगा। ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सटीक इंजीनियरिंग की बढ़ती मांग, सीएनसी और डिजिटल विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में तकनीकी प्रगति और स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 की ओर बदलाव से प्रेरित बाजार में लगातार वृद्धि हो रही है।

मशीन टूल्स बाज़ार विश्लेषण- बाजार का विकास और आकार: वैश्विक बाजार में मजबूत वृद्धि हो रही है, जो विभिन्न

उद्योगों में बढ़ती मांग से प्रेरित है। इस वृद्धि का श्रेय विकासशील देशों में विनिर्माण क्षेत्रों के विस्तार और विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वचालन की बढ़ती प्रवृत्ति को दिया जाता है, जिससे बाजार के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तकनीकी प्रगति: तकनीकी नवाचार बाजार के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, जिसमें स्वचालन, IoT और AI एकीकरण में प्रगति अग्रणी है। ये नवाचार मशीन टूल्स में परिशुद्धता और दक्षता बढ़ाते हैं, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करते हैं और उच्च तकनीक सीएनसी मशीनों को अपनाने को प्रेरित करते हैं।

उद्योग अनुप्रयोग: यह बाज़ार विभिन्न उद्योगों को सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में उल्लेखनीय अनुप्रयोग शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मांग मुख्य रूप से परिशुद्ध विनिर्माण और कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता से प्रेरित है, जो बाजार की बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए अनुकूलनशीलता को प्रभावित करती है।

प्रमुख बाजार रुझान: बाजार में एक महत्वपूर्ण रुझान स्वचालन और स्मार्ट विनिर्माण प्रथाओं को अपनाना है। विनिर्माण क्षेत्र में डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए उद्योग 4.0 की ओर बदलाव, स्मार्ट, कनेक्टेड मशीन टूल्स पर बढ़ते फोकस के साथ, बाजार की गतिशीलता को भी आकार दे रहा है।

चुनौतियाँ और अवसर: बाज़ार को लगातार तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता और उन्नत मशीन टूल्स की उच्च प्रारंभिक लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, ये चुनौतियाँ बाजार के खिलाड़ियों के लिए विविध उद्योगों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी, कुशल समाधानों को नया करने और विकसित करने के अवसर भी प्रदान करती हैं।

लाभांश

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान वहन की गई हानियों को ध्यान में रखते हुए आपके निदेशक कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी तथा वरीयता शेयर पूंजी के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं।

रिजर्व

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा वहन की गई हानियों के कारण निदेशक मंडल ने किसी रिजर्व में किसी राशि का वहन किए जाने की प्रस्तावना नहीं की है।

शेयर पूंजी

कम्पनी की अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 27,65,99,137 इक्विटी शेयरों तथा 100 /- रुपए प्रत्येक के 4,43,00,000 वरीयता शेयरों के साथ 719,59,91,370 /- रुपए है जिनका समग्र धारण एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी द्वारा किया गया है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की निवल सम्पति (-)1,972.02 करोड़ रुपए है।

भारतीय लेखांकन मानक

कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 111 (ई) दिनांक 16.2.2015) की अपेक्षाओं का अनुसरण करके कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार किया है।

ये भारतीय लेखांकन मानक कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का स्थान लिया है।

सावधि जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के सावधि जमा स्वीकार नहीं किए हैं तथा इस प्रकार वर्ष के प्रारंभ / वर्ष के अंत में कोई बकाया सावधि जमा नहीं है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा धारक कम्पनी के अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीति के लिए

अनुमोदन प्रदान किया गया है। निदेशक मंडल ने सत्यनिष्ठा संधि को भी अंगीकार किया है जिसका निष्पादन यह अपने विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदात्ताओं के साथ कम्पनी द्वारा निर्धारित थ्रेशहोल्ड की शर्त पर करेगी।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी के किसी भी कर्मचारी ने कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

मानव संसाधन

31 .03, 2024 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन वर्ष में कम्पनी की कुल कर्मचारी जनशक्ति 649 है, 94कर्मचारियों को अलग किया गया है तथा कम्पनी में 14 नए कर्म चारियों का प्रवेश हुआ है। 31.03. 2024 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में कार्मिकों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति	138
अनुसूचित जनजाति	33
अन्य पिछड़े वर्ग	214
भूतपूर्व सैनिक	0
दिव्यांग जन	8
महिला कर्मचारी	40
अल्पसंख्यक	31

कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान परिचालनों के संबंध में कठिन स्थितियां व्याप्त होते हुए भी समग्र कम्पनी में औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। वर्ष के दौरान स्थानांतरित कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए न्यायिक मामलों के अलावा किसी भी प्रकार की औद्योगिक संबंध समस्या प्रकाश में नहीं आई है।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी में राजभाषा के उपयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम, नियमों और नीति के कार्यान्वयन की दिशा में कंपनी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, नियमों और नीति आदि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी की इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित अंतराल पर होती है।

राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 के दौरान "हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह" मनाया गया। कंपनी की इकाइयों द्वारा एचएमटी लिमिटेड और उसके कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिंदी सप्ताह के दौरान हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकथा, आसुभाषण, राजभाषा लिखित प्रश्नोत्तरी और विविधा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी में भव्य हिंदी दिवस समारोह के उक्त अवधि में हिन्दी टाइपिंग हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। प्रतिदिन के हिंदी शब्द को कंपनी में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है और कर्मचारियों के बीच राजभाषा के उपयोग को प्रचारित करने के लिए दैनिक आधार पर हिंदी समाचार पत्र खरीदे जाते हैं। कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) की बैठकों/कार्यक्रमों, ऑनलाइन वेबिनार और हिंदी माह समारोह में भाग लेते हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ-

भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के कॉर्पो रेट सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने 5(47)-पीईएक्स दिनांक 25.04.2022 ने मुख्य सतर्कता अधिकारी, एचएमटी लिमिटेड के पद के अतिरिक्त प्रभार को सुश्री. कल्याणी सेथुरमन, आईआरएएस (94), सीवीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), बेंगलूरु को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि बढ़ा दी है, 04.04.2023 से 03.04.2024 तक या नियमित सीवीओ की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

कॉपर्पोरेट सतर्कता विभाग धारक कंपनी के साथ-साथ सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्यों की देखरेख भी करता है। विनिर्माण

इकाइयों और विपणन कार्यालयों में सतर्कता कार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं।

प्रत्येक यूनिट के सतर्कता अधिकारी अपनी मासिक सतर्कता / निरीक्षण रिपोर्ट और औचक निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजते हैं। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट की आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय में जांच की जाती है। यूनिट सतर्कता अधिकारी यूनिट के कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए वार्षिक संपत्ति रिटर्न को भी सत्यापित करते हैं।

यूनिट सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के अलावा, मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न सहायक कंपनियों और इकाइयों का दौरा करके सीटीई (सीवीसी में मुख्य तकनीकी परीक्षक) प्रकार का औचक निरीक्षण किया जाता है और उच्च मूल्य की खरीद / अनुबंधों और प्रणालियों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी/डीसीवीओ/ यूनिट वीओ द्वारा फाइलों के निरीक्षण के दौरान देखे गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाता है और व्युतक्रमण की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यूनिट सतर्कता अधिकारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा देखे गए व्युतक्रमणों पर चर्चा करें; त्रैमासिक सतर्कता कार्यशाला में और संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन करें कि सतर्कता विभाग द्वारा बताए गए नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को दोहराया नहीं जाना चाहिए।

एचएमटी सतर्कता मैनुअल 30.03.2023 को सुश्री कल्याणी सेथुरमन आईआरएएस (94) सीवीओ-एचएमटीएल द्वारा जारी किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग गतिविधियों को 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 3 महीने के लिए वीएडब्ल्यू के अग्रदूत के रूप में "भ्रष्टाचार को ना कहें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध" विषय के साथ अभियान चलाया गया था। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सभी इकाइयों और कार्यालयों में "भ्रष्टाचारियों का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे" मनाया गया।

निविदा प्रक्रिया में सभी नियमों और प्रक्रियाओं तथा पारदर्शिता के सभी मानदंडों का सख्ती से पालन करने के लिए निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया। बताए गई कुछ प्रणालियों में सुधार इस प्रकार हैं:

1. अधिकारियों की एपीएआर ऑनलाइन भरने का सुझाव दिया गया।
2. अधिकारियों को संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन भरने का सुझाव दिया गया।
3. एचएमटी क्रय मैनुअल को अद्यतन करने का प्रस्ताव।
4. पुराने रेखाचित्रों, भूमि अभिलेखों, मानव संसाधन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
5. भुगतान करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लेनदेन।
6. जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को अधिकतम करना।
7. लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त) पर आवधिक निरीक्षण का सुझाव दिया गया।
8. प्रबंधन को सत्यनिष्ठा संधि अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।यह मामला 8.6.2017 को आयोजित एचएमटीएल के निदेशक मंडल की 326वीं बैठक में उठाया गया और बोर्ड का निर्णय था "एचएमटी लिमिटेड और सहायक कंपनियों में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाना और कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने का आधार तय करने और सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्य और चीजें करने और बोर्ड को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया"
9. टाउनशिप क्वार्टरों का आवंटन ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई।

10. संगठन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सतर्कता पर अधिक जागरूकता

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवहारों को अंगीकार करने तथा सत्यनिष्ठ भाव से अनुसरण करने के प्रति प्रतिबद्ध है। एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके लिए पारिश्रमिक का निर्धारण करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। कॉर्पोरेट शासन की संरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनका अनुपालन करना वित्तीय वर्ष 2010-11 से अनिवार्य है। आपकी कम्पनी इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तम शासन व्यवहारों को अपनाकर प्रकटीकरण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर रही है।

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षकों से प्राप्त अनुपालन पत्र को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट तथा 31 03 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि किए जाने के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं।

बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन- सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को 5 जून, 2015 और 5 जुलाई, 2017 की एमसीए अधिसूचनाओं के अनुसार कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से छूट दी गई है, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात घटित घटनाएँ

इन वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध के अंत तथा इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

महत्वपूर्ण एवं सामग्रीगत आदेश

किसी विनियामक, न्यायालय, ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न की स्थिति तथा कम्पनी के भावी परिचालन प्रभावित हों।

धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कम्पनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों एवं प्रतिभूति के संबंध में यथा लागू कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

संबंधित पार्टियों के अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की परिभाषा के अंतर्गत सम्बद्ध पटियों के साथ किसी प्रकार के प्रमुख अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं नहीं की गई है ।

दावा न किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण

पिछले वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था अंतः कोई अचुकता / दावा न किया लाभांश नहीं है तथा तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी में लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार स्थापित है। वर्ष के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसरण में आपका निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम

ज्ञान एवं क्षमता तथा उनके द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह पुष्टि करता है कि:

* 31.3.20224 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण उचित स्पष्टीकरणों तथा के सामग्रीगत व्युतक्रम के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

* ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग संगत स्वरूप में न्यायपरक निर्णय लेकर एवं ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों एवं इस अवधि के कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरणों की सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है;

* कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण एवं जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उनका पता लगाने की यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

* वार्षिक वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं;

* उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद और पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे

* सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ मौजूद थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं;

निदेशक मंडल और इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, इसलिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्मिक नीतियों और दिशानिर्देशों को अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के अनुरूप अपनाया जा रहा है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या मूल्यांकन के संबंध में कोई अलग नीति नहीं बनाई है।

वार्षिक विवरणी

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, एवं समय समय पर यथासंशोधित, के नियम 12 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कम्पनी के वेबसाइट http:// hmtmachinetools.com/पर वार्षिक विवरण अपलोड किया जायेगा।

लेखापरीक्षक

1. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स आर वेंकट कृष्णा एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेट की नियुक्ति वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है तथा कम्पनी के शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भी अलग से की गई है।

2. लागत लेखा लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी ने विभिन्न यूनिटों के संबंध में वर्ष 2023-24 की लागत लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति निम्नानुसार की है:

- मैसर्स वेंकट कृष्णा एंड कम्पनी, लागत लेखापरीक्षक, को कम्पनी के समेकित तथा कम्पनी के एमबीएक्स, एमटीएच एवं पीटीएच यूनिट के संबंध में लागत लेखापरीक्षा के लिए।

- मैसर्स बलविन्द्र एंड एसोसिएट्ट, लागत लेखाकार की सेवाएं एमटीपी यूनिट में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त की गई हैं।

- मैसर्स जय जार्ज एंड एसोसिएट्स की सेवाएं एमटीके यूनिट में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त की गई हैं।

- मैसर्स आर के भंडारी एंड, लागत लेखाकार की सेवाएं एमटीए यूनिट में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त की गई हैं।

3. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसरण में कंपनी ने मैसर्स एस. केदारनाथ एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया हैं । सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रबंधन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के साथ संलग्न है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा तथा आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। तदनुसार, कंपनी पर प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का संबंधित कारणों सहित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त समाधान की कोई स्थिति नहीं है।

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के प्रति कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

व्हीसल ब्लोअर नीति

कम्पनी में निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने वास्तविक सरोकार प्रस्तुत करने के लिए सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हीसल ब्लोअर नीति स्थापित है। इस नीति में निदेशक / निदेशकों अथवा कर्मचारी / कर्मचारियों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं तथा इसमें लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक भी यथोचित स्वरूप में अथवा अनुचित मामलों में पहुंच स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

जालसाजी की रिपोर्टिंग

विचाराधीन वर्ष के दौरान जालसाजी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों की नियुक्ति और नियम एवं शर्तों का निर्धारण (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल और पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के संबंध में नियुक्ति/पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एचएमटी के कार्मिक मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

निदेशक मंडल/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859) को 4 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा के स्थान पर कार्य करेंगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने संगठनात्मक परिवर्तनों के मद्देनजर श्री हरिकुमार. एम के स्थान पर 27 सीतबर 2023 से अगले आदेश तक श्री आलोक कुमार बेहरा, जेजीएम (वित्त)। को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नामित किया है।

श्री पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028), कार्यकारी निदेशक, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 24 नवंबर 2023 को कार्यकाल पूरा होने पर एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहे ।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29 दिसंबर 2023 के तहत एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री राजीव सिंह को 24.11.2024 तक या किसी नियमित के कार्यभार ग्रहण करने तक सौंपा है। मौजूदा, या अगले आदेश तक, जो भी जल्द हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन है। श्री राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को उनके पदभार ग्रहण करने पर 30 दिसंबर, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 4 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री राजीव सिंह के स्थान पर श्री के रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 24.08.2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन होगा। श्री के रविशंकर (डीआईएन: 10540509) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) को उनके कार्यभार ग्रहण करने पर 08 मार्च, 2024 (ए/एन) से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 26 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत श्री के रविशंकर कार्यकारी निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर श्री राजेश कोहली कार्यकारी निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी स्वीकृति के अधीन होगा। तदनुसार, श्री राजेश कोहली (डीआईएन:10333951) को श्री के रविशंकर के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 5 अप्रैल, 2024 (ए/एन) से कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में शामिल किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 जुलाई, 2024 के अपने आदेश के तहत डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे भारी उद्योग मंत्रालय की पूर्व संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर के स्थान पर कार्य करेंगी। तदनुसार डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) को 23 जुलाई 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में शामिल किया गया है।

श्री राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) और डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835) को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 के साथ कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाता है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की है.

श्री के रविशंकर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री अलोक कुमार बेहरा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री ओम प्रकाश सिंह, कंपनी सचिव 31.03.2024 तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

अभिस्वीकृतियाँ

आपके निदेशक एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषत:

भारी उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षक, विभिन्न राज्य सरकारें, आपूर्तिकर्ता और डीलर, यूको बैंक के नेतृत्व में बैंकों का संघ और भारत और विदेश दोनों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहको के निरंतर सहयोग एवं समर्थन तथा कम्पनी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक, प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान, कम्पनी के सम्मुख कठिन स्थिति उत्पन्न होते हुए भी, कम्पनी के परिचालनों के लिए प्रदान किए गए योगदान के प्रति अपना आभार यहां रिकार्डबद्ध करते हैं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25 सितम्बर, 2024

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना एवं विकास

आईएमटीएमए के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, भारतीय मशीन टूल्स उद्योग के अंतर्गत लगभग 1000 यूनिट हैं, जिनमें से 500 मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) है और शेष यूनिट मशीन टूल्स, उपस्कर / संबद्ध उपकरण, सब सिस्टम्स एवं उनके पुर्जों के निर्माण की सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। इनमें से लगभग 25 बड़े उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो टर्नओवर का 70% है तथा शेष उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से हैं, मशीन टूल्स क्षेत्र के 75% महत्वपूर्ण उद्योग आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हैं। जहां एक ओर बड़ी संगठित कम्पनियां भारत के भारी एवं मध्यम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं वहीं लघु उद्योग क्षेत्र से छोटे एवं मध्यम मशीन टूल्स, सहायक एवं अन्य यूनिट्स की माँग की पूर्ति हो रही है। यूरोपीय बाज़ारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक मशीन टूल्स निर्माताओं ने सीई मार्किंग प्रमाणन प्राप्त किया है।

मेटल कटिंग और मेटल फॉर्मिंग (मेटल वर्किंग) मशीन टूल्स ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, रक्षा, रेलवे, इंस्ट्रुमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई, कृषि, वुड वर्किंग, अर्थ मूविंग एवं निर्माण, फर्नीचर आदि जैसे क्षेत्रों में विविध उत्पादों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में मेटल वर्किंग मशीन टूल उद्योग विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स जैसे टर्निंग मशीन, मशीनिंग सेंटर, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, प्रेस, पंचिंग मशीन, मल्टी-टास्किंग, मेटल योजक और विशेष प्रयोजन मशीनों की पेशकश करके विनिर्माण उद्योग की जरूरतों को पूरा कर रहा है। हालाँकि उद्योग अभी भी उच्च प्रौद्योगिकी मशीनों की पूरी क्षमता और मांग को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय मशीनों की घरेलू बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ है।

गार्डनर इंटेलिजेंस वर्ल्ड मशीन टूल सर्वे 2023 के अनुसार भारतीय मशीन टूल उद्योग खपत में 6वें और उत्पादन में 9वें स्थान पर है। 2023-24 के लिए भारत का मशीन टूल उत्पादन लगभग 13571 करोड़ अनुमानित था। खपत करीब 27265 करोड़ थी। ऑर्डर बुक की स्थिति, बढ़ती खपत का एक संकेतक, 2024-25 के लिए सकारात्मक दिख रही है, जिसमें विकास के अवसर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और आने वाली तिमाहियों में प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है। फिर भी, उद्योग को आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव, डिलीवरी में देरी, डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव जैसी कई चुनौतियों से निपटना पड़ा है। भारतीय मशीन टूल उद्योग से निर्यात बाजार के लिए उत्पाद बनाने और घरेलू बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा कुल समाधान पेश करके मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की उम्मीद है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निस्संदेह सही दृष्टि और नेतृत्व, वर्तमान परिदृश्य में विकास की रणनीति और आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटलीकरण और स्वचालन की भविष्य की पुष्टि उद्योगों को मध्यम और लंबी अवधि में विकास पथ पर चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मशीन टूल उद्योग क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों और समाधानों की पेशकश के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी जगह बना रहा है। 2023-24 में निर्यात में 186 मिलियन डॉलर को पार करने वाले देश को वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उत्सुकता से देखा जा रहा है। वैश्विक विनिर्माण कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत को प्राथमिकता दी जाती है। लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुकूल निवेश स्थितियों, बेहतर इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग क्षमताओं के कारण, कॉर्पोरेट कर के लिए भारत की वैधानिक दर अब 22-30% है,

आईएमएआरसी समूह के अनुसार, भारतीय मशीन टूल बाजार 2032 तक 3.2बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024-2032 के दौरान 8.2% की वृद्धि दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करेगा। समग्र उत्पादकता बढ़ाने और एर्गोनॉमिक्स में सुधार के लिए बढ़ता औद्योगिक स्वचालन भारत में बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, उत्पाद की गुणवत्ता पर कड़े मूल्यांकन मानदंडों के साथ-साथ छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई)

की संख्या में वृद्धि, बाजार की वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, कम श्रम और कच्चे माल की लागत और कम कर दरों के कारण, कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने विनिर्माण आधार स्थापित कर रही हैं। यह इन निर्माताओं को देश में अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने के लिए विकास के अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण भारत में नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज हो रही है, जिससे बाजार के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

ख. आयात पर उच्च निर्भरता:

भारतीय मशीन टूल्स उद्योग वर्तमान में कुल खपत का लगभग 56% पूरा करने में सक्षम है। भारत वर्तमान में कम मात्रा, उच्च मूल्य, उच्च प्रौद्योगिकी और बड़े आकार के मशीन टूल्स के आयात पर निर्भर बना हुआ है।

ग) विकास के प्रमुख चालक:

- लगातार सुधारों के दम पर भारत के अगले 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- विनिर्माण भारत में उच्च विकास वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 17% की हिस्सेदारी के साथ, विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत चार बाजार अवसरों का लाभ उठा सकता है: निर्यात का विस्तार, आयात का स्थानीयकरण, आंतरिक मांग और अनुबंध विनिर्माण।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जैसी पहलों के माध्यम से उद्योग 4.0 की राह पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।
- वैश्विक विनिर्माण मानकों के बराबर कोर विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना भी।
- भारत सरकार ने भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम शुरू किया।
- इसलिए, पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान परमाणु, रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग से अच्छी संख्या में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

घ. जोखिम

- कम्पनी की खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण संवर्धित ब्याज दर
- सीएनसी मशीनरी एवं उपकरणों पर आयात शुल्क को कम किया जाना
- सैंकेड हैंड / मरम्मत की हुई आयातित मशीनों का प्रवाह
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए समान स्तर का मंच उपलब्ध न होना
- प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से कालातीत होना
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति का अभाव एवं जनशक्ति संघर्षण
- वैश्विक एवं भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा

ड़. सेगमेंट वार या उत्पादवार प्रदर्शन

वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी की सेगमेंट वार बिक्री निम्नानुसार है:

कंपनी को कुल मिलाकर 99.70 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर बुकिंग प्राप्त हुआ। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बिक्री में से 104.73 करोड़ रु. सेगमेंट वार बिक्री निम्नानुसार है:

सेक्टर	रुपए करोड़ में
ऑटोमोबाइल	2.62
रेल्वे	0.98
रक्षा	20.43
धातु और खनन	9.57
औद्योगिक मशीनरी और मध्य स्तरीय	6.24
शक्ति	20.43
उपभोक्ता उपयोज्यताएँ	27.50
कलपुर्जा	5.99
जेओ/सीसीएम	2.44
एसीसीएसएस	3.50
कुल	99.70

प्राथमिक उपयोगकर्ता उद्योगों में रक्षा, विद्युत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं शामिल हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में मशीन टूल्स के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में बियरिंग, ऑटो कम्पोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। औद्योगिक मशीनरी, धातु और खनन, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों ने 2023-24 के दौरान कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

च.आउटलुक

प्राथमिक उपयोगकर्ता उद्योगों में ऑटोमोटिव क्षेत्र, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ आदि शामिल हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं में मशीन टूल्स के प्रमुख उपयोगकर्ताओं में बीयरिंग, ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। रक्षा, रेलवे, औद्योगिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों ने 2023-24 के दौरान कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

IMARC समूह के अनुसार, वैश्विक मशीन टूल्स बाजार का आकार 2023 में 100.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भविष्य को देखते हुए, IMARC समूह को उम्मीद है कि 2032 तक बाजार 146.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 2024-2032 के दौरान 4.1% की वृद्धि दर (CAGR) प्रदर्शित करेगा। भारतीय मशीन टूल बाजार का आकार 2023 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 2032 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024-32 के दौरान 8.2% की विकास दर (सीएजीआर) प्रदर्शित करता है। मशीन टूल्स उद्योग का भविष्य आशाजनक है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। वर्तमान में, विनिर्माण क्षेत्र का मूल्य लगभग 400 बिलियन डॉलर है।

मेक इन इंडिया नीति का लक्ष्य 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना है। 100% एफडीआई परमिट के साथ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों / चैंपियन क्षेत्रों (ऑटोमोटिव, विमानन, रेलवे आदि) पर ध्यान केंद्रित करना, 16 पीएलआई (उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन) योजनाओं और क्षेत्रीय पार्कों जैसी सरकारी पहलों से भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकारी योजनाएं, क्षेत्रीय औद्योगिक पार्क, बुनियादी ढांचे पर खर्च, रक्षा निर्यात को बढ़ावा, पूंजीगत वस्तुओं की घरेलू खरीद को प्राथमिकता, आपूर्ति श्रृंखला के लिए विश्व द्वारा बहुविध स्रोतों को प्राथमिकता तथा भारत का पसंदीदा स्रोतों में से एक होना।

परिणामस्वरूप, उद्योग अधिक कुशल, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। यह वृद्धि सरकार की मेक इन इंडिया पहल से संचालित होगी, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उद्योग को भारतीय मशीन टूल्स कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में बढ़ते निवेश से भी लाभ मिल रहा है।

छ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में व्यवसाय प्रक्रियाओं के लिए, परिचालनों, वित्तीय रिपोर्टिंग तथा नियंत्रण के कार्य कौशल, लागू कानूनों एवं विनियमों इत्यादि के अनुपालन के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणालियां स्थापित हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख आकर्षण निम्नानुर हैं:

- पूंजी व्यय एवं राजस्व व्यय के प्राधिकार की सीमा के लिए शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए विधिवत निर्धारित कॉर्पोरेट नीतियां।
- अनाधिकृत उपयोग अथवा स्थिति परिवर्तन के प्रति परिसम्पतियों का संरक्षण करने तथा सभी संव्यवहारों का प्राधिकृत एवं रिकार्डबद्ध स्वरूप में होने का सुनिश्चय करना
- वार्षिक एवं दीर्घावधि की व्यापार योजनाओं का निर्माण करना एवं उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया
- विभिन्न मदों के अंतर्गत लक्ष्यों के मासिक विवरण से युक्त विस्तृत वार्षिक बजट|
- कम्पनी की प्रमुख समितियों द्वारा बजट के संबंध में आनगोइंग आधार पर निष्पादन की अनवरत समीक्षा

ज. मानव संसाधन

आपकी कंपनी की यह अवमानना है कि कंपनी के विकास की महत्वपूर्ण शक्ति मानव संसाधन है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सर्वोत्तम दायित्व के साथ काम करने के लिए सक्षम आंतरिक कौशल पर बल दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं पुनःप्रशिक्षण दिया गया है। कंपनी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास में संवर्धन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

झ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

एचएमटी समूह ने अपने कर्मचारियों एवं स्थानीय समुदाय के हित के लिए अपनी विभिन्न विनिर्माण यूनिटों में अस्पताल, स्कूल एवं खेल-कूद के मैदानों की व्यवस्था की है।

कॉर्पोरेट शासन

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों, सरकारी कम्पनियों के लिए यथा लागू, तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करके आपकी कम्पनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों के अनुरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके द्वारा कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन की दिशा यथोचित कार्रवाई की गई है।

निदेशक मंडल

31.03.2024 तक निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक शामिल थे। वर्ष 2023-24 के दौरान, कैलेंडर वर्ष 2023 में 27 अप्रैल, 26 जून, 27 सितंबर, 23 नवंबर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 20 मार्च को पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गई। निदेशकों की संरचना और वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों और आम बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	पद	उपस्थिति विवरण			अन्य निदेशक पदों और समिति सदस्य/अध्यक्षता पदों की संख्या		
		निदेशक मण्डल की बैठक	निदेशक मण्डल की बैठक में % उपस्थित%	आम बैठक	निदेशक पदधारिता	समिति	
						सदस्य	अध्यक्ष
श्री पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028) (24.11.2023 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	100%	हाँ	3	1	-
श्री राजीव सिंह (डीआईएन:10447679 (30.12.2023 से 08.03.2024 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नहीं	नहीं	नहीं	3	1	-

श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (डीआईएन: 10540509) (08.03.2024 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	100%	नहीं	3	1	-
डॉ.रेणुका मिश्रा (डीआईएन:08635835) (04.09.2023 तक	एनईएनआई	1	50%	नहीं	2	1	-
सुश्री मुक्ता शेखर (डीआईएनः 08635835) (04.09.2023 से)	एनईएनआई	3	100%	हाँ	8	-	-
श्री राजेश कुमार (डीआईएन: 09403746)	एनईएनआई	4	80%	हाँ	2	3	-

सी एवं एमडी: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनईएनआई: गैर कार्यकारी एवं गैर स्वतंत्र, एनए: लागू नहीं

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

सुश्री मुक्ता शेखर_

सुश्री मुक्ता शेखर भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थीं। सुश्री मुक्ता शेखर 1994 बैच की आईआरएएस अधिकारी हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एम.फिल. तथा सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन और प्रोजेक्ट फाइनेंस है। उन्होंने भारतीय रेलवे, भारत सरकार में वित्तीय मूल्यांकन और परियोजना वित्त में विशेषज्ञता के साथ वित्तीय सलाहकार के रूप में विभिन्न स्तरों पर काम किया है। उन्होंने डीएमआरसी में संयुक्त महाप्रबंधक स्तर पर भी काम किया, जहां वे डीएमआरसी के चरण II की परियोजनाओं के लिए एसोसिएट वित्त अधिकारी थीं।

उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय, पश्चिम रेलवे की अग्रणी पीपीपी परियोजनाओं के लिए फंड प्रबंधन और अन्य अनुबंध संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

सुश्री मुक्ता शेखर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में भी विविध अनुभव है और उन्होंने विदेश मंत्रालय में 5 वर्षों तक काम किया है, जहां उन्होंने अन्य देशों के साथ भारत के विकास सहायता कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निवेश और व्यापार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवाद, निवेश और व्यापार समझौते और नागरिक उड्डयन मामलों का काम देखा।

उन्होंने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण पैकेज जैसी नवीन योजनाओं के लिए रूपरेखा भी तैयार की। सुश्री मुक्ता शेखर ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का काम देखा, जिसमें बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ इंटरफेस, खाद्य तेल क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय पूल स्टॉक के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों का गुणवत्ता नियंत्रण शामिल था।

श्री राजीव सिंह

श्री राजीव सिंह को भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या 1-05/14/2019-पी.ई.10/सीपीएसई I दिनांक 29 दिसंबर 2023 के अनुसार एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 25.11.2023 से 24.11.2024 तक, या किसी नियमित पदाधिकारी के शामिल होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री राजीव सिंह ने 30 दिसंबर, 2023 को एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। श्री राजीव सिंह, उम्र 58 वर्ष, मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की भोपाल इकाई के कार्यकारी निदेशक हैं। श्री राजीव सिंह आरईसी, भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक और वित्तीय प्रबंधन में एमबीए हैं। श्री राजीव सिंह जनवरी 1988 में कॉरपोरेट ऑफिस, नई दिल्ली में बीएचईएल में शामिल हुए। उनके गतिशील नेतृत्व के तहत इन इकाइयों की टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम रहीं, जिसके परिणामस्वरूप इकाइयों का वित्तीय प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। हाइड्रो टर्बाइन और ट्रैक्शन मशीनों के क्षेत्र में उनके पास व्यापक अनुभव है।

कृष्णस्वामी रविशंकर

श्री के रविशंकर मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) / कॉर्पोरेट आर एंड डी / हैदराबाद में कार्यकारी निदेशक श्री के रविशंकर ने वर्ष 1985 में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई, 1989 में आरईसी त्रिची से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एमई, 1995 में इग्नू, नई दिल्ली से एमबीए अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु से एमए (अंग्रेजी) पूरा किया।

श्री के रविशंकर अक्टूबर 1985 में तिरुचिरापल्ली यूनिट में एक इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में बीएचईएल में शामिल उन्होंने उत्पाद इंजीनियरिंग विभाग में प्रेशर पार्ट्स एवं बॉयलर लेआउट समूह में विभिन्न पदों पर तथा सामग्री प्रबंधन समूह में खरीद/कच्चे माल के प्रमुख के रूप में कार्य कियाहै। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2018 तक महाप्रबंधक/इंजीनियरिंग/बॉयलर्स के रूप में कार्य किया। मई 2018 में उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के तहत गठित उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी विकास के मिशन निदेशालय में बीएचईएल- कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे बॉयलर आइलैंड प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के लिए परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार थे। वह कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन के नए विकास क्षेत्रों के अंतर्गत हाइड्रोजन बिजनेस ग्रुप के प्रमुख भी थे, जहां उन्होंने बीएचईएल में व्यावसायिक संभावनाओं, प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और व्यवसाय विकास के लिए रोडमैप पर चर्चा की। कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख के रूप में, वे आंतरिक विकास के माध्यम से संगठन की तकनीकी विकास आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने और कोयला से लेकर रसायन और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के नए और आगामी व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक रहे हैं। नवंबर 2023 में, उन्हें कॉर्पोरेट आरएंडडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

निदेशकों के लिए परिचय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक को कंपनी, उसके संचालन, नीतियों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में परिचित कराया है।

बोर्ड की समितियाँ

1. लेखा परीक्षा समिति

वर्ष 2023-24 के दौरान, कैलेंडर वर्ष 2023 में 27 अप्रैल, 26 जून, 27 सितंबर, 23 नवंबर और कैलेंडर वर्ष 2024 में 20 मार्च को पांच लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों में निदेशकों की संरचना और उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक के नाम	समिति में पदनाम	उपस्थिति विवरण		
		कितनी बैठक में उपस्थिति के पात्र हैं	कितनी बैठक में भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत %
श्री राजेश कुमार अध्यक्ष (26.01.2023 से)	अध्यक्ष	5	5	100%
डॉ. रेणुका मिश्रा (04.09.2023 तक)	सदस्य	2	1	50%
सुश्री मुक्ता शेखर 04.09.2023 से 19.09.2023 तक)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री पंकज गुप्ता (24.11.2023 तक)	सदस्य	4	4	100%
श्री राजीव सिंह (30.12.2023 से 08.03.2023 तक)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के रविशंकर (08.03.2023 से)	सदस्य	1	1	100%

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वर्ष 2023-24 के दौरान कैलेंडर वर्ष 2023 में 27 सितंबर 2023 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई। निदेशकों की संरचना और समिति में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक के नाम	समिति में पदनाम	उपस्थिति विवरण		
		कितनी बैठक में उपस्थिति के पात्र हैं	कितनी बैठक में भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत %
श्री राजेश कुमार	अध्यक्ष	1	1	100%
डॉ. रेणुका मिश्रा (04.09.2023 तक)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री मुक्ता शेखर 04.09.2023 से 19.09.2023 तक)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री पंकज गुप्ता (24.11.2023 तक)	सदस्य	1	1	100%
श्री राजीव सिंह (30.12.2023 से 08.03.2023 तक)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के रविशंकर (08.03.2023 से)	सदस्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशकों का पारिश्रमिक

बोर्ड और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में 5000/- रुपये और लेखा परीक्षा समितियों के लिए 3000/- रुपये की फीस निर्धारित की गई है। बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वाहन व्यय कंपनी द्वारा वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। बैठक में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करने वाले निदेशक को 500/- रुपये प्रतिपूर्ति की जाती है।

पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण शून्य है, क्योंकि 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

आम सभा

कम्पनी द्वारा आयोजित पिछली तीन आम सभा से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2020-21	22.10.2021	10:30 प्रात:..	पंजीकृत कार्यालय नंबर 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560032
2021-22	28.09.2022	12:30 प्रात:	ऊपरोक्त
2022-23	29.09.2023	09:30 प्रात:	ऊपरोक्त

चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम सभा का आयोजन सितम्बर, 2024 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाना अनुसूचित है।

खुलासा

कम्पनी द्वारा अपने प्रोमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधकों अथवा उनके संबंधियों के साथ ऐसे कोई सामग्रीगत प्रकृति के संव्यवहार नहीं किए गए हैं जिनसे मुख्यतः कम्पनी के हितों पर किसी प्रकार का हित संघर्ष होने की संभावना हो ।

कम्पनी द्वारा वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी सांविधिक विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/आरओसी, बेंगलुरू को प्रस्तुत किए गए हैं।

कम्पनी की कुछ यूनिटों द्वारा सांविधिक देयों के भुगतान अभी बकाया हैं।

संचार का माध्यम

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी होने के नाते कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति मैसर्स एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी को की जाती है। वार्षिक विवरण भी कम्पनी की वेबसाइट www.hmtmachinetools.com पर अद्यतन किए जाते हैं।

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक-ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय

i. कर्मचारियों और निवासियों के बीच ऊर्जा संरक्षण और व्यवहारों के महत्व पर जागरूकता की उत्पति से बिजली की खपत में कमी आई है।

ii. वशेष रूप से कम महत्वपूर्ण गुणवत्ता उपयोग के लिए जल की रिसाइकलिंग की जाती है।

iii. स्विचिंग, डी क्लैम्पिंग आदि के उपयोग से प्रकाश के अत्यधिक के स्तर को मानक स्तर तक कम किया गया है।

iv. यदि लाइट / पंखे / एग्जास्ट पंखे आदि का उपयोग नहीं हो रहा होता तो उन्हें बंद रखा जाता है।

v. ऊर्जा संरक्षण के लिए स्क्रैप को कम करने और उपयोगी पुनः बनाने पर ध्यान केन्द्रण।

vi. उपयोज्यताओं के आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्यसूची का अनुकूलन

vii. उच्च भार कारक बनाए रखने के लिए अनुसूचित परिचालन

viii. फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्थान पर एलईडी प्रकाश

ix. विद्युत उपकरणों का इष्टतम उपयोग

x. कई इकाइयों में दोपहर का भोजन आउटसोर्स किया जा रहा है जिससे कैंटीन में बिजली की खपत कम हुई है।

xi. अनावश्यक प्रिंटर, कंप्यूटर, कॉपियर को रात्रि के समय बंद रखना

xii. मशीनों के निष्क्रिय न चलने देना

xiii. ऊर्जा कुशल मोटरों का उपयोग करना

xiv. बिजली के बिल को कम करने और प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग से बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करना

xv. नियमित अनुरक्षण से भट्टी का इष्टतम उपयोग करके ऊर्जा खपत में कमी लाई गई है

xvi. हीट ट्रीटमेंट / फाउंड्री फर्नेस में जॉब प्लानिंग से ऊर्जा खपत में कमी हुई है

xvii. डीजल पर निर्भरता और खपत को कम करने के लिए रविवार को इंडक्शन फर्नेस चलाना

xviii. हीट रिकवरी डिवायसों के साथ फर्नेस की रेट्रोफिटिंग।

xix. कैपेसिटर का नियमित निवारक रखरखाव

xx. स्ट्रेस रिलीविंग फर्नेस में लोड को कम नहीं होने दिया जाता है।

xxi. मीडियम फ्रीक्वेंसी फर्नेस का अधिकतम उपयोग और फाउंड्री में लाइन फ्रीक्वेंसी फर्नेस का कम उपयोग।.

xxii. पावर फैक्टर को 0.98 तक बनाए रखना जिससे बिजली बिल में नकद छूट प्राप्त हुई हैं

xxiii. कंप्रेस्ड एयर लीकेज को कम करना तथा पारी परिवर्तन / भोजन काल के दौरान बंद रखना

ख) ऊर्जा खपत में कमी के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो, लागू किए जा रहे हैं

विनिर्माण इकाई, स्ट्रीट लाइटिंग, आवासीय कॉलोनी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कैप्टिव बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी विनिर्माण इकाइयों में छत पर फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

ग) वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर प्रभाव:

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप विभिन्न लोड केंद्रों पर विद्युत ऊर्जा की खपत में काफी कमी आई है और ऊर्जा लागत को कम करने में मदद मिली है।

घ) उत्पादन की प्रति इकाई कुल ऊर्जा खपत:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी विशिष्ट उद्योगों की सूची में शामिल नहीं है।

भ) प्रौद्योगिकी अवशोषण- फॉर्म बी

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया जाता है:

क) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/अवशोषण:

i. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को संचालित करने के लिए हैदराबाद और बैंगलोर इकाइयों के लिए अनुसंधान एवं विकास की स्थिति।

ii. कॉपर फॉइल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोलर्स की ग्राइंडिंग के लिए रोल और कैम्बर ग्राइंडिंग मशीन मॉडल GRC 55*2500*1.2T का इन-हाउस विकास।

iii. एचएमटी ने "एचएमटी आई कनेक्ट" के साथ उद्योग 4.0 की औद्योगिक क्रांति की नवीनतम तकनीकी दुनिया में कदम रखा है। इंडस्ट्री 4.0 विनिर्माण उद्योगों के लिए क्रांतिकारी उपकरण है। इस एप्लिकेशन के साथ ग्राहक कहीं से भी वास्तविक समय में CNC मशीन की निगरानी कर सकते हैं।

iv. BEL को एडॉप्टर असेंबली की पहली इकाई विकसित और आपूर्ति की, जिसका उपयोग एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) शैलो वॉटर शिप (SWC) में किया जाता है।

ख) उत्पाद विकास के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन/उन्नयन:

i. . इन-हाउस ने हाइड्रोस्टेटिक गाइड वे के साथ BHEL, त्रिची के लिए टेबल डाया. 2500 के साथ CNC डबल कॉलम VTL को डिज़ाइन, विकसित और आपूर्ति की। इससे 2500 से 3500 मिमी डबल कॉलम VTL के लिए नया बाज़ार खुलेगा।

ii. CNC डाई और मोल्ड मशीन सेंटर टेबल (850 x 450 मिमी) डिज़ाइन और विकसित की गई और टेबल पर 400 किलोग्राम का भार है। आसान विघटन के लिए RAM पर कार्ट्रिज टाइप स्पिंडल व्यवस्था लगाई गई है। मशीन की बेहतर दक्षता के लिए कुल्हाड़ियों की रैपिड 30 मी/मिनट और 20 टूल एटीसी।

iii. एक विशेष उद्देश्य मशीन सीएनसी बेड टाइप हॉरिज़ॉन्टल मिलिंग मशीन (Y3602) को डिज़ाइन, विकसित और निष्पादित किया गया। मुख्य विशेषताएं हैं मूविंग वर्क टेबल, हॉरिज़ॉन्टल स्पिंडल हेड के साथ वर्टिकल कॉलम और इंडेक्सिंग यूनिट, जो पहले से बने सबोट कंपोनेंट को 3 सेगमेंट और 4 सेगमेंट में सिंगल मशीन पर स्लिट करने के लिए उपयुक्त है। आसान इंटरचेंजेबिलिटी के साथ 3 और 4 सेगमेंट कंपोनेंट दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया विशेष फिक्सचर। मिलिंग यूनिट में मिलिंग हेड हाउसिंग, स्पिंडल और मिलिंग आर्बर को सपोर्ट करने के लिए ओवर आर्म शामिल हैं।

iv. एक विशेष उद्देश्य मशीन सीएनसी डीप होल ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन (Y3603) को डिजाइन और विकसित किया गया है। मुख्य विशेषताएं हैं सिंगल ट्यूब सिस्टम (STS) BTA टाइप, फिक्स्ड वर्क हेड, मूविंग प्रेशर हेड और टूल हेड, टूल और वर्कपीस दोनों का विपरीत दिशा में घूमना, मशीनिंग के लिए सामग्री टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, सुपर एलॉय राउंड बार हैं। सॉलिड ड्रिल रेंज Ø40 से Ø125 मिमी और 2000 किलोग्राम के घटक वजन के लिए Ø175 तक काउंटर बोरिंग है, 1000 मिमी ड्रिलिंग लंबाई के लिए ओडी रेंज Ø70 से Ø600 तक है।

ग) मौजूदा मशीनों का विकास:-

i. रेडियल ड्रिलिंग मशीन ड्रिल हेड के लिए नई बेयरिंग व्यवस्था का स्वदेशीकरण डिजाइन और विकसित किया गया।

ii. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर (VMC-1200) के लिए इन-हाउस विकसित रोटरी टिल्टिंग टेबल

iii. फुल गार्डिंग और चिप कन्वेयर के साथ वर्टिकल मशीनिंग सेंटर (VMC-TC) विकसित किया गया

iv. बेहतर सटीकता के लिए Y3602 (सीएनसी बेड टाइप हॉरिजॉन्टल स्लिट मिलिंग मशीन) के लिए संशोधित फिक्सचर डिज़ाइन।

ख1 कंपनी की अन्य पहल-

क) ब्रेकडाउन और उत्पादन हानि को कम करने के लिए संयंत्र और मशीनरी के निवारक रखरखाव और कुशल स्पेयर प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया।

ख) बी और सी श्रेणी की वस्तुओं की पूरी तरह से आउटसोर्सिंग।

ग) जीईएम पोर्टल के माध्यम से सभी उपलब्ध वस्तुओं की खरीद और जीईएम के माध्यम से मशीनों की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित।

घ) कंपनी को जीटीईटी कटक से 930 लाख रुपये मूल्य की 20 सीएनसी टर्निंग मशीनों का ऑर्डर मिला।

2) उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

मशीनों की कार्यक्षमता बढ़ी, उत्पादन चक्र कम हुआ और नये अवसर विकसित हुए।

3.भविष्य की कार्य योजनाएँ:

क) भारत को आत्मनिर्भर बनाने और "मेक इन इंडिया" मशीनें बनाने के लिए मातृ प्रौद्योगिकियों के अनुरूप नए उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

ख) डबल कॉलम सीएनसी वीटीएल में नए वेरिएंट का विकास।

ग) रक्षा और रेलवे उप-असेंबली/बीईएमएल, बीईएल, आरडब्ल्यूएफ आदि के घटकों के निर्माण पर चर्चा चल रही है।

4.अनुसंधान एवं विकास विवरण पर व्यय (रुपये लाख में)

1)	पूंजी	रु. शून्य
2)	पुनरावर्ती	रु. 122.96
	कुल	रु. 122.96

5. कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय:

1.23 % (टर्नओवर के % के रूप में)

6. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन:

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में एचएमटी एमटीएल मेटल कटिंग आर एंड डी और सीएनसी आर एंड डी केंद्र को मान्यता दी। नई प्रौद्योगिकी के विकास और पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को संचालित करने के लिए हैदराबाद इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है।

3) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

निर्यात से संबंधित गतिविधियां, उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात बाजार बढ़ाने के लिए की गई पहल और कंपनी के उत्पादों के संयंत्र निर्यात का प्रबंधन एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, धारित कंपनी द्वारा किया जाता है।

उपयोग की गई और अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा:

	विवरण	(रु. लाख में)
1.	अर्जित विदेशी मुद्रा	141.34
2.	विदेशी मुद्रा का व्यय (आयात का सीआईएफ मूल्य)	218.97
3.	यात्रा के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय	2.20
4.	रॉयल्टी के कारण मुद्राएँ	शून्य
5.	जानकारी / व्यावसायिक शुल्क, ब्याज और अन्य मामले	शून्य

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

फार्म संख्या एओसी-2

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड- वाक्य (एच) के अनुसरण में)

तृतीय पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उप-खंड (1) में संदर्भित सम्बद्ध पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फार्म संख्या एओसी 2

1. संविदाओ अथवा संव्यवहारों का विवरण जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं है।

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति लागू नहीं

(ख) संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति लागू नहीं -

(ग) संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि लागू नहीं

(घ) मूल्य सहित अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो लागू नहीं

(ड.) ऐसे अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के निषादन का औचित्य लागू नहीं

(च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि, यदि कोई हो लागू नहीं

(छ) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो: - लागू नहीं

(ज) धारा 188 के परंतुक की अपेक्षा के अनुसार किस तिथि को आम सभा में विशेष संकल्प पारित किया गया। लागू नहीं -

2. आर्म लैंथ आधार पर किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण :

क) सम्बद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति लागू नहीं

(ख) संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति लागू नहीं

(ग) संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि :- लागू नहीं

(घ) मूल्य सहित अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो : - लागू नहीं

(ड.) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथि, यदि कोई हो लागू नहीं

(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो: - लागू नहीं

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त
राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25 अक्टूबर 2024

फार्म संख्या : एमआर 03

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2014 (1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्य,
एच एम टी. मशीन टूल्स लिमिटेड
एचएमटी भवन, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलूरू, कर्नाटक - 560032

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एतदद्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) (सीआईएन : 02922KA1999GOI025572) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों 1. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (उन महिला कर्मचारियों पर का अनुपालन, नीचे की गई रिपोटिंग की शर्त पर, विधिवत रूप से किया गया है तथा कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित है:

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की है:-

i. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम – कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम – कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भौतिक रूप में बनाए रखे जाते हैं।

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

निदेशक मंडल / समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, कार्यसूची और

कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर डालने वाली कोई घटना/कार्रवाई नहीं की।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया कि कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन, सभी आवश्यक रिकॉर्डों को उचित रूप से बनाए रख रही है और विभिन्न लागू कानूनों का पालन करने के लिए स्थापित प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने, निम्नलिखित के अलावा, कम्पनी अधिनियम, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के संबंध में ऊपर दिए गए पैराग्राफों में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन किया है::

1. एक सूचीबद्ध कम्पनी की सामग्रीगत सहायक कम्पनी होने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 205 के विनियम 24 (1) की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में अपनी धारक कम्पनी का एक स्वतंत्र निदेशक होना अपेक्षित है। कम्पनी ने विनियम का अनुपालन नहीं किया है।
2. लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया है कि कम्पनी ने अनेक अवसरों पर कर्मचारी संबंधी सांविधिक देयताओं के भुगतान के समय पर नहीं किए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के प्रावधानों के संबंध में चूक हुई है तथा सांविधिक प्राधिकरणों से अधिनियम का अनुपालन न किए जाने के प्रति नोटिस प्राप्त हुए हैं और विभिन्न न्यायालयों में इसके अलावा, विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं।।

कृते एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स
स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: एस2010केआर128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031F001105176
दिनांक: 02 सितंबर, 2024
स्थान: बेंगलूरु

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

साचिविक लेखापरीक्षा का अनुलग्नक
पेशेवर सचिवीय लेखा परिक्षक द्वारा जारी

सेवा में
सदस्यो
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड
बेंगलूरू 560032
यह पत्र समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. सचिवीय रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवीय रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो सचिवीय रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखा बहियों यथा आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क इत्यादि का सत्यापन हमने नहीं किया है। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई लागू कानूनों की सूची के आधार पर उद्योग विशिष्ट कानूनों के तहत अनुपालन की जांच की गई

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. यह सचिवीय रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स

स्वयंभू केदारनाथ
एम. नं.: F3031 | सीओपी नंबर: 4422
आईसीएसआई एफआरएन: एस2010केआर128100
आईसीएसआई पीआरएन: 1437/2021
आईसीएसआई यूडीआईएन: F003031F001105176

दिनांक: 02 सितंबर, 2024
स्थान: बेंगलूरु

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षण प्रेक्षणों की सचिवीय रिपोर्ट का परिशिष्ट

संदर्भ.	सचिवीय लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कम्पनी के उत्तर
01	एक सूचीबद्ध कम्पनी की सामग्रीगत सहायक कम्पनी होने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1) की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी | के निदेशक मंडल में अपनी धारक कम्पनी का एक | स्वतंत्र निदेशक होना अपेक्षित है। कम्पनी ने विनियम | का अनुपालन नहीं किया है।.	सभी श्रेणियों के लिए नामांकन एवं नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में की जाती है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का विषयक मामला भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। प्रशासनिक मंत्रालय से कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।.
02	लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया है कि कम्पनी ने अनेक अवसरों पर कर्मचारी संबंधी सांविधिक देयताओं के भुगतान समय पर नहीं किए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के प्रावधानों के संबंध में चूक हुई है तथा सांविधिक प्राधिकरणों से अधिनियम का अनुपालन न किए जाने के प्रति नोटिस प्राप्त हुए हैं और विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक मामले लंबित हैं।	कम्पनी को अनेक वर्षो से घाटे हो रहे हैं, इस प्रकार, लेखापरीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षण के अनुसार सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर नहीं कर पाती है। कम्पनी प्रत्येक संभव प्रयास करके अपने आंतरिक परिचालनों से निधियां उत्पन्न कर रही है ताकि सांविधिक देयता सांविधिक देयता का समय पर भुगतान किया जा सके।

राजेश कोहाली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआई एन -10333951

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 25 अक्टूबर 2024

कॉर्पोरेट प्रशासन का प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U02922KA1999GOI025572

सेवा में
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरू के सदस्य

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर मार्गदर्शन में निर्धारित अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है, हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का सभी भौतिक मामलों में अनुपालन किया है:-

क) एचएमटी एमटीएल के बोर्ड में एचएमटी लिमिटेड के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति;
ख) कर्मचारी संबंधी वैधानिक देयों के समय पर भुगतान में चूक

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते आर वेंकट कृष्णा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, एफआरएन: 004605S
(जे. उल्लास), भागीदार, सदस्यता सं. 016397
यूडीआईएन: 24016397BKFEGX1025

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 10.09.2024

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

विषय: आचार संहिता - खंड 3.4.2 के अंतर्गत घोषणा
यह प्रमाणित किया जाता है कि:
डीपीई के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता लागू है।

उक्त आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इसे बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को भी वितरित कर दिया गया है; और,

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
दईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25 अक्टूबर, 2024

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट योग्य राय:

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (निदेशक, सीएजी द्वारा अनंतिम टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी की गई, संख्या डीजीसीए/ए/सी/डेस्क/2023-24/एचएमटी(एमटी)/1.31/518 दिनांक 18.09.2024, शाखा वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर हमारी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कुछ मामलों पर विचार करते हुए, जिसमें एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड बैंगलोर इकाई, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड हैदराबाद इकाई और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड पिंजौर इकाई से संबंधित संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं, सभी दिनांक 20.09.2024 और यह 02.08.2024 को जारी हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अधिक्रमित करती है)

सदस्यगण

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु

सीआईएन: UO2922KA1000GOIO25572

हमने मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। (इसके बाद इसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है)

हम बताते हैं कि, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में एचएमटी एमबीएक्स बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स, एचएमटी अजमेर, एचएमटी पिंजौर, एचएमटी हैदराबाद, एचएमटी कलमस्सेरी, प्रागा टूल्स - हैदराबाद, एचएमटी विपणन प्रभाग बैंगलोर और एचएमटी निदेशालय- बैंगलोर के आठ प्रभागों के वित्तीय विवरणों का संकलन शामिल है। जिसमें एचएमटी निदेशालय बैंगलोर को छोड़कर प्रत्येक प्रभाग सीएजी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र वैधानिक लेखापरीक्षा के अधीन है। इनमें से छह इकाइयों की लेखा परीक्षा अन्य सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, बैंगलोर में विपणन इकाई की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की जाती है और एचएमटी निदेशालय बैंगलोर की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, यथासंशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों द्वारा 31 मार्च, 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नुकसान, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं।

उचित राय का आधार:

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधान और वहां बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी

लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

1) एमबीएक्स, बेंगलूरुः

अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित निम्नलिखित मानकों पर संशोधित, इंड एएस का गैर-अनुपालनः -

क) भारतीय लेखा मानक 2-हमें प्रदान किए गए विवरण और जानकारी के अनुसार, कच्चे माल, प्रगतिरत-कार्य और व्यापार में स्टॉक (तैयार माल) का मूल्य विशेष कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और स्टॉक लेना भारित औसत के आधार पर होता है। हालाँकि, मूल्यांकन रिपोर्ट और सूची के विस्तृत कामकाज की अनुपलब्धता के कारण, हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन और इसके कारण वित्तीय पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ ही नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।

ख) मार्च 2014 तक उचित प्राधिकारियों को भविष्य निधि बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज/जुर्माना/क्षतिपूर्ति के लिए इन खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान न करने/निपटान न करने पर जुर्माना/क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस गैर-प्रावधान के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। पृष्ठ 2 का 13

ग. हमें दी गई जानकारी और जीएसटी कॉमन पोर्टल के अनुसार, इकाई ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक सभी महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर दिया है। लेकिन, ये राशियाँ उक्त अवधि के लिए जीएसटी समाधान के अधीन हैं।

घ. इकाई ने निम्नलिखित वैधानिक देनदारियों के मामले में रिटर्न दाखिल नहीं किया है:- I. अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए टीडीएस/टीसीएस दाखिल नहीं किया गया। व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, प्राप्त अग्रिम, भुगतान किए गए अग्रिम, जमा (सुरक्षा जमा सहित) के संबंध में पार्टियों से पुष्टि के अभाव में, पार्टी शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया अधूरी है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ खातों में पांच वर्ष से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तथा शेष राशि को आगे ले जाया गया है। पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने के कारण, हम बताए गए शेष राशि की सत्यता तथा वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव के बारे में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों वाले अनुभाग में दिया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

ई. (सीएंडएजी टिप्पणी) अन्य आय - 780.99 लाख रुपये - स्टाफ/अन्य से वसूली प्राप्त किराया - अन्य 528.24 लाख रुपये इसमें 254.24 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे 31 मार्च 2024 तक देनदारियों के तहत लेखांकन के बजाय गलती से वर्ष 2023-24 के लिए अन्य आय के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था। एचएमटी एमटी लिमिटेड को जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान आर्टपार्क (रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम इनोवेशन फाउंडेशन के लिए आई-

हब) से रोबोटिक और ऑटोनॉमस सिस्टम (आरएएस) के लिए गैर-वापसीयोग्य सुविधा शुल्क के रूप में 300 लाख रुपये (जीएसटी और आयकर टीडीएस को छोड़कर) प्राप्त हुए।) 4 साल और 11 महीने की अवधि के लिए (समझौते की तारीख से) 4 तारीख को निष्पादित सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में जुलाई 2023 में एचएमटीएमटी लिमिटेड और एआरटीपार्क के बीच एमबीएक्स इकाई में स्थित एचएमटी लिमिटेड के परिसर (5 एकड़ भूमि) को पट्टे पर देने (ऑपरेटिंग लीज) के लिए समझौता हुआ। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए 254.24 लाख रुपये की आय को अधिक तथा हानि को कम दर्शाया गया है।

एफ). (सीएजी टिप्पणी) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण - परिचालन से राजस्व 1,668.02 लाख रुपये। इसमें 334.89 लाख रुपये शामिल हैं, जो एचएमटी एमटी एमबीएक्स इकाई, बेंगलुरु द्वारा अपने ग्राहकों पर मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में बिक्री चालान का मूल्य है। हालाँकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त चालानों के लिए ई-वे बिल अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान जारी किए गए थे। इंड एस 115 - परिचालन से राजस्व की आवश्यकताओं के अनुसार, भले ही एमबीएक्स इकाई द्वारा अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान ई-वे बिलों के खिलाफ चालान किए गए उत्पाद भेजे गए थे, बिक्री को गलती से वित्त वर्ष 2024-25 के बजाय मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में ही दर्ज कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए आय को 334.89 लाख रुपये अधिक और हानि को कम दर्शाया गया है।

2) एमटीए, अजमेर: शून्य

3) एमटीए, अजमेर: शून्य

4) एमटीपी पिंजौर-

(क) इकाई ने 8.78 लाख रुपये के सीमा शुल्क वापसी दावे को माफ नहीं किया है, जो प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1987 से लंबित है। हालाँकि, इकाई ने इसके लिए 8.78 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इकाई ने ऐसे दावे के लिए सीमा शुल्क विभाग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है, न ही इकाई के पास इस दावे के संबंध में कोई जानकारी है। साथ ही, प्रबंधन ने प्रधान कार्यालय को दिनांक 28.01.2020 के पत्र के माध्यम से रिफंड दावे को माफ करने के लिए सूचित किया है, क्योंकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि यूनिट को रिफंड प्राप्त होगा, तदनुसार इस कस्टम रिफंड दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(ख) इकाई ने वसूली योग्य 1.55 लाख रुपये (विदेशी) दावे को बट्टे खाते में नहीं डाला है, जो प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2007 से लंबित है। हालाँकि इकाई ने इसके लिए 1.55 लाख रुपये का प्रावधान किया है।इकाई को इस दावे के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा प्रबंधन ने दिनांक 28.01.2020 के पत्र के माध्यम से प्रधान कार्यालय को रिफंड दावे को रद्द करने के लिए सूचित किया है, क्योंकि यूनिट को रिफंड प्राप्त होने की कोई निश्चितता नहीं है, तदनुसार इस कस्टम रिफंड को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ग) इंड एस-19 के अनुसार, परिभाषित लाभ योजना को कोई भी योजना कहा जाता है जिसमें उद्यम का वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का दायित्व होता है और बीमांकिक जोखिम और निवेश जोखिम कम हो जाते हैं। इसलिए, इकाई ने 31 मार्च 2024 तक भविष्य निधि बकाया के लिए बीमांकिक मूल्यांकन देयता निर्धारित नहीं की है। वर्षों के वित्तीय विवरणों पर इसका परिणामी प्रभाव पता नहीं लगाया जा सका है। तदनुसार, नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसके लिए ब्याज की कमी को नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है, भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार प्रभावी रूप से परिभाषित लाभ योजना होगी। इसलिए यह भारतीय लेखा मानक-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप नहीं है।

घ) (सीएंडएजी टिप्पणी) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर यूनिट ने 08.04.2024 और 12.04.2024 को ग्राहकों के परिसर में वितरित किए गए माल के संबंध में 1.54 करोड़ रुपये का राजस्व मान्यता दी। ग्राहक के गंतव्य तक पहुंचे बिना 1.54 करोड़ रुपये की बिक्री दर्शाने के परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व को अधिक दर्शाया गया तथा हानि को 1.54 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया। यह लेखांकन पद्धति इंड एस 115 और कंपनी की अपनी लेखांकन नीति का उल्लंघन है।

5) एमटीएच हैदराबाद -शून्य

6) एमटीके, कलमस्सेरी-

क. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी (एमटीके) की लेखांकन नीतियों के अनुसार, माल की बिक्री के संबंध में राजस्व उस समय पहचाना जाएगा जब ग्राहक माल या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है, जो तब होता है जब उसने उत्पादों का स्वामित्व ले लिया है और उत्पाद या सेवाओं के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को ग्रहण कर लिया है। शिपिंग शर्तों के अनुसार वर्ष के अंत में कुछ निश्चित FOR (ग्राहक परिसर) अनुबंध होते हैं। हालाँकि आठ अनुबंधों के संबंध में चालान 31 मार्च 2024 को या उससे पहले जारी किए गए थे, स्वामित्व का जोखिम और इनाम 31 मार्च 2024 से पहले स्थानांतरित नहीं किया गया था क्योंकि मशीनें 31 मार्च 2024 के बाद ग्राहक साइट पर प्राप्त हुई थीं। ग्राहक परिसर में वास्तविक डिलीवरी के बिना FOR (ग्राहक परिसर) अनुबंधों में चालान के आधार पर बिक्री राजस्व की मान्यता के परिणामस्वरूप बिक्री में 1,33,68,730/- रुपये की वृद्धि हुई है।

ख. नोट संख्या 10 अन्य परिसंपत्तियों में 1,59,61,090/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-पीएस और 1,31,34,286/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-डब्ल्यूजी शामिल हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं/कर्मचारियों को अग्रिम के तहत प्रकट किए गए हैं, जिसमें अग्रिम संख्या III भी शामिल है - जिसे अच्छा माना जाता है। यह कार्यालय आदेश संख्या 021(एम)/19 दिनांक 30 सितंबर 2019 के तहत एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मासिक तदर्थ भुगतान है। भुगतान प्रशासनिक मंत्रालय के पत्र संख्या 1- 0501/3/2019+P.E.X(E198595) दिनांक 19 सितंबर 2019 के माध्यम से अनुमोदन के अनुसार किया गया था, जहां एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को 10 के बराबर अतिरिक्त मासिक तदर्थ राशि का भुगतान किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी मूल वेतन और महीने के महंगाई भत्ते का % (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान मुनाफा कमाया)। तदर्थ भुगतान पर आयकर लगता है।इसके अलावा किए गए तदर्थ भुगतान को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निपटान के दौरान समायोजित नहीं किया गया था। हमारा विचार है कि यह व्यय की प्रकृति का है और इसे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारी लाभ भुगतान है, जिस पर आयकर लागू होता है। यदि यह अग्रिम राशि होती तो इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निपटान के समय काट लिया जाना चाहिए था। इसलिए, अन्य परिसंपत्तियों को इस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।(नोट: आवश्यक सुधार प्रविष्टि मशीन टूल्स निदेशालय पुस्तकों में पारित कर दी गई है।)

सी. नोट संख्या 3ए में दर्शाई गई भूमि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा नोट संख्या 3बी में निवेश संपत्ति में इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार 349 एकड़ भूमि शामिल है।

हमें उपलब्ध करायी गयी अभिलेखों की प्रतियों के अनुसार, 781 एकड़ 26 सेंट 266 वर्ग लिंक संपत्ति 1973 में केरल सरकार द्वारा एचएमटी लिमिटेड को सौंपी गयी थी। इसमें से 432 एकड़, 19 सेंट और 126 वर्ग लिंक जमीन विभिन्न प्रयोजनों के लिए समर्पित/उपहार में दी गई। शेष भूमि 349 एकड़ 40 सेंट और 140 वर्ग लिंक है। यह सारी जमीन एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है, न कि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर।

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार, धारा III ए के तहत, कंपनी या उसके निगमन द्वारा अपनाए जाने वाले मुख्य उद्देश्य, पैराग्राफ 1 में, निम्नानुसार कहा गया है:

सभी परिसंपत्तियों, संपत्तियों और देनदारियों को हासिल करने और एक चालू संस्था के रूप में अधिग्रहण करने के लिए, एचएमटी लिमिटेड का व्यवसाय, अब इसके मशीन टूल्स और औद्योगिक मशीनरी बिजनेस समूहों के तहत किया जाता है, जिसमें सभी विनिर्माण और असेंबली इकाइयां, विपणन कार्यालय / शोरूम शामिल हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। स्थान और ऐसे संशोधन या परिवर्तन (यदि कोई हो) में प्रवेश करना और उन्हें लागू करना, जिस पर (चाहे निष्पादन से पहले या बाद में) उक्त एचएमटी लिमिटेड के साथ किसी भी समझौते, कार्यों के आधार पर सहमति हो सकती है, जैसा कि आवश्यक हो या जैसा हो सकता है। आवश्यक, उचित या उचित समझा जाए और इसके लिए नकद या ऋण या शेयरों या डिबेंचर के आवंटन या शेयरों और पार्टी में अन्यथा एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर को निर्दिष्ट अनुसार भुगतान किया जाए।

हमारे सत्यापन हेतु अधिग्रहण से संबंधित कोई भी समझौता/ कार्य या अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसमें अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण दर्शाया गया हो।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास खाते की किताबों में शामिल भूमि पर पूर्ण स्वामित्व है।

घ. 84,97,769/- रुपये की मार्जिन मनी जमा को अन्य बैंक शेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल मार्जिन मनी जमा में से, रु. 24,64,346.00 की राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव अनिश्चित है।

ई. इकाई ने एमएसएमई को वार्षिक बकाया शेष पर साधारण ब्याज के आधार पर ब्याज प्रदान किया है। इसके अलावा, कुछ समझौतों के मामले में, भले ही शर्तों में 30 दिनों के भीतर भुगतान निर्दिष्ट किया गया हो, इकाई ने एमएसएमई ब्याज की गणना के लिए न्यूनतम दिनों के रूप में 45 दिन का समय लिया है।

7) पीटीएच, हैदराबाद: शून्य

8) एमटीएम, बेंगलूरु: शून्य

राय का अस्वीकरण : एमटीएच हैदराबाद

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, हैदराबाद डिवीजन (फाउंड्री डिवीजन और प्रेस डिवीजन सहित) ("कंपनी") ("एचएमटी हैदराबाद") ("डिवीजन") के साथ दिए गए वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसे आगे "इंड एएस वित्तीय विवरण" या "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हम प्रभाग के संलग्न वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। हमारी रिपोर्ट के अस्वीकरण राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, हम इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

अस्वीकरण राय का आधार- हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे अस्वीकरण के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

1. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:** हमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभाग के पास भारत सरकार से पट्टे पर हस्तांतरित अचल संपत्ति है, लेकिन यह आईएनडी एएस 116 के

अनुपालन में नहीं है क्योंकि पट्टा विलेख प्रदान नहीं किए गए थे। । वित्तीय विवरणों के नोट 3ए के संदर्भ में, प्रभाग परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर 100% मूल्यह्रास लगाता है, जिसका अवशिष्ट मूल्य 1 रुपए है। परिसंपत्ति रजिस्टर की जांच करने पर, हमने पाया कि परिसंपत्तियों की खरीद की तारीखें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे इन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के बारे में संदेह पैदा होता है। हालांकि प्रभाग मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इसका पालन कर रहा है

2. **प्रगतिरत पूंजीगत कार्य**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 3बी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 1,10,00,000 रुपये के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का खुलासा किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। विवरण के अभाव में, हम प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अस्तित्व, पूर्णता और मूल्यांकन पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

3. **इन्वेंटरी मूल्यांकन**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 5 और 25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रभाग ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम वर्ष: 39,05,51,467) के लिए नोट संख्या 5 पर 37,12,74,054 रुपये की अपनी इन्वेंट्री का खुलासा किया, जिसके लिए हम उस तिथि तक इन्वेंट्री के अस्तित्व, शीर्षक और मूल्य के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, विचाराधीन वर्ष के दौरान, गैर-चलती इन्वेंटरी के विरुद्ध 1,19,86,909 रुपये का प्रावधान किया गया और इसे "अन्य व्यय - नोट संख्या 25" के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया, जिसमें 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया कुल प्रावधान 4,82,89,601 रुपये (प्रधान वर्ष 3,63,02,692) है, जिसका खुलासा नोट संख्या 5 के अंतर्गत किया गया है। सिस्टम द्वारा तैयार रिपोर्ट के अलावा कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण हम गैर-चलती इन्वेंटरी के विरुद्ध किए गए प्रावधान की सत्यता पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

4. **व्यापार प्राप्य**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 35,51,88,038 रुपये (पिछले वर्ष 32,80,05,797 रुपये) की व्यापार प्राप्य राशि का खुलासा किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहक-वार शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी। ग्राहकों से पुष्टिकरण पत्रों के अभाव में, हम व्यापार प्राप्य के संबंध में स्वयं की पुष्टि करने और संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार प्राप्तियों की ग्राहक-वार और लेन-देन-वार उम्र बढ़ने को ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, हम नोट 6ए में बताए गए व्यापार प्राप्य की आयु की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

5. **क्रेडिट हानि के लिए भत्ता**: हम व्यापार प्राप्तियों के खिलाफ अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 6, 6 ए और 25 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, नोट संख्या 25 "अन्य व्यय" के तहत 'अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते' के कारण लाभ और हानि खाते में 69,68,182 रुपये (पीवाई.Rs.1,74,34,928) की राशि चार्ज की जाती है। नोट संख्या 6 में 'अपेक्षित ऋण हानि हेतु भत्ते' की कुल राशि (प्रावधान) 22,79,77,008 रुपये (प्रथम वर्ष 22,10,08,826 रुपये) दर्शाई गई है। प्रभाग व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध 'अपेक्षित ऋण हानि' तथा वर्ष के अंत में वहन राशि के लिए किए गए प्रावधान को उचित ठहराने में विफल रहा है। इसलिए, हम इस बारे में कोई राय बनाने में असमर्थ हैं कि क्या वर्ष के दौरान 'अपेक्षित ऋण हानि' के लिए किया गया प्रावधान और 'अपेक्षित ऋण हानि' के लिए वहन राशि पर्याप्त है।

6. **अन्य चालू परिसंपत्तियां**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 9- "अन्य चालू परिसंपत्तियों" की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, प्रभाग ने आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को दिए गए

अग्रिमों का खुलासा किया, जिसकी राशि 6,97,85,415 रुपये (पिछले वर्ष 7,37,82,623 रुपये) थी। प्रभाग उन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों का ब्यौरा रखने में विफल रहा है, जिन्हें अग्रिम राशि दी गई है, जबकि लेखा अभिलेखों के रखरखाव में प्रभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अभाव में हम इस पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने इन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के अग्रिमों के विरुद्ध 'संदिग्ध अग्रिमों की क्षति' के लिए प्रावधान प्रदान किया, जिसकी राशि 2,08,15,692 रुपये (प्रथम वर्ष 2,08,15,692 रुपये) थी। विभाग आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों के अग्रिम के विरुद्ध किए गए प्रावधान को उचित ठहराने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

7. **उधार और अन्य वित्तीय देनदारियां**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 13 बी और नोट 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि प्रभाग ने भारत सरकार से 90,73,05,000 रुपये (वर्ष 90 रुपये) का सावधि ऋण लिया है। 73,05,000) अर्जित ब्याज के साथ और नोट संख्या 15 में क्रमश: 130,98,82,874 रुपये (पीवाई 1,15,98,29,947 रुपये) बताए गए हैं। वित्तीय विवरणों में सुरक्षा और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान या प्रकट नहीं की गई।1. अपेक्षित जानकारी का खुलासा न करने के कारण जो अनुसूची III का उल्लंघन है। इसके अलावा, हम अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत प्रकट की गई देयता के वर्तमान और गैर-वर्तमान भागों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, हम इन ऋणों की स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए किसी तीसरे पक्ष की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी, सिवाय मुख्य कार्यालय से प्राप्त एक पत्र के, जिसमें बकाया ब्याज और मूलधन दर्शाया गया था।

8. **व्यापार देयताएं**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें विक्रेताओं को देय राशि 24,50,18,324 रुपये (प्रथम वर्ष 21,17,65,745 रुपये) बताई गई है। विक्रेताओं से पुष्टिकरण पत्र के अभाव में, हम व्यापार देयताओं के संबंध में पुष्टि करने और स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं।इसके अलावा, नोट संख्या 14 के तहत देय व्यापार में शामिल निम्नलिखित राशियाँ बिना किसी औचित्य के पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर/जारी रही हैं:

- ओएसएल व्यय की देयता: रु.5,96,88,819
- हैदराबाद मेट्रो जल: रु.8,18,37,775
- एससीआर व्यय की देयता: रु.79,70,164

अभाव में हम कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14ए में प्रकटित राशि के संदर्भ में, जो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रभाग के 'सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय राशियों' का खुलासा करता है। हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए एमएसएमई विक्रेताओं के लिए मान्यता मानदंड प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।इसके अतिरिक्त, जैसा कि नोट 14 बी में बताया गया है, व्यापार देय राशि की विक्रेता-वार और लेनदेन-वार उम्र बढ़ने की पुष्टि करने के लिए व्यापार देय राशि की उम्र बढ़ने की पुष्टि नहीं की गई है।

9. **अग्रिम प्राप्त राजस्व**: हम वित्तीय विवरणों के नोट 16 के अंतर्गत 'अन्य चालू देयताओं' की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 10,45,70,143 रुपये (प्रथम वर्ष 10,33,72,324 रुपये) की राशि 'अग्रिम प्राप्त राजस्व' शामिल है। विभाग संबंधित ग्राहकों से प्राप्त राशि तथा उनके पुष्टिकरण पत्रों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा है। अभाव में हम इस पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

10. **वैधानिक बकाया**: हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 में 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 'वैधानिक बकाया' की राशि 69,96,09,510 रुपये (प्रथम वर्ष 67,36,07,948 रुपये) है, "करों की कटौती और

अन्य कर देय" की राशि 2,37,35,260 रुपये (प्रथम वर्ष 3,69,97,253 रुपये) है। इन राशियों का एक बड़ा हिस्सा पिछले वर्षों से बकाया है। प्रभाग को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों को देय राशि के लिए समय-सीमा तथा उक्त बकाया राशि के लिए कोई मूल्यांकन आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप, हम इन राशियों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

11. अन्य देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के उसी नोट 16 की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, 'अन्य देयताओं' में निम्नलिखित देयताएं शामिल हैं:

- विविध वसूलियाँ : 1,20,89,855 रुपये
- किराये के एवज में प्राप्त अग्रिम राशि : 25,93,974 रुपये
- एससीआर व्यय : 52,69,152 रुपये

प्रभाग को उन पक्षों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिन्हें ये राशि देय/देय है तथा संबंधित पक्षों से पुष्टि पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप, हम इन राशियों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

12. अन्य व्यय: वित्तीय विवरण के नोट 25 के संदर्भ में - 'अन्य व्यय' जिसमें पीएफ ट्रस्ट हानि 1,25,00,000 रुपये (प्रथम वर्ष 1,25,00,000 रुपये) शामिल है। इसके लिए प्रभाग ने स्पष्ट किया कि प्रभाग ने अपने ट्रस्ट को भविष्य निधि का भुगतान करने का विकल्प चुना था, लेकिन पीएफ ट्रस्ट को अंशदान के भुगतान में चूक हुई है। परिणामस्वरूप, प्रभाग ने इस चूक के कारण पीएफ ट्रस्ट को हुई 1,25,00,000/- रुपए की हानि को साझा किया है। यह राशि सांविधिक बकाया के अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्ज की जाती है और नोट संख्या 16 में 'अन्य चालू देनदारियों' में दर्शाई जाती है। विभाग को उक्त राशि के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, हम लाभ और हानि विवरण में दर्शाई गई राशि और देयताओं के अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि के बारे में कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।

13. आकस्मिक देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के नोट 26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रभाग के विरुद्ध लंबित मुकदमों और विभिन्न मामलों से संबंधित आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है। हम वित्तीय विवरणों में इन खुलासों की विश्वसनीयता का आकलन करने में असमर्थ हैं, न ही प्रस्तुत मुकदमों और मामलों की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं।परिणामस्वरूप, हम वित्तीय विवरणों पर इन आकस्मिक देनदारियों के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपर्याप्त जानकारी के कारण कई मामलों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

मामले पर ध्यानाकर्षण

1. एमबीएक्स, बेंगलूरुः

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

1. जैसा कि हमें बताया गया है, इकाई के पास बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में कुल 330.28 एकड़ जमीन है, जो आंशिक रूप से उपहार में दी गई थी और आंशिक रूप से वर्षों में अधिग्रहित की गई थी। उक्त भूमि का उपयोग फैक्ट्री भवनों, कार्यालयों, आवासीय कार्टरों, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, वाणिज्यिक परिसर, आंतरिक सड़कों आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा, खुले स्थानों का विशाल क्षेत्र मौजूद है। चूंकि, भूमि का स्वामित्व विलेख, भौतिक सत्यापन, भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन प्रदान नहीं किया गया है, हम स्वामित्व, भूमि उपयोग के क्षेत्र की सटीकता और अतिक्रमण, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। पृष्ठ 3 का 13. 2 जैसा कि हमें बताया गया है, सड़कों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का लगभग 4.25 एकड़ हिस्सा बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार 18.93 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धारित 2.70 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के भूमि के मार्गदर्शन मूल्य से 1.65 गुना अधिक है। 31 मार्च 2024 तक, बीबीएमपी ने संयुक्त माप और सही आयाम रिपोर्ट जारी करने के लंबित 18.50 करोड़ रुपये की तदर्थ मुआवजा जमा राशि का भुगतान किया है, यह

नोट-18 के तहत पुस्तकों में प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शा रहा है। चूंकि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भूमि बीबीएमपी को हस्तांतरित नहीं की गई है, इसलिए 4.25 एकड़ की उक्त भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में दिखाया जाना जारी है, भले ही बीबीएमपी ने भूमि का भौतिक कब्जा ले लिया है। एक इकाई को अपनी पुस्तकों में 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों की शेष राशि को बट्टे खाते में डालना आवश्यक है। हालाँकि, इकाई ने केवल 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारों के लिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाया है। मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. **एमटीए अजमेर:**

हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. हम इकाई पर एएस-116 की प्रयोज्यता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि आवश्यक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. ख. अल्पावधि प्रावधान में तदर्थ मजदूरी/वेतन संशोधन रु. 741982/- शामिल है, जिसके लिए अग्रिम राशि रु. 385535/- को अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम माना जाता है। प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त खातों को प्रधान कार्यालय द्वारा जारी लेखांकन दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाता है और मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा।

ग. ग. इकाई ने सेवानिवृत्त/यूनिट से अलग हुए कर्मचारियों के मामले में 2,26,07,112/- रुपये की सीमा तक ग्रेच्युटी के निपटान/भुगतान में चूक की है। इसके अलावा इकाई ने ग्रेच्युटी का भुगतान न करने/निपटान न करने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं किया है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, जुर्माने की राशि इकाई द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि यह आकस्मिक प्रकृति की है।

डी. इकाई ने अतिदेय ऋण एवं अग्रिम को अपनी गैर चालू परिसंपत्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया है, जिन्हें या तो बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए या संबंधित प्रावधान खातों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। यह अनावश्यक रूप से इकाई की चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों को बढ़ाता है जो वास्तव में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति है।

विवरण अनुसूची-1 में दर्शाया गया है।

ई. 'व्यापार देय' शीर्ष के अंतर्गत, बकाया राशियों में से कुछ राशि बहुत पुरानी अवधि से संबंधित है, जहां पार्टी ने अपने पैसे का दावा नहीं किया है।मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया देनदारियों को राजस्व में वापस लिखा जाना चाहिए। उदाहरण अनुसूची-2 में दर्शाए गए हैं।

(च) 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत, पक्षों से सुरक्षा जमा राशि बहुत पहले ले ली गई है तथा लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। उदाहरण अनुसूची-3,4 में दर्शाए गए हैं।

छ. देनदारों, लेनदारों और अग्रिमों से पुष्टि के अभाव में, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ज. इकाई अपने वैधानिक बकाये के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान कर रही है। पिछले वर्षों में भी यही स्थिति थी। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ब्याज का विवरण अनुसूची-5 में दिया गया है। हमें बताया गया है कि यूनिट लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

आई) इकाई ने उन आपूर्तियों और सेवाओं के लिए जीएसटी इनपुट को रिवर्स नहीं किया है, जिनका भुगतान 31.03.2024 तक 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है। इसमें शामिल राशि 462361 रुपये है। बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाए गए आईटीसी बैलेंस को जीएसटी के वार्षिक रिटर्न से सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि रिटर्न दाखिल करने का समय 31.12.2024 तक है, इसलिए 31.3.2024 को बैलेंस शीट में दिखाए गए प्रविष्टियों के अनुसार स्वीकार किया गया।

(ज) यह देखा गया है कि देनदारों और लेनदारों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कई खाते खाता-बही में हैं, जिनमें लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इन खातों की जांच की जानी चाहिए और उचित निपटान किया जाना चाहिए।

यह देखा जा रहा है कि एक ही पार्टी के अलग-अलग खाते बिक्री, खरीद आदि विभिन्न खंडों में बनाए जाते हैं।एक ही इकाई के भीतर कुछ खातों में पार्टी का डेबिट बैलेंस है और कुछ में क्रेडिट है, जिसके कारण खातों का दोहराव होता है और खातों का निपटान करने में कठिनाई होती है।

एल) लाभांश की घोषणा या भुगतान प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है, अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधान अजमेर इकाई पर लागू नहीं होते।

एम) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने की सुविधा कंपनी के लिए 1 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एन) अजमेर इकाई ने भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया है (जो कि वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।

ओ) इकाई का डाटा कम्प्यूटरीकृत रूप में संधारित किया जाता है, अतः परिसर के बाहर ऐसे डाटा का बैकअप रखना आवश्यक है, ताकि किसी आपदा की स्थिति में डाटा को सुरक्षित रूप से पुनः स्थापित किया जा सके, किन्तु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, जिससे डाटा सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो, जिसके परिणाम इकाई के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

3. एमटीपी, पिंजौर: शून्य

4. एमटीएच, हैदराबाद:

5. एमटीके कलमस्सेरी: शून्य

6. पीटीएच – प्रागा टूल्स हैदराबाद

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. नोट संख्या 1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 2,66,97,241/- रुपये, प्रभाग ने आईएनडी एएस36 के तहत "क्षति हानि" का निर्धारण नहीं किया है।

ख. ख. नोट संख्या 2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - 60,58,847/- रुपए, ऐसी जमाराशियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा यह शेष राशि की पुष्टि के अधीन है।

ग. नोट संख्या 4 व्यापार प्राप्य 5,57,30,991/- रुपये शेष पुष्टि के अधीन हैं, इसमें 4,63,19,311/- रुपये की राशि शामिल है जो "3" वित्तीय वर्षों से अधिक है और डिवीजन ने 96,29,773/- रुपये को संदिग्ध माना था।

घ. नोट संख्या 9 चालू देयताओं में विविध लेनदार शामिल हैं/ व्यापार देयताएं अलग-अलग एवं संकलित नहीं हैं, इसके अलावा वे समाधान और पुष्टि के अधीन हैं।

ङ. ई.नोटसंख्या10:-अन्यवित्तीयदेनदारियां-82,56,77,737/- रुपये), भारत सरकार के संबंध में अर्जित ब्याज और बकाया भारत सरकार ऋण देय, (जिसमें अर्जित ब्याज और देय

49,37,27,948/- रुपये शामिल हैं), कंपनी के वित्तीय विवरणों को चालू चिंता के आधार पर तैयार करने के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने 2022-2023 के दौरान घाटा उठाया था और वर्ष 2023-2024 के लिए घाटा उठाना जारी रखा, मुख्य रूप से कम मात्रा, वित्त लागत और नियत तारीखों के भीतर पीएफ भुगतान और अन्य वैधानिक भुगतानों का अनुपालन न करने के कारण अन्य आकस्मिक नुकसान हुआ। इसके अलावा कंपनी के प्रबंधन को अपने टर्नओवर में वृद्धि का भरोसा है और साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों के लिए तरलता की स्थिति के बारे में एक विस्तृत आकलन तैयार किया गया है, इसके अलावा उसे पुराने बकाये (लंबे समय से बकाया प्राप्य) की वसूली का भी भरोसा है। इसके अलावा, भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, कंपनी को इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि वसूल होने की उम्मीद है।उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण इस आधार पर तैयार किए गए हैं कि कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहेगी और इसलिए वहन मूल्यों (संपत्तियों की खाता हानि पर समायोजन सहित) या परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है। प्रबंधन के उत्तर के अनुसार कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और व्यवसाय पर इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

च) नोट संख्या 10:-अन्य वित्तीय देयताओं के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया जाता है - रु. 82,56,77,737/-), भारत सरकार के ऋण अतिदेय हैं, इसलिए उन्हें चालू देयताओं के रूप में मान्यता दी गई है।

छ) छ. नोट संख्या 11 अन्य चालू देयताएं 53,01,15,622 रुपये जिसमें 51,83,58,287 रुपये की राशि शामिल है, अन्य देयताओं के रूप में दिखाई गई है, जिसमें पीएफ ट्रस्ट को देय 33,50,99,521 रुपये, ग्रेच्युटी ट्रस्ट सेटलमेंट के लिए 14,77,10,666 रुपये शामिल हैं जो लंबे समय से बकाया हैं और विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज के लिए आगे कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ज) नोट संख्या 11 अन्य चालू देयताएं 53,01,15,622/- रुपये जिसमें 51,83,58,287/- रुपये की राशि शामिल है, अन्य देयताओं के रूप में दर्शाई गई है - जिसमें ग्राहकों से 1,07,86,763/- रुपये की अग्रिम राशि शामिल है, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

झ) नोट संख्या 19 वित्त लागत 6,25,83,187/- रुपये जिसमें भारत सरकार को देय ब्याज के रूप में 6,01,59,692/- रुपये का प्रावधान शामिल है, जिसे वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान तामील नहीं किया गया है।

ञ) नोट संख्या 20 अन्य व्ययों में पीएफ ट्रस्ट के प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण पीएफ ट्रस्ट को हुई 2,49,34,644 रुपये की हानि शामिल है।

ट) प्रभाग ने जीएसटी पोर्टल में शेष राशि का जीएसटी रिटर्न के साथ मिलान नहीं किया है, भुगतान में देरी के लिए ब्याज देयता, विलंब शुल्क और जुर्माने का प्रावधान नहीं किया है।

ठ) प्रभाग दिन-प्रतिदिन के आधार पर खाते की पुस्तकों का रखरखाव नहीं कर रहा है, जैसा कि सस्पेंस हेड पर पोस्ट किए गए लेनदेन के हमारे सत्यापन और बाद में उचित प्राधिकरण के बिना उन्हें संशोधित करने से स्पष्ट है।

ड) हमने जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत जीएसटी रिटर्न भरने में देरी/नहीं भरने, आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस रिटर्न, व्यवसाय कर अधिनियम 1987 के तहत देरी/गैर-भरने की पहचान की है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और जुर्माना का भुगतान करना पड़ा है।

7. एमटी मार्केटिंग, बेंगलूरु -

8. एमटीडी निदेशालय बेंगलूरु –

एचएमटी लिमिटेड ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दिए गए ऋणों पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,544.11

लाख रुपये का ब्याज माफ कर दिया है। कंपनी ने अन्य आय के समान ही हिसाब लगाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

गोइंग कंसर्न: हम आपका ध्यान कम्पनी की सभी डिवीजनों द्वारा वहन की गई हानियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की निवल सम्पति क्षीण हुई अर्थात प्रत्येक वर्ष पूंजी निवेश के प्रति निरंतर हानियां रिपोर्ट की गई है। हमने यह प्रेक्षण किया है कि कम्पनी मंत्रालय को पूंजी निवेश तथा अतिदेय सांविधिक देयताओं के लिए कार्यशील पूंजी हेतु विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं जो 'भारत सरकार के पास लंबित हैं। इसके अलावा, सभी यूनिटों के पास आर्डर्स उपलब्ध हैं, इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण ङ्गगोइंग कंसर्नफ आधार पर किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व:

कंपनी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति के वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और संशोधित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। जो निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व:

हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ ले- खापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत

हमने लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-:

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जाल- साजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा- परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना । अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां से अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं

हम शासन व्यवस्था के साथ आरोपित लोगों को एक बयान के साथ प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार किया जा सकता है।.

अन्य मामले:

हमने कम्पनी की छह यूनिटों नामतः एमबीएक्स, बेंगलूरू, एमटीपी - पिंजौर, एमटीके कलामस्सेरी, एमटीएच हैदराबाद, एमटीए - अजमेर, पीटीएच हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है; जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पतियों की राशि 33,560.16 लाख

रुपये (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए 36,680.67 रुपये में से) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में राजस्व 17,065.16 लाख रुपये (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के लिए 17,503.86 रुपये में से) रुपए दर्शाया गया है तथा जिसे वित्तीय विवरणों में विचार में लिया गया है तथा एमटीडी, निदेशालय ने जिसकी लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टों की प्रस्तुति प्रबंधन ने हमारे सम्मुख की हैं तथा इन स्टैंडएलोन के संबंध में हमारा मत, जहां तक इन यूनिटों की राशियों एवं प्रकटीकरणों तथा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) एवं (11) की सम्बद्धता है, यह उपर्युक्त यूनिटों से संबंधित हैं तथा ये पूर्णत: अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

1) एमबीएक्स बेंगलूरु शून्य

2) एमटीए अजमेर:

क) राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण परिवर्तन शुल्क का प्रावधान यदि मशीन टूल इकाई अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के रूपांतरण के लिए कोई भुगतान देय है, तो खातों में नहीं किया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन है और लीज डीड का निष्पादन लंबित है।

ख) स्टॉक का भौतिक सत्यापन अधिक दक्षता, सटीकता और उचित अंतराल पर उचित पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए।

3. **एमटीपी पिंजौर**

क) सूची का संतुलन, व्यापार देय, प्राप्य, मार्जिन मनी जमा और अग्रिम पुष्टि और समाधान के अधीन हैं, वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव अनिश्चित है

ख) मशीन टूल्स निदेशालय की सलाह के अनुसार इकाई के खातों में कुछ प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं:

i) भारत सरकार ऋण पर ब्याज

ii) ग्रेच्युटी

iii) अवकाश नकदीकरण एवं निपटान भत्ता हम इनकी सत्यता को समझते हैं प्रधान कार्यालय में समग्र रूप से कंपनी के वैधानिक ऑडिट के दौरान प्रावधानों का ऑडिट और जाँच की जानी है।

4. **एमटीएच हैदराबाद:**

क) पहले के वर्षों से संबंधित कुछ मामले, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर पूरक ऑडिट रिपोर्ट में योग्यता का मामला थे, 31 मार्च, 2024 तक अनसुलझे बने हुए हैं और कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। जगह हो गई है जो नीचे बताई गई है:

i) प्रभाग ने कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत सूची के लिए 1,16,57,635/- रुपए का प्रावधान किया है। यह प्रावधान दो दशक से अधिक समय से लेखा पुस्तकों में पड़ा हुआ है। वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन पर विचार करते हुए प्रावधान की समीक्षा करने और आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए प्रभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में संकल्प संदर्भ: जीटीएम (एमटीएच एंड पीटीएच) / 2024-25 के तहत एक समिति का गठन किया है, जिसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ii) प्रभाग ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष तक गैर-चलती कच्चे माल, भंडार और पुर्जों और औजारों के लिए 1.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है (वास्तव में 2.46 करोड़ रुपये बनाए गए जबकि 1.05 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी)। यह गैर-चलती इन्वेंटरी के लिए कंपनी की लेखा नीति के भी विरोधाभास में है।

iii) प्रभाग ने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड से पट्टे के आधार पर लिए गए परिसर के लिए मेसर्स जोसेफ श्री हर्षा (जेएसएच) से प्राप्त होने वाले किराए से संबंधित 56,45,975 रुपये का प्रावधान नहीं किया है। चूंकि

प्राप्त होने वाला किराया 2014 की अवधि से संबंधित है और वसूली संदिग्ध है। डिवीजन ने 'व्यय' शीर्षक के तहत देयता बनाने के बजाय आकस्मिक देयता के तहत 25.21 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा किया है क्योंकि यह राशि फैक्ट्री और टाउनशिप पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को देय संपत्ति कर से संबंधित है और यह एक स्पष्ट देयता है। चूंकि प्राप्य किराया 2014 की अवधि से संबंधित है और वसूली संदिग्ध है। डिवीजन ने 'व्यय' मद के तहत देनदारी बनाने के बजाय आकस्मिक देनदारी के तहत 25.21 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा किया है क्योंकि यह राशि ग्रेटर हैदराबाद को देय संपत्ति कर से संबंधित है। फैक्ट्री और टाउनशिप पर नगर निगम (जीएचएमसी) और यह एक स्पष्ट देनदारी है। हालांकि, प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23,71,25,882 रुपये की आकस्मिक देयता का खुलासा किया था।

iv) प्रभाग ने 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत देयता बनाने के बजाय आकस्मिक देयता के अंतर्गत 23.71 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा किया है, क्योंकि यह राशि फैक्ट्री और टाउनशिप पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को देय संपत्ति कर से संबंधित है और यह एक स्पष्ट देयता है।

हालाँकि, प्रभाग ने आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत चालू वर्ष के 8.26 करोड़ रुपये के बकाये का भी खुलासा नहीं किया है। 32.63 करोड़ रुपये की कुल देयता (पिछले वर्षों तक सहित) को प्रभाग के लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 32.63 करोड़ रुपये की हानि का कम आकलन हुआ है।

v) डिवीजन ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए उठाए गए पानी और सीवरेज शुल्क बिल से संबंधित "व्यय" शीर्ष के तहत 12.31 करोड़ रुपये की स्पष्ट देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है, इसके बजाय आकस्मिक देयता के तहत 1,24,59,308/- करोड़ रुपये दिखाए हैं।

vi) लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग ने 'व्यय' मद के तहत देनदारी बनाने के बजाय आकस्मिक देनदारी के तहत 1,16,13,948/- करोड़ रुपये की राशि का खुलासा किया है क्योंकि यह राशि बिजली की निकासी के लिए टीएसएसपीडीसीएल को देय न्यूनतम शुल्क और अधिभार से संबंधित है। यह स्पष्ट दायित्व है।

ख. दैनिक आधार पर लेखा पुस्तकों का रखरखाव पूर्णतः नहीं किया जा रहा है, जैसा कि लेन-देन के समापन पर लेखा प्रविष्टियों को मध्यस्थ/उचंत लेखा शीर्षों में पोस्ट किए जाने तथा बाद में ऐसी प्रविष्टियों को हटाने तथा प्रविष्टियों को सही लेखा शीर्षों में पुनः पोस्ट किए जाने से स्पष्ट होता है।

ग. आयकर अधिनियम, 1961 (संशोधित), तेलंगाना व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर अधिनियम, 1987 (संशोधित) और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (संशोधित) तथा तिमाही/मासिक रिटर्न भरने और उस पर देय करों के भुगतान के संबंध में विविध कानूनों के समय पर अनुपालन में पर्याप्त देरी/फाइल न भरने की बात सामने आई है, जिसमें कर्मचारी लाभ ट्रस्ट में योगदान में देरी भी शामिल है, जिसके कारण प्रभाग को संबंधित अधिनियमों के तहत विभिन्न दंडों और विलंब शुल्क और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है।

घ. चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता: हम अपनी रिपोर्ट में "चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता" पैराग्राफ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। हम इस संबंध में कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त

नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि वित्तीय विवरणों में भौतिक ग़लतबयानी के संबंध में पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्हें हम व्यापक मानते हैं।

2) एमटीके कलमस्सेरी : शून्य

3) पीटीएच हैदराबाद : शून्य

4) एमटीएम बैंगलोर : शून्य

5) एमटीडी बैंगलोर :(सभी इकाइयों सहित)

i) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय शेष, जमा और पुराने शेष और अग्रिम का गैर-समाधान और गैर-पुष्टि।

ii) वैधानिक रिटर्न दाखिल करने में बहुत अधिक देरी/नहीं करने तथा वैधानिक बकाया राशि का भुगतान करने में देरी/नहीं करने से कंपनी को विभिन्न कानूनों जैसे आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, व्यवसाय कर अधिनियम, पीएफ/ईएसआई/ग्रेच्युटी अधिनियम (अधिनियमों के तहत स्थापित निधियों को भुगतान) के तहत विभिन्न विलंब शुल्क, दंड तथा अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संपत्ति कर भी शामिल है, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है तथा कुछ मामलों में लेखा पुस्तकों में इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

iii) आयकर, टीडीएस, जीएसटी, पीएफ आदि जैसे वैधानिक निकायों से प्राप्त चूक/गैर-भुगतान नोटिस/दावों का जवाब देने और उनका लेखा-जोखा रखने में रिकॉर्डिंग और सुधारात्मक कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाइयों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का अभाव है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

क. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानकों - 2 इन्वेंटरी, भारतीय लेखा मानक - 40 निवेश संपत्ति और भारतीय लेखा मानक 36 परिसंपत्तियों की हानि को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्तता और ऐसे व्यक्तियों के नियंत्रण दस्तावेज़ के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ए" में हमारी रिपोर्ट अलग से देखें।

क. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के लंबित मुकदमे वित्तीय विवरण की आकस्मिक देनदारियों में प्रकट किए गए हैं।

ii वर्ष के दौरान कोई भी संभावित हानि का आकलन नहीं किया गया है, इसलिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में राशि के हस्तांतरण से संबंधित मामले को मुख्यालय स्तर पर निपटाया जाता है।

iv प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) में विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") को कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमि या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

v प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण पक्ष") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में भूमि या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; और

vi. ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें ऑडिटर ने परिस्थितियों में उचित और उचित माना है, उनके ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें विश्वास हो कि उप-खंड (iv) और (v) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है।

vii. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया।

viii. इस रिपोर्ट द्वारा कवर की गई इकाइयों सहित कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न लेखांकन सॉफ्टवेयर के सत्यापन के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऑडिट ट्रायल सुविधा सक्षम नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 004605S
जे. उल्लास पार्टनर
सदस्यता संख्या: 016397
UDIN:24016397BKFEFN8867
दिनांक: 20.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ए

(एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सदस्यों को आज की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलूरु के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन पर्याप्तता वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)

के द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदयित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश टिप्पणी में हमसेनैतिक अपे-

क्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण क्यापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है। तया क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप में प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी या त्रुटि के कारण के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है,

1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं;

3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर पता लगाने के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को सामग्रीगत रुप से प्रभावित कर सकते हों। -

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्याकथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अस्वीकरण राय – एचएमटी – हैदराबाद

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे ऑडिट के आधार पर हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित राय के अस्वीकरण के आधार और अन्य मामले के पैराग्राफ के अनुसार डिवीजन में भौतिक कमज़ोरी है।

अर्हक मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी की एक डिवीजन 1) एचएमटी हैदराबाद और 2) प्रागा टूल्स हैदराबाद में - निम्नलिखित सामग्रीगत कमजोरियां देखने में आई हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन करके 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किए जाने से संबंधित हैं।

ए. पीटीएच, प्रागा टूल्स हैदराबाद के संबंध में

i) कंपनी के पास इन्वेंट्री को समेटने के लिए पर्याप्त उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय पुस्तकों को अनुचित तरीके से अपडेट किया गया, इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त की गई।

ii) "3" वर्षों से अधिक समय से नकद घाटा उठाना, भारत सरकार के ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होना

iii) इससे देनदारों, लेनदारों और अन्य पक्षों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में संभावित रूप से भौतिक कमज़ोरी हो सकती है।

iv) टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी। मासिक रिटर्न/तिमाही रिटर्न दाखिल करने के संबंध में जीएसटी रिटर्न के परिणामस्वरूप विभिन्न दंड लगाए गए हैं।

ख) सम्पूर्ण कंपनी के संबंध में:

i. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय शेषों, एवं पुराने शेष तथा का मिलान तथा पुष्टि नहीं की गई है।

ii. वैधानिक रिटर्न दाखिल करने में काफी देरी/गैर दाखिल करने और वैधानिक बकाया राशि का भुगतान न करने/देरी करने से कंपनी को विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न विलंब शुल्क, जुर्माने और अन्य परिणामों का सामना करना पड़ता है। आईटी अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, व्यवसाय कर अधिनियम, पीएफ/ईएसआई/ग्रेच्युटी अधिनियम (अधिनियमों के तहत स्थापित निधियों का भुगतान), जिसमें संपत्ति कर भी शामिल है जो सुनिश्चित नहीं हैं और कुछ मामलों में खाते की किताबों में प्रदान किए जाते हैं।

iii. वैधानिक निकायों जैसे आयकर, टीडीएस, जीएसटी, पीएफ, आदि से प्राप्त डिफ़ॉल्ट / गैर-भुगतान नोटिस/दावों का जवाब देने और लेखांकन में रिकॉर्डिंग और सुधारात्मक कानूनी / प्रशासनिक कार्रवाइयों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का अभाव।

iv. इकाइयों और निदेशालय में लेखा विभाग के समुचित स्टाफ के साथ कम्प्यूटरीकरण, लेखांकन और सूची प्रणाली पर प्रभावी केंद्रीकृत प्रबंधन नियंत्रण की आवश्यकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सामग्री अपर्याप्तता एक न्यूनता अथवा न्यूनताओं का मिश्रण है जिससे संस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरणों में किसी सामग्रीगत मिथ्याकथन की औचित्यपरक संभावना रहती है जो पता नहीं लगाए जा सकते हैं अथवा जिनका समय पर ज्ञान नहीं हो पाता है।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंडों के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित ऊपर वर्णित सामग्रीगत अपर्याप्तता के अलावा, कम्पनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार यह प्रभावी रूप से कार्यशील थी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण हुआ है।

हमने संज्ञान में ली गई तथा ऊपर सूचित सामग्रीगत अपर्याप्तता की प्रकृति, समय एवं विस्तार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान के लेखापरीक्षा परीक्षण करके विचार किया है तथा इस सामग्रीगत अपर्याप्तता से कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारा मत प्रभावित हुआ है तथा हमने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में अर्हक मत जारी किया है।

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 004605S
जे. उल्लास ने भागीदारी की
सदस्यता संख्या : 016397
यूडीआईएन: 24016397BKFEFN8867
दिनांक : 20.09.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - ख

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट में अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी द्वारा उचित समझी गई जांच, लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं के दौरान हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी की यूनिटों के अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि :

1) (क) कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें स्थिर सम्पतियों का परिमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है। ख) कम्पनी ने अमूर्त परिसम्पतियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण किया है।

ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन के पास संपति संयंत्र एवं उपकरणों का तीन वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन किए जाने की नीति हैं तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान सभी इकाइयों में इसका उपयोग किया गया था तथा सत्यापन के दौरान, पूर्व रिपोटों में रिपोर्ट किए गए निम्नलिखित पुराने मामलों के अलावा, किसी प्रकार की समग्रिगता अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

एमबीएक्स, बेंगलूरू

i) हमें दी गई सूचना के अनुसार, बंगलौर परिसर में इकाई के पास कुल 330.28 एकड़ भूमि हैं, जो वर्षों से आंशिक रूप से उपहार में प्राप्त और आंशिक रूप से अधिग्रहित की गई थी। उक्त भूमि का उपयोग कारखाने के भवनों, कार्यालयों, आवासीय क्वार्टरों, अस्पताल, सिनेमा, स्टेडियम, व्यावसायिक परिसर, आंतरिक सड़कों आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा, खुली जगहों का विशाल क्षेत्र मौजूद है। भूमि के हक विलेख, भौतिक सत्यापन, भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन प्रदान नहीं किया गया है, हम स्वामित्व, भूमि उपयोग के क्षेत्र की सटीकता और अतिक्रमण, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ii) हमें दी गई सूचना के अनुसार, सड़कों के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग 4.25 एकड़ भूमि का एक हिस्सा बृहत बैंगलोर महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। 31 मार्च 2224तक, बीबीएमपी ने रुपये की तदर्थ मुआवजा जमा राशि का भुगतान कर दिया है। 18.50 करोड़ की संयुक्त पैमाइश और सही डायमेंशन रिपोर्ट जारी करने का मामला लंबित है, यह नोट-18 के तहत बहियों में प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाया जा रहा है। चूंकि भूमि कानूनी प्रक्रिया के बाद बीबीएमपी को हस्तांतरित नहीं की गई है, इसलिए 4.25 एकड़ की उक्त भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में दिखाया जाना जारी है, भले ही बीबीएमपी ने भूमि का भौतिक कब्जा ले लिया हो

ग) वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की गई अचल सम्पति के हक विलेख कम्पनी के नाम से धारित हैं। इसके अलावा एमटीए-अजमेर (हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और लीज डीड की परीक्षा के आधार पर (आंध्र प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार के साथ और मेसर्स एचएमटी लिमिटेड के डिमर्जर पर डिवीजन में स्थानांतरित किया गया) हमें प्रदान किया गया, लीज डीड के उत्परिवर्तन को डिवीजन के नाम पर सूचित और पंजीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा, हमें फ्रीहोल्ड इमारतों के संबंध में अनुमोदन दस्तावेजों के साथ प्रदान नहीं किया गया है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार डिवीजन के नाम पर उचित रूप से रखे गए हैं)

एमटीएच-हैदराबाद (हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और लीज डीड की जांच

के आधार पर (तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के साथ और मेसर्स एचएमटी लिमिटेड के विलय पर डिवीजन को हस्तांतरित) प्रदान किया गया हमें, लीज डीड का उत्परिवर्तन सूचित नहीं किया गया है और प्रभाग के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है। इसके अल-ावा, हमें यह स्थापित करने के लिए फ्रीहोल्ड इमारतों के संबंध में अनुमोदन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि वे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार डिवीजन के नाम पर उचित रूप से रखे गए हैं)

एमटीके-कालामासेरी (हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और इकाई के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (अचल संपत्तियों के अलावा जहां डिवीजन पट्टेदार है और पट्टा समझौते विधिवत रूप से निष्पादित किए जाते हैं) पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित) वित्तीय विवरणों में खुलासा इकाई के नाम पर किया जाता है, नीचे दिए गए प्रारूप में उसके विवरण को छोड़कर और जैसा कि मामलों के जोर बिंदु संख्या (i) में बताया गया है।

संपत्ति का

विवरण	सकल वहन मूल्य	नाम पर रखा गया	प्रमोटर हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हों	आयोजित अवधि- इंगित करें जहाँ उचित हो	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में भूमि	6,67,901.00	एचएमटी लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	प्रारंभ से ही	मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में मामलों के महत्व में बिंदु संख्या (i) देखें।
निवेश संपत्ति में भूमि	7,35,696.00	एचएमटी लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी	प्रारंभ से ही	

घ) कम्पनी ने वर्ष के दौरान संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यन नहीं किया है। इस प्रकार पुनर्मुल्यन से संबंधित रिपोर्टिंग का प्रश्न नहीं उठता है।

ङ) कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी बेनामी संपति के धारण से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। इस प्रकार, यह रिपोर्टिंग करने का प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई थीः प्रश्न नहीं है कि क्या

2) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एमबीएक्स, पीटीएच हैदराबाद और एमटीएच हैदराबाद को छोड़कर, वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर इकाइयों में सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। इन्वेंटरी के सत्यापन को उचित रूप से प्रलेखित करने और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के लिए बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से चालू परिसम्पतियों की प्रतिभूति के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी कार्यशील पूंजी की कुल स्वीकृत सीमा पांच करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है।

3) कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किए हैं, किसी प्रकार गारंटी अथवा कोई प्रतिभूति अथवा कोई ऋण अथवा ऋणों के स्वरूप में अग्रिम, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, किसी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को प्रदान नहीं किए हैं। इस प्रकार उप खंड (क) से (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रश्न नहीं है।

4) कम्पनी के कोई ऋण, निवेश निवेश, गारंटियां अथवा प्रतिभूति नहीं है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के अंतर्गत अनुपालन का कोई प्रश्न नहीं है।

5) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं। इस प्रकार खंड (v) के आदेश लागू नहीं हैं।

6) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कम्पनी के लिए इकाई के कुछ उत्पादों के संबंध में लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित किया गया है। हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार इकाई द्वारा अनुरक्षित सामग्री, श्रम एवं अन्य मदों से संबंधित लेखा बहियों की विस्तृत समीक्षा की है तथा प्रथम दृश्या हमारा यह मत है कि निर्धारित लागत रिकार्ड तैयार किए गए हैं तथा उनका अनुरक्षण किया गया है।

7) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई बहियों एवं रिकार्डों की जांच के अनुसार इकाई वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप कर एवं अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित देयताओं का सम्बद्ध प्राधिकारों को नियत समय पर भुगतान नहीं कर रही है। वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देय तिथि से छह माह की अवधि से बकाया सांविधिक देयताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

एमबीएक्स बैंगलोर:

बकाया राशि की प्रकृति	कुल बकाया	31.03.2024 तक छह महीने से अधिक
भविष्य निधि	28,21,06,980	26,86,06,393
पेंशन अंशदान	2,26,60,142	2,14,61,575
और प्रशासन शुल्क		
ग्रेच्युटी	13,56,83,865	12,84,24,180
संपत्ति कर	6,36,17,471	6,11,17,471
कुल	**50,40,68,458**	**47,96,09,619**

एमटीए अजमेर:

लेखा बहियों की जांच के आधार पर, 31/03/2024 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की बकाया वैधानिक देयताएं 2,26,07,112/- रुपये हैं।

एमटीएच हैदराबाद:

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि (रु.)
जीएसटी अधिनियम2017	जीएसटी	2022-2024	1057684
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस डिफ़ॉल्ट	2015-2024	3807448
कर्मचारी भविष्य निधि	ईएसआई	2022-2024	395987
कर्मचारी भविष्य निधि	पेंशन और ईडीएलआई	2019-2024	7268226
कर्मचारी भविष्य निधि	ईपीएफ	2016-2024	201204863
प्रोफेशनल टैक्स	प्रोफेशनल टैक्स	2016-2024	1139700
एमटीके कालामस्सेरी:			

एमटीके कालामस्सेरी:

क्रम संख्या.	देय राशि की प्रकृति	राशि रु..
1	भविष्य निधि,	20958313
2	जीएसटी टीडीएस	8199365
3	वन विकास टैक्स	97761
4	आयकर टीडीएस	321372

पीटीएच, हैदराबाद:

क्रम संख्या.	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाखों रुपए में)
1	भविष्य निधि, ईएसआईसी और कर्मचारी लाभ	513.90
2	जीएसटी	35.55
3	ईएसआईसी	1.51
4	टीसीएस, टीडीएस	5.47
5	पेंशन	59.92

एमटीपी पिंजौर:

क्रम संख्या.	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाखों रुपए में)
1	भविष्य निधि, पेंशन, वीपीएफ, सीपीएफ और ब्याज सहित ऋण	2780.90
2	ग्रेच्युटी	1018.24

एमटीएमकेटिंग, बैंगलोर

क्रम संख्या.	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाखों रुपए में)
1	प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वीपीएफ, सीपीएफ और ऋण जिसमें पीएफ फंड पर ब्याज और नुकसान 7Q शामिल है	112.34
2	ब्याज सहित ग्रेच्युटी	324.91

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, निम्नलिखित वैधानिक बकाया हैं, जिन पर इकाई द्वारा विवाद किया गया है तथा जिन्हें उक्त वैधानिक प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है:

एमबीएक्स बैंगलोर:

क्र.सं	विनियमन	वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (ग्रेच्युटी/ ग्रेच्युटी ब्याज)	कुल राशि लाखों रुपये में	ब्याज लाखों रुपये में	कुल राशि लाखों रुपए में	टिप्पणियाँ/एफ ओ आर
विवादित							
1	भवष्यि नधिा अधनियिम	1	2082/2019	462.51		71.95	आयुक्त के कुर्की आदेश के अनुसार पीएफ कमीशन का दावा
		2	169/2019	344.19		664.98	
		3	170/2019	664.98		344.19	
		4	171/2019	425.55		425.55	
		5	348(67)/2017	625.33		388.49	
		6	376(95)/2017	829.44		829.44	
		उप योग				**2724.59**	

2	रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985		1	69		69.00	सिटी सिविल कोर्ट
	सिविल कोर्ट प्रक्रिया		1	70		70.00	सिटी सिविल कोर्ट
		उप योग				**139.00**	
3	संपत्ति कर/राजस्व					2253.59	उच्च न्यायालय कर्नाटक
		उप योग				**2253.59**	
4	सिविल कोर्ट प्रक्रिया	1				20.00	वाणिज्यिक सह
		उप योग				**20.00**	
5	सिविल कोर्ट प्रक्रिया	केस नं 53054/16 और WP.27796/14	36	13.57	0	13.57	उच्च न्यायालय कर्नाटक
		उप योग				**13.57**	
		कुल विवादित				**5150.75**	

एमटीएच हैदराबाद:

सांविधिक व्यस्था का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु.)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	टिप्पणी
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	32.31 लाख	2011-12	आयुक्त (अपील) हैदराबाद, तथापि मामले से संबंधित दस्तावेजों/ संचारों की वर्तमान स्थिति हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

एमटीके कालामस्सेरी:

सांविधिक व्यस्था का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु.)	अवधि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	2,13,54,611/-	A.Y 2008-09	केरल उच्च न्यायालय।

8) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनी लेखा बहियों में किसी ऐसे संव्यवहार का लेखांकन नहीं किया गया है जो वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत सरेंडर किए गए हों अथवा प्रकटीकरण किए गए हों।

9) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जांच के अनुसार इकाई ने बैंकों से प्राप्त ऋणों अथवा अन्य उधारों अथवा ब्याज के भुगतान के प्रति चूक की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

एमटीएल बैंगलोर

कंपनी ने भारत सरकार से ऋण लिया है और भारत सरकार को ऋण और उधार चुकाने में चूक की है। वर्ष के अंत तक चूक का विवरण निम्नलिखित है। (Rs in Lakhs)

विवरण	मूलधन	ब्याज	कुल
भारत सरकार से सावधि ऋण	34,852.80	53,145.05	87,997.85

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टकरणों के अनुसार यह कम्पनी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता नहीं घोषित की गई है।

ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार आवधिक ऋणों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों से किया गया है जिन उद्देश्यों से उन्हें प्राप्त किया गया था।

घ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार अल्पकालिक आधार पर प्राप्त किए ऋणों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों से नहीं किया गया है।

ङ) कम्पनी ने किसी इकाई अथवा व्यक्ति से अपनी सहायक कम्पनियों, सम्बद्ध कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के लिए अथवा उनके दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं।

च) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनी सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सम्बद्ध कम्पनियों की धारित प्रतिभूतियों को रहन रखकर किसी ऋण की उत्पति नहीं की गई है।

10) (क) कंपनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी धन की उत्पति नहीं की गई हैं। तदनुसार, निधियों की उपयोज्यता के खंड का कोई प्रश्न नहीं है।

ख) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान शेयरों अथवा कंवर्टिबल लाभांशों (पूर्ण, आंशिक अथवा वैकल्पिक रूप से कंवर्टिबल) के किसी वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किए गए हैं। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 42 तथा धारा 62 के अंतर्गत अनुपालन की रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

11) (क) हमें प्रदान की सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति जालसाजी की घटना प्रकाश में नहीं आई अथवा वर्ष के दौरान सूचित नहीं की गई है।

ख) वर्ष के दौरान किसी प्रकार की कोई जालसाजी प्रकाश में न आने अथवा रिपोर्ट न होने के कारण लेखापरीक्षकों से कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फार्म एबीटी-4 में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को रिपोर्टिंग का प्रश्न नहीं है।

ग) हमें प्रदान की सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार इकाई में वर्ष के दौरान किसी प्रकार व्हीसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12) यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है अंतः खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13) हमें प्रदान की सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा बहियों एवं रिकार्ड की जांच के अनुसार सम्बद्ध

पार्टियों के साथ सभी संव्यवहार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में, जहां लागू हैं, किए गए तथा इसके विवरण का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार किया गया है।

14) क) कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है जो इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

ख) विचाराधीन लेखापरीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को विचार में लिया गया है।

15) कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकद लेनदेन नहीं किया गया है।

16) क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-10 के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, उप खंड (ख) से (घ) लागू नहीं होते हैं।

17) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नानुसार हानियां वहन की गई हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नकद हानियां (राशि लाख में)	14,919.91	12,540.21

18) वर्ष के दौरान कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

19) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की लेखापरीक्षा के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है कि इकाई तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में जब कभी वे देय हों, न कर सके। हम, तथापि, यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के तथ्यों पर आधारित है तथा हम ऐसी कोई गारंटी अथवा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में देय सभी देवताओं का निर्वाह, जब कभी वे देय हो, कम्पनी द्वारा कर लिया जाएगा।

20) यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) कम्पनी के दायरे में नहीं आती है। तदनुसार इस खंड अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

21) हमने अर्हक मत के आधार के अलाव गैर-संशोधित मत की अभिव्यक्ति की है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अतः यह खंड लागू नहीं है।

कृते आर वेंकट कृष्णा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
पंजीकरण संख्या: 004605s
जे. उल्लान
हाल
सदस्यता संख्या: 016397
यूडीआईएन: 24016397BKFEFN8867
दिनांक : 020.09.2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

1. क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी ग लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करे।

   हमे प्रदान की सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, टैल्ली तथा अन्य साफ्टवेयरों के माध्यम से किए जाते हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग किए जाने वाले संव्यवहारों का भी एकीकरण किया गया है जिसमें किसी प्रकार का वित्तीय निहितार्थ नहीं है। हालांकि एमटीके कलामास्सेरी इकाई को पुराने ओरेकल सिस्टम को बदलने की जरूरत है जिसका उपयोग किया जा रहा है। एमटी हैदराबाद में सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली का अभाव है। प्रबंधन सभी लेनदेन को संसाधित करने के लिए लेखांकन प्रणाली और आवश्यक कर्मचारियों के मुद्दे का समाधान करेगा।

2. क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/व्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का यथोचित लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्दे श ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)

   हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है. हालांकि कंपनी लगातार ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक कर रही है और वित्तीय वर्ष 2023-24के दौरान होल्डिंग कंपनी मैसर्स एचएमटी लिमिटेड को देय व्याज के विरुद्ध 1544.11 लाख रुपये की एक बार की छूट को छोड़कर, भारत सरकार और एबएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से पुराने बकाया ऋण लेना।

3. क्या केन्द्र / राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) का उचित लेखांकन / उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूत्री प्रस्तुत करें।

   हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, कंपनी को 190 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है (वित्त वर्ष 2023-24के दौरान कोई भी प्राप्त नहीं हुआ) जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

   क. भारी उद्योग विभाग से 152 लाख रुपए (मार्च, 2021 में प्राप्त)

   ख. एचएमटी एमटीएल लिमिटेड से प्राप्त 15.2 लाख रुपए का अंशदान

   ग. एचएमटी लिमिटेड से प्राप्त 22.8 लाख रुपए का अंशदान भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के अंतर्गत वेब आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार

मंच सर्व के विकास के लिए जिसमें से 31 मार्च 2023 तक 47.07 लाख रुपए का उपयोग किया जा चुका है और वित्त वर्ष 2024-23 के दौरान 55.01 लाख रुपये का उपयोग किया गया है और एस्क्रो खाते में 92.93 रुपये (व्याज सहित) शेष राशि एस्क्रो खाते में है। सरकारी अनुदान के लिए भारतीय लेखा मानक इंड एएम 20 के अनुसार अनुदान का उचित लेखांकन किया गया है।

कृते आर वेंकट कृष्णा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
पंजीकरण संख्या: 004605s

जे. उल्लान
हाल
सदस्यता संख्या: 016397
यूडीआईएनः 24016397BKFEFN8867
दिनांक : 020.09.2024

वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध प्रबंधक का उत्तर

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
1) एमबीएक्स, बेंगलूरुः	
अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित निम्नलिखित मानकों पर संशोधित, इंड एएस का गैर-अनुपालनः - क) भारतीय लेखा मानक 2-हमें प्रदान किए गए विवरण और जानकारी के अनुसार, कच्चे माल, प्रगतिरत-कार्य और व्यापार में स्टॉक (तैयार माल) का मूल्य विशेष कार्य आदेश के लिए जारी किए गए जॉब कार्ड के आधार पर लिया जाता है और स्टॉक लेना भारित औसत के आधार पर होता है। हालाँकि, मूल्यांकन रिपोर्ट और सूची के विस्तृत कामकाज की अनुपलब्धता के कारण, हम भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन और इसके कारण वित्तीय पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ ही नियमित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।	इकाई वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान भारतीय लेखा मानक 2 के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज शाखा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगी। इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित अंतराल पर किया जाए।
ख) मार्च 2014 तक उचित प्राधिकारियों को भविष्य निधि बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज/जुर्माना/क्षतिपूर्ति के लिए इन खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक ग्रेच्युटी बकाया का भुगतान न करने/निपटान न करने पर जुर्माना/क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम वित्तीय विवरणों पर इस गैर-प्रावधान के प्रभाव पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। पृष्ठ 2 का 13	जहां भी प्राधिकारियों द्वारा मांग उठाई गई है, इकाई ने देयताओं के लिए प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ग. हमें दी गई जानकारी और जीएसटी कॉमन पोर्टल के अनुसार, इकाई ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक सभी महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर दिया है। लेकिन, ये राशियाँ उक्त अवधि के लिए जीएसटी समाधान के अधीन हैं।	इकाई ने नियमों का विधिवत पालन करते हुए जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किया है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो जीएसटी ऑडिट के दौरान उसे दूर किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
घ. इकाई ने निम्नलिखित वैधानिक देनदारियों के मामले में रिटर्न दाखिल नहीं किया है:- I. अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए टीडीएस/टीसीएस दाखिल नहीं किया गया।	घ). नोट कर लिया गया है और इकाई को 2024-25 के दौरान रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाएगी

डी -1 व्यापार देय, व्यापार प्राप्य, प्राप्त अग्रिम, भुगतान किए गए अग्रिम, जमा (सुरक्षा जमा सहित) के संबंध में पार्टियों से पुष्टि के अभाव में, पार्टी शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया अधूरी है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ खातों में पांच वर्ष से अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तथा शेष राशि को आगे ले जाया गया है। पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त न होने के कारण, हम बताए गए शेष राशि की सत्यता तथा वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव के बारे में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों वाले अनुभाग में दिया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।	डी-1. व्यापार देय और अन्य देनदारियों के तहत शेष राशि की पुष्टि की मांग की जाती है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है। प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, परिणामी समायोजन किए जाते हैं।
ई. (सीएंडएजी टिप्पणी) अन्य आय - 780.99 लाख रुपये - स्टाफ/अन्य से वसूली प्राप्त किराया - अन्य 528.24 लाख रुपये इसमें 254.24 लाख रुपये शामिल हैं, जिसे 31 मार्च 2024 तक देनदारियों के तहत लेखांकन के बजाय गलती से वर्ष 2023-24 के लिए अन्य आय के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था।	एकमुश्त गैर-वापसीयोग्य सम्मान शुल्क के रूप में 3 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसलिए इकाई ने इसे वर्ष के लिए अन्य आय के रूप में ही माना है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
एचएमटी एमटी लिमिटेड को जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान ARTPARK (रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम इनोवेशन फाउंडेशन के लिए आई-हब) से रोबोटिक और ऑटोनॉमस सिस्टम (आरएएस) के लिए गैर-वापसीयोग्य सुविधा शुल्क के रूप में 300 लाख रुपये (जीएसटी और आयकर टीडीएस को छोड़कर) प्राप्त हुए।) 4 साल और 11 महीने की अवधि के लिए (समझौते की तारीख से) 4 तारीख को निष्पादित सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में जुलाई 2023 में एचएमटीएमटी लिमिटेड और एआरटीपार्क के बीच एमबीएक्स इकाई में स्थित एचएमटी लिमिटेड के परिसर (5 एकड़ भूमि) को पट्टे पर देने (ऑपरेटिंग लीज) के लिए समझौता हुआ। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए 254.24 लाख रुपये की आय को अधिक तथा हानि को कम दर्शाया गया है।	
एफ).(सीएजी टिप्पणी) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण - परिचालन से राजस्व 1,668.02 लाख रुपये। इसमें 334.89 लाख रुपये शामिल हैं, जो एचएमटी एमटी एमबीएक्स इकाई, बेंगलुरु द्वारा अपने ग्राहकों पर मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में बिक्री चालान का मूल्य है। हालाँकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त चालानों के लिए ई-वे बिल अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान जारी किए गए थे। IND AS 115 - परिचालन से राजस्व की आवश्यकताओं के अनुसार, भले ही एमबीएक्स इकाई द्वारा अप्रैल 2024 से जून 2024 (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि के दौरान ई-वे बिलों के खिलाफ चालान किए गए उत्पाद भेजे गए थे, बिक्री को गलती से वित्त वर्ष 2024-25 के बजाय मार्च 2024 (वित्त वर्ष 2023-24) के महीने में ही दर्ज कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए आय को 334.89 लाख रुपये अधिक और हानि को कम दर्शाया गया है।	उक्त बिक्री चालान के लिए, इकाई को 31 मार्च 2024 से पहले पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुआ और अनजाने में इकाई ने वर्ष 2023-24 के दौरान ही बिक्री का लेखा-जोखा कर लिया। टिप्पणी को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
एमटीपी पिंजौर	
(क) इकाई ने 8.78 लाख रुपये के सीमा शुल्क वापसी दावे को माफ नहीं किया है, जो प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1987 से लंबित है। हालाँकि, इकाई ने इसके लिए 8.78 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इकाई ने ऐसे दावे के लिए सीमा शुल्क विभाग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है, न ही इकाई के पास इस दावे के संबंध में कोई जानकारी है। साथ ही, प्रबंधन ने प्रधान कार्यालय को दिनांक 28.01.2020 के पत्र के माध्यम से रिफंड दावे को माफ करने के लिए सूचित किया है, क्योंकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि यूनिट को रिफंड प्राप्त होगा, तदनुसार इस कस्टम रिफंड दावे को खारिज कर दिया जाना चाहिए।	खातों की बहियों में प्रावधान मौजूद है और वर्ष 2024-25 में बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मांगी जाएगी।
(ख) इकाई ने वसूली योग्य 1.55 लाख रुपये (विदेशी) दावे को बट्टे खाते में नहीं डाला है, जो प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2007 से लंबित है। हालाँकि इकाई ने इसके लिए 1.55 लाख रुपये का प्रावधान किया है।इकाई को इस दावे के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा प्रबंधन ने दिनांक 28.01.2020 के पत्र के माध्यम से प्रधान कार्यालय को रिफंड दावे को रद्द करने के लिए सूचित किया है, क्योंकि यूनिट को रिफंड प्राप्त होने की कोई निश्चितता नहीं है, तदनुसार इस कस्टम रिफंड को रद्द कर दिया जाना चाहिए।	खातों की बहियों में प्रावधान मौजूद है और वर्ष 2024-25 में बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मांगी जाएगी।
ग) Ind AS-19 के अनुसार, परिभाषित लाभ योजना को कोई भी योजना कहा जाता है जिसमें उद्यम का वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का दायित्व होता है और बीमांकिक जोखिम और निवेश जोखिम कम हो जाते हैं। इसलिए, इकाई ने 31 मार्च 2024 तक भविष्य निधि बकाया के लिए बीमांकिक मूल्यांकन देयता निर्धारित नहीं की है। वर्षों के वित्तीय विवरणों पर इसका परिणामी प्रभाव पता नहीं लगाया जा सका है। तदनुसार, नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसके लिए ब्याज की कमी को नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है, भारतीय लेखा मानक-19 के अनुसार प्रभावी रूप से परिभाषित लाभ योजना होगी। इसलिए यह भारतीय लेखा मानक-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप नहीं है।(सीएंडएजी टिप्पणी) एचएमटी मशीन टूल्स	2024-25 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण		कंपनी का उत्तर
	लिमिटेड, पिंजौर यूनिट ने 08.04.2024 और 12.04.2024 को ग्राहकों के परिसर में वितरित किए गए माल के संबंध में 1.54 करोड़ रुपये का राजस्व मान्यता दी। ग्राहक के गंतव्य तक पहुंचे बिना 1.54 करोड़ रुपये की बिक्री दर्शाने के परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व को अधिक दर्शाया गया तथा हानि को 1.54 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया। यह लेखांकन पद्धति IND AS 115 और कंपनी की अपनी लेखांकन नीति का उल्लंघन है।	
d.	(सीएंडएजी टिप्पणी) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर यूनिट ने 08.04.2024 और 12.04.2024 को ग्राहकों के परिसर में डिलीवर किए गए माल के संबंध में 1.54 करोड़ रुपये का राजस्व मान्यता दी। ग्राहक के गंतव्य तक पहुंचे बिना 1.54 करोड़ रुपये की बिक्री के रूप में लेखांकन के परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और नुकसान को 1.54 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया। यह लेखांकन उपचार IND AS 115 और कंपनी की अपनी लेखांकन नीति का उल्लंघन है।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आईएनडी एएस 115 का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
	एमटीके, कलमस्सेरी	
क.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी (एमटीके) की लेखांकन नीतियों के अनुसार, माल की बिक्री के संबंध में राजस्व उस समय पहचाना जाएगा जब ग्राहक माल या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है, जो तब होता है जब उसने उत्पादों का स्वामित्व ले लिया है और उत्पाद या सेवाओं के स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को ग्रहण कर लिया है। शिपिंग शर्तों के अनुसार वर्ष के अंत में कुछ निश्चित FOR (ग्राहक परिसर) अनुबंध होते हैं। हालाँकि आठ अनुबंधों के संबंध में चालान 31 मार्च 2024 को या उससे पहले जारी किए गए थे, स्वामित्व का जोखिम और इनाम 31 मार्च 2024 से पहले स्थानांतरित नहीं किया गया था क्योंकि मशीनें 31 मार्च 2024 के बाद ग्राहक साइट पर प्राप्त हुई थीं। ग्राहक परिसर में वास्तविक डिलीवरी के बिना FOR (ग्राहक परिसर) अनुबंधों में चालान के आधार पर बिक्री राजस्व की मान्यता के परिणामस्वरूप बिक्री में 1,33,68,730/- रुपये की वृद्धि हुई है।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आईएनडी एएस 115 का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
ख. नोट संख्या 10 अन्य परिसंपत्तियों में 1,59,61,090/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-पीएस और 1,31,34,286/- रुपये एडहॉक-एडवांस (अप्रैल 2019)-डब्ल्यूजी शामिल हैं, जो आपूर्तिकर्ताओं/कर्मचारियों को अग्रिम के तहत प्रकट किए गए हैं, जिसमें अग्रिम संख्या III भी शामिल है - जिसे अच्छा माना जाता है। यह कार्यालय आदेश संख्या 021(एम)/19 दिनांक 30 सितंबर 2019 के तहत एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को मासिक तदर्थ भुगतान है। भुगतान प्रशासनिक मंत्रालय के पत्र संख्या 1- 0501/3/2019+P.E.X(E198595) दिनांक 19 सितंबर 2019 के माध्यम से अनुमोदन के अनुसार किया गया था, जहां एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को 10 के बराबर अतिरिक्त मासिक तदर्थ राशि का भुगतान किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी मूल वेतन और महीने के महंगाई भत्ते का % (एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान मुनाफा कमाया)। तदर्थ भुगतान पर आयकर लगता है।इसके अलावा किए गए तदर्थ भुगतान को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निपटान के दौरान समायोजित नहीं किया गया था। हमारा विचार है कि यह व्यय की प्रकृति का है और इसे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारी लाभ भुगतान है, जिस पर आयकर लागू होता है। यदि यह अग्रिम राशि होती तो इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निपटान के समय काट लिया जाना चाहिए था। इसलिए, अन्य परिसंपत्तियों को इस सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।(नोट: आवश्यक सुधार प्रविष्टि मशीन टूल्स निदेशालय पुस्तकों में पारित कर दी गई है।)	लाभ-हानि खाते के विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करके मुख्यालय में समेकन में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
सी. नोट संख्या 3ए में दर्शाई गई भूमि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा नोट संख्या 3बी में निवेश संपत्ति में इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार 349 एकड़ भूमि शामिल है।	धन की कमी के कारण, संपत्ति का म्यूटेशन अभी तक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर नहीं किया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
हमें उपलब्ध करायी गयी अभिलेखों की प्रतियों के अनुसार, 781 एकड़ 26 सेंट 266 वर्ग लिंक संपत्ति 1973 में केरल सरकार द्वारा एचएमटी लिमिटेड को सौंपी गयी थी। इसमें से 432 एकड़, 19 सेंट और 126 वर्ग लिंक जमीन विभिन्न प्रयोजनों के लिए समर्पित/उपहार में दी गई। शेष भूमि 349 एकड़ 40 सेंट और 140 वर्ग लिंक है। यह सारी जमीन एचएमटी लिमिटेड के नाम पर है, न कि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम पर। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुसार, धारा III ए के तहत, कंपनी या उसके निगमन द्वारा अपनाए जाने वाले मुख्य उद्देश्य, पैराग्राफ 1 में, निम्नानुसार कहा गया है: सभी परिसंपत्तियों, संपत्तियों और देनदारियों को हासिल करने और एक चालू संस्था के रूप में अधिग्रहण करने के लिए, एचएमटी लिमिटेड का व्यवसाय, अब इसके मशीन टूल्स और औद्योगिक मशीनरी बिजनेस समूहों के तहत किया जाता है, जिसमें सभी विनिर्माण और असेंबली इकाइयां, विपणन कार्यालय / शोरूम शामिल हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। स्थान और ऐसे संशोधन या परिवर्तन (यदि कोई हो) में प्रवेश करना और उन्हें लागू करना, जिस पर (चाहे निष्पादन से पहले या बाद में) उक्त एचएमटी लिमिटेड के साथ किसी भी समझौते, कार्यों के आधार पर सहमति हो सकती है, जैसा कि आवश्यक हो या जैसा हो सकता है। आवश्यक, उचित या उचित समझा जाए और इसके लिए नकद या ऋण या शेयरों या डिबेंचर के आवंटन या शेयरों और पार्टी में अन्यथा एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर को निर्दिष्ट अनुसार भुगतान किया जाए। हमारे सत्यापन हेतु अधिग्रहण से संबंधित कोई भी समझौता/कार्य या अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसमें अधिग्रहण की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण दर्शाया गया हो।	

	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
	उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास खाते की किताबों में शामिल भूमि पर पूर्ण स्वामित्व है।	
घ.	84,97,769/- रुपये की मार्जिन मनी जमा को अन्य बैंक शेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल मार्जिन मनी जमा में से, रु. 24,64,346.00 की राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है, वित्तीय विवरण पर परिणामी प्रभाव अनिश्चित है।	2024-25 के दौरान इसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी
ई.	इकाई ने एमएसएमई को वार्षिक बकाया शेष पर साधारण ब्याज के आधार पर ब्याज प्रदान किया है। इसके अलावा, कुछ समझौतों के मामले में, भले ही शर्तों में 30 दिनों के भीतर भुगतान निर्दिष्ट किया गया हो, इकाई ने एमएसएमई ब्याज की गणना के लिए न्यूनतम दिनों के रूप में 45 दिन का समय लिया है।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है। एमएसएमई अधिनियम में 45 दिनों तक का प्रावधान है, 45 दिनों के बाद की देरी को ध्यान में रखते हुए ब्याज देयताओं की गणना की गई है। इसकी समीक्षा की जाएगी और मामले-दर-मामले के आधार पर वर्ष 2024-25 में देनदारी को संशोधित किया जाएगा।

राय का अस्वीकरण : एमटीएच हैदराबाद

	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: हमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभाग के पास भारत सरकार से पट्टे पर हस्तांतरित अचल संपत्ति है, लेकिन यह आईएनडी एएस 116 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि पट्टा विलेख प्रदान नहीं किए गए थे। । वित्तीय विवरणों के नोट 3ए के संदर्भ में, प्रभाग परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर 100% मूल्यह्रास लगाता है, जिसका अवशिष्ट मूल्य 1 रुपए है। परिसंपत्ति रजिस्टर की जांच करने पर, हमने पाया कि परिसंपत्तियों की खरीद की तारीखें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे इन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के बारे में संदेह पैदा होता है। हालांकि प्रभाग मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इसका पालन कर रहा है	अचल संपत्ति राज्य सरकार द्वारा कंपनी को उपहार में दी गई है, न कि पट्टे पर। इकाई ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार पीपीई के अंतर्गत इसका सही खुलासा किया है। परिसंपत्तियों का मूल्य कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खातों की बहियों में आगे बढ़ाया जा रहा है और अधिग्रहण के वर्ष से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जा रही है। सकल ब्लॉक, संचित मूल्यह्रास और शुद्ध ब्लॉक का समापन शेष प्रत्येक वर्ष उचित समाधान के साथ आगे बढ़ाया जाता है तथा इन सभी वर्षों में लेखापरीक्षा के अधीन रखा गया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि बहियों में इन सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में उल्लिखित अधिग्रहण वर्ष से किया गया है, भले ही अधिग्रहण की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। पीपीई पर मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, जोड़ने या हटाने की तारीख के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। जब भी पीपीई का पूर्ण मूल्यह्रास हो जाता है, तो 1 रुपया पीपीई के बही मूल्य के रूप में रख लिया जाता है। 10,000/- रुपये से कम लागत वाले पीपीई पर खरीद के वर्ष में 1/- रुपये मूल्यह्रास लगाया जाएगा।
2.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य: हम वित्तीय विवरणों के नोट 3बी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 1,10,00,000 रुपये के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) का खुलासा किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। विवरण के अभाव में, हम प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अस्तित्व, पूर्णता और मूल्यांकन पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	आपूर्तिकर्ता से 31.3.2022 को एक एल45 लेथ मशीन प्राप्त हुई और निर्माण और कमीशनिंग लंबित होने के कारण, इसे सीडब्ल्यूआईपी के तहत रखा गया है। कमीशनिंग का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
3. इन्वेंटरी मूल्यांकन: हम वित्तीय विवरणों के नोट 5 और 25 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रभाग ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम वर्ष: 39,05,51,467) के लिए नोट संख्या 5 पर 37,12,74,054 रुपये की अपनी इन्वेंट्री का खुलासा किया, जिसके लिए हम उस तिथि तक इन्वेंट्री के अस्तित्व, शीर्षक और मूल्य के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, विचाराधीन वर्ष के दौरान, गैर-चलती इन्वेंटरी के विरुद्ध 1,19,86,909 रुपये का प्रावधान किया गया और इसे "अन्य व्यय - नोट संख्या 25" के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया, जिसमें 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया कुल प्रावधान 4,82,89,601 रुपये (प्रधान वर्ष 3,63,02,692) है, जिसका खुलासा नोट संख्या 5 के अंतर्गत किया गया है। सिस्टम द्वारा तैयार रिपोर्ट के अलावा कोई आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण हम गैर-चलती इन्वेंटरी के विरुद्ध किए गए प्रावधान की सत्यता पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	इन्वेंटरी का मूल्यांकन और गैर-चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार है।
4. व्यापार प्राप्य: हम वित्तीय विवरणों के नोट 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 35,51,88,038 रुपये (पिछले वर्ष 32,80,05,797 रुपये) की व्यापार प्राप्य राशि का खुलासा किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहक-वार शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी। ग्राहकों से पुष्टिकरण पत्रों के अभाव में, हम व्यापार प्राप्य के संबंध में स्वयं की पुष्टि करने और संतुष्ट करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार प्राप्तियों की ग्राहक-वार और लेन-देन-वार उम्र बढ़ने को ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, हम नोट 6ए में बताए गए व्यापार प्राप्य की आयु की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।	नोट संख्या 6ए अतिरिक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत वित्तीय विवरण में उचित प्रकटीकरण किया गया है। लेखांकन नीति के अनुसार बहियों में 5 वर्ष से अधिक पुराने व्यापार प्राप्य के विरुद्ध उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
5. क्रेडिट हानि के लिए भत्ता: हम व्यापार प्राप्तियों के खिलाफ अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 6, 6 ए और 25 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, नोट संख्या 25 "अन्य व्यय" के तहत 'अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते' के कारण लाभ और हानि खाते में 69,68,182 रुपये (पीवाई.Rs.1,74,34,928) की राशि चार्ज की जाती है। नोट संख्या 6 में 'अपेक्षित ऋण हानि हेतु भत्ते' की कुल राशि (प्रावधान) 22,79,77,008 रुपये (प्रथम वर्ष 22,10,08,826 रुपये) दर्शाई गई है। प्रभाग व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध 'अपेक्षित ऋण हानि' तथा वर्ष के अंत में वहन राशि के लिए किए गए प्रावधान को उचित ठहराने में विफल रहा है। इसलिए, हम इस बारे में कोई राय बनाने में असमर्थ हैं कि क्या वर्ष के दौरान 'अपेक्षित ऋण हानि' के लिए किया गया प्रावधान और 'अपेक्षित ऋण हानि' के लिए वहन राशि पर्याप्त है।	राजस्व की पहचान करते समय धन के समय मूल्य का कोई घटक शामिल नहीं होता है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य के विरुद्ध प्रावधानों को वर्तमान उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मान्यता दी जाती है। बहियों में किए गए प्रावधानों की निरंतर समीक्षा की जाती है।
6. अन्य चालू परिसंपत्तियां: हम वित्तीय विवरणों के नोट 9- "अन्य चालू परिसंपत्तियों" की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, प्रभाग ने आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का खुलासा किया, जिसकी राशि 6,97,85,415 रुपये (पिछले वर्ष 7,37,82,623 रुपये) थी। प्रभाग उन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों का ब्यौरा रखने में विफल रहा है, जिन्हें अग्रिम राशि दी गई है, जबकि लेखा अभिलेखों के रखरखाव में प्रभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अभाव में हम इस पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने इन आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के अग्रिमों के विरुद्ध 'संदिग्ध अग्रिमों की क्षति' के लिए प्रावधान प्रदान किया, जिसकी राशि 2,08,15,692 रुपये (प्रथम वर्ष 2,08,15,692 रुपये) थी। विभाग आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों के अग्रिम के विरुद्ध किए गए प्रावधान को उचित ठहराने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	उक्त राशि में पूर्व कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों से संबंधित वर्ष 1992 के वेतन संशोधन बकाया शामिल हैं। अलग से बनाए रखा गया है तथा इसका सारांश भी लिखा गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
7. उधार और अन्य वित्तीय देनदारियां: हम वित्तीय विवरणों के नोट 13 बी और नोट 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि प्रभाग ने भारत सरकार से 90,73,05,000 रुपये (वर्ष 90 रुपये) का सावधि ऋण लिया है। 73,05,000) अर्जित ब्याज के साथ और नोट संख्या 15 में क्रमश: 130,98,82,874 रुपये (पीवाई 1,15,98,29,947 रुपये) बताए गए हैं। वित्तीय विवरणों में सुरक्षा और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान या प्रकट नहीं की गई।1. अपेक्षित जानकारी का खुलासा न करने के कारण जो अनुसूची III का उल्लंघन है। इसके अलावा, हम अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत प्रकट की गई देयता के वर्तमान और गैर-वर्तमान भागों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, हम इन ऋणों की स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए किसी तीसरे पक्ष की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी, सिवाय मुख्य कार्यालय से प्राप्त एक पत्र के, जिसमें बकाया ब्याज और मूलधन दर्शाया गया था।	इसका विवरण मशीन टूल्स निदेशालय में रखा जाता है।
8. व्यापार देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के नोट 14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें विक्रेताओं को देय राशि 24,50,18,324 रुपये (प्रथम वर्ष 21,17,65,745 रुपये) बताई गई है। विक्रेताओं से पुष्टिकरण पत्र के अभाव में, हम व्यापार देयताओं के संबंध में पुष्टि करने और स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ हैं।इसके अलावा, नोट संख्या 14 के तहत देय व्यापार में शामिल निम्नलिखित राशियाँ बिना किसी औचित्य के पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर/जारी रही हैं: • ओएसएल व्यय की देयता: रु.5,96,88,819 • हैदराबाद मेट्रो जल: रु.8,18,37,775 • एससीआर व्यय की देयता: रु.79,70,164 अभाव में हम कोई राय बनाने में असमर्थ हैं। वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14ए में प्रकटित राशि के संदर्भ में, जो एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रभाग के 'सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय राशियों' का खुलासा करता है। हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए एमएसएमई विक्रेताओं के लिए मान्यता मानदंड प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है,	व्यापार देयताओं और अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत शेष राशि की पुष्टि की जाती है और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है। प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार जहां भी आवश्यक हो परिणामी समायोजन और प्रावधान किया जाता है। एमएसएमई का विवरण सामग्री प्रबंधन विभाग के पास उपलब्ध है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
जिससे वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।इसके अतिरिक्त, जैसा कि नोट 14 बी में बताया गया है, व्यापार देय राशि की विक्रेता-वार और लेनदेन-वार उम्र बढ़ने की पुष्टि करने के लिए व्यापार देय राशि की उम्र बढ़ने की पुष्टि नहीं की गई है।	
9. अग्रिम प्राप्त राजस्व: हम वित्तीय विवरणों के नोट 16 के अंतर्गत 'अन्य चालू देयताओं' की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 10,45,70,143 रुपये (प्रथम वर्ष 10,33,72,324 रुपये) की राशि 'अग्रिम प्राप्त राजस्व' शामिल है। विभाग संबंधित ग्राहकों से प्राप्त राशि तथा उनके पुष्टिकरण पत्रों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहा है। अभाव में हम इस पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	ग्राहकों से प्राप्त पुराने अग्रिम के संबंध में समीक्षा की जाएगी तथा समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई वित्त वर्ष 24-25 में की जाएगी।
10. वैधानिक बकाया: हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 16 में 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 'वैधानिक बकाया' की राशि 69,96,09,510 रुपये (प्रथम वर्ष 67,36,07,948 रुपये) है, "करों की कटौती और अन्य कर देय" की राशि 2,37,35,260 रुपये (प्रथम वर्ष 3,69,97,253 रुपये) है। इन राशियों का एक बड़ा हिस्सा पिछले वर्षों से बकाया है। प्रभाग को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों को देय राशि के लिए समय-सीमा तथा उक्त बकाया राशि के लिए कोई मूल्यांकन आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप, हम इन राशियों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	गंभीर वित्तीय बाधाओं के कारण इकाई समय पर वैधानिक बकाया चुकाने में सक्षम नहीं थी। हालाँकि, इन बकाया राशि को चुकाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
11. अन्य देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के उसी नोट 16 की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, 'अन्य देयताओं' में निम्नलिखित देयताएं शामिल हैं: o विविध वसूलियाँ : 1,20,89,855 रुपये o किराये के एवज में प्राप्त अग्रिम राशि : 25,93,974 रुपये o एससीआर व्यय : 52,69,152 रुपये प्रभाग को उन पक्षों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिन्हें ये राशि देय/देय है तथा संबंधित पक्षों से पुष्टि पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। परिणामस्वरूप, हम इन राशियों पर कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	चूंकि ज्यादातर देनदारियां काफी पुरानी हैं. इसकी समीक्षा के बाद समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	कंपनी का उत्तर
12. अन्य व्यय: वित्तीय विवरण के नोट 25 के संदर्भ में - 'अन्य व्यय' जिसमें पीएफ ट्रस्ट हानि 1,25,00,000 रुपये (प्रथम वर्ष 1,25,00,000 रुपये) शामिल है। इसके लिए प्रभाग ने स्पष्ट किया कि प्रभाग ने अपने ट्रस्ट को भविष्य निधि का भुगतान करने का विकल्प चुना था, लेकिन पीएफ ट्रस्ट को अंशदान के भुगतान में चूक हुई है। परिणामस्वरूप, प्रभाग ने इस चूक के कारण पीएफ ट्रस्ट को हुई 1,25,00,000/- रुपए की हानि को साझा किया है। यह राशि सांविधिक बकाया के अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्ज की जाती है और नोट संख्या 16 में 'अन्य चालू देनदारियों' में दर्शाई जाती है। विभाग को उक्त राशि के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप, हम लाभ और हानि विवरण में दर्शाई गई राशि और देयताओं के अंतर्गत बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि के बारे में कोई राय बनाने में असमर्थ हैं।	पीएफ ट्रस्ट बैलेंस शीट को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहने के मद्देनजर, ट्रस्ट राशि पर अनंतिम रूप से विचार किया गया है।
13. आकस्मिक देयताएं: हम वित्तीय विवरणों के नोट 26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रभाग के विरुद्ध लंबित मुकदमों और विभिन्न मामलों से संबंधित आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है। हम वित्तीय विवरणों में इन खुलासों की विश्वसनीयता का आकलन करने में असमर्थ हैं, न ही प्रस्तुत मुकदमों और मामलों की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं।परिणामस्वरूप, हम वित्तीय विवरणों पर इन आकस्मिक देनदारियों के प्रभाव को मापने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपर्याप्त जानकारी के कारण कई मामलों की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।	चूंकि कंपनी के खिलाफ दावा विवाद में है, इसलिए कंपनी ने दावे का विरोध किया है और संसाधनों का बहिर्गमन संभव नहीं है। इंड-एएस 37 के अनुसार, इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

डीआई एन -10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 25 अक्टूबर, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20 सितंबर, 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है जो दिनांक 6 अगस्त, 2024 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

1. लाभ और हानि का विवरण
   खर्च
   अन्य व्यय (नोट-27एफ 78.27 करोड़)

उपरोक्त में संपत्ति कर के रूप में जीएचएमसी हैदराबाद को देय 32.67 करोड़ रुपये (फैक्ट्री 25.93 करोड़ रुपये और टाउनशिप 6.74 करोड़ रुपये) की राशि शामिल नहीं है।

जीएचएमसी हैदराबाद ने वर्ष 2022-23 में इकाई पर संपत्ति कर के रूप में 23.71 करोड़ रुपये की मांग की है।

इकाई ने इसे 2022-23 में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय 8.96 करोड़ रुपये के बकाया पर विचार किए बिना 2023-24 में समान राशि का खुलासा करना जारी रखा है।

इकाई ने जीएचएमसी को देय राशि के लिए कोई देयता नहीं बनाई है। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय (नोट 25), चालू देयताएं (नोट 16) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हानि को 32.67 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।

वित्तीय विवरण आकस्मिक देनदारियों का हिस्सा बनने वाले नोट्स (नोट 35)- लेखापरीक्षा ने बोर्ड एजेंडा नोट्स से पाया कि सितंबर 2023 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एक, उच्च न्यायालय में 24 मामले और वाणिज्यिक और अन्य मामलों से संबंधित 9 मामले शामिल थे। हालाँकि, एमटीके यूनिट ने लंबित अदालती मामलों पर डेटा उपलब्ध नहीं कराया है और डेटा के अभाव में, ऑडिट एमटीके यूनिट पर वित्तीय प्रभाव को सत्यापित नहीं कर सका।

बी. नकदी प्रवाह पर टिप्पणियाँ—

बी.1 नकदी प्रवाह विवरण: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नकदी और नकदी समकक्ष

1499.88 लाख रुपये की नकदी और नकदी समकक्ष में एस्क्रो खातों से संबंधित 72.59 लाख रुपये की राशि शामिल थी, जिसे गलत तरीके से 49.92 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया था। 72.59 लाख रुपये की यह राशि प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यक्रम (एसयूआरजीई) के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि से संबंधित है। चूंकि ये शेष राशि कंपनी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस संबंध में खुलासा करना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप आईएनडी एएस-7 के पैरा 48 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

सी. लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियाँ

C.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मशीनों की स्थापना, परीक्षण और उनके संतोषजनक ढंग से काम करने पर पाए जाने के बाद कंपनी की MTK इकाई को 10 प्रतिशत भुगतान जारी किया जाना है। इसके अलावा, यूनिट को मशीनरी फाउंडेशन के लिए आवश्यक सिविल कार्यों की ड्राइंग को अंतिम रूप देने में सहायता करनी होगी। हालाँकि, इकाई ने अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किए बिना ऑर्डर की पूरी राशि के लिए राजस्व को मान्यता दी है। इसके परिणामस्वरूप इकाई के साथ-साथ कंपनी द्वारा भी गलत राजस्व मान्यता दी गई है। इसके अलावा, कंपनी को इस संबंध में अपनी नीति में सुधार करने की आवश्यकता है।

डी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

डी.1 नोट्स टी. खाते

क) केरल सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 251.40 एकड़ अतिरिक्त भूमि लौटाने के आदेश जारी किए (04 नवंबर 2015)। हालांकि, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी यूनिट (एमटीके) ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें एमटीके से 251.40 एकड़ भूमि की बहाली के लिए केरल सरकार के राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (15.01.2016) अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था।

मार्च 2024 तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया।

केरल सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने (30 नवंबर 2019) केरल सरकार के पुनर्ग्रहण आदेशों के आधार पर हवाई अड्डा-बंदरगाह राजमार्ग चरण-II के निर्माण के लिए उपरोक्त भूमि के एक हिस्से के हस्तांतरण के लिए एमटीके इकाई से अनुरोध किया। एमटीके यूनिट ने उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने के लिए 16.34 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा तय किया। हालांकि, यूनिट द्वारा इस संबंध में स्थिति का खुलासा नहीं किया गया।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के अनुसार, विश्लेषणात्मक अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा-टिप्पणियों में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कंपनी ने कंपनी पर लागू विश्लेषणात्मक अनुपातों का खुलासा किया था, लेकिन निम्नलिखित विश्लेषणात्मक अनुपातों - शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और नियोजित पूंजी पर रिटर्न/निवेश पर रिटर्न अनुपात, जिनमें 25% से अधिक परिवर्तन हुआ है, के लिए स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।

भारतीय लेखा मानक-I 9 के पैरा संख्या 139 (बी) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार, किसी इकाई को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत इकाई को होने वाले जोखिमों का विवरण प्रकट करना होगा, जो किसी असामान्य, इकाई विशेष या योजना विशेष

जोखिम और जोखिम के किसी महत्वपूर्ण संकेन्द्रण पर केंद्रित होगा। हालांकि, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है।

ई) कंपनी अधिनियम, 2012 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार, व्यापार प्राप्तियों के लिए आयु-वार विश्लेषण को विवादित और विवादित व्यापार प्राप्तियों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अलग से प्रकट करने की आवश्यकता है, अर्थात,

(i) अच्छा माना जाता है

(ii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना और

(iii) ऋण हानि

हालाँकि, कंपनी ने केवल दो श्रेणियों का खुलासा किया था, अर्थात् अच्छा माना गया और संदिग्ध माना गया, जो कंपनी अधिनियम 2013 के निर्धारित प्रारूप का अनुपालन न करने का संकेत देता है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(सी. सैलजा)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 21 अक्टूबर 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणिय	प्रबंधन के जवाब
ए. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ 1. लाभ और हानि का विवरण खर्च अन्य व्यय (नोट-27 एफ 78.27 करोड़)	
उपरोक्त में संपत्ति कर के रूप में जीएचएमसी हैदराबाद को देय 32.67 करोड़ रुपये (फैक्ट्री 25.93 करोड़ रुपये और टाउनशिप 6.74 करोड़ रुपये) की राशि शामिल नहीं है। जीएचएमसी हैदराबाद ने वर्ष 2022-23 में इकाई पर संपत्ति कर के रूप में 23.71 करोड़ रुपये की मांग की है। इकाई ने इसे 2022-23 में आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता दी है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय 8.96 करोड़ रुपये के बकाया पर विचार किए बिना 2023-24 में समान राशि का खुलासा करना जारी रखा है। इकाई ने जीएचएमसी को देय राशि के लिए कोई देयता नहीं बनाई है। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय (नोट 25), चालू देयताएं (नोट 16) और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हानि को 32.67 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।	कंपनी को एकमुश्त निपटान के लिए नोटिस संख्या 973/सीटी4/सीटीएस/जीएचएमसी/2024/5 दिनांक 15.03.2024 प्राप्त हुआ। इसी विवरण के अनुसार, एमटीएच फैक्ट्री और टाउनशिप के संबंध में देय ओटीएस राशि 18.29 करोड़ रुपये है। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने बहियों में 31.3.2024 तक आकस्मिक देयता में पिछले वर्ष के अनुसार 23.71 करोड़ रुपये की राशि पर विचार किया है। इस विषय पर प्राधिकारियों के साथ आगे विचार-विमर्श हेतु समीक्षा की जा रही है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समीक्षा करेगी और आवश्यक प्रकटीकरण/प्रावधान किए जाएंगे।
ए-2. वित्तीय विवरण आकस्मिक देनदारियों का हिस्सा बनने वाले नोट्स (नोट 35)- लेखापरीक्षा ने बोर्ड एजेंडा नोट्स से पाया कि सितंबर 2023 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एक, उच्च न्यायालय में 24 मामले और वाणिज्यिक और अन्य मामलों से संबंधित 9 मामले शामिल थे। हालाँकि, एमटीके यूनिट ने लंबित अदालती मामलों पर डेटा उपलब्ध नहीं कराया है और डेटा के अभाव में, ऑडिट एमटीके यूनिट पर वित्तीय प्रभाव को सत्यापित नहीं कर सका।	न्यायालय मामलों की सूची बोर्ड को प्रस्तुत की गई। मामलों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक-37 के अनुरूप की जाएगी और आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकटीकरण किया जाएगा अथवा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रावधान को मान्यता दी जाएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणिय	प्रबंधन के जवाब
बी. नकदी प्रवाह पर टिप्पणियाँ— बी.1 नकदी प्रवाह विवरण: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नकदी और नकदी समकक्ष 1499.88 लाख रुपये की नकदी और नकदी समकक्ष में एस्क्रो खातों से संबंधित 72.59 लाख रुपये की राशि शामिल थी, जिसे गलत तरीके से 49.92 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया था। 72.59 लाख रुपये की यह राशि प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यक्रम (एसयूआरजीई) के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि से संबंधित है। चूंकि ये शेष राशि कंपनी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस संबंध में खुलासा करना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप आईएनडी एएस-7 के पैरा 48 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।	कंपनी ने SURGE से संबंधित खातों को अलग से एस्क्रो खाते में 49.92 लाख रुपये और नकदी और नकदी समकक्ष के तहत कुल 1197.93 लाख रुपये के चालू खातों में 22.67 लाख रुपये शामिल करके नोट संख्या 7-ए में दर्शाया है। वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 23-24 में नकदी एवं नकदी समकक्ष तथा नकदी प्रवाह विवरण दोनों के अंतर्गत फुटनोट पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है।
सी. लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियाँ **सी**.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मशीनों की स्थापना, परीक्षण और उनके संतोषजनक ढंग से काम करने पर पाए जाने के बाद कंपनी की MTK इकाई को 10 प्रतिशत भुगतान जारी किया जाना है। इसके अलावा, यूनिट को मशीनरी फाउंडेशन के लिए आवश्यक सिविल कार्यों की ड्राइंग को अंतिम रूप देने में सहायता करनी होगी। हालाँकि, इकाई ने अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा	सी-1. कंपनी इकाइयों द्वारा राजस्व मान्यता पर समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणिय	प्रबंधन के जवाब
डी. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ	
डी.1 नोट्स टी. खाते	
क) केरल सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 251.40 एकड़ अतिरिक्त भूमि लौटाने के आदेश जारी किए (04 नवंबर 2015)। हालांकि, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलमस्सेरी यूनिट (एमटीके) ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें एमटीके से 251.40 एकड़ भूमि की बहाली के लिए केरल सरकार के राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (15.01.2016) अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। मार्च 2024 तक यह मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया।	क. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।फिलहाल यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
ख) केरल सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने (30 नवंबर 2019) केरल सरकार के पुनर्ग्रहण आदेशों के आधार पर हवाई अड्डा-बंदरगाह राजमार्ग चरण-II के निर्माण के लिए उपरोक्त भूमि के एक हिस्से के हस्तांतरण के लिए एमटीके इकाई से अनुरोध किया। एमटीके यूनिट ने उपरोक्त भूमि को हस्तांतरित करने के लिए 16.34 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा तय किया। हालांकि, यूनिट द्वारा इस संबंध में स्थिति का खुलासा नहीं किया गया।	ख. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक संशोधित अंतरिम आदेश के तहत सड़क निर्माण की अनुमति दे दी है, बशर्ते केरल सरकार केरल उच्च न्यायालय में मुआवजा जमा कराए।
ग) कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के अनुसार, विश्लेषणात्मक अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा-टिप्पणियों में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कंपनी ने कंपनी पर लागू विश्लेषणात्मक अनुपातों का खुलासा किया था, लेकिन निम्नलिखित विश्लेषणात्मक अनुपातों - शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और नियोजित पूंजी पर रिटर्न/	ग. संशोधित नोट संख्या 37, जिसमें 25% से अधिक विचलन के कारणों को उपयुक्त रूप से शामिल करने वाले अनुपात शामिल हैं, 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में पहले ही सम्मिलित कर दिया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणिय	प्रबंधन के जवाब
निवेश पर रिटर्न अनुपात, जिनमें 25% से अधिक परिवर्तन हुआ है, के लिए स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।	
घ. भारतीय लेखा मानक-I 9 के पैरा संख्या 139 (बी) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार, किसी इकाई को परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत इकाई को होने वाले जोखिमों का विवरण प्रकट करना होगा, जो किसी असामान्य, इकाई विशेष या योजना विशेष जोखिम और जोखिम के किसी महत्वपूर्ण संकेन्द्रण पर केंद्रित होगा। हालांकि, प्रबंधन ने इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है।	कंपनी परिभाषित लाभों का एक्चुअरी मूल्यांकन कर रही है, लेकिन निधियों की उपलब्धता के अनुसार सभी परिभाषित देनदारियों का भुगतान कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा।
ई) कंपनी अधिनियम, 2012 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार, व्यापार प्राप्तियों के लिए आयु-वार विश्लेषण को विवादित और विवादित व्यापार प्राप्तियों के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अलग से प्रकट करने की आवश्यकता है, अर्थात, (i) अच्छा माना जाता है (ii) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना और (iii) ऋण हानि हालाँकि, कंपनी ने केवल दो श्रेणियों का खुलासा किया था, अर्थात् अच्छा माना गया और संदिग्ध माना गया, जो कंपनी अधिनियम 2013 के निर्धारित प्रारूप का अनुपालन न करने का संकेत देता है	ई. कंपनी अपनी लेखांकन नीति के अनुसार सभी संदिग्ध मामलों के लिए प्रावधान कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(सी. सैलजा)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक, हैदराबाद

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

दिनांक: 21 अक्टूबर 2024
स्थान: हैदराबाद

दिनांक: 25, अक्टूबर 2024
स्थान: बेंगलूरु

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 पृष्ठभूमि

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड ('कंपनी') एक शेड्यूल 'बी' सीपीएसई है, जिसकी स्थापना 09.08.1999 को एचएमटी लिमिटेड - होल्डिंग कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड मशीन टूल्स के निर्माण और विपणन के व्यवसाय के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में मशीनों की मरम्मत और नवीनीकरण में सेवाएं प्रदान करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियम, जैसा कि कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू होता है।

जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग :

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने और अनुमान लगाने होते है जिनसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। तथापि, ऐसे अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वो त्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप भविष्य में संपत्ति या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन की आवश्यकता पढ़ सकती है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी जाती है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यहृास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष व्यय किया जाता है।

तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

पीपीई की मद की लागत संपत्ति के रूप में स्वीकृति केवल तब दी जाती है, जबः

क) जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के धारित पीपीई की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

क) निपटान किए पर; अथवा

ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरणः

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षो के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती हैं, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार आरओयू और अपनी पट्टे की व्यवस्था के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करनेका अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ- साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की

संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलना पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश निवेशः

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची (ii) में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान एवं विकास व्ययः

अनुसंधान चरण

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरणः

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधनः

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची खख में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

- संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण / निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालनः

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री / वितरण के लिए धारित के रूप में करती है। बिक्री/ वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री / वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने/वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

झ) सरकारी अनुदानः

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

अ) मालसूचीः

कच्चे माल, भंडार, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृतिः

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तों के साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व / आय से बाहर रखा गया है।

i) माल की बिक्रीः

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अयवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) सेवाओं का प्रतिपादनः

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पूरा होने के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को अब तक की गई सेवाओं के आधार पर कुल निष्पादित सेवाओं के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

iii) उद्यमी आयः

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iv) लाभांश आय

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

v) ब्याज आयः

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखितों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

vi) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vii) विस्तारित वारंटीः

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है. लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

डी) निजीकरण और अन्य कर्मचारी लाभः

परिभाषित लाम योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाम योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम

लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कवरेज प्रति पात्र कर्मचारी 50,000/- रुपये तक सीमित है। उपदान के भुगतान की अतिरिक्त देनदारी की पूर्ति के लिए शेष प्रावधान बहियों में किए जाते हैं।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची खखख के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी घारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान दावों के कारण एलआईसी से प्रति व्यक्ति प्राप्त/प्राप्ति योग्य 50,000/- रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, 50,000/- रुपए से अधिक का भुगतान किया गया उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक

मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है।

बीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए ब्राड़ों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) अय करः

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) अष्टगित करः

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त)प्रयोजनः

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए

संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देवता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ)अक्षमता हानिः

i) वित्तीय परिसम्पत्तियांः

कंपनी द्वारा तुलना पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित

क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियांः

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों कोदर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मांडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्रः

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) वित्तीय परिसम्पत्ति पर शोधित लागत

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तिः

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतिः वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब

केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ हानि के माध्यम से मूल्य पर वित्तीय लाभ

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंडस्ट्रीज़ एएस 109 के तहत अमान्यता के लिए योग्य हो जाता है, तो कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को पहचान नहीं देती है। किसी भी वित्तीय संपत्ति को उसकी संपूर्णता में मान्यता न देने पर, कैरिंग राशि (गैर-मान्यता की तारीख पर) और प्राप्त किसी भी प्रतिफल (किसी भी नई संपत्ति और नई देवता के बीच अंतर सहित) के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है।

vii) वित्तीय सलाहकार का मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

* स्तर 1- समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय

बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य

* स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है

* स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है,

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) संपूर्ण) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं:

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता

के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

1)निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो पर वाणिज्यिक संपत्ति किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की बहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ देय:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य कार्मिक कर्मचारी लाभ:

अर्जित अवकाश नकदीकरण जैसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं।। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की उम्मीद के रूप में संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत का मापन। गैर-संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन और

दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है.

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापनः

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी / एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31.03.2024 की स्थिथि के अनुसार तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
परिसंपत्तियाँ			
1. गैर-चालू संपत्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3A	2,679.46	2,885.35
(बी) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	3A	331.29	412.50
(सी) निवेश संपत्ति	3B	27.60	28.03
(घ) बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियां	3C	-	-
(ई) वित्तीय परिसंपत्तियां			-
(i) नविेश	4	-	-
(ii) अन्य वत्तिीय परसिंपत्तयिां	9	301.51	297.87
(च) अमूर्त संपत्ति	3D	-	-
(छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3E	-	-
(एच) पारगमन में मशीनरी और उपकरण	3F	-	-
(i) अन्य परसिंपत्तयिां	10	312.44	308.23
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति		-	-
		3,652.30	**3,931.97**
2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(ए) इन्वेंटरी	5	10,408.16	10,420.23
(बी) वित्तीय परिसंपत्तियां			-
(i) व्यापार प्राप्य	6	11,065.81	15,393.52
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	7A	1,499.88	1,611.67
(iii) नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा बैंक शेष	7B	1,744.80	1,658.62
(iv) ऋण	8	-	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	0.21	0.07
(ग) अन्य परिसंपत्तियां	10	2,967.37	3,664.58
(घ) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10A	-	-
		27,686.23	**32,748.69**
कुल परिसंपत्तियां		**31,338.53**	**36,680.66**
इक्विटी और देयता			
1. इक्विटी			
(ए) शेयर पूंजी	11	27,659.91	27,659.91
(बी) अन्य इक्विटी	12	-2,24,862.58	-2,09,331.60
कुल इक्विटी		**-1,97,202.67**	**-1,81,671.68**

31.03.2024 की स्थिथि के अनुसार तुलन पत्र

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
2. गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	13	-	-
(ii) गैर-वर्तमान वित्तीय देयता		-	-
(ख) प्रावधान			
(i) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	15	3,300.65	3,534.87
(सी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	14A	70.36	90.71
		3,371.01	**3,625.58**
3. वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	14	34,495.35	30,379.37
(ii) व्यापार देयताएं	16	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि		370.67	546.77
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य को देय राशि		7,006.40	6,288.05
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	1,37,619.71	1,26,089.76
सरकारी अनुदान	15	-	-
(बी) अन्य चालू देयताएं	18	43,308.03	48,818.64
(ग) प्रावधान			-
(i) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	15	2,287.88	2,506.76
(ii) अन्य	19	82.14	97.42
		2,25,170.19	**2,14,726.77**
कुल देयताएँ		**2,28,541.20**	**2,18,352.35**
कुल शेयर और देनदारियां		**31,338.53**	**36,680.66**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 004605एस

(आलोक कुमार बेहरा)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(जे. उल्लास)
साथी
एम.नं.016397
यूडीआईएन:-24016397BKFEFE1832

स्थान : बैंगलोर
दिनांक : 06-08-2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	वर्ष समाप्त 31.03.2024	वर्ष समाप्त 31.03.2023
सतत संचालन			
माल की बिक्री		9,440.45	13,380.56
सेवाएं प्रदान करना		529.54	843.49
संचालन से राजस्व	20	9,969.99	14,224.06
अन्य आय	21	3,161.85	3,279.81
कुल आय		**13,131.83**	**17,503.86**
व्यय			
उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत	22	5,483.80	5,045.97
तैयार माल, व्यापार में स्टॉक और कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन	23	113.67	3,357.21
कर्मचारी लाभ व्यय	24	6,575.75	6,771.78
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	604.26	708.78
वित्त लागत	26	8,349.80	8,287.07
अन्य व्यय	27	7,827.62	6,973.53
कम: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य	28	298.91	391.49
कुल व्यय		**28,656.00**	**30,752.85**
असाधारण मदों और निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ/(हानि)		**-15,524.17**	**-13,248.99**
असाधारण वस्तुएं		-	83.83
कर से पहले लाभ/(हानि) और चालू परिचालन से कर		**-15,524.17**	**-13,165.15**
(1) वर्तमान कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
		-	-
चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**-15,524.17**	**-13,165.15**
अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन		-6.82	-32.87
शुद्ध अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**-6.82**	**-32.87**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**-15,530.98**	**-13,198.03**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

रुपये लाख में

विवरण	नोट्स	वर्ष समाप्त 31.03.2024	वर्ष समाप्त 31.03.2023
निरंतर परिचालन के लिए प्रति शेयर आय	32		
यू मूल, मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से लाभ		(5.61)	(4.76)
यू माता-पिता के इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से पतला, लाभ		(5.61)	(4.76)
बंद किए गए परिचालनों के लिए प्रति शेयर आय			
यू मूल, माता-पिता के इक्विटी धारकों के कारण जारी परिचालन से लाभ			
यू माता-पिता के इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से पतला, लाभ			
जारी और बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
यू मूल, माता-पिता के इक्विटी धारकों के कारण जारी परिचालन से लाभ		(5.61)	(4.76)
यू माता-पिता के इक्विटी धारकों के कारण जारी संचालन से पतला, लाभ		(5.61)	(4.76)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 004605एस

(आलोक कुमार बेहरा)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(जे. उल्लास)
साथी
एम.नं.016397
यूडीआईएन:-24016397BKFEFE1832

स्थान : बैंगलोर
दिनांक : 06-08-2024

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

रुपये लाख में

विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2024	वर्ष समाप्त 31.03.2023
परिचालन गतिविधियाँ		
परिचालन जारी रखने से कर पूर्व लाभ/(हानि)।	(15,524.17)	(13,165.15)
बंद परिचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)।	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(15,524.17)**	**(13,165.15)**
कर-पूर्व लाभ को शुद्ध नकदी प्रवाह से समायोजित करने के लिए समायोजन:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास और क्षति	603.83	567.74
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	-	140.61
निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास	0.43	0.43
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ	(23.09)	(5.27)
वित्त आय	(129.65)	(90.04)
वित्त लागत	8,349.80	8,287.07
पूर्व अवधि मद	-	-83.83
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों में आंदोलन	(475.20)	(1,853.53)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य एवं पूर्व भुगतानों में (वृद्धि)/कमी	5,016.93	(1,339.75)
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	12.07	3,045.13
व्यापार एवं अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,780.36	4,048.28
	(388.69)	**(448.31)**
आयकर का भुगतान/वापसी		
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(388.69)**	**(448.31)**
गतिविधियों की जांच		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	23.09	5.27
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(397.94)	429.76
प्राप्त ब्याज	129.65	173.87
सहायता अनुदान की प्राप्ति/(आवेदन)	(20.35)	(45.76)
बैंक में जमा	(86.18)	(9.72)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह	**(265.54)**	**553.42**
वित्तपोषण गतिविधियाँ		
ब्याज भुगतान	(2,191.70)	(2,078.96)
उधार से प्राप्त आय/(चुकौती)	2,734.13	2,556.13
वित्तपोषण गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह	**542.44**	**477.17**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (कमी)।	(111.80)	582.28
निवल विदेशी मुद्रा अंतर		
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	1,611.67	1,029.39
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**1,499.88**	**1,611.67**

नोट: 1) उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं
नोट: 33. IndA5 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित खुलासे नीचे दिए गए हैं:
** इसमें SURGE के संबंध में 72.59 लाख रुपये शामिल हैं (एस्क्रो खाते में 49.92 लाख रुपये और चालू खाते में 22.67 लाख रुपये)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 004605एस

(आलोक कुमार बेहरा)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(जे. उल्लास)
साझेदार
एम.नं.016397
यूडीआईएन:-24016397BKFEFE1832

स्थान : बैंगलोर
दिनांक : 06-08-2024

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

3A. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	भूमि एवं भूमि विकास	इमारतें	कारखाना भवन	सामान्य भवन	संयंत्र और मशीनरी	फर्नीचर, फिटिंग और कार्यालय उपकरण	वातानुकूलन और वेंटिलेशन	कंप्यूटर और डेटा प्रक्रिया	विद्युत प्रतिष्ठान	मापने के उपकरण	फैक्टरी उपकरण	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	वाहन	विशेष उपकरण	आंतरिक विभाजन	सड़क की दीवार और बाड़ लगाना	कुल
सकल वहन मूल्य																	
1 अप्रैल 2022 तक	101.23	1,446.72	479.84	241.34	21,255.56	520.83	488.59	1,409.84	875.91	708.82	2,899.45	174.32	24.31	1,453.41	8.63	40.74	32,129.54
परिवर्धन	0.13		-	-	451.87	1.29	-	5.25	2.23	-	3.64	-	-	227.03	-	-	691.43
निपटान	-	-	-	-	-0.67	-2.67	-	-128.89	-	-	-2.83	-	-	-	-	-	-135.06
31 मार्च 2023 तक	**101.36**	**1,446.72**	**479.84**	**241.34**	**21,706.76**	**519.45**	**488.59**	**1,286.20**	**878.14**	**708.82**	**2,900.25**	**174.32**	**24.31**	**1,680.43**	**8.63**	**40.74**	**32,685.90**
संचित मूल्यह्रास																	
1 अप्रैल 2022 तक	-	1,353.53	445.01	224.65	19,079.22	507.01	482.52	1,383.58	874.95	686.50	2,862.64	163.50	24.31	1,224.64	8.63	40.74	29,361.44
अवधि के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	3.33	4.06	1.23	417.03	2.20	0.22	2.14	0.44	-	6.06	2.02	-	129.01	-	-	567.74
कटौती/समायोजन	-	-	-	-	-0.67	-2.67	-	-122.46	-	-	-2.83	-	-	-	-	-	-128.63
31 मार्च 2023 तक	**-**	**1,356.86**	**449.07**	**225.88**	**19,495.58**	**506.54**	**482.74**	**1,263.26**	**875.39**	**686.50**	**2,865.87**	**165.52**	**24.31**	**1,353.65**	**8.63**	**40.74**	**29,800.55**
शुद्ध वहन मूल्य																	
31 मार्च 2023 तक	**101.36**	**89.86**	**30.77**	**15.46**	**2,211.17**	**12.91**	**5.85**	**22.94**	**2.74**	**22.32**	**34.38**	**8.80**	**-**	**326.79**	**-**	**-**	**2,885.35**
सकल वहन मूल्य																	
1 अप्रैल 2023 तक	101.36	1,446.72	479.84	241.34	1,706.76	519.45	488.59	1,286.20	878.14	708.82	2,900.25	174.32	24.31	1,680.43	8.63	40.74	32,685.90
परिवर्धन	-	-	-	-	65.00	-	-	4.48	29.55	-	-	-	-	298.91	-	-	397.94
निपटान	-	-	-	-	-2.92	-0.06	-5.00	-	-	-	-9.76	-	-	-	-	-	-17.74
31 मार्च 2024 तक	**101.36**	**1,446.72**	**479.84**	**241.34**	**21,768.83**	**519.39**	**483.59**	**1,290.68**	**907.69**	**708.82**	**2,890.48**	**174.32**	**24.31**	**1,979.34**	**8.63**	**40.74**	**33,066.10**
संचित मूल्यह्रास																	
1 अप्रैल 2023 तक	-	1,356.86	449.07	225.88	19,495.58	506.54	482.74	1,263.26	875.39	686.50	2,865.87	165.52	24.31	1,353.65	8.63	40.74	29,800.55
अवधि के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	4.64	3.77	1.16	398.56	2.19	0.35	14.16	1.14	0.35	3.53	2.02	-	171.96	-	-	603.83
कटौती/समायोजन	-	-	-	-	-2.92	-0.06	-5.00	-	-	-	-9.76	-	-	-	-	-	-17.74
31 मार्च 2023 तक	**-**	**1,361.50**	**452.84**	**227.04**	**19,891.22**	**508.68**	**478.09**	**1,277.42**	**876.53**	**686.85**	**2,859.64**	**167.55**	**24.31**	**1,525.61**	**8.63**	**40.74**	**30,386.64**
शुद्ध वहन मूल्य																	
31 मार्च 2024 तक	**101.36**	**85.22**	**27.00**	**14.30**	**1,877.62**	**10.72**	**5.50**	**13.26**	**31.16**	**21.97**	**30.84**	**6.78**	**-**	**453.73**	**-**	**-**	**2,679.46**

	31.03.2024	31.03.2023
3A पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
1 अप्रैल 2023 तक	**412.50**	**683.45**
परिवर्धन	0.00	16.20
निपटान/समायोजित	-81.21	-287.16
31 मार्च 2024 तक	**331.29**	412.50

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

चालू वित्त वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण:

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र	-	-	-	-	-
सीएनसी बेलनाकार पीसने की मशीन	-	-	-	-	-
नए हैंगर का निर्माण	-	-		11.59	11.59
डीजल जनरेटर					-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
प्रगति पर परियोजनाएं	-	-	110.00	209.70	319.70
	-	**-**	**110.00**	**221.29**	**331.29**

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार विवरण:

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सीएनसी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र	-	-	-	-	-
सीएनसी बेलनाकार पीसने की मशीन	-	-	-	-	-
नए हैंगर का निर्माण	-	-	11.59	-	11.59
डीजल जनरेटर	16.21	-			16.21
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
प्रगति पर परियोजनाएं	-	110.00		274.70	384.70
	16.21	**110.00**	**11.59**	**274.70**	**412.50**

(चालू वित्तीय वर्ष के अंत में सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम का विवरण:) पूंजीगत कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्लांट और मशीनरी		110.00		
HMT CNC हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, HMC-1000	170.00			
HMT CNC लेथ स्टैलियन 200 UL	38.98			
रेक्सरोथ मेक एक्सटर्नल गियर पंप	0.72			
प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस	-			
	209.70	**110.00**	**-**	**-**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

अतिरिक्त जानकारी:

1. कंपनी मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था योजना के पैरा 10 (जे) और अनुलग्नक 12 के अनुरूप 01.04.2000 तक 202.10 करोड़ रुपये के सकल मूल्य पर अचल संपत्तियां होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई हैं। मूल्यह्रास हेतु 151.46 करोड़ रुपये आरक्षित तथा 50.64 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य है।

2. अचल संपत्तियों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्था योजना के अंतर्गत निहित अचल संपत्तियां शामिल हैं। हालाँकि, उस प्रभाव के लिए राजस्व अभिलेखों में शीर्षक विलेखों का उत्परिवर्तन अभी तक नहीं किया गया है। लीज होल्ड भूमि के संबंध में नए लीज विलेख निष्पादित किए जाने के लिए लंबित हैं।

3. कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के अनुसार, कंपनी ने अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन लागू किया है। तदनुसार, असंशोधित वहन मूल्य को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास/परिशोधित किया जा रहा है। अचल संपत्तियों का लिखित मूल्य, जिनकी अवधि 1 अप्रैल 2014 को समाप्त हो गई है, को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लाभ और हानि विवरण के आरंभिक शेष में कर के बाद समायोजित किया गया है, जिसकी राशि 321.73 लाख रुपये है।

4. प्रागा टूल्स डिवीजन, हैदराबाद प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में अधिशेष और निपटान के लिए पहचानी गई अचल संपत्तियों की 7 वस्तुएं शामिल हैं, जिनका शुद्ध ब्लॉक 16,34,329 रुपये है।

5,भूमि:

5.1. राजस्थान सरकार द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक, मशीन टूल यूनिट अजमेर में औद्योगिक उपयोग के लिए राजस्व भूमि के रूपांतरण के लिए देय रूपांतरण शुल्क, यदि कोई हो, का प्रावधान खातों में नहीं किया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन है और लीज डीड का निष्पादन लंबित है। खसरा संख्या: 6767 (2.17 बीघा / 0.87 एकड़ भूमि) 1976 से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई है। सरकार द्वारा इस भूमि का खाली कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि भूमि के लिए मुआवजा भूमि मालिक को दिया गया है, लेकिन इस भूमि पर स्थित निर्मित पक्के/खाचे घरों के लिए मुआवजे का भुगतान तब तक नहीं किया गया है जब तक कि सरकार द्वारा समझौते के अनुसार मुआवजे की राशि को अंतिम रूप नहीं दिया जाता।

5.2 कंपनी के पास बंगलौर, कलमस्सेरी और हैदराबाद में उपहार भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 177.75 एकड़, 166 एकड़ और 227.30 एकड़ भूमि उपहार में दी गई है, जिनका नाममात्र मूल्य 1 रुपये प्रति है।

5.3 प्रागा टूल्स डिवीजन के पास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई 195 एकड़ और 33 गुंटा जमीन का कब्जा है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की फाइल पर रिट याचिका संख्या 20012/2003 दायर की है जिसमें कंपनी ने कंपनी को सौंपने के लिए 195.33 एकड़ जमीन चिह्नित करने के निर्देश मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर रंगा रेड्डी जिले के सर्वेक्षण और बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह सामने आया है कि लगभग 39 एकड़ जमीन कंपनी के वास्तविक कब्जे में नहीं है, लेकिन कंपनी ने डिक्री धारकों को पूरी 195.33 एकड़ जमीन का भुगतान कर दिया है। उपरोक्त भूमि में से 6000 वर्ग मीटर 33 केवी स्विचिंग स्टेशन और 33/11 केवी विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के

लिए एपीएसईबी को 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। एपीएसईबी द्वारा देय मुआवजा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। जीएचएमसी ने नोटिस संख्या 41/86/आरडब्ल्यू/टीपीएस/जीएचएमसी//एससी/2007 दिनांक 01.12.2007 के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जिसमें उनके द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए कावड़ीगुडा, सिकंदराबाद में उपलब्ध 3000 वर्ग गज भूमि में से 238.86 वर्ग गज भूमि बिना किसी मुआवजे के लेने का अनुरोध किया गया। कंपनी ने इसका विरोध किया और सड़क चौड़ीकरण कार्यक्रम के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए प्रचलित बाजार दर पर मुआवजे की मांग की जो लंबित है।

तुलन पत्र के अभिन्न भाग विवरण

3बी. निवेश संपत्ति

(रुपये लाख में)

विवरण	भूमि	इमारतें	कुल
लागत या मूल्यांकन			
31 मार्च 2023 को	7.36	26.17	33.53
अतिरिक्त	-	-	-
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 को	7.36	26.17	33.53
मूल्यह्रास और क्षति			
31 मार्च 2023 को	-	5.50	5.50
अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	0.43	0.43
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-
कटौती/समायोजन	-	-	-
निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	5.93	5.93
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2024 को	7.36	20.24	27.60
31 मार्च 2023 को	7.36	20.67	28.03

अतिरिक्त जानकारी

i) कंपनी ने कुछ भूमि और भवन को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मालिकाना हक वाली संपत्ति नहीं है

ii) कंपनी ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से निवेश संपत्ति का कोई उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 53,163.63 लाख रुपये है (पिछले वर्ष भी 53,163.63 लाख रुपये)

iii) कंपनी के पास कलमस्सेरी और हैदराबाद में स्थित उपहार भूमि है, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपहार में दी गई है, जो क्रमशः 182.83 एकड़ और 28.42 एकड़ है, जिसका नाममात्र मूल्य 1 रुपये प्रति एकड़ है।

तुलन पत्र के अभिन्न भाग विवरण

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	7.57	8.26
किराये की आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.00	0.00
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जो किराये की आय उत्पन्न नहीं करते हैं	0.00	0.00
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	7.57	8.26
घटाएँ - मूल्यह्रास	0.43	0.43
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	**7.14**	**7.83**

3सी.बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू संपत्तियाँ

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
संयंत्र और मशीनरी	0.00	0.00
फ़ैक्ट्री उपकरण	-	-
	0.00	0.00

5. इन्वेंटरी		
कच्चा माल और घटक	2,618.34	2,372.60
पारगमन में सामग्री और घटक	9.37	22.91
कार्य-प्रगति	4,470.98	4,147.67
तैयार माल #	2,975.95	3,382.02
स्क्रैप	1,427.92	1,410.59
उपकरण और यंत्र	247.76	217.37
स्क्रैप	64.36	95.28
	11,814.69	**11,648.45**
कम: गैर-चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	1,406.53	1,228.22
	10,408.16	**10,420.23**

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
6. व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	11,065.81	15,393.52
संदिग्ध	9,491.01	7,920.98
	20,556.82	**23,314.49**
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	9,491.01	7,920.98
	11,065.81	**15,393.52**

6ए व्यापार प्राप्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार ब्यौरा।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद-अच्छा माना जाता है	3,211.29	661.52	3,008.06	1,084.51	3,100.44	11,065.81
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	-	1.26	34.15	144.96	9,310.64	9,491.01
विवादित- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
	3,211.29	**662.77**	**3,042.21**	**1,229.47**	**12,411.07**	**20,556.82**

6बी व्यापार प्राप्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक आयुवार ब्यौरा।

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद-अच्छा माना जाता है	8,638.30	926.71	2,019.80	1,248.15	2,560.55	15,393.51
निर्विवाद - संदिग्ध माना गया	0.14	18.24	31.21	121.41	7,749.98	7,920.98
विवादित- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध माना गया	-	-	-	-		-
	8,638.44	**944.95**	**2,051.01**	**1,369.56**	**10,310.53**	**23,314.49**

नोट: अंतर इकाई लेनदेन यदि कोई हो तो उसे अलग से दिखाया जाना चाहिए

7. नकद और नकद समतुल्य

A. नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष:		
– चालू खातों पर	1,197.93	1,319.76
– एस्क्रो खाते	49.92	49.92
– तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता वाली जमाराशि	249.63	239.75
– हाथ में नकद और चेक	2.39	2.24
B. अन्य बैंक शेष	-	-
"– तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की परिपक्वता वाली जमाराशि"	1,744.80	1,658.62
	3,244.68	**3,270.29**

* शामिल हैं. सर्ज के संबंध में 72.59 लाख रुपये (एस्क्रो खातों में 49.92 लाख रुपये और 22.67 लाख रुपये चालू खाते में)

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
8. ऋण	-	-
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
वर्तमान		
अर्जित और देय ब्याज	0.21	0.07
गैर-चालू		
अनुसूचित बैंकों के साथ जमा खाते में - मार्जिन मनी	301.17	297.58
बैंकों के साथ बारह महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ	0.34	0.30
कुल	**301.71**	**297.95**
10. अन्य परिसंपत्तियाँ		
10. अन्य परिसंपत्तियाँ गैर-वर्तमान		
पूंजीगत अग्रिम	1.97	1.97
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-1.97	-1.97
	-	**-**
सुरक्षा जमा	312.44	308.23
	312.44	**308.23**
वर्तमान		
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड.	3.57	256.73
	3.57	**256.73**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अच्छा माना जाता है	2,784.59	3,086.00
संदिग्ध माना गया	762.72	755.50
	3,547.31	**3,841.50**
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	762.72	755.50
	2,784.59	**3,086.00**
करों और अन्य कर प्राप्तियों को रोकना*	164.27	300.24
सुरक्षा जमा	14.94	21.60
	179.21	**321.85**
कुल अन्य परिसंपत्तियां	**2,967.37**	**3,664.58**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

11. शेयर पूंजी		
अधिकृत शेयर पूंजी		**(रुपये लाख में)**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	इक्विटी शेयर	
प्राधिकृत पूंजी	संख्या	राशि
31 मार्च 2023 को	35,50,00,000	35,500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)		
31 मार्च 2024 को	**35,50,00,000**	**35,500.00**
जारी, अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूंजी		
	10/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर जारी और पूर्णतः भुगतान किये गये	
	संख्या	राशि
31 मार्च 2024 को	**27,65,99,137**	**27,659.91**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)		
31 मार्च 2024 को	**27,65,99,137**	**27,659.91**

"कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित करती है और उसका भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा""

"कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित करती है और उसका भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा""

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले का विवरण				
	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
10 रुपये प्रति पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयर एचएमटी लिमिटेड	27,65,99,137	100%	27,65,99,137	100%

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

12.अन्य इक्विटी

विवरण	अन्य इक्विटी				
	रिजर्व एवं अतिरेक		अन्य व्यापक आय		
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
1 अप्रैल 2023 तक शेष	2,270.82	-2,06,391.08	-	-5,211.33	-2,09,331.60
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्ववधि चूक					-
1 अप्रैल 2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	**2,270.82**	**-2,06,391.08**	**-**	**-5,211.33**	**-2,09,331.60**
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन, कर प्रभाव का निवल				-6.82	-6.82
अवधि के दौरान लाभ		-15,524.17			-15,524.17
31 मार्च 2024 को	**2,270.82**	**-2,21,915.25**	**-**	**-5,218.15**	**-2,24,862.58**

विवरण	अन्य इक्विटी				
	रिजर्व एवं अतिरेक		अन्य व्यापक आय		
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल इक्विटी
	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
1 अप्रैल 2022 तक शेष					
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्ववधि चूक	2,270.82	-1,93,225.93	-	-5,178.46	-1,96,133.57
1 अप्रैल 20232तक पुनः घोषित शेष राशि	**2,270.82**	**-1,93,225.93**	**-**	**-5,178.46**	**-1,96,133.57**
निवल परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियां का पुनर्मूल्यांकन, कर प्रभाव का निवल				-32.87	-32.87
अवधि के दौरान लाभ		-13,165.15			-13,165.15
31 मार्च 2023को	**2,270.82**	**-2,06,391.08**	**-**	**-5,211.33**	**-2,09,331.60**
नोट: दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता: 44300000 3.5% रिडीम्बल वरीयता शेयर, प्रत्येक 100/- रुपये, अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए।					

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स जो खातों का हिस्सा बनते हैं
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

(राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10333951

(राजेश कुमार)
निदेशक
डीआईएन 09403746

आर. वेंकट कृष्णा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 004605एस

(आलोक कुमार बेहरा)
(संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त))

(ओम प्रकाश सिंह)
कंपनी सचिव

(जे. उल्लास)
साथी
एम.नं.016397
यूडीआईएन:-24016397BKFEFE1832

स्थान : बैंगलोर
दिनांक : 06-08-2024

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
13. उधार	-	-
गैर-वर्तमान	-	-
गैर-वर्तमान असुरक्षित	-	-
14. उधार		
वर्तमान		
वर्तमान सुरक्षित		
नकद ऋण	3,912.95	4,290.79
होल्डिंग कंपनी से ऋण	30,582.41	27,470.43
आपातकालीन ऋण ऋण	-	-
शुद्ध वर्तमान उधार	**34,495.35**	**31,761.22**
15. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर चालू		
ग्रेच्युटी	2,230.92	2,438.69
अर्जित अवकाश नकदीकरण	956.87	970.14
निपटान भत्ता	112.86	126.04
	3,300.65	**3,534.87**
वर्तमान		
ग्रेच्युटी	655.09	794.15
अर्जित अवकाश नकदीकरण	232.96	258.13
निपटान भत्ता	34.56	41.91
मजदूरी और वेतन संशोधन (1992)	1,365.27	1,412.58
	2,287.88	**2,506.76**
कुल	**5,588.53**	**6,041.63**
16. व्यापार देयताएं		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि	370.67	546.77
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य को देय राशि	7,006.40	6,288.05
कुल	**7,377.07**	**6,834.83**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक

16ए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यापार देय आयुवार विवरण:

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	235.52	36.92	51.21	47.01	370.67
अन्य	4,288.44	935.49	351.94	1,430.53	7,006.40
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	4,523.96	**972.42**	**403.15**	**1,477.54**	**7,377.07**

16ख पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कालक्रम वार व्यापार देय विवरण

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	350.26	111.73	23.62	61.16	546.77
अन्य	3,742.28	643.78	663.42	1,238.58	6,288.06
विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
	4,092.54	**755.51**	**687.04**	**1,299.74**	**6,834.83**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपये लाख में)
(Rs. In Lakhs)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
17. अन्य वित्तीय देयताएं		
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 4,43,00,000 3.5% शोध्य वरीयता शेयर**	44,300.00	44,300.00
भारत सरकार से ऋण (चूक)		
ब्याज दर 15.50% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (सांविधिक देय 2006-07)	782.00	782.00
ब्याज दर 15.50% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (पूंजी व्यय 2006-07)	395.00	395.00
ब्याज दर 3.50% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (वीआरएस 2007-08 तथा 2008-09)	4,001.19	4,001.19
ब्याज दर 13.50% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (सांविधिक देय 2012-13,13-14,14-15)	16,070.61	16,070.61
ब्याज दर 13.50% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (कार्यशील पूंजी)	7,500.00	7,500.00
ब्याज दर 7.00% पर 5 वर्ष के लिए सावधि ऋण (ब्रिज ऋण-1997 वेतनमान)	6,104.00	6,104.00
ऋणों पर ब्याज उपचय		
भारत सरकार से ऋण	53145.05	46936.95
एचसी ऋण से ऋण	5,321.85	5,371.85
योग	**1,37,619.71**	**1,31,461.61**
18. अन्य चालू देयताएं		
गैर-चालू		
भारत सरकार से सरकारी अनुदान-आस्थगित आय	47.56	67.91
एचएमटी लिमिटेड से सहायता	22.80	22.80
	70.36	**90.71**
चालू		
एचएमटी लिमिटेड	1,288.02	1,198.30
ईएमडी जमा प्राप्त	1,960.66	1,908.90
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	4,714.90	4,730.72
विविध लेनदार- बकाया	638.70	931.32
अन्य देयताएं	34,705.76	33,295.69
कुल	**43,308.03**	**42,064.94**

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

विवरण	वारण्टी दावे	वेतन/मजदूरी संशोधन का प्रावधान	योग
19. प्रावधान - अन्य			
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	**97.42**	-	97.42
अवधि के दौरान उत्पन्न	67.63	-	67.63
प्रयुक्त	-81.91	-	-81.91
अप्रयुक्त राशियों का रिवर्सल	-0.99	-	-0.99
31 मार्च 2024 की स्थिति	**82.14**	-	**82.14**
चालू	82.14	-	82.14
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	**95.46**	110.40	205.85
अवधि के दौरान उत्पन्न	64.02	-	64.02
प्रयुक्त	-17.77	-110.40	-128.16
अप्रयुक्त राशियों का रिवर्सल	-44.28	-	-44.28
31 मार्च 2023की स्थिति	**97.42**	-	**97.42**
चालू	**97.42**	-	97.42
गैर चालू	-	-	

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
20. परिचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
मशीन टूल्स की बिक्री	8,303.11	11,643.98
एस्सेसरिज की बिक्री	1,137.34	1,736.58
	9,440.45	**13,380.56**
सेवाओं की बिक्री		
विविध एवं कार्य विविध बिक्री	223.07	463.03
पैकिंग/प्रेषण प्रभार	31.31	55.63
सेवाओं की बिक्री	275.15	324.83
	529.54	**843.49**
परिचालनों से राजस्व	**9,969.99**	**14,224.06**
21. अन्य आय		
क. अन्य आय		
स्टाफ/अन्यों से वसूलियां	47.00	51.86
भाड़ा और बीमा की वसूली	2.57	3.49
प्राप्त किराया	575.87	566.21
यात्रा व्यय वसूली	0.14	0.29
जल प्रभार वसूली	2.36	0.97
बिजली प्रभार वसूली	16.28	11.66
विविध आय	315.78	364.49
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से लाभ	23.09	5.27
प्रावधान समाप्ति	428.46	538.63
सरकारी अनुदान	20.35	45.76
रद्दी सामान की बिक्री	32.66	173.76
प्रशिक्षण व्यय वसूली	23.53	3.29
सीएचओ ऋण पर ब्याज माफ	1,544.11	1,398.11
क्रेडिटर पट्टा	-	25.98
कुल अन्य आय	**3,032.19**	**3,189.77**
ख. ब्याज आय		
बैंक जमा से ब्याज	123.11	83.20
डीलरों/अन्यों से ब्याज	6.55	6.84
	129.65	**90.04**
ब्याज आय- अन्य	**3,161.85**	**3,279.81**

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

		(रुपये लाख में)
विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
22 प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की लागत		
कच्ची सामग्रियां एवं कंपोनेंट्स		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	2,372.60	2,326.93
जोड़ें.: क्रय	4,233.33	3,649.88
	6,605.93	**5,976.81**
जोड़ें/घटाएं: अंर्त-फैक्टरी अंतरण	2,618.34	2,372.60
प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों एवं कंपोनेंट्स की लागत	**3,987.59**	**3,604.20**
भंडार, पुर्जे, टूल्स व पैकिंग सामग्रियों की खपत	1,496.21	1,441.77
खपत की गई कुल कच्ची सामग्रियां एवं कंपोनेंट्स	**5,483.80**	**5,045.97**
23.मालसूची में परिवर्तन		
तैयार माल		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	3,382.02	5,821.07
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	2,975.95	3,382.02
मालसूची में परिवर्तन	406.07	2,439.06
कार्य प्रगति पर		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	4,147.67	4,987.67
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	4,470.98	4,147.67
मालसूची में परिवर्तन	-323.31	839.99
स्क्रेप		
वर्ष/तिमाही के प्रारंभ में मालसूची	95.28	173.44
घटाएं / वर्ष के अंत में मालसूची	64.36	95.28
मालसूची में परिवर्तन	30.91	78.16
योग	**113.67**	**3,357.21**
24. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मुनाफा एवं बोनस	4,588.52	4,712.76
मकान, किराया भत्ता	75.00	96.13
उपदान	374.47	406.44
पीएफ एवं ईपीएफ में अंशदान	457.91	497.05
डिपोजीत सम्बद्ध बीमा	47.46	37.06
ईएसआई में अंशदान	3.77	4.00
कल्याण व्यय	1,028.61	1,018.35
	6,575.75	**6,771.78**

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
25. मूल्यह्रास और परिशोधन		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	603.83	567.74
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	-	140.61
निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.43	0.43
	604.26	**708.78**
26. वित्तीय लागत		
भारत सरकार ऋण	6,208.10	6,208.10
बैंकों से नकद ऋण ऋण	597.59	680.85
अंतर कॉर्पोरेट ऋण	1,544.11	1,398.11
अन्य	-	-
कुल वित्तीय लागत	**8,349.80**	**8,287.07**
27. अन्य व्यय		
बिजली और ईंधन	902.57	776.66
गैर-चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	209.04	58.39
बिक्री, विज्ञापन और प्रचार	14.57	14.86
किराया	29.37	31.71
दरें और कर	81.12	109.87
बीमा	32.39	33.31
भुगतान किए गए सेवा शुल्क	-	-
प्रशिक्षण व्यय - कौशल विकास	3.32	6.30
पानी और बिजली	83.21	76.93
इमारत की मरम्मत	35.15	36.96
मशीनरी की मरम्मत	26.00	23.80
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	22.77	29.16
सम्मेलन, सेमिनार और प्रशिक्षण	0.63	5.39
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक #	6.68	6.57
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	1,601.29	624.68
वारंटी दावे	70.92	64.02
पीएफ ट्रस्ट द्वारा सहन किया गया नुकसान	769.36	369.52
यात्रा व्यय	155.23	177.57
विनिमय अंतर	0.52	1.14
बैंक शुल्क	116.57	182.08

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
विलंबित प्रेषण पर ब्याज	897.87	1,601.79
होल्डिंग कंपनी का व्यय	19.05	12.58
गाड़ी का बाहरी हिस्सा	156.87	188.01
मरम्मत और रखरखाव सामान्य	128.13	185.48
सुरक्षा शुल्क	254.53	231.71
आकस्मिक श्रम शुल्क	1,662.71	1,495.51
प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म "सर्ज" व्यय	19.27	44.70
अन्य व्यय	528.47	584.82
	7,827.62	**6,973.53**
वैधानिक लेखा परीक्षा	3.59	3.45
कर लेखा परीक्षा	1.83	1.88
लागत लेखा परीक्षा	1.26	1.24
	6.68	**6.57**
28. आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य		
दुकान में निर्मित विशेष उपकरण	298.91	391.49
	298.91	**391.49**
29. असाधारण आइटम		
अंतर मूल्यह्रास को उलटा होना	-	83.83
NUM और SAP के विरुद्ध लगाए गए	-	-
	-	**83.83**

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

32. Earnings per share (EPS)

(रुपये लाख में)

विवरण	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर परिचालन	(15,524.17)	(13,165.15)
बंद परिचालन		
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	**(15,524.17)**	**(13,165.15)**
परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर ब्याज		
कमजोरी के प्रभाव के लिए समायोजित मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ	**(15,524.17)**	**(13,165.15)**
बुनियादी ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	27,65,99,137	27,65,99,137
कमजोरी का प्रभाव:		
परिवर्तनीय वरीयता शेयर		
कमजोर पड़ने के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**27,65,99,137**	**27,65,99,137**
निरंतर संचालन के लिए प्रति शेयर आय		
मूल, मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय सतत परिचालन से लाभ	**(5.61)**	**(4.76)**
, मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार निरंतर संचालन से लाभ	**(5.61)**	**(4.76)**

* * रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तारीख के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़ा कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

नोट: 33. IndA5 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित खुलासे नीचे दिए गए हैं:

1. परिभाषित अंशदान योजना:

पेंशन में योगदान

(रुपया लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
एफपीएस में कुल योगदान	93.41	107.41

2.2. परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान देती है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और निपटान भत्ता दिया जाता है, जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। कंपनी ने भविष्य निधि के लिए स्वतंत्र एक्चुअरी से एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

कंपनी की योजना के लिए ग्रेच्युटी और रोजगार के बाद लाभ दायित्वों को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं नीचे दर्शाई गई हैं:

	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
	%	%
छूट दर:		
ग्रेच्युटी योजना	7.10	7.27
निपटान भत्ता	7.10	7.27
अर्जित अवकाश नकदीकरण	7.10	7.27
भविष्य में वेतन वृद्धि:		
ग्रेच्युटी योजना	7.00	7.00
निपटान भत्ता	7.00	7.00
अर्जित अवकाश नकदीकरण	7.00	7.00

जनसांख्यिकीय अनुमानों का सारांश	ग्रेच्युटी योजना		निपटान भत्ता		नकदीकरण छुट्टी	
	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023	31-मार्च -2024	31-मार्च -2023
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) के % के रूप में (संशोधित) अंतिम मृत्यु दर तालिका)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के प्रतिशत के रूप में)	5%	5%	5%	5%	0%	0%
निकासी दर	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%	1% to 3%		
संघर्षण					1% to 3%	1% to 3%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs	58yrs
औसत भावी सेवा	12.72	12.82	12.72	12.82		
रोजगार के दौरान अवकाश नकदीकरण दर					1% to 3%	1% to 3%
अवकाश उपयोगिता दर					1%	1%

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

परिभाषित लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना, अर्जित अवकाश नकदीकरण और निपटान भत्ता की लागत और ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

ए. उपदान

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-24
	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(4,310.77)	(183.79)	(283.77)	(467.56)	782.94			-24.20	1.22	-22.98		(4,018.37)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,077.94		70.93	70.93	(782.94)	10.04				10.04	756.38	1,132.35
लाभ देयता	**(3,232.83)**	**-183.79**	**-212.84**	**(396.63)**	**0.00**	**10.04**	**0.00**	**(24.20)**	**1.22**	**(12.94)**	**756.38**	**(2,886.02)**

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(Rs. In Lakhs)

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	31-Mar-23
	01-Apr-22	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(5,218.24)	(184.31)	(311.83)	(496.14)	1,469.27			105.47	(171.13)	-65.66		(4,310.77)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,298.02		84.49	84.49	(1,469.27)	23.53				23.53	1,141.17	1,077.94
लाभ देयता	**(3,920.22)**	**-184.31**	**-227.34**	**(411.65)**	**0.00**	**23.53**	**0.00**	**105.47**	**-171.13**	**-42.13**	**1,141.17**	**(3,232.83)**

बी. अर्जित अवकाश नकदीकरण

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषति लाभ लागत			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	31-Mar-24
	01-Apr-23	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,228.27)	(131.60)	(84.69)	(216.29)	282.22	0.00	0.00	-12.93	-14.55	-27.48	0.00	(1,189.82)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00											0.00
लाभ देयता	**(1,228.27)**	**-131.60**	**-84.69**	**(216.29)**	**282.22**	**0.00**	**0.00**	**(12.93)**	**(14.55)**	**(27.48)**	**0.00**	**(1,189.82)**

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(Rs. In Lakhs)

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	31-Mar-23
	01-Apr-22	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,404.46)	(103.80)	(84.85)	(188.65)	312.43	0.00	0.00	51.42	1.00	52.41	0.00	(1,228.27)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00											0.00
लाभ देयता	**(1,404.46)**	**-103.80**	**-84.85**	**(188.65)**	**312.43**	**0.00**	**0.00**	**51.42**	**1.00**	**52.41**	**0.00**	**(1,228.27)**

सी. निपटान भत्ता

31 मार्च 2024 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	31-Mar-23
	01-Apr-22	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(167.95)	(19.70)	(10.69)	(30.39)	44.80		0.00	-1.31	7.43	6.12		(147.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00											0.00
लाभ देयता	**(167.95)**	**(19.70)**	**(10.69)**	**(30.39)**	**44.80**	**0.00**	**0.00**	**(1.31)**	**7.43**	**6.12**	**0.00**	**(147.42)**

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

रु. लाख में

विवरण		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			लाभ या हानि पर लगाया गया ग्रेच्युटी खर्च						नियोक्ता द्वारा योगदान	**31-Mar-22**
	01-Apr-21	सेवा लागत	शुद्ध ब्याज व्यय	लाभ या हानि में शामिल उप-योग	भुगतान किये गये लाभ	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल है		
परिभाषित लाभ दायित्व	(198.08)	(21.97)	(11.25)	(33.22)	54.09		0.00	5.69	3.57	9.26		(167.95)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0											0.00
लाभ देयता	**(198.08)**	**-21.97**	**-11.25**	**(33.22)**	**54.09**	**0.00**	**0.00**	**5.69**	**3.57**	**9.26**	**0.00**	**(167.95)**

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

संवेदनशीलता का विश्लेषण:

मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएँ विशेष रूप से संवेदनशील हैं, वे हैं छूट दर और पूर्ण वेतन वृद्धि दर। निम्न तालिका रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिपोर्ट किए गए परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को सारांशित करती है जो मान्यताओं में 100 आधार अंकों की वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होती है:

(i) ग्रेच्युटी (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	153.51	135.25	155.93	137.91
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	104.40	101.68	109.33	105.98
निकासी दरों में परिवर्तन	24.59	21.13	23.85	20.33

(ii) निपटान भत्ता (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	8.37	7.30	8.42	7.38
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	7..37	8.30	7.46	8.36
निकासी दरों में परिवर्तन	7.98	9.09	8.09	9.15

(ii) अर्जित अवकाश नकदीकरण (रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	कम	ज्यादा	कम	ज्यादा
छूट दर में परिवर्तन	82.92	71.74	76.25	66.22
वेतन वृद्धि की दर में परिवर्तन	74.11	84.09	68.55	77.48
निकासी दरों में परिवर्तन	2.72	2.35	3.47	3.05

अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रेच्युटी हेतु अपेक्षित अंशदान 1929.57 लाख रुपये तथा निपटान भत्ता शून्य होगा।

वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग नोट

नोट संख्या 34 खंड रिपोर्टिंग

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

	रुपये लाख में	
विवरण	31-मार्च-24	31-मार्च-23
बाहरी ग्राहकों से राजस्व		
भारत	3,118.03	1,706.68
भारत के बाहर		
लाभ या हानि के समेकित विवरण के अनुसार कुल राजस्व	**3,118.03**	**1,706.68**

उपरोक्त राजस्व जानकारी ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

एक ग्राहक से राजस्व 3118 लाख रुपये था जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से राजस्व का 10% से अधिक है

एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व 1707 लाख रुपये था जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व का 10% से अधिक है

31 मार्च 2024 को वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट संख्या 35 अतिरिक्त प्रकटीकरण रुपये लाख में

	ब्यौरा	तक 31.03.2024	तक 31.03.2023
1	आकस्मिक देयताएं		
	ए. कर संबंधी दावे अपील में लंबित हैं		
	i) उत्पाद शुल्क	-	32.31
	ii) बिक्री कर	213.55	213.55
	iii) संपत्ति कर	8,080.05	4,945.11
	iv) विवादित आयकर		
	बी. तालाबंदी, बकाया वेतन, प्रोत्साहन और वार्षिक बोनस आदि से संबंधित कर्मचारी संबंधी दावे, न्यायनिर्णयन लंबित, जहां तक पता लगाया जा सके	1,719.53	1,539.51
	सी. अन्य (जैसा कि अनुबंध-ए में दिखाया गया है)	10,538.72	9,674.20
2	रियायती बिक्री कर लगाने के विरुद्ध संबंधित प्रपत्र प्राप्त न होना	54.40	54.40
3	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	-	65.00
		20,606.24	**16,524.08**
4	सूची में शामिल हैं:		
	उपयोग योग्य, धीमी गति से चलने वाला/गैर-चलने वाला और अधिशेष भंडार और सामग्री/कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड:	405.47	818.08
5	व्यापार प्राप्तियों में शामिल हैं:		
	एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्माण और कमीशनिंग के लिए बकाया राशि।	243.41	856.14
6	अग्रिम में शामिल हैं:		
6.1	कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि, अग्रिम राशि, बोनस आदि, न्यायनिर्णयन/बातचीत लंबित।	2.54	2.75
6.2	वेतन/मजदूरी/महंगाई भत्ते के संशोधन बकाया के रूप में कर्मचारियों को तदर्थ रूप से भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, समायोजन लंबित है जिसके लिए खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।	123.08	152.63
7	वर्तमान देनदारियां		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि		
a	i) प्रिंसिपल	370.67	546.77
	ii) ब्याज	70.69	64.98
b	भुगतान की गई ब्याज राशि	1.14	2.16
c	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	140.58	125.41
8	व्यापार प्राप्य', 'ऋण एवं अग्रिम' तथा 'व्यापार देय' के अंतर्गत शेष राशि पुष्टि के अधीन है, यद्यपि अधिकांश मामलों में पुष्टि मांगी गई है।		
9	अन्य में वर्ष के लिए ऋण पर ब्याज शामिल है, जिसे एचएमटी लिमिटेड द्वारा माफ कर दिया गया है	1,544.11	1,398.11
10	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	122.96	149.23
11	जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः वर्गीकृत किया गया है।		

31 मार्च 2024 को वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

इंडएएस 37) के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की आवश्यकता **अनुलग्नक - ए**

"अन्य"

क्र. सं	मामलों का वर्ग	मामलों की प्रकृति**	रुपये लाख में
1	केन्द्रीय उत्पाद विभाग	धीमें / अचल मालसूची के प्रावधानों का रिवर्सल किए जाने से संबंधित मांग नोटिस	291.29
2	पीएफ/ईपीएस/ईएसआई मामले	पीएफ/ईपीएस प्राधिकरणों द्वारा उत्पन्न मांग	4,626.22
3	ए.पी. सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड वाटर बोर्ड	विकास प्रभारों के प्रति दावा की गई राशि, आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास अपील लंबित	774.74
4	गेल द्वारा जोखिम क्रय का दावा	गेल द्वारा वर्ष 1996-97 के संबंध में जोखिम क्रय के खंड के प्रति दावा	8.09
5	मोटर दुर्घटना मामला	हमारे वाहन से दुर्घटन होने का मामला जिससे तृतीय पार्टियों को चोट लगी। इनमें एचएमटी तृतीय पार्टी है क्योंकि बीमा कम्पनी मामले का रक्षण कर रही है	13.00
6	आपूर्तिकर्ता दावा	सामग्रियों की आपूर्ति तथा उसके भुगतानों से संबंधित विवादित दावे	163.73
7	कर्मचारी को-आपरेटिव सोसायटी	ऋण वसूलियों पर ब्याज	31.17
8	एचएमडब्ल्यूएसएसबी	.बिलिंग विवाद	124.59
9	2007 का सीएमए नंबर 540	2007 का सीएमए नंबर 540	58.48
10	ग्राहक दावा	ग्राहक / न्यायिक मामले	3,028.97
12	उपदान मामले एवं ब्याज	एएलसी (केन्द्र) हैदराबाद के सम्मुख प्रस्तुत मामला	335.75
13	वस्तु एवं सेवा कर, टीडीएस / टीसीएस	जीएसटी पर जीएसटी ब्याज	1,022.47
14	जमा	ग्राहकों के साथ लम्बे काल से लंबित जमा	60.21
		योग	**10,538.72**

* यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि से संबंधित है।

** मामले का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण के अभिन्न भाग नोट

रुपये लाख में

	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2024			वर्ष समाप्त 31.03.2023		
1	कच्चे माल और घटकों की खपत						
		इकाई	**मात्रा**	**कीमत**	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**
	इस्पात	एमटी	224.28	211.74	एमटी	303.60	321.58
	अलौह धातु	एमटी	48.60	125.38	एमटी	1.02	2.63
	फेरस कास्टिंग्स	एमटी	456.77	557.24	एमटी	660.71	810.60
	अलौह कास्टिंग	एमटी	23.70	31.06	एमटी	32.40	42.64
	फोर्जिंग्स	एमटी	27.84	36.75	एमटी	20.35	26.95
	मानक भाग			2,004.52			1,473.42
	अवयव			496.82			593.47
	अन्य			524.08			332.91
				3,987.59			**3,604.20**
2	कारोबार	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**	**इकाई**	**मात्रा**	**कीमत**
	मशीन के उपकरण	संख्या.	280	8,258.43	संख्या.	309.00	11,622.62
	मुद्रण मशीनें	संख्या.	2	44.68	संख्या.	1.00	21.37
	सेवाओं की बिक्री			275.15			324.83
	सहायक सामग्री			1,108.09			1,736.58
	विविध नौकरियाँ और विविध बिक्री			252.30			463.03
				31.34			55.63
				9,969.99			**14,224.06**

लाभ एवं हानि खाते का अतिरिक्त प्रकटीकरण

रुपये लाख में

बिन्दु सं.	ब्यौरा	पर जैसा 31.03.2024		पर जैसा 31.03.2023	
3	आयात से संबंधित जानकारी, विदेश में व्यय और आय मुद्रा/विनिमय और उपभोग				
	(क) आयात का सीआईएफ मूल्य:				
	कच्चा माल		178.22		197.72
	घटक और स्पेयर पार्ट्स		40.75		163.44
	पूंजीगत माल		-		-
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण		-		-
	(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय यात्रा व्यय के कारण (भुगतान के आधार पर)				2.20
	(ग) कच्चे माल की खपत, घटक, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स				
	Imported	4%	223.10	8%	464.80
	Indigenous	96%	5,260.70	92%	4,581.17
		100%	**5,483.80**	**100%**	**5,045.97**
	(घ) विदेशी मुद्रा में आय निर्यात		141.34		417.90
	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के माध्यम से,				
	अन्य		-		-

31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 36. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन
कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रु.लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	24.64	20.66
ii) रोजगार के बाद के लाभ	3.74	3.04
iii) अन्य दीर्घकालिक लाभ	2.01	0.73
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया कुल मुआवजा	**30.39**	**24.43**

संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
एचएमटी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	सहायक कंपनी
श्री पंकज गुप्ता (24.11.2023 तक)	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी)
श्री राजीव सिंह (कार्यकाल 30.12.2023 से 8.3.2024 तक)	
श्री कृष्णास्वामी रविशंकर (8.3.2024 से)	
श्री राजेश कुमार	
श्री हरिकुमार एम (27.9.2023 तक)	
श्री आलोक कुमार बेहरा (27.9.2023 से)	
श्री ओमप्रकाश सिंह	

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

क) प्राप्त ऋण एवं अग्रिम राशि तथा उसका पुनर्भुगतान: (Rs. In Lakhs)

संबंधित पक्ष का नाम	As at	ओपनिंग बैलेंस	प्राप्त ऋण	पुनर्भुगतान	स्थानांतरण	जमा शेष
क) ऋण						
एचएमटी लिमिटेड	चालू वर्ष	27470.43	3111.98			30582.41
	पिछले वर्ष	24573.58	1515.00		1381.85	27470.43

संबंधित पक्ष का नाम	As at	ओपनिंग बैलेंस	अग्रिम दिया गया (नेट)*	अग्रिम लिया गया (शुद्ध)	स्थानांतरण	जमा शेष
बी) अग्रिम (डेबिट/क्रेडिट)						
एचएमटी लिमिटेड	चालू वर्ष	-1198.30	0.00	-89.72		-1288.02
	पिछले वर्ष	-7871.16	0.00	-80.84	-6753.70	-1198.30
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	चालू वर्ष	256.73	253.16			3.57
	पिछले वर्ष	107.57	149.16			256.73

*अग्रिम में देय व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है

				(रु.लाख में)
ग) लेन-देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम		एचटीएमएल	एचएमटी (आई)	कुल
परिचालन से राजस्व				
	चालू वर्ष		141.34	141.34
	पिछले वर्ष		417.90	417.90
अन्य आय				
	चालू वर्ष	1544.11		1544.11
	पिछले वर्ष	1398.11		1398.11
सामान्य व्यय: (व्यय की प्रतिपूर्ति)				
	चालू वर्ष	19.05		19.05
	पिछले वर्ष	12.58		12.58
ब्याज				
	चालू वर्ष	1544.11		1544.11
	पिछले वर्ष	1398.11		1398.11

(घ) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ लेन-देन:

केएमपी को दिया गया पारिश्रमिक	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
-हरिकुमार एम	4.48	13.32
-आलोक कुमार बेहरा	13.40	0.00
-ओम प्रकाश सिंह	12.51	11.12
	30.39	24.44
- निदेशकों की बैठने की फीस		
- जी विजया सुनीता रेड्डी	-	0.37
	-	0.37

विविध आय (रुपये लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
अस्पताल की आय	181.90	126.52
विविध आय सामान्य (ओबीसी, वेतन, आईबीएस)		4.32
वीआरएस / एलआईसी दावा प्राप्त हुआ		56.93
विविध आय (लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क वसूल)	133.88	176.72
कुल	315.78	364.49

नोट संख्या 37 अनुपात विश्लेषण

अनुपात	मीटर	भाजक	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% विचरण	विचरण का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.12	0.15	-19.38%	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-1.16	-1.20	-3.58%	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	-0.08	-0.06	48.92%	Due to increase in negative EBITDA on account of reduction in sales
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	-8%	-8%	8.98%	
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत या बिक्री	औसत इन्वेंट्री	1.65	1.61	2.47%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	क्रेडिट बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	0.75	0.96	-21.69%	
व्यापार देयता कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद/सेवाएं	औसत व्यापार देयताएं	0.81	0.70	15.98%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-5%	-8%	-35.10%	Due to reduction in sales during the year
शुद्ध लाभ अनुपात	करों से पहले शुद्ध लाभ	आय	-118%	-75%	57.18%	Due to increase in loss and to reduction in revenue
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल/निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण	-0.04	-0.03	35.49%	Due to increase ub negative EBIT in view of reduction in sales.

Note: Alongwith Numerator and Denominator. Explanation to be provided for the ratios changes more than 25% compare to previous year

नोट: 38 डिफ़ॉल्ट की अवधि और राशि निम्नानुसार है:

कैपेक्स ऋण @15.50% ब्याज दिनांक 30.03.2006	भारत सरकार	1)02.04.2007 से 79 लाख रुपये बकाया	6207
		2) 02.04.2008 से 79 लाख रुपये बकाया	5841
		3) 02.04.2009 से 79 लाख रुपये बकाया	5476
		4) 02.04.2010 से 79 लाख रुपये बकाया	5111
		5) 02.04.2011 से 79 लाख रुपये बकाया	4746
वीआरएस ऋण @ 3.5@ ब्याज दिनांक 01.11.2007	भारत सरकार	1) 27.12.2008 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5572
		2) 27.12.2009 से 556.95 लाख रुपये बकाया	5207
		3) 27.12.2010 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4842
		4) 27.12.2011 से 556.95 लाख रुपये बकाया	4477
		5) 27.12.2012से 556.95 लाख रुपये बकाया	4111
दिनांक 29.03.2007 को 15.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 30.03.2008 से रु.156.40 लाख बकाया	5844
		2) 30.03.2009 से रु.156.40 लाख बकाया	5479
		3) 30.03.2010से रु.156.40 लाख बकाया	5114
		4) 30.03.2011से रु.156.40 लाख बकाया	4749
		5) 30.03.2012 से रु.156.40 लाख बकाया	4383
वीआरएस ऋण @ 3.5@ ब्याज दिनांक 31.12.2008	भारत सरकार	1) 15.01.2010 से 243.29 लाख रुपये बकाया	5188
		2) 15.01.2011 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4823
		3) 15.01.2012 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4458
		4) 15.01.2013 से 243.29 लाख रुपये बकाया	4092
		5) 15.01.2014 से 243.29 लाख रुपये बकाया	3727
दिनांक 24.07.2012 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 01.08.2013 से रु.888.52 लाख बकाया	3894
		2) 01.08.2014 से रु.888.52 लाख बकाया	3529
		3) 01.08.2015 से रु.888.52 लाख बकाया	3164
		4) 01.08.2016 से रु.888.52 लाख बकाया	2798

		5) 01.08.2017 से रु.888.52 लाख बकाया	2433
दिनांक 18.03.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 21.03.2015 से 392 लाख रुपये बकाया	3297
		2) 21.03.2016 से 392 लाख रुपये बकाया	2931
		3) 21.03.2017 से 392 लाख रुपये बकाया	2566
		4) 21.03.2018 से 392 लाख रुपये बकाया	2201
		5) 21.03.2019 से 392 लाख रुपये बकाया	1836
दिनांक 23.09.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 480 लाख रुपये बकाया	3100
		2) 04.10.2016 से 480 लाख रुपये बकाया	2734
		3) 04.10.2017 से 480 लाख रुपये बकाया	2369
		4) 04.10.2018 से 480 लाख रुपये बकाया	2004
		5) 04.10.2019से 480 लाख रुपये बकाया	1639
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांक 23.09.2014	भारत सरकार	1) 04.10.2015 से 500 लाख रुपये बकाया	3100
		2) 04.10.2016 से 500 लाख रुपये बकाया	2734
		3) 04.10.2017 से 500 लाख रुपये बकाया	2369
		4) 04.10.2018से 500 लाख रुपये बकाया	2004
		5) 04.10.2019 से 500 लाख रुपये बकाया	1639
दिनांक 09.10.2014 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 378.20 लाख रुपये बकाया	3093
		2) 11.10.2016 से 378.20 लाख रुपये बकाया	2727
		3) 11.10.2017 से 378.20 लाख रुपये बकाया	2362
		4) 11.10.2018 से 378.20 लाख रुपये बकाया	1997
		5) 11.10.2019 से 378.20 लाख रुपये बकाया	1632
वेतन एवं मजदूरी के भुगतान हेतु @ 13.50% ब्याज दिनांक 09.10.2014	भारत सरकार	1) 11.10.2015 से 548.60 लाख रुपये बकाया	3093
		2) 11.10.2016 से 548.60 लाख रुपये बकाया	2727

		3) 11.10.2017 से 548.60 लाख रुपये बकाया	2362
		4) 11.10.2018 से 548.60 लाख रुपये बकाया	1997
		5) 11.10.2019 से 548.60 लाख रुपये बकाया	1632
1997 वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 06.02.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2971
		2) 10.02.2017 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2605
		3) 10.02.2018 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2240
		4) 10.02.2019 से 586.80 लाख रुपये बकाया	1875
		5) 10.02.2020 से 586.80 लाख रुपये बकाया	1510
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांक 06.02.2015	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 1000 लाख रुपये बकाया	2971
		2) 10.02.2017 से 1000 लाख रुपये बकाया	2605
		3) 10.02.2018 से 1000 लाख रुपये बकाया	2240
		4) 10.02.2019 से 1000 लाख रुपये बकाया	1875
		5) 10.02.2020 से 1000 लाख रुपये बकाया	1510
दिनांक 31.03.2015 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2921
		2) 31.03.2017 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2556
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2191
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1826
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1460
1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 30.09.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 03.10.2016 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2735
		2) 03.10.2017 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2370
		3) 03.10. 018 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2005
		4) 03.10.2019 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	1640
		5) 03..10.2020 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	1274

		3) 11.10.2017 से 548.60 लाख रुपये बकाया	2362
		4) 11.10.2018 से 548.60 लाख रुपये बकाया	1997
		5) 11.10.2019 से 548.60 लाख रुपये बकाया	1632
1997 वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 06.02.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2971
		2) 10.02.2017 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2605
		3) 10.02.2018 से 586.80 लाख रुपये बकाया	2240
		4) 10.02.2019 से 586.80 लाख रुपये बकाया	1875
		5) 10.02.2020 से 586.80 लाख रुपये बकाया	1510
कार्यशील पूंजी ऋण @13.50% ब्याज दिनांक 06.02.2015	भारत सरकार	1) 10.02.2016 से 1000 लाख रुपये बकाया	2971
		2) 10.02.2017 से 1000 लाख रुपये बकाया	2605
		3) 10.02.2018 से 1000 लाख रुपये बकाया	2240
		4) 10.02.2019 से 1000 लाख रुपये बकाया	1875
		5) 10.02.2020 से 1000 लाख रुपये बकाया	1510
दिनांक 31.03.2015 को 13.50% ब्याज पर वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए	भारत सरकार	1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2921
		2) 31.03.2017 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2556
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	2191
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1826
		1) 31.03.2016 से 526.80 लाख रुपये बकाया	1460
1997 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 30.09.2015 को 13.50% ब्याज दर	भारत सरकार	1) 03.10.2016 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2735
		2) 03.10.2017 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2370
		3) 03.10. 018 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	2005
		4) 03.10.2019 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	1640
		5) 03..10.2020 से Rs.634 लाख रुपये बकाया	1274

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

50वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

अध्यक्ष महोदय का संबोधन एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की 50 वीं वार्षिक आम बैठक

मेरे प्रिय शेयरधारको,

मैं आपको वर्ष 2023-24 के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित हूं। हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करेंगे। वैश्विक दृष्टिकोण, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और हमारे राष्ट्र के भविष्य पर विनिर्माण पहलों के प्रभाव को स्वीकार करना भी अनिवार्य है।

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक महामारी के प्रकोप के बाद कई अर्थव्यवस्थाएं सुधर रही हैं, जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। हालाँकि विभिन्न क्षेत्रों में गति में काफी भिन्नता है। जहाँ कुछ बाजारों ने मजबूती से वापसी की है, वहीं अन्य को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ा है। मौजूदा भू-राजनीतिक मुद्दों ने कुछ बाजारों को और अधिक प्रभावित किया है, जिसके कारण हमें अपने निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने और नए बाजारों की खोज करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी में तेजी और प्रगति और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के निरंतर एकीकरण ने यह भी बदल दिया है कि हम अपने ग्राहकों के साथ कैसे जुड़ते हैं और लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करते हैं।

वैश्विक व्यापार में भारत की निर्यात हिस्सेदारी ने हाल के दिनों में एक सकारात्मक रुझान दिखा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है। "मेक इन इंडिया" और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत सरकार का लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात को बढ़ाना और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

कंपनी का वैश्विक विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र के शिखर पर होने का दृष्टिकोण देश के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, और एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड आगे चलकर उच्च गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं का निर्यात करके भारतीय निर्यात का समर्थन करना जारी रखेगा जो ग्राहकों की ज़रूरतों पूरा करते हैं और नए बाज़ारों में प्रवेश करते हैं और अपने क्षेत्र के अग्रणी बन जाते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था:

भारत ने वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की समग्र वृद्धि दर्ज की है और विश्व अर्थव्यवस्था आउटलुक अप्रैल 2024 के अनुसार आने वाले वर्षों में 6.5% की स्थिर वृद्धि बनाए रखने का अनुमान है। भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में 2.13% की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो कुल भारतीय निर्यात का 24% है। औद्योगिक विकास, मेक-इन-इंडिया पहल, एफडीआई और घरेलू निवेश, सरकारी नीतियों, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से प्रेरित होकर, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों का सामना करने के बावजूद लचीलेपन और निरंतर विकास का प्रदर्शन किया है। एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड देश के आर्थिक विकास में अपने योगदान पर गर्व करता है और आने वाले वर्षों में अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देता है।

निष्पादन एवं व्यावसायिक उपलब्धियां

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड [एचएमटी (आई)], ने पिछले दो वर्षों में बिक्री में लगातार वृद्धि देखी है। वर्ष 2022-23 में बिक्री 14.15 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 17.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह सकारात्मक विकास प्रक्षेपवक्र हमारी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति और वैश्विक बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। कर से पहले के लाभ में 2022- 23 में 0.31 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2023-24 में 4.81 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है।

कंपनी म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, बेलीज, चेन्नई और विशाखापत्तनम में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना/उन्नयन में सफल रही है।

एचएमटी (आई) विभिन्न देशों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के - लिए 387.8 करोड़ रुपये के तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्तावों के लिए विचार-विमर्श में है।

एचएमटी ने सहायता अनुदान परियोजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए टर्नकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से विदेश मंत्रालय (एमईए) से संपर्क किया है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

निर्यात व्यवसाय

आने वाले वर्षों में कम्पनी एचएमटी के उत्पादों एवं अन्य इंजीनियरिंग सामान्य को नए गंतव्यों तक ले जाकर अपने राजस्व में वृद्धि के लिए कमर कस रही है तथा इसके लिए अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में और अधिक टर्नकी परियोजनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रही है। 31.03.2024 को एचएमटी (आई) का ऑर्डर 26.47 करोड़ रुपये है।

कॉर्पोरेट शासन

कंपनी निरंतर मूल्यों के उच्चतर मानकों एवं सिद्धांतों को अंगीकार करने एवं उनका अनुरक्षण करने की प्रक्रियाएं करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन के सरकारी निदेशों का कम्पनी अनुपालन कर रही है।

कम्पनी अपने स्टेकधारकों की प्रत्याशाओं के अनुकूल विकास दर को बनाए रखने के निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक और कम्पनी विकास में संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है वहीं यह कॉपर्पोरेट शासन के उत्तम मानकों एवं पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं व्यावसायिकता पर बल देने के साथ आचारपूर्ण व्यवसाय व्यवहारों को अंगीकार करके अपने सभी स्टेकधारकों एवं मुख्यतः समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों के संवर्धन के लक्ष्य को बरकरार रखेगी।

आभारोक्ति

मैं इस अवसर पर माननीय भारी उद्योग मंत्री, माननीय भारी उद्योग राज्य मंत्री, सचिव (भारी उद्योग), अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियो को उनके अत्यधिक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के सुचारू संचालन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि के सभी अधिकारियों के समर्थन के लिए उनका भी आभारी हूं। मैं संबंधित राज्य सरकारों, संयुक्त कार्य भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी मूल्यवान सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यहां अपनी सम्मानित सहकर्मियों एवं एचएमटियन्स का भी उनकी अनथक प्रतिबद्धता, एवं विश्वास के लिए ह्रदय से आभार एवं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं भारत और विदेशों के अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और कम्पनी के प्रति अपने आकर्षण को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं अन्य सभी स्टेकधारकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग, सहायता एवं कम्पनी के निष्पादन में उनकी निरंतर रूचि के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों के समर्पित एवं प्रतिबद्ध संसाधनों एवं हमारे मान्य शेयरधारकों के मूल्यवान सहयोग से आपकी कम्पनी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेगी तथा अपने स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन करेगी।

मैं एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड में निरंतर विश्वास एवं प्रबंधन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हू और आप सभी को शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार
बेंगलूरु

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

विषय सूची

निदेशक मंडल	4
निष्पादन हाइलाइट्स	5
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	6
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	17
कॉर्पोरेट शासन से संबंधित प्रमाण पत्र	26
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	27
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	32
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	42
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	43
तुलन पत्र	55
लाभ एवं हानि लेखा	57
नकदी प्रवाह विवरण	59
वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	60

निदेशक मंडल (04.09.2024 की स्थिती के अनुसार)	
श्री. राजेश कोहली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (05.04.2024 से प्रभावी)
डॉ. रेणुका मिश्रा	निदेशक (23.07.2024 से प्रभावी)
श्री. विमल आनंद	निदेशक (23.07.2024 से प्रभावी)
सुश्री. अंजू मखीजा	स्वतंत्र निदेशक (10.06.2023 से प्रभावी)
सांविधिक लेखापरीक्षक	**सचिवीय लेखापरीक्षक**
मेसर्स पीबीएमएन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेंगलूरू	जी हरिता एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव बेंगलूरू
बैंकर्स	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूको बैंक एक्सिस बैंक	
पंजीकृत कार्यालय	
"एचएमटी भवन" 59, बेल्लारी रोड बेंगलूरू - 560 032	
कॉर्पोरेट पहचान संख्या U33309KA1974GOI002707	

वैश्विक, गतिशील और विश्व स्तरीय व्यापारिक संगठन बनना

कुल ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए

(क) प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण

(ख) गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की समय पर डिलीवरी

निष्पादन हाइलाइट्स

(रुपए मिलियन में)

	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिचालन सांख्यिकी										
बिक्री	**175.86**	141.55	109.12	198.35	671.49	570.74	249.45	239.76	339.07	334.01
अन्य आय	**4.21**	2.74	11.38	18.52	2.65	2.39	6.76	8.12	4.33	14.97
स्टॉक वृद्धि		-	-	-	-	-	-	-	(0.35)	(1.25)
ब्याज लागत	**16.91**	15.19	15.16	17.63	24.43	18.30	19.41	22.53	23.65	27.71
	196.98	159.47	135.66	234.50	698.57	591.43	275.62	270.41	366.70	375.44
क्रय	**108.42**	117.275	88.55	178.44	556.14	469.72	225.76	174.62	230.54	224.95
कर्मचारी लागत	**25.16**	24.067	30.33	29.50	28.12	31.04	27.89	38.49	55.60	64.81
अन्य परिचालन लागतें	**13.99**	13.756	12.69	13.15	74.16	68.99	20.40	53.34	70.16	67.64
मूल्यहास	**1.31**	1.303	1.26	1.38	1.40	1.48	1.46	1.38	1.35	1.46
	148.86	156.40	132.83	222.47	659.82	571.23	275.51	267.83	357.65	358.86
सकल लाभ	**48.12**	3.07	2.83	12.03	38.75	20.20	0.11	2.59	9.05	16.58
ब्याज		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व नविल लाभ (पूर्वावधयों के पश्चात)	**48.12**	3.07	2.83	12.03	38.75	20.20	0.11	2.59	9.05	16.58
कर एवं आस्थगित कर	**40.13**	1.05	0.7	2.33	11.64	5.09	(1.25)	1.94	3.22	11.39
कर पश्चात लाभ	**7.99**	2.02	2.13	9.70	27.11	15.11	1.36	0.65	5.83	5.19
वित्तीय स्थिति										
चालू परिसम्पतियां	**544.66**	545.717	508.948	548.12	771.83	767.90	417.79	488.92	425.24	473.91
चालू देयताएं एवं प्रावधान	**203.28**	213.358	180.339	216.57	449.94	472.27	132.56	207.06	143.40	201.43
निवल कार्यशील पूंजी	**341.38**	332.36	328.61	331.56	321.90	295.63	285.23	281.86	281.84	272.48
निवल स्थायी परिसम्पतियां	**41.58**	42.664	43.525	44.79	45.77	47.15	48.53	49.99	50.83	52.14
नियोजित पूंजी	**382.96**	375.023	372.13	376.35	367.66	342.78	333.76	331.85	332.67	324.62
आस्थगित कर देयता	**4.81**	4.696	4.29	4.63	4.38	4.91	7.77	8.57	7.51	12.14
निवल सम्पति	**378.15**	370.33	367.84	371.72	363.28	337.87	325.99	323.28	325.16	312.48
इक्विटी पूंजी का डेटा										
शेयर पूंजी	**7.20**	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
रिजर्व	**362.96**	361.11	358.51	354.82	328.97	315.57	317.43	315.43	314.14	304.52
धारित आय	**7.99**	2.02	2.13	9.70	27.11	15.11	1.36	0.65	3.82	0.76
लाभांश – सामान्य	**-**	-	-	-	1.80	1.44	-	-	1.44	1.44
- विशेष	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश (%)- सामान्य	**-**	-	-	-	25	20	-	-	20	20
- विशेष	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य सांख्यिकी										
नकदी प्रवाह	**9.30**	3.32	3.39	11.08	28.51	16.59	2.82	2.03	7.18	6.65
टर्नओवर / कार्यशील पूंजी अनुपात	**0.52**	0.43	0.33	0.60	2.09	1.93	0.87	0.85	1.20	1.23
पूंजी पर लाभ (%)	**12.57**	0.82	0.76	3.20	10.54	5.89	0.03	0.78	2.72	5.11
कर्मचारियों की संख्या	**16**	19	21	23	22	25	27	28	33	40
प्रति व्यक्ति बिक्री	**10.99**	7.45	5.20	8.62	30.52	22.83	9.24	8.56	10.27	8.35

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

सदस्यगण,
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
बेंगलूरू

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

1. वित्तीय सार संक्षेप / कम्पनी का निष्पादन

(रु. लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
परिचालन से सकल आय	1759	1415
बिक्री की लागत	1084	1173
सकल लाभ	481	31
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	13	13
कर पूर्व निवल लाभ	481	31
कर का प्रावधान	401	10
कर के बाद निवल लाभ	80	20
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष	80	20
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
अन्य इक्विटी में अंतरण	-	-
तुलन पत्र में अग्रेषित अधिशेष	80	20

2. वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्यों/कम्पनी की गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन

टर्नओवर के संदर्भ में आपकी कम्पनी का निष्पादन वर्ष 2023-24 के दौरान तथा पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 में प्राप्त 1759 लाख रुपए की तुलना में 1415 लाख रुपए के सकल स्तर पर था। वर्ष के दौरान 2379 लाख रुपए के आदेश प्राप्त किए गए जबकि पिछले वर्ष ये 1905 लाख रुपए के थे। टर्नओवर के रूप में हासिल 1759 लाख रुपए के साथ आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष 80 लाख रुपए की तुलना में 20 लाख रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) कमा कर लाभ अर्जित करने का रूझान जारी रखा है।

(रु. लाख में)

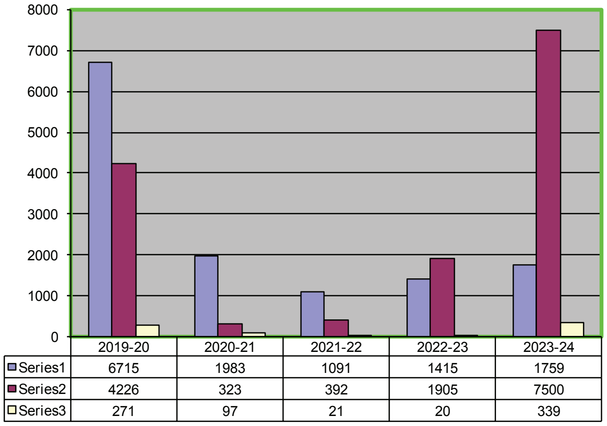

2.1 खंड-वार उपलब्धियां

2.1.1 उत्पाद

कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न एचएमटी और गैर-एचएमटी मशीनों की आपूर्ति के लिए विदेशी ग्राहकों को कई निविदाएं प्रस्तुत किए हैं।

एचएमटी (आई) ने एक क्षेत्र अध्ययन किया है, 7.08 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और मेसर्स नेशनल अकैडमी ऑफ कस्टम्स, इंडिरेक्ट टैक्सेस अँड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) को प्रस्तुत की है।

2.1.1.1 विपणन प्रयास

कंपनी की योजना बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से बिक्री प्रोत्साहन / बाजार विकास की दिशा में निम्नलिखित पहल करने की है:

- एचएमटी एमटीएल की निर्माण यूनिटों के सहयोग से विशिष्ट उत्पादों का उन्नयन करने की प्रक्रियाएं करते रहना।

- विशाल वीटीएल, फ्लोर बोरिंग मशीन, 80/100 मिमी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑयल कंट्री लेथ आदि जैसे उच्च मूल्य के उत्पादों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करना।
- एचएमटी (आई) ने मैसर्स सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलूरू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की पहल की है।
- एचएमटी (आई) ने मेसर्स गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2.1.2 परियोजनाएं और सेवाएं

2.1.2.1 विदेश मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर

एचएमटी (आई) ने निम्नलिखित देशों के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केंद्र, एमएसएमई उत्पादन केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

- गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र (जीएमसीओएस), प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए तीन वर्षीय रखरखाव योजना
- पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में क्षेत्रीय भारत-पीआईसी औद्योगिक/कौशल विकास केंद्र की स्थापना
- भारत-गुयाना तकनीकी प्रशिक्षण महाविद्यालय (आईजीटीटीसी), बर्बिस, गुयाना की स्थापना
- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), यांगून, म्यांमार की स्थापना
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, ओयाला

कार्यान्वयनके तहत परियोजनाओं का उन्नयन:

- **आईडीईबी, खुलना, बांग्लादेश में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सामूहिक सुविधा केंद्र की स्थापना**
- बांग्लादेश सरकार से पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात आईडीईबी, सिराजगंज (डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र) के लिए कार्यक्षम प्रशिक्षण (ओजेटी) की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी।

❖ **प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में "गांधी-मंडेल विशिष्ट कलात्म ककौशल केन्द्र" की स्थापना:**

- एचएमटी (आई) ने जीएमसीओएस, दक्षिण अफ्रीका में ओजेटी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ओजेटी विशेषज्ञ 08 नवंबर 2023 को परियोजना स्थल से चले गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के पूरा होने के साथ, एचएमटी (आई) ने अनुबंध में निर्दिष्ट सभी परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

❖ **इंडो-बेलीज सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग, (आईबीसीई), बेलीज विश्वविद्यालय, बेलीज की स्थापना**

- एचएमटी (आई) ने आईबीसीई, बेलीज में ओजेटी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ओजेटी विशेषज्ञ 30 अगस्त 2023 को परियोजना स्थल से चले गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के पूरा होने के साथ, एचएमटी (आई) ने अनुबंध में निर्दिष्ट सभी परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

❖ **भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईएमआईटीसी), मोनिवा, म्यांमार की स्थापना**

- आईएमआईटीसी, मोनीवा में आपूर्ति की गई मशीनों का निर्माण और कमीशनिंग पूरा हो गया है।
- म्यांमार सरकार से पुष्टि होने पर बाद जॉब-प्रशिक्षण (ओजेटी) प्रदान करने के लिए म्यांमार में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की योजना बनाई जाएगी।

❖ **भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईएमआईटीसी), थाटन, म्यांमार की स्थापना।**

- एचएमटी (आई) ने आईएमआईटीसी, थाटोन में ओजेटी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ओजेटी विशेषज्ञ 22 फरवरी 2024 को परियोजना स्थल से

चले गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के पूरा होने के साथ, एचएमटी (आई) ने अनुबंध में निर्दिष्ट सभी परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

❖ **जिम्बाब्वे में इंडो-जिम प्रौद्योगिकी केंद्रों का उन्नयन**

- एचएमटी (आई) ने आईजेडटीसी, जिम्बाब्वे में ओजेटी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ओजेटी विशेषज्ञ 19 अगस्त 2023 को परियोजना स्थल से चले गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के पूरा होने के साथ, एचएमटी (आई) ने अनुबंध में निर्दिष्ट सभी परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

❖ **"सेंटर डी उद्यमी ईटी विकास तकनीक (सीईडीटी), एल ई जी15", डाकर, सेनेगल (चरण II) का उन्नयन और आधुनिकीकरण**

- एचएमटी (आई) ने सीईडीटी, डकार में ओजेटी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ओजेटी विशेषज्ञ 03 मई 2024 को परियोजना स्थल से चले गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के पूरा होने के साथ, एचएमटी (आई) ने अनुबंध में निर्दिष्ट सभी परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

2.1.2.2 गैर-विदेश मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौते:

❖ **तमिलनाडु में विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के लिए मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण और चालू करना।**

- एचएमटी (आई) को तमिलनाडु में विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के लिए मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के लिए तमिलनाडु सरकार (रोजगार और प्रशिक्षण विभाग) से 1.8 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है और उसने ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- एचएमटी (आई) को तमिलनाडु में विभिन्न सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के लिए मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के लिए तमिलनाडु सरकार (रोजगार और प्रशिक्षण विभाग) से 0.6 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ है। प्रमुख आपूर्ति पूरी हो गई और ई एंड सी कार्य प्रगति पर है।

❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और मेसर्स डांगोटे फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड से 2.25 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। नाइजीरिया में 4 एचएमटी हाई प्रिसिजन लेथ कन्वेंशनल लेथ मशीन (एनएच 32/3000) की आपूर्ति के लिए।**

- मेसर्स डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के लिए आपूर्ति पूरी हो चुकी है और ईएंडसी कार्य लंबित है। मेसर्स डांगोटे फर्टिलाइजर लिमिटेड के लिए ईएंडसी कार्य पूरा हो चुका है।

❖ **एचएमटी (आई) ने मेसर्स नाइजीरिया मशीन टूल्स से 1 एचएमटी वर्टिकल टर्निंग लेथ मशीन (वीटीएल - 1500) की आपूर्ति के लिए 5.68 करोड़ रुपये के ऑर्डर की आपूर्ति पूरी कर ली है। ई एवं सी कार्य के लिए अलग से कार्य आदेश प्राप्त हुआ है और लंबित है।**

❖ **एचएमटी (आई) ने मेसर्स इंडोरामा आईसीएस, सेनेगल से 1 रेडियल ड्रिलिंग मशीन (आरएम-65) की आपूर्ति के लिए 48.28 लाख रुपये के ऑर्डर के लिए आपूर्ति और ई एंड सी कार्य का काम पूरा कर लिया है।**

❖ **एचएमटी (आई) ने मेसर्स टेक्निकल ट्रेनर्स ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर, जिग्मे वांगचुक पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भूटान को वेल्डिंग लैब उपकरण की आपूर्ति और ईएंडसी का कार्य पूरा कर लिया है।**

❖ **एचएमटी (आई) ने मेसर्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर, भूटान को 14.43 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न**

वेल्डिंग उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति पूरी कर ली है।

- ❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, कार्यबल नियोजन और कौशल विकास विभाग, भूटान से ऑटोमोबाइल पार्ट्स की आपूर्ति और ईएंडसी के लिए 13.38 लाख रुपये का ऑर्डर मिला है।**

- आपूर्ति पूरी हो चुकी है और ईएंडसी लंबित है।

- ❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (ओएसडीए), भुवनेश्वर से मिलिंग, ग्राइंडिंग और लेथ मशीनों की आपूर्ति के लिए 12.23 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।**

- ❖ **एचएमटी (आई) को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), कोलकाता और विजाग को विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति के लिए 6.6 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।**

- ❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स एवरशाइन मोल्डर्स लिमिटेड, तिरुपति को विभिन्न मशीनों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 18.30 लाख रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।**

- ❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स वीकेए, करूर के लिए कंटीन्यूअस बटर बनाने वाली मशीन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 50.26 लाख रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और उसने ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।**

- ❖ **एचएमटी (आई) को बीएचईएल, त्रिची को 01 सीएनसी ईडीएम डाई सिंकिंग मशीन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 49.98 लाख रुपये का ऑर्डर मिला है और उसने ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।**

- ❖ **एचएमटी (इंडिया) को मेसर्स जीआईपीएल (ग्रुप ऑफ सेज), लुधियाना से 01 न्यूमेटिक पावर प्रेस 200 टन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 24.86 लाख रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।**

- ❖ **एचएमटी (आई) को मेसर्स आईजीसीएआर, परमाणु ऊर्जा विभाग, कलपक्कम, तमिलनाडु को डीआरओ प्रणाली के साथ 01 ईडीएम ड्रिलिंग मशीन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए 11.00 लाख रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।**

2.1.2.3 रणनीतियाँ

कंपनी का लक्ष्य उच्चतर मूल्य के आदेश प्राप्त करने के लिए मध्य पूर्व, अफ्रीकी देशों आदि के लक्षित बाजारों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना और आक्रामक विपणन प्रयास करना है। इसके अलावा कम्पनी अपनी आर्डर बुक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न बाजार रणनीतियों का अनुसरण करेगी तथा इसके लिए उत्पादन वार विभिन्न रणनीतियों का निर्माण कर लिया गया है।

कंपनी द्वारा अंगीकार की गई एक नीति के अनुसार गैर-एमईए (सरकार द्वारा प्रायोजित के अलावा) परियोजनाओं का भी अनुकरण करना है और साथ ही एमईए परियोजनाओं में और अधिक अंशभाग की प्राप्ति के लिए बांग्लादेश, बेलिज, इक्वेर्टियल गुआना, इरिलजिया, लाइबेरिया, इंडोनेशिया, जमायका, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, फिलिस्तीन, सेनेगल, श्रीलंका, सुडान, दक्षिण सुडान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिम्बावे आदि जैसे देशों की नई परियोनाओं में अवसरों का अंवेषण करना है।

2.1.2.4 विपणन प्रयास

कंपनी ने अपनी उपस्थिति में बढ़तोरी के लिए बिक्री प्रोत्साहन / बाजार विकास पहलों के साथ निम्नानुसार अनुकरण करने की योजना बनाई है:

- एचएमटी (आई) ने अनुदान सहायता परियोजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण / कौशल विकास केंद्र जैसी टर्नकी परियोजनाओं को लागू करने के लिए विदेश मंत्रालय के लिए एक नोडल एजेंसी बनने की पहल की है।

- माननीय मंत्री (एमएचआई) ने विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एचएमटी (आई) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है।

- जवाब में, माननीय मंत्री (एमईए) ने बताया कि उनकी पेशकशों की चल रही समीक्षा पूरी होने के बाद विभिन्न तौर-तरीकों पर फैसला लिया जाएगा।

- इसके अलावा, आर्थिक सलाहकार, एमएचआई ने अतिरिक्त सचिव (डीपीए-II और IV), विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे माननीय मंत्री (एमएचआई) की सिफारिश पर कार्रवाई की नवीनतम स्थिति पर गौर करें और एमएचआई को अवगत कराएं।

- इसके जवाब में, विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (डीपीए-II एवं IV) ने बताया कि वे डीपीए-II एवं IV प्रभाग के अंतर्गत साझेदार देशों की वर्तमान आवश्यकताओं की समीक्षा कर रहे हैं।

- एचएमटी (आई) नई विदेश मंत्रालय अनुदान सहायता परियोजनाओं के लिए विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के संपर्क में है। जीएम (ओ एंड एम), एचएमटी (आई) ने पहले से ही प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों और नए व्यापार अवसरों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 20.02.2024 को संयुक्त सचिव (डीपीए-III), निदेशक (डीपीए-III) और निदेशक (बीएम) से मुलाकात की।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए नोडल एजेंसी बनने के लिए, कंपनी ने एमएसएमई मंत्रालय के तहत टूल रूम/प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों के लिए टर्नकी आधार पर कार्यशालाओं की स्थापना के लिए एचएमटी (आई) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ चर्चा की है। मामले पर आगे काम किया जा रहा है।

- वाणिज्य मंत्रालय के साथ व्यापार विस्तार: कंपनी ने 5 अफ्रीकी देशों - घाना, माली, तंजानिया, टोगो और जाम्बिया में कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (सी-टीएपी, चरण-II) के कार्यान्वयन के लिए चर्चा की है। परियोजना का मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मामले पर आगे काम किया जा रहा है।

- विदेश मंत्रालय के साथ अनुदान परियोजना में अधिक अंशभाग की प्राप्ति के लिए अनुसरण करना।

- गैर-एमईए परियोजनाओं को हासिल करना।

- अफ्रीकी एवं एशियाई देशों यथा इथोपिया, जिम्बावे, भुटान आदि की सभी वैश्विक निविदाओं में प्रतिभागिता करना।

- नई परियोजनाओं की प्राप्ति के माध्यम से अपने व्यवसाय का आकार वृहद करना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हासिल विशेषज्ञता को और अधिक समृद्ध करना।

2.4 कार्यनिष्पादन विवरण

(रु. लाख मे)

विवरण	2023-24	2022-23
बिक्री टर्नओवर		
एचएमटी उत्पाद एवं तकनीकी सेवाएं	953	62
एजेंसी एवं अन्य	169	-
परियोजनाएं एवं सर्विसेस	637	1353
उच्च-समुद्री बिक्री		-
योग	**1759**	**1415**

3. रिजर्व

तुलन पत्र में 80 लाख रुपए की राशि अग्रेणित की गई है।

4. शेयर पूंजी

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 लाख रुपए तथा चुकता शेयर पूंजी 72 लाख रुपए है।

5. लाभांश

परिचालनों के लिए निधियों की आवश्यकता के विचार से, निदेशक अपने शेयरधारकों के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा करने की स्थिति में नहीं हैं।

6. जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के सावधि जमा स्वीकार नहीं किए हैं तथा इस प्रकार वर्ष के प्रारंभ/वर्ष के अंत में कोई बकाया सावधि जमा नहीं है।

7. कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 16 और 2 संविधा (0 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति सहित) है।

कम्पनी के किसी भी कर्मचारी ने कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

8. मंडल की बैठकों/ बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकों का आयोजन किया गया था जिनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है। बैठकों के आयोजन के मध्य अंतराल कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित अवधि के दायरे में है।

9. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एक सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति और नियम एवं शर्तों का निर्धारण (कार्यात्मक निदेशकों के कार्यकाल और पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के संबंध में नियुक्ति/पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एचएमटी के कार्मिक मैनुअल में शामिल नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

भारीउद्योगमंत्रालयनेआदेशसंख्याएफसं. 1-05/3/2020-पी.ई.X (ई.20871) दिनांक 8 जून, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने श्रीमती अंजू मखीजा को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के बोर्ड में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मंजूरी दे दी है। स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबेस में शामिल होने के बाद, कंपनी के निदेशक मंडल में 10 जून, 2023 से शामिल किया गया है, 8 जून, 2023 के सरकारी आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 31 अगस्त, 2023 के आदेश संख्या 1-05/15/2019-पी.ई.X (ई.20170) के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री. विपुल बंसल को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरू के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक श्री. श्रीकर के रेड्डी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त करने की सूचना दी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश संख्या 1-05/15/2019-पी.ई.X (ई.20170) दिनांक 4 सितंबर 2023 के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री. मुक्ता शेखर को सरकारी नामित एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरू के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी है, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

श्री. पंकज गुप्ता 24 नवंबर, 2023 को कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहेंगे।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 1-05/14/2019-पी.ई.10/सीपीएसई I दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के माध्यम से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री. राजीव सिंह को 25.11.2023 से 24.11.2024 तक या किसी नियमित पदाधिकारी के शामिल होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के अधीन सौंपा है। निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने के बाद, 30

दिसंबर 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया जाएगा।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 1-05/14/2019-पी.ई.X (भाग 1) दिनांक 4 मार्च 2024 के द्वारा एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद को श्री. राजीव सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 24.08.2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या किसी नियमित पदधारी के शामिल होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी मंजूरी के अधीन सौंपा है। निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने और 08 मार्च 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण करने के बाद।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बाद भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 1-05/14/2019-PE.X (Pt.1) दिनांक 26 मार्च, 2024 के माध्यम से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री. राजेश कोहली, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को श्री. कृष्णास्वामी रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, के स्थान पर नियुक्त किया है, तत्काल प्रभाव से और पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदधारी के शामिल होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की पूर्वव्यापी मंजूरी के अधीन। निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने और 5 अप्रैल 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए गए कार्यभार ग्रहण करने के बाद।

भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश संख्या 1-05/7/2024-पी.ई.X दिनांक 23 जुलाई 2024 के माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री. विमल आनंद को सरकारी नामांकित के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी है, सुश्री मुक्ता शेखर, पूर्व संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और श्री विपुल बंसल, पूर्व-संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग के स्थान पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, बेंगलूरू के बोर्ड में नामांकित निदेशक नियुक्त किए गए।

श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (डीआईएन: 10333951), डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएन: 08635835), श्री विमल आनंद (डीआईएन: 10692946) को आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के साथ पठित कंपनी के अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है।

कोई भी निदेशक रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति के लिए पात्र सभी निदेशकों को निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और आगामी वार्षिक आम बैठक में नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया था।

श्री के. रविशंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

10. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स पीबीएमएन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बेंगलूरू की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है।

11. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2023-24 की अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के संबंध में की गई टिप्पणियां संलग्न हैं।

12. आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स संजय के एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंटकी सेवाएं कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त की हैं। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने उनके सुझावों एवं अनुशंसाओं का अनुपालन प्रणाली में सुधार के लिए किया जाना जारी रखा है।

13. राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अपने प्रयास जारी रखे है।

14. ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण शून्य है

'ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण' के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि कम्पनी किसी प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलाप नहीं करती है।

15. विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं बर्हिप्रवाह

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना नीचे प्रस्तुत है:-

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	अर्जित विदेशी मुद्रा		
1	निर्यात का एफओबी मूल्य		
	तकनीकी सेवाएं	909	394
	योग	**909**	**394**
2	विदेशी मुद्रा व्यय		
	विदेशी मुद्रा में व्यावसायिक परामर्श, यात्रा एवं अन्य कार्यों के लिए व्यय	37	94

16. मानव संसाधन

आपकी कम्पनी अपने बढ़ते ग्राहक आधार के अनुरूप ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति के प्रति कर्मचारियों को पूर्णत: सक्षम बनाने उनके कौशल का निरंतर उन्नयन करने का सुनिश्चय करना है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कनिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए अनेक प्रशिक्षण पहल की हैं। कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को विद्यमान व्यावसायिक व्यवहारों, वित्तीय मामलों, निर्यात प्रबंधन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी प्रदान करना था।

17. सतर्कता गतिविधियाँ

कंपनी ने कर्मचारियों, विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच सतर्कता के प्रति जागरूकता की उत्पति के लिए एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अंगीकार किया है। कंपनी की समग्र गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि से नजर रखने के लिए कंपनी में एक सतर्कता कक्ष स्थापित है। वर्ष के दौरान उच्च मूल्य के अनुबंधों और क्रय प्रणाली में सुधार और गहन जांच सतर्कता प्रशासन के लिए प्रमुख कार्य रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और जहां भी आवश्यक हुआ, वहां यथासंभव शीघ्र पारदर्शी निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। कंपनी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं हुई है और न ही कोई मामला लंबित है।

19. उद्यम जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के सम्मुख होने वाले विभिन्न जोख्रिमों के लिए बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली तथा समय पर यथोचित कार्रवाई के लिए ऐसे जोखिमों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कम्पनी में जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश स्थापित हैं।

20. व्हीसल ब्लोअर नीति

कम्पनी में निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने वास्तविक सरोकार प्रस्तुत करने के लिए सतर्कता तंत्रव्यवस्था / व्हीसल ब्लोअर नीति स्थापित है।

21. जालसाजी रिपोर्टिंग

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार की जालसाजी की घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

22. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसरण में आपका निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं क्षमता तथा उनके द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह पुष्टि करता है कि:

- 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण उचित स्पष्टीकरणों तथा के सामग्रीगत व्युतक्रम के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग संगत स्वरूप में न्यायपरक निर्णय लेकर एवं ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों एवं इस अवधि के कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरणों की सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है;
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण एवं जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उनका पता लगाने की यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई है;
- ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू थे और पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां मौजूद पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं;

23. वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार वार्षिक विवरण का संक्षेप सार निर्धारित प्रारूप में कम्पनी की वेबसाइट https://www.hmti.com पर अपलोड किया गया है।

24. स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा और आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक में पंजीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को सुश्री. अंजू मखीजा, कम्पनी की स्वतंत्र निदेशक से घोषणा प्राप्त की गई है।

कंपनी ने प्रवीणता के संबंध में, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, मानेसर ('आईआईसीए') के साथ बनाए गए डेटा बैंक में सभी स्वतंत्र निदेशकों के नाम शामिल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं। तदनुसार, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त उद्देश्य के लिए आईआईसीए के साथ खुद को पंजीकृत किया है। कंपनी की स्वतंत्र निदेशक सुश्री. अंजू मखीजा ने 18.07.2024 को ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा पूरी कर ली है।

25. बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

सरकारी कंपनी होने के नाते, एचएमटी को एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 और 5 जुलाई 2017 के अनुसार कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन से छूट प्राप्त है, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय और/या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया जाता है।

26. वित्तीय विवरणों की तिथि के पश्चात घटित घटनाएँ

इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि 31 मार्च 2024 के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

27. संबंधित पार्टी संव्यवहार

संबंधित पार्टी संव्यवहार विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक संबंधित पार्टी संव्यवहार व्यापार के सामान्य क्रम और आर्म्स लेंथ के आधार पर किए गए थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई सामग्रीगत संव्यवहार, अर्थात पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% से अधिक, संबंधित पार्टी के साथ नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत आवश्यक संबंधित पार्टी संव्यवहार का प्रकटीकरण प्रपत्र एओसी-2 की प्रस्तुति लागू नहीं है।

28. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल ऋणों का विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

29. सहायक कम्पनियां, सम्बद्ध कम्पनियां / संयुक्त उद्यम कम्पनियां

यह कम्पनी एचएमटी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व (100%) वाली सहायक कम्पनी है। कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम अथवा सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

30. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की रिपोर्ट इस अनुबंध-1 के के साथ प्रस्तुत की गई है ।

31. कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट में अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है और इसके साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षक से कॉर्पोरेट गोवेर्नेंस पर प्रमाण पत्र अनुबंध-3 के रूम में संलग्न है।

32. भारतीय लेखांकन मानक

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16.2.2015 की अधिसूचना संख्या 111(इ)) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एएस") के अनुसरण में किया गया है।

33. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स जी हरिता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-4 के रूप में संलग्न है।सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर अनुबंध-5 के रूप में निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

34. आचार संहिता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल के सदस्य (सदस्यों) और वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त किए जाने से संबंधित एक घोषणा इस रिपोर्ट के अनुबंध-6 के रूप में प्रस्तुत है।

35. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का संबंधित कारणों सहित विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त समाधान की कोई स्थिति नहीं है।

36. दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के प्रति कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है।

37. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक विस्तृत नोट ।प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

38. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

40. अन्य

ऐसे कोई महत्वपूर्ण सामग्रीगत आदेश किसी विनियामक अथवा न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं किए गए हैं जिनके प्रभाव से कम्पनी के परिचालनों की गोइंग स्थिति प्रभावित होती हो।

41. आभारोक्ति

आपके निदेशक एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषत: भारी उद्योग विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, भारतीय रिजर्व बैंक, कम्पनी के बैंकर्स, एजेंटों तथा अपने मूल्यवान ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग एवं समर्थन तथा कम्पनी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा व्यवसाय विकास के लिए उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं समर्पण की प्रस्तुति की गई है। प्रतिभागितापूर्ण एवं व्यावसायिक कार्य संस्कृति के परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी सुदृढ़ता का एक स्रोत बनी हुई है। आपके निदेशक, प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान कम्पनी के परिचालनों के लिए प्रदान किए गए योगदान के प्रति अपना आभार यहां रिकार्डबद्ध करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 04.09.2024

अनुबंध 1

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क) निर्यात सेक्टर-

भारत का निर्यात क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्पादों और सेवाओं की विविध श्रृंखला के साथ, भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भूमिका है। इस क्षेत्र को मजबूत करने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारत ने विभिन्न प्रकार की रणनीतियां विकसित और कार्यान्वित की हैं।

भारत ने हाल के वर्षों में, निर्यात क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, व्यापार तनावों और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, प्रमुख क्षेत्रों में लचीलेपन और सरकारी समर्थन के कारण बढ़ते निर्यात आंकड़ों के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकार कुछ बाजारों पर निर्भरता कम करने और निर्यात लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्यातकों को उच्च तकनीक और मूल्य वर्धित सामान सहित गैर-पारंपरिक बाजारों और उत्पादों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार परिदृश्य विकसित होता है, नवाचार, बाजार विविधीकरण और स्थिरता पर निरंतर ध्यान देना भविष्य में भारत के निर्यात क्षेत्र को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वित्त वर्ष 2023-24 तक, भारत का निर्यात प्रदर्शन वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रहे समायोजन और रुझानों को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, भारत का कुल व्यापारिक निर्यात लगभग 437 बिलियन डॉलर (स्रोत: https://indbiz.gov.in/) था। मशीनरी और उपकरणों सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में लचीलापन दिखा, जो चल रही औद्योगिक गतिविधि और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है।

भारत का इंजीनियरिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र में मशीनरी और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और घटकों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। आम तौर पर इसका योगदान करीब 24% है।

प्रमुख बाजार जहां कंपनी अपने भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों को पूरा करती है वे मध्य, पूर्व और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश हैं। कंपनी के प्रमुख कार्य क्षेत्र तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा उत्पादों के निर्यात जैसे टर्नकी आधार पर विदेशों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन हैं। सभी परियोजनाएं बिना किसी लागत और समय की अधिकता के टर्नकी आधार पर क्रियान्वित की गई हैं, जिसमें भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों में मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग प्रशिक्षण और प्रबंधन में तकनीकी सहायता के अलावा एचएमटी (आई) के विशेषज्ञों द्वारा परियोजना स्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल है।

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित अनुभव और क्षमताएं हैं, जो विदेश मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत विकासशील और अल्पविकसित देशों को प्रदान की जाती हैं।

1. उद्यमिता एवं तकनीकी विकास केंद्र
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
3. सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र
4. लघु एवं मध्यम उद्यम विकास केंद्र
5. इंजीनियरिंग निर्माण प्रतिष्ठानों के लिए टूल रूम

6. सामान्य सुविधा केंद्र

7. इंजीनियरिंग/शैक्षिक संस्थानों के लिए कार्यशालाएं/ प्रयोगशालाएं

ख) स्वॉट विश्लेषण

स्ट्रेंथ

- वर्षों से एचएमटी के मजबूत तकनीकी आधार और संसाधनों के आधार पर, कंपनी को मशीन टूल्स के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- निर्यात के क्षेत्र में पांच दशकों का अनुभव
- 75 से अधिक देशों को निर्यात
- उत्पादों का आधार विश्व अग्रणियों से अर्जित तकनीकी ज्ञान है
- बिक्री के बाद सेवा और पुर्जों की आपूर्ति।
- इंजीनियरिंग क्षेत्र की विस्तृत श्रेणियों का अनुभूत अनुभव, जिसमें विनिर्माण, अनुरक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टर्नकी परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। कम्पनी परामर्शी सेवाओं, तकनीकी एवं इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक के लिए टर्नकी आधार पर वृहद पैकेज प्रदान करती है।
- एचएमटी की समूह कम्पनियों से तकनीकी एवं कार्य कुशल जनशक्ति का समर्थन प्राप्त
- न केवल एचएमटी के कार्यक्षेत्र में, अपितु अन्य क्षेत्रों (फल प्रसंस्करण, डेयरी, काजू प्रसंस्करण, वाहनों की आपूर्ति) भी सफल निष्पादन किए हैं।
- प्रशिक्षण एवं टूल रूम परियोजनाओं के निष्पादन की प्रमुख क्षमता
- परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तकनीकी रूप से अर्हक एवं अनुभव प्राप्त टीम

वीकनेस

- कम लागत वाले देशों (चीन, ताइवान, आदि) की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का अभाव
- जटिल खरीद प्रक्रियाओं के कारण पूछताछ और निविदाओं के लिए अधिक प्रतिक्रिया समय।

अवसर

- अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बेलिज, सेनेगल, बांग्लादेश आदि में व्यापक अवसर उच्च प्रौद्योगिकी वाली पश्चिमी वस्तुओं के स्थान पर मध्यम प्रौद्योगिकी और मध्यम कीमत वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाए।
- विकासशील देशों में औद्योगीकरण में मशीनरी, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं के निर्यात के लिए बाजार खुल जाता है।

खतरे

- कंपनी के लिए मामूली निश्चित लाभ और लॉजिस्टिक्स में अनिश्चितता निर्यात कारोबार के लिए खतरा बन रही है
- बोझिल प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप निर्णय निर्धारण में कठिनाई एवं समय का अपव्यय
- विपणन के साथ चीन और पूर्वी यूरोपीय निर्माताओं का आगमन कंपनी के निर्यात के लिए एक बड़ा जोखिम है
- विदेश मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की वैश्विक निविदा

घ) सेगमेंट वार/उत्पाद वार निष्पादन

उत्पाद-वार प्रदर्शन: कंपनी के वर्ष 2023-24 के लिए उत्पाद-वार बिक्री निम्नानुसार है -

क्षेत्र	रु. (लाख में)
मशीन टूल्स	**1122**
परियोजना और सेवाएं	**637**
योग	**1759**

ड) आउटलुक-

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय मशीन टूल्स का निर्यात, परियोजनाओं और सेवाओं का निष्पादन है। वर्तमान में कंपनी केवल मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को मशीन टूल्स का निर्यात कर रही है। अपनी बिक्री में संवर्धन के लिए कंपनी के लिए नए बाजारों का अंवेषण आवश्यक है। इंजीनियरिंग निर्यात के लिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, बेलीज, म्यांमार आदि प्रमुख बाजार बने हुए हैं। मशीन टूल्स के निर्यात के मामले में दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार आकर्षक है। यह बाजार मुख्य रूप से अपने मशीन टूल्स उपकरण की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। जहां एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड तकनीकी या वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है वहां अन्य भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीन टूल्स के विपणन पर विचार संभव होगा। कंपनी विपणन परियोजना विशेषज्ञता के अपने अम्बार को और अधिक विस्तारित करने के लिए विपणन परियोजनाओं में प्रवेश के लिए निर्यात संगठनों एवं कंपनियों के साथ सहकार्यता करेगी।

च) जोखिम और चिंता-

- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा से मूल्य के प्रति संवेदनशील मशीन टूल्स के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है जिससे कंपनी का पहले से ही कम मार्जिन और कम हो गया है।
- विलंबित आपूर्ति और मशीन टूल्स के गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य।
- विस्तृत खरीद प्रक्रिया परियोजना प्रापण की प्रक्रिया में देरी।
- परियोजनाओं के अवार्ड नामांकन के आधार पर होने के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नाम से होना।

छ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रणालियां स्थापित हैं जो कम्पनी के आकार और प्रचालन के स्वरूप के अनुरूप हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख आकर्षण निम्नानुसार हैं:

- पूंजी व्यय एवं राजस्व व्यय के प्राधिकार की सीमा के लिए शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए विधिवत निर्धारित कॉर्पोरेट नीतियां।
- अनाधिकृत उपयोग अथवा स्थिति परिवर्तन के प्रति संरक्षण करने तथा सभी संव्यवहारों का प्राधिकृत एवं रिकार्डबद्ध स्वरूप में होने का सुनिश्चय करना।
- वार्षिक/कुल और दीर्घावधि/रणनीतिक व्यापार योजनाओं का निर्माण करना एवं उनकी समीक्षा करना।
- विभिन्न मदों के अंतर्गत लक्ष्यों के मासिक विवरण से युक्त विस्तृत वार्षिक बजट।
- विधियों एवं विनियमों का अनुपालन।
- कंपनी के लिए दस वर्ष का रोड मैप।

ज) वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की टर्नओवर पिछले वर्ष के 1415 लाख रुपये की तुलना में 1759 लाख रुपये है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष अर्जित 20 लाख रुपए के लाभ की तुलना में 80 लाख रुपए (कर पश्चात लाभ) अर्जित किया है।

झ) मानव संसाधन

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का जनशक्ति बल 18 (अनुबंध सहित) है। कंपनी का मानक बल 25 है तथा तकनीकी, वाणिज्यिक और विपणन क्षेत्रों युवा व्यावसायिकों को हाल ही में शामिल किया गया था। कम्पनी अपने बढ़ते ग्राहक आधार के अनुरूप ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति के प्रति कर्मचारियों को पूर्णत: सक्षम बनाने और उनके कौशल का निरंतर उन्नयन करने का सुनिश्चय करना चाहती है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कनिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए अनेक प्रशिक्षण पहल की हैं। कर्मचारियों के लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों को विद्यमान व्यावसायिक व्यवहारों, वित्तीय मामलों, निर्यात प्रबंधन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी प्रदान करना था।

ञ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 04.09.2024

अनुबंध-2

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों, सरकारी कम्पनियों के लिए यथा लागू, तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करके आपकी कम्पनी एतद्द्वारा कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रही है।

कम्पनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों के अनुरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके द्वारा कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए यथोचित कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया की गई है।

निदेशक मंडल

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्राभर), दो अंश-कालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) और एक अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे।

कंपनी के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्राभर) और निदेशक मंडल की देखरेख और नियंत्रण में किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, चार (4) बोर्ड बैठकें 17 मई, 2023, 11 सितंबर, 2023, 04 जनवरी, 2024 और 26 मार्च, 2024 को आयोजित की गई।

निदेशकों की संरचना और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण		अन्य निदेशकों और समिति के सदस्य / अध्यक्षता आयोजित की		
		मंडल बैठक	वार्षिक आम सभा	निदेशक पद	समिति	
					सदस्यता	अध्यक्षता
श्री. कृष्णस्वामी रविशंकर (डीआईएनः10540509)	सी	1	लागू नहीं	3	6	1
श्री. राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679)	सी	1	लागू नहीं	3	6	1
श्री. पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028)	सी	2	हाँ	3	6	1
सुश्री. मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859)	एनईएनआई	2	हाँ	8	1	4
डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएनः 08635835)	एनईएनआई	1	लागू नहीं	2	4	3
डॉ. श्रीकर के रेड्डी (डीआईएन: 08822924)	एनईएनआई	1	लागू नहीं	1	-	-
श्री. विपुल बंसल (डीआईएन: 02687229)	एनईएनआई	0	नहीं	-	-	-
सुश्री. अंजू मखीजा (डीआईएन: 02414138)	एनईआई	3	नहीं	-	-	-

सी: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईएनआई: कार्यकारी एवं गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर कार्यकारी एवं गैर स्वतंत्र, एनईआई: गैर कार्यकारी एवं स्वतंत्र, एनईएनआई: गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक: लागू नहीं

नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

इस एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक

श्री. राजेश कोहली को 05.04.2024 से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री. राजेश कोहली मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में कार्यकारी निदेशक हैं। श्री. राजेश कोहली एनआईटी कुरुक्षेत्र (हरियाणा) से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्हें उद्योग में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे 1987 में हरिद्वार (उत्तराखंड) में बीएचईएल के हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र में शामिल हुए थे। उन्होंने बीएचईएल में अनुसंधान एवं विकास तथा आईपीआर पोर्टफोलियो सहित सुपरकंडक्टिंग मशीनों, बड़ी विद्युत मशीनों और रक्षा व्यवसाय जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के विविध क्षेत्रों में काम किया है।

उन्होंने 2016 में नई दिल्ली स्थित बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय में कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रभाग में कार्यभार संभाला। उन्हें मूल उपकरण निर्माताओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों का व्यापक अनुभव है। बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके हालिया कार्यभार में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग, संयुक्त उद्यम, एम एंड ए, आर एंड डी और इनोवेशन रणनीति, ज्ञान प्रबंधन, लागत अनुकूलन आदि सहित विविध भूमिकाएं शामिल थीं। उनके नेतृत्व में, बीएचईएल ने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में वैश्विक ओईएम के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी की है; तथा हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला, कोयले से लेकर रसायन और रेल परिवहन क्षेत्रों में नई साझेदारियों पर काम कर रहा है।

हाल ही में, उन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए बीएचईएल की आंतरिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विविध औद्योगिक उपयोग के लिए रसायनों में इसके रूपांतरण का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप बीएचईएल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बीएचईएल के पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए कई अन्य गठबंधनों पर सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के तत्वावधान में प्रबंधन बिरादरी के साथ सक्रिय रूप से काम किया। वह एक प्रमाणित संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन निर्धारक हैं और सीआईएमडेटा यूएसए द्वारा प्रमाणित उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (पीएलएम) लीड भी हैं।

श्री. राजेश कोहली, एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक का पद संभाल रहे हैं। वह एचएमटी लिमिटेड में सीएसआर समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड में लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य हैं।

डॉ. रेणुका मिश्रा को 23.07.2024 से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं।

डॉ. रेणुका मिश्रा, पीएचडी, एमए (अर्थशास्त्र), भारतीय आर्थिक सेवा (2003 बैच) की अधिकारी हैं। वे इससे पहले भारत सरकार के विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग में काम कर चुकी हैं।

डॉ. रेणुका मिश्रा कराधान, वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं की संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर विभिन्न

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कई लेखों/पत्रिकाओं की नियमित लेखिका रही हैं।

डॉ. रेणुका मिश्रा वर्तमान में एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में निदेशक पद पर भी कार्यरत हैं और एचएमटी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सीएसआर समिति के सदस्य भी हैं।

श्री विमल आनंद को 23.07.2024 से एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री विमल आनंद 2003 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में दो दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

अपने वर्तमान कार्यभार से पहले श्री. विमल आनंद देश के विभिन्न राज्यों में आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों, वित्त मंत्रालय के कर नीति एवं विधायी प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनका योगदान और कार्य प्रत्यक्ष कर प्रशासन, कर जांच और प्रवर्तन, केंद्रीय बजट, विधायी विधेयकों और संशोधनों का मसौदा तैयार करना और खेल प्रशासन के क्षेत्रों में रहा है, जिसमें विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। श्री. विमल आनंद ने कर जांच के क्षेत्र में मालदीव अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में भी काम किया है।

श्री विमल आनंद हाल ही में वाणिज्य विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में शामिल हुए हैं और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभार के अलावा, वे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों के साथ-साथ मंत्रालय में इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात संवर्धन का भी काम संभालते हैं। वे मौजूदा भारत-पेरू एफटीए के लिए उप मुख्य वार्ताकार भी हैं।

श्री विमल आनंद भारत के बिहार राज्य के रहने वाले हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सिस्टम मैनेजमेंट और कोरियाई भाषा में डिप्लोमा भी किया है। वह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य थे और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट रहा है। वह अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में कुशल हैं।

श्री. विमल आनंद ईईपीसी इंडिया में कार्य समिति के सदस्य हैं।

निदेशकों के लिए अनुकूलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कम्पनी द्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी के परिचालनों, नीतियों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के लिए अनुकूलन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशक सुश्री. अंजू मखीजा ने 5 और 6 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 'सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम' में भाग लिया।

निदेशक मंडल की समितियां

लेखापरीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित मानदंड कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक

चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, इसलिए पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक का विवरण शून्य है।

गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशक को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को प्रति बोर्ड बैठक

5000/- का भुगतान किया जाता है। बैठक में भाग लेने के लिए वाहन की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा वास्तविक के अनुसार की जाती है।

बैठक शुल्क प्राप्त करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

वर्ष 2023 -24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है।

रुपये में राशि

नाम	बोर्ड की बैठकों के लिए बैठक शुल्क का भुगतान
सुश्री. अंजू मखीजा	15,000/-

आम सभा का आयोजन

कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा के आयोजन से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2020-2021	22.10.2021	सुबह 11.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय
2021-2022	20.09.2022	दोपहर 04.30 बजे	
2022-2023	2022-2023	सुबह 09.20 बजे	

विशेष संकल्प, यदि कोई हो

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

चालू वर्ष की वार्षिक आम का आयोजन दिनांक 30 सितम्बर, 2024 को या उससे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाना अनुसूचित है।

विसल ब्लोअर नीति

एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ने वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो कंपनी पर भी लागू है। यह नीति निदेशक/कों या कर्मचारी/कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और उपयुक्त या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का भी प्रावधान करती है।

हम पुष्टि करते हैं कि किसी भी कार्मिक को एचएमटी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति के निदेश और दिशानिर्देश

आपकी कंपनी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी को जारी किए गए राष्ट्रपति निर्देशों तथा उनके अनुपालन का ब्यौरा – शून्य

प्रकटीकरण

कम्पनी के प्रोमोटरो, निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के मध्य किसी प्रकार के ऐसे सामग्रीगत संव्यवहार नहीं किए गए थे जिनसे मुख्यत: कम्पनी के किसी हित के प्रति संघर्ष की कोई संभावना हो।

कम्पनी की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए किसी अन्य अन्यथा अनुपालन, सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी पर लगाए गए दंड, गुण दोष व्याख्या अथवा सरकार द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुपालन का और कोई मामला नहीं है।

कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है।

लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसा व्यय नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो तथा कोई भी ऐसा व्यय नहीं दर्शाया

गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

अन्य व्यय (प्रशासनिक एवं अन्य विविध व्यय सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 9.39% हैं।

संचार के माध्यम

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी होने के नाते कम्पनी अपने वित्तीय परिणामों की आवधिक रूप से प्रस्तुति एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी को करती है। वार्षिक परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.hmti.com पर भी अद्यतन किए जाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित
राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन - 10333951

स्थान -बेंगलूरु
दिनांक- 04.09.2024

अनुबंध-3

कॉर्पोरेट शासन से संबंधित प्रमाण पत्र

सेवा में
सभी सदस्य गण
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, (''कम्पनी'') द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्दिष्ट कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन के उपबंधों का अनुपालन कम्पनी के प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन क अनुपालन की स्थिति के सुनिश्चय के लिए अंगीकार की गई सम्बद्ध प्रक्रियाओं एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा थी तथा न ही यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे किसी मत की अभिव्यक्ति है।

कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशक पूर्णत: अपेक्षाओं के अनुसार हैं तथा लागू न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में, हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में कॉर्पोरेट शासन की प्रत्येक स्थितियों का ऊपर उल्लेखित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि अनुपालन कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में तथा न ही यह कम्पनी के कौशल अथवा प्रभावशीलता के प्रति, जिसके प्रभाव से प्रबंधन द्वारा कम्पनी के कार्यों का संचालन किया गया है, किसी प्रकार का आश्वासन है।

पीबीएमएन एंड कंपनी के लिए,
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
(एफआरएन 007878एस)
यूडीआईएन: 24205413BKCYZR6049

एम मोहन नायडू
साझेदार
(एम नं. 205413)

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक-19.07.2024

फार्म संख्या: एमआर 03

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में सेबी (एलओडीआर) 2015 का विनियमन 24ए]

सेवा में,
सदस्य
एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड
न.59, बेल्लारी रोड बेंगलूरु-560032, कर्नाटक, भारत.

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एतदद्वारा'कम्पनी'के नाम से संदर्भित) (सीआईएन: U33309KA1974GOI002707) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष (एतद्द्वारा ''लेखापरीक्षा अवधि'' के नाम से संदर्भित) के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद्सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कम्पनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन के लिए तंत्र व्यवस्था स्थापित है:

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बुक्स, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कम्पनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की है:-

i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम; **कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में बनाए रखे जाते हैं।**

iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; **रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए लागू नहीं**

iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; **कम्पनी के संबंध में लागू नहीं, क्योंकि कम्पनी ने विचाराधीन लेखापरीक्षा अवधि में इक्विटी शेयरों का भौतिक स्वरूप में अनुरक्षण नहीं किया है**

v) कम्पनी के संबंध में विशिष्ट लागू अन्य कानून, नामत; हमें दी गई सूचना के अनुसार यह कम्पनी एक ट्रेडिंग कम्पनी है तथा इसके द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 सहित सभी लागू कानूनों का पालन किया गया है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) न द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानकों के लागू खंडों - के अनुपालन की भी जांच की है।

तदनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में विचाराधीन अवधि के दौरान, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित थी।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी होने के कारण निम्नलिखित अधिनियम, नियम, दिशानिर्देश तथा विनियम लागू नहीं होते हैं:-

i) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम;

ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') में निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:

क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 इसके संशोधन सहित

ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापार निषेध) विनियम, 2015 इसके संशोधन सहित

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 इसके संशोधन सहित

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 इसके संशोधन सहित

च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 इसके संशोधन सहित

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियम 2018; तथा इसके संशोधन

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 इसके संशोधन सहित

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009; इसके संशोधन सहित

ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन 2013 और इसमें संशोधन।

हमने कम्पनी के संबंध में निम्नलिखित के अनुपालन की जांच नहीं की है :

क. वित्तीय कानून, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानून, वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण इत्यादि, क्योंकि इनकी समीक्षा सांविधिक (वित्तीय) लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों एवं अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है।

ख. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता अनुबंध, यह कम्पनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी, और सूचीबद्ध सरकारी कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, एचएमटी लिमिटेड की एक गैर-मैटिरियल सहायक कम्पनी है।

ग. कम्पनी द्वारा सूचित किए गए अनुसार कम्पनी के संबंध में लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों / सामान्य कानूनों का अनुपालन किया गया है। प्रबंधन ने यह प्रस्तुति तथा पुष्टि की है कि उद्योग / श्रम इत्यादि से सम्बद्ध सभी कानूनों, नियमों एवं विनियमों, आदेशों, मनको तथा दिशानिर्देश का अनुपालन कंपनी ने किया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे:

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए, एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

हालाँकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री वेलपांडियन अपने कार्यकाल की सेवानिवृत्ति के कारण 26.01.2023 से कंपनी के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बोर्ड बैठकों के मिनटों के अनुसार, बैठकों में निर्णय सर्वसम्मत थे और कोई भी असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई संशोधन / परिवर्तन नहीं किया गया था।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं थीं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई, जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

कृते जी हरिथा एंड एसोसिएट्स
जी.हरिथा
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस 5521
सीपी संख्या : 10749
पियर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या 1434/2021
यूडीआईएन: : F005521F000623556

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 26 जून 2024

नोट: इस रिपोर्ट को **‘अनुबंध क’** के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध 'क'

सेवा में,
सदस्य,
एचएमटी (इंटरनेशल) लिमिटेड
न.59 , बेल्लारी रोड बेंगलूरु-560032 कर्नाटक, भारत

यह समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. सचिवीय रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवीय रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो सचिवीय रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

3. कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखा बहियों यथा आयकर, जीएसटी, सीमाशुल्क इत्यादि का सत्यापन हमने नहीं किया है।

4. जब कभी आवश्यकता प्रतीत हुई है तो हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

5. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5)(च) के उपबंधों के अनुसार कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों, मानकों के प्रावधानों का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित है।

6. यह सचिवीय रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

7. यह लेखापरीक्षा हमें प्रस्तुत की गई अथवा कम्पनी इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त की गई तथा कम्पनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा ऑडियो तथा/अथवा विज़ुअल माध्यमों से प्रदान की गई कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, बैठकों के कार्यवृत, फार्मों, तथा फाइल की गई विवरणियों, दस्तावेजों एवं रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर की गई है।

कृते जी हरिथा एंड एसोसिएट्स

जी.हरिथा
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफसीएस 5521
सीपी संख्या: 10749
पियर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्या 1434/2021
यूडीआईएन: : F005521F000623556

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 26 जून 2024

अनुबंध -5

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सचिवीय लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

संदर्भ	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
01	रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, यह देखा गया कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए, एक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। हालाँकि, श्रीमती अंजू मखीजा को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2023 के आदेश के अनुसार 10.06.2023 से कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री वेलपांडियन अपने कार्यकाल की सेवानिवृत्ति के कारण 26.01.2023 से कंपनी के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं रहे।	प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि सूचीकरण आवश्यकताओं का पालन करने के लिए एचएमटी लिमिटेड के एक स्वतंत्र निदेशक, कंपनी को एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड, गैर-सूचीबद्ध सामग्री सहायक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

अनुबंध-6

प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

विषयः धारा 3.4.2 के अंतर्गत आचार संहिता की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है किः

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट शासन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता स्थापित है।

उक्त आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है तथा इसका वितरण निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को किया गया है; तथा,

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन: 10333951

स्थान: बेंगलूरु
दिनांकः 04.09.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में,
एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सदस्य
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

रायः

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन लाभ और हानि के विवरण, स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा स्टेंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लेखांकन नोट तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लेखित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त स्थिति के अनुसार, कंपनी के क्रियाकलापों एवं इसकी हानियों, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह तथा वर्ष में उक्त तिथि को इक्विटी परिवर्तन के संबंध में उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) में की गई है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया की आचारसंहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे राय की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो मुख्यतः चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे स्वविवेक के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को चालू वर्ष के प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना है।

हमने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले लेखापरीक्षा अवलोकन नोटों की रिपोर्ट कर दी है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन सूचना एवं विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट तथा शेयरधारक सूचना शामिल होती है, परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे राय में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य

सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा यह किसी प्रकार से सामग्रीगत मिथ्या विवरण प्रतीत हो रही है अथवा नहीं हो रही है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके बारे में रिपोर्ट किए जाने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134 (5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कम्पनी की नकदी स्थिति की सत्य एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं उचित प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने राय के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमने लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- ❖ वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जाल- साजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने राय के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम

के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

❖ परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के अंतर्गत, हम इस राय की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

❖ प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।

❖ प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी सामग्रीगत स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना राय संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

❖ प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा- परीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण भी किया है, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले प्रभावित हो सकते थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है, जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं

परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः-

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

ड) कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के उपबंधों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान सरकारी कम्पनी होने के कारण से कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "अनुलग्नक-क" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के बारे में अपरिवर्तित राय की अभिव्यक्ति की गई है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलो के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं। कि वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों को अधिनियम की धारा 197 के अनुसरण में पारिश्रमिक चुकता किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को किया गया पारिश्रमिक, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है। **(जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।)**

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम ।। के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं किः-

क) कम्पनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है।

ख) कंपनी के डिरिवैटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्व-पूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

घ) प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुति दी गई है कि :

क. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई भी निधि विदेशी इकाई ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को कम्पनी द्वारा अग्रिम अथवा

ऋण अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य किन्हीं स्रोतो अथवा अन्य प्रकार की निधियों में से किसी में से) के लिए इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में, अन्य व्यक्तियों अथवा कम्पनी ('अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी विधि से निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश के लिए अथवा किसी गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए प्रदान की जाएंगी।

ख. अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी फंडिंग पार्टी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ग. हमारे द्वारा परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानकर निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण से इस राय की स्थापना होती हो कि उपर्युक्त उल्लेख मे के उप-खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत किसी प्रकार का सामग्रीगत मिथ्याकथन किया गया है।

घ. कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया गया है और न ही चुकता किया गया है।

ङ. कम्पनी ने लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए ऐसे लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की रिकार्डिंग के फीचर्स हैं तथा ये वर्ष के दौरान साफ्टवेयर में रिकार्ड किए गए सभी संव्यवहारों के लिए किया गया है तथा लेखापरीक्षा ट्रायल फीचर में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है तथा लेखापरीक्षा ट्रायल का संरक्षण कम्पनी द्वारा रिकार्ड रक्षण की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है।

च. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (11) के उपबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की अपेक्षाओं का अनुसरण करके हम पैराग्राफ 3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित विवरण की प्रस्तुति 'अनुलग्नक ख' में कर रहे हैं।

पीबीएमएन एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007878एस
यूडीआईएन: 24205413BKCYZR6049
एम. मोहन नायडू
साझेदार
एम नं- 205413

स्थान -बेंगलूरु
दिनांक- 19.07.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट के भाग 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं' के पैराग्राफ 1(च) में दिए गए गए संदर्भ के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशनिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशनिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए। हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के भिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा राय की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, (1) जिससे रिकार्डो के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो; (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; (3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर पता लगाने के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को सामग्रीगत रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्याकथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तो मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लेखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार यह प्रभावी रूप से कार्यशील थी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण हुआ है।

पीबीएमएन एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007878एस
यूडीआईएन: 24205413BKCYZR6049
एम. मोहन नायडू
साझेदार
एम नं- 205413

स्थान -बेंगलूरु
दिनांक- 19.07.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समतिथि की रिपोर्ट के भाग 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं' के पैराग्राफ 2 में दिए गए गए संदर्भ के अनुसार)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और ऑडिट के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम बताते हैं किः

1\. क. कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का परिमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

ख. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने कम्पनी के आकार एवं परिसम्पतियों की प्रकृति के अनुसार संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का औचित्यपरक अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

ग. तुलन पत्र तिथि को सभी अचल संपतियों के हक विलेख कम्पनी के नाम से धारित हैं।

घ. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी संम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का मूल्यन नहीं किया है अतः आदेश के खंड 3(1)(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

ङ. कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत किसी बेनामी संपति के धारण से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है तथा इस प्रकार आदेश का खंड 3(1)(v) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

2\. क. मालसूचियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा औचित्यपरक अंतराल में किया गया है। ऐसे सत्यापन के दौरान किसी प्रकार अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।(जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि वर्ष के दौरान कोई इन्वेंट्री नहीं रखी गई है)

ख. कम्पनी ने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से किसी प्रकार की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा प्राप्त नहीं की है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(2)(ii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

3\. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा किसी कंपनी, फर्म, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किए गए अन्य पक्षकारों को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया गया है।

4\. हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का धारक कम्पनियों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में अनुपालन नहीं किया है।

5\. कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

6\. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कम्पनी के लिए कम्पनी की किन्हीं भी गतिविधियों के संबंध में लागत रिकार्डो का अनुरक्षण करने की निर्दिष्टि नहीं की गई है।

7\. हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसारः

क. कम्पनी के रिकार्डो के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देयताओं का संबंधित प्राधिकरणों को भुगतान नियमित रूप किया गया है;

ख. भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर तथा अन्य गैर विवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भुगतान की तिथि से छह माह से अधिक अवधि की कोई देयता नहीं है।

ग. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर आय कर अथवा वस्तु एवं सेवा कर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य संवर्धित कर से संबंधित ऐसी कोई देयता नहीं है जो सम्बद्ध प्राधिकरणों को किसी विवाद के कारण जमा न की गई हो।

8. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान अपनी लेखा बहियों में किसी ऐसे संव्यवहार का लेखांकन नहीं किया गया है जो वर्ष के दौरान आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत सरेंडर किए गए हों अथवा प्रकटीकरण किए गए हों, इस प्रकार आदेश के खंड 3(viii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी के संबंध में नहीं लागू नहीं हैं।

9. हमारे मतानुसार एवं दी गई सूचना एवं प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा सरकार को किसी ऋण अथवा उधार के पुनर्भुगतान के प्रति किसी प्रकार की चूक नहीं की है।

10. कंपनी द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी धन की उत्पति नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

11. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कम्पनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को जालसाजी के किसी कृत्य में रिपोर्टिंग की जानकारी हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रकाश में नहीं आई है।

12. हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किए हैं।

14. हमारे मतानुसार, कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है। इसके अलावा, हमने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को विचार में लिया है।

15. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबंधन की ओर से हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया गया है तथा इस प्रकार आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1 ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

17. हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान भी नकद हानियां नहीं हुई हैं।

18. वर्ष के दौरान कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 का खंड 3(xiii) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

19. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की लेखापरीक्षा के आधार

पर वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल एवं उनसे लाभ प्राप्ति की संभावित तिथियों, वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य सूचना के आधार पर हमारा ऐसा मानना है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग की तिथि को ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है कि कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान देयताओं की पूर्ति, तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में जब कभी वे देय हों, न कर सके।

20. हमें दी गई सूचना एवं प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा 135 (5) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (xx) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

21. कम्पनी के प्रति कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) में किसी प्रकार की अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xxi) लागू नहीं है।

पीबीएमएन एंड कम्पनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007878एस
यूडीआईएन: 24205413BKCYZR6049

एम. मोहन नायडू
साझेदार
एम नं- 205413

स्थान -बेंगलूरु
दिनांक- 19.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समापृत वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आशृवासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत सृवतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायित्व हैं। यहा यह उल्लेखनीय है की दिनांक 19 जुलाई, 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

M.S. Subrahmanyam
31/07/2024

(एम.एस. सुब्रामनियम)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 31 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत और उसके बाद कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू प्रासंगिक संशोधन नियम जारी किए गए।

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण नीचे लेखांकन नीतियों में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किए गए कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा, प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी का अनुसरण करके किया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यतः माल एवं सेवाओं के विनिमय में किए गए निर्धारण के अनुसार उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

1) अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों का निर्माण इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार करने के लिए प्रबंधन को न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे राजस्व, व्यय,, परिसम्पतियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, ऐसे अनुमान विद्यमान घटनाओं एवं कार्रवाईयों के संबंध में प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर आधारित होती हैं, ऐसे पूर्वानुमानों एवं अनुमानों के परिणामस्वरूप प्रतिफल में भावी अवधियों में परिसम्पतियों अथवा देयताओं की वहन राशियों में समायोजन करना पड़ सकता है। लेखांकन अनुमानों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाता है।

2) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन व्यय किए जाने के वर्ष में किया जाता है।

तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की लागत की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति तब की जाती है जबः

1) यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा
2) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के लिए धारित संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम मूल्य पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

1) निपटान किए जाने पर; अथवा

2) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरणः

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षों के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

3) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यतः प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार (आरओयू) और अपनी पट्टे की व्यवस्था, यदि अनुबंध में स्वीकृत की जाने वाली संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है, के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर

इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समयोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ-साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समयोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4) ऋण लागतें:

ऋण लागते ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

5) निवेश संपत्ति:

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार - प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति/अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

6) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन,

मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/ खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

7) मूल्यह्रास और परिशोधनः

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागत की खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण / निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

8) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालनः

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री / वितरण के लिए धारित न के रूप में करती है। बिक्री / वितरण को पूरा करने के लिए न आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री / वितरण का निर्णय

वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/ वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध इस होना चाहिए।

बिक्री के लिए / स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने / वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

9) सरकारी अनुदानः

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तो का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

10) मालसूचीः

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

11) राजस्व स्वीकृतिः

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्ते है, और साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व / आय से बाहर रखा गया है।

i) माल की बिक्री

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) सेवाओं का प्रतिपादनः

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पूरा होने के चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को अब तक की गई सेवाओं के आधार पर कुल निष्पादित सेवाओं के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

iii) किराये की आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार

पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iv) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यतः तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

v) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखतों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

vi) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vii) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

12) विदेशी मुद्रा हस्तांतरण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

13) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

बीमांकिक मूल्यांकन पर निर्धारित पात्र कर्मचारियों की

देनदारी को कवर करने के लिए, एक परिभाषित लाभ योजना के तहत ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित ट्रस्ट के लिए अपेक्षित सीमा तक वार्षिक योगदान किया जाता है, जिसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह से कवर की जाती है।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता (एसए) प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुनः मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत कर्मचारियोंको दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है। वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

14) आयकर:

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान अस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और अस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और अस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर:

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

15) प्रावधान:

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व

(कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

16) अक्षमता हानि

i) वित्तीय परिसम्पतियांः

कंपनी द्वारा तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसम्पतियांः

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

17) वित्तीय प्रपत्रः

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समयोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्यः

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

(iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तिः

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतिः वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और स्थानांतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत अस्वीकृति के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति समाप्त कर देती है। वित्तीय देयता (अथवा वित्तीय देयता का भाग) जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असयोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत मेंवर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है संपूर्ण तरीके से) हुआ है।

18) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनीः

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक संपत्ति में प्रवेश किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनमें स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हो।

ख) बंद परिचालनः

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है। तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) अस्थगित कर

अस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी अस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडों की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अर्जित अवकाश नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत का माप। गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) का पुनर्माप और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापनः

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी / एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपया लाख में)

		विवरण	नोट संख्या	की स्थिति 31.03.2024	की स्थिति 31.03.2023
		परिसंपत्तियाँ			
क		गैर-चालू संपत्ति			
	(क)	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	**415.83**	426.64
	(ख)	अन्य गैर-चालू संपत्तियां	4	**66.77**	36.77
		वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	**-**	-
				482.59	463.40
ख		चालू परिसम्पतियां			
	(क)	* मालसूचियां	5	**18.58**	385.33
	(ख)	वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i)	व्यापार प्राप्य	6	**841.08**	1,416.59
	(ii)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	7	**4,007.51**	3,079.45
	(iii)	ऋण	8	**-**	-
	(iv)	अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	9	**63.20**	58.71
	(ग)	अन्य चालू परिसम्पतियां	10	**449.49**	480.32
				5,379.85	5,420.40
ग		योग परिसम्पतियां (क + ख)		**5,862.44**	5,883.81
		इक्विटी एवं देयताएं			
क		**इक्विटी**			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	11	**72.00**	72.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	12	**3,709.49**	3,631.27
		योग इक्विटी		**3,781.49**	3,703.27
ख		देयताएं			
		अन्य चालू देयताएं			
	(क)	प्रावधान			
	(i)	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	13	**112.39**	125.72
	(ख)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)		**48.10**	46.96
		योग गैर-चालू देयताएं		**160.49**	172.68

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपया लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	की स्थिति 31.03.2024	की स्थिति 31.03.2023
	चालू देयताएं			
(a)	(क) वित्तीय देयताएं			
(i)	व्यापार प्राप्य	**14**	**316.00**	1,190.53
	अन्य चालू देयताएं	**15**	**1,413.25**	771.21
(b)	प्रावधान			
(i)	कर्मचारी हित के लिए प्रावधान	**13**	**52.47**	39.62
(c)	चालू कर देयताएं (निवल)	**15**	**138.75**	6.50
	योग चालू देयताएं		**1,920.45**	2,007.86
	योग देयताएं		**2,080.95**	2,180.54
C	**योग इक्विटी एवं देयताएं (क + ख)**		**5,862.44**	5,883.81
	वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	**1**		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**2**		

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 007878एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. शुल्क)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

,एम मोहन नायडू
साझेदार
सदस्यता संख्या 205413)
यूडीआईएन : 24205413BKCYZR6049

वाई.के. वैश्य
महाप्रबंधक (ओ एवं एम)

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 19.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपया लाख में)

		नोट संख्या	31/03/2024 रुपया लाख में	31/03/2023 रुपया लाख में
	जारी परिचालन			
(a)	क) परिचालनों से राजस्व्	16	**1,758.62**	1,415.45
(b)	(ख) अन्य आय	17	**211.24**	179.28
	योग आय		**1,969.86**	1,594.73
	व्यय			
(a)	(क) व्यापार माल, सेवा एवं कार्य की लागत	18.a	**717.41**	1,554.33
(b)	ख) तैयार माल एवं व्यापार माल की मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	18.b	**366.75**	-381.58
(c)	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	19	**251.55**	240.67
(d)	(घ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्य	20	**13.08**	13.03
(e)	(ङ) वित्त लागतें	21	**-**	-
(f)	(च) अन्य व्यय	22	**139.85**	137.56
	योग व्यय		**1,488.65**	1,564.01
	अपरहिार्य मदों तथा जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**481.21**	30.71
	सम्बद्ध कम्पनी तथा संयुक्त उद्यम में (लाभ) / हानि का अंशभाग		**-**	-
	अपरहिार्य मदों तथा जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**481.21**	30.71
	अपरिहार्य वस्तुएं		**-**	-
	जारी परिचालनों के कर से पूर्व लाभ / (हानि		**481.21**	30.71
	1 चालू कर		**138.75**	6.50
	2 पूर्वावधियों से संबंधित कर का समायोजन		**261.40**	-
	(3)आस्थगित कर		**1.14**	3.99
	आय कर व्यय		**401.29**	10.49
	वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ		**79.92**	20.22
	बंद परिचालन			
	वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ / (हानि		**-**	-
	बंद परिचालनों से कर आय / (व्यय		**-**	-
	बंद परिचालनों से लाभ / (हानि)		**-**	-
	वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)		**79.92**	20.22
	अन्य व्यापक आय			
	अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किए जाने वाली अन्य व्यापक आय			
	निवल परिभाषित देयता/परिसम्पति का पुनः मापन		**-**	-
	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र		**-**	-
	अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किए जाने वाली निवल अन्य व्यापक आय		**-**	-
	अन्य व्यापक आय को आगामी अवधियों में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ / (हानि) का पुनःमापन	22	**-1.70**	4.68
	आय कर प्रभाव		**-**	-
	अनुवर्ती अवधियों में लाभ एवं हानि में वर्गीकृत न की जाने वाली अन्य व्यापक आय		**-1.70**	4.68
	वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय, कर निवल		**78.22**	24.90

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपया लाख में)

	नोट संख्या	31/03/2024 रुपया लाख में	31/03/2023 रुपया लाख में
वर्ष के दौरान लाभ / (हानि)			
निम्नलिखित से सम्बद्धता :			
मूल कम्पनी के इक्विटी धारक		**79.92**	20.22
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय			
निम्नलिखित से सम्बद्धता :			
मूल कम्पनी के इक्विटी धारक		**-1.70**	4.68
जारी परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**11.10**	2.81
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध जारी परिचालनों से लाभ		**11.10**	2.81
बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बंद परिचालनों से लाभ		**-**	-
जारी एवं बंद परिचालनों से प्रति शेयर आय			
बेसिक, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध वर्ष के दौरान लाभ		**11.10**	2.81
डाय्ल्युटिड, मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध वर्ष के दौरान लाभ लाभ		**11.10**	2.81
वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट	1		

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 007878एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. शुल्क)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

,एम मोहन नायडू
साझेदार
सदस्यता संख्या 205413)
यूडीआईएन : 24205413BKCYZR6049

वाई.के. वैश्य
महाप्रबंधक (ओ एवं एम)

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 19.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

(रुपया लाख में)

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
परिचालन गतिविधियां		
जारी परिचालनों से कर पूर्व लाभ	**481.21**	30.71
बंद परिचालनों से कर पूर्व लाभ / (हानि)	**-**	-
कर पूर्व लाभ	**481.21**	30.71
निवल नकदी प्रवाह से कर पूर्व लाभ के समाधान के लिए समायोजन		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	**13.08**	13.03
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		
वित्त आय (ब्याज)	**169.16**	151.92
कार्यशील पूंजी समायोजन :		
व्यापार प्राप्यों एवं अन्य प्रायों में (वृद्धि)/ कमी	**601.84**	-42.76
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	**366.75**	-381.58
व्यापार एवं अन्य देयों में (वृद्धि)/ कमी	**-232.52**	353.00
निवल कर्मचारी परिभाषित लाभ देयताओं में (वृद्धि)/कमी	**-2.17**	-17.83
	1,397.34	106.49
चुकता आय कर	**-267.90**	-6.80
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**1,129.44**	99.69
निवेश गतिविधिया		
सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय	**-2.23**	-4.43
अन्य चालू परिसम्पतियां	**-30.00**	-1.77
प्राप्त ब्याज	**-169.16**	-151.92
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह	**-201.39**	-158.12
वित्तीय गतिविधिया		
चुकता लाभांष	**-**	-
चुकता ब्याज	**-**	-
निवेश क्रियाकलापों में से (प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	**-**	-
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि	**928.06**	-58.43
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**3,079.45**	3,137.88
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**4,007.51**	3,079.45

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 007878एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. शुल्क)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

,एम मोहन नायडू
साझेदार
सदस्यता संख्या 205413)
यूडीआईएन : 24205413BKCYZR6049

वाई.के. वैश्य
महाप्रबंधक (ओ एवं एम)

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 19.07.2024

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	भवन	आंतरिक सजा	फैक्टरी उपकरण	फर्नीचर, फिक्सचर, सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण और मापन उपकरण	वाहनों	योग
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
1 अप्रैल 2021 किस स्थिति	676.75	41.61	0.61	101.78	15.67	836.42
अवर्धन	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	101.78	15.67	836.42
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	676.75	41.61	0.61	101.78	15.67	836.42
अवर्धन	-	-	-	4.43	-	4.43
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	106.21	15.67	840.85
1 अप्रैल 2023 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	106.21	15.67	840.85
अवर्धन	-	-	-	2.23	-	2.23
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को सकल ब्लॉक	676.75	41.61	0.61	108.44	15.67	843.08
मूल्यह्रास और परिशोधन						
1 अप्रैल 2021 किस स्थिति	231.70	41.61	0.61	98.91	15.67	388.52
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	11.27	-	-	1.38	-	12.65
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2022 को मूल्यह्रास रिज़र्व	242.97	41.61	0.61	100.30	15.67	401.17
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	242.97	41.61	0.61	100.30	15.67	401.17
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	11.28	-	-	1.75	-	13.03
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को मूल्यह्रास रिजर्व	254.25	41.61	0.61	102.05	15.67	414.20
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	11.27	0.00	0.00	1.80	0.00	13.07
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2024 पर मूल्यह्रास रिजर्व	265.52	41.61	0.61	103.85	15.67	427.27
निवल बूक मूल्य						
31 मार्च 2024 को	411.23	0.00	0.00	4.59	0.00	415.83
31 मार्च 2023 को	422.50	-	0.0	4.16	0.00	426.64

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
4. अन्य गैर चालू परिसम्पतियां		
उपदान	**66.77**	36.77
योग अन्य चालू परिसम्पतियां	**66.77**	36.77
5. मालसूचियां		
भेजा न गया तैयार माल - मशीनरियां	**18.58**	385.33
भेजा न गया तैयार माल - मशीनरियां	**18.58**	385.33
6. व्यापार प्राप्य		
प्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया	**841.08**	1,416.59
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	**-**	-
संदिग्ध	**-**	-
सम्बद्ध पार्टियों से प्राप्य	**-**	-
योग व्यापार प्राप्य	**841.08**	1,416.59

6 क चालू वर्ष के अंत में काल वार व्यापार प्राप्यों का विवरण

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित - अच्छा समझा गया	391.92	23.76	69.12	181.59	174.69	841.08
अविवादित - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-		-
विवादित - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-
विवादित - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	-

6 ख अंतिम वर्ष के अंत में काल वार व्यापार प्राप्यों का विवरण

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित - अच्छा समझा गया	801.64	363.92	81.60	-	169.44	1,416.59
अविवादित - संदिग्ध समझा गया						
विवादित - अच्छा समझा गया						
विवादित - संदिग्ध समझा गया						

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
7. नकदी और बैंक शेष		
क नकदी और नकदी समतुल्य		
सामान्य नकद	**-**	-
चालू खातों में	**103.87**	82.39
तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशि	**994.90**	101.56
बी. अन्य बैंक बैलेंस		
तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियां	**2,908.74**	2,895.50
कुल नकदी और नकदी समकक्ष	**4,007.51**	3,079.45
8. ऋण		
गैर चालू	**-**	-
चालू		
एचएमटी लिमिटेड को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण	**-**	-
कुल चालू ऋण	**-**	-
कुल ऋण	**-**	-
9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर चालू		
बारह माह से अधिक परिपक्कता वाले बैंक जमा	**-**	-
उपार्जित एवं देय ब्याज	**-**	-
योग अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	-
चालू		
उपार्जित एवं देय ब्याज	**63.20**	58.71
योग अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**63.20**	58.71
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**63.20**	58.71
10. अन्य चालू परिसंपत्तियां		
जमा	**0.05**	0.05
ईएमडी	**2.80**	2.85
सेवा कर की धन वापसी संबंधित दावे	**0.27**	0.27
दावे प्राप्य	**11.27**	11.27
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य	**1.48**	1.78
कर्मचारियों को अग्रिम	**1.07**	1.07
अन्य		
आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को दिया गया अग्रिम भुगतान	**0.69**	3.06
अग्रिम सेवा कर	**27.46**	27.46
जीएसटी प्राप्य	**163.98**	116.23
धन वापसी योग्य आय कर	**142.28**	312.32
टीडीएस (वित्त वर्ष 2024-25)	**90.07**	-
जीएसटी टीडीएस	**8.07**	3.82
पूर्वभुगतान	**-**	0.14
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**449.49**	480.32

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

11. इक्विटी शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

	इक्विटी शेयर	
	संख्या लाख में	**संख्या लाख में**
31 मार्च 2021 की स्थिति	**80.00**	**800.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2022 की स्थिति	**80.00**	**800.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति	**80.00**	**800.00**
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	**80.00**	**800.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2024 की स्थिति	**80.00**	**800.00**

जारी इक्विटी पूंजी

10 रुपये मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्किटी शेयर	संख्या लाख में	संख्या लाख में
31 मार्च 2021 की स्थिति	**7.20**	**72.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	**7.20**	**72.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति	**7.20**	**72.00**
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)	-	-
31 मार्च 2024 की स्थिति	**7.20**	**72.00**

कंपनी के पास 10 रुपया मूल्य प्रत्येक के केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं। प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रुपया में किया जाता है।

कंपनी के 5 % से अधिक शेयरों का धरण करने वाले शेयर धारकों का विवरण

शेयर धारकों के नाम	31 मार्च 2024 कोकी स्थिति		31 मार्च 2023 की स्थिति	
	संख्या लाख में	श्रेणी में % धारित	संख्या लाख में	श्रेणी में % धारित
एचएमटी लिमिटेड एवं उसके नामिती	**7.2**	**100**	**7.2**	**100**

बोनस के रूप में जारी शेयर, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में जारी शेयरों की कुल संख्या तथा रेपोर्टिंग तिथि से निकतम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान शेयरों का वापस क्रय :

	31.03.2024 संख्या लाख में	31.03.2023 संख्या लाख में
नकद	**0.005**	0.005
नकदी के अलावा अन्य रूप से जारी	**0.295**	0.295
सिक्योरिटी प्रीमियम के पूंजीयन पर पूर्ण चुकता बोनस शेयरों के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर	**6.900**	6.900
योग	**7.200**	7.200

इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

10 रूपए मूल्य प्रत्येक के जारी, अंशधारित एवं पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**संख्या लाख में**	**संख्या लाख में**
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	**7.20**	72.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन		
31 मार्च 2023 को स्थिति	**7.20**	72.00
1 अप्रैल 2023 की स्थिति	**7.20**	72.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन		
31 मार्च 2024 की स्थिति	**7.20**	72.00

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

12. अन्य इक्विटी

	रिजर्व एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय		
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में
1 अप्रैल, 2021 को शेष	**3,065.26**	**622.88**	**-**	**-42.95**	**3,645.18**
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुनः मापन, कर प्रभाव का निवल				-60.06	-60.06
(डीडीटी) सहित लाभांश					-
अवधि में लाभ		21.25			21.25
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**3,065.26**	**644.13**	**-**	**-103.01**	**3,606.37**

	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में
1 अप्रैल 2022 को शेष	**3,065.26**	**644.13**	**-**	**-103.01**	**3,606.37**
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुनःमापन, कर प्रभाव का निवल				4.68	4.68
(डीडीटी) सहित लाभांश					-
अवधि में लाभ		20.22			20.22
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**3,065.26**	**664.35**	**-**	**-98.33**	**3,631.27**

	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में	रुपए लाख में
1 अप्रैल 20223को शेष	**3,065.26**	**664.35**	**-**	**-98.33**	**3,631.27**
सामान्य रिजर्व में अंतरण					-
निवल परिभाषित देयता / परिसम्पति का पुनःमापन, कर प्रभाव का निवल				-1.70	-1.70
(डीडीटी) सहित लाभांश					-
अवधि में लाभ		79.92			79.92
31 मार्च, 20234 की स्थिति	**3,065.26**	**744.27**	**-**	**-100.03**	**3,709.49**

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
13. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
गैर चालू		
उपदान	**43.74**	53.98
अर्जित छुट्टी नकादिकरण	**31.89**	50.16
साइटलमेंट भत्ता	**19.25**	21.58
भविष्य निधि	**17.51**	-
कुल गैर चालू	**112.39**	125.72
चालू		
उपदान	**20.24**	20.43
अर्जित छुट्टी नकादिकरण	**29.69**	17.74
साइटलमेंट भत्ता	**2.54**	1.45
भविष्य निधि	**-**	-
कुल गैर चालू	**52.47**	39.62
कुल निवल कर्मचारी परिभाषित लाभ देयताएं	**164.86**	165.34
14. व्यापार प्राप्य		
व्यापार देय	**163.92**	556.26
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	**148.51**	377.21
सम्बद्ध पार्टियों को देय	**3.56**	257.06
योग व्यापार देय	**316.00**	1,190.53

14 क चालू वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार देय का काल-वार विवरण :

विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि को बकाया**			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
एमएसएमई	**59.80**	**74.30**	**10.20**	**4.21**
अन्य	**28.40**	**98.86**	**21.37**	**18.86**
विवादित देय - एमएसएमई				**-**
विवादित देय अन्य				**-**
योग	**88.20**	**173.16**	**31.57**	**23.07**

14 क पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार देय का काल-वार विवरण :

विवरण	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि को बकाया**			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक
एमएसएमई	**377.21**	**-**		
अन्य	**757.70**	**3.24**	**52.38**	**-**
विवादित देय - एमएसएमई	**-**	**-**	**-**	**-**
विवादित देय अन्य	**-**	**-**	**-**	**-**
योग	**1,134.91**	**3.24**	**52.38**	**-**

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
15. अन्य चालू देयताएं		
गैर चालू	**-**	-
चालू		
अग्रिम प्राप्त राजस्व	**715.91**	266.49
धारक कम्पनी को देय	**311.51**	246.92
देय वेतन एवं बकाया	**45.32**	45.67
अर्जित धन जमा	**59.43**	60.71
आपूर्तिकर्ताओं से धारित राशि	**43.29**	34.34
देय कर	**3.49**	2.40
एक्स ग्रेशिया के लिए प्रावधान	**0.21**	0.21
विविध लेनदार (टीए)	**0.02**	0.26
वारंटी	**92.86**	61.24
भविष्य निधि ट्रस्ट हानि देय	**38.93**	38.93
पीएफ में कंपनी का अंशदान देय	**1.50**	1.51
पेंशन फंड में कंपनी का योगदान	**0.10**	0.14
एसआईबी के लिए प्रावधान	**0.28**	1.20
वारंटी का प्रावधान	**-**	11.20
निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए देय आयकर का प्रावधान	**100.40**	-
ए.वाई.23.24 के लिए आयकर प्रावधान	**-**	6.50
ए.वाई.24.25 के लिए आयकर प्रावधान	**138.75**	-
योग अन्य चालू देयताएं	**1,552.00**	777.71

नोट -1 : वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट/ 31.03.2024

तुलन पत्र से संबंधित (रुपया लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 की स्तिथी	31.03.2023 की स्तिथी
1	कंपनी की आकस्मिक देयताएँ निम्नलिखित के प्रति हैं : कंपनी के बैकारों द्वारा विभिन्न पार्टियों को जारी गारंटियाँ एवं काउंटर गारंटियाँ तथा साख पत्र, जिनके प्रावधान नहीं किए गए हैं तहत जो प्रतिशत मार्जिन धन के प्रति सुरक्षित हैं।	**3,060.66**	2,435.00
2	व्यवसाय देय:		
	कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम देवताओं से संबंधित प्रकटीकरणः	**148.51**	377.21
	क) वर्ष के अंत में अचुकता शेष-मूल (ब्याज की राशि शून्य)	**NIL**	NIL
	ख) वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता भुगतान की राशि सहित चुकता ब्याज की राशि	-	-
	ग) किए गए भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ब्याज को जोड़े बिना चुकता किया गया है)	-	-
	घ) लेखांकन अवधि के अंत में ब्याज उपचय एवं अचुकता शेष की राशि		
	ङ) अनुवर्ती वर्षों में बकाया एवं भुगतान योग्य देव ब्याज की राशि जिसपर लघु उद्यमी को अगले वर्षों में देवताओं का वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज देय है		
3	कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान सहित मजदूरी / बेतन, मं भत्ता बकाया जो लंबित समायोजन के साथ 1992 से संबंधित हैं तथा जिनके संबंध में लेखों में प्रावधान किए गए हैं।	**1.03**	1.03

4. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कराधान के प्रावधान किए गए है
5. कंपनी के प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि कुछ देनदारों को अतीत में बट्टे खाते में डाल दिया गया है, तथा वसूली की कार्यवाही जारी है।
   - मेसर्स नवाब कैश्यू पैकर्स, केरल: 69.23 लाख रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार का निष्पादन विभिन्न अदालतों में विभिन्न चरणों में लंबित है।
   - मेसर्स नुकोर वायर्स लिमिटेड, बैंगलोर: 69.75 लाख रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार का निष्पादन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

6. हमारे द्वारा सत्यापित खाता-बही के अनुसार, 'इन्वेंटरी- तैयार माल' शीर्ष के अंतर्गत, पारगमन में मशीनरी का मूल्य 18.57 लाख रुपये दर्शाया गया है, क्योंकि यह मशीनरी 31 मार्च 2024 तक ग्राहक को वितरित नहीं की गई है, हालाँकि कंपनी ने वर्ष 2023-24 की बिक्री में इसका सही हिसाब नहीं लगाया है।

7. हमारे ऑडिट के दौरान, हमने सत्यापित किया है कि खातों की पुस्तकें 2018 से एसआईएल से संबंधित 1,44,000/- रुपये की बकाया बयाना राशि (ईएमडी) दिखाती हैं। हम प्रबंधन को इस बकाया राशि का निपटान करने की सलाह देते हैं।

8. हमने सत्यापित कर लिया है कि ई-टीडीएस रिटर्न नियत तिथि के भीतर दाखिल कर दिया गया है।

24Q	दाखिल करने की तिथि	नियत तिथि
Q 1	25-जुलाई-23	31-जुलाई-23
Q 2	31-अक्टूबर-23	31-अक्टूबर-23
Q 3	12-जनवरी-24	31-जनवरी-24
Q 4	20-मई-24	30-मई-24

26Q	दाखिल करने की तिथि	नियत तिथि
Q 1	08-सितम्बर-23	30-सितम्बर-23
Q 2	31-अक्टूबर-23	31-अक्टूबर-23
Q 3	12-J जनवरी-24	31-जनवरी-24
Q 4	20-मई-24	30-मई-24

9. खातों की पुस्तकों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमने देखा है कि टाटा से प्राप्त 40 लाख रुपये की बयाना राशि (ईएमडी) 31 मार्च 2024 तक बकाया है। हालाँकि, 13.06.2024 को टाटा को भुगतान जारी किया गया है।

10. हमारे ऑडिट के दौरान, हमने पाया है कि विविध लेनदारों के खाते में एचएमटी I और II बैंगलोर इकाइयों से संबंधित 16.97 लाख रुपये की बकाया राशि है, जो 3 साल से अधिक समय से लंबित है। हम कंपनी को लंबे समय से बकाया इन देनदारियों को जल्द से जल्द निपटाने की सलाह देते हैं।

11. लेखा पुस्तकों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमने पाया है कि 'अग्रिम कर' खाते के अंतर्गत, कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2024-25 तक, लगभग 15 वर्षों की अवधि में कुल 240.42 लाख रुपये की बकाया राशि है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये कर भुगतान आयकर आयुक्त (सीआईटी) के समक्ष दायर अपील के विरुद्ध किए गए थे।

· हम प्रबंधन को सलाह देते हैं कि वे आयकर विभाग के पास लंबित अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि किसी भी संभावित रिफंड का दावा किया जा सके या बकाया कर भुगतान का निपटान किया जा सके, जिससे विभाग की ओर से भारी जुर्माने और ब्याज शुल्क से बचा जा सके।

12. हमने सत्यापित किया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक बकाया सभी बैंक खातों की शेष राशि के लिए शेष पुष्टिकरण पत्र प्राप्त कर लिया है, और राशि का कंपनी के खातों की शेष राशि के साथ मिलान किया गया है।

13. हमने सत्यापित किया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक बकाया सभी बैंक जमा खाते की शेष राशि के लिए शेष पुष्टिकरण पत्र प्राप्त कर लिया है, और राशि का कंपनी के खातों की शेष राशि के साथ मिलान किया गया है।

14. हमने सत्यापित किया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक बकाया शेष के लिए होल्डिंग कंपनी से शेष पुष्टिकरण पत्र प्राप्त कर लिया है, और राशि का कंपनी के खातों की पुस्तकों के साथ मिलान किया जा रहा है।

15. हमने विविध लेनदारों - आपूर्ति एवं सेवा खाते का सत्यापन कर लिया है, विविध लेनदारों के अंतर्गत शेष राशि आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि के अधीन है, हालांकि कंपनी द्वारा पुष्टि मांगी गई है।

16. हम कंपनी को सलाह देते हैं कि कंपनी के खातों की किताबों के साथ बकाया शेष राशि का मिलान करने के लिए सभी लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि पत्र प्राप्त करें। यह भविष्य में किसी भी संभावित दावे या अतिरिक्त देनदारियों से बचने में मदद करेगा। हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया 6.08 लाख रुपये का भुगतान करने या ऋणदाताओं को माफ करने के लिए उचित कदम उठाए।

17. खाता-बही की हमारी समीक्षा के आधार पर, हमने 104.50 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण एवं अग्रिम शेष देखा है। इसमें से 63.20 लाख रुपए अर्जित ब्याज के रूप में हैं। हालांकि, शेष 41.30 लाख रुपए विभिन्न पक्षों से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में हैं। हम कंपनी को सलाह देते हैं कि वह संबंधित पक्षों से इन बकाया दावों की वसूली के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए।

18. हमने पाया है कि लेखा पुस्तकों में 1992 से अवैतनिक वेतन के रूप में 30.98 लाख रुपये की बकाया राशि दर्शाई गई है। हम कंपनी को सलाह देते हैं कि वह कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित देनदारियों का भुगतान करने के लिए कहे, ताकि भविष्य में अतिरिक्त देनदारी के रूप में किसी भी दावे से बचा जा सके।

क्र. सं.	खाता बही	राशि
1.	अवैतनिक वेतन-1992-95 वेतन/मजदूरी संशोधन बकाया	4.16 लाख
2.	1997 स्थानांतरित कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी संशोधन बकाया	23.91 लाख
3.	अन्य देयताएं – तदर्थ 1992 वेतन/मजदूरी संशोधन	2.91 लाख
योग		30.98 लाख

19. व्यापार प्राप्य कुल 841.08 लाख रुपये [2023: 1,416.59 लाख रुपये] है, जिसमें से 174.69 लाख रुपये की देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर 3 साल से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं। उपरोक्त प्राप्तियां ग्राहकों की ओर से विशिष्ट पुष्टि द्वारा समर्थित नहीं हैं।खातों में खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि बैलेंस शीट की तिथि पर यह 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है।

नोट -1 : वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स / 31.03.2024

भारतीय लेखा मानक - 24 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकता

क-संबंधित पार्टियां

रुपया लाख में

संबंध	सहयोगी कंपनियां			एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी					
लेन-देन करने वाले संबंधित पक्ष का नाम	**एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड**	**एचएमटी वॉचेस लिमिटेड**	**एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड**	**ट्रैक्टर यूनिट**	**एबीडी / सामान्य सेवा प्रभाग**	**खाद्य प्रसंस्करण प्रभाग**	**कॉर्पोरेट कार्यालय**		
लेन-देन की प्रकृति का विवरण	ब्रिक्री				रखरखाव सेवाएँ	ब्रिक्री	प्रस्तावित लाभांश	सामान्य सेवाएँ	अंतर-कॉर्पोरेट ऋण नवीकरण *
लेन-देन का मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	51.64	शून्य
वित्तीय विवरणों को कम करने के लिए आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन के अन्य तत्व	वर्ष के दौरान कोई बड़ी रकम शामिल नहीं है								-
वर्ष के अंत तक बकाया शेष राशि	3.56 (क्रेडिट)	-	-	-	.15 (क्रेडिट)	40.06 (क्रेडिट)	-	271.29(क्रेडिट)	शून्य
संदिग्धों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य

क. * कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(2) के तहत कॉर्पोरेट निकायों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

ख. एचएमटी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी होने के नाते सार्वजनिक उपयोग के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी।

नोट -1 : वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स / 31.03.2024

रुपया लाख में

इंड एएस 108 के अनुसार सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी माल और सेवाओं के निर्यात और विदेशों में परियोजनाएं स्थापित करने का व्यवसाय कर रही है, जिसमें माल और सेवाओं की आपूर्ति उत्पाद के साथ-साथ परियोजनाओं का अभिन्न अंग है, फलस्वरूप कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय वर्ष के दौरान समान रहता है। इसमें रिपोर्ट करने के लिए कोई विशिष्ट खंड मौजूद नहीं है।

इंड एएस - 12 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

मूल्यह्रास

आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) 01.04.2023 तक	(46.96)
वर्ष के दौरान प्रभारित / (क्रेडिट)	1.14
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) 31.03.2024 तक	(48.10)

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
16. परिचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	**1,108.71**	127.97
तकनीकी सेवाएं	**12.90**	-
उत्पादों की परियोजना बिक्री	**129.14**	940.91
परियोजना सेवाएं	**507.87**	346.19
निर्यात सहायक (ड्यूटी वापस प्राप्त)	**-**	0.38
योग	**1,758.62**	1,415.45
17 अन्य आय		
क. अन्य गैर परिचालन आय		
प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं	**11.90**	26.63
किराये की आय	**27.28**	-
निविदा शुल्क	**-**	0.73
विविध आय	**2.91**	-
	42.08	27.36
ख. ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	**169.16**	151.92
	169.16	151.92
योग अन्य आय	**211.24**	179.28
18. व्यापार माल, सेवा एवं कार्यों की लागत		
क व्यापार माल, सेवा एवं कार्यों की लागत		
क्रय	**395.12**	1,194.14
सेवा अनुबंध हेतु खरीदारी	**181.41**	133.99
निर्यात पर भाड़ा	**27.08**	95.54
निर्यात पर बीमा	**0.20**	2.25
ईसीजीसी प्रीमियम	**0.64**	-
समाशोधन, रख-रखाव और निरीक्षण	**4.69**	0.16
यात्रा खर्च	**107.47**	90.11
वारंटी दावे	**-**	11.20
अन्य व्यय (नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार)	**0.81**	26.94
व्यापारित माल, सेवा और कार्यों की लागत	**717.41**	1,554.33
अन्य खर्चों		
संचार	**-**	0.03
विज्ञापन एवं प्रचार	**-**	1.40
कार्यालय के रखरखाव	**0.02**	-
यात्रा एवं परिवहन	**0.15**	11.38
प्रतिनिधिमंडल एवं निर्यात संवर्धन	**0.14**	0.14
विक्रय पश्चात सेवा	**-**	0.12
मनोरंजन व्यय	**0.35**	0.17
बैंक शुल्क	**0.14**	13.19
विविध	**-**	0.51
योग	**0.81**	26.94

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
ख. इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी		
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	**385.33**	3.75
घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंट्री	**18.58**	385.33
	366.75	-381.58
योग	**1,084.16**	1,172.75
19. कर्मचारियों लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, बोनस और अन्य लाभ	**182.91**	183.35
मकान किराया भत्ता	**1.82**	2.44
भविष्य निधि में अंशदान	**18.83**	18.34
पेंशन निधि में अंशदान	**1.45**	1.65
भविष्य निधि दायित्व	**17.51**	-
अर्जित अवकाश नकदीकरण	**15.61**	12.83
निपटान भत्ता	**1.68**	1.89
उपदान लागत	**6.36**	9.28
बिक्री प्रोत्साहन बोनस	**0.28**	1.20
चिकित्सा लाभ	**3.68**	7.20
एक्सग्रेशिया	**-**	0.21
कर्मचारी कल्याण व्यय	**1.41**	2.28
योग	**251.55**	240.67
20. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		
मूल्यह्रास एवं मूर्त परिसंपत्तियों	**13.08**	13.03
योग	**13.08**	13.03
21. वित्त लागत		
ऋण पर ब्याज	**-**	-
योग	**-**	-
22. अन्य व्यय		
आय पर कर को छोड़कर दरें एवं कर	**3.49**	0.50
कार्यालय के रखरखाव	**22.72**	18.73
मुद्रण एवं स्टेशनरी	**5.23**	5.00
भर्ती व्यय	**0.03**	-
रॉयल्टी	**8.82**	3.86
पुस्तकें, पत्रिकाएँ और सदस्यता शुल्क	**1.29**	0.85
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.07**	0.28
डाक, टेलीग्राम, कूरियर	**0.71**	1.00
संचार	**2.38**	1.90
लेखापरीक्षा शुल्क:		
सांविधिक लेखापरीक्षा	**0.48**	0.48

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

रुपया लाख में

	31.03.2024 रुपया लाख में	31.03.2023 रुपया लाख में
कर लेखा परीक्षा		0.21
यात्रा एवं परिवहन	**10.41**	10.65
डेलीगेशन एवं निर्यात प्रोत्साहन	**1.84**	0.81
मनोरंजन व्यय	**1.06**	1.11
भवन एवं मशीनरी के अलावा मरम्मत एवं रखरखाव	**0.88**	4.37
बीमा	**0.06**	-
प्रशिक्षण, सेमिनार एवं सम्मेलन	**-**	-
वाहन अनुरक्षण	**1.72**	2.01
व्यावसायिक और विधिक शुल्क	**2.70**	1.39
बैंक शुल्क	**26.03**	17.21
प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क	**2.54**	1.89
ढरक कंपनी को चुकता सामान्य व्यय	**39.24**	51.64
सुरक्षा शुल्क	**6.04**	4.07
निदेशक मण्डल बैठक व्यय	**0.15**	0.22
विविध व्यय	**0.11**	-
पीएफ ट्रस्ट हानि	**-**	5.72
विनिमय भिन्नता (निवल)	**1.87**	3.66
योग	**139.85**	137.56

23. अन्य व्यापक आय

परिभाषित लाभ योजनाओं पुनर्मपान से लाभ (हानियाँ) अर्जित		
अवकाश नकदीकरण		
उपदान		-
निपटान भत्ता	**-3.21**	0.71
योग	**1.51**	3.97
योग	**-1.70**	4.68

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीबीएमएन एंड को.,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन 007878एस)

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त. शुल्क)
डीआईएन नं: 10333951

अंजू मखीजा
निदेशक
डीआईएन नं: 02414138

,एम मोहन नायडू
साझेदार
सदस्यता संख्या 205413)
यूडीआईएन : 24205413BKCYZR6049

वाई.के. वैश्य
महाप्रबंधक (ओ एवं एम)

जी. दुर्गा देवी
प्रबंधक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 19.07.2024

नोट -1 : वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

लाभ एवं हानि विवरण से संबंधित **रुपया लाख में**

क्रं सं	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
1	परिचालनों से राजस्व में निम्नलिखित शामिल है परियोजना कार्यों में भारत सरकार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार निष्पादित सेवाएं शामिल हैं जिनके अंतर्गत भौतिक निर्यात 31.03.2024 तक पूरे किए गए हैं।	549.30	**1,287.10**
2	अन्य व्ययों में शामिल (यात्रा एवं यात्रा माध्यम) निदेशकों का यात्रा व्यव	-	0.93

3	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त सूचना				
	I. बेचे गए माल की लागत				
	आयातित	0 %	-		-
	स्वदेशी	100%	1,084.16		1,543.13
	योग	100%	1,084.16		1,543.13
	II. आयात का सीआईएफ मूल्य :				
	कंपोनेंट्स एवं सहायक सामान		-		
	III. विदेशी मुद्रा आय				
	क) निर्यात का एफओबी मूल्य		909.48		393.52
	ख) तकनीकी / परियोजना सेवाएं		-		-
	योग		909.48		393.52
	IV टर्नओवर का विवरण	मूल्य	मात्रा संख्या में	मूल्य	मात्रा संख्या में
	मशीन टूल्स, अतिरिक्त पूर्जे एवं सहायक सामान	19	1,108.71	0	127.19
	परियोजना सेवा एवं आपूर्तियां	10	637.01	101	940.91
	तकनीकी सेवाओं से आय		12.90		346.19
	निर्यात प्रोत्साहन		-		0.38
	योग		1,758.62		1,415.45
	V विदेशी मुद्रा में व्यय :				
	यात्रा व्यय		37.43		28.57
	अन्य		-		65.50

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

भारतीय लेखा मानक - 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, परिभाषित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

i) परिभाषित अंशदान योजना:

रुपया लाख में

विवरण	समाप्त वर्ष की स्थिति 31 मार्च 2024 को	समाप्त वर्ष की स्थिति 31 मार्च 2023 को
सेवानिवृत में नियोक्ता का अंशदान	1.45	1.65

ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट, उपदान एवं सैटलमेंट भते के लिए अंशदान किया जाता है जो परिभाषित हित योजनाएं हैं। कम्पनी ने भविष्य निधि के अलावा स्वतंत्र बीमांकिक से बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

कम्पनी की योजना के अनुसार उपदान एवं सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित लाभ दायित्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:/

	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
	%	%
डिस्काउंट दर :		
उपदान योजना	7.26	7.53
सैटलमेंट भत्ता	7.26	7.53
अर्जित छुट्टी नकदीकरण	7.26	7.53
भावी वेतन वृद्धि :		
उपदान योजना	10.00	10.00
सैटलमेंट भत्ता	10.00	10.00
अर्जित छुट्टी नकदीकरण	10.00	10.00

जनसांख्यिकी अनुमानों का संक्षेप	उपदान योजना		सैटलमेंट योजना		छुट्टी नकदीकरण	
	31.3.2024	31.3.2023	31.3.2024	31.3.2023	31.3.2024	31.3.2023
मृत्यु दर (आईएएलएम (2012-14) (संशोधित) मृत्यु तालिका के% के अनुसार मृत्यु दर)	100%	100%	0%	0%	100%	100%
विकलांगता दर (उपर्युक्त मृत्यु दर के % के अनुसार)	0.00%	0.00%	0%	0%	0.00%	0.00%
निकासी दर	1% to 3%	1% to 3%	0%	0%	1% to 3%	1% to 3%
संघर्षन दर						
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs	60 yrs
भावी सेवा औसत	23.17	23.39	23.17	23.39	23.17	23.39
रोजगार के दौरान छुट्टी नकदीकरण दर					10%	10%
छुट्टी उपयोग दर					2%	2%

कर्मचारी लाभ दायित्व

परिभाषित लाभ उपदान योजना, अर्जित छुट्टी नकदीकरण और सैटलमेंट भत्ता की लागत तथा ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

क. उपदान

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ एवं हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आय में लाभ (हानियों) का पुनर्मापन							
	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल	नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-24
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(74.40)	(5.41)	(4.85)	(10.26)	20.00			(1.97)	2.65	0.68		(63.98)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.76		3.90	3.90	(20.00)	(3.90)				(3.90)	50.00	66.76
लाभ दायित्व	**(37.64)**			**(6.36)**	**0.00**					**(3.22)**	**50.00**	**2.78**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व एवं योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ एवं हानि में प्रभारित उपदान लागत			अन्य व्यापक आय में लाभ (हानियों) का पुनर्मापन							
	01-अप्रैल-22	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल	नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-23
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(85.83)	(6.35)	(5.56)	(11.91)	20.00			1.37	1.97	3.34		(74.40)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	34.99		2.64	2.64	(20.00)	(2.63)				(2.63)	21.77	36.76
लाभ दायित्व	**(50.84)**			**(9.27)**	**0.00**					**0.71**	**21.77**	**(37.64)**

बी. अर्जित अवकाश नकदीकरण

31 मार्च 2024 को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत				लाभ/(हानि) का लाभ या हानि में पुनर्मापन						
	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल	नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-24
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(67.89)	(2.60)	(4.29)	(6.89)	21.92			(0.68)	(8.04)	(8.72)		(61.58)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	(67.89)			(6.89)	21.92					(8.72)	0.00	(61.58)

31 मार्च 2023 को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत				लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत						
	01-Apr-22	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल	नियोक्ता द्वारा योगदान	31-मार्च-23
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(75.52)	(2.98)	(4.79)	(7.77)	20.46			0.52	(5.58)	(5.06)		(67.89)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	(75.52)			(7.77)	20.46					(5.06)	0.00	(67.89)

सी. निपटान भत्ता

31 मार्च 2024 परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			अन्य व्यापक आय में पुनर्मापन लाभ/(हानि)						नियोक्ता द्वारा योगदान	
	01-अप्रैल-23	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		31-मार्च-24
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	**(23.03)**		**(1.68)**	**(1.68)**	**1.42**			**(1.17)**	**2.67**	**1.50**		**(21.79)**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	**(23.03)**			**(1.68)**	**1.42**					**1.50**	**0.00**	**(21.79)**

31 मार्च 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

		लाभ या हानि पर लगाया गया परिभाषित लाभ लागत			अन्य व्यापक आय में पुनर्मापन लाभ/(हानि)						नियोक्ता द्वारा योगदान	
	01-अप्रैल-22	सेवा लागत	निवल ब्याज व्यय एवं पूर्व सेवा लागत	लाभ या हानि में उपयोग का समावेश।	चुकता लाभ	योजना परिसम्पतियों पर लाभ (निवल ब्याज व्यय में शामिल राशियां के अलावा)	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	जनसांख्यियकी अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	अनुभव समायोजन	ओसीआई में उप-योग शामिल		31-मार्च-23
	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में	रुपया लाख में		रुपया लाख में	रुपया लाख में
परिभाषित लाभ दायित्व	(26.48)		(1.89)	(1.89)	1.37			0.97	3.00	3.97		(23.03)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य												
लाभ दायित्व	(26.48)			(1.89)	1.37					3.97	0.00	(23.03)

डी) भविष्य निधि (ब्याज की कमी) :

कंपनी द्वारा भविष्य निधि में दिया गया/देय अंशदान तथा देयता/दायित्व उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता को ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में वैधानिक दर के मुकाबले यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करना होगा। कंपनी निकट भविष्य में फंड की परिसंपत्तियों और निवेश पर प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए किसी और दायित्व की आशा नहीं करती है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर दायित्व को मान्यता दी है। ट्रस्ट द्वारा अर्जित की जाने वाली अपेक्षित ब्याज दर और अपेक्षित भविष्य की ईपीएफओ ब्याज दर के बीच अंतर के कारण दायित्व का वर्तमान मूल्य 31.03.2024 तक 17.51 लाख रुपये की ब्याज कमी है।

वित्तीय विवरण का नोट

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

	31.03.2024	**31.03.2023**
	रुपया लाख में	**रुपया लाख में**
इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
सतत संचालन	79.92	20.22
परिचालन बंद कर दिया गया	0.00	0.00
ओसीआई सहित कुल लाभ	79.92	20.22
अन्य व्यापक आय घटाएँ	0.00	0.00
मूल आय के लिए इक्विटी धारकों को देय लाभ	79.92	20.22
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों से संबंधित लाभ को तनुकरण के प्रभाव के लिए समयोजित किया गया	79.92	20.22
मूल ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,20,000	7,20,000
कमजोरीकरण का प्रभाव:		
परिवर्तनीय प्राथमिकता शेयर		
डाइल्यूशन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	7,20,000	7,20,000

* रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तारीख के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से जुड़ा कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

कर्मचारी लाभ (जारी):

संवेदी विश्लेषण :

प्रमुख बीमांकिक अनुमान, जिनके प्रति परिभाषित लाभ योजनाएं विशेषकर संवेदी हैं, वे छूट दर एवं संवर्धन दर हैं। नीचे प्रस्तुत तालिका में 100 बेसिस प्वांइट के अनुमानों में हुई वृद्धि अथवा कमी के कारण रिपोर्टिंग तिथि के अंत में उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के प्रभाव का संक्षेपन किया गया है:

(i) उपदान

रुपया लाख में

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
डिस्काउंट दरों में परिवर्तन	**8.37**	**6.76**	7.50	6.04
वेतन दर की वृद्धि में परिवर्तन	**3.22**	**3.45**	3.14	3.17
निकासी दरों में परिवर्तन	**0.85**	**0.60**	0.45	0.28

ii) सैटलमेंट भत्ता

(रुपया लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	घटत	बढ़त	घटत	बढ़त
डिस्काउंट दरों में परिवर्तन	**2.69**	**1.78**	5.38	4.16
वेतन दर की वृद्धि में परिवर्तन	**2.67**	**2.68**	4.28	5.32
निकासी दरों में परिवर्तन	**2.18**	**1.75**	-	4.46

अगले वित्तीय वर्ष में संभावित उपदान अंशदान शून्य तथा सैटलमेंट भत्ता शून्य रुपया होगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश
वर्ष 2019-20 और उसके बाद से लागू:

I. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

कंपनी ने अपने सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ईआरपी प्रणाली स्थापित की है। ईआरपी सिस्टम के बाहर कोई भी लेनदेन नहीं होता है। इसलिए इसका वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

II. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।

लागू नहीं

III. क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को केंद्रीय/स्टेज एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तदनुसार उपरोक्त खंड लागू नहीं है।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के पूरक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किसी भी अतिरिक्त कंपनी/क्षेत्र विशेष निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक है।

पीबीएमएन एंड कंपनी के लिए,
(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
(एफआरएन 007878एस)
यूडीआईएन: 24205413BKCYZR6049

एम मोहन नायडू
साझेदार
(एम नं. 205413)

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक-19.07.2024

अनुलग्नक-1

वार्षिक वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन ~~तथा समेकित के लिए अलग~~) के साथ प्रस्तुत लेखापरीक्षा अर्हता (संशोधित मत से युक्त लेखापरीक्षा के मामले में) के प्रभाव का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण
[सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 33/52 देखें]

	क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन से पूर्व सूचित) (रुपए लाख में)	समायोजित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन के पश्चात समायोजित)
I	1.	टर्नओवर / कुल आय (रुपए लाख में))	1969.86	-
	2.	कुल व्यय (रुपए लाख में)	1488.65	-
	3.	निवल लाभ / (हानि) (रुपए लाख में)	79.92	-
	4.	प्रति शेयर आय (रुपए में)	11.10	-
	5.	योग परिसम्पतियां (रुपए लाख में)	5862.44	-
	6.	योग देवताएं (रुपए लाख में)	2080.95	-
	7.	निवल संपति (रुपए लाख में)	3781.49	-
	8.	अन्य कोई वित्तीय मद (मदों) (प्रबंधन द्वारा यथोचित समझी गई)	-	-
II	लेखापरीक्षा अर्हता (प्रत्येक लेखापरीक्षा अर्हता के लिए अलग अलग):			
	क. लेखापरीक्षा अर्हता का विवरण: लागू नहीं			
	ख. लेखापरीक्षा अर्हता का प्रकार: अर्हक मत / मत का अस्वीकरण / प्रतिकूल टिप्पणी- लागू नहीं			
	ग. अर्हता की निरंतरता: क्या प्रथम बार / कब से जारी है-लागू नहीं.			
	घ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताएं) जहां लेखापरीक्षक, प्रबंधन के मतानुसार प्रभाव परिमाणात्मक है- लागू नहीं			
	ङ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताओं) के लिए जहां प्रभाव की मात्रा का निर्धारण लेखापरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है-लागू नहीं			
	(i) लेखापरीक्षा अर्हता के प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के अनुमानः			
	(ii) यदि प्रबंधन प्रभाव के अनुमान नहीं लगा पा रही है तो उसके कारण:			
	(iii) उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के संबंध में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां:			
III	हस्ताक्षरकर्ता :			
	• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
	• महाप्रबंधक (ओ एंड एम)			
	• प्रबंधक (वित्त)			
	• लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष			
	• सांविधिक लेखापरीक्षक			
	स्थान : बेंगलूरू			
	दिनांक 19.07.2024			

अनुलग्नक-1

वार्षिक वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन ~~तथा समेकित के लिए अलग~~) के साथ प्रस्तुत लेखापरीक्षा अर्हता (संशोधित मत से युक्त लेखापरीक्षा के मामले में) के प्रभाव का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव का विवरण [सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 33/52 देखें]

	क्र.सं.	विवरण	लेखापरीक्षित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन से पूर्व सूचित) (रुपए लाख में)	समायोजित आंकड़े (अर्हताओं के समायोजन के पश्चात समायोजित)
I	1.	टर्नओवर / कुल आय (रुपए लाख में))	1969.86	-
	2.	कुल व्यय (रुपए लाख में)	1488.65	-
	3.	निवल लाभ / (हानि) (रुपए लाख में)	79.92	-
	4.	प्रति शेयर आय (रुपए में)	11.10	-
	5.	योग परिसम्पतियां (रुपए लाख में)	5862.44	-
	6.	योग देवताएं (रुपए लाख में)	2080.95	-
	7.	निवल संपति (रुपए लाख में)	3781.49	-
	8.	अन्य कोई वित्तीय मद (मदों) (प्रबंधन द्वारा यथोचित समझी गई)	-	-
II	लेखापरीक्षा अर्हता (प्रत्येक लेखापरीक्षा अर्हता के लिए अलग अलग):			
	क. लेखापरीक्षा अर्हता का विवरण: लागू नहीं			
	ख. लेखापरीक्षा अर्हता का प्रकार: अर्हक मत / मत का अस्वीकरण / प्रतिकूल टिप्पणी- लागू नहीं			
	ग. अर्हता की निरंतरता: क्या प्रथम बार / कब से जारी है-लागू नहीं.			
	घ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताएं) जहां लेखापरीक्षक, प्रबंधन के मतानुसार प्रभाव परिमाणात्मक है- लागू नहीं			
	ङ. लेखापरीक्षा अर्हता (अर्हताओं) के लिए जहां प्रभाव की मात्रा का निर्धारण लेखापरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है-लागू नहीं			
	(i) लेखापरीक्षा अर्हता के प्रभाव के संबंध में प्रबंधन के अनुमानः			
	(ii) यदि प्रबंधन प्रभाव के अनुमान नहीं लगा पा रही है तो उसके कारण:			
	(iii) उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के संबंध में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां:			
III	हस्ताक्षरकर्ता :			
	• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
	• महाप्रबंधक (ओ एंड एम)			
	• प्रबंधक (वित्त)			
	• लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष			
	• सांविधिक लेखापरीक्षक			
	स्थान : बेंगलूरू			
	दिनांक 19.07.2024			

WATCHES

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड

25वीं
वार्षिक
रिपोर्ट

2023-24

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड

विषय सूची

निदेशक मंडल	2
निष्पादन हाइलाइट्स	3
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	4
कॉर्पोरेट शासन	10
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	18
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	28
तुलन पत्र	37
लाभ एवं हानि लेखा	38
नकदी प्रवाह विवरण	40
वित्तीय विवरणों के नोट	41

निदेशक मंडल (02.09.2024 तक)

श्री. राजेश कोहली	(05.04.2024 से प्रभावी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतरिक्त प्रभार)
डॉ. रेणुका मिश्रा	(23.07.2024 से प्रभावी)	सरकारी नामित निदेशक
श्री. नरेश कुमार	(27.03.2023 से प्रभावी)	सरकारी नामित निदेशक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स ए एन के एच एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन संख्या 015330S

बेंगलूरु

पंजीकृत कार्यालय

“एचएमटी भवन”

59, बेल्लारी रोड

बेंगलूरु - 560 032

निष्पादन हाइलाइट्स

(रुपए लाख में)

	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस	इंड एएस
परिचालन सांख्यिकी										
बिक्री	0	0	0	0	0	0	424	729	490	844
अन्य आय *	61	137	181	148	135	125	165	414	179	172
सामग्रियां	0	0	0	570	628	0	424	0	12	285
कर्मचारी लागत	0	0	0	0	21	783	909	1210	4798	5749
अन्य लागत	122	166	190	178	322	2169	392	3201	802	1275
मूल्यह्रास	0	0	0	0	0	0	0	0	49	53
ब्याज पूर्व आय	-61	-29	-9	-600	-836	-2827	-1136	-3268	-4992	-6346
ब्याज	0	-14	26	26	21	22	87	174	1732	19574
कर पूर्व आय/(हानि)	-61	-43	-35	-626	-857	-2849	-1223	-3442	-6724	-25920
कराधान	84986	0	0	0	89	3335	0	0	0	0
शुद्ध आय	-85047	-43	-35	-626	-946	-6184	-1223	-3442	-6724	-25920
अपरिहार्य मदें	353126	193	140	896	1042	18312	373	-16914	-8832	
ओसीआई	0	0	0	0	0	0	-518	2936	2140	
कुल आय	268079	150	105	270	96	12128	-1368	-17420	-13416	
वित्तीय स्थिति										
शुद्ध अचल संपत्ति	0	0	3	5	5	5	5	5	5	722
चालू परिसम्पतियां	0	1304	4245	3986	3859	6514	5004	7716	29548	6453
चालू देयताएं एवं प्रावधान	0	269383	271873	272319	272462	275218	284971	287180	291592	21523
कार्यशील पूंजी	0	-268079	-267628	-268333	-268603	-268704	-279967	-279464	-262044	-15070
नियोजित पूंजी	0	-268079	-267625	-268328	-268598	-268699	-279962	-279459	-262039	-14348
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236437
निवल सम्पति	0	-268079	-268228	-268333	-268603	-268698	-280827	-279459	-262039	-250561
अन्य सांख्यिकी										
पूंजीगत व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंतरिक संसाधनों से उत्पति	0	-43	-35	-626	-946	-6184	-1223	-3442	-6675	-25867
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06
चालू अनुपात	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.10	0.30
पूंजी प्रतिफल (%)	0.00	-0.01	0.00	-0.22	-0.31	-1.03	-0.41	-1.21	-3.61	-46.28
कर्मचारी (संख्या)	0	0	0	0	0	0	145	640	640	1005
प्रति व्यक्ति बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	1.14	0.77	0.84

* अतिरिक्त सामान्य वस्तुएं शामिल हैं

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य गण
एचएमटी वॉचेज लिमिटेड,
बेंगलूरू

आपके निदेशक मंडल आपके सम्मुख आपकी कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों की 25 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वर्ष 2023-24 के कम्पनी के वार्षिक लेखों की सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

कम्पनी का वित्तीय सार संक्षेप / निष्पादन

आपकी कंपनी को वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया था, इसके सभी परिचालन (उत्पादन, बिक्री इत्यादि) पूरी तरह बंद है। कम्पनी की सकल बिक्री शून्य (पिछले वर्ष शून्य) तथा वर्ष के दौरान उत्पादन भी शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी का निवल लाभ रुपये 2680.79 करोड़ है, जो भारत सरकार के ऋण को बट्टे खाते में माफ करने के कारण है। वित्तीय आकर्षण निम्नानुसार हैं:-

कम्पनी का वित्तीय सार संक्षेप / निष्पादन

		रुपये करोड़ में
विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
सकल लाभ/ (हानि) पीबीटी	(00.61)	(00.43)
जोड़ें: असाधारण वस्तुएं	00.00	1.93
जोड़ें: भारत सरकार के ऋण माफ कर दिए गए	2693.79	00.00
भारत सरकार अनुदान	837.47	00.00
सकल लाभ – पीबीटी (नेट)	3530.65	1.50
आयकर का भुगतान	849.86	0.00
शुद्ध लाभ (पीएटी)	2680.79	1.50
संचयी लाभ (हानि)	(6.49)	(2687.08)

कम्पनी का परिसमापन होने के कारण किसी प्रकार की परिचालन बिक्री अथवा आय नहीं है।

लाभांश

कंपनी के बंद होने की प्रक्रिया जारी रहने के कारण आपके निदेशक वर्ष 2023-24 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 7,00,00,000/- रुपए है जो 10/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 70,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। आपकी कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी 6,49,01,000/- है जो 10/- रुपये मूल्य प्रत्येक के 64,90,100 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में विभाजित है। सभी शेयरों का धारण एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी के पास हैं।

निवल संपत्ति

31 मार्च 2024 तक कंपनी की कुल संपत्ति शून्य हैं।

जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं और इस प्रकार वर्ष के प्रारंभ/अंत में कोई बकाया जमा नहीं था।

वर्तमान स्थिति

1. भारी उद्योग मंत्रालय (पूर्ववर्ती भारी उद्योग विभाग) ने दिनांक 13 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से एचएमटी वॉचेज लिमिटेड को बंद करने के लिए सीसीईए के अनुमोदन से सूचित किया तथा कम्पनी के सभी कर्मचारियों को डीपीई दिशानिर्देशों में एकमुश्त छूट देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज प्रदान करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प का चयन न करने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत छटनी किए जाने के निर्णय की सूचना दी गई थी। कंपनी ने दिनांक 20-01-2016 के कार्यालय आदेश के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा कर दी थी। कम्पनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प का चयन करने वाले 813 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है और वीआरएस का विकल्प नहीं चुनने वाले दो कर्मचारियों की छटनी की गई है। शेष 146 कर्मचारियों ने उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय से सम्पर्क करके, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (“एमओएल एंड ई”) द्वारा बंद करने के लिए दी गई अनुमति का परिसमापन आदेश के प्रभाव और कार्यान्वयन के खिलाफ रोक प्राप्त की। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय

द्वारा दिनांक 18.3.2019 को स्थगन आदेश का निरसन किया गया था तथा तदनुसार कम्पनी ने परिसमापन आदेश को कार्यान्वित कर दिया है।

2. वॉच फैक्ट्री रानीबाग (डब्लू एफ आर) के कामगार संघ, कर्मचारी संघ ने एमओएल एंड ई के दिनांक 17.11.2016 को बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए नई रिट याचिका 2964/2019 दायर की और उन सभी सदस्यों के लिए वीआरएस की मांग की, जिनकी छंटनी की गई है। न्यायालय ने डब्लू पी संख्या 2964/2019 को किसी भी योग्यता से रहित बताते हुए खारिज कर दिया। रानीबाग के कामगार संघ कर्मचारी संघ ने डब्लूपी 2964/2019 में फैसले को रद्द करने के लिए नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष एसपीए 470/2022 दायर किया। मामला अभी भी लिखित प्रस्तुति करने के लिए लंबित है।

3. इस बीच 18.3.2019 को चल संपत्तियों की नीलामी पर लगी रोक हटने के बाद कंपनी ने सभी चल संपत्तियों का निपटान पूरा कर लिया।

4. भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 05 मई 2022 के अपने पत्र द्वारा सभी अचल संपत्तियों को एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड की पुस्तकों से एचएमटी लिमिटेड की पुस्तकों में 2,96,06,230/- रुपये (दो करोड़ छियानवे लाख छह हजार दो सौ तीस रुपये केवल) के बही मूल्य पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी और यह भी बताया कि एचएमटी लिमिटेड एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड से संबंधित अचल संपत्तियों का निपटान करेगा और लागू करों और संबंधित खर्चों में कटौती के बाद बिक्री आय प्राप्त होते ही भारी उद्योग मंत्रालय को बिक्री आय हस्तांतरित करेगा। एचएमटी लिमिटेड के शेयरधारकों ने 18 दिसंबर, 2022 को और एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड ने 21 दिसंबर, 2022 को अचल संपत्तियों के कथित हस्तांतरण के लिए मंजूरी दे दी है। इसलिए, मैसर्स एचएमटी वॉचेज लिमिटेड और मैसर्स एचएमटी लिमिटेड के बीच 12.01.2023 को उपरोक्त लेनदेन को प्रभावी करने के लिए एक समझौता किया गया है (31-12-2022 से प्रभाव के साथ)

एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड की भूमि:(भूमि एकड़ में)

भूमि का विवरण	फ्रीहोल्ड	दिनांक	पट्टे पर दिया	दिनांक	कुल भूमि
तिथि सहित विभिन्न एजेंसियों को स्थानान्तरित किया गया।					
ए) मैसर्स इसरो, कर्नाटक के तुमकुर में भूमि	109.820	27.06.2018	-	-	
बी) जीओयूके, रानीबाग में भूमि	-	-	33.320	03.08.2019	
सी) जीओयूके, रानीबाग में भूमि	-	-	13.360	22.07.2019	
डी) एनएच 4 डब्ल्यूएफटी (2006 के दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए कब्जा कर लिया गया)	2.880				
कुल	**112.700**		**46.680**		**159.380**
होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित भूमि*					
(ए) बेंगलुरु में भूमि	89.700	30.12.2022			
(बी) तुमकुर में भूमि	6.988	30.12.2022			
(सी) रानीबाग में भूमि	45.622	30.12.2022	-	-	
कुल	**142.310**	**-**		**-**	**142.310**
कुल योग	**255.01**		**46.680**		**301.690**
होल्डिंग कंपनी में स्थानांतरित (ए) मुंबई में 2 बीएचके फ्लैट।	730 वर्ग फुट	30.12.202			

***कुल भूमि 301.69 एकड़ है (डब्ल्यूएफबी 89.740, डब्ल्यूएफटी 119.650, डब्ल्यूएफआर 92.300)**

डब्ल्यूएफबी-वॉच फैक्ट्री, बेंगलुरु, डब्ल्यूएफटी- वॉच फैक्ट्री, तुमकुर, डब्ल्यूएफआर-वॉच फैक्ट्री, रानीबाग

5. भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 28-9-2022 और 01-12-2022 द्वारा एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के सभी कानूनी मामलों और मामलों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों को एचएमटी लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी और यह भी उल्लेख किया कि 80.00 करोड़ रुपये तक की आकस्मिक देनदारियों का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

6. प्रशासनिक मंत्रालय ने दिनांक 13.01.2016 के पत्र द्वारा एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड को बंद करने के लिए सीसीईए के संबंध में सूचना दी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "होल्डिंग कंपनी को अमूर्त संपत्ति और अन्य मदों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, लोगो आदि का स्वत: हस्तांतरण सहायक कंपनी के बंद होने के बाद"। एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड सभी अमूर्त संपत्तियों में और उनके लिए सभी अधिकार, शीर्षक और हित का बिना शर्त और भारमुक्त स्वामी है। तदनुसार, एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड ने दिनांक 12.01.2023 के असाइनमेंट डीड द्वारा एचएमटी लिमिटेड को अमूर्त संपत्ति सौंपी है।

7. जी ओ आई के ऋण (देयताएं) खातों की किताबों में एचएमटी वाचेज़ लिमिटेड खातों की किताबों में बनाए रखा जाता है और कंपनी के बंद होने के बाद इन्हें राइट ऑफ / माफ किया जाना है। कंपनी ने निदेशक मंडल की मंजूरी से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार के ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया / माफ कर दिया। कंपनी को भारत सरकार से ऋण माफी पर आयकर के भुगतान के लिए 837.47 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ और आयकर विभाग को भुगतान किया गया।

कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है।

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं और उनका विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है। बैठकों के आयोजन के मध्य अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के दायरे में था।

लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स ए एन के एच एंड एसोशिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बेंगलुरू की नियुक्ति की गई थी।

लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के उत्तर इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के प्रति की गई टिप्पणियों के उत्तर अलग से दिए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी वर्ष 2023-24 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट परिशिष्ट के साथ प्रस्तुत कर दी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के प्रति की गई टिप्पणियों के उत्तर अलग से दिए गए हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

कंपनी द्वारा कोई परिचालन नहीं किए गए हैं तथा न ही कम्पनी में कोई कर्मचारी कार्यरत है। धारक कम्पनी का सतर्कता विभाग कार्यशील है तथा समग्र रूप से सतकता गतिविधियों की देखरेख कर रहा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के आकार और परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- पूंजी व्यय और राजस्व व्यय के लिए प्राधिकार सीमाओं के साथ शक्तियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन।
- लेखांकन, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट शासन के लिए सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट नीतियां।
- अनधिकृत उपयोग अथवा हानियों अथवा स्थिति परिवर्तन के प्रति परिसम्पतियों की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि संव्यवहार प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं।
- वार्षिक और दीर्घकालिक व्यापार योजना के निर्माण और समीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मासिक लक्ष्यों का अधिक विवरण देने वाला विस्तृत वार्षिक बजट

- निरंतर आधार पर बजट के संदर्भ में प्रमुख समिति द्वारा निष्पादन की निरंतर समीक्षा।
- विधियों एवं विनियमों का अनुपालन।

राजभाषा का कार्यान्वयन

इस कम्पनी को बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है तथा 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी में कोई कर्मचारी न होने के कारण कम्पनी के संबंध में राजभाषा कार्यान्वयन अपेक्षित नहीं है।

निदेशक उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसरण में आपका निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं क्षमता तथा उनके द्वारा प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह पुष्टि करता है कि:

- 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण उचित स्पष्टीकरणों तथा सामग्रीगत व्युतक्रम के उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;
- ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग संगत स्वरूप में न्यायपरक निर्णय लेकर एवं ऐसे औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत अनुमान लगाए गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों एवं उक्त अवधि के कम्पनी के लाभ एवं हानि विवरणों की सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है;
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण एवं जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उनका पता लगाने की यथोचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की गई है;
- यह वार्षिक वित्तीय चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए है।
- यथोचित स्वरूप में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित थी तथा यह प्रभावी रूप् से कार्य कर रही थी;
- लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसरण का सुनिश्चय करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं तथा ये व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।
- निदेशक मंडल, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, इसलिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्मिक नीतियों और दिशानिर्देशों को अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के अनुरूप अपनाया जा रहा है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या मूल्यांकन के संबंध में कोई अलग नीति नहीं बनाई है।

सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2024 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 22 मई, 2023 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार डॉ. रेणुका मिश्रा को 22 मई, 2023 से श्री. रमा कांत सिंह, निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर अगले आदेश तक कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 04 सितंबर, 2023 के द्वारा सुश्री. मुक्ता शेखर, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को 04 सितंबर, 2023 से और अगले आदेश तक डॉ. रेणुका मिश्रा, भारी उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के स्थान पर कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है।

श्री. पंकज गुप्ता (डीआईएन: 09716028) कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 24 नवंबर, 2023 को कार्यकाल पूरा होने पर एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहेंगे।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के माध्यम से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री. राजीव सिंह को 25.11.2023 से 24.11.2024 तक, या किसी नियमित पदाधिकारी के शामिल होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के अधीन है। श्री. राजीव

सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (डीआईएन: 10447679) को 30 दिसंबर, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 4 मार्च, 2024 के तहत एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री. के. रविशंकर को सौंपा है, वे तत्काल प्रभाव से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री. राजीव सिंह के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे, यह कार्यभार उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 24.08.2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन रहेगा। श्री. के. रविशंकर (डीआईएन: 10540509) ने श्री. राजीव सिंह के स्थान पर 08 मार्च 2024 को दोपहर में एचएमटी वाचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 26 मार्च, 2024 के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री. राजेश कोहली को श्री के. रविशंकर, कार्यकारी निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्थान पर एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, यह कार्यभार तत्काल प्रभाव से और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या किसी नियमित पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के कार्योत्तर अनुमोदन के अधीन रहेगा। श्री. राजेश कोहली (डीआईएन: 10333951) ने श्री के. रविशंकर के स्थान पर 05 अप्रैल 2024 को दोपहर में एचएमटी वाचेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी निरंतर आधार पर ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता देती है। तथापि यह कम्पनी बंद होने की प्रक्रिया में है और इसका कोई संचालन नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन

यह कम्पनी बंद होने की प्रक्रिया में है अत: यह लागू नहीं होता है।

ग. विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

विचाराधीन वर्ष के दौरान व्यापार व्ययों के प्रति कोई विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह नहीं है। वर्ष के दौरान किसी विदेशी मुद्रा आय की उत्पति भी नहीं हुई है।

वार्षिक विवरण का संक्षेप सार

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के उपबंधों के अनुसार वार्षिक विवरण का संक्षेप सार एमजीटी-9 के निर्धारित प्रारूप में इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के दौरान किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण इसके कारणों के साथ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक साथ पटान का कोई मामला नहीं है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

कंपनी के खिलाफ न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्रवाई लंबित है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत।

अन्य

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी के सम्मुख लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है।

कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले जोखिमों पर लगातार नजर रखने के लिए कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन है।

सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों से संबंधित विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटियां अथवा निवेश से संबंधित विवरण वित्तीय विवरणों के नोट में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई।

किसी भी नियामक(ओं) या न्यायालय(ओं) या ट्रिब्यूनल(ओं) द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2024 तक, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव कंपनी पर लागू नहीं है।

आभारोक्ति

आपका निदेशक मंडल, एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेषत: भारी उद्योग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, सांविधिक एवं शाखा लेखापरीक्षकों, महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान, आयुध फैक्टरियों, राज्य सरकार के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं तथा डीलरों एवं कम्पनी के भारत एवं विदेश के अपने मूल्यवान ग्राहकों से निरंतर प्राप्त सहयोग एवं संरक्षण के लिए आभार की अभिव्यक्ति करते हैं।

निदेशक मंडल, कम्पनी के सम्मुख व्याप्त कठिन स्थितियों में अपने सभी संबंधित स्टेकधारकों को भी उनसे वर्ष के दौरान प्राप्त योगदान के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 07.05.2024

कॉर्पोरेट शासन

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में जारी कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के लागू प्रावधानों तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 के उच्चतर मानकों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है ।

आपकी कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए यथोचित कार्रवाई की गई है। आपकी कम्पनी एतद्द्वारा कॉर्पोरेट शासन की अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रही है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

केवल स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं इसकी समितियों की बैठक में प्रतिभागिता के लिए 1500/- रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है।

सामान्य निकाय बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2020-21	28-07-2021	प्रातः 11.00 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलूरू
2021-22	13-07-2022	शाम 04: 00 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलूरू
2022-23	24-08-2023	प्रातः 11.00 बजे	एचएमटी भवन, बेंगलूरू

चालू वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 30 सितम्बर, 2024 अथवा विस्तारित तिथि को एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरू 560032 में आयोजित किया जाना अनुसूचित है।

निदेशक मंडल

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो (2) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक/ सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वर्तमान में अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र निदेशक) का पद रिक्त है।

कम्पनी के रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन प्रबंध निदेशक / महानिदेशक (ओ एंड एम) एचएमटी लिमिटेड द्वारा निदेशक मंडल के सुपरवीजन एवं नियंत्रण के अधीन किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, चार बोर्ड बैठकें 12 मई 2023, 6 सितंबर 2023, 4 जनवरी 2024, 26 मार्च 2024 को आयोजित की गई।

निदेशकों की संरचना और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और आम बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	पद	उपस्थिति विवरण		अन्य धारित निदेशक पद एवं समिति सदस्य / अध्यक्ष पद की संख्या		
		बोर्ड बैठक	सामान्य बैठक	निदेशिकता	समिति	
					सदस्यता	अध्यक्षता
पंकज गुप्ता (डीआईएनः 09716028)	**अध्यक्ष एवं एमडी (प्रभारी)**	2	1	3	6	1
राजीव सिंह (डीआईएन: 10447679)	**अध्यक्ष एवं एमडी (प्रभारी)**	1		3	6	1
के रविशंकर (डीआईएन: 10540509)	**अध्यक्ष एवं एमडी (प्रभारी)**	1		3	6	1
रमा कांत सिंह (डीआईएनः 08360278)	**एनईएनआई**	1	-	3	-	-
डॉ. रेणुका मिश्रा (डीआईएनः 08635835)	**एनईएनआई**	-	-	3	3	4
मुक्ता शेखर (डीआईएन: 10118859)	**एनईएनआई**	2	-	8	1	4
नरेश कुमार (डीआईएन: 10043608)	**एनईएनआई**	4	-	3	-	-

सी: अध्यक्ष, एमडी : प्रबंध निदेशक, ईएनआइ: कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनईएनआई : गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र, एनए : लागू नहीं।

प्रकटीकरण

इसके प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ वास्तविक प्रकृति का कोई लेन-देन नहीं था, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, दंड, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध, या सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित कोई अन्य मामला नहीं था।

संचार का माध्यम

एचएमटी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप वित्तीय परिणामों की आवधिक प्रस्तुति मैसर्स एचएमटी लिमिटेड, धारक कम्पनी को की जाती है। वार्षिक परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.hmtindia.com पर भी अद्यतन किए जाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 07.05.2024

फॉर्म सं.एमजीटी- 9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	U33301KA1999GOI025573
2.	पंजीकरण तिथि	9 अगस्त, 1999
3.	कंपनी का नाम	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी / केन्द्र सरकार की कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरू 560032, फोन नम्बर : 91-80-23330333
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	नहीं
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	-लागू नहीं-

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक क्रियाकलाप:

कंपनी की कुल टर्नओवर में 10% या उससे अधिकयोगदान करने वाले सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाएगा:-

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पादन/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	घड़ियों का निर्माण और बिक्री	26521	शून्य

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक / संयुक्त उद्यम/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	एचएमटी लिमिटेड	L29230KA1953GOI000748	धारक	100	2(46)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

श्रेणी कोड	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
क.	**प्रोमोटर एवं प्रोमोटर समूह**									
(1)	भारतीय									
(क)	वैयक्तिक / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग)	निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	वित्तीय संस्थान / बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ)	अन्य सरकारी कम्पनी	-	6490100	6490100	100	-	6490100	6490100	100	-
	उप-योग (क)(1):	-	6490100	6490100	100	-	6490100	6490100	100	-
(2)	विदेशी									
(ख)	निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग (क)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)=क(1)+क (2)		6490100	6490100	100	-	6490100	6490100	100	-
ख	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग ख (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	गैर संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग ख (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ख)=ख(1)+ख (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क + ख):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग.	**कस्टोडियंस द्वारा धारित शेयर जिनके प्रति डिपोजिटरी रसीद जारी की गई है**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	प्रोमोटर तथा प्रोमोटर समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	जनता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (क+ख+ ग)	**-**	**6490100**	**6490100**	**100**	**-**	**6490100**	**6490100**	**100**	**-**

ii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्र. सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1.	एचएमटी लिमिटेड	6490100	100	-	6490100	100	-	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्रं सं		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	6490100	100	6490100	100
	निर्दिष्ट वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि वार बढ़त / घटत (अर्थात आबंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्विट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
2	वर्ष के अंतिम में	6490100	100	6490100	100

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा)

क्रं सं.	शेयर धारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि /कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी में कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी में कुल शेयरों की प्रतिशत %
लागू नहीं								

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा कम्पनी के शेयरों का धारण नहीं किया गया है				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
निर्दिष्ट वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि वार बढ़त/ घटत (अर्थात आबंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्विट इक्विटी आदि)	लागू नहीं		लागू नहीं	
वर्ष के अंत में	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा कम्पनी के शेयरों का धारण नहीं किया गया है				

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल हैं।

(रुपये लाख में)

	सुरक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल ऋणग्रस्तता
1.4.2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	2,69,378.75	-	2,69,378.75
ii) ब्याज देय परंतु चुकता नहीं	-	-	-	-
iii) ब्याज उपचय परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	**2,69,378.75**		**2,69,378.75**
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संवर्धन	-	-	-	-
- कमी	-	2,69,378.75	-	2,69,378.75
निवल परिवर्तन	-	2,69,378.75	-	2,69,378.75
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) ब्याज देय परंतु चुकता नहीं	-	-	-	-
iii) ब्याज उपचय परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. पूर्ण कालिक निदेशक का पारिश्रमिक:

क्रं सं .	परिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	 - - -
2	स्टॉक ऑप्शन	-
3	स्वीट इक्विटी	-
4	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	-
5	अन्य, चिकित्सा	-
	योग (क)	**-**
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक का नाम /पूर्णकालिक निदेशक का नाम	कुल राशि
1. स्वतंत्र निदेशक		
- बोर्ड /समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	-	-
- कमिशन	-	-
- अन्य, कृपया बताएं	-	-
योग (1)	-	-
2. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	-	-
पारिश्रमिक का विवरण	-	-
योग (2)	-	-
योग (ख)=(1+2)	-	-
योग प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-
अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा	-	-

ग. प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क्रं सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (2). के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-
3.	स्वीट इक्विटी	-
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, बताएं	-
5.	अन्य, कृपया बताएं...	-
	योग	-

VII जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति: शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/ दंड / अपराधों की आवृति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड			कोई नहीं		
कंपाउंडिंग			कोई नहीं		
ख. निदेशक					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड			कोई नहीं		
कंपाउंडिंग			कोई नहीं		
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना			कोई नहीं		
दंड			कोई नहीं		
कंपाउंडिंग			कोई नहीं		

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

(राजेश कोहली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतरिक्त प्रभार)

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 07.05.2024

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत सीएजी कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप जारी, पत्र संख्या निदेशक (प्रशासन)/2024-2025/डीआईएस-1803228 दिनांक 28.06.2024, और यह हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 07.05.2024 का अधिक्रमित करता है।)

सदस्यगण ,
एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

मत

हमने एचएमटी वॉचेज लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार (एतद्द्वारा 'वित्तीय विवरणों' के नाम से संदर्भित) के साथ साथ वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम») द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कामकाज की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

अर्हक मत

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

कंपनी का प्रबंधन कंपनी को बंद करने का इरादा रखता है क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और इसकी शुद्ध संपत्ति कम हो गई है। घाटे को देखते हुए हितधारकों ने कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है और कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए आवेदन किया है। इसी के मद्देनजर कंपनी के खाते चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। चूंकि वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए चालू वित्त वर्ष से संबंधित भौतिक अनिश्चितता के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य सूचना

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी गलत बताई गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों

की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन शामिल है; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हो जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हों और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती।

6. यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

वत्तिीय ववरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायत्वि

7. हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

8. एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा भी निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैः-

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हों।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन-देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

9. हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की

समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

नोट संख्या 2.8(ए)

हम वर्ष **2016-17** में विनिर्माण कार्यों के बंद होने के कारण एचएमटीडब्ल्यूएल के बंद होने और भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, बंद होने की देनदारियों को पूरा करने के लिए सभी चल परिसंपत्तियों का निपटान किए जाने के संबंध में "वित्तीय विवरणों के नोट्स" के नोट संख्या **2.8**(ए) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। एमएचआई ने दिनांक 05-05-2022 के पत्र के माध्यम से एचएमटीडब्ल्यूएल (बंद होने के अधीन) की पुस्तकों से सभी अचल संपत्तियों को एचएमटी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में बुक वैल्यू पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के अधिकार सरकार ने अपने पास ले लिए हैं और एचएमटी लिमिटेड उनके निपटान तक संपत्तियों का संरक्षक है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 06-02-2022 के पत्र के माध्यम से, एचएमटीडब्ल्यूएल को एचएमटीडब्ल्यूएल की पुस्तकों में 2,69,378.75 लाख रुपये की राशि के भारत सरकार के ऋण को बट्टे खाते में डालने के कारण आयकर देयता को पूरा करने के लिए 837.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2017 की धारा 248 के तहत एचएमटीडब्ल्यूएल को बंद करने का आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाया जा सके।

नोट संख्या 2.22

हम भारत सरकार के ऋण को 2,69,378.75 लाख रुपये की राशि में बट्टे खाते में डालने के संबंध में "वित्तीय विवरण के नोट्स" के नोट संख्या 2.22 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उक्त राशि भारत सरकार को देय थी और दिनांक 13-01-2017, 27-03-2017, 08-05-2023 और 06-02-2024 के पत्रों के माध्यम से भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से प्राप्त संचार के अनुसार, कंपनी ने भारत सरकार के 2,69,378.75/- लाख रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं।

नोट संख्या 2.29

हम परिसमापन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में "वित्तीय विवरण के नोट्स" के नोट संख्या 2.29 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी का प्रबंधन कंपनी को बंद करने का इरादा रखता है क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और इसकी शुद्ध संपत्ति कम हो गई है। घाटे को देखते हुए, हितधारकों ने कंपनी को बंद करने और कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर कंपनी के खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं। चूंकि वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2020 (''आदेश'') की अपेक्षाओं के अनुसार, हम अनुलग्नक-क में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

11. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण , इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता ''अनुलग्नक-ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी

सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:-

i) जैसा कि हमें बताया गया है और खाते की किताबों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की हमारी समीक्षा के अनुसार, कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित घाटा हुआ हो; तथा

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण खाते में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

iv) क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्त पोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी; तथा

ग) हमारे द्वारा परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानकर निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण से इस मत की स्थापना होती हो कि उपर्युक्त उल्लेख मे उप-खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत किसी प्रकार का सामग्रीगत मिथ्याकथन किया गया है।

v) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 015330S
प्रकाश अडिगा बी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन: 24216858BKAHLX7037

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24.07.2024

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक07-5-2024 की रिपोर्ट का परिशिष्ट

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, बेंगलुरू के सदस्यों को संबांधित

यह पत्र कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक 07-5-2024 की रिपोर्ट का परिशिष्ट है तथा यह उसके भाग के रूप् में पठित है। यह परिशिष्ट हमारी रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक 07-5-2024 की रिपोर्ट में अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अंतर्गत हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि: के पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ का समावेश किया जाएगा:

क्रं सं	विवरण	टिप्पणी
1	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	यह कम्पनी परिसमापन की प्रक्रिया कर रही है। वर्ष के दौरान सभी लेखांकन व्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग से किए गए हैं। हमारे सत्यापन के आधार पर लेखों की सत्यता अथवा कम्पनी के वित्तीय निहितार्थ के प्रति इनसे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है।
2	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण के कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ ऋण / ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का यथोचित लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है?	हालाँकि, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2016 के माध्यम से सूचित किया कि सीसीईए ने 06.01.2016 को आयोजित अपनी बैठक में एचएमटी वॉचेस को बंद करने की मंजूरी दे दी थी और बंद होने के बाद कंपनी के ऋण माफ करने का निर्देश दिया था।. एमएचआई ने दिनांक 8-5-2023 के पत्र के माध्यम से कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत समापन याचिका दायर करने का निर्देश दिया एमएचआई ने पत्र दिनांक 6-2-2024 के माध्यम से कंपनी को भारत सरकार के 2693.78 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का निर्देश दिया और जारी की गई अनुदान राशि 837.47 करोड़ रुपये का उपयोग मैट/कर देयता के भुगतान के लिए किया जाएगा।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) का उचित लेखांकन / उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

मैसर्स ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 015330एस

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24.07.2024

प्रकाश अडिगा बी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 216858 यूडीआईएन: 24216858BKAHLX7037

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, बेंगलुरू के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट" में संदर्भित अनुलग्नक – क

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट में ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट'' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

31 मार्च,2024 . को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण नहीं था, इसलिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखने का सवाल ही नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं थी, इसलिए अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखने का सवाल ही नहीं उठता।

ii) मालसूचियों के संबंध में :

क. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के पास कोई मालसूचियां नहीं हैं तथा तदनुसार मालसूचियों के भौतिक सत्यापन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ख. कम्पनी के पास कोई मालसूचियां नहीं हैं तथा तदनुसार, प्रबंधन द्वारा मालसूचियों के भौतिक सत्यापन किए जाने से संबंधित औचित्यपरकता एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में कोई प्रश्न अपेक्षित नहीं है।

ग. कम्पनी के पास कोई मालसूचियां नहीं हैं तथा इस प्रकार मालसूचियों के रिकार्ड के अनुरक्षण का प्रश्न नहीं उठता है।

iii) कंपनी द्वारा किसी कंपनी, फर्म, अथवा कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किए गए अन्य पक्षकारों को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, सीएआरओ 2020 के पैराग्राफ के अंतर्गत आदेश के खंड (3) (क) तथा (ख) के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है, जो कि धारा 185 और 186 के प्रावधान हैं। कंपनी अधिनियम 2013 तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) लागू नहीं है।

v) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई रिकार्डों की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तथा अन्य संबंधित प्रावधान एवं अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं होते हैं।

vi) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कम्पनी के लिए कम्पनी की किन्हीं भी गतिविधियों के संबंध में लागत रिकार्डो का अनुरक्षण करने की निर्दिष्टि नहीं की गई है।

vii) सांविधिक देयताओं के संबंध में:-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने 31-12.2022 को एमएचआई पत्र दिनांक 1-12-2022 के अनुसार सभी लंबित वैधानिक बकाया/कानूनी मामलों को एचएमटी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी को स्थानांतरित कर दिया। 31-3-2024 तक कंपनी के खाते की किताबों में कोई वैधानिक बकाया नहीं है।

viii) हमारे मतानुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार से कोई ऋण अथवा कर्ज प्राप्त नहीं किया गया है अथवा किसी प्रकार के लाभांश जारी नहीं किए गए हैं।

ix) कंपनी द्वारा डेब्ट उपकरणों तथा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी धन की उत्पति नहीं की गई है । तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix) के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

x) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है तथा कम्पनी के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारियों को जालसाजी के किसी कृत्य में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संलिप्त नहीं पाया गया है।

xi) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक चुकता नहीं किया है तथा तदनुसार यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

xii) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है तथा तदनुसार यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

xiii) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने धारा 177 एवं 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, सम्बद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी यथा लागू लेन-देन के प्रकटीकरण अपने वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किया है।

xiv) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया कर रही है। सभी संव्यवहार एचएमटी लिमिटेड एबीडी के माध्यम से किए गए हैं। कम्पनी ने किसी आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की है।

xv) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा स्वयं से संबंधित निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया गया है तथा इस प्रकार कम्पनी के संबंध में यह खंड लागू नहीं है।

xvi) हमें प्रदान की गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान 60.97 लाख रुपये और पिछले वित्तीय वर्ष में 43.42 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार इस खंड के अंतर्गत कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

xix) 31 मार्च 2024 की तिथि तक कंपनी के पास कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियां नहीं हैं। इसलिए इस खंड पर टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

xx) क) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो, अत: इसके संबंध में कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत ऐसी कोई अव्ययित राशि शेष नहीं है, अत: इस खंड के लिए टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

xxi) इस कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है तथा सहायक कम्पनियों की सीएआरओ रिर्पोटों के अनुसार किसी प्रकार की अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने का प्रश्न नहीं है।

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 015330S
प्रकाश अडिगा बी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 216858 यूडीआईएन:24216858BKAHLX7037

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24.07.2024

एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, बेंगलूरू के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" के पैराग्राफ 11(च) में संदर्भित)

अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने एचएमटी वांचेज लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखा- परीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशनिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के भिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोटिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार

बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है;

1) जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं;

3) जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में गुप्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभवित कर सकते हो ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संजान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तो मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ये प्रभावी रूप से परिचालनात्मक थी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का पर्याप्त अनुरक्षण किया गया है।

ए एन के एच एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 015330S
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 216858
यूडीआईएन:24216858BKAHLX7037

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालपेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 24 जुलाई 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है, जो 07 मई 2024 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएमटी वॉचेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों के कामकाजी कागजात तक पहुंच और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के मद्देनजर, मेरे पास अधिनियम की.धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर देने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

M. S. Subrahmanyam

(एम.एस. सुब्रामानयम)
महानिदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा
हैदराबाद

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 24 जुलाई 2024

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निर्माण का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत और उसके बाद कंपनी और अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर लागू प्रासंगिक संशोधन नियम जारी किए गए।

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण नीचे लेखांकन नीतियों में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किए गए कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा, प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी का अनुसरण करके किया गया है। ऐतिहासिक लागत सामान्यत: माल एवं सेवाओं के विनिमय में किए गए निर्धारण के अनुसार उचित मूल्य पर आधारित होती है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप

क) अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों का निर्माण इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार करने के लिए प्रबंधन को न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे राजस्व, व्यय,, परिसम्पतियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, ऐसे अनुमान विद्यमान घटनाओं एवं कार्रवाईयों के संबंध में प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पर आधारित होती हैं, ऐसे पूर्वानुमानों एवं अनुमानों के परिणामस्वरूप प्रतिफल में भावी अवधियों में परिसम्पतियों अथवा देयताओं की वहन राशियों में समायोजन करना पड़ सकता है। लेखांकन अनुमानों में किया जाने वाला कोई भी संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ("पीपीई") की प्रस्तुति अधिग्रहण अथवा निर्माण, निवल वैटेबल करों की लागत में से तिथि के अनुसार संचित मूल्यह्रास के अनुसार की गई है। लागत में पूंजीयन की गई परिसम्पति को उपयोग के लिए तैयार किए जाने तक की प्रत्यक्ष लागत और अधिग्रहण से सम्बद्ध ऋण की संबंधित वित्तीयन लागतें शामिल हैं।

भूमि के विकास से संबंधित व्यय का पूंजीयन व्यय किए जाने के वर्ष में किया जाता है।

तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों के बकाया शेष का वर्गीकरण अन्य गैर-चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिम के रूप में किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की लागत की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति तब की जाती है जब:

(क) जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; तथा

(ख) मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप किया जा सकता हो;

रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 माह की अवधि में बिक्री के लिए धारित संपति,संयंत्र एवं उपकरण की मदों का वहन लागत अथवा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम मूल्य पर प्रकटीकरण किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब;

(क) निपटान किए जाने पर; अथवा

(ख) जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होते हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में तब शामिल किया जाता है जब मद की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

विशेष उपकरण:

माल अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति में उपयोग के लिए निर्मित और क्रय किए गए विशेष उपकरणों पर व्यय और जिनका उपयोग एक अवधि से अधिक है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद माना जाता है और 5 वर्षों के उपयोगी जीवन पर उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

ग) पट्टे

पट्टाकार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टाकार होती है उन पट्टों का वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टाकार को स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टाकार होती है, तो यह हेड लीज और सब-लीज में अलग-अलग अपने हितों के अंतगर्त आती है। उप पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली उपयोग के अधिकार संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टाकार के रूप में परिचालन पट्टे

क) परिचालन पट्टों से किराये की आय को सामान्यत: प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की संभावित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए इनके किराए की संरचना संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप की जाती है, ऐसी वृद्धि की स्वीकृति उस वर्ष की जाती जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

ख) मध्यवर्ती पट्टे के मामले में परिचालन पट्टे के भुगतान को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उनका वर्गीकरण वित्त अथवा परिचालन पट्टे के रूप में किया जाता है।

क) पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करती हैं।

ख) पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति के उपयोग का कोई अधिकार नहीं होता है और ऐसे पट्टे पर भुगतान प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

ग) कंपनी, एक पट्टेदार के रूप में, उपयोग के अधिकार [आरओयू] और अपनी पट्टे की व्यवस्था, यदि अनुबंध में स्वीकृत की जाने वाली संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है, के लिए किसी पट्टा देयता को स्वीकृति देती है। अनुबंध के अंतर्गत संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, अगर इसमें किसी पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है और कंपनी को संपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ मिलते हैं और पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है सिवाय इसके कि 12 महीने या उससे कम और कम मूल्य के पट्टों की अवधि के पट्टे, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

उपयोग अधिकार की संपत्ति की लागत में प्रारंभ तिथि पर अथवा उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता के प्रारंभिक माप की राशि के साथ-साथ कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को बाद में किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि या उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन से कम है।

कंपनी पट्टे की देनदारी को पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापन तब करती है जब भुगतान पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर नहीं किया गया है। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में छूट दी जाती है, यदि वह दर आसानी से निर्धारित की जा सकती है। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। लीज देनदारी और आरओयू संपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) ऋण लागतें:

ऋण लागतों ब्याज एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं जो किसी इकाई द्वारा निधियों की प्राप्ति के वहन की जाती हैं।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उधार लेने की लागत जो इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है, उस अवधि तक भी शामिल होती है जब तक कि वे उस अवधि तक संबंधित होती हैं जब तक कि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

ङ) निवेश सम्पत्ति:

संव्यवहार की लागत सहित निवेश संपत्तियों का प्रारंभिक मापन किया जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, निवेश संपत्तियों

को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, के अनुसार प्रस्तुति की जाती है।

कम्पनी द्वारा निवेश परिसम्पतिके निर्माण घटक का मूल्यह्रास अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा जब उन्हें उपयोग के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती है। किसी परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के अंतर की स्वीकृति अस्वीकृति की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

च) अमूर्त परिसम्पतियां

i) अमूर्त संपत्ति की प्रस्तुति संचित परिशोधन एवं अक्षमता हानि को घटाकर लागत पर की गई है। अमूर्त संपत्ति का परिशोधन उनके संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर उस तिथि से किया गया है जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं। अमूर्त परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल के निर्धारण का आधार अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता एवं ज्ञात प्रौद्योगिकी उन्नति) जैसे कारकों तथा परिसम्पति से भावी नकदी प्रवाह की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्यय पर निर्भर करती है।

ii) तकनीकी अनुभव पर व्यय को एक अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है। परिशोधन तब शुरू होता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

iii) आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से सृजित/खरीदे गए सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के की स्वीकृति दी गई है और दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित नहीं किया गया है।

iv) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान चरण:

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय का प्रभारण वर्ष में लाभ और हानि खाते में किया जाता है।

विकास चरण:

नई अथवा बेहतर सामग्री, उपकरणों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों अथवा सेवाओं के लिए चुने गए विकल्प के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित विकास लागतों पर किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति की स्वीकृति दी गई है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए दस वर्ष से अधिक की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छ) मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा के आधार पर अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न संपत्तियों के उपयोज्यता काल पर, आवर्धन अथवा संवर्धन की तिथि के संदर्भ में यथानुपात प्रदान किया जाता है। जब कभी भी संपति, संयंत्र एवं उपकरण का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाता है, संपति, संयंत्र एवं उपकरण के बही मूल्य के रूप में 1/- रुपये का मूल्य रखा जाता है। संपति, संयंत्र एवं उपकरण 10,000/- रुपये से कम लागतकी खरीद के वर्ष में रु. 1/- के मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के प्रत्येक भाग (जिसे 'घटक' के रूप में भी जाना जाता है) की लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और संपति, संयंत्र एवं उपकरण से अलग उपयोज्यता काल है, उसका अलग से मूल्यह्रास किया जाएगा।

संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पूंजीकृत विशेष उपकरणों का पांच साल की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है और जिन वस्तुओं की कीमत 750 रुपये से कम है, उनका अधिग्रहण/निर्माण के वर्ष में मूल्यह्रास किया जाता है।

परिशोधन विधियों और अमूर्त संपत्ति के उपयोज्यता काल की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भी शामिल है।

ज) स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद परिचालन:

यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूलीय है तो कंपनी गैर-वर्तमान संपत्तियों का वर्गीकरण स्वामियों को बिक्री/वितरण के

लिए धारित के रूप में करती है। बिक्री/वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को यह संकेत देना चाहिए कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है अथवा बिक्री/वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रबंधन प्रतिबद्ध होना चाहिए।

बिक्री के लिए/स्वामियों और निपटान समूहों को वितरण के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों को उनकी अग्रणीत राशि और बेचने/वितरित करने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं

झ) सरकारी अनुदान:

सरकारी अनुदानों के लिए स्वीकृति तब दी जाती है जब अनुदान प्राप्ति और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन का औचित्यपरक आश्वासन होता है। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति की जानी है, व्यय हैं। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित संपत्ति के अपेक्षित उपयोज्यता काल पर समान मात्रा में आय के रूप में पहचाना जाता है।

ञ) मालसूची:

कच्चे माल, भंडार और पुर्जे, टूल्स और उपकरण, स्क्रैप, कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम किया जाता है। भारित औसत लागत विधि अपनाकर सामग्रियों की लागत ज्ञात की जाती है।

कार्य प्रगति की लागत, तैयार माल और मार्गस्थ माल में प्रत्यक्ष सामग्रियां, प्रत्यक्ष श्रम और सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले परिवर्तनीय एवं निश्चित ओवरहेड का उचित भाग शामिल है।

नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए अतिरेक को ध्यान में रखकर प्रावधान किए जाते है। तथापि, नॉन मूविंग मालसूची के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब पांच साल से अधिक समय तक उनमें संचलन नहीं होता है और वे सामान्य अथवा विशिष्ट ऑर्डर के लिए किसी अन्य वैकल्पिक उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं।

ट) राजस्व स्वीकृति:

यदि किसी ग्राहक अनुबंध की संग्रहणीयता को अनुबंध के अंतर्गत तब संभावित माना जाता है, जब अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व, भुगतान शर्तें है,और साथ दोनों पक्षों के अधिकारों और प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी गई है।

कंपनी सरकार की ओर से माल और सेवा कर एकत्र करती है और इसलिए, ये कंपनी को मिलने वाले आर्थिक लाभ नहीं हैं। इसलिए, उन्हें उपरोक्त राजस्व/आय से बाहर रखा गया है।

i) माल और सेवाओं की बिक्री:

राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब ग्राहक को माल अथवा सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जब उसे उत्पादों का अधिकार प्राप्त होता है और उत्पाद अथवा सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को ग्रहण करता है। आम तौर पर, शीर्षक और जोखिमों का हस्तांतरण और माल के स्वामित्व का प्रतिफल अनुबंधित रूप से परिभाषित शिपिंग शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है।

ii) किराया आय:

परिचालन पट्टों से किराये की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए केवल अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए किराए की संरचना की जाती है, ऐसी वृद्धि को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष में इस तरह के लाभ अर्जित होते हैं।

iii) लाभांश आय:

लाभांश आय को स्वीकृति तब दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो सामान्यत: तब होता है जब शेयरधारक लाभांश के लिए अनुमोदन देते हैं।

iv) ब्याज आय:

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय लिखतों से होने वाली आय सहित ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

v) वारंटी:

जब उत्पाद की बिक्री की जाती है अथवा ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है, तो वारंटी-संबंधित लागतों के प्रावधानों को स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक स्वीकृति ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। वारंटी-संबंधित लागतों का प्रारंभिक अनुमान वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित टर्नकी परियोजनाओं के संबंध में क्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से वारंटी का प्रावधान है।

vi) विस्तारित वारंटी:

जब कंपनी विस्तारित वारंटी का विक्रय करती है, तो विस्तारित वारंटी की बिक्री से राजस्व आस्थगित हो जाता है और वारंटी द्वारा कवर की गई अवधि में स्वीकृति प्राप्त होती है। जहां विस्तारित वारंटी उत्पाद के मूल्य में शामिल हैं और संबंधित उत्पाद के लिए बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, कंपनी इन दो मदों के लिए लेखांकन करती है।

ठ) विदेशी मुद्रा अंतरण:

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी-मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि की प्रभावी विनिमय दरों पर प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है। इस तरह के अंतरण से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में शुद्ध लाभ में शामिल किया जाता है।

गैर-मौद्रिक संपत्ति और गैर-मौद्रिक देनदारियों को एक विदेशी मुद्रा का मापन ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंतरण करके किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ अथवा हानि उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ का निर्धारण करने में शामिल होते हैं जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है। राजस्व, व्यय और नकदी प्रवाह मदों को विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर प्रभावी विनिमय दर का उपयोग करके प्रासंगिक कार्यात्मक मुद्राओं में अंतरण किया जाता है।

ढ) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ:

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य निधि प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा प्रशासित ट्रस्ट में अंशदान किया जाता है।

बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के अंतर्गत छुट्टियों का नकदीकरण किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके योग्य कर्मचारियों को उपदान प्रदान किया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गठित और प्रशासित एक ट्रस्ट के लिए आवश्यक सीमा तक वार्षिक योगदान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कवरेज प्रति पात्र कर्मचारी 50,000/- रुपये तक सीमित है। उपदान के भुगतान की अतिरिक्त देनदारी की पूर्ति के लिए शेष प्रावधान बहियों में किए जाते हैं।

एक परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन पर देयता निर्धारित करके पात्र कर्मचारियों को सैटलमेंट भत्ता ("एसए") प्रदान किया जाता है ।

कंपनी अपने तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना अर्थात उपदान और एसए के शुद्ध दायित्व को एक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में स्वीकृति देती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन के माध्यम से लाभ और हानि अन्य व्यापक आय में मान्य हैं। इंड एएस के अनुसार, अन्य व्यापक आय में स्वीकृति प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ और हानियों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है। जो कि इंड एएस अनुपालन अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक है, कंपनी धारित आय के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं (कर का शुद्ध) पर पुन: मापित लाभ और हानियों की स्वीकृति देती है।

परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान दावों के कारण एलआईसी से प्रति व्यक्ति प्राप्त/प्राप्ति योग्य 50,000/- रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा अलग हुए कर्मचारियों के संबंध में, 50,000/- रुपए से अधिक का भुगतान किया गया उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण (ईएलई), एसए संबंधित प्रावधान खाते में नाम से किया जाता है। उपदान, ईएलई और एसए के लिए किए गए प्रावधान को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पुनर्लेखन किया जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ("वीआरएस") के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान, ईएलई, एसए और एकमुश्त मुआवजे को चुकता किए जाने के वर्ष में पूरी तरह से बट्टा किया जाता है।

वीआरएस के अंतर्गत किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांडों के संबंध में किए गए व्यय को संवितरण के वर्ष में पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ण) आय कर:

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति अथवा देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि की प्रस्तुति में वर्तमान और आस्थगित कर को स्वीकृति दी जाती है, जो कि तब नहीं दी जाती है जब वे अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में भी स्वीकृति प्राप्त है।

i) चालू कर :

चालू आयकर संपत्ति और देनदारियों का मापन कराधान अधिकारियों से वसूल अथवा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित हैं।

ii) आस्थगित कर:

आस्थगित आयकर संपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए संपत्ति और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर स्वीकृति दी जाती है।

त) प्रावधान:

किसी प्रावधान को स्वीकृति तब दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है, जिसमें यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने से आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और उससे दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेंगे। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के प्रभाव से प्रावधान में हुई वृद्धि को लाभ और हानि में विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण से परे एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने की पुष्टि करता है अथवा किसी गैर स्वीकृति प्राप्त वर्तमान दायित्व की क्योंकि उसमें दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की पुष्टि नहीं होती है। एक आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है जहां एक दायित्व है जिसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसे मज़बूती से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी एक आकस्मिक देयता को स्वीकृति नहीं देती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का प्रकटीकरण करती है।

थ) अक्षमता हानि:

i) वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी द्वारा तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय परिसम्पतियों का समूह क्षतिग्रस्त है अथवा नहीं है। इंड एएस 109 के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का हानि भत्ता के माध्यम से मापन आवश्यक है। कंपनी उन सभी व्यापार प्राप्तियों के उपयोज्यता काल की अपेक्षित हानि को संज्ञान में लेती है जो वित्तीय संव्यवहार नहीं हैं। यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से काफी बढ़ गया है तो अन्य सभी वित्तीय परिसम्पतियों के लिए, अनुमानित क्रेडिट हानियों को 12 माह की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि अथवा उपयोज्यता काल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसम्पतियां:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसे संकेत है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, अथवा जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति अथवा नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) की शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के समूह से

बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं। जहां किसी परिसंपत्ति अथवा सीजीयू की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि को लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। शुद्ध बिक्री मूल्य निर्धारित करने में, यदि उपलब्ध हो तो हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

हानि नुकसान लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है। हानि के बाद, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

द) वित्तीय प्रपत्र:

वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी वित्तीय उपकरण के संविदाकारी प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है तथा प्रारंभ में इनका मापन संव्यवहार लागतों का समायोजन करके उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। संव्यवहार लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य से जोड़ा अथवा घटाया जाता है।

i) नकदी और नकदी समतुल्य:

कंपनी प्रत्येक अत्यधिक तरल वित्तीय प्रपत्रों पर विचार करती है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं और खरीद की तिथि से तीन माह अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले नकद समतुल्य हैं। नकद और नकद समतुल्यों में बैंकों में जमा वह शेष राशि शामिल होती है जो निकासी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पति::

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित होती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों का धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए उन निर्दिष्ट तिथियों की प्रस्तुति करती हैं जब पूरी तरह से हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हो सकेगा।

iii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पति: वित्तीय परिसम्पति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है जब ये वित्तीय परिसम्पति एक व्यवसाय के भीतर धारित होती हैं तथा जिनका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसम्पति बेचने और अनुबंध की शर्तों दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसम्पति का प्रतिशत नकद प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न होता है जब केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तनों की प्रस्तुत करती है।

iv) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य पर नहीं मापा गया हो। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पतियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत स्वीकृति दी जाती है।

v) वित्तीय देयताएं:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके बाद में वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशि के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

vi) वित्तीय साधनों की स्वीकृति समाप्त करना:

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक

अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और स्थानांतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत अस्वीकृति के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति समाप्त कर देती है। वित्तीय देयता (अथवा वित्तीय देयता का भाग) जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है, तो इसे अमान्य कर दिया जाता है।

vii) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य:

अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए कंपनी निम्नलिखित तारतम्यता और स्वीकृतियों का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

उचित मूल्य तारतम्यता:

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्तियों अथवा देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत मेंवर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) संपूर्ण) हुआ है।

viii) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश:

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश लागत पर किया जाता है।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, पूर्वानुमान एवं धारणाएं::

कंपनी के वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, पूर्वानुमान तथा धारणाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की सूचित मात्रा और साथ-साथ प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण प्रभावित होता है। इन धारणाओं और अनुमानों की अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली संपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन करने पड़ते हैं।

i) निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है:

क) परिचालन पट्टा - पट्टाकार के रूप में कंपनी:

कंपनी ने अपने निवेश संपत्ति पोर्टफोलियो में वाणिज्यिक संपत्ति में प्रवेश किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक उपयोज्यता काल का एक बड़ा भाग नहीं है, कि इनसे स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों का धारण होता हो तथा ये अनुबंध परिचालन पट्टे हो सकते हों।

ख) बंद परिचालन:

दिनांक 27/10/2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसार ट्रैक्टर डिवीजनों के परिचालनों को बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार परिसंपत्तियों का वर्गीकरण इंड एएस 16, इंड एएस 40 और इंड एएस 105 की परिभाषाओं के आधार पर किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि कंपनी पट्टा किराया उत्पन्न करने के लिए भूमि और भवनों के प्रमुख भाग तीसरे पक्ष को पट्टे पर देगी और तदनुसार, इनका वर्गीकरण निवेश संपत्तियों के रूप में किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

कॉर्पोरेट मुख्यालय का भवन, जिसमें संपत्ति के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग कंपनी के स्वामित्व की संपत्ति के रूप में

किया जाता है और कुछ भाग कंपनी द्वारा पट्टे पर दिया गया है। प्रबंधन की भवन को बेचने की कोई मंशा नहीं है और भवन का जो भाग पट्टे पर दिया गया है वह अल्पावधि के लिए है और तदनुसार, इसे संपति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पूर्वानुमान एवं धारणाएँ

वे प्रमुख धारणाएं जिनसे भविष्य में एवं रिपोर्टिंग तिथि को पूर्वानुमानों के प्रमुख स्रोतों के प्रति अनिश्चितता हो सकती है तथा जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्रीगत समायोजन किए जाने एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया हैं। मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास की धारणाएं तथापि, बाजार में परिवर्तन अथवा परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन घटित होने पर ये पूर्वानुमानों में परिलक्षित होते हैं।

क) आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकृति कटौतियोग्य अस्थाई के लिए उस विस्तार तक की जाती है जिनमें कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं के प्रति उपयोग के लिए भावी करयोग्य लाभ प्राप्त होने संभावित हों। कंपनी आस्थगित कर संपत्ति की स्वीकृति नहीं देती है क्योंकि कंपनी को अप्रयुक्त कर हानियां हुई है और इनसे भविष्य के कर योग्य लाभ के लिए विश्वास योग्य लाभ की कोई निश्चितता नहीं है।

ख) परिभाषित लाभ दायित्व:

परिभाषित लाभ उपदान योजना, भविष्य निधि और सैटलमेंट भत्ते की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर; भविष्य वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण किया जाना शामिल है। मूल्यांकन और इसकी लंबी अवधि में शामिल जटिलताओं के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। अधिकांश मापदंड छूट दर में परिवर्तन की शर्त पर हैं। उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन द्वारा सरकारी बांडो की ब्याज दरों को विचार में लिया जाता है।

मृत्यु दर विशिष्ट देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। वे मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दरों पर आधारित होती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अर्जित अवकाश नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जमा हुई अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत का माप। गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है। सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी (संपत्ति) का पुनर्माप और दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

दीर्घावधि के कर्मचारी लाभों का मापन परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के अनुसार अनिश्चितता की डिग्री के अनुसार नहीं है। इस कारण से, अन्य व्यापक आय में पुनः मापन की स्वीकृति नहीं की जाती है।

घ) वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मापन:

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसम्पतियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य का मापन एनएवी/एनआरवी मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट, जहां संभव हो, सुस्पष्ट बाजारों से प्राप्त की जाती है, लेकिन जहां यह संभव नहीं होता, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्धारण करने पड़ते हैं। ऐसे निर्धारणों में नकदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, मूल्यों में अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से धारणाओं के परिवर्तन वित्तीय प्रपत्रों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31-मार्च-24 तक	31-मार्च-23 तक
परिसम्पतियां			
गैर चालू परिसम्पतियां			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2.2	-	-
चालू परिसम्पतियां			
क) मालसूचियां	2.3	-	-
ख) वित्तीय परिसम्पतियां			
i. व्यापार प्राप्य	2.4	-	-
ii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	2.5	-	1,284.80
iii. अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (सावधि जमा पर ब्याज उपचय)	2.6	-	13.91
iv. उपदान ट्रस्ट के पास उपलब्ध निधियां	2.6 A	-	-
ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	2.7	-	5.60
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पतियां	2.8	-	-
योग परिसम्पतियां		**-**	**1,304.31**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	2.9	**649.01**	649.01
अन्य इक्विटी	2.10	**(649.01)**	(268,727.66)
गैर चालू देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
ख) प्रावधान			
i.कर्मचारी लाभ दायित्व			
ग) अन्य गैर-चालू दायित्व		-	-
चालू देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i. ऋण		-	-
ii. व्यापार और अन्य देय	2.11	-	-
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	2.12	-	269,378.75
ख) प्रावधान			
i.कर्मचारी लाभ दायित्व		-	-
ii. अन्य	2.13	-	-
ग) अन्य चालू देयताएं	2.14	-	4.21
योग देयताएं		**0.00**	1,304.31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप	2.1		
संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट देखें	2.2 To 2.30	**(0.00)**	**0.00**

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S

प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 216858

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: : 07-05-2024

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**मुक्ता शेखर**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन: 10333951	डीआईएन: 10118859	डीआईएन: 10043608

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31-3-2024 को समाप्त वर्ष	31-3-2023 को समाप्त वर्ष
जारी परिचालन			-
बंद परिचालन			
परिचालनों से राजस्व	2.15		-
अन्य आय	2.16	**61.21**	137.26
योग राजस्व		**61.21**	137.26
व्यय			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	2.17	**-**	-
कार्य-प्रगति, स्टॉक-इन-ट्रेड और तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन।	2.18	**-**	-
कर्मचारी लाभ व्यय	2.19	**-**	-
अन्य व्यय	2.20	**22.18**	166.40
वित्तीय लागत	2.21	**-**	14.28
योग व्यय		**122.18**	180.68
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि)		**(60.97)**	(43.42)
असाधारण मदें:			
सरकार द्वारा ऋण माफ किये गये	2.22	**2,69,378.75**	193.04
सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ		**83,747.00**	-
कर पूर्व लाभ / (हानि)		**3,53,064.78**	149.62
कर व्यय			
क) चालू कर		**84,986.12**	-
ख) आस्थगित कर		**-**	-
ग) पूर्व वर्षों के लिए आयकर		**-**	-
बंद परिचालन की अवधि के लिए लाभ / (हानि)		**2,68,078.66**	149.62
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**2,68,078.66**	149.62
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर लाभ/(हानि)		**-**	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
अन्य व्यापक आय		**-**	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**2,68,078.66**	149.62

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31-3-2024 को समाप्त वर्ष	31-3-2023 को समाप्त वर्ष
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक		**-**	-
ख) डाय्ल्युटिड		**-**	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक	2.30	**4,130.58**	2.31
ख) डाय्ल्युटिड		**4,130.58**	2.31
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और चालू परिचालनों के लिए)			
क) बेसिक		**4,130.58**	2.31
ख) डाय्ल्युटिड		**4,130.58**	2.31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप	2.1		
संलग्न वित्तीय विवरणों के नोट देखें	2.2 To 2.30		

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S

प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 216858

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: : 07-05-2024

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**मुक्ता शेखर**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन: 10333951	डीआईएन: 10118859	डीआईएन: 10043608

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष
परिचालन गतिविधियां		
निरंतर परिचालन से कर पूर्व लाभ	-	-
बंद परिचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	**353,064.78**	149.62
कर पूर्व लाभ	**353,064.78**	**149.62**
निवल नकदी प्रवाह से कर पूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास एवं क्षमता हानि	-	0.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ/(हानि)	**0.00**	242.17
वित्त आय	**(59.68)**	(83.37)
वित्तीय लागत	**0.00**	14.28
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
प्रावधानों, ग्रेच्युटी में संचलन	**0.00**	0.00
व्यापार और अन्य प्राप्तियों और पूर्व भुगतानों में वृद्धि	**19.52**	1,915.90
मालसूचियों में कमी	**0.00**	0.00
व्यापार और अन्य देय में वृद्धि	**(269,382.97)**	(3,090.61)
	83,641.65	(852.01)
आय कर भुगतान	**(84,986.12)**	0.00
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(1,344.47)**	**(852.01)**
गतिविधियों की जांच		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	**0.00**	53.89
प्राप्त ब्याज	**59.68**	83.37
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	**59.68**	**137.26**
वित्तीय गतिविधियां		
ऋण से आय/(ऋण का पुनर्भुगतान)	**0.00**	0.00
ब्याज का भुगतान	**0.00**	(14.28)
वित्तीय गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह	**0.00**	**(14.28)**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि	**(1,284.79)**	(729.03)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,284.79**	2,013.82
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(0.00)**	**1,284.79**

नोट: 1) उपर्युक्त विवरण का निर्माण इंड एएस में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है
2) नकदी एवं नकदी समतुल्य को नोट संख्या 2.5 के अनुसार विचार में लिया गया है।

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त

प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 216858

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: : 07-05-2024

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10333951

मुक्ता शेखर
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन: 10118859

नरेश कुमार
सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन: 10043608

समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

1 अप्रैल, 2022 को रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
6,49,01,000	शून्य	**6,49,01,000**	शून्य	**6,49,01,000**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				बंद परिचालन	अन्य व्यापक आय		कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	सामान्य रिजर्व	इक्विटी ओसीआई रिजर्व		अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय के माध्यम से अन्य मदें	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	-	(268,877.28)	-	-	(268,877.28)
पूर्वावधि चूकों के कारण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन								-
1 अप्रैल, 2022 को पुन: उद्धृत शेष	-	-	-	-	**(268,877.28)**	-	-	**(268,877.28)**
बंद परिचालन					149.62			149.62
निवल परिभाषित देयताओं / परिसम्पतियों का पुन:मापन, कर प्रभाव निवल					-			-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय								-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	-	-	-	-	**(268,727.66)**	-	-	**(268,727.66)**

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				बंद परिचालन	अन्य व्यापक आय		कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध कुल इक्विटी
	पूंजी रिजर्व	धारित आय	सामान्य रिजर्व	इक्विटी ओसीआई रिजर्व		अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय के माध्यम से अन्य मदें	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	-	-	-	-	(2,68,727.66)	-	-	(2,68,727.66)
पूर्वावधि चूकों के कारण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन								-
1 अप्रैल, 2023 को पुन: उद्धृत शेष	-	-	-	-	(2,68,727.66)	-	-	(2,68,727.66)
बंद परिचालन					2,68,078.66			2,68,078.66
निवल परिभाषित देयताओं / परिसम्पतियों का पुन:मापन, कर प्रभाव निवल					-			-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय								-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	-	-	-	-	(649.01)	-	-	(649.01)

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S

प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 216858

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: : 07-05-2024

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10333951

मुक्ता शेखर
सरकारी नामित
निदेशक
डीआईएन: 10118859

नरेश कुमार
सरकारी नामित
निदेशक
डीआईएन: 10043608

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(रुपए लाख में)

विवरण	भूमि फ्रीहोल्ड	भूमि पट्टाधारित	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	विशेष टूल्स	योग
सकल ब्लॉक								
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	296.06			-	-	-	-	296.06
आवर्धन								-
निपटान								-
बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियां	(296.06)			-	-	-	-	(296.06)
31 मार्च, 2023 की स्थिति	-	-	-	-	-	-	-	-
आवर्धन								-
निपटान		-						-
बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियां								-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित मूल्यहास								-
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	-			-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/ परिशोधन								-
निपटान								-
बिक्री के लिए धारित परिसम्तियां	-		-	-	-	-		-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/ परिशोधन	-	-				-	-	-
निपटान		-						-
बिक्री के लिए धारित परिसम्तियां	-		-	-	-	-		-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	-	-	-	-	-	-		-
निवल बही मूल्य	-	-	-	-	-			-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	-	-	-	-	-	-		-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	-	-	-	-	-	-		-
निवल बही मूल्य		31-03-2024 राशि		31-03-2023 राशि				
सयंत्र, संपति एवं उपकरण	-	-						-

वित्तिय विवरणों पर नोट्स

(रुपए लाख में)

	विवरण	31-3-2024 रुपए लाख में	31-3-2023 रुपए लाख में
2.3	**मालसूचियां (लागत अथवा एनआरवी पर, जो भी कम हो)**		
	कच्चा माल	-	-
	एमआईटी	-	-
	भंडार एवं पूर्जे	-	-
	रद्दी सामान	-	-
	तैयार माल	-	-
	कार्य प्रगति पर	-	-
	योग	-	-
	घटाएं: प्रावधान	-	-
	योग	-	-
2.4	**व्यपार प्राप्य**	-	-
	व्यापार प्राप्य अन्य	-	-
	योग	-	-
	व्यपार प्राप्य		
	प्रतिभूत अच्छा समझा गया		
	अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		-
	संदेहास्पद		-
	घटाएं: संदेहास्पद नामे के लिए एलाउंस		-
	योग		-
	> 6 माह की अवधि के व्यापार प्राप्य		-
	< 6 माह की अवधि के व्यापार प्राप्य		-
2.5	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	अनुसूचित बैंकों में शेष		
	- चालू खाता	**0.00**	119.80
	अनुसूचित बैंकों में जमा > तीन माह तथा < 12 माह	**0.00**	55.00
	अनुसूचित बैंकों में जमा > तीन माह तथा < 12 माह	**0.00**	1110.00
	योग	**-**	1,284.80

वित्तिय विवरणों पर नोट्स

(रुपए लाख में)

	विवरण	31-3-2024 रुपए लाख में	31-3-2023 रुपए लाख में
2.6	**अन्य वित्तीय परिसम्पतियां**		
	बैंक जमा पर ब्याज उपचय	0.00	13.91
	योग	-	13.91
2.6	**क**		
	घटाएं : उपदान ट्रस्ट में उपलब्ध निधि		
	योग		
2.7	**अन्य चालू परिसम्पतियां**		
	सम्बद्ध पार्टियों से प्राप्य		
	चिनार वॉचेज लिमिटेड		
	मशीन टूल्स लिमिटेड		
	एचएमटी लिमिटेड		
	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड		
	एचएमटी बियरिंग्स		
	प्रतिभूत		
	-अच्छा समझा गया		
	(अप्रतिभूत अच्छा समझा गया)		
	- अच्छा समझा गया (सांविधिक)		
	संदेहास्पद वसूलीय दावे		
	घटाएं: वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए प्रावधान		
	अग्रिम		
	जीएसटी		
	-पूंजी अग्रिम		
	-अन्य अग्रिम		
	घटाएं: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	- वसूलीय दावे		
	घटाएं: संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान		
	विभिन्न प्राधिकरणों के पास जमा – न्यायिक मामले		
	अग्रिम कर / टीडीएस प्राप्य	0.00	5.60
	योग	-	5.60

2.8 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसम्पतियां

भूमि फ्रीहोल्ड	0.00	0.00
भवन	0.00	0.00
योग	**0.00**	**0.00**

***पुन:समूहन**

2.8(क) भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में वर्ष 2016-17 के दौरान निर्माण परिचालन बंद थे, सभी चल परिसम्पतियों का निपटान परिसमापन की देयताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। एमएचआई ने पत्र दिनांक 5-5-2022 के माध्यम से सभी अचल संपत्तियों को एचएमटीडब्ल्यूएल की पुस्तकों (बंद होने के तहत) से एचएमटी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में बुक वैल्यू पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। अचल परिसम्पतियों के अंतरण के अधिकार सरकार के अधिकार में हैं तथा निपटान पूरा होने तक एचएमटी लिमिटेड सम्पतियों का कस्टोडियन है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय के दिनांक 06-02-2024 के पत्र के माध्यम से, एचएमटीडब्ल्यूएल को कंपनी अधिनियम, 2017 की धारा 248 के तहत एचएमटीडब्ल्यूएल को बंद करने के लिए आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए एचएमटीडब्ल्यूएल की पुस्तकों में भारत सरकार के ऋण को लिखने के कारण आयकर देयता को पूरा करने के लिए 831.76 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

2.8(ख)

तिथि सहित विभिन्न एजेंसियों को हस्तांतरित					
	फ्रीहोल्ड	दिनांक	पट्टा धारण	दिनांक	कुल भूमि
ए) मैसर्स इसरो, कर्नाटक के तुमकुर में भूमि	109.82	27.06.2018	-	-	109.82
बी) जीओयूके, रानीबाग में भूमि			33.32	03.08.2019	33.32
सी) जीओयूके, रानीबाग में भूमि	-	-	13.36	22.07.2019	13.36
एन एच 4 डब्लू एफ टी (सड़क चौड़ीकरण के लिए 2006 के दौरान कब्ज़ा))	2.88	-			2.88
कुल	**112.70**		**46.68**		**159.38**
होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित भूमि*					
(ए) बेंगलूरु में भूमि	89.70				89.70
(बी) तुमकुर में भूमि	6.988	30.12.2022	-	-	6.988
(सी) रानीबाग में भूमि	45.622				45.622
कुल	142.31	-		-	142.31
कुल योग	255.01		46.68		301.69
होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित					
ए) मुंबई में 2 बीएचके फ्लैट।	730 वर्ग फीट				

कुल भूमि 301.69 एकड़ है (डब्ल्यूएफबी 89.740, डब्ल्यूएफटी 119.650, डब्ल्यूएफआर 92.300)

वित्तीय विवरणों के नोट

तुलन पत्र के अभिन्न भाग नोट

(रुपए लाख में)

2.9 शेयर पूंजी

शेयर पूंजी

	प्राधिकृत शेयर पूंजी इक्विटी शेयर संख्या (लाख में)	राशि
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	70	700.00
वर्ष के दौरान वृद्धि /(कमी)	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**70**	**700.00**
वर्ष के दौरान वृद्धि /(कमी)	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**70**	**700.00**

	अभिदत्त पूंजी 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर संख्या	राशि
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	**64,90,100**	**649.01**
वर्ष के दौरान वृद्धि /(कमी)	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**64,90,100**	**649.01**
वर्ष के दौरान वृद्धि /(कमी)	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	**64,90,100**	**649.01**

“कम्पनी के पास 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं। प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा एंव भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन के अधीन है।

कम्पनी का ऋणशोधन होने की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, सभी वरीयता राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की शेष परिसम्पतियों की प्राप्ति के पात्र होंगे। शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा।”

कम्पनी के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर	64,90,100	100.00%	64,90,100	100.00%
एचएमटी लिमिटेड				

कम्पनी के पास 10 रुपए मूल्य प्रत्येक के केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं। प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं भुगतान भारतीय रूपए में किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के नोट

2.10 अन्य इक्विटी

विवरण	31-मार्च-24 रुपए लाख में	31-मार्च-23 रुपए लाख में
धारित आय	(649.01)	(268,727.66)
योग	**(649.01)**	**(268,727.66)**

अन्य व्यापक आय के कंपोनेंट्स (ओसीआई)

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व से अन्य व्यापक आय में परिवर्तनों का विपुंजन निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान

	धारित आय रुपए लाख में	योग रुपए लाख में
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुन: मापन	-	-
	-	-

2.11 व्यापार एवं अन्य देय

विवरण	31-मार्च-24 रुपए लाखमें	31-मार्च-23 रुपए लाखमें
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय *		
व्यापार देयताओं के लिए देय		
योग		-

* सूक्ष्म,लघु एवं मध्यमउद्यम विकास निगम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध मेंकुछ प्रकटीकरण किए जाने अपेक्षित है। कम्पनी विक्रेताओं से उनके एमएसएमईडीअधिनियम 2006 स्तर के बारे में पुष्टि नहीं मिली है तथा इस प्रकार वर्ष के दौरानअचुकता राशियों का प्रकटीकरण किया गया है।

2.12 अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31-मार्च-24 रुपए लाखमें	31-मार्च-23 रुपए लाखमें
जी ओ आईकी देयताएं	-	269,378.75
योग		**269,378.75**

नोट: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा दिनांक 6.1.2016 को आयोजित अपनी बैठक् में अनुमोदन दिए जाने तथा भारीउद्योग विभाग से परिचालन बंद किए जाने से संबंधित दिनांक 13.1.2016 के पत्र केअनुसरण में भारत सरकार का ऋण, उसपर उपार्जित 2014-15 तक के ब्याज का वर्गीकरणअन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत किया गया है।

2.13 प्रावधान – अन्य

विवरण	31-मार्च-24 रुपए लाखमें	31-मार्च-23 रुपए लाखमें
आय कर प्रावधान		-
अंत शेष		**-**

वित्तीय विवरणों के नोट

2.14 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में
संबंधित पार्टियों को देय		
एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड		
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (निदेशालय))		
एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड		
एचएमटी लिमिटेड (धारक कम्पनी)		-
एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड		
सांविधिक देयता उत्पाद शुल्क		
परिसम्पतियों की बिक्री के लिए प्राप्त अग्रिम (एमएसीसी)		
भूमि एवं भवन की बिक्री के प्रति प्राप्त अग्रिम		
प्राप्त ईएमडी		
धारित जमा		
प्रतिभूति जमा		
देय उपदान		
देय अर्जित छुट्टी नकदीकरण		
वेतन संशोधन देय		
सैटलमेंट भत्ता देय		
अन्य		
टीडीएस भुगतान लंबित		
दूरा दर्शन		
बीबीएमपी कर 31-3-2022 डब्ल्यूएफबी		
डब्लूएमडी से सुरक्षा डिपोसिट्स और ईएमडी		
देय व्यय	**0.00**	**4.21**
7 क्यू एवं 14बी ब्याज देय		
योग	**0.00**	**4.21**

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में
2.15	**परिचालनों से राजस्व**		
	घड़ियों की बिक्री		-
	योग		-
2.16	**अन्य आय**		
	क. अन्य आय		
	विविध आय (रद्दी सामान तथा भवन सामग्रियों की बिक्री)		42.54
	जीएसटी धनवापसी		4.72
	विविध आय	**1.53**	6.63
		1.53	53.89
	ख. ब्याज आय		
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	**59.68**	54.76
	सावधि जमा पर सीएचओ से प्राप्त ब्याज		4.34
	उपदान से प्राप्त ब्याज		24.27
	आय कर धनवापसी		-
		59.68	83.37
	योग	**61.21**	137.26
2.17	**खपत की गई सामग्रियों की लागत**		
	क. कच्ची सामग्री एवं कंपोनेंट्स		
	वर्ष के प्रारंभ में मालसूची		-
	जोड़े : क्रय		-
	वर्ष के अंत में मालसूची		-
	ख. भंडार, पूर्जे एवं अन्य प्रयुक्त कंपोनेंट्स		
	प्रारंभ		-
	अंत		
	योग		-

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में
2.18	कार्य प्रगति पर, व्यापार माल, तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन		
	तैयार माल		
	प्रारंभ		-
	अंत		-
	कार्य प्रगति पर		
	प्रारंभ		-
	अंत		-
	रद्दी सामान की मालसूची		
	प्रारंभ		-
	अंत		-
	योग		-
2.19	कर्मचारी लाभ व्यय		
	कर्मचारी कल्याण व्यय		-
	अन्य		
	योग		-
2.20	अन्य व्यय		
	जल एवं बिजली	14.75	9.40
	दरें एवं कर*	26.73	19.96
	यात्रा व्यय तथा यात्रा व्यय भत्ता	1.75	7.30
	लेखन एवं मुद्रण सामग्री	0.39	0.42
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	0.89	0.89
	विज्ञापन एवं प्रकाशन		0.88
	विविध व्यय	0.96	2.43
	कानूनी व्यय और व्यावसायिक प्रभार	4.00	15.56
	डाक एवं टेलीफोन व्यय	0.05	0.06
	मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.10	0.21
	एमएसटीसी सेवा प्रभार		0.43
	7क्यू/14बी ब्याज		
	सुरक्षा व्यय	36.41	39.35
	आकस्मिक श्रमिक प्रभार	29.79	43.24
	धारक कम्पनी व्यय का अंशभाग		3.90
	अन्य प्रावधान (डब्ल्यूएफटी)		

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में
	सेवा प्रभार (एचएमटी एबीडी)	6.36	21.98
	पी एफ ट्रस्ट हानि		
	बैंक प्रभार	-	0.40
	योग	122.18	166.40
2.21	**वित्त लागत**		
	अन्य ब्याज		14.28
	योग		14.28
			-
2.22	**असाधारण मदें**		
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	83,747.00	
	भारत सरकार के ऋणों की माफी	2,69,378.75	
	संयंत्र एवं मशीनरी, रद्दी सामान की बिक्री से लाभ		-
	अनापेक्षित देयताएं		197.23
	अग्रिम के लिए प्रावधान		(52.83)
	अनापेक्षित प्रावधान		48.64
	योग	3,53,125.75	193.04

2.23 **आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)**

	आकस्मिक देयताएं कम्पनी के प्रति दावे जो नामे के रूप में स्वीकृत नहीं		शून्य
	कम्पनी ने विधिक एवं अन्य भुगतानों के प्रति आकस्मिक देयताएं निर्मित की हैं	-	
	एचएमटी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 1-12-2022 के पत्र के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है।		

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

	विवरण	31-मार्च-24 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में	31-मार्च-23 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में
2.24	**वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीआईएफ आधार पर गणना की गई आयात का मूल्य**		शून्य
	शून्य	शून्य	
2.25	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	रॉयल्टी, जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामलों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय		शून्य
		शून्य	
2.26	**विदेशी मुद्रा में कमाई**	शून्य	
	आईएनडी एएस 108 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग		
2.27	**कंपनी कलाई घड़ियों के निर्माण, बिक्री और सर्विसिंग का कारोबार कर रही थी। व्यवसाय बंद करने के निर्णय के कारण संपूर्ण व्यवसाय को बंद परिचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।**		
2.28	**संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (IND AS 24)**		
	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेनदेन हुए		रुपए लाख में

संबंधित पार्टी का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	राशि	
एचएमटी लिमिटेड (एबीडी, बेंगलूरू)	सेवा शुल्क	6.36	
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	अन्य व्यय	76.12	
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	सामान्य व्यय		
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	ब्याज का भुगतान		-
एचएमटी लिमिटेड (सीएचओ)	प्राप्त ब्याज		

2.29 वित्तीय विवरणों की तैयारी

* वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं क्योंकि कंपनी का प्रबंधन व्यवसाय बंद करने का इरादा रखता है। कंपनी को भारी घाटा हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की पूंजी घट रही है। कंपनी की स्थिति को देखते हुए, कंपनी के हितधारकों ने व्यवसाय बंद करने और कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि गोइंग कंसर्न धारणा अब कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसलिए इसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए लागू नहीं किया गया है।

2.30	प्रति शेयर आय (ईपीएस)	31-मार्च-24 रुपए लाख में	31-मार्च-23 रुपए लाख में
	इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ:		
	जारी परिचालन	-	-
	बंद परिचालन	2,68,078.66	149.62
	घटाएं : अन्य व्यापक आय		-
	इक्विटी धारकों से सम्बद्ध बेसिक आय:	2,68,078.66	149.62
	परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर ब्याज		-
	मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ का डाय्ल्युशन के प्रभाव के लिए समायोजन	2,68,078.66	149.62
	बेसिक ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या का भारित औसत	2,68,078.66	149.62
	डाय्ल्युशन का प्रभाव :		-
	परिवर्तनीय वरीयता शेयर		-
	डाय्ल्युशन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की संख्या की भारित औसत*	2,68,078.66	149.62
	प्रति इक्विटी शेयर (बंद परिचालनों के लिए)	4,130.58	2.31

*इक्विटी शेयरों अथवा संभावित इक्विटी शेयरों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि तथा इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकार की तिथि के मध्य कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुए हैं।

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मैसर्स ए एन के एच एवं असोसिएट
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 015330S

प्रकाश अडिगा बी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 216858

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: : 07-05-2024

कृते एवं एचएमटी वॉचेज लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त

राजेश कोहली	**मुक्ता शेखर**	**नरेश कुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सरकारी नामित निदेशक	सरकारी नामित निदेशक
डीआईएन: 10333951	डीआईएन: 10118859	डीआईएन: 10043608

एचएमटी लिमिटेड ने सीएसआर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए,श्री राजेश कोहली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ने एचएमटी और जीएमसीएच के अधिकारियों की उपस्थिति में जीएमसीएच, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र को एक कार्डियक एम्बुलेंस सौंपी।

राष्ट्रीय एकता दिवस - 2024

थाटन, म्यांमार में एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड द्वारा स्थापित इंडो म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा म्यांमार में भारत के राजदूत द्वारा किया गया ।

स्वतंत्रता दिवस - 2024

सीएसआर पहल के रूप में, श्री एस.के.कडबे, महाप्रबंधक (ओ एंड,एम) एचएमटी लिमिटेड ने अन्य एचएमटी अधिकारियो के साथ, सरकारी पीयू कॉलेज, जलाहल्ली, बेंगलूरु की महिला छात्रो को 115 ब्लेज़र वितरित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024

एचएमटी लिमिटेड

सीआइएन संख्या L29230KA1953GOI000748
एचएमटी भवन, न.59,
बेल्लारी रोड, बेंगलूरू -560032
वेबसाइट: www.hmtindia.com